**संदर्भ Ref.:नि.से.वि. ISD/78/2024-25** **दिनांक Date: June 26, 2024**

| | |
|---|---|
| बीएसई लिमिटेड BSE Ltd.<br>बीएसई लिस्टिंग सेंटर BSE Listing Centre<br>स्क्रिप कोड Scrip Code - 532 477 | नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड<br>National Stock Exchange of India Ltd.<br>निप्स NEAPS<br>स्क्रिप कोड Scrip Symbol-UNIONBANK-EQ<br>सिक्योरिटी Security – UBI-AT/BB |

महोदया Madam / महोदय Sir,

**विषय Subject : Integrated Annual Report of the Bank for FY 2023-24.**

संदर्भ Ref. : Our earlier Ref. letter no. ISD/62/2024-25 dated June 11,2024.

In compliance with Regulation 34 (1) (a) and 53 (2) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith the Integrated Annual Report (including Notice of 22nd Annual General Meeting) of the Bank for the FY 2023-24.

The Integrated Annual Report of the Bank for the FY 2023-24 is also available on the Bank's website:

https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-investor-annualreports.aspx

or to:

**Scan QR Code for the Integrated Annual Report 2023-24:**

The 22nd Annual General Meeting of the Bank is scheduled to be held on Friday, July 26,2024 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM).

Thanking you.

भवदीय Yours faithfully,

SANTANU KUMAR DASH
Digitally signed by SANTANU KUMAR DASH
Date: 2024.06.26 17:58:39 +05'30'

**(सीएस एस. के. दाश CS S. K. Dash)**

**कंपनी सचिव Company Secretary**

**एफ़सीएस FCS - 4085**

संलग्न Encl.: यथोक्त As above

Copy to: 1. IDBI Trusteeship Services Ltd., Mumbai. (Pursuant to Regulation 53(2) of the SEBI (LODR) Regulations,2015, Please click on above link or scan QR code to get Integrated Annual Report 2023-24)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, निवेशक सेवायें प्रभाग, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400021.
Union Bank of India, Investor Services Division, Union Bank Bhavan,239,Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021.
☎: + 91 22 2289 6636/2289 6643, ✉ investorservices@unionbankofindia.bank , website: www.unionbankofindia.co.in
@unionbankofindia @UnionBankTweets unionbankinsta @UnionBankofIndiaUtube @unionbankofindia @unionbankinsta

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank of India
A Government of India Undertaking

# 2023-24

एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट
Integrated Annual Report

www.unionbankofindia.co.in

# नवोन्मेषी तकनीक के साथ ग्राहक केंद्रीयता

# Customer Centricity with Innovative Technology

# इस रिपोर्ट के बारे में

***जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023-2024 को कवर करती है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वित्तीय वर्ष 2024 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट को निदेशक मंडल द्वारा 11 जून, 2024 को अनुमोदित किया गया था, और बोर्ड की ओर से अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था.***

*हमारी वित्तीय वर्ष 2024 की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट का उद्देश्य इस बारे में पारदर्शिता प्रदान करना है कि अपने ग्राहकों के जीवन को बेहतर बनाने और अपने समुदाय का विकास करने में हम अपने उद्देश्य को कैसे सक्रिय करते हैं. यह रिपोर्ट हमारी दूसरी एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग परिषद (आईआईआरसी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है. इसके अतिरिक्त, हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित सामान्य प्रकटीकरण और विषय-विशिष्ट प्रकटीकरण को कवर करते हुए ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव स्टैंडर्ड्स के मुख्य विकल्प का अनुपालन करने का प्रयास करते हैं.*

## आईआर फ्रेमवर्क का अनुपालन

अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग परिषद (आईआईआरसी), जिसे मूल रूप से एकीकृत रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने और कॉर्पोरेट पारदर्शिता में सुधार करने के लिए स्थापित किया गया था, में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं. आईआईआरसी ने कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग मानकों को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड (एसएएसबी) के साथ विलय कर वैल्यू रिपोर्टिंग फाउंडेशन (वीआरएफ़) का गठन किया. इस नए संगठन का उद्देश्य एक सुसंगत ढांचा प्रदान करना है जो वित्तीय और स्थिरता रिपोर्टिंग को एकीकृत करता है, जिससे कारोबार को वित्तीय, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों में उनके वास्तविक मूल्य निर्माण को दर्शाते हुए व्यापक और पारदर्शी प्रकटीकरण प्रदान करने में सहायता मिलती है.

वर्ष 2021 में, वीआरएफ़ ने जलवायु प्रकटीकरण मानक बोर्ड (सीडीएसबी) के साथ विलय करके और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफ़आरएस) फाउंडेशन के नए अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता मानक बोर्ड (आईएसएसबी) का हिस्सा बनकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. इस संधि का उद्देश्य वीआरएफ़, एसएएसबी और सीडीएसबी की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए वैश्विक रूप से सुसंगत कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग मानक बनाना है. आईएफ़आरएस फाउंडेशन के तहत आईएसएसबी को उच्च-गुणवत्ता वाले, समझने योग्य और लागू करने योग्य स्थिरता प्रकटीकरण मानकों को विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह सहयोगात्मक प्रयास वित्तीय रिपोर्टिंग के साथ-साथ संवहनीयता सूचना की विश्वशनीयता, तुलनीयता और सामंजस्य में वृद्धि करता है जो निवेशकों, नियामकों और अन्य हितधारकों के लिए बेहतर निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है और एकीकृत रिपोर्टिंग के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एकीकृत रिपोर्टिंग (आईआर) फ्रेमवर्क 2021 में उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों का पूरी लगन से पालन किया है. ये सिद्धांत हमारी एकीकृत रिपोर्ट की सूची और प्रस्तुति के मार्गदर्शक हैं:

1. **कार्यनीतिक केंद्र और भविष्य की दिशा:** रिपोर्ट बैंक की कार्यनीति, अल्पावधि, मध्यम अवधि और दीर्घावधि में मूल्य सृजन से इसके संबंध और पूंजी के विभिन्न रूपों पर इसके प्रभाव के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करती है.
2. **सूचना की कनेक्टिविटी:** यह विभिन्न गतिविधियों, पूंजी और समग्र मूल्य सृजन को जोड़कर समय के साथ बैंक के मूल्य सृजन को प्रभावित करने वाले परस्पर संबंधित कारकों का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है.
3. **हितधारक संबंध:** रिपोर्ट प्रमुख हितधारकों के साथ बैंक के संबंधों की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्रदान करती है और यह स्पष्ट करती है कि बैंक किस प्रकार उनकी वैध आवश्यकताओं और हितों को समझता है, उन पर प्रतिक्रिया करता है और उन पर विचार करता है.
4. **भौतिकता:** यह विभिन्न समयावधियों में बैंक की मूल्य सृजन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाले मामलों का खुलासा करता है, तथा मूल्य सृजन को पर्याप्त रूप से प्रभावित करने की उनकी क्षमता के आधार पर भौतिक मामलों की पहचान करता है.

5. **संक्षिप्तता:** रिपोर्ट तार्किक रूप से संरचित और अच्छी तरह से व्यक्त की गई है, स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत की गई है , और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रभावी नेविगेशन सहायता उपलब्ध हैं.
6. **विश्वसनीयता और पूर्णता:** रिपोर्ट में सभी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है, जो बैंक के कार्यनिष्पादन और संभावनाओं का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है.
7. **सामंजस्य और तुलनीयता:** सूचना समय के साथ संगत और उद्योग में अन्य संगठनों के साथ तुलनीय है, जिससे इसकी विश्वसनीयता और उपयोगिता बढ़ जाती है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एकीकृत रिपोर्ट में व्यापक रूप से आईआर फ्रेमवर्क के मार्गदर्शक सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जो मूल्य सृजन को प्रभावित करने वाले कारकों की अंतर-निर्भरता को दर्शाता है, कार्यनीतिक अभिविन्यास को दर्शाता है, और हितधारक संबंधों को स्वीकार करता है. यह अपनी संक्षिप्त लेकिन व्यापक प्रस्तुति के माध्यम से विश्वसनीयता और तुलनीयता सुनिश्चित करता है.

## आकांक्षात्मक लक्ष्य और प्रकटीकरण

इस रिपोर्ट में जिन लक्ष्यों पर चर्चा की गई है, वे आकांक्षापूर्ण हैं. हालाँकि हम उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हम उनकी पूर्ति की गारंटी नहीं दे सकते. इन खुलासों में सांख्यिकी और मेट्रिक में मान्यताओं पर आधारित अनुमान शामिल हो सकते हैं. प्राकृतिक पूंजी में गैर-वित्तीय खुलासों का स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन, जो एकीकृत रिपोर्ट 2023-2024/कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट के सिद्धांत 6 का हिस्सा है, मेसर्स टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया है.

## भौतिकता और रिपोर्टिंग मानक

इस रिपोर्ट में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और हमारे हितधारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को दर्शाने के लिए "महत्वपूर्ण" विषयों सहित कुछ शब्दों का उपयोग किया गया है. इस संदर्भ में, ये शब्द प्रतिभूति कानूनों के अनुसार परिभाषित या व्याख्या किए गए या वित्तीय विवरणों और रिपोर्टिंग में उपयोग किए गए "भौतिक" और "भौतिकता" शब्दों से अलग हैं और उन्हें उनके साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए.

## सामान्य जानकारी

यह रिपोर्ट केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति या बिक्री की पेशकश तैयार नहीं करती है. इस रिपोर्ट में सभी जानकारी प्रकाशन की तिथि तक विद्यमान है. हम जानकारी को अद्यतन करने या किसी भी विचार, राय या तथ्य में परिवर्तन या गलत होने पर आपको सूचित करने के लिए कोई दायित्व नहीं लेते हैं. वैधानिक प्रकटीकरण के अलावा, इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण ईएसजी विषयों पर स्वैच्छिक प्रकटीकरण भी शामिल हैं. इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट के निवेशक संबंध पृष्ठों पर उपलब्ध हमारी अन्य विभिन्न रिपोर्टों के साथ पढ़ा जाना चाहिए.

## तैयारी और सत्यापन

वित्तीय वर्ष 2024 के लिए एकीकृत रिपोर्ट पूरी तरह से आंतरिक रूप से तैयार की गई है और विशिष्ट गैर-वित्तीय और वित्तीय प्रकटीकरणों को छोड़कर, किसी तीसरे पक्ष की एजेंसी द्वारा बाहरी सत्यापन से नहीं किया गया है. अंतर्दृष्टि, आंकड़े और आकलन हमारे संचालन, प्रभावों और मूल्य-निर्माण पथ की हमारी समझ को दर्शाते हैं. सभी गैर-वित्तीय प्रकटीकरण, जैसे कि ऊर्जा खपत और पानी का उपयोग (बीआरएसआर के सिद्धांत 6 और प्राकृतिक पूंजी पर अध्याय में रेखांकित किया गया), का मूल्यांकन बैंक द्वारा नियुक्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है. इसके अतिरिक्त, सभी वित्तीय प्रकटीकरणों का ऑडिट रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों में हमारे प्रमाणित वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सूचना की सटीकता, पूर्णता और समयबद्धता के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है, यह स्वीकार करते हुए कि एकीकृत रिपोर्ट बाहरी सत्यापन के बिना तैयार की गई थी. वित्तीय वर्ष 2025 से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एकीकृत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए एक प्रतिष्ठित बाहरी एजेंसी को नियुक्त करने की योजना बना रहा है, जो रिपोर्ट की विश्वसनीयता बढ़ाकर हितधारक संबंधों को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है.

अधिक जानकारी के लिए **www.unionbankofindia.co.in**

*छायाचित्र पर कॉपीराइट अस्वीकरण*

*इस रिपोर्ट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) टूल द्वारा उत्पन्न छायाचित्र शामिल हैं,जिनमें एजेंसी के डिजिटल प्रतिपादन (रेंडरिंग) और एआई सब्सक्रिप्शन के माध्यम से उत्पादित छायाचित्र,और लोगों और आस्तियों के हमारे अपने आंतरिक फोटोशूट शामिल हैं. इस रिपोर्ट में स्टॉक फोटो विक्रेताओं से प्राप्त छायाचित्रों,जिनमें लोग शामिल हैं,का उपयोग नहीं किया गया है. ये छायाचित्र केवल उदाहरण के लिए हैं और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) की संपत्ति हैं. इन छायाचित्रों के सभी अधिकार सुरक्षित हैं. छायाचित्रों को यूबीआईसे स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी रूप में पुनः प्रस्तुत,कॉपी,वितरित या उपयोग नहीं किया जाना चाहिए. कोई भी अनधिकृत उपयोग कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन कर सकता है और कानूनी कार्रवाई का परिणाम हो सकता है. इन छायाचित्रों के उपयोग के बारे में पूछताछ के लिए,कृपयायूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कॉर्पोरेट संप्रेषण विभाग से संपर्क करें.*

## प्रगतिशील कथन

*प्रगतिशील कथन इस रिपोर्ट में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में प्रगतिशील कथन शामिल हैं. हम पाठकों को सावधान करते हैं कि कोई भी प्रगतिशील कथन भविष्य के कार्यनिष्पादन की गारंटी नहीं देता है, और वास्तविक परिणाम व्यक्त किए गए परिणामों से काफी भिन्न हो सकते हैं. प्रगतिशील कथनों को 'सकता है', 'करेगा', 'कोशिश करेगा', 'जारी रखेगा', 'आशय', 'पूर्वानुमान', 'लक्ष्य', 'अनुमानित", 'उम्मीद रखना', 'आकलन', 'इरादा', 'योजना', 'उद्देश्य', 'विश्वास', 'प्राप्त करना' या इसी तरह के शब्दों से पहचाना जा सकता है*

*स्वभाव से, प्रगतिशील कथनों में भविष्य की घटनाओं और परिस्थितियों से संबंधित जोखिम और अनिश्चितता शामिल होती है, जिसमें कानून में परिवर्तन, मानकों और व्याख्याओं में प्रगति, ईएसजी रिपोर्टिंग प्रथाओं का विकास और हमारे नियंत्रण से परे बाहरी कारक शामिल हैं. ये कथन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन की वर्तमान मान्यताओं और अपेक्षाओं पर आधारित हैं और महत्वपूर्ण जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं. वास्तविक परिणाम व्यक्त किए गए परिणामों से काफी भिन्न हो सकते हैं. हमारी भविष्य की वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023-2024 में की गई है, जो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है.*

*लागू क़ानूनों और विनियमों के तहत हमारे दायित्वों के अधीन नई जानकारी, भविष्य की घटनाओं या अन्यथा किसी के परिणामस्वरूप किसी भी प्रगतिशील कथन को सार्वजनिक रूप से अद्यतन करने या संशोधित करने का कोई दायित्व नहीं लेते हैं.*

*एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 को डाउनलोड करने हेतु क्यूआर कोड को स्कैन करें*

# नवोन्मेष तकनीक के साथ ग्राहक केंद्रीयता

> यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हमारी प्रतिबद्धता तकनीक के माध्यम से नवाचार के लिए हमारे ग्राहक-केंद्रित लोकाचार के साथ सहज रूप से संरेखित है और एक ऐसा भविष्य तैयार करना है जहां बैंकिंग हमारे ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप सक्षम हो. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में डिजिटल रूपांतरण केवल कार्यनीति का भाग न होकर इससे ऊपर यह हमारी कॉर्पोरेट जिम्मेदारी और संवहनीय विकास का आधार है.

## तकनीकी कौशल का उपयोग करना

हमने सावधानीपूर्वक एक डिजिटल बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित किया है जो लेन-देन के अनुभवों में क्रांतिकारी बदलाव करता है. हमने मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग में परिवर्तन को प्रोत्साहित करके कागज के उपयोग तथा शाखा में जाने की संख्या को काफी कम कर दिया है, जिससे हमारे संवहनीय लक्ष्यों को मजबूती मिली है. ब्लॉकचेन तकनीक से हमारा एकीकरण लेन-देन की सुरक्षा एवं पारदर्शिता को बढ़ाता है, धोखाधड़ी को कम करता है और विश्वास को मजबूत करता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) भी हमारे परिचालन में महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, जो वैयक्तिक ग्राहक सेवा एवं परिचालन दक्षता को बढ़ावा देते हैं. ये तकनीकें भौतिक संपर्क की आवश्यकता को कम करती हैं, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करती हैं और संसाधनों में सुधार करती हैं. उन्नत डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से हम ग्राहकों की प्राथमिकताओं के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे हम ऊर्जा-कुशल परियोजनाओं के लिए हरित ऋण जैसे पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद तैयार कर पाते हैं.

## संवहनीय नवोन्मेष का प्रभाव

हमारी डिजिटल पहल पर्यावरणीय संवहनीयता के प्रति हमारी सुदृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है. डिजिटल स्टेटमेंट और ऑनलाइन लेनदेन क्षमताओं को व्यापक रूप से अपनाए जाने से हमारे कार्बन फुटप्रिंट में उल्लेखनीय कमी आ रही है. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में हमारा निवेश एवं पर्यावरण-अनुकूल उद्योगों को समर्थन एक हरित भविष्य को बढ़ावा देने में हमारी भूमिका को दर्शाता है. यथा दिनांक 31 मार्च, 2024 तक, बैंक ने नवीकरणीय ऊर्जा ऋण के लिए रु.23,059 करोड़ मंजूर किए, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे समर्पण का उदाहरण है. साथ ही, सामुदायिक जुड़ाव हमारी संवहनीय कार्यनीति का आधार है. हम वृक्षारोपण, प्लास्टिक कम करने के अभियान और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसी पहलों के माध्यम से अपने ग्राहकों तथा कर्मचारियों को सक्रिय रूप से शामिल करते हैं, जिससे एक स्थायी जीवन शैली की ओर सामूहिक अभियान को बढ़ावा मिलता है.

## भविष्य के लिए विजन

आगे बढ़ते हुए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां हरित बैंकिंग अपवाद नहीं बल्कि एक मानक हो. हम अपने परिचालन में लगातार नवीन, पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों की खोज और एकीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं. हमारा अंतिम लक्ष्य न केवल अपने ग्राहकों को प्रसन्न करना है, बल्कि ग्रह को समृद्ध बनाना भी है, जिससे सभी हितधारकों के लिए अधिक संवहनीय एवं समृद्ध भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके. ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण के साथ अत्याधुनिक तकनीक को मिलाकर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग को आगे बढ़ा रहा है, यह साबित कर रहा है कि वित्तीय सेवाएँ अभिनव, ग्राहक-केंद्रित और पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकती हैं.

# इस रिपोर्ट को नेविगेट करना

*"इस रिपोर्ट को नेविगेट करना" अनुभाग में आपका स्वागत है, जिसे हमारी व्यापक एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट को सहजता से देखने में आपकी सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. हमने पूरे दस्तावेज़ में आइकन की एक श्रृंखला को एकीकृत किया है, जो प्रासंगिक विषयों को आपस में जोड़ने और हमारी मूल्य-निर्माण प्रक्रिया को दर्शाने के लिए दृश्य संकेतों के रूप में कार्य करता है. प्रत्येक आइकन, इसके संबंधित भौतिकता मुद्दे की संख्या के साथ जोड़ा गया, रिपोर्ट के भीतर क्रॉस-रेफ़रेंसिंग प्रदान करता है, चर्चा के तहत विषयों के पीछे के संदर्भ और तर्क की गहरी समझ को बढ़ावा देता है. रिपोर्ट को आसानी से नेविगेट करने और हमारे कार्यनिष्पादन और कार्यनीतिक दिशा वर्णन को पूरी तरह से समझने के लिए इन मार्गदर्शक तत्वों का उपयोग करें.*

इन तत्वों को आपस में जोड़ने से इस बात की गहरी समझ मिलती है कि हमारे कारोबार के विभिन्न पहलू किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं. यह हितधारकों को बताता है कि भौतिक विषयों के जवाब में कार्यनीतिक निर्णय कैसे लिए जाते हैं और वे हमारे कारोबार मॉडल को कैसे प्रभावित करते हैं. यह परस्पर जुड़ा हुआ दृष्टिकोण हितधारकों को बड़ी तस्वीर देखने, हमारे परिचालन की जटिलता को समझने के लिए और हमारे कार्यनीतिक विकल्पों के पीछे के तर्क को समझने में सक्षम बनाता है. हम भौतिक विषयों, कार्यनीतिक प्राथमिकताओं, कारोबार मॉडल कैनवास और जीआरआई संख्याओं को जोड़ने वाले एक एकीकृत वर्णन प्रस्तुत करके अपने संगठन का एक व्यापक और पारदर्शी झलक प्रदान करते हैं. यह दृष्टिकोण हितधारकों की समझ को बढ़ाता है और एकीकृत रिपोर्टिंग और संवहनीय मूल्य निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है.

## परस्पर जुड़ने का महत्व

भौतिक विषयों, कार्यनीतिक प्राथमिकताओं, कारोबार मॉडल कैनवास, यूएनएसडीजी और जीआरआई संख्याओं का परस्पर जुड़ाव हमारे संगठन को चलाने वाले अंतर्संबंधों के जटिल जाल को समझने के लिए आधार है. यह समग्र दृष्टिकोण हमें एक सुसंगत वर्णन प्रस्तुत करने की अनुमति देता है जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि विभिन्न तत्व एक-दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं और हमारी समग्र कार्यनीति और मूल्य निर्माण में योगदान करते हैं.

**भौतिक विषय और कार्यनीतिक प्राथमिकताएँ:** भौतिक विषयों को हमारी कार्यनीतिक प्राथमिकताओं से जोड़ना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हम प्रमुख चुनौतियों और अवसरों को किस प्रकार संभालते हैं. उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन (एक भौतिक विषय) का समाधान करना संवहनीय बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने की हमारी कार्यनीतिक प्राथमिकता के साथ संरेखित है. यह संबंध हमारे मुख्य परिचालन और कार्यनीतिक उद्देश्यों में संवहनीयता को एकीकृत करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

**कारोबार मॉडल कैनवास और भौतिक विषय:** कारोबार मॉडल कैनवास हमारे कारोबार के महत्वपूर्ण घटकों, जैसे कि प्रमुख भागीदार, गतिविधियाँ, संसाधन और मूल्य प्रस्ताव को रेखांकित करता है. इन घटकों को भौतिक विषयों के साथ जोड़कर यह दर्शाया जा सकता है कि विनियामक परिवर्तन या बाजार की मांग जैसे बाहरी कारक हमारे परिचालन को कैसे प्रभावित करते हैं. उदाहरण के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा (एक भौतिक मुद्दा) पर हमारा ध्यान हमारी प्रमुख गतिविधियों और संसाधनों को प्रभावित करता है, जो ग्राहकों के लिए हमारे मूल्य प्रस्ताव को आकार देता है.

**जीआरआई संख्याएँ और व्यापक रिपोर्टिंग:** ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) संख्याएँ स्थिरता के विभिन्न पहलुओं पर रिपोर्टिंग के लिए मानकीकृत मेट्रिक प्रदान करती हैं. हमारे भौतिक विषयों और कारोबारी मॉडल घटकों के साथ जीआरआई संख्याओं को क्रॉस-रेफ़रेंस करके, हम अपने प्रकटीकरण की पारदर्शिता और तुलनीयता को बढ़ाते हैं. यह संरेखण सुनिश्चित करता है कि हमारी रिपोर्टिंग अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है और हितधारकों को हमारे संवहनीयता कार्यनिष्पादन पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करती है.

**भौतिक मुद्दे** *(अत्यधिक महत्वपूर्ण)*
*पृष्ठ 44 पर अधिक पढ़ें*

| मुद्दे के | आयाम |
|---|---|
| 1 | **पर्यावरण:** जलवायु परिवर्तन |
| 5 | **पर्यावरण:** जल प्रबंधन |
| 6 | **पर्यावरण:** अपशिष्ट प्रबंधन |
| 7 | **पर्यावरण:** हरित वित्त का प्रभाव और लाभ |
| 8 | **पर्यावरण:** नवीकरणीय ऊर्जा और बैंक की आघात-सहनीयता |
| 9 | **सामाजिक पूंजी:** मानवाधिकार |
| 14 | **सामाजिक पूंजी:** सामाजिक समावेशन में प्रभाव और प्रतिक्रिया |
| 18 | **सामाजिक पूंजी:** वित्तीय समावेशन का प्रभाव |
| 20 | **सामाजिक पूंजी:** व्यापक सीएसआर प्रभाव और सामाजिक संरेखण |

| मुद्दे के | आयाम |
|---|---|
| 23 | **मानव पूंजी:** श्रम प्रथाएं और रोजगार |
| 25 | **मानव पूंजी:** कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा |
| 26 | **मानव पूंजी:** कर्मचारी उत्तराधिकार योजना |
| 30 | **व्यवसाय मॉडल और नवाचार:** कार्यनीतिक स्थिरता संरेखण |
| 33 | **कारोबार मॉडल और नवाचार:** फिनटेक और प्रतिस्पर्धात्मकता |
| 36 | **नेतृत्व और अभिशासन:** नैतिकता और एएमएल का बाजार पर प्रभाव |
| 39 | **नेतृत्व और अभिशासन:** प्रतिष्ठा, संचार और जागरूकता |
| 42 | **अर्थव्यवस्था:** आर्थिक/वित्तीय संकट |
| 43 | **अर्थव्यवस्था:** स्थानीय समुदायों पर जिम्मेदार ऋण प्रथाओं का प्रभाव |

## कारोबार मॉडल घटक

*पृष्ठ 56 पर अधिक पढ़ें*

1. प्रमुख भागीदार
2. प्रमुख गतिविधियां
3. प्रमुख संसाधन
4. मूल्य प्रस्ताव
5. ग्राहक संबंध
6. चैनल
7. ग्राहक अनुभाग
8. मुख्य इनपुट
9. राजस्व के स्त्रोत

## यूएनएसडीजी

## जीआरआई

## कार्यनीतिक प्राथमिकताएँ

*पृष्ठ 40 पर अधिक पढ़ें*

| प्राथमिकता संख्या | कार्यनीतिक प्राथमिकता |
|---|---|
| 1 | परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करना |
| 2 | तुलन पत्र में लचीलापन |
| 3 | हमारे ग्राहकों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना |
| 4 | वित्तीय समावेशन को अपनाना |
| 5 | साझेदारी और गठबंधन को मजबूत करना |
| 6 | भुगतान और लेन-देन में नवाचार |
| 7 | वितरण चैनलों के स्तर में सुधार |
| 8 | एक गतिशील और समर्पित टीम का निर्माण |
| 9 | प्रतिभा विकास और प्रतिधारण को प्राथमिकता देना |
| 10 | डिजिटल क्षमता बढ़ाना |
| 11 | ग्राहक-केंद्रित नवाचारों को बढ़ावा देना |
| 12 | डेटा सुरक्षा और गोपनीयता में वृद्धि करना |
| 13 | अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना |
| 14 | हमारे ग्राहकों को संवहनीय भविष्य की ओर बढ़ने में सहायता प्रदान करना |
| 15 | संवहनीय बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना |
| 16 | संवहनीयता को बढ़ावा देना |

# अंदर के पन्नो में


| | |
|---|---|
| 02 | इस रिपोर्ट के बारे में |
| 04 | नवोन्मेषी तकनीक के साथ ग्राहक केन्द्रीयता |
| 06 | रिपोर्ट की नेविगेटिंग |
| 08 | अंदर के पन्नो में |

## यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में
(पेज . 10-31)

| | |
|---|---|
| 10 | कॉर्पोरेट सूचना |
| 11 | संगठन संरचना (28.03.2024 से प्रभावी ) |
| 12 | निदेशक मंडल |
| 20 | सीवीओ/ केएमपी/ सीआरओ/ एसएमपी/ जीएम (यथास्थिति 31.03.2024) |
| 24 | अध्यक्ष का संदेश |
| 26 | प्रबंध निदेशक का संदेश |
| 28 | वित्तीय वर्ष 2023-24 की विशेषताएं-प्रकृतिक, सामाजिक और मानव पूंजी |
| 29 | वित्तीय वर्ष 2023-24 की विशेषताएं-विनिर्मित और वित्तीय पुंजी |
| 30 | कॉर्पोरेट एवं आर्थिक प्रोफाइल |
| 32 | कार्यनीतिक दिशानिर्देश: विकास और संवहनीयता के लिए भविष्य की नेविगेटिंग |

## संवहनीय एवं नवोन्मेष कार्यनीति
(पेज . 32-67)

| | |
|---|---|
| 40 | कार्यनीतिक दिशानिर्देश: डिजिटल उत्कृष्टता एवं संवहनीयता को आगे बढ़ाना |
| 44 | वित्तीय वर्ष 2024 भौतिक विश्लेषण: हितधारक अंतर्दृष्टि एवं प्राथमिकताएं |
| 56 | कार्यनीतिक फ्रेमवर्क:यूनियन बैंक का कारोबार मॉडेल कैनवास |
| 60 | वित्तीय वर्ष 2024: अंतर्निहित मूल्य सृजन |
| 62 | सामूहिक बदलाव: संवहनीयता के प्रति हमारा दृष्टिकोण |
| 66 | नैतिक उत्कृष्टता संवर्धन |

## हमारी पूंजी
(पेज . 68-175)

| | |
|---|---|
| 68 | विनिर्मित पूंजी: ग्रीन फाइनेंसिंग एवं समवेशिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता |
| 88 | वित्तीय पूंजी: ग्रीन एवं डिजिटल विकास के लिए बैकबोन |
| 100 | बौद्धिक पूंजी: ज्ञान एवं नवाचार के माध्यम से विकास सशक्तिकरण |
| 126 | प्राकृतिक पूंजी पार्ट I: पर्यावरण प्रबंधन के प्रति यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कार्यनीतिक अभिशासन और प्रबंधन |
| 135 | प्राकृतिक पूंजी पार्ट II: परिचालन संवहनीयता |
| 148 | सामाजिक एवं संबंध पूंजी: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सीएसआर और सामाजिक पूंजी के प्रति प्रतिबद्धता |
| 160 | मानव पूंजी: संवहनीय सफलता के लिए हमारे लोगों को सशक्त बनाना |

***विनिर्मित पूंजी:*** *ग्रीन फाइनेंसिंग एवं समवेशिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता*

***प्राकृतिक पूंजी पार्ट I:*** *पर्यावरण प्रबंधन के प्रति यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कार्यनीतिक अभिशासन और प्रबंधन*

***मानव पूंजी:*** *संवहनीय सफलता के लिए अपने लोगों को सशक्त बनाना*

## जीआरआई सूचकांक
(पेज . 176-177)


176 जीआरआई सूचकांक टेबल


## नोटिस
(पेज . 178-199)


178 22 वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना


## सांविधिक रिपोर्ट
(पेज . 200-300)


200 निदेशक रिपोर्ट

212 प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

255 कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट


## वित्तीय विवरण
(पेज . 301-416)


301 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडअलोन)

310 स्टैंडअलोन तुलन पत्र

311 स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाता

312 स्टैंडअलोन अनुसूचियाँ

371 स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

372 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (समेकित)

380 समेकित तुलन पत्र

381 समेकित लाभ एवं हानि खाता

382 समेकित अनुसूचियाँ

415 समेकित नकदी प्रवाह विवरण

417 बासेल III पूंजी विनियम के तहत प्रकटीकरण

418 कारोबारी उत्तरदायित्व और सवंहनीयता रिपोर्ट

426 हरित पहल-शेयरधारकों से अपील

# कॉर्पोरेट सूचना

| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| **प्रधान कार्यालय एवं केंद्रीय कार्यालय** | यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021 |
| **ग्लोबल लोकेशन नंबर (जीएलएन)** | 8904368511166 |
| **विधिक इकाई सूचक (एलईआई) कोड** | 5493000P4HD6132SQ711 |
| **निवेशक सेवाएं प्रभाग** | यूनियन बैंक भवन, 12वां तल, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021 |
| **रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट** | **केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड**<br>इकाई: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया<br>सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31 & 32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद 500032 |
| **डिबेंचर ट्रस्टी** | **आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड**<br>एशियन बिल्डिंग, भू तल, 17, आर. कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई 400 001 |
| **कंपनी सचिव** | **सीएस एस. के. दाश** |
| **सचिवीय लेखापरीक्षक** | **रागिनी चोकसी एवं कं., कंपनी सचिव** |
| **सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक** | **मेसर्स एन बी एस एवं कं.,** *सनदी लेखाकार*<br>**मेसर्स छाजड़ एवं दोषी कं.,** *सनदी लेखाकार*<br>**मेसर्स जी. एस माथुर एवं कं.,** *सनदी लेखाकार*<br>**मेसर्स चद्रंशेखर एलएलपी,** *सनदी लेखाकार*<br>**मेसर्स वी.के. लाधा एवं कं.,** *सनदी लेखाकार* |
| **बीआरएसआर एश्योरेंस प्रदाता** | **मेसर्स टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** |

# संगठनात्मक संरचना (दिनांक 28/03/2024 से प्रभावी)

**निदेशक मंडल**

**अध्यक्ष**

**एमडी एवं सीईओ**

मुख्य सतर्कता अधिकारी

स्टाफ प्रमुख (एमडी एवं सीईओ कार्यालय)

मुख्य अनुपालन अधिकारी

मुख्य जोखिम अधिकारी

मुख्य आर्थिक सलाहकार

## ईडी-एमएसएमई, डिजिटाईजेशन, सीआर एवं एमआईएस, एसीओई, आईटी. एनपीसी, एसएसडी एवं कॉर्पोरेट संप्रेषण

**एमएसएमई**

» एमएसएमई ऋण पॉइंट परिचालन
» एमएसएमई सरकारी योजनाएं एवं रिपोर्टिंग
» यूनियन एमएसएमई फ़र्स्ट ब्रांच
» क्लस्टर वित्तपोषण

**डिजिटाइजेशन**

» डिजिटल जर्नी, एमबी, आईबी, क्रेडिट कार्ड, व्यापारी अधिग्रहण, नेशनल पोर्टल, आरबीआई के साथ पार्टनरशिप, नवाचार हब/ डीएफ़एस/ एलएएस
» डिजिटल रूपांतरण परियोजना एवं डिजिटल कारोबार प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन, फिनटेक, डिजिटल इंटरैक्शन एवं मार्केटिंग सहित ई-इकोसिस्टम पार्टनरशिप, सीआरएम कार्यान्वयन, लोयल्टी रिवार्ड्स, टीपीपी खाता एग्रीगेटर का डिजिटाइजेशन, ओसीईएन, ओएनडीसी, नई टेक पहल, डीबीयू
» डिजिटल दस्तावेज़ निष्पादन

**सेंट्रल रिपॉजिटरी और एमआईएस एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सिलेंस सूचना प्रौद्योगिकी**

» कोर एप्लिकेशन
» गैर-कोर एप्लिकेशन
» इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क, क्लाउड

**राष्ट्रीय प्रसंस्करण कक्ष**

» केंद्रीकृत खाता खोलना
» व्यापार वित्त बैक ऑफिस
» अंतर्देशीय एलसी/ बीजी

**एसएसडी & कॉर्पोरेट संप्रेषण**

» सहायक सेवाएं
» परिसर एवं संपत्ति, व्यय एवं बजट
» कॉर्पोरेट संप्रेषण
» सुरक्षा सेवाएं

## ईडा-लार्ज कॉर्पोरेट, मिड कॉर्पोरेट, सीसीएम, वित्त एवं लेखा, बोर्ड सचिवालय, समाधान

**लार्ज कॉर्पोरेट**

» ***संरचित वित्त एवं एलसी***
  • कारोबार विकास
  • ऋण सिंडिकेशन
  • अनुश्रवण
  • को-लेंडिंग और पूल बायआउट

» ***वित्तीय संस्था***
  • कारोबार विकास
  • सलाहकार सेवाएं
» संव्यवहार बैंकिंग
» कॉर्पोरेट रिलेशनशिप कक्ष

**मिड कॉर्पोरेट**

**ऋण अनुपालन एवं अनुश्रवण**

» केंद्रीकृत ऋण परिचालन कक्ष
» ऋण अनुश्रवण
» संग्रहण
» स्टाफ की जवाबदेही
» टीईवी कक्ष

**वित्त एवं लेखा, संयुक्त उद्यम एवं सहायक**

» पूंजी जुटाना
» निवेशक संबंध
» ईज

**बोर्ड सचिवालय**

**समाधान विभाग**

» केंद्रीकृत समाधान
» सभी डिलीवरी चैनल के लिए केंद्रीकृत डैशबोर्ड

## ईडी- खुदरा आस्ति वर्टिकल, कृषि कारोबार विभाग, एचआर, ट्रेजरी और आईबीडी, सैमवी, गोल्ड, सीसो

**खुदरा आस्ति**

» आरएलपी, आवास एवं बंधक ऋण
» वाहन ऋण, अन्य ऋण
» शिक्षा ऋण
» खुदरा नीति एवं उत्पाद

**कृषि कारोबार विभाग**

**मानव संसाधन**

» प्रशासन
» ज्ञानार्जन एवं विकास
» कार्मिक संबंध
» राजभाषा

**ट्रेजरी एवं अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग**

» घरेलू एवं विदेशी मुद्रा कारोबार
» अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग
» विदेशी मुद्रा परिचालन, बैक ऑफिस
» ट्रेजरी सेवाएं एवं ग्राहक विकास
» ट्रेजरी बिक्री

**दवाबग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल**

» वसूली
» कठिन आस्ति समाधान टीम (डीएआरटी)
» विधिक सेवाएं
» मुकदमेबाजी प्रबंधन

**स्वर्ण ऋण**

**सीसो**

## ईडी-जमा संग्रहण, रुसू बैंकिंग एवं एफ़आई, स्ट्रेटजी, परिचालन, लेखा और निरीक्षण, संव्यवहार एवं धोखाधड़ी अनुश्रवण, संपदा प्रबंधन

**जमा संग्रहण**

» जमा संग्रहण
» खुदरा रिलेशनशिप कक्ष - लीड प्रबंधन प्रणाली
» सरकारी कारोबार और रिलेशनशिप
» क्रेडिट कार्ड एवं व्यापारी अर्जन कारोबार

**रुसू बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन**

**स्ट्रेटजी**

» परियोजना पावर 2.0
» नई पहल
» स्ट्रेटजिक योजना एवं समीक्षा
» शाखा नेटवर्क एवं विस्तार

**परिचालन**

» ग्राहक सेवा (सीसी) एवं शिकायत

**लेखापरीक्षा और निरीक्षण**

**संव्यवहार अनुश्रवण और धोखाधड़ी प्रबंधन**

» ईएफ़आरएमएस समाधान
» पूर्व चेतावनी प्रणाली
» धोखाधड़ी प्रबंधन
» धन-शोधन निवारण / सीएफ़टी
» ऑफ-साइट संव्यवहार अनुश्रवण प्रणाली

**संपदा प्रबंधन**

» तृतीय पक्ष उत्पाद विपणन
» आईपीओ प्रबंधन
» पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं
» व्यापारी बैंकिंग परिचालन,
» पूंजी बाजार एवं निक्षेपागार सेवाएं

# निदेशक मंडल

EXIT

## श्री श्रीनिवासन वरदराजन

*गैर-कार्यकारी निदेशक और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक*

श्री श्रीनिवासन वरदराजन ने दिनांक 07 नवंबर, 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंशकालिक गैर- सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. आपके पास बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है. वर्ष 2019 में अपनी सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करने से पूर्व आपने एक्सिस बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ दी हैं.

वित्तीय सलाहकार के रूप में, आपने एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय परामर्श फर्म, एक सॉवरेन वेल्थ फ़ंड, एक बड़े कॉर्पोरेट समूह, एक एनबीएफ़सी समूह और एक निजी क्षेत्र के बैंक में अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं. श्री श्रीनिवासन वरदराजन जेपी मॉर्गन, भारत के प्रबंध निदेशक और बाज़ार प्रमुख रहे हैं. आप भारत में जेपी मॉर्गन चेस बैंक के सीईओ भी रहे हैं.

आप ने भारतीय रिज़र्व बैंक की विभिन्न समितियों में कार्य किया, जिसमें तकनीकी सलाहकार समिति, रेपो समिति और पंजीकृत ब्याज और मूल प्रतिभूतियों के अलग कारोबार के लिए समिति (स्ट्रिप्स) शामिल हैं. आप फ़िक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) तथा प्राइमरी डिलर्स एसोसिएशन (पीडीएआई) के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. आप इंडो- यू. के. फाइनेंशियल पार्टनरशिप फोरम के सदस्य भी रहे हैं.

आपने इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई से इंजीनियरिंग स्नातक हैं तथा भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता से प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा किया है.

## सुश्री ए मणिमेखलै

*प्रबंध निदेशक एवं सीईओ*

सुश्री ए मणिमेखलै तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ एक दक्ष बैंकर हैं. आपने 1988 में तत्कालीन विजया बैंक में एक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और सफलतापूर्वक प्रोन्नत होकर क्रमशः शाखा प्रमुख, क्षेत्र प्रमुख और कॉर्पोरेट कार्यालय में विभिन्न विभागों के कार्यकारी प्रमुख के तौर पर कार्य किया. आपने योजना बनाने, संगठनात्मक लक्ष्य निर्धारित करने, विकास, कार्य योजनाओं, अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण आदि प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने वाली रणनीतिक नीतियों को तैयार करने एवं कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, सुश्री ए मणिमेखलै केनरा बैंक में कार्यपालक निदेशक थीं, जहां आपने कार्यनीतिक योजना, ऋण और संबंधित मामले, निरीक्षण, विपणन और वित्तीय समावेशन, राज्य स्तरीय अग्रणी बैंक की जिम्मेदारियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्रियाकलापों का नेतृत्व किया. आपने केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के सफल समामेलन को प्रभावी रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आपको पांच अन्य कंपनियों के बोर्ड पर निदेशक के रूप में व्यापक अनुभव है, इनमें कैनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड, कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शामिल हैं. आप केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की ट्रस्टी भी रह चुकी हैं.

भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों और कार्य समूहों में एक सदस्य के रूप में आपने नीति निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान दिया है, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए भविष्य के रोड मैप को तैयार करना, वित्तीय समावेशन, कृषि मूल्य-श्रृंखला वित्तपोषण, बैंकिंग संवाददाता मुद्दे और हेल्थ केयर और शिक्षा के लिए निर्बाध ऋण प्रवाह के लिए तालमेल बनाना शामिल है.

सुश्री मणिमेखलै ने बेंगलूरु विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (विपणन) और नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस), मुंबई से मानव संसाधन प्रबंधन में डिप्लोमा किया है. आपने देश की प्रमुख संस्थानों में आयोजित विभिन्न कार्यपालक विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है और साथ ही आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से एक प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) भी हैं.

**श्री नितेश रंजन**
*कार्यपालक निदेशक*

श्री नितेश रंजन ने वर्ष 2021 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक हैं. आप बैंक में बेहतर ग्राहक अनुभव, कर्मचारी सहभागिता में वृद्धि के क्षेत्र में तथा सुदृढ़ तुलन पत्र के माध्यम से डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन का नेतृत्व कर रहे हैं. कारोबारी निष्पादनों को आगे बढ़ाते हुए, आप बैंक में जोखिम और अनुपालन मानकों के सशक्तिकरण पर लगातार ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं.

आप भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), सूड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मण्डल के सदस्य हैं तथा आईबीए के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सुधार पर संचालन समिति के भी सदस्य हैं. श्री नितेश रंजन अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं तथा आपने आईआईएम बंगलूरु से नेतृत्व विकास कार्यक्रम भी पूर्ण किया है.

**श्री रामसुब्रमणियन एस.**
*कार्यपालक निदेशक*

श्री रामसुब्रमणियन एस. ने दिनांक 21 नवंबर, 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ने से पहले, आप केनरा बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे. आपको बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कॉर्पोरेट क्रेडिट, एमएसएमई, खुदरा ऋण, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एवं फॉरेक्स में 25 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है. आप विज्ञान में स्नातक हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से एक प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) अहर्ता प्राप्त हैं.

आपने अपने पूरे बैंकिंग करियर के दौरान विभिन्न क्षमताओं के तहत परिचालन एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों का प्रभावी ढंग से नेतृत्व किया है. आपने केनरा बैंक की हाँगकाँग शाखा में एक कार्यकाल सहित प्राइम कॉर्पोरेट क्रेडिट विंग, लार्ज कॉर्पोरेट, मिड कॉर्पोरेट शाखाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नेतृत्व की भूमिका निभाई है. भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने क्रेडिट में आपकी विशेषज्ञता और अमूल्य अंतर्दृष्टि को मान्यता दी है; आप पूर्व में कॉर्पोरेट ऋण की स्थायी समिति के भी सदस्य है. आपको कोविड संबंधी ऋण पुनर्रचना पर कामत समिति में भी नामित किया गया है.

**श्री संजय रुद्र**
*कार्यपालक निदेशक*

श्री संजय रुद्र ने 09 अक्तूबर, 2023 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शामिल होने से पहले, आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के महाप्रबंधक और मुख्य जोखिम अधिकारी थे.

आपके पास बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं जैसे क्रेडिट, प्राथमिकता, एमएसएमई और एकीकृत जोखिम विभाग में तीन दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव है. आप एल और डी वर्टिकल के प्रभारी भी रहे हैं और आपके पास डिजिटल लेंडिंग के विकास परीक्षण का अतिरिक्त प्रभार भी था.

आपके पास भौतिकी में स्नातकोत्तर की डिग्री और वेलिंगकर संस्थान से वित्तीय प्रबंधन में डिप्लोमा है. आप आईआईबीएफ के सहयोगी सदस्य हैं. आपने एफएसआईबी द्वारा संचालित आईआईएम, बेंगलूरु में नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भाग लिया. आपने केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यूएसए के सहयोग से आईएसबी हैदराबाद द्वारा आयोजित वैश्विक उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम में भी भाग लिया है.

श्री रुद्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बैंक के वरिष्ठ नेतृत्व में बदलाव की अगुआई करने के लिए एक सक्रिय सहयोगी थे. आपने महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड(बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सहायक कंपनी) के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य किया है.

**श्री पंकज द्विवेदी**
*कार्यपालक निदेशक*

श्री पंकज द्विवेदी ने दिनांक 27 मार्च, 2024 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यग्रहण करने से पहले, आप पंजाब एंड सिंध बैंक में महाप्रबंधक थे. आपके पास 31 वर्षों से अधिक का व्यापक बैंकिंग अनुभव है.

आपने सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, पुणे से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है तथा आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) से प्रमाणित एसोसिएट हैं. आपने आईआईएम, रायपुर से एप्लाइड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट प्रोग्राम पूरा किया है तथा आईआईएम बैंगलोर का लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया जिसे आईबीए एवं एगॉन ज़ेंडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के परामर्श से बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया था.

पंजाब एंड सिंध बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान, आपने बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है तथा आपको शाखाओं, अंचल कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों में कार्य करने का व्यापक अनुभव प्राप्त है. आपने प्रधान कार्यालय में प्राथमिकता क्षेत्र, खुदरा ऋण, विधि एवं वसूली, ट्रेजरी, कॉर्पोरेट ऋण, बोर्ड सचिवालय, योजना एवं विकास, विदेशी मुद्रा, सह-उधार प्रकोष्ठ आदि जैसे विभिन्न कार्यों का प्रबंधन किया है. आप आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड के न्यासी बोर्ड के ट्रस्टी भी हैं.

**श्री समीर शुक्ला**
*सरकार द्वारा नामित निदेशक*

श्री समीर शुक्ला कर्नाटक कैडर के 2005 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं.

वर्तमान में, आप वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में आपको दिनांक 08.11.2021 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक किया है.

**भारत सरकार में आपका कार्यानुभव**

इससे पूर्व, आपने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार में भी कार्य किया है.

**कर्नाटक सरकार में आपका कार्यानुभव**

- बीदर, धारवाड़ एवं बल्लारी जिले में उपायुक्त एवं जिलाधिकारी
- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत, रायचूर
- उद्योग विभाग में मैसूर मिनीरल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक
- ग्रामीण विकास में मिशन निदेशक
- कौशल विकास, उद्यमिता एवं आजीविका विभाग में आयुक्त

आपने आईएएस के रूप में सरकारी सेवा में शामिल होने से पूर्व एचसीएल इंफोसिस्टम, निजी क्षेत्र में नेटवर्क इंजीनियर के रूप में भी कार्य किया है.

**श्री प्रकाश बलियारसिंह**
*आरबीआई नामित निदेशक*

श्री प्रकाश बलियार सिंह को दिनांक 14 जुलाई, 2023 से बैंक के बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया है.

श्री प्रकाश बलियार सिंह विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक थे. आप एक करियर केंद्रित बैंकर थे तथा आपको भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों (मुख्य रूप से पर्यवेक्षण विभाग एवं विनियमन विभाग) में 3 दशकों से अधिक समय का व्यापक अनुभव प्राप्त है.

आपने प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्रधान निरीक्षण अधिकारी/ वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक के रूप में कार्य किया है. आप बैंकों की आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर), जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के साथ-साथ जोखिम एवं पूंजी के आकलन हेतु पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित विभिन्न समितियों/ उप समितियों के सदस्य भी थे. आपने अंतर्राष्ट्रीय समितियों में सदस्य के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व भी किया.

आप राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं तथा आपने ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी, यूके से एमएससी (वित्त) भी पूरा किया है. आपको भारतीय रिजर्व बैंक की स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति भी मिली थी. आप भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट हैं.

**श्री सूरज श्रीवास्तव**
*अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक*

श्री सूरज श्रीवास्तव भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के सह सदस्य हैं तथा विधि स्नातक (एलएलबी) भी हैं.

श्री श्रीवास्तव को कराधान एवं लेखा परीक्षा में चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में 16 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव रहा है और आपने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य कंपनियों में वैधानिक ऑडिट, समवर्ती ऑडिट और शाखा ऑडिट किए हैं.

श्री श्रीवास्तव ने आईसीएआई से सूचना प्रणाली ऑडिट (आईएसए) मूल्यांकन परीक्षण भी पूर्ण किया है.

**श्री लक्ष्मण एस उप्पर**
*अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक*

श्री लक्ष्मण एस उप्पर ने 21 मार्च, 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है.

श्री उप्पर इंजीनियरिंग में स्नातक हैं. आप एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, जनहितैषी और कर्नाटक क्लासिक एज्यूकेशन प्राइवेट लिमिटेड, धारवाड़ के संस्थापक है. आपने वर्ष 2012 से स्पर्धा स्पूर्ति पब्लिशर्स एवं प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, धारवाड़ की भी शुरुआत की है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तकों एवं पत्रिकाएँ प्रकाशित करता है.

वर्तमान में आप क्लासिक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और क्लासिक लिटिल बड्स, क्लासिक पीयू एवं डिग्री कॉलेज, धारवाड़ के अध्यक्ष हैं.

श्री उप्पर अनाथालय केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों एवं धार्मिक संगठनों को दान प्रदान करने के साथ ग्रामीण एवं गरीब तबके के छात्रों को भी मदद कर रहे हैं.

श्री उप्पर को शैक्षिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उनकी सेवाएँ प्रदान करने के लिए कई राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है.

**डॉ. जयदेव मदुगुला**
*शेयरधारक निदेशक*

डॉ. जयदेव मदुगुला को दिनांक 28 जून, 2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. आपने कॉमर्स में स्नातकोत्तर और बिजनेस मैनेजमेंट में पीएचडी किया हैं. वर्तमान में, आप आईआईएम बेंगलूरु में वित्त एवं लेखांकन के प्रोफेसर हैं.

डॉ. जयदेव को न केवल भारत की प्रमुख संस्थाओं में बल्कि विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों में भी एक अतिथि प्रोफेसर के रूप में अध्यापन का पर्याप्त अनुभव है. आपने विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन किया है और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपने शोध संबंधी लेखों का प्रकाशन किया है तथा आपने वित्त एवं बैंकिंग के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कार एवं प्रशंसा अर्जित की है. आप 28 जून, 2018 से 27 जून, 2021 तक बैंक के शेयरधारक निदेशक के पद पर कार्यरत थे.

**श्रीमती प्रीति जय राव**
*शेयरधारक निदेशक*

श्रीमती प्रीति जय राव कंप्यूटर विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ आईआईटी मुंबई से एमएससी (गणित) हैं. आप व्यावसायिक मूल्य के साथ प्रोद्योगिकी उन्नयन को बढ़ाने की समर्थक रही हैं और मानव संसाधन और मुख्य रूप से लिंग पर केंद्रित विविधता, इक्विटी और समावेशन को बढ़ाने पर ज़ोर देतें हैं.

आपको सभी पाँच महाद्वीपों में स्थित ग्राहकों को विभिन्न आईटी सेवाएं प्रदान करने में 24 वर्षों का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. इंफ़ोसिस में प्रबंधन परिषद सदस्य और पुणे प्रमुख में अपने कार्यकाल के दौरान, आपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस (आईएमएस) व्यवसाय और सॉफ्टवेयर सेवाएं सुपुर्दगी और बड़े पैमाने पर भर्ती, प्रशिक्षण और व्यापक कर्मचारी आधार को आत्मसात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

आप एक डायनमिक उद्यमी हैं, जिन्होनें एक ऐसा संगठन बनाया है, जो भारत में गुणवत्तापूर्ण चाइल्डकेयर की कमी को पूरा करता है, आपके पास उन अनुभवी महिलाओं के लिए अवसर हैं, जो घर और करियर के बीच संतुलन बनाना चाहती हैं.

# सीवीओ / केएमपी / सीआरओ / एसएमपी / जीएम *(यथास्थिति 31.03.2024)*

## मुख्य सतर्कता अधिकारी

**श्री अजय कुमार सिंह**

## पुर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिक (केएमपी)

**श्री. पी. के. सामल**
*सीसीओ (7.06.2024 से)*

**श्री अविनाश वसंत प्रभु**
*सीएफओ*

**श्री. श्रीनिवासन बालाचन्द्र**
*सीसीओ (25.05.2024 से)*

**श्री एस.के. दाश**
*कंपनी सचिव*

## मुख्य जोखिम अधिकारी

**श्री अश्विनी कुमार चौधरी**
(वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक)

## मुख्य महाप्रबंधक

**श्री के. भास्कर राव**

**श्री अभिजीत बसाक**

**श्री ए. के. विनोद**

**श्री योगेन्द्र सिंह**

**श्री सी. एम. मिनोचा**

**श्री एस. सी. तेली**

**श्री प्रवीण शर्मा**

**श्री एस. वी. बीजू**

## मुख्य महाप्रबंधक

श्री कबीर भट्टाचार्य

श्री अरुण कुमार

श्री सुदर्शन भट्ट

श्री अनिल कुरील

श्रीमती बीना वाहिद

## महाप्रबंधक

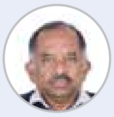
श्री के.एस.डी.एस.वी. प्रसाद

श्री नवीन जैन

श्री ताता वेंकट वेणुगोपाल

श्री रवींद्र एम बाबू

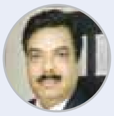
श्री प्रमोद कुमार गुप्ता

श्री सुमित श्रीवास्तव

श्री ए. आर. राघवेन्द्र

श्री आलोक कुमार

श्री अमरेन्द्र कुमार

श्री संजय नारायण

श्री एम. वेंकटेश्वर स्वामी

श्री जी. के. सुधाकर राव

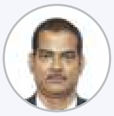
श्री ज्ञान रंजन सारंगी

श्री नवनीत कुमार

श्री आर.एल. पट्टनायक

श्री सर्वेश रंजन

## महाप्रबंधक

श्री विकास कुमार

श्री मनोज कुमार

श्री गोकुलानंद दास

श्री राजीव शर्मा

श्री अरुण कुमार

श्री विठ्ठल बनशंकरी

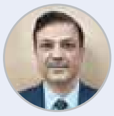
श्री विपिन कुमार शुक्ला

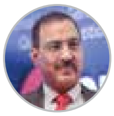
श्री गिरीश चंद्र जोशी

श्री ओमप्रकाश श्रीनिवास करवा

श्री विपन सिंह

श्री राजीव कुमार झा

श्री जितेंद्र मणिराम

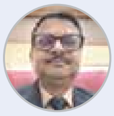
श्री धीरेंद्र जैन

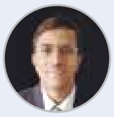
श्री जगन्नाथ शेट्टी

श्री गुगुलोतू शंकरलाल

श्री एस. शक्तिवेल

श्री  गिरिजा भूषण मिश्रा

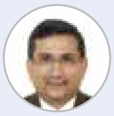
श्री मनोज कुमार नंदा

श्री पी. कृष्णन

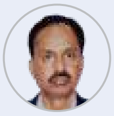
श्री गुना नंद गामी

श्री जी एन वी रमणा

श्री बिरजा प्रसाद दास

श्री बैजनाथ सिंह

श्री वी एन भास्कर राव

श्रीमती रेणु के नायर

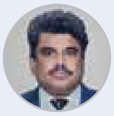
श्री सत्यबान बेहरा

श्री एन चेजियन

श्री अजय कुमार

श्री के प्रमोद कुमार रेड्डी

श्री वी एस एस एस एस शास्त्री

श्री श्रीनिवास कुमार पत्रि

श्रीमती सौम्या श्रीधर

श्री हरे कृष्णा दास

श्री सरोज कुमार दास

श्री हृषीकेश मिश्रा

श्री के महेंद्र रेड्डी

श्री सुनील कुमार जदली

श्रीमती अर्चना शुक्ला

श्री मनोज कुमार

## आंतरिक लोकपाल

श्रीमती राधिका भाटवडेकर

## मुख्य अर्थव्यवस्था सलाहकार

सुश्री कनिका पसरीचा

## संपदा प्रबंधन प्रमुख

श्री ऋषि ढढ्ढा

## संव्यवहार बैंकिंग एवं कॉरपोरेट संबंध कक्ष प्रमुख

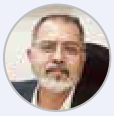
श्री  प्रसाद रामास्वामी

## क्रेडिट कार्ड एवं एमएबी प्रमुख

श्री विनायक ढोले

## डिजिटल कॉल सेंटर प्रमुख

श्री हितेश सिंधवानी

# सवंहनीय विकास एवं नवोन्मेष का संचालन

> "मजबूत जीडीपी वृद्धि और सशक्त नीतिगत सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को निरंतर समृद्धि के लिए "स्वीट स्पॉट" में पहुंचा दिया है.

श्रीनिवासन वरदराजन
*अध्यक्ष*

***प्रिय शेयरधारको,***

वित्तीय वर्ष 2023-24 (वि. व. 24) के लिए हमारी 105वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है. यह रिपोर्ट बैंक के वित्तीय आंकड़ों के साथ-साथ हमारे सामाजिक, पर्यावरणीय और गवर्नेंस पहलों की जानकारी भी प्रदान करती है. इस प्रकार, यह हमारे वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र, समाज और पर्यावरण में हमारे योगदान की समग्र छवि प्रस्तुत करती है. यह वर्ष यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक यादगार वर्ष रहा है. हम अधिक सशक्त और मजबूत हुए, और यह केवल हमारे कारोबार के आंकड़ों में ही नहीं, बल्कि हमारे ग्राहकों द्वारा हम पर व्यक्त किए गए विश्वास में भी परिलक्षित होता है. मैं हमारे ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों और अन्य हितधारकों का हमारे बैंक को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में उनके अटूट सहयोग और परिश्रम के लिए धन्यवाद देता हूँ. आपका निरंतर विश्वास हमें जिम्मेदार बैंकिंग और समावेशी विकास की दिशा की ओर प्रेरित करता है.

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, भारत का आर्थिक निष्पादन वैश्विक चुनौतियों और भू-राजनीतिक चिंताओं के बावजूद मजबूत बना रहा. वित्तीय वर्ष 24 में लगभग 8% की मजबूत जीडीपी वृद्धि दर्ज की गई और वित्तीय वर्ष 25 के लिए 7.0% की वृद्धि का पूर्वानुमान है. सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए नीतिगत सुधारों ने समष्टि स्थिरता में सहयोग किया है. सरकार की पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि ने विकास में सहयोग किया है और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित किया है. अगले वर्ष भी पूंजीगत व्यय पर जोर देने की उम्मीद है ताकि विकास की पुनर्प्राप्ति सही दिशा में बनी रहे. हाल की तिमाही के क्षमता उपयोग के रुझानों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं और यह निजी कैपेक्स चक्र को प्रोत्साहित करने में बल प्रदान करेगा. वित्तीय वर्ष 24 में मुद्रास्फीति 5.4% रही और वित्तीय वर्ष 25 में इसके 4.5% तक घटने की उम्मीद है. आर्थिक विकास की मजबूत प्रवृत्तियों और घटती मुद्रास्फीति के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तव में "स्वीट स्पॉट" में है.

बैंकिंग क्षेत्र का कार्यनिष्पादन उल्लेखनीय रहा है जिसमें लाभ में वृद्धि, परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार और तुलन पत्र प्रबंधन शामिल है. निरंतर ऋण वृद्धि, डिजिटल को अपनाने में बढ़ोत्तरी और सहायक सरकारी नीतियाँ क्षेत्र को पुनः सक्रिय करने में सहायक रही हैं. दिवाला और

दिवालियापन संहिता (आईबीसी) और भारतीय रिजर्व बैंक एवं सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों ने बैंकिंग क्षेत्र की बैलेंस शीट को मजबूत किया है. इससे बैंकिंग क्षेत्र के सुदृढ़ता संकेतकों में सुधार हुआ है. बैंक पर्याप्त पूंजीकृत बने हुए हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बाजार मूल्यांकन में बढ़त हुई है. मजबूत बैलेंस शीट के साथ पर्याप्त पूंजी और तरलता बफर बैंकों को भविष्य के झटकों का सामना करने की क्षमता देते हैं. वित्तीय वर्ष 24 में भारत में ऋण वृद्धि दो अंकों में बनी रही और जमा से महत्वपूर्ण अंतर से आगे निकल गई. आगामी समय में स्थिर ब्याज दरें, मजबूत जीडीपी, घटती मुद्रास्फीति और विकासोन्मुखी एवं बुनियादी ढांचा खर्च पर सरकार का ध्यान बैंकिंग क्षेत्र के मजबूत विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा.

यह कहते हुए कि, भले ही बैंकों का तुलन पत्र मजबूत है, उन्हें अर्थव्यवस्था की बढ़ती ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूत और सक्रिय बने रहना जरूरी है. भारतीय रिजर्व बैंक का ध्यान एक मजबूत और सतत ऋण चक्र सुनिश्चित करने पर है जिसमें नीति का फोकस गवर्नेंस, समझदारी और तकनीक इन तीन प्रमुख मानकों पर है. भारतीय रिजर्व बैंक ऋण अत्यधिकता को नियंत्रित करने और उच्च वृद्धि वाले ऋण उत्पादों से जुड़े जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से समष्टि विवेकपूर्ण मानदंडों को प्रस्तुत करने में सक्रिय रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक ने तुलन पत्र के देनदारी पक्ष पर भी ध्यान केंद्रित किया है जिससे ऋण जमा अनुपात मेट्रिक को बैंकों की समग्र वृद्धि को कैलिब्रेट करने में एक प्रमुख कारक बनाया गया है.

गवर्नेंस एक सदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था की आधारशिला है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चल रही एकचर्चाओं और परामर्शों के माध्यम से आश्वासन कार्यों की महत्वपूर्ण प्रकृति पर जोर दिया है. बैंक के बोर्ड और प्रबंधन ने जोखिम, लेखा परीक्षा और अनुपालन कार्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उचित संसाधनों एवं अन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से उच्च प्राथमिकता दी है. इस वर्ष की कार्यनीति बैठक का विषय आश्वासन कार्यों को बढ़ाने और उन्नत करने पर केंद्रित था. आगे की राह पर विचार-विमर्श करने के अलावा, स्वतंत्र गवर्नेंस विशेषज्ञों ने गवर्नेंस के सही रुख और दृष्टिकोण पर भी सुझाव दिए.

डिजिटलीकरण में बढ़ोत्तरी के साथ वित्तीय क्षेत्र में तकनीक एक प्रमुख बिंदु बन गया है. जैसे-जैसे बैंक और अन्य विनियमित संस्थाएँ तकनीक के लाभों का उपयोग कर रही हैं, भारतीय रिजर्व बैंक तकनीक के उपयोग से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों जैसे डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और तकनीक-प्रेरित धोखाधड़ी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. वित्तीय संस्थानों के खिलाफ साइबर सुरक्षा हमलों के बढ़ते रहने के साथ, बैंकों और अन्य वित्तीय संगठनों को अपनी और अपने डेटा की सुरक्षा के लिए सक्रिय उपाय करने चाहिए. साइबर सुरक्षा जोखिमों से निपटने और आघात सहनीयता सुनिश्चित करने के लिए सहयोग, स्वचालन और अधिक सुरक्षित क्लाउड डिप्लॉयमेंट के लिए मानकीकृत नियंत्रण आवश्यक है. आपके बैंक के बोर्ड ने तकनीकी ढांचे में निवेश को बढ़ाया है और बेहतर ग्राहक सहभागिता और सेवा के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है.

जबकि समग्र बैंकिंग व्यवस्था एक अच्छी स्थिति में है, हम जोखिमों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. मुख्य जोखिमों में कम लागत वाली जमाराशियां जैसे कासा जुटाने में बढ़ती कठिनाई शामिल है. खुदरा ग्राहक जमाराशि जुटाने के लिए समग्र माहौल भी बहुत प्रतिस्पर्धी हो गया है और यह आगामी वर्ष में बैंक के निष्पादन को निर्धारित करने वाला एक संभावित महत्वपूर्ण कारक हो सकता है. अन्य जोखिम चुनाव पश्चात के परिदृश्य में निजी कैपेक्स की पुनर्प्राप्ति वर्तमान अपेक्षानुसार व्यापक रूप में नहीं हो पाने की संभावना है. एनबीएफ़सी ने खुदरा ऋण देने में सक्रिय भूमिका निभाई है और जैसे-जैसे उनके लिए तरलता कम होती जाती है, उनके परिसंपत्ति पोर्टफोलियो पर इसके आगामी प्रभाव को देखना महत्वपूर्ण होगा. यद्यपि व्यापक पोर्टफोलियो स्तर पर परिसंपत्ति गुणवत्ता में किसी बड़े दवाब के संकेत नहीं थे, उपर्युक्त खंडों में लगातार उच्च ऋण वृद्धि के कारण नियामक द्वारा चेतावनी और हस्तक्षेप अपेक्षित था.

वित्तीय वर्ष 24 में, यूनियन बैंक ने अपने प्रभावशाली कार्यनिष्पादन को जारी रखा है. बैंक ने ग्राहक सुविधा के लिए विभिन्न डिजिटल और डिजिटल रूप से सहायता प्राप्त यात्राओं को सक्षम करने, होम शाखाओं से इतर शाखाओं पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की संख्या बढ़ाने, ग्राहक शिकायतों के लिए एकीकृत शिकायत प्रबंधन उपाय के माध्यम से ग्राहक सेवा, खतरे को कम करने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा, अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन संचालन का अनुकूलन, विश्लेषिकी-आधारित दवाब परीक्षण मॉडल को अपनाने, लक्ष्य निर्धारण प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता और डिजिटल जनबल आयोजना और पदस्थी में अच्छी प्रगति की है. बैंक कासा और खुदरा ग्राहक जमाराशि की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसका उपयोग अपने विभिन्न खंडों में ऋण वृद्धि को कैलिब्रेट करने के लिए करेगा. अनुपालन सर्वोच्च प्राथमिकता पर है और हम सही हामीदारी अंकन प्रथाओं और सतत ऋण पिकअप सुनिश्चित करने के भारतीय रिजर्व बैंक के उद्देश्य के साथ दृढ़ता से खड़े हैं. चूंकि क्रेडिट को बढ़ने में एक दशक लगता है, अतः यह एक प्रमुख ध्यान देने योग्य क्षेत्र है. वित्तीय वर्ष 24 में बैंक द्वारा पूर्ण पूंजी जुटाव कार्य बैंक को एक सुदृढ़ पूंजी स्थिति प्रदान करता है जिसका उपयोग भारत के विकास की गति को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए किया जा सकता है.

हमें आशा है कि विभिन्न हितधारक यूनियन बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन की सराहना करेंगे और आने वाले वर्षों में उन्हें इसके परिणाम देखने को मिलेंगे. हम ग्राहक मूल्य बढ़ाने, तकनीकी प्रगति को अपनाने, और हमारे देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध और अग्रसर हैं.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

**श्रीनिवासन वरदराजन**
*अध्यक्ष*

# ग्राहक केंद्रीयता एवं तकनीक के माध्यम से कार्यनीतिक वृद्धि

"

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय वर्ष 24 के लिए रु.13,468 करोड़ का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ हमारी कार्यनीतिक पहलों एवं परिचालन दक्षता को दर्शाता है.

**ए. मणिमेखलै**
*प्रबंध निदेशक एवं सीईओ*

***प्रिय सम्मानित शेयरधारको,***

मुझे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की उपलब्धियों और वित्तीय कार्यनिष्पादन का अवलोकन आपके साथ साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है. वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, यह वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र दोनों के लिए कई अवसर लेकर आया है. हमारे बैंक की आघात सहनीयता, अनुकूलनशीलता और मूलभूत मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मजबूत किया है, जो बैंकिंग क्षेत्र में सकारात्मक रुझानों को दर्शाता है.

## बैंक के कारोबारी कार्यनिष्पादन की प्रमुख विशेषताएं

हमें वित्तीय वर्ष 24 हेतु रु. 13,648 करोड़ का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ घोषित करते हुए खुशी हो रही है, जो 61.83% की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है. दिनांक 31 मार्च, 2024 को हमारा कुल कारोबार रु. 21.26 ट्रिलियन तक बढ़ गया है, जिसमें रु. 12.21 ट्रिलियन का जमा आधार और रु. 9.05 ट्रिलियन का अग्रिम शामिल है. हमारी आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, सकल एनपीए अनुपात 277 बीपीएस वर्ष दर वर्ष घटकर 4.76% हो गया है, और शुद्ध एनपीए अनुपात 67 बीपीएस घटकर 1.03% हो गया है. प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 235 बीपीएस वर्ष दर वर्ष सुधरकर 92.69% हो गया है. वित्तीय वर्ष 2024 के लिए हमारी क्रेडिट लागत 0.74% रहा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 90 बीपीएस का सुधार है. हमारा शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) सुधरकर 3.10% हो गया, हमारी आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) 1.03% और इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) 15.58% हो गया. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 16.97% के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर रहा, जिसमें सीईटी1 अनुपात 13.65% रहा.

## प्रमुख उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष 24 में, हमने अर्हता प्राप्त संस्थान स्थानन (क्यूआईपी) के माध्यम से रु. 8000 करोड़ की इक्विटी पूंजी सफलतापूर्वक जुटाई. हमने बाजार पूंजीकरण में रु. 1 लाख करोड़ को पार कर लिया है, और स्टॉक एक्सचेंजों पर शीर्ष 100 सूचीबद्ध संस्थाओं में से एक बन गए. क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड, केयर रेटिंग्स लिमिटेड और आईसीआरए रेटिंग्स लिमिटेड सहित प्रमुख रेटिंग एजेंसियों ने हमारे कर्ज लिखतों की रेटिंग को अपग्रेड किया है. हमें एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड

इंडेक्स में शामिल किया गया और भारत सरकार द्वारा ईएएसई रैंकिंग इंडेक्स में लगातार बेहतर कार्यनिष्पादन किया है.

## बैंक का दृष्टिकोण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता में लगातार सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए सराहनीय कार्यनिष्पादन किया है. संवर्धित हामीदारी अंकन क्षमताएं, वर्टिकलाइजेशन, डिजिटलीकरण, एनालिटिक्स और सुदृढ़ आश्वासन ढांचे जैसी प्रमुख पहल सकारात्मक परिणाम प्रदान कर रही है. हमारा लक्ष्य बैंकिंग उद्योग के अनुरूप अपने कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाना है.

> हमारी डिजिटल परिवर्तन और ईएसजी पहल हमारी सफलता एवं दीर्घकालिक हितधारक मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता के प्रमुख तत्व हैं.

## ईएसजी पहलें

हमने नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी कारोबारी कार्यनीतियों में ईएसजी प्रथाओं को एकीकृत किया है. हमारा ईएसजी कक्ष हमारे बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईएसजी जोखिम ढांचे एवं जलवायु जोखिम नीति द्वारा निर्देशित इन पहलों को आगे बढ़ाता है. हमने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र एवं विभिन्न सामाजिक पहलों के लिए लगभग रु.27,000 करोड़ की ऋण सुविधाएं प्रदान की हैं, जिनमें स्ट्रीट वेंडर्स, स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों के लिए सहायता शामिल है. इसके अतिरिक्त, हमने अपने आरसेटी तथा यूबीएसएफटी के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और कई सीएसआर पहलों को कार्यान्वित किया है.

## डिजिटल परिवर्तन

एक व्यापक डिजिटल व्यापार प्लेटफ़ॉर्म के कार्यान्वयन के माध्यम से हमारा बैंक महत्वपूर्ण डिजिटल परिवर्तन से गुजर रहा है. हमने वित्तीय वर्ष 24 में 7 नए सहित कुल 24 डिजिटल यात्राओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है. हमारे व्योम मोबाइल ऐप ने 2.68 करोड़ उपयोगकर्ताओं को जोड़ा है, और वित्तीय वर्ष के दौरान हमारे डिजिटल ऋण एवं एफ़डी ने महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है. हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) पहल में भी सहभागी हैं और हमने उन्नत आईटी तथा साइबर सुरक्षा प्रणालियों को अपनाया है.

## एचआर परिवर्तन

हमारी "एकम" परियोजना, हमारी एचआर परिवर्तन जर्नी का एक प्रमुख घटक है, जो एचआर प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और संवर्धित करने हेतु डिजिटल एचआर साधनों की एक शृंखला को एकीकृत करती है. इस पहल का उद्देश्य हमारे टैलेंट पूल को मजबूत करना, हमारे पुरस्कार और मान्यता प्रणालियों को परिष्कृत करना और हमारे कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) में सुधार करना है. इसके अतिरिक्त, "एकम" महिला नेतृत्व को बढ़ावा देता है और अगली पीढ़ी के एचआर प्रथाओं को अपनाते हुए विविधता, समानता और समावेश (डीईआई) पहलों को बढ़ावा देता है. हमें यूनियन स्वर की शुरुआत करते हुए गर्व हो रहा है, यह एक उद्योग-प्रथम पहल है जिसे हमारे कर्मचारियों को व्यापक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है. यह कार्यक्रम हमारे कार्यबल की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक भलाई को बढ़ाने पर केंद्रित परामर्श सेवाएँ एवं कार्यशालाएँ प्रदान करता है, जो उनकी समग्र स्थिति एवं सफलता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

जैसा कि हम एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, हम चुनौतियों से निपटने और अवसरों का लाभ उठान की अपनी कार्यनीति, क्षमताओं और संस्कृति के प्रति आश्वस्त हैं. हम अपने हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाने और भारत का सबसे पसंदीदा बैंक बनने के अपने दृष्टिकोण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

मैं अपने निदेशक मंडल को उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मैं हमारे शेयरधारकों, ग्राहकों, नियामकों और अन्य हितधारकों को उनके भरोसे के लिए आभार प्रकट करती हूँ. मैं अपने कर्मचारियों की उनके समर्पण, कड़ी मेहनत और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी मदद करने के लिए उनके सक्षमता की सराहना करती हूँ.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

**ए. मणिमेखलै**
*प्रबंध निदेशक एवं सीईओ*

# प्राकृतिक, सामाजिक एवं मानव पूंजी की विशेषताएं

**₹79.33 करोड़**
*कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के अंतर्गत अनुमोदित*
*(वित्तीय वर्ष 2023 में ₹52.65 करोड़ की तुलना में)*

**₹23,059 करोड़**
*वित्तीय वर्ष 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ऋण सुविधा प्रदान करना*
*(वित्तीय वर्ष 2023 में ₹10,370 करोड़ की तुलना में)*

**₹1,29,304 करोड़**
*वित्तीय वर्ष 2024 में महिला लाभार्थियों को ऋण, वर्ष-दर-वर्ष 22.03% वृद्धि*
*(वित्तीय वर्ष 2023 में ₹1,05,954 करोड़ की तुलना में)*

**75,866**
*वित्तीय वर्ष 2024 में कार्यबल क्षमता*
*(वित्तीय वर्ष 2023 में 75,594 की तुलना में)*

**₹2,555 करोड़**
*वित्तीय वर्ष 2024 में यूनियन नारी शक्ति योजना के तहत मंजूर ऋण*
*(वित्तीय वर्ष 2023 में ₹3,233 करोड़ की तुलना में)*

**>82 लाख**
*कर्मचारियों को प्रशिक्षण घंटे*
*(वित्तीय वर्ष 2023 में 41 लाख घंटो करोड़ की तुलना में)*

**29.14%**
*महिला हमारे कार्यबल में*
*(वित्तीय वर्ष 2023 में 28.82% की तुलना में)*

**₹1,83,833 करोड़**
*वित्तीय वर्ष 2024 में कृषि क्षेत्र को संवितरित ऋण, वर्ष-दर-वर्ष 20.95% वृद्धि*
*(वित्तीय वर्ष 2023 में ₹1,51,993 करोड़ की तुलना में)*

**₹19.02 करोड़**
*शिक्षा, स्वस्थाय देखभाल, समुदाय विकास, कौशल विकास एवं पर्यावरणीय संरक्षण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 में 61 परियोजनाओं पर यूनियन बैंक सोशल . फाउंडेशन ट्रस्ट (यूबीएसएफ़टी) द्वारा सीएसआर व्यय*

**₹462 करोड़**
*वित्तीय वर्ष 2024 में यूनियन ग्रीन माइल्स मंजूर*
*(वित्तीय वर्ष 2023 में ₹215 करोड़ की तुलना में)*

**₹1,35,748 करोड़**
*वित्तीय वर्ष 2024 में कुल एमएसएमई अग्रिम, वर्ष-दर-वर्ष 8.58% वृद्धि*
*(वित्तीय वर्ष 2023 में ₹1,25,022 करोड़ की तुलना में)*

**₹3,27,728 करोड़**
*वित्तीय वर्ष 2024 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम, पीएसएलसी बिक्री को छोड़कर एवं आरआईडीएफ़/सिडबी/मुद्रा/एनएचबी में निवेश सहित 9% की वृद्धि*
*(वित्तीय वर्ष 2023 में ₹3,02,006 करोड़ की तुलना में)*

# विनिर्मित एवं
# वित्तीय पूंजी

### वैश्विक कारोबार
₹21,26,421 करोड़

*यथा दिनांक 31.03.2024, वर्ष दर वर्ष 10.31% की वृद्धि*

### कुल वैश्विक जमा राशि
₹12,21,528 करोड़

*यथा दिनांक 31.03.2024, वर्ष दर वर्ष 9.29% की वृद्धि*

### वैश्विक सकल अग्रिम
₹9,04,884 करोड़

*यथा दिनांक 31.03.2024, वर्ष दर वर्ष 11.73% की वृद्धि*

### कासा जमा
₹4,10,134 करोड़

*यथा दिनांक 31.03.2024, वर्ष दर वर्ष 4.08% की वृद्धि*

### निवल ब्याज आय
₹36,570 करोड़

*यथा दिनांक 31.03.2024, वर्ष दर वर्ष 11.61% की वृद्धि*

### परिचालन लाभ
₹28,211 करोड़

*यथा दिनांक 31.03.2024, वर्ष दर वर्ष 10.77% की वृद्धि*

### एनआईएम
3.10 %

*यथा दिनांक 31.03.2024, वर्ष दर वर्ष 3 बीपीएस की वृद्धि*

### अग्रिमों पर प्रतिफल
8.73 %

*यथा दिनांक 31.03.2024, वर्ष दर वर्ष 105 बीपीएस की कमी*

### प्रावधान कवरेज अनुपात
92.69 %

*यथा दिनांक 31.03.2024, वर्ष दर वर्ष 235 बीपीएस की कमी*

### आय अनुपात लागत
46.42 %

*यथा दिनांक 31.03.2024, वर्ष दर वर्ष 15 बीपीएस की कमी*

### निवल एनपीए अनुपात
1.03 %

*यथा दिनांक 31.03.2024, वर्ष दर वर्ष 105 बीपीएस की कमी*

### ग्राहक
22.40 करोड़

*यथा दिनांक 31.03.2024*

### घरेलू शाखाएं
8,464

*यथा दिनांक 31.03.2024,*

### एटीएम
8,982

*यथा दिनांक 31.03.2024*

### कारोबार प्रतिनिधि केंद्र
19,603

*यथा दिनांक 31.03.2024,*

# कॉर्पोरेट और आर्थिक प्रोफ़ाइल

"यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में,असाधारण ग्राहक अनुभव प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता हमारे ग्राहकों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए नवीन दृष्टिकोण और मजबूत प्रणालियों के माध्यम से प्रदर्शित होती है.

## बैंक के बारे में

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जो 100% कोर बैंकिंग समाधान के कार्यान्वयन में अग्रणी है. बैंक ने तकनीकी प्रगति, डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, एमएसएमई सहायता और मानव संसाधन विकास के लिए कई पुरस्कार अर्जित किए हैं. भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध भारत के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक के रूप में, भारत सरकार महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखते हुए बैंक की कुल शेयर पूंजी का 83.49% धारित करती है. वर्ष 1919 में स्थापित, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अपने हितधारकों की सेवा करने का एक समृद्ध इतिहास है.

## वित्तीय वर्ष 2024 की मुख्य विशेषताएं

**75,866**
*यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या*

**₹1,12,990 करोड़**
*कमजोर वर्गों को वित्तपोषण, जो एएनबीसी का 14.25% है*

**₹9,04,844 करोड़**
*बैंक द्वारा दिया गया कुल वैश्विक सकल अग्रिम*

**3,48,157**
*प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या, जिनका सेटलमेंट अनुपात 73%*

**₹1,29,304 करोड़**
*वित्तीय वर्ष 2024 में महिला उद्यमियों को दिए जाने वाले ऋण में 22%की वृद्धि हुई*

**₹44,734 करोड़**
*अल्पसंख्यक समुदायों का बकाया ऋण, जो प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 13.17% है*

**₹12,21,528 करोड़**
*बैंक द्वारा धारित कुल वैश्विक जमाराशि*

## हमारी उत्पत्ति

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर, 1919 को हुई, इसका मुख्यालय मुंबई में है. इसकी स्थापना सेठ सीताराम पोद्दार ने की थी और मुंबई में इसके मुख्यालय का उद्घाटन महात्मा गांधी ने 1921 में किया था. उद्घाटन के दौरान गांधी जी के अंतर्दृष्टिपूर्ण शब्दों ने बैंक के विकास और सफलता की भविष्यवाणी की थी.

"*हमारे पास अपनी राष्ट्रीय गतिविधियों के दौरान करोड़ो रुपये का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए एक बड़े बैंक के संचालन की क्षमता होनी चाहिए. यद्यपि हमारे बीच अनेक बैंक नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम करोड़ो और अरबों रुपए का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में सक्षम नहीं है.*

**- महात्मा गांधी (1921)**

## वैविध्यपूर्ण आवश्यकताओं हेतु व्यापक बैंकिंग सेवाएँ

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विविध ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई बैंकिंग सेवाओं की एक व्यापक शृंखला प्रदान करने में गर्व महसूस करता है. हमारे खाता विकल्पों में बचत और चालू खाते, सावधि और आवर्ती जमा, तथा डीमैट एवं ऑनलाइन ट्रेडिंग खाते शामिल हैं. खुदरा ऋणों में, हम आवास ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण और संपत्ति के प्रति ऋण प्रदान करते हैं. विभिन्न क्षेत्रों की अनूठी आवश्यकताओं को समझते हुए, हम पेंशनभोगियों और एमएसएमई को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करते हुए उनके लिए अनुरूप उत्पाद एवं ऋण प्रदान करते हैं, जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है.

हमारी निवेश और बीमा सेवाओं में म्यूचुअल फंड और जीवन, गैर-जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा सहित विभिन्न बीमा उत्पाद सम्मिलित हैं. हम ग्राहकों को अपने वित्त के प्रभावी आयोजन में मदद करने के लिए कर-बचत जमा, सरकारी बचत योजनाएँ और पेंशन उत्पाद भी प्रदान करते हैं. हमारा बैंक कर संग्रह सेवाओं की सुविधा देता है और विभागीकृत मंत्रालयों के लिए खातों का प्रबंधन करता है.

> "यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नवाचार के मामले में अग्रणी है,ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए निरंतर उन्नत प्रौद्योगिकी में निवेश कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि डिजिटल परिवर्तन हमारे परिचालन का मूल आधार हो

हम कृषि, लघु उद्योग और तृतीयक क्षेत्रों के लिए कई तरह की अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण सुविधाएँ प्रदान करते हैं. सुविधा और सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता सुरक्षित जमा लॉकर और चेक संग्रह सेवाओं के हमारे प्रावधान में परिलक्षित होती है. कॉर्पोरेट क्षेत्र में, यूनियन बैंक व्यापार वित्त, कार्यशील पूंजी, ऋण सुविधा, परियोजना वित्तपोषण और चैनल वित्त प्रदान करता है. हम ऋण संरचना/पुनर्गठन, ऋण समूहन, संरचित वित्त, विलय तथा अधिग्रहण परामर्श एवं निजी इक्विटी सेवाओं में सहायता करते हैं. हमारे कॉर्पोरेट ग्राहक नकद प्रबंधन समाधान, ईसीजीसी कवर, विदेशी मुद्रा सेवाओं और डेरिवेटिव से भी लाभान्वित होते हैं. निर्यात और आयात वित्त सेवाओं के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए हमारा व्यापक समर्थन कॉर्पोरेट ग्राहकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है.

हम मजबूत ट्रेजरी एवं धन-प्रेषण सेवा पोर्टफोलियो के साथ एनआरआई ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करते हैं. डिजिटल युग को अपनाते हुए, हम ऐप, इंटरनेट, सेल्फ-सर्विस, एटीएम और एसएमएस बैंकिंग की सुविधा देते हैं. हमारी सेवाओं में पॉइंट-ऑफ़-सेल टर्मिनल और तत्काल भुगतान सेवाएँ शामिल हैं, जो निर्बाध बैंकिंग अनुभव सुनिश्चित करती हैं. हम कॉम्बो, डेबिट, क्रेडिट, गिफ्ट, प्रीपेड और पेरोल कार्ड सहित विभिन्न कार्ड विकल्प भी प्रदान करते हैं, जो विभिन्न प्राथमिकताओं एवं ज़रूरतों को पूरा करते हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, आवास और सामाजिक बुनियादी ढांचे सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने हेतु वैधानिक लक्ष्यों को पार करने के लिए प्रतिबद्ध है. कृषि ऋण, नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और वित्तीय समावेशन पहलों के माध्यम से सामाजिक उत्थान में हमारे प्रयास आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. हम संवहनीय विकास एवं हरित वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आत्मनिर्भर भारत जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं का समर्थन करते हैं.

# संवृद्धि और संवहनीयता हेतु भविष्य के लिए नेविगेटिंग

**जीआरआई**

201, 203, 302, 305, 404, 418, 419

## वैश्विक कार्यनिष्पादन और रुझान

अक्टूबर 2023 में प्रकाशित मैकिन्से की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक बैंकों ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन किया है, जो एक दशक से अधिक समय में इक्विटी पर अपना उच्चतम प्रतिलाभ (आरओई) प्राप्त कर रहा है, 2022 में 12% और 2023 में 13% की संभावना  है. यह कार्यनिष्पादन, 13 साल के औसत आरओई 9.1% से काफी ऊपर है, इसके साथ ही लागत दक्षता और राजस्व वृद्धि में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. लागत-आय अनुपात में सात प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है, जो अधिक दक्षता की दिशा में सफल प्रयासों को दर्शाता है. वित्तीय मध्यस्थता राजस्व में भी उछाल आया है, जो 2022 में $6.8 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, इस क्षेत्र ने लगभग $400 ट्रिलियन की परिसंपत्तियों में मध्यस्थता की है - जो समग्र आर्थिक विस्तार से आगे बढ़ने का संकेत

> वैश्विक बैंकों ने एक दशक से अधिक समय में इक्विटी पर अपना उच्चतम प्रतिफल हासिल किया है, जो 2023 में 13% तक पहुँच गया है, जिसमें भारत सहित इंडो-क्रिसेंट क्षेत्र अब दुनिया के शीर्ष कार्यनिष्पादन करने वाले वित्तीय संस्थानों में से 51% की मेजबानी कर रहा है.

है. बैंकिंग राजस्व वृद्धि विशेष रूप से भारत सहित हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्रों में मजबूत रही है, यह "इंडो-क्रिसेंट" क्षेत्र अब दुनिया के शीर्ष कार्यनिष्पादन करने वाले वित्तीय संस्थानों में से 51% की मेज़बानी करता है. भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, अन्य क्षेत्रीय बाजारों के साथ, उच्च जीडीपी और जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ अभिनव व्यवधानों और कुशल सेवा वितरण मॉडल से लाभान्वित होता है. इस रिपोर्ट में बैंकों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाने, उभरते जोखिमों के अनुकूल होने और ब्याज दरों में हाल की वृद्धि को नेविगेट करने की कार्यनीतिक आवश्यकता को रेखांकित किया है. इन कारकों ने शुद्ध ब्याज मार्जिन और लाभप्रदता को बढ़ाया है, तथापि कम पूंजी कारोबार मॉडल और नियामक दबावों के साथ चुनौतियां बनी हुई हैं. भारतीय बैंकिंग क्षेत्र और यूबीआई के कार्यनिष्पादन के विस्तृत विश्लेषण के साथ इन वैश्विक अंतर्दृष्टि को एकीकृत करके, यह अध्याय बैंकिंग उद्योग की वर्तमान स्थिति और भविष्य के पथ का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है.यह समृद्ध परिप्रेक्ष्य हितधारकों को इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कारकों को समझने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है, जिससे अधिक सूचित कार्यनीतिक निर्णय लेने में मदद मिलेगी.

## बैंकिंग उद्योग संरचना

### भारत में बैंकों का वर्गीकरण

अनुसूचित बैंक:भारत के बैंकों में वाणिज्यिक और सहकारी बैंक शामिल हैं. ये बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं.

- **वाणिज्यिक बैंक:**भारत में वाणिज्यिक बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों और लघु वित्त बैंकों में वर्गीकृत किया जाता है. ये बैंक विभिन्न बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न हैं, जिसमें जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना और व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना शामिल है.
  - **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी):** यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसी प्रमुख संस्थाओं सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय बैंकिंग परिदृश्य में, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इन बैंकों का अधिकांश स्वामित्व सरकार के पास है और ये वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.
  - **निजी क्षेत्र के बैंक:** निजी क्षेत्र के बैंक सार्वजनिक और विदेशी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, तथा विभिन्न वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करते हैं. ये बैंक मुख्य रूप से निजी संस्थाओं के स्वामित्व-वाले होते हैं, जो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दक्षता और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं.
  - **विदेशी बैंक:** विदेशी बैंक भारत में शाखाओं या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं, जो बैंकिंग क्षेत्र की विविधता में योगदान करते हैं. वे भारतीय बाजार में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और उन्नत बैंकिंग तकनीकों को लाते हैं.
  - **लघु वित्त बैंक:** लघु वित्त बैंकों की स्थापना समाज के वंचित वर्गों की सेवा करने, बचत साधन उपलब्ध कराने तथा लघु व्यवसाय इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए की जाती है.
- **सहकारी बैंक:** सहकारी बैंकों को शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों में विभाजित किया गया है. ये बैंक सहकारी सिद्धांतों पर काम करते हैं, मुख्य रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं.
- **शहरी सहकारी:** शहरी सहकारी बैंक शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं, जो छोटे व्यवसायों, व्यापारियों और व्यक्तियों को ऋण सुविधाएँ प्रदान करते हैं. वे स्थानीय समुदायों की बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
- **ग्रामीण सहकारी:** ग्रामीण सहकारी बैंक कृषि क्षेत्र और ग्रामीण समुदायों की सेवा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वे किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों

को आवश्यक बैंकिंग सेवाएँ और ऋण सहायता प्रदान करते हैं, जिससे ग्रामीण विकास और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है.

## यूनियन बैंक ऑफ इंडिया: एक अवलोकन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) का 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इसकी पहुँच काफ़ी बढ़ गई. बैंक के इतिहास में इस महत्वपूर्ण क्षण ने इसे व्यापक आबादी तक सेवाएँ पहुँचाने और वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी पहलों का समर्थन करने में सक्षम बनाया. यूबीआई के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर 2020 में विलय था, जहाँ आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिया गया था. इस विलय ने यूबीआई की परिचालन क्षमताओं, ग्राहकों तक पहुँच और वित्तीय ताकत को बढ़ाया है, जिससे यह देश के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क में से एक बन गया है.

> यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में व्यापक नेटवर्क वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त उपस्थिति है, जो वित्तीय समावेशन का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. बैंक का व्यापक नेटवर्क यह सुनिश्चित करता है कि बैंकिंग सेवाएँ वंचित समुदायों तक पहुँच सकें, जिससे इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में मदद मिलती है.

यूबीआई अपने ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का एक व्यापक सेट प्रदान करता है. इनमें बचत खाते, विभिन्न प्रकार के ऋण, बीमा उत्पाद और निवेश सेवाएँ शामिल हैं. बैंक लगातार नए-नए तरीके अपनाता है, ताकि अपने ग्राहकों की बदलती माँगों को पूरा करने के लिए अनुकूलित समाधान प्रदान किए जा सकें.

### भारतीय बैंकिंग संरचना में यूबीआई की भूमिका

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) भारतीय बैंकिंग संरचना में, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के बीच एक प्रमुख इकाई के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. पीएसबी के रूप में, यूबीआई का अधिकांश स्वामित्व भारत सरकार के पास है. यह सरकारी नीतियों और वित्तीय समावेशन पहलों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. बैंक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम करता है, जो वंचित समुदायों सहित व्यापक आबादी के वर्ग को आवश्यक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है.

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में यूबीआई की मजबूत उपस्थिति शहरी और ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं के बीच की खाई को पाटने में मदद करती है. बैंक ने कृषि वित्तपोषण, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) और जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का समर्थन किया है.

यूबीआई भारत में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह कई सरकारी कार्यक्रमों में सहभागिता करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), जिसका उद्देश्य हर घर को बैंकिंग सेवाओं और एक बुनियादी बचत खाते तक पहुँच प्रदान करना है. यूबीआई ग्रामीण आबादी को बैंकिंग सेवाओं और डिजिटल बैंकिंग के बारे में शिक्षित करने के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी प्रदान करता है.

पीएसबी के रूप में, यूबीआई व्यक्तिगत बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और ट्रेजरी संचालन सहित विभिन्न वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करता है. यह विविधीकरण व्यक्तियों से लेकर बड़े निगमों तक के अपने ग्राहक आधार की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है.

### कार्यनीतिक पहल और प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना

यूबीआई ने अपनी सेवा सुपुर्दगी और परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है. बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और अन्य डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश किया है, जिससे बैंकिंग अपने ग्राहकों के लिए अधिक सुलभ हो गई है. यूबीआई ने अपनी पहुंच का विस्तार करने और अपनी सेवा पेशकशों को बेहतर बनाने के लिए कार्यनीतिक गठबंधन और साझेदारी बनाई है. ये गठबंधन यूबीआई को उभरते बैंकिंग परिदृश्य में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए नई तकनीकों और अभिनव समाधानों का लाभ उठाने में मदद करते हैं.

### आर्थिक विकास में योगदान

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को समर्थन देकर भारत के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं. बैंक विशेष वित्तीय उत्पाद प्रदान करता है, जिसमें कार्यशील पूंजी ऋण, सावधि ऋण और अनुकूलित समाधान शामिल हैं जो एसएमई की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देते हैं.

कृषि क्षेत्र में, यूबीआई किसानों को ऋण और ऋण सुविधाएं प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ये वित्तीय सेवाएँ किसानों को उपकरण, बीज और उर्वरक खरीदने और उनकी मौसमी नकदी प्रवाह आवश्यकताओं का प्रबंधन करने में मदद करती हैं. बैंक कृषि आधारित उद्योगों का भी समर्थन करता है और वित्तीय समावेशन और शिक्षा के माध्यम से संवहनीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देता है.

यूबीआई व्यक्तिगत वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वैयक्तिक वित्त उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है. इनमें बचत खाते, साथ ही व्यक्तिगत, गृह और शैक्षिक ऋण शामिल हैं. सुलभ और किफायती वित्तीय समाधान प्रदान करके, यूबीआई व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे उन समुदायों की जिनकी बैंक सेवा करता है, समग्र आर्थिक भलाई में योगदान मिलता है.

यूबीआई संवहनीय बैंकिंग प्रथाओं और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के लिए भी प्रतिबद्ध है. बैंक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है और पर्यावरणीय संवहनीयता को बढ़ावा देते हुए हरित पहलों का समर्थन करता है. इसके अतिरिक्त, यूबीआई की सीएसआर गतिविधियों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना शामिल है, जो वंचितों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समर्पित एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाता है.

हरित फाइनेंस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से, यूबीआई सक्रिय रूप से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और संवहनीय प्रथाओं को वित्तपोषित करता है, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और भारत को एक संवहनीय अर्थव्यवस्था में बदलने में सहायता मिलती है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एसएमई, कृषि और वैयक्तिक वित्त का समर्थन करके भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. संवहनीयता और हरित वित्तपोषण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है कि विकास से समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल सकें.

## वैश्विक बैंकिंग गति

वित्तीय वर्ष 2023-24 में वैश्विक बैंकिंग उद्योग ने उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन और पर्याप्त चुनौतियों के साथ महत्वपूर्ण बदलावों का अनुभव किया है. मैकिन्से की वैश्विक बैंकिंग वार्षिक समीक्षा 2023 के अनुसार, पिछले 18 महीने बैंकों के इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) के लिए एक दशक से भी ज्यादा समय में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं. वर्ष 2022 में आरओई बढ़कर 12% हो गया और 2023 में 13% तक पहुँचने की संभावना है, जो 13 साल के औसत 9.1% से काफी अधिक है. यह सुधार 2022 की दूसरी तिमाही के बाद से विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरों में 500-आधार-बिंदु वृद्धि से प्रेरित था, जिसने शुद्ध ब्याज मार्जिन और क्षेत्र के मुनाफे को लगभग $280 बिलियन तक बढ़ा दिया.

### बैंकिंग परिदृश्य को आकार देने वाले प्रमुख रुझान

1. **ऋण वृद्धि और परिसंपत्ति गुणवत्ता:** वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र ने प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत ऋण वृद्धि दिखाई है, साथ ही परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है. यह सकारात्मक प्रवृत्ति ऋण जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और कम करने हेतु क्षेत्र की मजबूत क्षमता को दर्शाती है.

2. **जमा वृद्धि और नीति दर संचरण:** नीतिगत रेपो दरों में मई, 22 से फरवरी, 23 तक उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, बैंकिंग उद्योग ने जमा वृद्धि को मजबूत बनाए रखा है. यह लचीलापन बैंकिंग प्रणाली में जमाकर्ताओं के भरोसे और विश्वास को रेखांकित करता है, जो बैंकों के ब्याज दर जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन को उजागर करता है.

3. **वैश्विक वित्तीय परिवर्तनों के बीच आघात-सहनीयता:** बैंकिंग क्षेत्र ने वैश्विक वित्तीय चुनौतियों के बीच उल्लेखनीय आघात-सहनीयता दर्शाई है, पर्याप्त पूंजी बफर बनाए रखा है और गैर-निष्पादित ऋणों (एनपीएल) के मध्यम स्तर को बनाए रखा है. यह लचीलापन वित्तीय संवहनीयता सुनिश्चित करने और हितधारकों का विश्वास जगाने में महत्वपूर्ण रहा है.

4. **तकनीकी व्यवधान और नवाचार:** तकनीकी प्रगति, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल बैंकिंग में, बैंकिंग परिदृश्य को बदलना जारी रखा है. बैंक उत्पादकता, ग्राहक सेवा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए एआई का लाभ उठा रहे हैं. उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने से सेवा वितरण में महत्वपूर्ण लागत बचत और नवाचार को बढ़ावा मिलने की संभावना है.

5. **तुलनपत्र और संव्यवहार में बदलाव:** पारंपरिक बैंकों से गैर-पारंपरिक, कम पूंजी वाले संस्थानों जैसे कि फिनटेक कंपनियों और निजी पूंजी फर्मों की ओर परिसंपत्तियों और ग्राहकों का उल्लेखनीय बदलाव हुआ है. यह बदलाव बैंकिंग के मुख्य स्तंभों- तुलनपत्र, संव्यवहार और वितरण को नया आकार दे रहा है- जो वित्तीय सेवाओं को वितरित और प्रबंधित करने के तरीके में एक मौलिक बदलाव को दर्शाता है.

6. **मैक्रोइकॉनोमिक आउटलुक और ब्याज दरें:** मैक्रोइकॉनोमिक माहौल असमान बना हुआ है, जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों में विकास और मुद्रास्फीति की संभावनाएं अलग-अलग हैं. केंद्रीय बैंकों ने उच्च मुद्रास्फीति के जवाब में ब्याज दरों में ते. जी से वृद्धि की है, जिसका बैंकिंग क्षेत्र की इक्विटी की लागत और समग्र आर्थिक संवहनीयता पर गहरा प्रभाव पड़ा है. इससे जो परिदृश्य सामने आता है, वह बैंकिंग क्षेत्र के भविष्य के कार्यनिष्पादन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा.

> वैश्विक वित्तीय चुनौतियों के बावजूद, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने आघात-सहनीयता तथा सुदृढ़ ऋण एवं जमा वृद्धि का कार्यनिष्पादन किया, जो मजबूत आस्ति गुणवत्ता एवं प्रभावी जोखिम प्रबंधन को दर्शाता है.

वित्तीय वर्ष  2024 वैश्विक बैंकिंग उद्योग के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों और चुनौतियों दोनों का दौर रहा है. जटिल मैक्रोइकॉनोमिक और तकनीकी बदलावों से निपटने के दौरान इस क्षेत्र को बेहतर लाभप्रदता और मजबूत ऋण वृद्धि से लाभ हुआ है. वैश्विक बैंकिंग वार्षिक समीक्षा 2023 से प्राप्त अंतर्दृष्टि वित्तीय गतिशीलता के विकास के सामने उद्योग की लचीलापन और अनुकूलनशीलता को उजागर करती है. ये रुझान बैंकों के लिए तकनीकी नवाचारों का लाभ उठाने, जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और भविष्य में विकास और संवहनीयता को बनाए रखने के लिए बदलती आर्थिक स्थितियों के अनुकूल होने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं.

## भारतीय बैंकिंग उद्योग की गति

वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के प्रमुख क्षेत्रों में ऋण और जमा में मजबूत वृद्धि देखी गई. इस अवधि में परिसंपत्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया, जो ऋण जोखिमों को प्रबंधित करने और कम करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित बैंकिंग क्षेत्र को दर्शाता है. बढ़ी हुई ऋण उपलब्धता ने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का समर्थन किया, औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया और समग्र आर्थिक संवहनीयता में योगदान दिया. वैश्विक वित्तीय चुनौतियों के बीच, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने मौद्रिक नीति समायोजन के लचीलेपन और प्रभावी संचरण का प्रदर्शन किया. इस गति ने न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया बल्कि भारत में वित्तीय प्रणाली की संवहनीयता और विश्वास को भी सुनिश्चित किया.

### जमा वृद्धि और नीति दर संचरण

मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए मौद्रिक नीति को सुदृढ़ करते हुए मई, 2022से फरवरी, 2023 तक नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों की वृद्धि की गई.वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, जमा वृद्धि12.9% रही,जो कि जमा दरों में 250 आधार अंकों की वृद्धि के कुशल संचरण के कारण 9.6% की नाममात्र जीडीपी वृद्धि से कहीं अधिक थी,क्योंकि बैंकों को बढ़ती ऋण मांग को वित्तपोषित करने की आवश्यकता का सामना करना पड़ा है. बढ़ती ब्याज दरों के बावजूद बैंकों की जमा को आकर्षित करने और बनाए रखने की क्षमता इस क्षेत्र की मजबूती और ब्याज दर जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन को रेखांकित करती है.

### वैश्विक वित्तीय परिवर्तनों के बीच आघात-सहनीयता

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष  2024 में वैश्विक वित्तीय चुनौतियों के बीच उल्लेखनीय लचीलेपन को प्रदर्शित किया. वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण आर्थिक अनिश्चितताएं और वित्तीय अस्थिरता इस अवधि की विशेषता रही. भारतीय बैंक पर्याप्त पूंजी बफर बनाए रखने में कामयाब रहे, जिससे वित्तीय संवहनीयता सुनिश्चित हुई और हितधारकों में विश्वास पैदा हुआ. इसके अलावा, इस क्षेत्र ने मध्यम गैर-निष्पादित ऋण (एनपीएल) को बनाए रखा, जो प्रभावी ऋण जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और एक मजबूत नियामक वातावरण का संकेत देता है.

### नीतिगत रेपो दर समायोजन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा और विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप लाने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रही है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान की गई 250 आधार अंकों की बढ़ोतरी ने मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने और वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में योगदान दियाहै. मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के जवाब में 2022-23 में औसतन 6.7% से 2023-24 में 5.4% तक हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति में भी यही बात परिलक्षित होती है.

### मुद्रा बाजार और रेपो दर संचरण पर प्रभाव

नीतिगत रेपो दर में समायोजन का मुद्रा बाजार दरों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा, जो प्रभावी मौद्रिक नीति संचरण को दर्शाता है. मुद्रा बाजार दरें रेपो दर में परिवर्तनों के साथ निकटता से जुड़ी हुई थीं, जो व्यापक वित्तीय प्रणाली पर आरबीआई के प्रभाव को दर्शाती हैं. इस संरेखण ने बैंक ऋण और जमा दरों में प्रभावी संचरण की सुविधा प्रदान की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि नीतिगत उपायों का अर्थव्यवस्था पर इच्छित प्रभाव पड़ा. रेपो दर परिवर्तनों के प्रति मुद्रा बाजार दरों की प्रतिक्रियाशीलता भारत में मौद्रिक नीति ढांचे की दक्षता को उजागर करती है.

## यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय वर्ष 2024 का कार्यनिष्पादन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) ने पूरे वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर ऋण और जमा वृद्धि का अनुभव किया, जो इसकी मजबूत बाजार स्थिति और प्रभावी प्रबंधन को रेखांकित करता है. इस अवधि में परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता मेट्रिक में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ, जो बैंक की जोखिम प्रबंधन और प्रतिलाभ उत्पन्न करने की बढ़ी हुई क्षमता को दर्शाता है.

### ऋण एवं जमा वृद्धि

यूबीआई ने स्थिर ऋण और जमा वृद्धि का अनुभव किया, 31 मार्च, 2024 तक सकल अग्रिम 11.73% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ ₹9,04,884 करोड़ हो गया और कुल जमा 9.29% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ ₹12,21,528 करोड़ हो गया. यह वृद्धि खुदरा, कृषि और एमएसएमई (रैम) क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विस्तार से प्रेरित थी, जिसमें सामूहिक रूप से 13.82% की वृद्धि देखी गई.

### परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता

परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता में सुधार महत्वपूर्ण थे. बैंक का सकल एनपीए अनुपात 31 मार्च, 2024 तक 277 आधार अंकों की गिरावट के साथ 4.76% हो गया, जबकि शुद्ध एनपीए अनुपात 67 आधार अंकों की गिरावट के साथ 1.03% हो गया. यह यूबीआई की क्रेडिट जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की बढ़ी हुई क्षमता को दर्शाता है. वित्तीय वर्ष 2024 के लिए शुद्ध लाभ ₹13,648 करोड़ रहा, यह पिछले वित्तीय वर्ष के ₹8,433 करोड़ से काफी अधिक है, जो 61.84% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि को दर्शाता है.

*इन कार्यनिष्पादन मेट्रिक्स के अधिक व्यापक विश्लेषण के लिए, इस रिपोर्ट में निर्मित और वित्तीय पूंजी पर अध्याय देखें.*

## बैंकिंग क्षेत्र में चुनौतियाँ और जोखिम

चुनौतियों और जोखिमों से निपटने के लिए यूबीआई का दृष्टिकोण एक अनुकूल और सुरक्षित बैंकिंग वातावरण बनाए रखने के लिए इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. साइबर सुरक्षा, परिचालन जोखिम प्रबंधन, विनियामक अनुपालन, परिसंपत्ति गुणवत्ता सुधार और स्थिरता में बैंक की कार्यनीतिक पहल हितधारकों के हितों की रक्षा और दीर्घकालिक आर्थिक संवहनीयता का समर्थन करने के लिए इसके समर्पण को रेखांकित करती है.

### डिजिटल व्यवधान और साइबर सुरक्षा जोखिम

डिजिटल लेनदेन पर बढ़ती निर्भरता ने बैंकों की साइबर खतरों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) ने इस जोखिम को स्वीकार किया है और अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं. इन जोखिमों को कम करने के लिए, यूबीआई ने व्यापक साइबर सुरक्षा उपाय स्थापित किए हैं. हैदराबाद में बैंक का साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीसीओई) अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा तकनीकों को लागू करने और कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर ध्यान केंद्रित करता है. यह केंद्र संभावित साइबर खतरों की पहचान करने और इससे पहले कि वे महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकें उनका समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

इसके अलावा, यूबीआई अपने सिस्टम में कमज़ोरियों की पहचान करने और उन्हें सुधारने के लिए नियमित रूप से भेद्यता आकलन और पैठ परीक्षण करता है. ये आकलन यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि बैंक की सुरक्षा अद्यतित है और परिष्कृत साइबर हमलों को विफल कर सकती है. अपने साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल को लगातार अपडेट करके और उन्नत सुरक्षा तकनीकों में निवेश करके, यूबीआई अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे की अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है.

### परिचालन जोखिम

प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए उन्नत तकनीकों को लागू करना ज़रूरी है, लेकिन इससे नए परिचालन जोखिम भी सामने आए हैं. इन जोखिमों में संभावित सिस्टम विफलताएँ, डेटा उल्लंघन और बैंक परिचालन में अन्य व्यवधान शामिल हैं. यूबीआई ने जोखिम प्रबंधन के लिए आईएसओ 31000 और सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए आईएसओ 27001 जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ अपनी नीतियों को सुसंगत बनाकर इन समस्याओं का निवारण किया है. इसके अतिरिक्त, बैंक संभावित खतरों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए नियमित रूप से भेद्यता आकलन और पैठ परीक्षण करता है.

प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए उन्नत तकनीकों को लागू करना ज़रूरी है, लेकिन इससे यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (यूबीआई) में नए परिचालन जोखिम सामने आए हैं. इन जोखिमों में संभावित सिस्टम विफलताएँ, डेटा उल्लंघन और अन्य व्यवधान शामिल हैं जो बैंक के परिचालन को प्रभावित कर सकते हैं. ये प्रयास परिचालन लचीलापन बढ़ाने और उभरते साइबर खतरों के विरुद्ध बैंक के परिचालन की सुरक्षा करने की व्यापक कार्यनीति का हिस्सा हैं. सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन और साइबर सुरक्षा प्रथाओं को अपनाकर, यूबीआई का लक्ष्य अपने ग्राहकों की सुरक्षा करना और अपनी सेवाओं में विश्वास बनाए रखना है.

### विनियामक अनुपालन चुनौतियाँ

सख्त नियमों के कारण बैंकिंग क्षेत्र में मजबूत अनुपालन ढांचे की आवश्यकता होती है. यूबीआई ने आरबीआई साइबर सुरक्षा ढांचे, डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण और आईटी गवर्नेंस और जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों सहित विभिन्न विनियामक ढाँचों के अनुपालन को सुनिश्चित किया है. बैंक ने कारोबार निरंतरता प्रबंधन के लिए आईएसओ 22301 और भुगतान कार्ड सुरक्षा के लिए पीसीआई-डीएसएस जैसे प्रमाणन भी हासिल किए हैं, जो उच्च विनियामक अनुपालन मानकों को बनाए रखने में मदद करते हैं.

### परिसंपत्ति गुणवत्ता और ऋण जोखिम

उच्च कॉर्पोरेट और कृषि ऋण स्तरों के कारण गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के साथ जुड़े मुद्दे यूबीआई के लिए लगातार एक महत्वपूर्ण चुनौती बने हुए हैं. बैंक ने मजबूत ऋण जोखिम मूल्यांकन तंत्र को अपनाकर और जिम्मेदार ऋण प्रथाओं का पालन करके परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया है. वित्तीय वर्ष 2024 में, यूबीआई ने नियंत्रण अंतर की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए नियमित डेटा डंप विश्लेषण के लिए एक प्रणाली लागू की, जिससे इसके डेटा की सटीकता और पूर्णता में वृद्धि हुई.वित्तीय वर्ष 2024 में, यूबीआई ने परिसंपत्ति गुणवत्ता सुधार में पर्याप्त प्रगति की. सकल एनपीए अनुपात घटकर 4.76% हो गया, और शुद्ध एनपीए अनुपात घटकर 1.03% हो गया. प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 92.69% तक सुधर गया, जो एक मजबूत वित्तीय स्थिति बनाए रखने और ऋण जोखिमों को कम करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

### संवहनीयता संबंधी विषय

बैंकों पर अपने ऋण पोर्टफोलियो को पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं के साथ जोड़ने का दबाव बढ़ रहा है. यूबीआई ने संवहनीयता के महत्व को पहचाना है और पर्यावरण संरक्षण पहलों का समर्थन करने के लिए कदम उठाए हैं. बैंक ने हरित प्रौद्योगिकियों और पर्यावरण-अनुकूल बुनियादी ढांचे को अपनाया है, जिससे ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा मिला है और इसके कार्बन फूटप्रिंट कम हुए हैं. ये प्रयास पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने और एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में बैंक की प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद करते हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने संवहनीयता के महत्व को पहचाना है और पर्यावरण संरक्षण पहलों का समर्थन करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाए हैं. बैंक ने अपनी ईएसजी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एक स्वतंत्र ईएसजी सेल की स्थापना की है, जो संवहनीयता पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है. यूबीआई ने क्रिसिल द्वारा मान्य एक स्थायी वित्तपोषण ढांचा विकसित किया है जो हरित डिपॉजिट, हरित बॉण्ड और संवहनीयता से जुड़े ऋण जैसे उत्पादों को कवर करता है. इसके अतिरिक्त, यूबीआई ने हरित प्रौद्योगिकियों और पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचे को अपनाया है, जिससे ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा मिलता है और इसके कार्बन फूटप्रिंट कम होते हैं. ये प्रयास न केवल पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने में मदद करते हैं बल्कि एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में बैंक की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाते हैं.

## यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए दिशा-निर्देश

तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति और बाजार की बदलती गतिशीलता के दौर में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) ने प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए अपनी कार्यनीतियों को लगातार अनुकूलित किया है. इन परिवर्तनों पर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पहचानते हुए, यूबीआई ने प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने, जोखिमों का प्रबंधन करने और संवहनीयता को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यनीतिक पहलों को लागू किया है. ये प्रयास बैंक की वृद्धि और दक्षता के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसके ग्राहकों और हितधारकों की उभरती जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटल परिवर्तन और एआई तथा मशीन लर्निंग को परिचालन में एकीकृत करने पर कार्यनीतिक जोर देना अपनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने और परिचालन लागत को कम करने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. साइबर सुरक्षा, सख्त विनियामक अनुपालन और उन्नत जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के प्रति बैंक का सक्रिय दृष्टिकोण मजबूत सुरक्षा और परिचालन अखंडता सुनिश्चित करता है. तुलनपत्र प्रबंधन को अनुकूलित करके, संव्यवहार कारोबारों का मूल्यांकन करके और वितरण चैनलों को बढ़ाकर, यूबीआई का लक्ष्य बदलती ग्राहक प्राथमिकताओं को पूरा करना और लाभप्रदता में सुधार करना है. इसके अलावा, सुदृढ़ बैंकिंग प्रथाओं और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में इसका निवेश पर्यावरणीय संवहनीयता और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है. ये कार्यनीतिक दिशाएँ आधुनिक बैंकिंग जटिलताओं को मार्गनिर्देशित करने, विकास को गति देने, अनुपालन सुनिश्चित करने और संवहनीयता को बढ़ावा देने के लिए यूबीआई के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं.

| कार्यनीतिक दिशा | कार्रवाई | भविष्य | जीआरआई संरेखण एवं यूएनएसडीजी संदर्भ |
|---|---|---|---|
| **डिजिटल परिवर्तन को अपनाया जाना** | **विवरण:** कार्यकुशलता और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए परिचालन को डिजिटल बनाना और एआई-संचालित समाधान अपनाना.<br><br>**कार्रवाई:** 40 से अधिक डिजिटलीकरण परियोजनाओं की शुरुआत की, 27 को पूरा किया, 13 अन्य को उन्नत किया गया. डिजिटल ऋण यात्रा को लागू किया, 400 से अधिक सुविधाओं के साथ मोबाइल बैंकिंग ऐप को "व्योम" में रिब्रांड किया, ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग को एकीकृत किया. | जनरेटिव एआई के उपयोग के मामलों का अन्वेषण करें और संचालन की निगरानी, सुधार और अनुकूलन के लिए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (आरपीए सीओई) बनाया जाए. | **जीआरआई**<br>203:अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव<br><br>**यूएनएसडीजी**<br>9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE |

| कार्यनीतिक दिशा | कार्रवाई | भविष्य | जीआरआई संरेखण एवं यूएनएसडीजी संदर्भ |
|---|---|---|---|
| **साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाना** | **विवरण:** एआई-संबंधित खतरों का मुकाबला करने के लिए आईटी प्रणालियों को सशक्त करना.<br>**कार्रवाई:** हैदराबाद में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीसीओई) की स्थापना की गई. अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों को लागू किया गया. नियमित रूप से भेद्यता आकलन और पैठ परीक्षण आयोजित किए गए हैं. | उभरते साइबर खतरों से आगे रहने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाकर और जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ाकर साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया जाए. | **जीआरआई 418:** ग्राहक गोपनीयता<br>**यूएनएसडीजी:** |
| **विनियामक अनुपालन को मजबूत करना** | **विवरण:** दंड से बचने के लिए कड़े नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना.<br>**कार्रवाई:** अंतर्राष्ट्रीय मानकों (आईएसओ 31000, आईएसओ 27001) के साथ नीतियों का सामंजस्य कारोबार निरंतरता प्रबंधन के लिए आईएसओ 22301 और भुगतान कार्ड सुरक्षा के लिए पीसीआई-डीएसएस जैसे प्रमाणन प्राप्त किए गए हैं. | उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने और जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विनियामक अनुपालन ढांचे को मजबूत करना जारी रखा जाए. | **जीआरआई 419:** सामाजिक-आर्थिक अनुपालन<br>**यूएनएसडीजी:** |
| **ऋण और परिचालन जोखिम प्रबंधन** | विवरण:ऋण मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार.<br>कार्रवाई:ऋण मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार, नियंत्रण अंतर की पहचान करने के लिए नियमित डेटा डंप विश्लेषण, और दूरस्थ ऑडिट मॉड्यूल लागू किया गया है. | दूरस्थ लेखापरीक्षा क्षमताओं का विस्तार करना तथा लेखापरीक्षा गुणवत्ता और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए उन्नत डेटा प्रबंधन प्रणालियों को एकीकृत करना. | **जीआरआई 201:** आर्थिक कार्यनिषादन<br>**यूएनएसडीजी:** |
| **अनुकूलनीय तुलनपत्र** | **विवरण:** संसाधन आबंटन में सुधार करने और लाभप्रदता में वृद्धि करने के लिए तुलनपत्र कार्यनीतियों को अपनाना.<br>**कार्रवाई:** तुलनपत्र कार्यनीतियों को अनुकूलित किया, उन्नत डेटा एनालिटिक्स और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को लागू किया, और एक डिजिटल व्यापार मंच विकसित किया गया है. | उच्च-मूल्य वाले खंडों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सेवाओं को अलग-अलग करके तुलनपत्र कार्यनीतियों को परिष्कृत करना. बेहतर विश्लेषणात्मक और रिपोर्टिंग क्षमताओं के लिए डेटा लेक परियोजना का लाभ उठाना. | **जीआरआई 201:** आर्थिक कार्यनिषादन<br>**यूएनएसडीजी:** |
| **वितरण चैनलों का स्तर ऊपर उठाना** | **विवरण:** हाइब्रिड और डिजिटल सेवा पेशकशों के लिए ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए वितरण चैनलों को बढ़ाना.<br>**कार्रवाई:** डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू), व्हाट्सएप बैंकिंग (यूवीकॉन) और गूगल बिजनेस मैसेजेस (जीबीएम) के साथ वितरण चैनलों को उन्नत किया गया. | व्यक्तिगत और सुविधाजनक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचे में निवेश. बहुभाषी एआई-संचालित वॉयस और संवादात्मक आईवीआर, पूर्वानुमानित आईवीआर, चैटबॉट और वॉयस बायोमेट्रिक्स के साथ डिजिटल संपर्क केंद्र क्षमताओं को बढ़ाना. | **जीआरआई 203:** अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव<br>**यूएनएसडीजी:** |
| **संव्यवहार कारोबारों का विस्तार करना या उनसे बाहर निकलना** | **विवरण:** संव्यवहार व्यवसायों का मूल्यांकन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए तैयार किया गया है अथवा यदि वे गैर-प्रमुख हैं तो उनसे बाहर निकला जा सके.<br>**कार्रवाई:** लेनदेन कारोबार का मूल्यांकन किया गया, स्वचालित भुगतान प्रसंस्करण के लिए यूनी पे प्लस पोर्टल को क्रियान्वित किया गया. | ऐसे लेनदेन व्यवसायों का मूल्यांकन और विस्तार जारी रखें जो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करते हैं, साथ ही गैर-प्रमुख क्षेत्रों से बाहर निकलने की संभावना भी रखते हैं. | **जीआरआई 203:** अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव<br>**यूएनएसडीजी:** |
| **संवहनीय बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना** | **विवरण:** संवहनीय परिचालन और जलवायु-अनुकूल वित्तपोषण के लिए प्रतिबद्धता.<br>**कार्रवाई:** क्रिसिल द्वारा प्रमाणित एक संवहनीय वित्तपोषण ढांचा विकसित किया गया, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को समर्थन दिया गया, छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए, जल संरक्षण उपायों को बढ़ावा दिया गया. | नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाएं, वैश्विक मानकों के अनुरूप स्थिरता रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण प्रथाओं को बढ़ाना. | **जीआरआई 302:** ऊर्जा, जीआरआई<br>**यूएनएसडीजी:** |

# डिजिटल

## उत्कृष्टता एवं संवहनीयता को उन्नत करना

**जीआरआई**

201, 203, 302, 305, 404, 418

### पूंजी के माध्यम से यूबीआई के कार्यनीतिक स्तंभ

तेजी से विकसित हो रहे बैंकिंग परिदृश्य को मद्देनजर रखते हुए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) डिजिटल उत्कृष्टता और निरंतर विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है. बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी-संचालित व्यवधान की चल रही प्रवृत्ति हमारी कार्यनीतिक प्राथमिकताओं को आकार देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हम इन बदलावों के प्रति चुस्त और उत्तरदायी बने रहें. संवहनीयता के पक्ष-समर्थक के रूप में, हम जलवायु परिवर्तन का समाधान करने की अत्यावश्यकता को स्वीकार करते हैं. यह अर्थव्यवस्था को डिकार्बोनाइज़ करने और शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के हमारे लक्ष्य का केंद्र है. इस यात्रा के लिए महत्वपूर्ण व्यवहार परिवर्तन और सभी क्षेत्रों में गैर-कार्बन प्रौद्योगिकियों की व्यापक तैनाती की आवश्यकता है. हमारा उद्देश्य सभी के लिए अवसर पैदा करने के लिए तकनीकी नवाचार और डिजिटल क्षमताओं का लाभ उठाना है. हम यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारे ग्राहकों के पास उत्पादों, सलाह और समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुँच हो, जो उन्हें जानकार वित्तीय निर्णय लेने और अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है.

> यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए तकनीकी नवोन्मेष और डिजिटल क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है.

| प्राथमिकता संख्या | कार्यनीतिक प्राथमिकता | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | **परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करना**<br>जीआरआई 201<br>यूएनएसडीजी:<br>8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH | अपनी डिजिटल क्षमताओं का लाभ उठाते हुए, हम सरलीकृत प्रक्रियाओं और मूल्य-केंद्रित लेनदेन मॉडल के माध्यम से एक उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव प्रदान करने की आकांक्षा रखते हैं. उन्नत तकनीकों को एकीकृत करके और परिचालन को सुव्यवस्थित करके, हम दक्षता सुनिश्चित करते हैं और अपने ग्राहकों के लिए समग्र सेवा अनुभव को बढ़ाते हैं, जिससे परिचालन उत्कृष्टता और संवहनीयता को बढ़ावा मिलता है. |
| 2 | **तुलनपत्र को  लचीला बनाना**<br>जीआरआई 201<br>यूएनएसडीजी:<br>8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH | संसाधन आबंटन में सुधार करने और लाभप्रदता में वृद्धि करने के लिए तुलनपत्र कार्यनीतियों को अपनाना. डेटा लेक परियोजना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अगली पीढ़ी का डेटा रिपोजिटरी समाधान है, जो विविध डेटा स्रोतों को समेकित करता है, जिससे संसाधन आबंटन में सुधार करने और लाभप्रदता में वृद्धि करने के लिए उन्नत डेटा एनालिटिक्स और अधिक जानकार निर्णय लेने में आसानी होती है.अपनेडेटा का लाभ उठाते हुए, बैंक तुलनपत्र की मजबूती और संवहनीयता को बढ़ाने के लिए जोखिम प्रबंधन को परिष्कृत करते हुए उच्च-विकास वाले क्षेत्रों में कम निष्पादन करने वाली संपत्तियों की पहचान और पुनर्वितरण किया जा सकता है, इस प्रकार प्रतिलाभ को अधिकतम और जोखिम को कम किया जा सकता है. |
| **विनिर्माण पूंजी** | | |
| 3 | **एक गतिशील और समर्पित टीम का निर्माण**<br>जीआरआई 203<br>यूएनएसडीजी:<br>8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH | हमारी टीम एक कार्यनीतिक प्राथमिकता बनी हुई है, जो संवहनीयता और डिजिटल सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित है. हम एक समावेशी और विविधतापूर्ण संस्कृति को बढ़ावा देते हैं जो सभी के लिए प्रतिभा विकास और विकास के अवसरों को बढ़ावा देती है. व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करके, प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करके और एक सहायक कार्य वातावरण बनाकर, हमारा लक्ष्य नेतृत्व कार्यक्रम विकसित करना, कैरियर उन्नति मार्ग बनाना और कर्मचारी कल्याण और कार्य संतुष्टि को बढ़ाना है. |
| 4 | **वित्तीय समावेशन को अपनाना**<br>जीआरआई 203<br>यूएनएसडीजी:<br>1 NO POVERTY<br>10 REDUCED INEQUALITIES | गैर बैंकिंग सुविधा वाली और बैंकिंग रहित आबादी के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना. हम समवेशी बैंकिंग कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मोबाइल बैंकिंग समाधान और माइक्रोफाइनेंस पहल लागू करते हैं. हमारा उद्देश्य दूर-दराज के क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना, वित्तीय पहुँच बढ़ाने के लिए फिंटेक कंपनियों के साथ साझेदारी करना तथा हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए अनुरूप वित्तीय उत्पाद विकसित करना है, यह प्रतिबद्धता आर्थिक समस्याओं को कम करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद करता है. |

## कार्यनीतिक निदेश:

| प्रतीक | कार्यनीतिक प्राथमिकता | विवरण |
|---|---|---|
| 5 | **साझेदारी एवं गठबंधन का सुदृढीकरण**<br>GRI 203<br>UNSDG:<br>17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS | सेवा पेशकश और बाज़ार पहुँच बढ़ाने के लिए कार्यनीतिक साझेदारी बनाना. हम फिनटेक कंपनियों के साथ सहयोग करते हैं, वैश्विक बैंकों के साथ साझेदारी स्थापित करते हैं और उद्योग संघों में भाग लेते हैं. ये गठबंधन हमें नई तकनीकों का पता लगाने तथा अपने ग्राहकों को नवीन समाधान प्रदान करने में मदद करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हम बाजार की गतिशीलता के प्रति प्रतिस्पर्धी और उत्तरदायी बने रहें. |
| 6 | **भुगतान एवं अंतरण में नवाचार**<br>जीआरआई 203<br>यूएनएसडीजी:<br>9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | ग्राहकों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए भुगतान प्रणाली और लेनदेन सेवाओं को बढ़ाना. हम संपर्क रहित भुगतान समाधान पेशकाश करते हैं, ब्लॉकचेन-आधारित लेनदेन प्रणाली विकसित करते हैं और मोबाइल भुगतान विकल्पों का विस्तार करते हैं. हमारा लक्ष्य डिजिटल भुगतान नवाचारों का नेतृत्व करना, सीमा पार भुगतान प्रणालियों में सुधार करना और जहां संभव हो क्रिप्टोकरेंसी सेवाओं को अपनाना है. नवाचार पर यह ध्यान हमें तेजी से बदलते वित्तीय परिदृश्य में आगे रहने में मदद करता है. |
| 7 | **वितरण चैनलों का लेवलिंग अप**<br>जीआरआई 203<br>यूएनएसडीजी:<br>9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | हाइब्रिड और डिजिटल सेवा पेशकशों के लिए ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए वितरण चैनलों को बढ़ाना. हमने डिजिटल बैंकिंग यूनिट (डीबीयू), व्हाट्सएप बैंकिंग (यूवीकॉन), और गूगल बिजनेस मैसेज (जीबीएम) लागू किया है. भविष्य के निवेश वैयक्तिकृत और सुविधाजनक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करेंगे, बहुभाषी एआई-संचालित आवाज और संवादी आईवीआर, पूर्वानुमानित आईवीआर, चैटबॉट और वॉयस बायोमेट्रिक्स के साथ हमारी डिजिटल संपर्क केंद्र क्षमताओं को बढ़ाएंगे. |
| **मानव पूंजी** | | |
| 8 | **एक गतिशील और समर्पित टीम का निर्माण**<br>जीआरआई 404<br>यूएनएसडीजी:<br>8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH<br>4 QUALITY EDUCATION | हमारी टीम एक कार्यनीतिक प्राथमिकता बनी हुई है, जो संवहनीयता और डिजिटल सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित है. हम एक समावेशी और विविधतापूर्ण संस्कृति को बढ़ावा देते हैं जो सभी के लिए प्रतिभा विकास और विकास के अवसरों को बढ़ावा देती है. व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करके, प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करके और एक सहायक कार्य वातावरण बनाकर, हमारा लक्ष्य नेतृत्व कार्यक्रम विकसित करना, कैरियर उन्नति मार्ग बनाना और कर्मचारी कल्याण और कार्य संतुष्टि को बढ़ाना है. |
| 9 | **प्रतिभा विकास और प्रतिधारण को प्राथमिकता देना**<br>जीआरआई 404<br>यूएनएसडीजी:<br>8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH<br>4 QUALITY EDUCATION | कुशल कार्यबल के विकास और उसे बनाए रखने में निवेश करना. हम व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करते हैं, प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करते हैं, और एक सहायक कार्य वातावरण को बढ़ावा देते हैं. यह सुनिश्चित करते हुए कि हम उच्चतर प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें एवं बनाए रखें हमारे भविष्य का ध्यान नेतृत्व कार्यक्रम विकसित करने, कैरियर उन्नति मार्ग बनाने और कर्मचारी कल्याण और कार्य संतुष्टि को बढ़ाने हेतु पहलों को लागू करने पर है. |
| **बौद्धिक पूंजी** | | |
| 10 | **डिजिटल क्षमता बढ़ाना**<br>जीआरआई 418<br>यूएनएसडीजी :<br>9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | हमारी कार्यनीति का मुख्य उद्देश्य डेटा और प्रौद्योगिकी को प्राथमिक चालकों के रूप में उपयोग करने पर जोर देना है. हमारा उन्नत डेटा एनालिटिक्स और सुरक्षित प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा हमें ऐसे बेहतर समाधान बनाने में सक्षम बनाता है जो हमारे ग्राहकों की . जरूरतों को पूरा करते हैं. प्रौद्योगिकी में लगातार निवेश करके और अभिनव समाधान विकसित करके, हम अपनी डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने ग्राहकों की उभरती ज़रूरतों को पूरा करें. |

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम Union Bank of India A Government of India Undertaking

| प्रतीक | कार्यनीतिक प्राथमिकता | विवरण |
|---|---|---|
| 11 | **ग्राहक-केंद्रित नवाचारों को बढ़ावा देना**<br>**जीआरआई** 418<br>**यूएनएसडीजी :**<br>9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | उत्पाद और सेवा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना. हम ग्राहक व्यवहार को समझने, व्यक्तिगत वित्तीय उत्पाद लॉन्च करने और ग्राहक सेवा प्लेटफ़ॉर्म को बेहतर बनाने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हैं. हमारी भविष्य की योजनाओं में एआई-संचालित ग्राहक सेवा साधन लागू करना, नए ग्राहक निष्ठा कार्यक्रम विकसित करना और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर उत्पादों को लगातार अनुकूलित करना शामिल है. |
| 12 | **डेटा सुरक्षा और गोपनीयता बढ़ाना**<br>**जीआरआई** 418<br>**यूएनएसडीजी :**<br>16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS | डेटा सुरक्षा और ग्राहक गोपनीयता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करना. हम एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल को मज़बूत करते हैं, व्यापक डेटा गोपनीयता नीतियों को अपनाते हैं, और नियमित सुरक्षा लेखा-परीक्षा करते हैं. हमारा भविष्य का ध्यान उन्नत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करने, डेटा सुरक्षा मानकों के लिए प्रमाणन प्राप्त करने, ग्राहकों को डेटा सुरक्षा प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने और ग्राहक डेटा की अखंडता और गोपनीयता सुनिश्चित करने पर है. |
| 13 | **अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना**<br>**जीआरआई** 203<br>**यूएनएसडीजी :**<br>9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | निरंतर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करना. हमने एक नवाचार प्रयोगशाला स्थापित की है, शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग प्रदान की है, और उभरती वित्तीय प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को निधि देते हैं. हमारी भविष्य की योजनाओं में अनुसंधान और विकास अंतर्दृष्टि के आधार पर नए वित्तीय उत्पाद लॉन्च करना, क्राउडसोर्स विचारों के लिए नवाचार चुनौतियों का आयोजन करना, और उद्योग के ज्ञान में योगदान करने के लिए शोध निष्कर्षों को प्रकाशित करना शामिल है. |
| **सामाजिक और संबंध पूंजी** | | |
| 14 | **हमारे ग्राहकों को संवहनीय भविष्य की ओर बढ़ने में सहायता करना**<br>**जीआरआई** 302, **जीआरआई** 305<br>**यूएनएसडीजी :**<br>7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY; 13 CLIMATE ACTION | संवहनीयता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, हम अपने ग्राहकों को संवहनीय वित्त और अभिनव समाधानों का उपयोग करके हरित भविष्य की ओर उनके मार्ग को आगे बढ़ाने में सहायता करने का प्रयास करते हैं. पर्यावरणीय रूप से संवहनीय परियोजनाओं का समर्थन करने वाले वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करके, हम अपने ग्राहकों को संवहनीयता की ओर बढ़ने में मदद करते हैं. |
| 15 | **संवहनीय बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना**<br>**जीआरआई** 302, **जीआरआई** 305<br>**यूएनएसडीजी :**<br>7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY; 13 CLIMATE ACTION | संवहनीय संचालन और जलवायु-अनुकूल वित्तपोषण के लिए प्रतिबद्धता. हमने क्रिसिल द्वारा मान्य एक संवहनीय वित्तपोषण ढांचा विकसित किया है, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन किया है, छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं और जल संरक्षण उपायों को बढ़ावा दिया है. हमारी भविष्य की योजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाना और वैश्विक मानकों के अनुरूप संवहनीयता रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण प्रथाओं को बढ़ाना शामिल है. |
| **प्राकृतिक पूंजी** | | |
| 16 | **संवहनीयता को बढ़ावा देना**<br>**जीआरआई** 302, **जीआरआई** 305<br>**यूएनएसडीजी :**<br>7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY; 13 CLIMATE ACTION | हम अपने परिचालनों में संवहनीयता को शामिल करने और हितधारकों के बीच इसका प्रचार करने के लिए समर्पित हैं. अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और बाह्य तौर पर संवहनीय प्रथाओं को बढ़ावा देने के माध्यम से, हमारा लक्ष्य एक अनुकूल वातावरण में सहयोग करना है |

# हितधारकों की अंतर्दृष्टि और प्राथमिकताएँ

> यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सक्रिय रूप से जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है,जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹ 23,059 करोड़ मंजूर किए गए हैं,जिसमें सौर,पवन और अन्य नवीकरणीय स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया गया है,ताकिउज्ज्वलभविष्य के लिए हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया जा सके.

वित्तीय वर्ष 2023 के बाद, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मई 2024 में एक और व्यापक भौतिकता विश्लेषण सर्वेक्षण आयोजित किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसके हितधारक क्या सोचते हैं, और इसकी कार्यनीतिक प्राथमिकताओं का मार्गदर्शन किया जा सके. इस विश्लेषण ने बैंक के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव पर एक व्यापक आंतरिक और बाहरी परिप्रेक्ष्य पेश किया. सर्वेक्षण ने हितधारकों और संगठन के सतत विकास से संबंधित प्रमुख मुद्दों की पहचान करके हितधारकों की जरूरतों के साथ कारोबारी उद्देश्यों को संतुलित करने के महत्व पर प्रकाश डाला. बैंक ने अपने पहले औपचारिक भौतिकता मूल्यांकन का संचालन करने हेतु एक तृतीय पक्ष सलाहकार को नियुक्त किया, जिसमें आंतरिक नेतृत्व करता , विषय वस्तु विशेषज्ञ और बाहरी हितधारक जैसे ग्राहक, कर्मचारी, निवेशक, सरकार, मीडिया, गैर सरकारी संगठन और वित्तीय सहकर्मी शामिल थे. इस अभ्यास के परिणाम और निष्कर्ष जिम्मेदार, समावेशी विकास के लिए यूबीआई की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं, अधिक विवरण चाहने वाले पाठकों हेतु संदर्भ के साथ जिनकी यहाँ संक्षेप में चर्चा की गई है.

**सर्वेक्षण में शामिल मुद्दों पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:**

- अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे
- काफी महत्वपूर्ण मुद्दे
- कुछ हद तक महत्वपूर्ण मुद्दे

## अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे (उच्च)

| क्र. | शीर्षक | यूबीआई की प्रतिक्रिया | आंतरिक हितधारक | बाहरी हितधारक | जीआरआई संरेखण | यूएनएसडीजी संरेखण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **आयाम – पर्यावरण:** जलवायु परिवर्तन | यूबीआई अपने परिचालन में जलवायु परिवर्तन कार्यनीतियों को शामिल करता है, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है और जलवायु आघात-सहनीयता परियोजनाओं में निवेश करता है. | अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे | कुछ हद तक महत्वपूर्ण मुद्दे | जीआरआई 201 | 13 CLIMATE ACTION |
| 5 | **आयाम – पर्यावरण:** जल प्रबंधन | यूबीआई जल संरक्षण प्रथाओं को क्रियान्वित करता है तथा जल दक्षता में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी में निवेश करता है. | अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे | काफी महत्वपूर्ण मुद्दे | जीआरआई 303 | 6 CLEAN WATER AND SANITATION |
| 6 | **आयाम – पर्यावरण:** अपशिष्ट प्रबंधन | यूबीआई के पास एक मजबूत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है जो अपशिष्ट को कम करने, पुनः उपयोग करने और रिसाइक्लिंग पर केंद्रित है. | काफी महत्वपूर्ण मुद्दे | अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे | जीआरआई 306 | 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION |
| 7 | **आयाम – पर्यावरण:** हरित वित्त का प्रभाव और लाभ | यूबीआई पर्यावरणीय दृष्टि से संवहनीय परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए हरित वित्त उत्पादों को बढ़ावा देता है. | अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे | अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे | जीआरआई 305 | 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY |
| 8 | **आयाम – पर्यावरण:** नवीकरणीय ऊर्जा और बैंक की आघात-सहनीयता | यूबीआई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करती है तथा बैंकों की आघात-सहनीयता बढ़ाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को एकीकृत करती है. | अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे | काफी महत्वपूर्ण मुद्दे | जीआरआई 302 | 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY |
| 9 | **आयाम – सामाजिक पूंजी:** मानवाधिकार | यूबीआई अपने सभी कार्यों में मानवाधिकारों को कायम रखती है तथा वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने वाले प्रयासों का समर्थन करती है. | काफी महत्वपूर्ण मुद्दे | अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे | जीआरआई 406 | 10 REDUCED INEQUALITIES |
| 14 | **आयाम – सामाजिक पूंजी:** सामाजिक समावेशन में प्रभाव और अनुक्रिया | यूबीआई विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमों और समावेशी वित्तीय उत्पादों के माध्यम से सामाजिक समावेशन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है. | अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे | अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे | जीआरआई 413 | 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES |
| 18 | **आयाम – सामाजिक पूंजी:** वित्तीय समावेशन का प्रभाव | यूबीआई वंचित समुदायों को सुलभ बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है. | काफी महत्वपूर्ण मुद्दे | अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे | जीआरआई 203 | 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH |
| 20 | **आयाम – सामाजिक पूंजी:** व्यापक सीएसआर का प्रभाव और सामाजिक संरेखण | यूबीआई की सीएसआर गतिविधियां सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई हैं तथा व्यापक सकारात्मक प्रभाव पैदा करने हेतु बनाई गई हैं. | काफी महत्वपूर्ण मुद्दे | अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे | जीआरआई 201 | 10 REDUCED INEQUALITIES |

*वित्तीय वर्ष 2024 भौतिक विश्लेषण:*

| क्र. | शीर्षक | यूबीआई की प्रतिक्रिया | आंतरिक हितधारक | बाहरी हितधारक | जीआरआई संरेखण | यूएनएसडीजी संरेखण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | **आयाम – मानव पूंजी:** श्रम प्रथा और रोजगार | यूबीआई सकारात्मक कार्यस्थल वातावरण सुनिश्चित करने हेतु निष्पक्ष श्रम प्रथाओं और रोजगार मानकों का पालन करता है. | 🟦 | 🟥 | जीआरआई 401 | 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH |
| 25 | **आयाम – मानव पूंजी:** कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा | यूबीआई व्यापक नीतियों और प्रथाओं के माध्यम से अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है. | 🟥 | 🟦 | जीआरआई 403 | 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING |
| 26 | **आयाम – मानव पूंजी:** स्टाफ उत्तराधिकार नियोजन | नेतृत्व की निरंतरता और संगठनात्मक संवहनीयता सुनिश्चित करने हेतु यूबीआई के पास मजबूत कर्मचारी उत्तराधिकार नियोजन प्रक्रियाएं हैं. | 🟦 | 🟥 | जीआरआई 404 | 4 QUALITY EDUCATION |
| 30 | **आयाम – कारोबारी मॉडल और नवाचार:** कार्यनीतिक संवहनीयता संरेखण | यूबीआई दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने हेतु अपने कारोबारी मॉडल को कार्यनीतिक संवहनीयता लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है. | 🟦 | 🟥 | जीआरआई 203 | 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE |
| 33 | **आयाम – कारोबारी मॉडल और नवाचार:** फिनटेक और प्रतिस्पर्धात्मकता | यूबीआई प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और ग्राहक सेवाओं में सुधार हेतु फिनटेक समाधानों का लाभ उठाती है. | 🟥 | 🟦 | जीआरआई 201 | 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH |
| 36 | **आयाम – नेतृत्व और अभिशासन:** नैतिकता और एएमएल का बाजार प्रभाव | अपराधों और बाजार दुरुपयोग को रोकने हेतु कठोर धन शोधन विरोधी नीतियों को लागू करता है . | 🟥 | 🟦 | जीआरआई 205 | 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS |
| 39 | **आयाम – नेतृत्व और अभिशासन:** प्रतिष्ठा, सम्प्रेषण और जागरूकता | यूबीआई पारदर्शी सम्प्रेषण और जागरूकता पहल के माध्यम से एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाए रखता है. | 🟥 | 🟦 | जीआरआई 205 | 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS |
| 42 | **आयाम – अर्थव्यवस्था:** आर्थिक/वित्तीय संकट | यूबीआई मजबूत आकस्मिक योजनाओं और जोखिम प्रबंधन कार्यनीतियों के साथ आर्थिक और वित्तीय संकटों के लिए तैयारी करता है. | 🟥 | 🟦 | जीआरआई 201 | 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH |
| 43 | **आयाम – अर्थव्यवस्था:** स्थानीय समुदायों पर जिम्मेदार ऋण प्रथाओं का प्रभाव | यूबीआई जिम्मेदार ऋण प्रथाओं को सुनिश्चित करता है जो स्थानीय समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और संवहनीय विकास को बढ़ावा देते हैं. | 🟥 | 🟥 | जीआरआई 201 | 1 NO POVERTY |

## अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों का अवलोकन (उच्च)

1

### आयाम – पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) ने जलवायु जोखिम प्रबंधन को अपनी मुख्य कारोबारी कार्यनीतियों में शामिल करके जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई की है. एक व्यापक ईएसजी जोखिम प्रबंधन ढाँचा स्थापित करके, यूबीआई जलवायु से संबंधित जोखिमों की पहचान, आकलन और प्रबंधन करता है, जिससे भौतिक और परिवर्तन दोनों जोखिमों के विरुद्ध आघात-सहनीयता सुनिश्चित होती है. बैंक के सक्रिय उपायों में उच्च-उत्सर्जन क्षेत्रों की निगरानी, हरित परियोजनाओं को ऋण देना और जलवायु क्षमता निर्माण में निवेश करना शामिल है. उदाहरण के लिए, यूबीआई ने कई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है, जो भारत के कम कार्बन अर्थव्यवस्था के परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देता है. यह दृष्टिकोण जलवायु जोखिमों को कम करता है और स्थायी वित्त की बढ़ती मांग द्वारा प्रस्तुत अवसरों का लाभ उठाता है. जलवायु कार्रवाई हेतु यूबीआई की प्रतिबद्धता पेरिस समझौते जैसे वैश्विक मानकों के अनुरूप है, जो इसे वित्तीय क्षेत्र के भीतर संवहनीयता में अग्रणी के रूप में स्थापित करती है.

*अधिक जानकारी: इस रिपोर्ट के नैसर्गिक पूंजी अध्याय में पृष्ठ 126 पर इस आयाम के बारे में अधिक पढ़ें.*

**जीआरआई संरेखण:** 305, 102
**यूएनएसडीजी संरेखण:** 13, 9
**कार्यनीतिक स्तंभ:** **15**. संवहनीय बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना

---

5

## आयाम – पर्यावरण: जल प्रबंधन

यूबीआई ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने हेतु मजबूत जल प्रबंधन कार्यनीतियों को लागू किया है. अपने परिचालन में उन्नत जल संरक्षण तकनीकों को एकीकृत करके और कुशल जल उपयोग को बढ़ावा देकर, यूबीआई का लक्ष्य अपने वॉटर फुटप्रिंट को काफी कम करना है. बैंक ने उन परियोजनाओं हेतु वित्तपोषण समाधान पेश किए हैं जो जल अवसंरचना में सुधार करते हैं और अपने ग्राहकों के बीच संवहनीय जल उपयोग को बढ़ावा देते हैं. इन प्रयासों में उन पहलों का समर्थन करना शामिल है जो विशेष रूप से कम सेवा वाले क्षेत्रों में स्वच्छ जल और स्वच्छता तक पहुँच सुनिश्चित करते हैं. जल प्रबंधन हेतु यूबीआई का समर्पण इस महत्वपूर्ण संसाधन की सुरक्षा करता है और व्यापक पर्यावरणीय और सामाजिक लक्ष्यों का समर्थन करता है, जिससे जल पर निर्भर समुदायों और उद्योगों के लिए संवहनीय विकास सुनिश्चित होता है.

***अधिक जानकारी:** इस रिपोर्ट के नैसर्गिक पूंजी अध्याय में पृष्ठ 126 पर इस आयाम के बारे में अधिक पढ़ें.*

**जीआरआई संरेखण:** 303, 306
**यूएनएसडीजी संरेखण:** 6, 12
**कार्यनीतिक स्तंभ:** 15. संवहनीय बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना

---

6

## आयाम – पर्यावरण: अपशिष्ट प्रबंधन

यूबीआई अपशिष्ट को शून्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें अपशिष्ट के पुनः उपयोग, पुनः प्रयोजन और पुनर्चक्रण पर जोर दिया गया है. पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) को लागू करते हुए, यूबीआई सुनिश्चित करता है कि उसके अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएं पर्यावरणीय को कम से कम प्रभावित करें. यह प्रणाली प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक और खतरनाक वस्तुओं सहित विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट को कवर करती है. बैंक सक्रिय रूप से अपशिष्ट उत्पादन को कम करने, पुनर्चक्रण कार्यक्रमों को बढ़ाने और हितधारकों को स्थायी अपशिष्ट प्रथाओं में शामिल करने के लिए काम करता है. अपशिष्ट प्रबंधन में यूबीआई के प्रयास पर्यावरणीय जिम्मेदारी और सतत विकास के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

***अधिक जानकारी:** इस रिपोर्ट के नैसर्गिक पूंजी अध्याय में पृष्ठ 126 पर इस आयाम के बारे में अधिक पढ़ें.*

**जीआरआई संरेखण:** 306, 301
**यूएनएसडीजी संरेखण:** 12, 15
**कार्यनीतिक स्तंभ:** 15. संवहनीय बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना

---

7

## आयाम – पर्यावरण: हरित वित्त का प्रभाव और लाभ

यूबीआई ने संवहनीय विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए कार्यनीतिक रूप से हरित वित्त पर ध्यान केंद्रित किया है. बैंक ने यूनियन ग्रीन होम लोन और यूनियन ग्रीन कंपनी जमाराशियां जैसे समर्पित हरित ऋण उत्पाद विकसित किए हैं, जो अपने ग्राहकों के बीच पर्यावरण की दृष्टि से संवहनीय प्रथाओं का समर्थन करते हैं. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों और संवहनीय बुनियादी ढांचे को वित्तपोषित करके, यूबीआई कम कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को बढ़ावा देता है. बैंक की हरित वित्त पहल इसकी प्रतिस्पर्धात्मक तीव्रता को बढ़ाती है और पर्यावरण संरक्षण और जलवायु कार्रवाई में महत्वपूर्ण योगदान देती है.

***अधिक जानकारी:** इस रिपोर्ट के नैसर्गिक पूंजी अध्याय में पृष्ठ 126 पर इस आयाम के बारे में अधिक पढ़ें.*

**जीआरआई संरेखण:** 201, 302, 305
**यूएनएसडीजी संरेखण:** 7, 13
**कार्यनीतिक स्तंभ:** 15. संवहनीय बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना

8

### आयाम – पर्यावरण: नवीकरणीय ऊर्जा और बैंक की आघात-सहनीयता

यूबीआई ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में काफी निवेश किया है, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देता है. बैंक ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण हेतु ₹23,059 करोड़ मंजूर किए हैं, जो सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास का समर्थन करते हैं. ये निवेश जलवायु जोखिमों के विरुद्ध यूबीआई के आघात-सहनीयता को बढ़ाते हैं और संवहनीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं. नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता देकर, यूबीआई अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है और बैंकिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय जिम्मेदारी हेतू एक बेंचमार्क स्थापित करता है.

***अधिक जानकारी:*** *इस रिपोर्ट के पेज 126 पर नैसर्गिक पूंजी अध्याय में इस आयाम के बारे में और पढ़ें.*

**जीआरआई संरेखण:** 302, 305
**यूएनएसडीजी संरेखण:** 7, 13
**कार्यनीतिक स्तंभ:** 16. संवहनीयता को बढ़ावा देना

9

### आयाम – सामाजिक पूंजी: मानवाधिकार

यूबीआई अपने परिचालन और मूल्य श्रृंखला में मानवाधिकारों को बनाए रखने हेतु समर्पित है. बैंक की ईएसजी नीतियाँ यह सुनिश्चित करती हैं कि सभी कारोबारी गतिविधियाँ श्रम अधिकारों, गैर-भेदभाव और निष्पक्ष व्यवहार सहित मानवाधिकारों का सम्मान और प्रचार करें. यूबीआई ने मानवाधिकार प्रथाओं की देखरेख हेतु एक मजबूत अभिशासन संरचना लागू की है, इन सिद्धांतों को अपनी कॉर्पोरेट कार्यनीति और परिचालन प्रक्रियाओं में एकीकृत किया है. यूबीआई सम्मान और समानता की संस्कृति को बढ़ावा देकर एक अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज में योगदान देता है.

***अधिक जानकारी:*** *इस रिपोर्ट के संबंध और सामाजिक पूंजी अध्याय में पृष्ठ 148 पर इस आयाम के बारे में अधिक पढ़ें.*

**जीआरआई संरेखण:** 412, 405
**यूएनएसडीजी संरेखण:** 8, 10
**कार्यनीतिक स्तंभ:** 14. एक संवहनीय भविष्य की ओर परिवर्तन में हमारे ग्राहकों को सहायता करना

14

### आयाम – सामाजिक पूंजी: सामाजिक समावेशन में प्रभाव और प्रतिक्रिया

यूबीआई विभिन्न समुदाय-केंद्रित पहलों के माध्यम से सामाजिक समावेशन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है. बैंक उन परियोजनाओं का समर्थन करता है जो वंचित समुदायों हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक पहुँच में सुधार करती हैं. समावेशी विकास को बढ़ावा देकर, यूबीआई सामाजिक अंतर को कम करने में मदद करता है और विविध आबादी के कल्याण को बढ़ाता है. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यशालाएँ और छोटे व्यवसायों हेतु समर्थन जैसी पहल सामाजिक समावेशन और सामुदायिक विकास के लिए यूबीआई की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं.

***अधिक जानकारी:*** *इस रिपोर्ट के संबंध और सामाजिक पूंजी अध्याय में पृष्ठ 148 पर इस आयाम के बारे में अधिक पढ़ें.*

**जीआरआई संरेखण:** 413, 203
**यूएनएसडीजी संरेखण:** 1, 10
**कार्यनीतिक स्तंभ:** 14. एक संवहनीय भविष्य की ओर परिवर्तन में हमारे ग्राहकों को सहायता करना

18

### आयाम – सामाजिक पूंजी: वित्तीय समावेशन का प्रभाव

यूबीआई अनर्ह और बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को सुलभ बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध है. बैंक की पहलों में माइक्रोफाइनेंस, डिजिटल बैंकिंग समाधान और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रदान करना शामिल है. ये प्रयास व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देते हैं. वित्तीय समावेशन पर यूबीआई का ध्यान यह सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी वर्ग आर्थिक विकास में भाग ले सकें और उसका लाभ उठा सकें.

***अधिक जानकारी:*** *इस रिपोर्ट के संबंध और सामाजिक पूंजी अध्याय में पृष्ठ 148 पर इस आयाम के बारे में अधिक पढ़ें.*

**जीआरआई संरेखण:** 203, 417
**यूएनएसडीजी संरेखण:** 1, 8
**कार्यनीतिक स्तंभ:** 14. एक संवहनीय भविष्य की ओर परिवर्तन में हमारे ग्राहकों को सहायता करना

20

**आयाम – सामाजिक पूंजी: व्यापक सीएसआर प्रभाव और सामाजिक संरेखण**

यूबीआई की व्यापक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) कार्यनीति लक्षित शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरणीय संवहनीयता और सामुदायिक विकास पहलों के माध्यम से महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों का समाधान करती है. बैंक की सीएसआर परियोजनाएं समाज पर स्थायी सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जो व्यावसायिक उद्देश्यों को व्यापक सामाजिक लक्ष्यों के साथ जोड़ती हैं, यूबीआई इन क्षेत्रों में निवेश करके एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक और सामाजिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता है.

***अधिक जानकारी:*** *इस रिपोर्ट के संबंध और सामाजिक पूंजी अध्याय में पृष्ठ 148 पर इस आयाम के बारे में अधिक पढ़ें.*

**जीआरआई संरेखण:** 413, 201
**यूएनएसडीजी संरेखण:** 3, 4
**कार्यनीतिक स्तंभ:** 14. एक संवहनीय भविष्य की ओर परिवर्तन में हमारे ग्राहकों को सहायता करना

23

**आयाम – मानव पूंजी: श्रम प्रथाएँ और रोजगार**

यूबीआई अपने परिचालन में निष्पक्ष श्रम प्रथाओं और रोजगार मानकों को सुनिश्चित करता है. बैंक सभी कर्मचारियों के लिए विविधता, समान अवसर और सुरक्षित कार्य स्थितियों को बढ़ावा देता है. यूबीआई एक सहायक और समावेशी कार्यस्थल को बढ़ावा देकर कर्मचारी संतुष्टि और उत्पादकता को बढ़ाता है, जो इसकी समग्र सफलता में योगदान देता है. यूबीआई की नीतियों को उच्चतम श्रम अधिकार मानकों के अनुपालन में डिज़ाइन किया गया है, जो एक निष्पक्ष और सम्मानजनक कार्य परिवेश सुनिश्चित करता है.

***अधिक जानकारी:*** *इस रिपोर्ट में मानव पूंजी अध्याय के पृष्ठ 160 पर इस आयाम के बारे में अधिक पढ़ें.*

**जीआरआई संरेखण:**401, 404
**यूएनएसडीजी संरेखण:** 8, 10
**कार्यनीतिक स्तंभ:** 10. एक गतिशील और प्रतिबद्ध टीम को पोषित करना

25

**आयाम – मानव पूंजी: कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा**

यूबीआई व्यापक कार्यस्थल पर सुरक्षा कार्यक्रमों और स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है. बैंक सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है और स्वास्थ्य एवं कल्याण की संस्कृति को बढ़ावा देता है. यूबीआई की स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियों में नियमित प्रशिक्षण, जोखिम आकलन और कल्याण कार्यक्रम शामिल हैं, जो एक सुरक्षित और समर्थक कार्य परिवेश तैयार करते हैं.

***अधिक जानकारी:*** *इस रिपोर्ट में मानव पूंजी अध्याय के पृष्ठ 160 पर इस आयाम के बारे में अधिक पढ़ें.*

**जीआरआई संरेखण:**403, 401
**यूएनएसडीजी संरेखण:** 8, 10
**कार्यनीतिक स्तंभ:** 10. एक गतिशील और प्रतिबद्ध टीम को पोषित करना

26

**आयाम – मानव पूंजी: स्टाफ उत्तराधिकार नियोजन**

यूबीआई ने कारोबार की निरंतरता और नेतृत्व विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्टाफ उत्तराधिकार नियोजन को प्रभावी रूप से लागू की है. बैंक लक्षित प्रशिक्षण और कैरियर विकास कार्यक्रमों के माध्यम से संभावित नेतृत्वकर्ताओं की पहचान करता है और उनका पोषण करता है. यूबीआई के दीर्घकालिक कार्यनीतिक लक्ष्यों के समर्थन में यह सक्रिय दृष्टिकोण कुशल और आघात सहनीयता नेतृत्वकर्ताओं की एक पाइपलाइन का निर्माण करता है. महिला नेतृत्व के लिए एकम परियोजना और विंग्स कार्यक्रम जैसी पहल मानव पूंजी विकसित करने के लिए यूबीआई की प्रतिबद्धता का उदाहरण हैं.

*अधिक जानकारी: इस रिपोर्ट के मानव पूंजी अध्याय में पृष्ठ 160 पर इस आयाम के बारे में अधिक पढ़ें.*

**जीआरआई संरेखण:**404, 401
**यूएनएसडीजी संरेखण:** 8, 4
**कार्यनीतिक स्तंभ:** 10. एक गतिशील और प्रतिबद्ध टीम को पोषित करना

30

### आयाम – कारोबारी मॉडल और नवाचार: कार्यनीतिक स्थिरता संरेखण

यूबीआई का कारोबारी मॉडल कार्यनीतिक रूप से स्थिरता सिद्धांतों के साथ संरेखित है. बैंक अपने कोर परिचालन में ईएसजी विचारों को एकीकृत करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी कारोबारी गतिविधियाँ सतत विकास में योगदान दें. यह संरेखण यूबीआई की प्रतिस्पर्धात्मक तीव्रता को बढ़ाता है और जिम्मेदार बैंकिंग प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है. यूबीआई का संवहनीय कारोबारी मॉडल दीर्घकालिक विकास और आघात सहनीयता का समर्थन करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बैंक का परिचालन, पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदार हैं.

*अधिक जानकारी: इस रिपोर्ट के "कार्यनीतिक रूपरेखा: यूनियन बैंक का कारोबारी मॉडल कैनवास" अध्याय में इस आयाम के बारे में पृष्ठ 56 पर और पढ़ें.*

**जीआरआई संरेखण:** 201, 203
**यूएनएसडीजी संरेखण:** 9, 12
**कार्यनीतिक स्तंभ:** 15. संवहनीय बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना

33

### आयाम – कारोबारी मॉडल और नवाचार: फिनटेक और प्रतिस्पर्धात्मकता

बैंकिंग क्षेत्र में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए यूबीआई फिनटेक नवाचारों का लाभ उठाता है. उन्नत प्रोद्यौगिकी और डिजिटल समाधानों को अपनाकर, बैंक ग्राहक अनुभव, परिचालन दक्षता और वित्तीय समावेशन में सुधार करता है. यूबीआई की फिनटेक पहल, जैसे डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफ़ॉर्म और एआई-संचालित ग्राहक सेवा उपकरण, इसे अपने ग्राहकों की उभरती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार एक अग्रगामी विचारधारा वाली संस्था के रूप में स्थापित करते हैं.

***अधिक जानकारी:** इस रिपोर्ट के अध्याय "कार्यनीतिक रूपरेखा: यूनियन बैंक का कारोबारी मॉडल कैनवास" में पृष्ठ 56 पर इस आयाम के बारे में और पढ़ें.*

**जीआरआई संरेखण:** 203, 417
**यूएनएसडीजी संरेखण:** 9, 8
**कार्यनीतिक स्तंभ:** 12. ग्राहक-केंद्रित नवाचारों को बढ़ावा देना

36

### आयाम – नेतृत्व और अभिशासन: नैतिकता और एएमएल का बाजार प्रभाव

यूबीआई अपने परिचालन की अखंडता की रक्षा के लिए उच्च नैतिक मानकों और मजबूत धन शोधन निवारण (एएमएल) प्रथाओं का पालन करता है. बैंक का अभिशासन ढांचा विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करता है और पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है. यूबीआई की एएमएल पहलों में व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सख्त निगरानी प्रणाली और वित्तीय अपराधों को रोकने और बाजार की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए नियामक निकायों के साथ सहयोग शामिल है.

***अधिक जानकारी:** इस रिपोर्ट के अध्याय "नैतिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना: उचित व्यवहार और ग्राहक-केंद्रित विकास के लिए प्रतिबद्ध" में पृष्ठ 56 पर इस आयाम के बारे में पढ़ें.*

**जीआरआई संरेखण:** 204, 419
**यूएनएसडीजी संरेखण:** 16, 8
**कार्यनीतिक स्तंभ:** 12. ग्राहक-केंद्रित नवाचारों को बढ़ावा देना

39

### आयाम – नेतृत्व और अभिशासन: प्रतिष्ठा, संप्रेषण और जागरूकता

यूबीआई का नेतृत्व प्रभावी संप्रेषण और प्रतिष्ठा प्रबंधन को प्राथमिकता देता है. बैंक पारदर्शी और ओपेन संप्रेषण चैनलों के माध्यम से हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ता है. यूबीआई अपनी संवहनीयता से संबंधित पहलों और नैतिक प्रथाओं के विषय में जागरूकता पैदा करके अपने ब्रांड को मजबूत करता है और हितधारकों के विश्वास को बढ़ावा देता है. यूबीआई की संप्रेषण रणनीतियों में ईएसजी कार्यनिष्पादन, सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रम और सक्रिय मीडिया संबंधों पर नियमित अपडेट शामिल हैं.

*अधिक जानकारी: इस रिपोर्ट के अध्याय कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में पेज 263 पर इस आयाम के बारे में पढ़ें.*

**जीआरआई संरेखण:** 102, 417
**यूएनएसडीजी संरेखण:** 12, 16
**कार्यनीतिक स्तंभ:** 12. ग्राहक-केंद्रित नवाचारों को बढ़ावा देना

### आयाम – अर्थव्यवस्था: आर्थिक/वित्तीय संकट

42

आर्थिक और वित्तीय संकटों के दौरान, यूबीआई आघात सहनीयता और अनुकूलनशीलता प्रदर्शित करता है. बैंक का मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा परिचालन की स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करता है. यूबीआई अपने ग्राहकों को अनुकूलित वित्तीय समाधानों के माध्यम से सहायता प्रदान करता है, जिससे उन्हें चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिवेश से निपटने में मदद मिलती है. यूबीआई मजबूत पूंजी पर्याप्तता अनुपात और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रथाओं का पालन करते हुए अपने परिचालन की सुरक्षा करता है और आर्थिक स्थिरता का समर्थन करता है.

***अधिक जानकारी:*** *इस रिपोर्ट के अध्याय "कार्यनीतिक दिशाएं: विकास और संवहनीयता के लिए भविष्य का मार्गदर्शन" आयाम के बारे में पृष्ठ 32 पर और प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण के बारे में पृष्ठ 212 पर पढ़ें.*

**जीआरआई संरेखण:** 201, 202
**यूएनएसडीजी संरेखण:** 8, 9
**कार्यनीतिक स्तंभ:** 9. परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करना

### आयाम – अर्थव्यवस्था: स्थानीय समुदायों पर ऋण देने की जिम्मेदार प्रथाओं का प्रभाव

43

यूबीआई की ऋण देने की जिम्मेदार प्रथाएँ स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर स्थानीय समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं. बैंक के ऋण देने के निर्णय पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों पर विचार करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वित्तपोषित परियोजनाएँ सामुदायिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करती हैं. जिम्मेदार ऋण प्रदान करने के लिए यूबीआई का दृष्टिकोण समावेशी विकास का समर्थन करता है और आघात सहनीयता समुदायों के निर्माण में मदद करता है.

***अधिक जानकारी:*** *इस रिपोर्ट के अध्याय "कार्यनीतिक दिशाएँ: विकास और स्थिरता के लिए भविष्य में नेविगेट करना" में इस आयाम के बारे में पृष्ठ 32 पर और प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण के बारे में पृष्ठ 212 पर पढ़ें.*

**जीआरआई संरेखण:** 203, 413
**यूएनएसडीजी संरेखण:** 11, 8
**कार्यनीतिक स्तंभ:** 14. हमारे ग्राहकों को एक संवहनीय भविष्य की ओर परिवर्तन में सहायता करना

> व्यापक सीएसआर कार्यक्रमों के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देकर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वंचित आबादी के लिए सामाजिक अंतर को खत्म करता है, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों, कौशल विकास कार्यशालाओं और छोटे व्यवसायों हेतु समर्थन जैसी पहलों के माध्यम से सामाजिक समावेशन और सामुदायिक विकास पर ठोस प्रभाव डालता है.

## काफी महत्वपूर्ण और कुछ हद तक महत्वपूर्ण मुद्दे (मध्यम और निम्न)

| | |
|---|---|
| ■ (लाल) | अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे |
| ■ (गहरा नीला) | काफी महत्वपूर्ण मुद्दे |
| ■ (हल्का नीला) | कुछ हद तक महत्वपूर्ण मुद्दे |

| क्र. | शीर्षक | यूबीआई की प्रतिक्रिया | आंतरिक हितधारक | बाहरी हितधारक | जीआरआई संरेखण | यूएनएसडीजी संरेखण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **आयाम – पर्यावरण:** बैंकिंग निर्णयों में जलवायु जोखिम | यूबीआई दीर्घकालिक संवहनीयता और जोखिम न्यूनीकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी बैंकिंग निर्णयों में जलवायु जोखिम आकलन को शामिल करता है. | ■ (गहरा नीला) | ■ (हल्का नीला) | जीआरआई 201 | 13 CLIMATE ACTION |
| 3 | **आयाम – पर्यावरण:** सामाजिक-पर्यावरणीय गतिशीलता पर प्रभाव | यूबीआई हितधारकों के साथ सहभागिता और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक-पर्यावरणीय गतिशीलता को सक्रिय रूप से समझता है और प्रभावित करता है. | ■ (गहरा नीला) | ■ (गहरा नीला) | जीआरआई 201 | 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES |
| 4 | **आयाम – पर्यावरण:** ऊर्जा प्रबंधन | यूबीआई अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक ऊर्जा प्रबंधन प्रथाओं को कार्यान्वित करता है. | ■ (गहरा नीला) | ■ (गहरा नीला) | जीआरआई 302 | 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY |
| 8 | **आयाम – पर्यावरण:** नवीकरणीय ऊर्जा और बैंक की आघात सहनीयता | यूबीआई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करता है तथा बैंक की आघात सहनीयता बढ़ाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को एकीकृत करती है. | ■ (हल्का नीला) | ■ (गहरा नीला) | जीआरआई 302 | 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY |
| 10 | **आयाम – सामाजिक पूंजी:** ग्राहक गोपनीयता और डेटा सुरक्षा | यूबीआई ग्राहक गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देता है तथा ग्राहक जानकारी की सुरक्षा के लिए कड़े उपाय लागू करता है. | ■ (गहरा नीला) | ■ (गहरा नीला) | जीआरआई 418 | 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS |
| 11 | **आयाम – सामाजिक पूंजी:** ग्राहक कल्याण | यूबीआई उचित व्यवहार और उत्तरदायी ग्राहक सेवा के माध्यम से ग्राहक कल्याण सुनिश्चित करता है. | ■ (हल्का नीला) | ■ (गहरा नीला) | जीआरआई 201 | 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING |
| 12 | **आयाम – सामाजिक पूंजी:** धर्मार्थ दान और सीएसआर का सामुदायिक प्रभाव | यूबीआई समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए धर्मार्थ दान और सीएसआर गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है. | ■ (गहरा नीला) | ■ (गहरा नीला) | जीआरआई 413 | 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES |
| 13 | **आयाम – सामाजिक पूंजी:** सामाजिक विकास और सामुदायिक भागीदारी | यूबीआई समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक विकास पहलों और सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रमों का समर्थन करता है. | ■ (हल्का नीला) | ■ (गहरा नीला) | जीआरआई 413 | 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES |
| 15 | **आयाम – सामाजिक पूंजी:** वित्तीय उत्पादों के प्रभाव का आकलन | यूबीआई नियमित रूप से अपने वित्तीय उत्पादों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संवहनीयता लक्ष्यों में सकारात्मक योगदान देते हैं. | ■ (गहरा नीला) | ■ (गहरा नीला) | जीआरआई 203 | 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH |

| क्र. | शीर्षक | यूबीआई की प्रतिक्रिया | आंतरिक हितधारक | बाहरी हितधारक | जीआरआई संरेखण | यूएनएसडीजी संरेखण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | **आयाम – सामाजिक पूंजी:** संवहनीयता लक्ष्यों पर बैंक उत्पादों का प्रभाव | यूबीआई पर्यावरणीय और सामाजिक संवहनीयता को समर्थन देने के लिए अपने बैंकिंग उत्पादों को संवहनीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है. | ▣ | ▣ | जीआरआई 203 | 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH |
| 17 | **आयाम – सामाजिक पूंजी:** वित्तीय साक्षरता प्रभाव | यूबीआई ग्राहकों और समुदायों को वित्तीय ज्ञान से सशक्त बनाने के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करता है. | ▣ | ▣ | जीआरआई 203 | 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH |
| 19 | **आयाम – सामाजिक पूंजी:** समान पहुंच और बैंक प्रभाव | यूबीआई बैंकिंग सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय असमानताओं को कम करना है. | ▣ | ▣ | जीआरआई 203 | 10 REDUCED INEQUALITIES |
| 21 | **आयाम – सामाजिक पूंजी:** समुदायों और कारोबार संवहनीयता का समर्थन करना | यूबीआई कार्यनीतिक साझेदारी और निवेश के माध्यम से सामुदायिक पहल और कारोबार संवहनीयता का समर्थन करता है. | ▣ | ▣ | जीआरआई 413 | 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES |
| 22 | **आयाम – सामाजिक पूंजी:** संवहनीय प्रभाव के लिए बैंक की साझेदारियां और सहयोग | यूबीआई संयुक्त पहल के माध्यम से संवहनीय प्रभाव प्राप्त करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग करता है. | ▣ | ▣ | जीआरआई 413 | 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS |
| 24 | **आयाम – मानव पूंजी:** प्रशिक्षण और कौशल विकास | यूबीआई कर्मचारियों के व्यावसायिक विकास को बढ़ाने के लिए उनके प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करता है. | ▣ | ▣ | जीआरआई 404 | 4 QUALITY EDUCATION |
| 27 | **आयाम – मानव पूंजी:** बैंक परिचालन में विविधता और समावेशन की प्रभावशीलता | यूबीआई एक संतुलित और समावेशी कार्यस्थल बनाने के लिए अपने परिचालन में विविधता और समावेशन को बढ़ावा देता है. | ▣ | ▣ | जीआरआई 405 | 5 GENDER EQUALITY |
| 28 | **आयाम – कारोबारी मॉडल और नवाचार:** पूंजी और ग्राहकों तक पहुंच | यूबीआई विविध ग्राहकों के लिए पूंजी और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाता है. | ▣ | ▣ | जीआरआई 203 | 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE |
| 29 | **आयाम – कारोबारी मॉडल और नवाचार:** संवहनीय प्रौद्योगिकियों में निवेश | यूबीआई नवाचार को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय संवहनीयता का समर्थन करने के लिए संवहनीय प्रौद्योगिकियों में निवेश करता है. | ▣ | ▣ | जीआरआई 203 | 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE |
| 31 | **आयाम – कारोबारी मॉडल और नवाचार:** संवहनीय सामग्री सोर्सिंग और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता | यूबीआई पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए संवहनीय सामग्री स्रोत और कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रथाओं को सुनिश्चित करता है. | ▣ | ▣ | जीआरआई 301 | 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION |
| 32 | **आयाम – कारोबारी मॉडल और नवाचार:** आपूर्तिकर्ता प्रभाव आकलन | यूबीआई अपने आपूर्तिकर्ताओं का गहन मूल्यांकन करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संवहनीयता मानकों को पूरा करते हैं. | ▣ | ▣ | जीआरआई 414 | 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION |
| 34 | **आयाम – नेतृत्व और अभिशासन:** कारोबारी नैतिकता, अखंडता और पारदर्शिता का हितधारक विश्वास पर प्रभाव | यूबीआई हितधारकों का विश्वास बनाने के लिए उच्च कारोबारी नैतिकता, अखंडता और पारदर्शिता मानकों का पालन करता है. | ▣ | ▣ | जीआरआई 205 | 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS |

*वित्तीय वर्ष 2024 भौतिक विश्लेषण:*

| क्र. | शीर्षक | यूबीआई की प्रतिक्रिया | आंतरिक हितधारक | बाहरी हितधारक | जीआरआई संरेखण | यूएनएसडीजी संरेखण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | **आयाम – नेतृत्व और अभिशासन:** जोखिम प्रबंधन और अनुपालन | यूबीआई के पास विनियामक अनुपालन और परिचालन संवहनीयता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत जोखिम प्रबंधन और अनुपालन ढांचा है. | ■ | ■ | जीआरआई 205 | 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS |
| 37 | **आयाम – नेतृत्व और अभिशासन:** प्रतिस्पर्धी व्यवहार | यूबीआई बाजार के विकास को बढ़ावा देने के लिए कानूनी और नैतिक सीमाओं के भीतर प्रतिस्पर्धी व्यवहार को बढ़ावा देता है. | ■ | ■ | जीआरआई 201 | 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH |
| 38 | **आयाम – नेतृत्व और अभिशासन:** हितधारकों की शिकायतों का निवारण | यूबीआई के पास हितधारकों की चिंताओं के त्वरित समाधान हेतु प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है. | ■ | ■ | जीआरआई 201 | 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS |
| 40 | **आयाम – अर्थव्यवस्था:** वैश्विक आर्थिक बदलावों के अनुकूल होना | यूबीआई बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति सक्रिय और संवेदनशील रहकर वैश्विक आर्थिक बदलावों के अनुकूल खुद को ढाल लेता है. | ■ | ■ | जीआरआई 201 | 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH |
| 41 | **आयाम – अर्थव्यवस्था:** आर्थिक स्थिरता और विकास में भूमिका | यूबीआई कार्यनीतिक निवेश और जिम्मेदार ऋण प्रथाओं के माध्यम से आर्थिक स्थिरता और विकास में योगदान देता है. | ■ | ■ | जीआरआई 201 | 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH |
| 44 | **आयाम – अर्थव्यवस्था:** बैंक की वृद्धि पर समुदायों का प्रभाव | यूबीआई अपने विकास पर समुदायों के प्रभाव को पहचानता है और सामुदायिक विकास पहलों में जुड़ा हुआ है. | ■ | ■ | | |

"

यूनियन ग्रीन होम लोन जैसी कार्यनीतिक हरित वित्त पहलों के माध्यम से, यूबीआई अपने ग्राहकों के बीच पर्यावरणीय रूप से संवहनीय प्रथाओं का समर्थन करते हुए अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बढ़ा रही है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है.

## आगे पढ़ने के लिए मार्गदर्शिका

इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर यूनियन बैंक की प्रतिक्रिया के विषय में अधिक जानकारी हेतु, प्रत्येक आयाम से संबंधित निम्नलिखित अध्यायों को देखें.

| आयाम | और पढ़ें |
|---|---|
| **आयाम पर्यावरण** | इस रिपोर्ट के *पृष्ठ 126* प्राकृतिक पूंजी अध्याय में इस आयाम के बारे में अधिक जानकारी के लिए पढ़ें. |
| **आयाम – सामाजिक पूंजी** | इस रिपोर्ट के *पृष्ठ 148* पर संबंध और सामाजिक पूंजी अध्याय में इस आयाम के बारे में अधिक पढ़ें. |
| **आयाम – मानव पूंजी** | इस रिपोर्ट के *पृष्ठ 160* पर मानव पूंजी अध्याय में इस आयाम के बारे में अधिक जानकारी के लिए को पढ़ें. |
| **आयाम – कारोबारी मॉडल और नवाचार** | इस रिपोर्ट के *पृष्ठ 56* पर "कार्यनीतिक रूपरेखा: यूनियन बैंक का कारोबारी मॉडल कैनवास" अध्याय में इस आयाम के बारे में अधिक जानकारी के लिए पढ़ें. |
| **आयाम – नेतृत्व और अभिशासन** | इस रिपोर्ट के *पृष्ठ 255* पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में इस आयाम के बारे में अधिक जानकारी के लिए पढ़ें. |
| **आयाम अर्थव्यवस्था** | इस रिपोर्ट में<br><br>इस आयाम के बारे में अधिक जानकारी के लिए अध्याय "कार्यनीतिक दिशाएं: विकास और संवहनीयता के लिए भविष्य का मार्गदर्शक" को पढ़ें, जो *पृष्ठ 32* पर है; तथा प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण *पृष्ठ 212* पर है. |

# यूनियन बैंक का कारोबारी मॉडल कैनवास

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, हम अपने वाणिज्यिक उद्देश्यों को सामाजिक और संवहनीय आकांक्षाओं सहित बखूबी संतुलित करते हैं. अलेक्जेंडर ओस्टरवाल्डर और यवेस पिग्नूर द्वारा विकसित मानक कारोबारी मॉडल कैनवास का उपयोग करके हमारे कारोबारी मॉडल की एक झलक यहाँ प्रस्तुत की गई है. एक सक्रिय बैंक के रूप में, यह ढांचा गतिशील है और लगातार विनियामक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों को स्वीकार करता है.

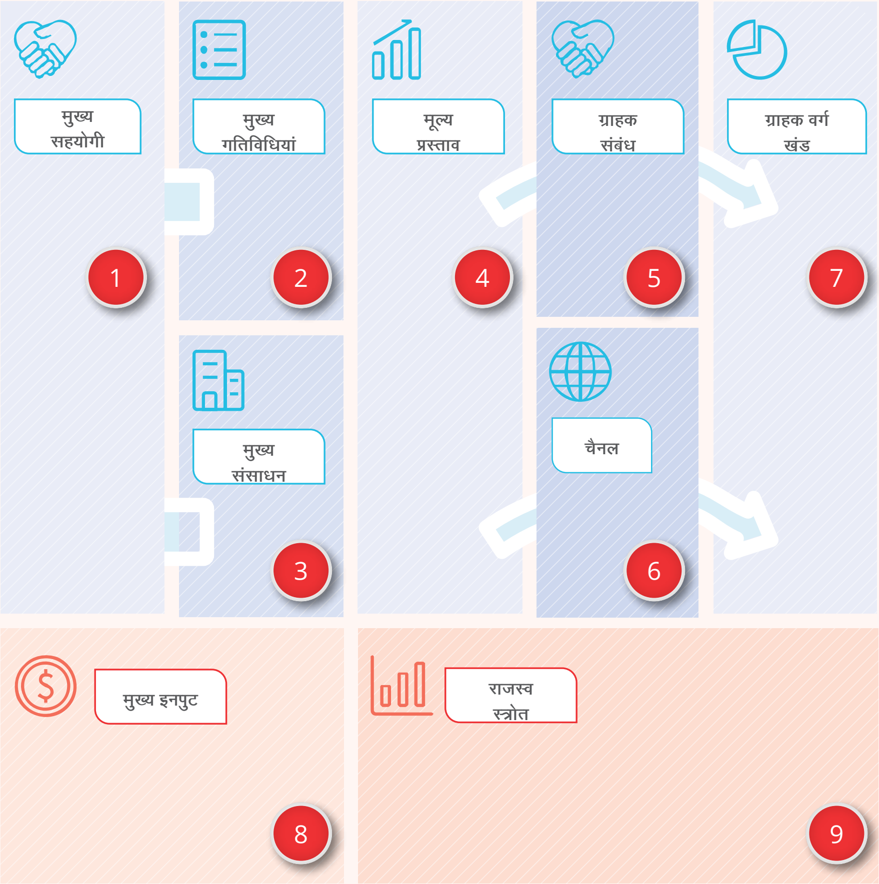


> यूबीआई में, हम अपने वाणिज्यिक उद्देश्यों को सामाजिक और संवहनीय आकांक्षाओं के साथ संतुलित करते हैं, नवाचार और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कार्यनीतिक साझेदारी का लाभ उठाते हैं.

हमारा कारोबारी मॉडल भारत सरकार और बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) सहित अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ कार्यनीतिक साझेदारी की नींव पर निर्मित है. हम विभिन्न क्षेत्रों से जमा स्वीकार करने और ऋण प्रदान करने जैसी प्रमुख गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें हरित वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन और डिजिटल नवाचार पर ज़ोर दिया जाता है. हमारे संसाधनों में जमा और निवेश जैसी वित्तीय संपत्तियाँ, एक कुशल कार्यबल और शाखाओं और एटीएम का एक व्यापक नेटवर्क शामिल हैं. हमारा मूल्य प्रस्ताव हमारी व्यापक भौतिक और डिजिटल उपस्थिति में निहित है, जो ग्राहकों की एक विस्तृत शृंखला के लिए पहुँच और विश्वास सुनिश्चित करता है. हम व्यक्तिगत सहायता और डिजिटल प्लेट. फॉर्म के माध्यम से मजबूत ग्राहक संबंध बनाए रखते हैं, और हम खुदरा से लेकर कॉर्पोरेट ग्राहकों तक विभिन्न ग्राहक वर्गों की सेवा करते हैं. हम अपने परिचालन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करते हैं, विनियामक आवश्यकताओं का पालन करते हुए लागतों को नियंत्रित रखते हैं और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं. हमारी राजस्व के स्रोत विविधतापूर्ण हैं, जिनमें ब्याज आय, शुल्क, कमीशन और निवेश प्रतिलाभ शामिल हैं. यह व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि हम डिजिटल उत्कृष्टता और संवहनीयता को आगे बढ़ाने, अंततः अपने ग्राहकों को सशक्त बनाने और आर्थिक विकास में योगदान देने की अपनी कार्यनीतिक प्राथमिकताओं को पूरा करते हैं.

*इस बारे में अधिक जानकारी के लिए, पृष्ठ148 पर सामाजिक और संबंध पूंजी पर अध्याय पढ़ें.*

| कारोबारी मॉडल कैनवास नंबर | स्पष्टीकरण | जीआरआई के अनुरूप | यूएनएसडीजी के अनुरूप | यूबीआई के कार्यनीतिक स्तंभ *(पृष्ठ 40 पर कार्यनीतिक प्राथमिकताओं पर अध्याय देखें)* |
|---|---|---|---|---|
| **मुख्य सहयोगी** 1 | सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में, भारत सरकार के साथ हमारी मौलिक साझेदारी है. हम अंतर-बैंक लेनदेन और ऋण समूहन के लिए अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करते हैं. फिनटेक कंपनियों के साथ हमारा सहयोग हमें अपनी डिजिटल सेवाओं को नया बनाने और बढ़ाने में सक्षम बनाता है. इसके अतिरिक्त, हम ऋण देने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) और बैंक मित्र के नेटवर्क के साथ कार्यनीतिक साझेदारी बनाए रखते हैं. हमारी पहलों में प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए ब्लॉकचेन, एआई और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाना शामिल है. हमने दुबई, सिडनी और लंदन में शाखाओं के साथ-साथ मलेशिया में एक संयुक्त उद्यम सहित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिचालन भी स्थापित किए हैं, जिससे हमारी वैश्विक पहुँच और क्षमताओं का और विस्तार हुआ है.<br><br>*इस पर अधिक जानकारी के लिए पृष्ठ 148 पर सामाजिक एवं संबंध पूंजी पर अध्याय पढ़ें.* | जीआरआई 203 | 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE; 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS | **साझेदारी और गठबंधन को मजबूत करना** |
| **मुख्य गतिविधियां** 2 | हम अपने खुदरा ग्राहकों, कॉर्पोरेट ग्राहकों, पीएसयू ग्राहकों और सरकारी निकायों से जमा स्वीकार करते हैं. हम खुदरा, कृषि, एमएसएमई और लार्ज कॉरपोरेट सहित विविध क्षेत्रों को ऋण प्रदान करते हैं, जो वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं. डिजिटल नवाचार हमारे परिचालन का केंद्र है, जो ग्राहकों को सरल बैंकिंग पहुँच प्रदान करता है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है. इसके अतिरिक्त, हम उच्च-निवल-मूल्य वाले ग्राहकों और खुदरा निवेशकों की निवेश और धन प्रबंधन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, हमने महत्वपूर्ण खुदरा अग्रिम, कृषि ऋण और एमएसएमई के समर्थन में वृद्धि देखी, जिसने विविध वित्तीय सेवाओं और समावेशी बैंकिंग प्रथाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत किया.<br><br>*इस पर अधिक जानकारी के लिए पृष्ठ 88 पर वित्तीय पूंजी पर अध्याय पढ़ें.* | जीआरआई 201, जीआरआई 203 | 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH | **परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करन** |
| **मुख्य संसाधन** 3 | हमारे वित्तीय संसाधनों में जमा, निवेश और पूंजी भंडार शामिल हैं. विभिन्न बैंकिंग परिचालनों के प्रबंधन और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने में हमारे कुशल कार्यबल की महत्वपूर्ण भूमिका है. हम अपने भौतिक संसाधनों पर भी निर्भर हैं, जिसमें 8,464 शाखाओं (ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 58%), 8,982 एटीएम और 7 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) का व्यापक नेटवर्क शामिल है. इसके साथ ही, भारत के सबसे बड़े, सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, हमारा ब्रांड और प्रतिष्ठा अत्यंत मूल्यवान है. हम अपनी सेवा वितरण और परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीकों, जैसे कि एआई, मशीन लर्निंग और एक व्यापक आईटी अवसंरचना का लाभ उठाते हैं.<br><br>*इस पर अधिक जानकारी के लिए पृष्ठ 68 पर विनिर्मित पूंजी पर अध्याय पढ़ें.* | जीआरआई 201 | 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH | **परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करना** |

*कार्यनीतिक ढांचा:*

हमारे विविधतापूर्ण उत्पाद और सेवा पोर्टफोलियो, एक मजबूत भौतिक और डिजिटल उपस्थिति के साथ मिलकर, ग्राहकों की एक विस्तृत शृंखला के लिए पहुंच और विश्वास सुनिश्चित करते हैं, जिससे वित्तीय स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिलता है.

*इस बारे में अधिक जानकारी के लिए, पृष्ठ 100 पर बौद्धिक पूंजी पर अध्याय पढ़ें.*

| कारोबारी मॉडल कैनवास नंबर | स्पष्टीकरण | जीआरआई के अनुरूप | यूएनएसडीजी के अनुरूप | यूबीआई के कार्यनीतिक स्तंभ *(पृष्ठ 40 पर कार्यनीतिक प्राथमिकताओं पर अध्याय देखें)* |
|---|---|---|---|---|
| **मूल्य प्रस्ताव** 4 | हम अपनी व्यापक भौतिक उपस्थिति और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पहुँच प्रदान करते हैं. हम सरकार द्वारा समर्थित और विनियमित होने के कारण सुरक्षा और विश्वास की भावना प्रदान करते हैं. हमारे विविध उत्पाद और सेवा पोर्टफोलियो ग्राहकों की एक विस्तृत शृंखला को सेवा प्रदान करते हैं. अपने सामाजिक उद्देश्यों को बनाए रखते हुए, हम क्षेत्रवार ऋण, वित्तीय समावेशन पहल और संवहनीयता को प्राथमिकता देते हैं. महिलाओं, पेंशनभोगियों और युवा पेशेवरों के लिए विशेष बचत खाते जैसे हमारे नवोन्मेषी बैंकिंग समाधान हमारे ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता का उदाहरण हैं.<br><br>*इस पर अधिक जानकारी के लिए पृष्ठ 100 पर बौद्धिक पूंजी पर अध्याय पढ़ें.* | जीआरआई 203, जीआरआई 302, जीआरआई 305, जीआरआई 418 | 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY; 13 CLIMATE ACTION; 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | **ग्राहक-केंद्रित नवाचारों को बढ़ावा देना** |
| **ग्राहक संबंध** 5 | हम अपनी शाखा बैंकिंग के माध्यम से व्यक्तिगत सहायता बनाए रखते हैं. हम अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और एटीएम के माध्यम से स्व-सेवा और स्वचालित सेवाएँ प्रदान करते हैं. सामुदायिक विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारे सामाजिक आउटरीच कार्यक्रमों, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने और सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से झलकती है. हम ग्राहक सहायता बढ़ाने और निरंतर सुधार के लिए प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए सोशल मीडिया सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से अपने ग्राहकों से जुड़ते हैं.<br><br>*इस पर अधिक जानकारी के लिए पृष्ठ 148 पर सामाजिक एवं संबंध पूंजी पर अध्याय पढ़ें.* | जीआरआई 203, जीआरआई 418 | 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH; 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | **ग्राहक-केंद्रित नवाचारों को बढ़ावा देना** |
| **चैनल** 6 | हमारा शाखा नेटवर्क फेस टू फेस बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है. हम मोबाइल और ऑनलाइन बैंकिंग के साथ-साथ यूपीआई सहित डिजिटल प्लेट. फॉर्म के माध्यम से भी ग्राहकों की सेवा करते हैं. हमारा विशाल एटीएम नेटवर्क नकद निकासी, जमा और अन्य सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है. इसके अतिरिक्त, हम 7 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ (डीबीयू) संचालित करते हैं और कई चैनलों पर निर्बाध सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए उन्नत डिजिटल संपर्क केंद्र क्षमताओं को लागू किया है.<br><br>*इस पर अधिक जानकारी के लिए पृष्ठ 168 पर विनिर्मित पूंजी पर अध्याय पढ़ें.* | जीआरआई 203 | 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | **वितरण चैनलों का स्तर ऊपर उठाना** |

*इस बारे में अधिक जानकारी के लिए, पृष्ठ 88 पर वित्तीय पूंजी पर अध्याय पढ़ें.*

> यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की डिजिटल उत्कृष्टता और संवहनीयता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता हमारे ग्राहकों को सशक्त बनाती है और नवोन्मेषी बैंकिंग समाधानों और समावेशी प्रथाओं के माध्यम से आर्थिक विकास में योगदान देती है.

| कारोबारी मॉडल कैनवास नंबर | स्पष्टीकरण | जीआरआई के अनुरूप | यूएनएसडीजी के अनुरूप | यूबीआई के कार्यनीतिक स्तंभ *(पृष्ठ 40 पर कार्यनीतिक प्राथमिकताओं पर अध्याय देखें)* |
|---|---|---|---|---|
| **ग्राहकवर्ग खंड** 7 | हमारे ग्राहकवर्ग में खुदरा ग्राहक शामिल हैं जो बचत, चालू खाते, ऋण और अन्य सेवाओं के लिए हमसे जुड़ते हैं, और कॉर्पोरेट ग्राहक जो कार्यशील पूंजी, सावधि ऋण, व्यापार वित्त और अन्य सेवाएँ चाहते हैं. हम सरकारी निधियों, कर संग्रहण और संवितरण का भी प्रबंधन करते हैं. इसके अलावा, हम ऋण और अन्य बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से एमएसएमई और कृषि ग्राहकों को अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिससे उनकी वृद्धि और वित्तीय आवश्यकताओं को सहायता मिलती है.<br><br>*पृष्ठ 148 पर सामाजिक एवं संबंध पूंजी पर अध्याय पढ़ें .* | जीआरआई 201,<br>जीआरआई 203 | 1 No Poverty<br>8 Decent Work and Economic Growth<br>10 Reduced Inequalities | वित्तीय समावेशन को अपनाना |
| **मुख्य इनपुट** 8 | हमारी परिचालन लागत में कर्मचारी वेतन, शाखा रखरखाव, आईटी अवसंरचना और साइबर सुरक्षा रखरखाव शामिल हैं. हम विनियामक लागतों को भी बनाए रखते हैं और बैंकिंग और वित्तीय विनियमों का अनुपालन करते हैं. खराब ऋणों और राइट-ऑफ के लिए प्रावधानों के रूप में जोखिम लागत भी हमारे व्यय का हिस्सा है. प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण में निरंतर निवेश सुनिश्चित करता है कि हम उच्च सेवा मानकों और परिचालन दक्षता को बनाए रखें.<br><br>*इस पर अधिक जानकारी के लिए पृष्ठ 160 पर मानव पूंजी तथा पृष्ठ 100 पर बौद्धिक पूंजी पर अध्याय पढ़ें.* | जीआरआई 201,<br>जीआरआई 203,<br>जीआरआई 404,<br>जीआरआई 418,<br>जीआरआई 419 | 8 Decent Work and Economic Growth<br>9 Industry, Innovation and Infrastructure<br>16 Peace, Justice and Strong Institutions<br>17 Partnerships for the Goals | परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करना |
| **राजस्व के स्रोत** 9 | हम विभिन्न प्रकार के ऋण से ब्याज आय अर्जित करते हैं. हम धन प्रबंधन, कार्ड सेवाओं, प्रेषण और अन्य जैसी सेवाओं से प्राप्त शुल्क और कमीशन से भी राजस्व अर्जित करते हैं. हमारी निवेश आय ट्रेजरी संचालन से उत्पन्न होती है. नए उत्पाद को लॉन्च करके और विशेष रूप से तैयार वित्तीय समाधान भी विविध राजस्व स्रोतों में योगदान करते हैं, जिससे हमारी वित्तीय स्थिरता और विकास में बढ़ोतरी होती है.<br><br>*इस पर अधिक जानकारी के लिए पृष्ठ 88 पर वित्तीय पूंजी पर अध्याय पढ़ें.* | जीआरआई 201,<br>जीआरआई 203,<br>जीआरआई 302,<br>जीआरआई 305 | 8 Decent Work and Economic Growth<br>9 Industry, Innovation and Infrastructure<br>7 Affordable and Clean Energy<br>13 Climate Action | फ्लेक्सिंग बैलेंस शीट |

# वित्तीय वर्ष 2024 में मूल्य सृजन और प्रभाव

## इनपुट

### वित्तीय पूंजी

**वैश्विक कारोबार:** ₹20,56,784 करोड़
इक्विटी: ₹7,234 करोड़
परिचालन लाभ: ₹28,211 करोड़
जमा: ₹12,21,528 करोड़ (+₹1,03,812 करोड़)
कासा जमा: ₹4,80,000 करोड़
अग्रिम: ₹9,04,884 करोड़ (+₹94,979 करोड़)

### विनिर्मित पूंजी

**शाखाओं की संख्या:** 8,464 (-113)
**एटीएम की संख्या:** 8,982 (-1,853)
**डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ (डीबीयू):** 7 (+2)

### बौद्धिक पूंजी

**आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम :** 1,553 (+92)
**एमएसएमई के लिए डिजिटल ऋण स्वीकृति**
**मोबाइल बैंकिंग :** 2,68,39,583 (+55,37,573)
**इंटरनेट लेनदेन :** 84,79,859 (+7,66,778)

### मानव पूंजी

**कर्मचारियों की संख्या:** 75,866
**प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या:** 1,582 से बढ़कर 1,829 हो गई
**कुल प्रशिक्षण घंटे:** 13,66,200 से बढ़कर 18,38,412 घंटे हो गये.
**महिला कर्मचारियों का प्रतिशत:** 28.82% से बढ़कर 29.14% हो गया.

### प्राकृतिक पूंजी

**जल खपत (किलोलीटर):** 215,234 (+10,099)
**ऊर्जा खपत (जीजे):** 923,475 (+30,888)
**उत्पन्न अपशिष्ट (टन):** 11,278

### सामाजिक पूंजी

**सीएसआर खर्च:** ₹22.87 करोड़ (+₹6.45 करोड़)
**आपूर्तिकर्ताओं की संख्या:** 132 (+2)
**ग्राहकों की संख्या:** 22.34 करोड़ (+0.67 करोड़)

### भविष्य को सशक्त बनाना: ग्राहक, कार्मिक, समुदाय

भविष्य को सशक्त बनाना: ग्राहक, कार्मिक, समुदाय भारत के अग्रणी प्रगतिशील बैंकों में से एक के रूप में, हम अपने ग्राहकों को अपने प्रयासों के केंद्र में रखते हैं. हम अपने कर्मचारियों को प्रेरित करते हैं और उनकी क्षमता को उजागर करते हैं, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2024 में 1,553 कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित 12,345 कर्मचारियों द्वारा प्रमाणित है. हमारे सभी प्रयास एक साझा दृष्टिकोण की ओर निर्देशित हैं: समुदायों को सशक्त बनाना, प्रगति की ओर उनकी यात्रा को बढ़ावा देना.

### संवहनीयता को बढ़ावा देना

वित्तीय वर्ष 2024 में 1.03% की औसत आस्तियों पर रिटर्न प्रदान करते हुए, जो वित्तीय वर्ष 2023 में 0.69% से अधिक है, हम वैविध्यपूर्ण विकास और कम कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं, जिसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में स्वीकृत ₹23,059 करोड़ द्वारा समर्थन प्राप्त है.

### वृहत वित्तीय समाधान

चार खंडों में संगठित होकर, हम बचत, ऋण, बीमा, निवेश और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग में अपने ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हुए बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं. एमएसएमई के लिए हमारे डिजिटल ऋण मंजूरी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 में 55,365 खातों को संसाधित किया गया.

### डिजिटल और संवहनीय भविष्य

अपने लोगों के लिए कार्य अनुभव को फिर से परिभाषित करने की प्रक्रिया में हमारे ग्राहक हमारे संचालन का केंद्र हैं. हम कम पूंजी मॉडल का पालन करते हैं, डिजिटलीकरण की शक्ति का उपयोग करते हुए अपनी कार्यनीति में संवहनीयता को एकीकृत करते हैं. व्योम ऐप ने ग्राहक जुड़ाव को काफी हद तक बढ़ाया है, वित्तीय वर्ष 2024 में मोबाइल बैंकिंग लेनदेन में वर्ष-दर-वर्ष 29% और इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन में वर्ष-दर-वर्ष 9% की वृद्धि हुई है.

## आउटपुट *(वित्तीय वर्ष 2024)*

### वित्तीय पूंजी

**शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई):** ₹36,570 करोड़ (₹3,805 करोड़)
**शुद्ध लाभ:** ₹13,648 करोड़ (₹5,215 करोड़)
इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई): 15.58% (+232 बीपीएस)
**शुद्ध एनपीए अनुपात:** 1.03% (-67 बीपीएस)
**प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर):** 92.69% (+235 बीपीएस)
**पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर):** 16.97% (+93 बीपीएस)

### विनिर्मित पूंजी

**नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की मंजूरी:** ₹23,059 करोड़ (+₹12,689 करोड़)
**ग्रीन माइल्स योजना में निवेश:** ₹462 करोड़
**कुल खुदरा ऋण:** ₹177,488 करोड़
**कुल एमएसएमई अग्रिम:** ₹135,761 करोड़

### बौद्धिक पूंजी

**आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम:** 1,553 कार्यक्रम, 12,345 कर्मचारी प्रशिक्षित.
**एमएसएमई के लिए डिजिटल ऋण स्वीकृतियां:** 55,365 खातों पर कार्रवाई की गई.
**मोबाइल बैंकिंग उपयोग:** लेनदेन में 29% वार्षिक वृद्धि.
**इंटरनेट बैंकिंग उपयोग:** लेनदेन में 9% वार्षिक वृद्धि.

### मानव पूंजी

**प्रति कर्मचारी कारोबार:** ₹20.48 करोड़ से बढ़कर ₹23.14 करोड़ हो गया.
नेतृत्व विकास कार्यक्रम में 480 अधिकारियों ने भाग लिया .
वार्षिक स्वास्थ्य जांच और प्रसवपूर्व जांच योजनाएं प्रदान की गई.

### प्राकृतिक पूंजी

जीएचजी उत्सर्जन (स्कोप 1): 274,042 मीट्रिक टन
जीएचजी उत्सर्जन (स्कोप 2): 241,884 मीट्रिक टन
गैर-परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन: 12,339 गीगाजूल

### सामाजिक पूंजी

**यूपीआई:** 2.20 करोड़ (+0.09 करोड़)
**नेट बैंकिंग:** 82 लाख (+2 लाख)
**मोबाइल बैंकिंग:** 2.45 करोड़ (+0.15 करोड़)

## आउटपुट *(वित्तीय वर्ष 2024)*

### वित्तीय पूंजी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) ने अपनी बाजार स्थिति मजबूत की, जिसमें अग्रिम 11.73% बढ़कर ₹9,04,884 करोड़ हो गए और जमा 9.29% बढ़कर ₹12,21,528 करोड़ हो गए. बेहतर सीआरएआर (16.97%) और सीईटी1 अनुपात (13.65%) बढ़ी हुई वित्तीय स्थिरता का संकेत देते हैं. शुद्ध लाभ में 61.84% की वृद्धि के साथ लाभप्रदता बढ़ गई. आरओए 1.03% और आरओई 15.58% तक बढ़े हैं, जो कुशल परिसंपत्ति और इक्विटी उपयोग को दर्शाता है. प्रस्तावित ₹3.60 प्रति शेयर लाभांश शेयरधारकों के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. यूबीआई ने 1.03% का कुशल आरओए बनाए रखते हुए 75.65% का ऋण-जमा अनुपात प्राप्त किया हैं.

### विनिर्मित पूंजी

शाखाओं और एटीएम में रणनीतिक कमी, डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना, और हरित परियोजनाओं में महत्वपूर्ण निवेश से संवहनीय विकास, लागत दक्षता और डिजिटल बैंकिंग, ग्राहक सुविधा में वृद्धि और आधुनिक बैंकिंग रुझानों के साथ संरेखण के प्रति यूबीआई की प्रतिबद्धता उजागर होता है. नवीकरणीय ऊर्जा, हरित पहल, खुदरा ऋण और एमएसएमई अग्रिमों में यूबीआई के पर्याप्त निवेश ने स्थिरता, छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए बढ़े हुए समर्थन और खुदरा बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है.

### बौद्धिक पूंजी

व्योम ऐप ने ग्राहक जुड़ाव को काफी हद तक बढ़ाया है, मोबाइल बैंकिंग लेनदेन में वर्ष-दर-वर्ष 29% और इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन में वर्ष-दर-वर्ष 9% की वृद्धि हुई है. डिजिटल ऋण समाधानों ने 55,365 एमएसएमई खातों को संसाधित किया, जिससे डिजिटल कारोबार में ₹8,300 करोड़ से अधिक की राशि जुटाई गई. 1,553 कार्यक्रमों और 12,345 कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के साथ कर्मचारी प्रशिक्षण में निवेश में वृद्धि, बौद्धिक पूंजी विकास के लिए यूबीआई की प्रतिबद्धता पर जोर देती है.

### मानव पूंजी

कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, महिला कर्मचारियों का उच्च प्रतिशत और प्रशिक्षण घंटों में पर्याप्त निवेश कार्यबल विकास और जुड़ाव के प्रति यूबीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. व्यापक कल्याण कार्यक्रमों में 100% भागीदारी कर्मचारी जुड़ाव और संतुष्टि को दर्शाते हैं. इसके अतिरिक्त, नवोन्मेषी मानव संसाधन प्रथाओं और प्रौद्योगिकी में नेतृत्व के लिए प्राप्त 20+ पुरस्कार यूबीआई के नवाचार और योगदान को उजागर करते हैं.

### प्राकृतिक पूंजी

जीएचजी उत्सर्जन की निगरानी और प्रबंधन, गैर-परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा का पर्याप्त उपयोग, तथा कुशल संसाधन उपभोग, स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति यूबीआई के सक्रिय दृष्टिकोण को उजागर करते हैं.

### सामाजिक पूंजी

सीएसआर खर्च में वृद्धि और ग्राहक आधार में वृद्धि सामुदायिक विकास और वित्तीय समावेशन के प्रति यूबीआई के समर्पण को दर्शाती हैं. डिजिटल ग्राहकों में उल्लेखनीय वृद्धि वित्तीय समावेशन और ग्राहक संबंधों को बढ़ाने पर यूबीआई के फोकस को उजागर करती हैं.

# संवहनीयता के प्रति हमारा दृष्टिकोण

> संवहनीयता के प्रति हमारा समर्पण हमारे मिशन का अभिन्न अंग है, जिम्मेदार वित्त और नवाचार के माध्यम से जीवन में बदलाव लाना और समुदायों का उत्थान करना

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने और जिन समुदायों की हम सेवा करते हैं उनके उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं. संवहनीयता के प्रति हमारा समर्पण हमारे मिशन का अभिन्न अंग है, और हमें गर्व है कि हमें अपने हितधारकों के साथ मिलकर परिवर्तनकारी प्रभाव के रूप में उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं. हमारा ध्यान शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, समुदायों और नियामकों के लिए दीर्घकालिक संवहनीय मूल्य उत्पन्न करने पर है, जो हमारे विजन के साथ संरेखित है और हमारे मूल मूल्यों और कार्यनीतिक कार्यों द्वारा निर्देशित है.

> यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हितधारक संबंध समिति मजबूत ईएसजी निरीक्षण सुनिश्चित करती है, जिससे सभी के लिए नैतिक अभिशासन और दीर्घकालिक संवहनीय मूल्य को बढ़ावा मिलता है.

## हमारा मूल्य कथन

भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मजबूत बैंकिंग संस्थानों की आवश्यकता है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस परिवर्तन की अगुवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, अपनी मजबूती का लाभ लेकर कार्यनीतिक रूप से अच्छा कर रहे हैं. बेहतर वित्त के सकारात्मक सामाजिक प्रभाव को समझते हुए, हमारी कॉर्पोरेट संवहनीयता और ईएसजी दृष्टिकोण अच्छा करते हुए बेहतर करने पर केंद्रित है. साथ मिलकर हमारा लक्ष्य अपने सभी हितधारकों को मूल्य प्रदान करना है.

हम व्यक्तियों और कारोबारों का समर्थन करने के लिए वित्त का जिम्मेदारीपूर्वक अभिनियोजन करते हैं, सहानुभूति और ईमानदारी के साथ काम करते हैं और सामाजिक कल्याण और दीर्घकालिक लाभों के लिए नवाचार और संवहनीयता का समर्थन करते हैं.

- **हमारे ग्राहकों और क्लाइंट के साथ-साथ:** हम अपने उत्पादों, सेवाओं और विशेषज्ञता के माध्यम से अपने ग्राहकों को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं.
- **हमारे कर्मचारियों के लिए साथ-साथ:** हम अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करते हैं, कैरियर में वृद्धि को सुलभ बनाते हैं, और उन्हें उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए सशक्त बनाते हैं.
- **समाज और पर्यावरण के लिए साथ-साथ:** हमारी दीर्घकालिक सफलता हमारे समुदायों की प्रगति और हमारे पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ी हुई है.
- **हमारे निवेशकों के लिए साथ-साथ:** हम एक मजबूत और विविधतापूर्ण कारोबार बना रहे हैं जो संवहनीय प्रतिफल प्रदान करता है.

**जीआरआई**

102-2

## अन्वेक्षण

### ईएसजी अन्वेक्षा और अभिशासन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की संवहनीय और विश्वसनीय अभिशासन के प्रति प्रतिबद्धता की देखरेख हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) द्वारा की जाती है. यह समिति यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि हमारे पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) उद्देश्यों को पूरा किया जाए और हमारे समग्र कार्यनीतिक लक्ष्यों के साथ संरेखित किया जाए. अधिक जानकारी के लिए *पेज 32* पर कार्यनीतिक ढांचे पर हमारा अध्याय और *पेज 40* पर पिलर अध्याय पढ़ें.

एसआरसी में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशक दोनों शामिल हैं जो संतुलित दृष्टिकोण और मजबूत अन्वेक्षण प्रदान करते हैं. वित्तीय वर्ष 2024 में, समिति की अध्यक्षता सुश्री प्रीति जय राव ने की, जो एक शेयरधारक निदेशक हैं और कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी और अभिशासन उत्कृष्टता के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं. एसआरसी ने वित्तीय वर्ष के दौरान चार बार बैठक की, जो हमारी संवहनीय पहलों की नियमित और गहन अन्वेक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

**जीआरआई**

102-18

**जीआरआई**

102-19

**जीआरआई**

102-20

"

यूनियन रूफ टॉप सोलर योजना और ग्रीन माइलस योजना जैसी पहलों के साथ, हम अपने पर्यावरणीय फुटप्रिंट्स को कम करने और संवहनीय समुदायों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

## एसआरसी का विस्तारित दायरा

कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के उभरते परिदृश्य और व्यापक ईएसजी कार्यप्रणालियों के बढ़ते महत्व को समझते हुए, एसआरसी के आदेश को वित्तीय वर्ष 2024 में काफी व्यापक बनाया गया. मूल रूप से हितधारक संबंधों पर केंद्रित, समिति की ज़िम्मेदारियों में अब बैंक के संवहनीय विकास और नैतिक संचालन के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न कार्य शामिल हैं.

**प्रमुख जिम्मेदारियाँ और पहल:**

**ग्राहक सेवा में वृद्धि:** एसआरसी ने ग्राहक सेवा को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें उन्नत ग्राहक प्रतिक्रिया प्रणाली और ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित करना शामिल है. इन पहलों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ हर बातचीत सकारात्मक हो और ग्राहकों की अपेक्षाओं से बढ़कर हो.

**सीएसआर परियोजनाएँ:** इस समिति द्वारा सामुदायिक उत्थान के उद्देश्य से कई सीएसआर परियोजनाओं की देखरेख की जाती है, जिसमें शिक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा पहल और ग्रामीण विकास परियोजनाएँ शामिल हैं. यह सुनिश्चित करके कि ये परियोजनाएँ अच्छी तरह से प्रबंधित और प्रभावशाली हैं, एसआरसी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सामाजिक प्रगति में सार्थक योगदान करने में सहायता प्रदान करता है.

**पर्यावरण प्रबंधन:** एसआरसी बैंक की पर्यावरण पहल जैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है. समिति यह सुनिश्चित करती है कि ये पहल पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य दोनों हों, जो बैंक के दीर्घकालिक संवहनीय लक्ष्यों का समर्थन करती हैं.

**सामाजिक उत्तरदायित्व:** पारंपरिक सीएसआर के अलावा, एसआरसी बैंक के व्यापक सामाजिक प्रभाव की निगरानी करता है, जिसमें वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, अल्पसंख्यक समुदायों का समर्थन करने और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के इसके प्रयास शामिल हैं. ये प्रयास अधिक समावेशी और समतापूर्ण समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं.

**अभिशासन कार्यप्रणालियाँ:** बैंक की अभिशासन कार्यप्रणालियाँ मजबूत, पारदर्शी और वैश्विक मानकों के अनुरूप होना एसआरसी द्वारा सुनिश्चित किया जाता है. इसमें नैतिक कारोबारिक कार्यप्रणालियों की देखरेख, कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करना और ईमानदारी और जवाबदेही को बढ़ावा देना शामिल है.

**जीआरआई**

102-10

## वित्तीय वर्ष 2024 में उपलब्धियाँ

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, एसआरसी ने बैंक की संवहनीयता और अभिशासन ढांचे को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है. प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं:

- **हरित वित्त पहल का कार्यान्वयन:** कई हरित वित्त उत्पादों को सफलतापूर्वक शुरू किया, नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन किया और संवहनीय कारोबारिक कार्यप्रणालियों को बढ़ावा दिया. अधिक जानकारी के लिए *पृष्ठ126* पर प्राकृतिक पूंजी पर हमारा अध्याय पढ़ें.
- **बेहतर सीएसआर सहभागिता:** सीएसआर कार्यक्रमों के विस्तार और प्रभाव में वृद्धि हुई, जिससे पूरे भारत में हजारों व्यक्तियों और समुदायों को लाभ हुआ. अधिक जानकारी के लिए *पृष्ठ 148* पर हमारे संबंध और सामाजिक पूंजी अध्याय को पढ़ें.

- **ग्राहक सेवा में सुधार:** नई ग्राहक सेवा पहलों के शुभारंभ के परिणामस्वरूप ग्राहक संतुष्टि स्कोर में वृद्धि हुई और प्रतिक्रिया समय कम हुआ. अधिक जानकारी के लिए *पृष्ठ 148* पर हमारे संबंध और सामाजिक पूंजी अध्याय को पढ़ें.

- **अभिशासन में सुधार :** अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु नई नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाकर अभिशासन कार्यप्रणालियों को मजबूत किया गया है. अधिक जानकारी के लिए *पृष्ठ 255* पर हमारी कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट पढ़ें.

हितधारक संबंध समिति के परिश्रम के माध्यम से, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया संवहनीयता, नैतिक अभिशासन और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखता है, जो हमारे सभी हितधारकों के लिए सकारात्मक बदलाव लाता है.

## हमारी संवहनीयता पहलों पर एक त्वरित नज़र

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हरित वित्त पहल प्राकृतिक पूंजी संरक्षण और बहाली का समर्थन करने में महत्वपूर्ण हैं. हमारा उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और संवहनीय कार्यप्रणालियों को वित्त प्रदान कर अपने पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करना और लचीले, संवहनीय समुदायों को बढ़ावा देना है. प्रमुख पहलों में यूनियन रूफ टॉप सोलर स्कीम शामिल है, जो घरों के लिए रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए वित्त प्रदान करती है, और यूनियन ग्रीन माइल्स स्कीम, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वित्त प्रदान करती है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024 तक ₹ 462 करोड़ मंजूर किए गए हैं. यूनियन सोलर स्कीम छत और जमीन पर लगे सोलर यूनिट लगाने में एमएसएमई और कारोबारों का भी समर्थन करती है. हम पीएम कुसुम योजना में भी भाग लेते हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए वित्त प्रदान करती है, और यूनियन सीबीजी योजना, जो कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए सुविधाओं हेतु वित्त प्रदान करती है

पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारा समर्पण वित्तीय वर्ष 2024 के लिए हमारे महत्वपूर्ण संवहनीयता लक्ष्यों में परिलक्षित होता है, जो ऊर्जा उपयोग और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, पानी की खपत को कम करने, लैंडफिल में भेजे जाने वाले कचरे को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है. हमारी पहलों में छतों पर सौर पैनल लगाना, एलईडी लाइटिंग और उच्च दक्षता वाले एचवीएसी सिस्टम में अपग्रेड करना और वर्षा जल संचयन प्रणाली और जल-कुशल जुड़नार का प्रयोग करना शामिल है. हम एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को खत्म करने और परिचालन दक्षता के लिए अपने डिजिटल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं. हम अपनी शाखाओं में लैंडफिल और भस्मीकरण से सभी कचरे को हटा देंगे, और कचरे के पुनः उपयोग, पुनः प्रयोग या पुनर्चक्रण की 100% दर प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है. अपने कर्मचारियों के बीच गैर-प्रदूषणकारी वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करते हुए, हम अपने व्यापक पर्यावरणीय उद्देश्यों के साथ संरेखित करते हुए, लागतों की भरपाई के लिए मजबूत प्रतिपूर्ति प्रोग्राम प्रदान करते हैं. इन व्यापक प्रयासों के माध्यम से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दीर्घकालिक संवहनीयता और सभी हितधारकों के लिए संवहनीय मूल्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

अधिक जानकारी और विवरण के लिए, *पृष्ठ 135* पर प्राकृतिक पूंजी पर अध्याय पढ़ें.

**जीआरआई**

203-1

> "
>
> यूनियन ऑफ इंडिया के हरित वित्तपोषण प्रयास जिसमें वित्तीय वर्ष 2024 तक सौर एवं ईवी परियोजनाओं के लिए ₹ 462 करोड़ की मंजूरी और 100% अपशिष्ट विपथन का लक्ष्य शामिल है, संवहनीयता और धारक मूल्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को उजागर करता है.

*नैतिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना:*

# निष्पक्ष प्रथाओं और ग्राहक-केंद्रित विकास के लिए प्रतिबद्ध

हमारे ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की हमारी प्रतिबद्धता हमारे जिम्मेदार बैंकिंग दृष्टिकोण की आधारशिला है, जो सभी बाजारों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और नैतिक सेवा सुनिश्चित करती है.

*यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हमारा मिशन विभिन्न बाजारों में सभी उपभोक्ताओं के लिए पहुंच सुनिश्चित करते हुए वर्ग में सर्वश्रेष्ठ वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को वितरित करना है. हम अपनी पेशकशों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और निरंतरता को प्राथमिकता देते हैं, उत्पादों के उचित मूल्य, स्पष्ट शर्तों और नैतिक सेवा के माध्यम से स्थायी ग्राहक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं. अपने ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की हमारी प्रतिबद्धता जिम्मेदार बैंकिंग के प्रति हमारे दृष्टिकोण की आधारशिला है तथा यह प्रतिबद्धता ग्राहकों की समृद्धि और उनके वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करती है.*

## ईमानदार कारोबार प्रथाएं

*जीआरआई 102-16*

हम निष्पक्ष और ईमानदार कारोबारी प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम जो कुछ भी करते हैं उसके केंद्र में हम अपने ग्राहकों को रखते हैं. अनैतिक प्रथाओं को सख्ती से निषिद्ध किया जाता है जो हमारे मूल मूल्यों और नैतिक मानकों के अनुरूप है. जाति, जातीयता, रंग, धर्म, लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, यौन अभिविन्यास, लैंगिक पहचान, सामाजिक स्थिति, विकलांगता, सार्वजनिक सहायता की स्थिति, पारिवारिक स्थिति, या उपभोक्ता के ऋण संरक्षण अधिकारों के प्रयोग के बिना हमारे ऋण निर्णय निष्पक्ष रूप से किए जाते हैं.

## बोर्ड अन्वेक्षा और नैतिक शासन

*जीआरआई 102-18*

हमारा बोर्ड और इसकी समितियां हमारी उद्यम-व्यापी कार्यनीतियों और नीतियों का मार्गदर्शन करती हैं, एक कॉर्पोरेट संस्कृति को बढ़ावा देती हैं जो अनैतिक, भेदभावपूर्ण या हिंसक प्रथाओं के खिलाफ कानूनों और विनियमों को बनाए रखती हैं. यह अन्वेक्षा सुनिश्चित करता है कि हमारा कारोबार संचालन हमारे नैतिक मानकों के अनुरूप हो जो संगठन के भीतर विश्वास और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा दे.

## व्यापक प्रशिक्षण और विकास

*जीआरआई 404-1*

नैतिक उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए, हम सभी कर्मचारियों और ठेकेदारों के लिए वार्षिक अनुपालन प्रशिक्षण को अनिवार्य करते हैं. इस प्रशिक्षण में शिकायत प्रबंधन, वित्तीय अपराधों का अनुपालन, वित्तीय दुरुपयोग की रोकथाम, धोखाधड़ी की रोकथाम और नैतिक आचरण शामिल हैं. वित्तीय वर्ष 2024 में, हमने 70,000 से अधिक कर्मचारियों को कवर करते हुए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास हमारे नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए ज्ञान और कौशल है.

## मान्यताएं एवं पुरस्कार

*जीआरआई 102-12*

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को इसकी अभिनव मानव संसाधन प्रथाओं, प्रौद्योगिकी नेतृत्व और समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया है. यह सम्मान एक समावेशी, गतिशील और आगे की सोच वाले कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए हमारे समर्पण को रेखांकित करता है. उल्लेखनीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एटीएम और स्व-सेवा नवाचार, अग्रणी प्रौद्योगिकी बैंक, और उभरती तकनीक का उपयोग करके बैंकिंग नवाचार में उत्कृष्टता शामिल हैं.

## हमारा वित्तपोषण संवहनीय विकास लक्ष्यों का सहायता किस प्रकार करता है

*जीआरआई 203-2*

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सकारात्मक मानवीय, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को बढ़ावा देने के लिए संवहनीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को महत्वपूर्ण वैश्विक प्राथमिकताओं के रूप में मानने और एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है. ये लक्ष्य कारोबारों, सरकारों, समाजों और विभिन्न हितधारकों के साथ समर्पित जुड़ाव और सहयोगी प्रयासों के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं. हमारा बैंक कार्यसूची की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दृढ़ संकल्पित है तथा इन महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारे हितधारकों के साथ भागीदारी करता है.

सामाजिक और पर्यावरणीय वित्तपोषण के लिए हमारे दृष्टिकोण का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में है, जो स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों, शैक्षणिक संस्थानों, किफायती आवास परियोजनाओं और हरित अवसंरचना की पहल के माध्यम से महत्वपूर्ण सकारात्मक योगदान देता है. ये वित्तपोषण गतिविधियां व्यक्तिगत एसडीजी का सहयोग करती हैं और संवहनीय विकास की दिशा में व्यापक प्रगति को बढ़ावा देती हैं.

हमारे जारी प्रयासों के तहत, हम अपने संवहनीय वित्त ढांचे को बढ़ा रहे हैं ताकि हम जिन एसडीजी लक्ष्यों हेतु सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उनसे संबंधित डेटा को बेहतर ढंग से कैप्चर और विश्लेषित कर सकें. इस व्यापक अद्यतन का उद्देश्य हमारे प्रभाव के संबंध में अधिक सटीक और बारीक अंतर्दृष्टि प्रदान करना है. अपनी कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं को परिष्कृत करके, हम वैश्विक संवहनीय विकास कार्यसूची के प्रति अपने योगदान को बेहतर करने का प्रयास करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी वित्तीय गतिविधियां प्रभावी रूप से एसडीजी के अनुरूप हों.

> यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अनैतिक प्रथाओं को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि हम ईमानदारी और विश्वास को प्राथमिकता देते हैं, अपने सभी कार्यों को मूल मूल्यों और नैतिक मानकों के साथ जोड़ते हैं.

**>₹8,300 करोड़**

*निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत डिजिटल ऋण समाधानों के माध्यम से डिजिटल व्यवसाय में ₹8,300 करोड़ से अधिक जुटाए गए.*

**~16,000**

*ग्राहक जुड़ाव और पारदर्शिता के लिए ~16,000 उपयोगकर्ताओं के साथ गूगल कारोबार संदेशों (गूगल बिज़नेस मेसेज) का सफल एकीकरण.*

# हरित वित्तपोषण और समावेशिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता

**यूएनएसडीजी:**

**कार्यनीतिक पिलर:**

1 2 3 4 5

**कारोबार मॉडल कैनवास**

1 2 3 4 5 6

**भौतिक मुद्दे**

1, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 20, 23, 25, 26, 30, 33, 36, 39, 42, 43

**जीआरआई संरेखण**

201, 203, 205, 302, 303, 305, 306, 401, 403, 404, 406, 413

*यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) अपने ग्राहकों की विभिन्न वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का एक व्यापक संविभाग प्रदान करता है. इन पेशकशों में व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, वाहन ऋण, शैक्षिक ऋण और कारोबार ऋण शामिल हैं. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वित्तीय सेवाओं को सुलभ और समावेशी बनाने के अपने मिशन में दृढ़ है, जिससे भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके. संवहनीय वित्तीय समाधानों के लिए बैंक की प्रतिबद्धता पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) मानदंडों का पालन करने वाले उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने से स्पष्ट है.*

विनिर्मित पूंजी में भौतिक अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और उपकरण का उपयोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए करता है. बैंक के संचालन में ईएसजी विचारों के एकीकरण का उद्देश्य हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाना है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हरित प्रौद्योगिकियों, डिजिटल बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म और संवहनीयता अवसंरचना में निवेश न्यून- कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का समर्थन करने और संवहनीय विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है.

"

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यथा मार्च, 2024 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए ₹ 23,059 करोड़ मंजूर किए हैं, जो संवहनीय विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. आइए जाने, यूनियन बैंक किस तरह से हरित वित्तपोषण और नवीकरणीय ऊर्जा निवेश में अग्रणी है.

| | |
|---|---|
| **₹ 23,059 करोड़** | वित्तीय वर्ष 2023-24 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए स्वीकृत, जो संवहनीय विकास के लिए यूनियन बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. |
| **₹ 462 करोड़** | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यूनियन ग्रीन माइल्स योजना के अंतर्गत निवेश किया गया, जिससे संवहनीय गतिशीलता को बढ़ावा मिला. |
| **₹ 177,488 करोड़** | वित्तीय वर्ष 2024 में कुल खुदरा ऋण, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11.14% की वृद्धि को दर्शाता है. |
| **2.98 लाख** | स्ट्रीट वेंडरों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से वित्तपोषित किया गया, जो वित्तीय समावेशन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. |
| **₹ 87,179 करोड़** | वित्तीय वर्ष 2024 में आवास ऋण प्रदान किया जाएगा, जो आवास आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण समर्थन प्रदर्शित करेगा. |
| **51.37%** | शिक्षा ऋण में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि, शैक्षिक उन्नति को समर्थन करता है. |
| **₹ 139,658 करोड़** | वित्तीय वर्ष 2024 में कृषि ऋण प्रदान किया जाएगा, जो कृषि क्षेत्र के लिए मजबूत समर्थन का संकेत है. |
| **4.11 लाख** | किसानों की अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं की सहायता के लिए नए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए गए. |
| **105** | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन देने के लिए यूनियन एमएसएमई फर्स्ट शाखाएँ स्थापित की गईं. |

> यूनियन बैंक के संवहनीय वित्तपोषण फ्रेमवर्क को क्रिसिल द्वारा मान्यता दी गई है, जो मजबूत और विश्वसनीय हरित वित्तपोषण समाधान सुनिश्चित करता है. हमारी संवहनीय वित्तपोषण पहलों और उनके पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें

| | |
|---|---|
| **₹ 1,35,761 करोड़** | वित्तीय वर्ष 2024 में कुल एमएसएमई प्रगति, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.59% की वृद्धि दर्शाती है. |
| **8,466** | शाखाओं की कुल संख्या, यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय सेवाएं देश भर में सुलभ हों. |
| **35.3 मीलियन** | व्योम और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफार्मों पर पंजीकृत उपयोगकर्ता, व्यापक डिजिटल पहुंच और ग्राहक जुड़ाव का संकेत देते हैं. |
| **₹ 10,918 करोड़** | 31 मार्च 2024 तक पीएमजेडीवाई खातों में कुल शेष राशि, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगी. |
| **₹ 30,656 करोड़** | वित्तीय वर्ष 2024 में राजकोषीय परिचालन से राजस्व, वित्तीय स्थिरता और इष्टतम प्रतिफल पर प्रकाश डालता है. |
| **18.46%** | राजकोषीय राजस्व में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि, प्रभावी चलनिधि और निवेश प्रबंधन को दर्शाता है. |

**जीआरआई**

203-1, 203-2

## संवहनीयता पहल

### ईएसजी प्रकोष्ठ

यूबीआई ने एक स्वतंत्र ईएसजी प्रकोष्ठ की स्थापना की है, जिस पर बैंक की ईएसजी यात्रा को संचालित करने और संबंधित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व है. यह प्रकोष्ठ अपने संचालन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में ईएसजी विचारों का समावेश करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ सहयोग करता है.

### संवहनीय वित्तपोषण ढांचा

बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संवहनीय वित्तपोषण ढांचा विकसित किया है, जिसे क्रिसिल द्वारा सेकेंड पार्टी ओपिनियन (एसपीओ) के माध्यम से मान्य किया गया है. यह ढांचा संसाधन संग्रहण, वित्तपोषण कार्यनीतियों और आश्वासन पहलुओं को संबोधित करता है, जिसमें ग्रीन डिपॉजिट, ग्रीन बॉण्ड, सोशल बॉण्ड, संवहनीयता-संबद्ध ऋण और हरित बंधक जैसे उत्पाद शामिल हैं. यूबीआई अपने ग्राहकों को उनके ईएसजी संक्रमण में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है.

### उत्पाद नवोन्मेष

यूबीआई कई संवहनीयता-केंद्रित उत्पादों जैसे यूनियन ग्रीन आवास ऋण, यूनियन ग्रीन कॉर्पोरेट डिपॉजिट, यूनियन "ई-बस" ऋण और संवहनीयता-संबद्ध ऋण पर काम कर रहा है. इसके अतिरिक्त, बैंक ने यूनियन रुपी ग्रीन टर्म डिपॉजिट और यूनियन रूफ टॉप सोलर योजना, यूनियन ग्रीन माइल्स योजना और अक्षय ऊर्जा उपकरणों के लिए पीएम कुसुम योजना जैसी योजनाएं शुरू की हैं.

**जीआरआई**

203-1, 203-2

## ईएसजी एकीकरण और जोखिम प्रबंधन

ईएसजी एकीकरण में यूबीआई के प्रयासों में क्रेडिट अंडरराइटिंग में भौतिक और संक्रमण जोखिमों का आकलन करना, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) में ईएसजी & जलवायु जोखिम को शामिल करना और पोर्टफोलियो स्तर पर वित्तपोषित उत्सर्जन की गणना करना शामिल

है. ये उपाय बैंक को अपने क्षेत्रीय उत्सर्जन को समझने और उन्हें कम करने के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करते हैं. यूबीआई ईएसजी स्कोर, वित्तपोषित उत्सर्जन का आकलन करने और डीकार्बोनाइजेशन मार्ग विकसित करने के लिए जलवायु जोखिम प्रबंधन समाधान भी तलाश रहा है.

## हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश

यूबीआई ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए यथा 31 मार्च 2024 ₹ 23,059 करोड़ और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यूनियन ग्रीन माइल्स योजना के तहत ₹ 462 करोड़ की महत्वपूर्ण ऋण सुविधाओं को मंजूरी दी है. ये निवेश अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं.

## डिजिटल रूपांतरण और समावेशन

बैंक ने डिजिटल बैंकिंग में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे एमएसएमई ग्राहकों को डिजिटल रूप से ऋण के लिए आवेदन करने और डिजिटल जर्नी के माध्यम से ₹ 25 लाख तक के ऋण मंजूर करने में सक्षम बनाया गया है. ये पहलें न केवल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करती हैं बल्कि वित्तीय समावेशन और ग्राहक संतुष्टि को भी बढ़ाती हैं.

## सामाजिक प्रभाव पहल

यूबीआई की सामाजिक पहलों में पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 2.98 लाख से अधिक फेरीवालों का वित्तपोषण, 30 आरएसईटीआई केंद्रों के माध्यम से 3.48 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना और महिला उद्यमियों के लिए केंद्रीय नारी शक्ति योजना के तहत 22,600 से अधिक आवेदनों को मंजूरी देना शामिल है. ये प्रयास सामाजिक सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास के लिए बैंक के समर्पण को दर्शाते हैं.

आर्थिक विकास और संवहनीयता को बढ़ावा देने में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका का उदाहरण, विनिर्मित पूंजी के साथ स्थायी वित्तीय समाधानों को एकीकृत करने के लिए इसकी प्रतिबद्धता से मिलता है. कार्यनीतिक पहल और एक मजबूत ईएसजी ढांचे के जरिए, यूबीआई एक समावेशी, पर्यावरण अनुकूल और आघात-सहनीयता वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना जारी रखता है.

> यूनियन बैंक ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यूनियन ग्रीन माइल्स योजना के तहत रुपये 462 करोड़ का निवेश किया है, जिससे संवहनीय गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा. पर्यावरण अनुकूल परिवहन का समर्थन करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के हमारे प्रयासों के विषयों में जाने.

# खुदरा बैंकिंग

**जीआरआई**

203-1, 203-2

## खुदरा ऋण वृद्धि

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने खुदरा ऋण खंड में पर्याप्त वृद्धि का प्रदर्शन किया है. बैंक अपने ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवास ऋण, वाहन ऋण और व्यक्तिगत ऋण सहित विभिन्न प्रकार के खुदरा ऋण प्रदान करता है. वित्तीय वर्ष 2024 में, कुल खुदरा अग्रिम (पीडब्ल्यूओ को छोड़कर) ₹177,488 करोड़ तक पहुंच गया, जो 11.14% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि चिह्नित करता है.

"

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खुदरा ऋण क्षेत्र में वर्ष दर वर्ष आधार पर 11.14% की वृद्धि हुई, जो वित्तीय वर्ष 2024 में ₹177,488 करोड़ तक पहुंच गया. आइए जानें कि हमारी विविध ऋण पेशकशें किस प्रकार विकास और वित्तीय सुलभता को बढ़ावा दे रही हैं.

| खुदरा ऋण वृद्धि (₹ करोड़ में) | वित्तीय वर्ष 2023 | वित्तीय वर्ष 2024 | वृद्धि | वृद्धि % |
|---|---|---|---|---|
| आवास ऋण | 79,726 | 87,179 | 7,452 | 9.35 |
| वाहन ऋण | 16,597 | 20,457 | 3,860 | 23.26 |
| शिक्षा ऋण | 9,419 | 14,258 | 4,839 | 51.37 |
| बंधक ऋण | 14,308 | 15,256 | 948 | 6.63 |
| वैयक्तिक ऋण | 11,734 | 11,534 | -200 | -1.70 |
| अन्य | 28,812 | 30,585 | 1,773 | 6.16 |
| **कुल खुदरा अग्रिम (पीडब्ल्यूओ सहित)** | **160,595** | **179,268** | **18,673** | **11.63** |

## व्यक्तिगत और बंधक ऋण

यूनियन बैंक प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों और लचीले चुकौती विकल्पों के साथ व्यक्तिगत ऋण और बंधक ऋण प्रदान करता है. व्यक्तिगत ऋण विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं, जैसे चिकित्सा आपात, शिक्षा और यात्रा, को पूरा करते हैं. बंधक ऋण ग्राहकों को घर खरीदने या मौजूदा बंधक का पुनर्वित्तपोषण करने में मदद करते हैं. इन क्षेत्रों में वृद्धि अपने ग्राहकों की विविध वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है.

## विशेष पहल और योजनाएं

### शिक्षा ऋण

बैंक ने शिक्षा ऋण जैसी विशेष योजनाएं शुरू की हैं, जो छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं. इस पहल में महत्वपूर्ण तेजी देखी गई है, जो शैक्षिक उन्नति में सहयोग करने में बैंक की भूमिका को दर्शाती है.

### यूनियन सुरक्षा व्यक्तिगत ऋण

यूनियन सुरक्षा व्यक्तिगत ऋण, ऋण के साथ-साथ बीमा कवरेज प्रदान करता है, जिससे उधारकर्ताओं के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है. इस उत्पाद नवोन्मेष का उद्देश्य ग्राहकों को व्यापक वित्तीय समाधान प्रदान करना है, जिससे उनका वित्तीय आघात-सहनीयता बढ़ सके.

### खुदरा सेवाओं का डिजिटलीकरण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का खुदरा बैंकिंग के प्रति व्यापक दृष्टिकोण, डिजिटलीकरण और ग्राहक-केंद्रित उत्पाद नवाचारों पर जोर देने के साथ, वित्तीय पहुंच का विस्तार करने और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है. खुदरा ऋणों और कार्यनीतिक पहलों में बैंक की मजबूत वृद्धि आर्थिक विकास को गति देने तथा अपने ग्राहकों की विविध वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में इसकी भूमिका को रेखांकित करती है. बैंक ने ग्राहक अनुभव और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए अपनी खुदरा सेवाओं को डिजिटल बनाने में काफी निवेश किया है. डिजिटल ऋण आवेदन प्लेटफॉर्म ग्राहकों को ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने, कागज-आधारित प्रक्रियाओं की आवश्यकता को कम करने और अनुमोदन में तेजी लाने की अनुमति देते हैं. बैंक की डिजिटल पहलों में ऑनलाइन खाता प्रबंधन, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग शामिल हैं, जो सेवा वितरण और ग्राहकों की संतुष्टि में काफी सुधार करते हैं.

**2,50,433**

*वित्तीय वर्ष 2024 में ₹5,007 करोड़ राशि के 2,50,433 से अधिक डिजिटल गोल्ड ऋण आवेदन जुटाए गए और स्वीकृत किए गए.*

**7**

*7 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) का परिचालन आरंभ किया गया, जिससे डिजिटल पैठ में वृद्धि हुई और वित्तीय सेवाओं के लिए किफ़ायती, सुविधाजनक पहुंच प्राप्त हुई.*

## कॉर्पोरेट और उद्यम बैंकिंग

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कॉर्पोरेट और एंटरप्राइज बैंकिंग के लिए व्यापक दृष्टिकोण, डिजिटलीकरण, हरित वित्तपोषण और साइबर सुरक्षा पर जोर देने के साथ, व्यापार विकास और स्थिरता का सहयोग करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है. बैंक की कार्यनीतिक पहल और मजबूत वित्तीय समाधान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लचीलेपन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

बैंक अपने उद्यम ऋण कार्यक्रमों के माध्यम से कॉर्पोरेट ग्राहकों, व्यवसायों और बड़े उद्यमों को मजबूत वित्तीय सहायता प्रदान करता है. बैंक कार्यशील पूंजी ऋण, सावधि ऋण और परियोजना वित्तपोषण सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदान करता है, जो कारोबार के विकास और विस्तार के लिए आवश्यक हैं. वित्तीय वर्ष 2024 में, बैंक के कॉर्पोरेट अग्रिम वित्तीय वर्ष 2023 में ₹3,73,188 करोड़ से बढ़कर ₹407,815 करोड़ हो गए, जो 4.8% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को चिह्नित करते हैं.

| कॉर्पोरेट अग्रिम वृद्धि (₹ करोड़ में) | वित्तीय वर्ष 2023 | वित्तीय वर्ष 2024 | वृद्धि | वृद्धि % |
|---|---|---|---|---|
| कॉर्पोरेट अग्रिम | 3,73,188 | 407,815 | 34,627 | 9.28 |

### डिजिटल ऋण आवेदन प्लेटफॉर्म

यूनियन बैंक ने ऋण आवेदनों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे कारोबारों को ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाया जा सकता है. ये प्लेटफ़ॉर्म आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हैं, कागजी कार्रवाई को कम करते हैं, और ऋण अनुमोदन में तेजी लाते हैं, जिससे उद्यमों के लिए वित्तपोषण तक पहुँच आसान हो जाता है. वित्तीय वर्ष 2024 में, बैंक ने डिजिटल स्वर्ण ऋण आवेदन के माध्यम से ₹5,007 करोड़ जुटाए और स्वीकृत किए.

| डिजिटल ऋण आवेदन | वित्तीय वर्ष 2023 | वित्तीय वर्ष 2024 |
|---|---|---|
| स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) | 4,200 | 5,007 |
| आवेदनों की संख्या | 220,000 | 250,433 |

**जीआरआई**

203-1, 203-2

### हरित वित्तपोषण पहल

यूनियन बैंक पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं में निवेश करने वाले उद्यमों को अनुकूल शर्तों की पेशकश करके या हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाकर हरित वित्तपोषण को बढ़ावा देता है. बैंक अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, ऊर्जा दक्षता में सुधार और संवहनीय अवसंरचना के विकास के लिए ऋण प्रदान करता है. यथा मार्च, 2024, बैंक ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए ₹23,059 करोड़ तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यूनियन ग्रीन माइल्स योजना के अंतर्गत ₹462 करोड़ मंजूर किए.

### फिनटेक साझेदारी और डिजिटल समाधान

फिनटेक कंपनियों के साथ सहयोग ने उद्यमी ग्राहकों के लिए बैंक के डिजिटल समाधानों को बढ़ाया है. इन साझेदारियों ने अभिनव वित्तीय उत्पादों के विकास को सक्षम किया है, यथा तत्काल ऋण अनुमोदन और डिजिटल भुगतान समाधान, समग्र ग्राहक अनुभव में सुधार. यूनियन बैंक ने विभिन्न डिजिटल समाधानों को लागू करने के लिए 84 फिनटेक को सूचीबद्ध किया है, जिसमें 18 ऑनबोर्ड किए जा चुके हैं.

"

यूनियन बैंक ने कृषि ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाई है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 20.95 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि प्राप्त की है, जिसमें कुल बकाया कृषि अग्रिम रु. 183,833 करोड़ तक पहुंच गया है.

**जीआरआई**

203-1, 203-2

| फिनटेक सहयोग | वित्तीय वर्ष 2023 | वित्तीय वर्ष 2024 |
|---|---|---|
| सूचीबद्ध फिनटेक की संख्या | 70 | 84 |
| सक्रिय फिनटेक भागीदारी | 15 | 18 |

## साइबर सुरक्षा उपाय

यूनियन बैंक ने अपने उद्यमी ग्राहकों की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू किया है. इनमें परतदार सुरक्षा तंत्र के साथ एक रक्षा-गहन स्थापत्य, 24x7 साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सी-एसओसी), और आईएसओ 27001 और पीसीआई-डीएसएस जैसे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का अनुपालन शामिल है. बैंक संभावित खतरों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए नियमित रूप से भेद्यता आकलन और पैठ परीक्षण भी आयोजित करता है.

| साइबर सुरक्षा मेट्रिक्स | वित्तीय वर्ष 2023 | वित्तीय वर्ष 2024 |
|---|---|---|
| साइबर सुरक्षा की घटनाओं की सं. जिन पर कार्रवाई हुई | 10,917 | 8,630 |
| अनुपालन प्रमाणपत्र | ISO 27001, PCI-DSS | ISO 27001, PCI-DSS |

## कृषि अग्रिम

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कृषि अग्रिमों पर ज़ोर दिया जाना ग्रामीण विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है. सांविधिक लक्ष्यों को पार करने में बैंक का सुसंगत कार्यनिष्पादन और कृषि क्षेत्र के लिए तैयार किए गए वित्तीय उत्पादों की इसकी विस्तृत शृंखला भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को सहयोग प्रदान करने और किसानों की आजीविका बढ़ाने में बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है.

बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में सहयोग करने और गरीबी को कम करने के लिए कृषि ऋण को प्राथमिकता देता है. बैंक किसानों की जरूरतों के अनुरूप विभिन्न प्रकार के वित्तीय उत्पाद प्रदान करता है, जिसमें फसल ऋण, कृषि उपकरण ऋण और कृषि बुनियादी ढाँचे के लिए ऋण शामिल हैं. 31 मार्च, 2024 तक बैंक के सकल अग्रिमों का 20.95% कृषि अग्रिम थे, जिससे कृषि क्षेत्र को दिया गया महत्व प्रदर्शित होता है.

## कार्यनिष्पादन और विकास सांख्यिकी

यूनियन बैंक ने लगातार सांविधिक कृषि प्राथमिकता लक्ष्यों को पार किया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में, बैंक ने अपने कृषि ऋण पोर्टफोलियो में 20.95% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हासिल की, जिसमें बकाया कृषि अग्रिम ₹183,833 करोड़ तक पहुंचा.

| कृषि अग्रिम (₹ करोड़ में) | मार्च, 2023 | मार्च, 2024 | वृद्धि | वृद्धि% |
|---|---|---|---|---|
| कृषि ऋण (फसल, निवेश और संबद्ध) | 117,085 | 139,658 | 22,573 | 19.28 |
| कृषि सहायक गतिविधियां | 31,105 | 40,278 | 9,173 | 29.50 |
| कृषि अवसंरचना | 3,803 | 3,897 | 94 | 2.47 |
| **कुल कृषि अग्रिम** | **151,993** | **183,833** | **31,840** | **20.95** |

## किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य कृषि योजनाएं

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना किसानों को फसल की खेती और अन्य कृषि जरूरतों के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, यूनियन बैंक ने 4.11 लाख नए केसीसी जारी किए, जिनकी राशि ₹ 6,896.45 करोड़ है. इसके अतिरिक्त, बैंक किसानों को वित्तीय सहायता और जोखिम न्यूनीकरण हेतु प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) जैसी विशेष योजनाएं प्रदान करता है.

## छोटे और सीमांत किसानों के लिए सहायता

यूनियन बैंक लक्षित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों का समर्थन करने के लिए समर्पित है. यथा दिनांक 31 मार्च, 2024 छोटे और सीमांत किसानों का बकाया ऋण ₹95,171 करोड़ था, जो 9.50% के बेंचमार्क के मुकाबले समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) का 13.33% था. बैंक इन किसानों को उनकी उत्पादकता और आय में सुधार करने में मदद करने के लिए रियायती ऋण और सब्सिडी प्रदान करता है.

## एमएसएमई उन्नति

"हमारे डिजिटल बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म अब ₹ 25 लाख तक के एमएसएमई ऋण का समर्थन करते हैं, जिससे वित्तीय समावेशन और ग्राहक संतुष्टि बढ़ती है. हमारे डिजिटल परिवर्तन और एमएसएमई पर इसके प्रभाव के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें.

**जीआरआई**

203-1, 203-2

एमएसएमई उन्नति के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कार्यनीतिक पहल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में सहयोग करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट करती है. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि एमएसएमई के पास समर्पित शाखाओं, विशेष योजनाओं और डिजिटल समाधानों के माध्यम से सफल होने के लिए आवश्यक संसाधन और सहयोग हो.

बैंक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का सहयोग करने पर केंद्रित है. बैंक एमएसएमई को बढ़ने और फलने-फूलने में

"

यूनियन नारी शक्ति योजना के माध्यम से 22,600 से अधिक आवेदन स्वीकृत किए गए, जिससे पूरे भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाया गया. महिला उद्यमियों का समर्थन करने वाली और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली हमारी पहलों के बारे में जानें.

मदद करने के लिए कार्यशील पूंजी ऋण, सावधि ऋण और अन्य क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करता है. वित्तीय वर्ष 2024 में, यूनियन बैंक का कुल एमएसएमई अग्रिम ₹135,761 करोड़ तक पहुंच गया, जो 8.59% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को दर्शाता है.

| एमएसएमई अग्रिम (₹ करोड़ में) | मार्च 2023 | मार्च 2024 | वृद्धि | वृद्धि% |
|---|---|---|---|---|
| सूक्ष्म | 63,899 | 72,134 | 8,235 | 12.89 |
| लघु | 38,527 | 39,756 | 1,229 | 3.19 |
| मध्यम | 22,596 | 23,871 | 1,275 | 5.64 |
| **कुल एमएसएमई** | **125,022** | **135,748** | **10,739** | **8.58** |

## यूनियन एमएसएमई फस्ट ब्रांच

एमएसएमई की जरूरतों को विशेष रूप से पूरा करने के लिए, यूनियन बैंक ने विशेष शाखाएं स्थापित की हैं जिन्हें यूनियन एमएसएमई फर्स्ट ब्रांच के नाम से जाना जाता है. ये शाखाएं एमएसएमई ग्राहकों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करती हैं, जिससे ऋण तक समय पर और कुशल पहुंच सुनिश्चित होती है. वित्तीय वर्ष 2024 में ₹10,189 करोड़ के कुल एमएसएमई पोर्टफोलियो के साथ 105 यूनियन एमएसएमई फर्स्ट ब्रांच थीं. इन शाखाओं ने 3,959 करोड़ राशि के 3,578 ऋण स्वीकृत किये.

## विशिष्ट योजनाएं और क्लस्टर विकास कार्यनीतियाँ

यूनियन बैंक एमएसएमई क्लस्टर/ समूहों को समर्थन देने के लिए विशेष योजनाएं और विकास कार्यनीतियां लागू करता है. इनमें क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट ऋण उत्पाद, ब्याज दर रियायतें और अनुदान शामिल हैं. बैंक के पास संपूर्ण भारत में 27 स्वीकृत क्लस्टर-विशिष्ट योजनाएं हैं, इन योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2024 में कुल स्वीकृत राशि ₹3,607 करोड़ है.

| चिन्हित एमएसएमई योजनाओं के तहत कार्यनिष्पादन | स्वीकृत खाते (संख्या) | स्वीकृत राशि (रु. करोड़ में) |
|---|---|---|
| यूनियन एमएसएमई सुविधा | 5,607 | 4,930 |
| यूनियन नारी शक्ति | 22,676 | 2,555 |
| यूनियन इक्विपमेंट फाइनेंस | 922 | 580 |
| यूनियन आयुष्मान प्लस | 582 | 387 |
| यूनियन सोलर | 186 | 156 |
| यूनियन कॉन्ट्रैक्टर | 541 | 736 |
| यूनियन टेक्सटाइल | 265 | 185 |

## एमएसएमईएस के लिए डिजिटल समाधान

बैंक एमएसएमई के लिए तैयार डिजिटल समाधान जैसे ऑनलाइन ऋण आवेदन, डिजिटल भुगतान समाधान और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रदान करता है. ये समाधान एमएसएमई ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच और दक्षता को बढ़ाते हैं. वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, एमएसएमई ऋणों के लिए बैंक की डिजिटल यात्रा में निम्नलिखित उपलब्धियाँ शामिल थीं:

- **डिजिटल यात्रा खाते:** ₹ 698 करोड़ की राशि के 62,762 खाते स्वीकृत हुए.
- **एमएसएमई खातों का डिजिटल नवीनीकरण:** 5.98 लाख एमएसएमई खातों की डिजिटल समीक्षा की गई, जो स्लैब के तहत कुल खातों का 98% प्रतिनिधित्व करते हैं.

- **पीएमस्वनिधि योजना के तहत स्वीकृति:** आवेदनों का तेजी से निपटान और टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) में सुधार.

| डिजिटल यात्रा खातों की स्वीकृत संख्या | खातों की संख्या | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| एसटीपी शिशु मुद्रा | 55,365 | 267 |
| एसटीपी किशोर मुद्रा | 4,365 | 117 |
| एसटीपी तरुण मुद्रा | 1,991 | 173 |
| नारी शक्ति एसटीपी | 519 | 30 |
| जीएसटी अभिलाभ | 522 | 110 |
| **कुल** | **62,762** | **698** |

## प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वित्तीय समावेशन पहल, बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और अनुपयुक्त आबादी तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने की उसकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है. डिजिटल प्रौद्योगिकी और मजबूत कारोबार प्रतिनिधि अवसंरचना के कार्यनीतिक उपयोग के माध्यम से, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि आवश्यक वित्तीय सेवाएं सभी के लिए सुलभ हों, जिससे प्रेरक आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिले.

बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के वैधानिक लक्ष्य को पार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, आवास और सामाजिक बुनियादी ढांचा शामिल है. ये प्रयास आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. यथा दिनांक 31 मार्च, 2024, यूनियन बैंक ने 40% के वैधानिक लक्ष्य के मुकाबले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के लिए समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) का 41.32% प्राप्त किया. बैंक वैधानिक लक्ष्यों को पार करके और अनुरूप वित्तीय उत्पाद प्रदान करके विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों का समर्थन करता है, जो देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है.

**जीआरआई**

203-1, 203-2

"

महिला लाभार्थियों को दिए गए ऋण में 18.90% की वृद्धि हुई, जो मार्च, 2024 में ₹105,954 करोड़ तक पहुंच गया, जो महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए यूनियन बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

| प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (₹ करोड़ में) | वित्तीय वर्ष 2023 | वित्तीय वर्ष 2024 | वृद्धि | एएनबीसी हेतु % |
|---|---|---|---|---|
| प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कुल अग्रिम | 302,006 | 334,098 | 32,092 | 41.32% |
| कृषि | 135,430 | 159,745 | 24,315 | 19.83% |
| लघु और सीमांत किसान | 95,171 | 109,540 | 14,369 | 13.24% |
| सूक्ष्म उद्यम | 62,500 | 73,223 | 10,723 | 9.10% |
| कमजोर वर्ग | 104,698 | 118,631 | 13,933 | 14.25% |
| महिला लाभार्थी | 89,110 | 105,954 | 16,844 | 16.30% |

## महिलाओं, अल्पसंख्यक समुदायों और कमजोर वर्गों को ऋण

यूनियन बैंक द्वारा महिलाओं, अल्पसंख्यक समुदायों और समाज के कमजोर वर्गों को महत्वपूर्ण ऋण सुविधाएं प्रदान किए जाते है. इन पहलों का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, हाशिए पर रहने वाले समूहों को सशक्त बनाना और सामाजिक उत्थान का समर्थन करना है.

- **महिला लाभार्थी:** महिला लाभार्थियों हेतु ऋण मार्च 2023 में ₹ 89,110 करोड़ से बढ़कर मार्च 2024 में ₹ 105,954 करोड़ हो गया, जो 18.90% की वृद्धि दर्शाता है.
- **अल्पसंख्यक समुदाय:** 31 मार्च, 2023 तक अल्पसंख्यकों का बकाया ऋण ₹ 28,314 करोड़ था, जो प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 9.38% था.
- **कमजोर वर्ग:** कमजोर वर्गों को दिया ऋण ₹ 118,631 करोड़ तक पहुंच गया, जो 11.50% के बेंचमार्क के मुकाबले एएनबीसी का 14.25% है.

## उपलब्धियाँ और कार्यनिष्पादन मेट्रिक्स

यूनियन बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने में लगातार उच्च कार्यनिष्पादन मेट्रिक्स हासिल किए हैं. वित्तीय वर्ष 2023-24 में, बैंक ने विविध सामाजिक आवश्यकताओं का समर्थन करने के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित करते हुए, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को आगे बढ़ाने के अपने लक्ष्य को पार कर लिया है.

> "वित्तीय समावेशन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता इस बात से स्पष्ट है कि 2.98 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है. आइए जानें कि हम किस तरह वंचित समुदायों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं.

| विशिष्ट ऋण पहल | खातों की संख्या | स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| पीएमस्वनिधि योजना | 8,87,399 | 1,242 |
| यूनियन गारंटीड आपातकालीन ऋण व्यवस्था | 3,92,281 | 16,810 |
| कोविड उपचार के लिए यूनियन पर्सनल लोन (यूपीएलसीटी | 1,193 | 48 |
| प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), | 12,51,545 | 22,710 |

## वित्तीय समावेशन पहल

### प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाते

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमयूडीवाई) पहल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो बैंक रहित आबादी को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ाता है. बैंक ने लाखों पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं, जिससे व्यक्तियों को आवश्यक वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिली है. 31 मार्च, 2024 तक, यूनियन बैंक ने 210,918 करोड़ की शेष राशि के साथ ₹ 2.95 करोड़ पीएमआईडीवाई खाते खोले थे, जबकि पिछले वर्ष ₹ 29,046 करोड़ के साथ ₹ 2.80 करोड़ खाते खोले गए.

| पीएमजेडीवाई खाते (संख्या करोड़ में) | मार्च, 2023 | मार्च, 2024 |
|---|---|---|
| कुल पीएमजेडीवाई खाते | 2.80 | 2.95 |
| पीएमजेडीवाई खातों में शेष (रु. करोड़) | 9,046 | 10,918 |

### बैंक प्रतिनिधि अवसंरचना

यूनियन बैंक ने विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन प्रयासों का समर्थन करने के लिए एक मजबूत बैंक प्रतिनिधि बुनियादी ढांचा विकसित किया है. बैंक में 19,603 से अधिक कारोबार प्रतिनिधि कार्यरत हैं जो मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, दूरदराज के समुदायों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं. ये प्रतिनिधि खाता खोलने, नकद जमा करने, निकासी और ऋण आवेदन सहित विभिन्न बैंकिंग गतिविधियों की सुविधा प्रदान करते हैं, बैंक की पहुंच बढ़ाते हैं और सेवा पहुंच सुनिश्चित करते हैं.

### वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल एकीकरण

यूनियन बैंक वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है. मोबाइल बैंकिंग ऐप और इंटरनेट बैंकिंग जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं तक आसानी से और सुरक्षित रूप से पहुंचने में सक्षम बनाते हैं. 31 मार्च, 2024 तक बैंक के व्योम ऐप और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म पर 35.3 मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, जिससे इन चैनलों के माध्यम से महत्वपूर्ण कारोबार उत्पन्न हो रहा है.

| डिजिटल चैनलों का उपयोग | मार्च 2023 | मार्च 2024 |
|---|---|---|
| व्योम+ इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता (मिलियन) | 29.02 | 35.3 |
| डिजिटल यात्राओं के माध्यम से उत्पन्न कारोबार (₹ करोड़) | 6,500 | 8,300 |

## संसाधन प्रबंधन और ट्रेजरी परिचालन

**>12,92,399**

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) में 31 मार्च, 2024 तक नामांकन

**>78,19,103**

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में 31 मार्च, 2024 तक नामांकन

**>7,72,910**

अटल पेंशन योजना (एपीवाई): 31 मार्च 2024 तक का नामांकन

**जीआरआई**

203-1, 203-2

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का संसाधन प्रबंधन और ट्रेजरी परिचालन संवहनीय विकास और वित्तीय समावेशन प्राप्त करने पर इसके कार्यनीतिक फोकस को दर्शाता है. प्रभावी जमा प्रबंधन, कॉर्पोरेट और एनआरआई ग्राहकों के लिए विशेष सेवाओं और उन्नत ट्रेजरी परिचालन के माध्यम से, बैंक अपने हितधारकों के लिए वित्तीय स्थिरता और इष्टतम प्रतिलाभ सुनिश्चित करता है. बैंक ने अपने कुल कारोबार में महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल की है, जिसमें अग्रिम, जमा और अन्य वित्तीय सेवाएं शामिल हैं. 31 मार्च 2024 तक, बैंक का कुल कारोबार ₹ 21,26,412 करोड़ था, जो वर्ष दर वर्ष 10.31% की वृद्धि दर्ज करता है.

"

प्रभावी जमा के कारण कुल जमा में 9.5% की वृद्धि हुई है, कासा अनुपात 35.14% रहा, जिससे यूनियन बैंक के परिचालन के लिए वित्तीय स्थिरता और एक स्थिर वित्तपोषण आधार सुनिश्चित हुआ है.

| कुल कारोबार कार्य-निष्पादन (₹ करोड़ में) | मार्च 2023 | मार्च 2024 | वृद्धि | वृद्धि % |
|---|---|---|---|---|
| कुल कारोबार | 19,27,621 | 21,26,912 | 1,98,791 | 10.31 |
| जमा | 11,17,716 | 12,21,528 | 1,03,812 | 9.29 |
| अग्रिम | 8,09,905 | 9,04,884 | 94,979 | 11.73 |

## जमा और कासा प्रबंधन

बैंक की वित्तीय स्थिरता के लिए जमा और कासा (चालू खाता, बचत खाता) का प्रभावी प्रबंधन महत्वपूर्ण है. यूनियन बैंक ने अपने परिचालन के लिए एक स्थिर फंडिंग आधार सुनिश्चित करते हुए जमा को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए कार्यनीतियों को लागू किया है. 31 मार्च, 2024 तक कासा अनुपात 33.58% था.

| जमा और कासा प्रबंधन (₹ करोड़ में) | मार्च 2023 | मार्च 2024 | वृद्धि | वृद्धि % |
|---|---|---|---|---|
| कासा जमा | 3,94,055 | 4,10,134 | 16,079 | 4.08 |
| सावधि जमा | 7,23,661 | 8,11,395 | 87,734 | 12.12 |
| कुल जमा | 11,17,716 | 12,21,528 | 1,03,812 | 9.29 |
| कासा अनुपात (%) | 35.26 | 33.58 | - | - |

## कॉर्पोरेट वेतन प्रभाग और एनआरआई सहभागिता

बैंक कॉर्पोरेट वेतन खातों और अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को अनुरूप सेवाएं प्रदान करता है. इन सेवाओं में पेरोल प्रबंधन, अधिमानी ब्याज दरें और वैयक्तिकृत बैंकिंग समाधान शामिल हैं, जो ग्राहकों की संतुष्टि और जुड़ाव को बढ़ाते हैं. प्रमुख कंपनियों और सरकारी संस्थानों के साथ साझेदारी बढ़ने से कॉर्पोरेट वेतन प्रभाग में वृद्धि हुई है, जबकि एनआरआई जमा में भी अच्छी वृद्धि देखी गई है.

| कॉर्पोरेट वेतन प्रभाग और एनआरआई कारोबार (₹ करोड़ में) | मार्च, 2023 | मार्च, 2024 | वृद्धि | वृद्धि % |
|---|---|---|---|---|
| एनआरआई जमा | 36,500 | 40,700 | 4,200 | 11.5 |
| कॉर्पोरेट वेतन खाते | 75,000 | 82,000 | 7,000 | 9.3 |

## ट्रेजरी परिचालन और चलनिधि प्रबंधन

यूनियन बैंक के ट्रेजरी परिचालन में बैंक की तरलता, निवेश और विदेशी मुद्रा गतिविधियों का प्रबंधन शामिल है. बैंक इष्टतम तरलता सुनिश्चित करने और निवेश पर अधिकतम प्रतिलाभ सुनिश्चित करने के लिए उन्नत जोखिम प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करता है. वित्तीय वर्ष 2024 में ट्रेजरी खंड ने ₹31,656.46 करोड़ का राजस्व और ₹4,240.79 लाख का लाभ दर्ज किया.

| ट्रेजरी परिचालन कार्य-निष्पादन (₹ करोड़ में) | वित्तीय वर्ष 2023 | वित्तीय वर्ष 2024 | वृद्धि | वृद्धि % |
|---|---|---|---|---|
| ट्रेजरी राजस्व | 26,442.90 | 31,656.46 | 5,213,56 | 19.7 |
| ट्रेजरी लाभ | 2,426.80 | 4,240.79 | 1,813.99 | 74.7 |

## शाखा नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शाखा नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और वैश्विक कारोबार का समर्थन करने की इसकी कार्यनीति के महत्वपूर्ण घटक हैं. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय शाखाओं के एक मजबूत नेटवर्क के माध्यम से, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि वह आर्थिक विकास और वैश्विक वित्तीय एकीकरण में योगदान करते हुए अपने ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा कर सके. बैंक पूरे भारत में बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए अपने घरेलू शाखा नेटवर्क का विस्तार करना जारी रखता है. यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएँ खोलने पर केंद्रित है. 31 मार्च, 2024 तक, बैंक ने देश भर में 8,466 शाखाएँ संचालित कीं, जिनमें से 59% ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित थीं.

| शाखा नेटवर्क (31 मार्च 2024 तक) | शाखाओं की संख्या | कुल शाखाओं का प्रतिशत |
|---|---|---|
| ग्रामीण | 2,540 | 30% |
| अर्ध शहरी | 2,436 | 29% |
| शहरी | 1,728 | 20% |
| मेट्रो | 1,760 | 21% |
| कुल घरेलु शाखाएं | 8,464 | 100% |
| विदेशी शाखाएं | 2 | - |
| कुल शाखाएं | 8,466 | - |

### विदेशी शाखा कार्यनिष्पादन

यूनियन बैंक की अंतरराष्ट्रीय शाखाएं इसकी वैश्विक उपस्थिति और परिचालन विविधता में योगदान करती है. ये शाखाएं विदेशी बाजार में प्रवासियों, कारोबार और व्यक्तियों को बैंकिंग सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करती है. यथा दिनांक 31 मार्च, 2024, यूनियन बैंक की सिडनी और दुबई में विदेशी शाखाएं थी, साथ ही लंदन में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड और मलेशिया में एक संयुक्त उद्यम, इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बहराद के माध्यम से परिचालित था.

**जीआरआई**

201-1, 201-2, 203-1, 203-2

> 8,466 शाखाओं के साथ, जिनमें से 59% ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं, यूनियन बैंक यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय सेवाएँ पूरे देश में सुलभ हों. आइए जानें कि हमारा व्यापक शाखा नेटवर्क पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को कैसे बढ़ावा देता है.

"

यूनियन बैंक का विदेशी कारोबार मार्च, 2024 में 47.90% बढ़कर ₹ 53,583 करोड़ हो गया है, जिसमें सकल अग्रिम पोर्टफोलियो में 27.03% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो इसके बढ़ते वैश्विक फूटप्रिंट को उजागर करता है.

| विदेशी शाखा का कार्यनिष्पादन (₹ करोड़ में) | मार्च 2023 | मार्च 2024 | वृद्धि | % वृद्धि |
|---|---|---|---|---|
| विदेशी कारोबार | 36,229 | 53,583 | 17,354 | 47.90% |
| सकल अग्रिम पोर्टफोलियो | 24,603 | 31,252 | 6,649 | 27.03% |
| परिचालन लाभ | 187 | 87 | (100) | (53.59%) |

## अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग पहल

यूनियन बैंक अपनी वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में विभिन्न पहल करता है. इनमें विदेशी बैंकों के साथ साझेदारी, व्यापार वित्तीय सेवाएँ, धन प्रेषण समाधान और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश का समर्थन करना शामिल है. बैंक 520 बैंकों के साथ 94 देशों में आरएमए (रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन) संबंध बनाए रखता है और 15 अलग-अलग मुद्राओं में नोस्ट्रो खाते संचालित करता है.

| अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग मेट्रिक्स | वित्तीय वर्ष 2023 | वित्तीय वर्ष 2024 |
|---|---|---|
| आरएमए संबंध वाले देश | 94 | 94 |
| आरएमए संबंध वाले बैंक | 520 | 520 |
| नोस्ट्रो खाते | 33 | 33 |
| नोस्ट्रो खातों के लिए मुद्राएँ | 15 | 15 |

जीआरआई

201-1, 201-2, 203-1, 203-2

## संपदा प्रबंधन और संबंध बैंकिंग

### तृतीय-पक्ष उत्पादों का वितरण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, बीमा और निवेश उत्पादों सहित विभिन्न तृतीय-पक्ष वित्तीय उत्पाद वितरित करता है. ये पेशकश व्यापक वित्तीय आयोजना समाधान प्रदान करके ग्राहक मूल्य को बढ़ाती हैं. वित्तीय वर्ष 2024 में, बैंक ने तृतीय-पक्ष उत्पादों के वितरण के माध्यम से ₹388.50 करोड़ अर्जित किए, जो वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में 7.82% की वृद्धि को दर्शाता है.

| तृतीय-पक्ष उत्पादों का संवितरण (₹ करोड़ में) | वित्तीय वर्ष 2023 | वित्तीय वर्ष 2024 | % वृद्धि |
|---|---|---|---|
| बीमा | 233.69 | 278.40 | 19.10 |
| गैर-जीवन बीमा | 50.76 | 29.76 | -41.40 |
| स्वास्थ्य बीमा | 49.13 | 54.49 | 10.90 |
| म्यूचुअल फंड | 19.77 | 20.80 | 5.21 |
| कुल | 353.35 | 383.45 | 7.82 |

### संपदा प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म

यूनियन बैंक ने संपदा प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म विकसित किए हैं, जिससे ग्राहक ऑनलाइन वित्तीय आयोजना टूल्स और निवेश सेवाओं तक पहुँच सकते हैं. 400 से अधिक सुविधाएँ प्रदान करने वाला व्योम ऐप निवेश प्रबंधन, बीमा उत्पाद खरीदने और विभिन्न वित्तीय आयोजना टूल्स तक पहुँचने के लिए एक सहज और सुविधाजनक इंटरफ़ेस प्रदान करता है.

## नए बीमा और निवेश उत्पाद

यूनियन बैंक अपने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार अपने बीमा और निवेश उत्पादों में नवाचार करता रहता है. वित्तीय वर्ष 2024 में, यूनियन सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस, यूनियन पिंक 2.0 (महिलाओं के लिए कैंसर योजना) और यूनियन बिजनेस साइकिल फंड, यूनियन चिल्ड्रन फंड और यूनियन इनोवेशन एंड ऑपर्च्युनिटीज फंड जैसे कई नए फंड ऑफर (एनएफओ) सहित कई नए उत्पाद लॉन्च किए गए. ये उत्पाद आकर्षक रिटर्न और व्यापक कवरेज प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे ग्राहकों को अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलती है.

| शुरू किए गए नए उत्पाद | विवरण |
|---|---|
| **यूनियन सुपर टॉप अप स्वास्थ्य बीमा** | कॉर्पोरेट वेतन खाताधारकों, पेंशनभोगियों और यूबीआई कर्मचारियों के लिए |
| **यूनियन पिंक 2.0** | मणिपाल सिग्ना द्वारा महिलाओं के लिए उन्नत कैंसर योजना |
| **एनएफओ** | यूनियन बिजनेस साइकिल फंड, यूनियन चिल्ड्रन फंड, यूनियन इनोवेशन एंड ऑपर्च्युनिटीज फंड |

> बीएफएसआई कॉन्क्लेव और अवार्ड्स में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर और इनोवेटिव बैंक ऑफ द ईयर के लिए सम्मानित किया गया. आइए जानें कि यूनियन बैंक डिजिटल बैंकिंग और ग्राहक सेवा नवाचार में अग्रणी कैसे है.

## नवोन्मेष और डिजिटल परिवर्तन

**जीआरआई**

201-1, 201-2, 302-1, 302-4, 417-1 418-1

### डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में अग्रणी है, जो ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग समाधानों का एक व्यापक सेट प्रदान करता है. इन सेवाओं में फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान, खाता प्रबंधन और ग्राहक सहायता शामिल हैं, जो सुविधा और पहुंच को बढ़ाती हैं. 400 से अधिक सुविधाओं के साथ रीब्रांड किया गया व्योम ऐप एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करता है, जिससे ग्राहक अपनी बैंकिंग आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं.

### ऐप और इंटरनेट बैंकिंग

बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं तक सुरक्षित और सुविधाजनक पहुँच प्रदान करता है. सुविधाओं में रीयल-टाइम ट्रांजेक्शन अलर्ट, बैलेंस पूछताछ और ऑनलाइन ऋण आवेदन शामिल हैं, जो एक सहज बैंकिंग अनुभव सुनिश्चित करते हैं. 31 मार्च, 2024 तक, इन प्लेटफ़ॉर्म पर 35.3 मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्ता थे, जो बैंक की व्यापक डिजिटल पहुँच और ग्राहक जुड़ाव को दर्शाता है.

"

फिनटेक क्षमताओं को एकीकृत करके एवं ग्राहक विश्लेषण के लिए एमएल का उपयोग करके, यूनियन बैंक वैयक्तिक बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है, जिससे नवाचार और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ावा मिलता है.

**जीआरआई**

302, 305, 306, 203, 304, 413

| डिजिटल बैंकिंग मेट्रिक्स | वित्तीय वर्ष 2023 | वित्तीय वर्ष 2024 |
|---|---|---|
| पंजीकृत उपयोगकर्ता (मिलियन में) | 29.02 | 35.3 |
| उत्पन्न कारोबार (₹ करोड़ में) | 6,500 | 8,300 |

### एआई और एमएल पहल

यूनियन बैंक नवोन्मेष को बढ़ावा देने और सेवा वितरण में सुधार करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) का लाभ उठाता है. इन तकनीकों का उपयोग धोखाधड़ी का पता लगाने, ग्राहक विश्लेषण और वैयक्तिकृत बैंकिंग सेवाओं के लिए किया जाता है, जिससे परिचालन दक्षता और ग्राहक संतुष्टि बढ़ती है. बैंक ने कई एआई-आधारित समाधान लागू किए हैं, जैसे वीडियो केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न फिनटेक क्षमताओं को एकीकृत किया है.

**प्रमुख एआई और एमएल पहलों में शामिल हैं:**

- **धोखाधड़ी का पता लगाना :** रियल टाईम में धोखाधड़ी गतिविधियों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एमएल एल्गोरिदम का उपयोग करना.
- **ग्राहक विश्लेषण :** ग्राहक व्यवहार और प्राथमिकताओं का विश्लेषण करने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ उठाना, जिससे वैयक्तिक बैंकिंग अनुभव संभव हो सके.
- **वीडियो केवाईसी :** ग्राहक ऑनबोर्डिंग और सत्यापन में तेजी लाने के लिए एआई-संचालित वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं को लागू करना.
- **फिनटेक एकीकरण :** नवीन समाधानों को शामिल करने और समग्र बैंकिंग अनुभव को बढ़ाने के लिए फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी करना.

## संवहनीयता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी

### हरित बैंकिंग प्रथाएँ

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया संवहनीयता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए हरित बैंकिंग प्रथाओं को अपनाता है. इन प्रथाओं में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करना, बैंक के कार्बन फूटप्रिंट को कम करना और पर्यावरण के अनुकूल कार्यालय प्रथाओं को लागू करना शामिल है. बैंक की हरित वित्तपोषण पहलों ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और ऊर्जा दक्षता सुधारों में पर्याप्त

निवेश किया है. मार्च, 2024 तक, यूनियन बैंक ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए ₹23,059 करोड़ मंजूर किए, जो संवहनीय विकास का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

### नेट-जीरो उत्सर्जन के लिए पहल

बैंक विभिन्न पहलों के माध्यम से नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है. इनमें नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश, ऊर्जा दक्षता में सुधार और अपशिष्ट को कम करना शामिल है. यूनियन बैंक का लक्ष्य अपने परिचालन को वैश्विक संवहनीय मानकों के अनुरूप बनाना और कम कार्बन अर्थव्यवस्था में योगदान देना है. प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- **नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश :** सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं का वित्तपोषण.
- **ऊर्जा दक्षता सुधार :** बैंक परिचालनों और सुविधाओं में ऊर्जा-बचत प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को लागू करना.
- **अपशिष्ट न्यूनीकरण :** पुनर्चक्रण कार्यक्रमों को बढ़ाना और गैर-पुनर्चक्रणीय सामग्रियों के उपयोग को कम करना.

### संवहनीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में योगदान

यूनियन बैंक संयुक्त राष्ट्र के संवहनीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में सक्रिय रूप से योगदान देता है. वित्तीय समावेशन, हरित वित्तपोषण और सामुदायिक विकास में बैंक की पहल कई एसडीजी का समर्थन करती है, जिनमें शामिल हैं:

| | |
|---|---|
| 1 NO POVERTY | **गरीबी घटाना (एसडीजी 1) :** वित्तीय समावेशन पहलों और हाशिए पर खड़े समुदायों के लिए लक्षित ऋण कार्यक्रमों के माध्यम से. |
| 4 QUALITY EDUCATION | **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (एसडीजी 4) :** शिक्षा ऋण प्रदान करके और शैक्षणिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समर्थन देकर. |
| 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY | **स्वच्छ ऊर्जा (एसडीजी 7) :** नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में पर्याप्त निवेश के माध्यम से. |
| 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH | **आर्थिक विकास (एसडीजी 8) :** एमएसएमई को वित्तपोषित करके और आर्थिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करके. |

संवहनीयता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति यूनियन बैंक की प्रतिबद्धता इसके परिचालन का अभिन्न अंग है, जो पर्यावरण और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के प्रति इसके समर्पण को दर्शाता है.

## पुरस्कार और मान्यता

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को अपने नवाचार, कार्यनिष्पादन और संवहनीयता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं. ये पुरस्कार डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय समावेशन और ग्राहक सेवा में बैंक के नेतृत्व को मान्यता देते हैं. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, यूनियन बैंक को विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें इसके कार्यनीतिक फोकस और परिचालन उत्कृष्टता को रेखांकित किया गया.

### बैंकिंग उद्योग पुरस्कार और उपलब्धियां

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को विभिन्न पुरस्कारों के माध्यम से लगातार मान्यता मिलना नवाचार, ग्राहक सेवा और संवहनीयता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. ये सम्मान उत्कृष्टता हेतु बैंक के

> "
>
> यूनियन बैंक का ईएसजी सेल सभी परिचालनों में पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन संबंधी विचारों के एकीकरण को सुनिश्चित करता है. ईएसजी एकीकरण और जोखिम प्रबंधन के लिए हमारे व्यापक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ें.

**जीआरआई**

302, 305, 306, 203, 304, 413

"

बीएफएसआई कॉन्क्लेव और अवाड्र्स में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर और इनोवेटिव बैंक ऑफ द ईयर के लिए सम्मानित किया गया. आइए जानें कि यूनियन बैंक डिजिटल बैंकिंग और ग्राहक सेवा नवाचार में अग्रणी कैसे है.

कार्यनीतिक फोकस और सेवा वितरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए इसके निरंतर प्रयासों को दर्शाते हैं.

बैंकिंग उद्योग द्वारा बैंक को प्राप्त पुरस्कार खुदरा बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और एमएसएमई ऋण सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसकी उपलब्धियों को रेखांकित करते हैं. ये मान्यताएं यूनियन बैंक की उत्कृष्टता के प्रति समर्पण और एक विश्वसनीय वित्तीय संस्थान के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाती हैं. वर्ष के दौरान प्राप्त प्रमुख पुरस्कार और मान्यताएँ निम्नानुसार हैं:

| पुरस्कार/मान्यता | विवरण |
|---|---|
| **सर्वश्रेष्ठ डिजिटल सहभागिता प्रशस्ति पत्र (उपविजेता, लार्ज बैंक)** | बैंक की असाधारण डिजिटल सहभागिता पहल के लिए 19वें आईबीए टेक एक्सपो में सम्मानित किया गया. |
| **बीएफएसआई कॉन्क्लेव और पुरस्कार** | डिजिटल परिवर्तन नेतत्वक्ती, उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग, डिजिटल सुरक्षा नेतत्वक्ती, तथा वर्ष को नवोन्मेषी बैंक के लिए मान्यता प्राप्त. |
| **वैश्विक बैंकिंग और वित्तीय पुरस्कार 2023** | निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत नवाचार में उत्कृष्टता:<br>❖ यूनियन वॉयस असिस्टेंट (यूवीए) के लिए वॉयस बैंकिंग कार्यान्वयन<br>❖ यूवीकॉन द्वारा भारत में व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा<br>❖ वर्चुअल बैंकिंग इंडिया |
| **स्टार परफॉर्मर-रैंक 1 पुरस्कार** | पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा आयोजित एनपीएस द गेम चेंजर अभियान में प्राप्त. |
| **तीसरी तिमाही वित्तीय वर्ष 24 के लिए ईज 6.0 में सभी पीएसबी में तीसरा स्थान** | पहुंच और सेवा उत्कृष्टता बढ़ाने में बैंक के प्रयासों को मान्यता. |
| **एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार 2023** | भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम चैंबर द्वारा:<br>❖ सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक - विजेता<br>❖ सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई अनुकूल बैंक - उपविजेता |

यूनियन
ऐग्री मॉर्गेज
लोन

**मुख्य विशेषताएँ:**

- **राशि:** 5 लाख – 200 लाख
- ओडी/टर्म लोन/कम्पोज़िट लोन (संयुक्त ऋण) सेवा

*नियम व शर्तें लागू।

(टोल फ्री नं.) 1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555 | 9666606060 | www.unionbankofindia.co.in

@unionbankofindia @UnionBankTweets unionbankinsta @UnionBankofIndiaUtube @unionbankofIndia @unionbankinsta

# हरित और डिजिटल विकास का आधार

### यूएनएसडीजी:

### कार्यनीतिक स्तंभ:

1 2 3 4 5 6 7

### कारोबार मॉडल कैनवस:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

### महत्वपूर्ण विषय

1, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 20, 23, 25, 26, 30, 33, 36, 39, 42, 43

### जीआरआई संरेखण

201-1, 201-2, 201-3, 201-4, 203-1, 203-2, 301-1, 302-1, 302-5, 305-1

**सुदृढ़ वित्तीय कार्यनिष्पादन:** हमारा शुद्ध लाभ 61.84% बढ़कर ₹13,648 करोड़ हो गया, जिससे निरंतर वृद्धि और भविष्य के निवेश के लिए एक ठोस आधार तैयार हुआ. इस उल्लेखनीय वित्तीय उपलब्धि के पीछे की प्रेरक शक्तियों" को जानें.

*वित्तीय वर्ष 2024 में हमारा उत्कृष्ट वित्तीय कार्यनिष्पादन हमारी कार्यनीतिक प्राथमिकताएं संवहनीयता और डिजिटल उत्कृष्टता के लिए एक ठोस आधार स्थापित करता है. यह उपलब्धि एक स्वस्थ, वृद्धिशील संगठन को इंगित करती है, जो कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करती है और भविष्य के निवेशों के लिए संसाधन प्रदान करती है. संवहनीयता में, ये संसाधन हरित परियोजनाओं को वित्तपोषित करते हैं, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं, और नवीकरणीय ऊर्जा एवं एसएमई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का समर्थन करते हैं. बढ़ी हुई शुद्ध ब्याज आय हमारे लक्ष्यों के अनुरूप, वंचित समुदायों के लिए पर्यावरण-अनुकूल पहलों तथा किफायती सेवाओं के लिए ऋणों को और अधिक निधि दे सकती है.*

**जीआरआई**

201-1, 201-2, 301-1, 302-1, 305-1

हमारी वृद्धि एवं दक्षता उच्च लाभ को सक्षम बनाती है, जिसका एक हिस्सा हम अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों में पुनर्निवेश करते हैं. जैसे-जैसे बैंकिंग उद्योग डिजिटल रूप से बदल रहा है, ये निवेश अनुकूलन और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए आवश्यक हैं. बढ़ती गैर-ब्याज आय राजस्व में विविधता लाने, एआई, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा निवेश का समर्थन करने की हमारी क्षमता को दर्शाती है. यह डिजिटल परिवर्तन स्वचालन तथा डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से ग्राहक अनुभव और परिचालन दक्षता को बढ़ाता है, जिससे निरंतर वित्तीय सुधार को बढ़ावा मिलता है.

## हमारा कार्यनिष्पादन

वित्तीय वर्ष 2024 के लिए यूनियन बैंक की वित्तीय पूंजीगत कार्यनीति संवहनीयता, डिजिटल परिवर्तन का लाभ उठाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने पर केंद्रित थी. बैंक का लक्ष्य ईएसजी सिद्धांतों को शामिल करके, संवहनीयता लक्ष्यों के साथ संरेखित करके और परिचालन दक्षता एवं ग्राहक सेवा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके अग्रिम तथा जमा राशि बढ़ाना, लाभप्रदता में सुधार करना और सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता बनाए रखना है. बैंक का मजबूत वित्तीय कार्यनिष्पादन, लाभांश भुगतान, कारोबार वृद्धि और जोखिम प्रबंधन सुधार इसकी सफल कार्यनीति कार्यान्वयन तथा भविष्य की तत्परता को उजागर करते हैं. संवहनीयता, डिजिटल नवोन्मेष और ग्राहक-केंद्रित सेवाओं पर अपने फोकस के साथ, यूनियन बैंक मजबूत आस्ति गुणवत्ता बनाए रखते हुए अपने विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर स्थिति में है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले उसके वित्तीय स्थिरता एवं दीर्घकालिक संवहनीयता पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव को स्वीकार करता है. बैंक जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वित्तीय प्रभावों तथा संबंधित जोखिमों का सक्रिय रूप से आकलन कर रहा है, जिसमें बढ़ी हुई विनियामक आवश्यकताएँ, आस्तियों के लिए भौतिक जोखिम और बाजार की गतिशीलता में बदलाव शामिल हैं. इन चुनौतियों के जवाब में, यूनियन बैंक हरित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने, नवीकरणीय ऊर्जा पहलों का समर्थन करने और पर्यावरण की दृष्टि से संवहनीय वित्तीय उत्पाद विकसित करने के अवसरों का लाभ उठा रहा है. अपनी कार्यनीतिक योजना तथा जोखिम प्रबंधन ढांचे

में जलवायु जोखिम संबंधी विचारों को एकीकृत करके, बैंक न केवल संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम कर रहा है, बल्कि संवहनीय वित्त में अग्रणी के रूप में स्वयं को स्थापित कर रहा है. यह सक्रिय दृष्टिकोण जीआरआई 201-2 के साथ संरेखित है, जो जलवायु संबंधी जोखिमों का समाधान करने एवं आघात-सहनीयता और संवहनीय विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए यूनियन बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

## वित्तीय कार्यनिष्पादन

यूनियन बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 में मजबूत वित्तीय कार्यनिष्पादन किया. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 में ₹8,433 करोड़ से बढ़कर ₹13,648 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो 61.84% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है. यह प्रभावशाली वृद्धि बढ़ी हुई शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) के कारण हुई, जो पिछले वित्तीय वर्ष में ₹32,765 करोड़ से बढ़कर ₹36,570 करोड़ हो गई, जो 11.61% की वृद्धि दर्शाती है.

**आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार:** सकल एनपीए घटकर 4.76% और शुद्ध एनपीए घटकर 1.03% रह गया है, बेहतर आस्ति गुणवत्ता एवं सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पहले कभी इतनी मजबूत नहीं रही. जाने कि हम कैसे मजबूत तुलन पत्र सुनिश्चित कर रहे हैं.

| मैट्रिक | वित्तीय वर्ष 2023 (₹ करोड़ में) | वित्तीय वर्ष 2024 (₹ करोड़ में) | वर्ष दर वर्ष(%) | बदलाव में वृद्धि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| निवल लाभ | 8,433 | 13,648 | 61.84% | +5,215 |
| निवल ब्याज आय (एनआईआई) | 32,765 | 36,570 | 11.61% | +3,805 |

बैंक के लाभप्रदता अनुपात में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ. आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) वित्तीय वर्ष 2023 में 0.69% से बढ़कर 1.03% हो गया, जबकि इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) 13.26% से बढ़कर 15.58% हो गया. ये आंकड़े लाभ कमाने के लिए अपनी आस्तियों और इक्विटी का उपयोग करने में बैंक की बढ़ी हुई दक्षता तथा प्रभावशीलता को रेखांकित करते हैं.

| मैट्रिक | वित्तीय वर्ष 2023 | वित्तीय वर्ष 2024 | बदलाव (बीपीएस) |
|---|---|---|---|
| आरओए | 0.69% | 1.03% | +34 |
| आरओई | 13.26% | 15.58% | +232 |

## लाभांश की घोषणा

यूनियन बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए प्रति शेयर ₹3.60 का लाभांश प्रस्तावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप कुल प्रस्तावित लाभांश भुगतान ₹2748 करोड़ होगा. यह पिछले वित्तीय वर्ष के ₹2050 करोड़ के भुगतान से अधिक है, जो बैंक की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति और अपने शेयरधारकों को पुरस्कृत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

| मैट्रिक | वित्तीय वर्ष 2023 | वित्तीय वर्ष 2024 | बदलाव |
|---|---|---|---|
| लाभांश प्रति शेयर (₹) | 3.00 | 3.60 | +0.60 |
| कुल लाभांश भुगतान (₹) | 2,050 | 2,748 | +698 |

## कारोबार वृद्धि

यूनियन बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 में अपने कारोबार खंडों में सुदृढ़ वृद्धि की है. कुल अग्रिम राशि में वर्ष-दर-वर्ष 11.73% की वृद्धि हुई, जो ₹9.05 ट्रिलियन तक पहुंच गई, जबकि कुल जमा राशि में वर्ष-दर-वर्ष 9.29% की वृद्धि हुई, जो ₹12.21 ट्रिलियन तक पहुंच गई.

**वित्तीय वर्ष 2024 के लिए विभिन्न खंडों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि**

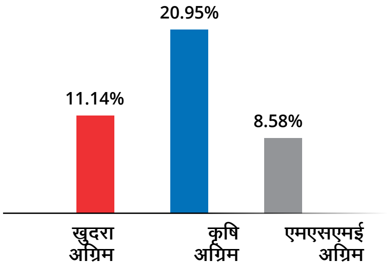


हमने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी:
- खुदरा अग्रिम: 11.14% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि.
- कृषि अग्रिम: 20.95% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि.
- एमएसएमई अग्रिम: 8.58% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि.

**वित्तीय वर्ष 2024 के लिए खंडों में कुल अग्रिम**

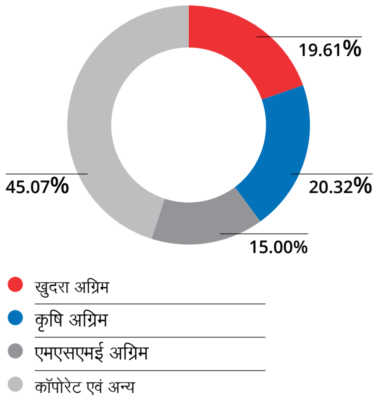

| खंड | वित्तीय वर्ष 2023 (₹ करोड़ में) | वित्तीय वर्ष 2024 (₹ करोड़ में) | वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%) | बदलाव (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| खुदरा अग्रिम | 159,702 | 177,488 | 11.14% | +17,786 |
| कृषि अग्रिम | 151,993 | 183,833 | 20.95% | +31,840 |
| एमएसएमई अग्रिम | 125,022 | 135,748 | 8.58% | +10,726 |

| श्रेणी | विनियामक लक्ष्य | उपलब्धि | से अधिक है |
|---|---|---|---|
| कृषि अग्रिम | समायोजित निवल बैंक ऋण का 18% (एएनबीसी) | एएनबीसी का 20.95% | 2.95% |
| प्राथमिकत प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम | एएनबीसी का 40% | एएनबीसी का 42.31% (यथा मार्च, 2023 तक) | 2.31% |
| लघु एवं सीमांत कृषक | एएनबीसी का 9.50% | एएनबीसी का 13.33% | 3.83% |
| कमजोर वर्ग | एएनबीसी का 11.50% | एएनबीसी का 16.62% | 5.12% |

समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) एक ऐसा उपाय है जिसका उपयोग विनियामक प्राधिकारियों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा ऋण लक्ष्यों के साथ विशेष रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के संबंध में बैंक के अनुपालन का आकलन करने के लिए किया जाता है. ये उपलब्धियाँ विनियामक अनुपालन एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जो ठोस वृद्धि तथा अनिवार्य लक्ष्यों के प्रति समर्थन को दर्शाती हैं.

## संवहनीयता पहल

यूनियन बैंक ने संवहनीयता पर केंद्रित विभिन्न उत्पाद और सेवाओं की शुरुआत की है. उल्लेखनीय रूप से, बैंक ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को ₹23,059 करोड़ की ऋण सुविधाएँ प्रदान कीं और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यूनियन ग्रीन माइल्स कार्यक्रम के तहत ₹462 करोड़ मंजूर किए. ये पहल अपनी वित्तपोषण गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरणीय संवहनीयता को बढ़ावा देने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

## डिजिटल परिवर्तन

डिजिटल परिवर्तन यूनियन बैंक की कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है. 400 से अधिक सुविधाओं की पेशकश करने वाले व्योम ऐप की शुरुआत ने ग्राहक जुड़ाव और सेवा वितरण को काफी हद तक बढ़ाया. इसके अलावा, डिजिटल ऋण समाधानों ने डिजिटल कारोबार में ₹8,300 करोड़ से अधिक जुटाने में सहायता की, जो कारोबार विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की बैंक की क्षमता को दर्शाता है.

| पहल | प्रभाप |
|---|---|
| व्योम ऐप | ग्राहक सहभागिता एवं सेवा वितरण में वृद्धि. |
| डिजिटल लेंडिंग सोल्यूशन | ₹8,300 करोड़ से अधिक धनराशि जुटाई गई. |

## जोखिम प्रबंधन

यूनियन बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 में आस्ति गुणवत्ता और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है. वित्तीय वर्ष 2023 में सकल एनपीए अनुपात 7.53% से सुधार होकर 4.76% हो गया, और न्यूतीकरण एनपीए अनुपात 1.70% से घटकर 1.03% हो गया. ये सुधार ऋण जोखिम के प्रबंधन एवं शमन में बैंक के प्रभावी उपायों को दर्शाते हैं.

**20.95%**

*कृषि अग्रिम में 20.95% की वर्ष-दर-वर्ष हुई, जो कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए पर्याप्त वृद्धि और प्रतिबद्धता को दर्शाता है.*

**+₹31,840 करोड़**

*कृषि अग्रिम में ₹ 31,840 करोड़ की वृद्धि हुई, कृषि उत्पादकता और विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण मे उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है.*

| मैट्रिक | वित्तीय वर्ष 2023 | वित्तीय वर्ष 2024 | बदलाव (बीपीएस) |
|---|---|---|---|
| सकल एनपीए अनुपात | 7.53% | 4.76% | -277 |
| निवल एनपीए अनुपात | 1.70% | 1.03% | -67 |

बैंक ने धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतों एवं तत्काल लेनदेन निगरानी के लिए पूर्वानुमान विश्लेषण को शामिल करके अपने जोखिम प्रबंधन ढांचे को भी संवर्धित किया है.

## भविष्य का परिदृश्य

आगे बढ़ते हुए, यूनियन बैंक की भविष्य की कार्यनीतियों में संवहनीय विकास पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना, डिजिटल प्रौद्योगिकियों में और अधिक निवेश, हरित वित्तपोषण विकल्पों का विस्तार और ग्राहक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ाना शामिल है. इन पहलों का उद्देश्य मजबूत आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखते हुए अग्रिम एवं जमा में वृद्धि को बढ़ावा देना है.

**संवहनीय विकास पर निरंतर ध्यान:** यूनियन बैंक दीर्घकालिक संवहनीयता सुनिश्चित करने के लिए अपने परिचालन को ईएसजी सिद्धांतों के साथ संरेखित करना जारी रखेगा. इसमें अपने ग्रीन वित्तपोषण पोर्टफोलियो को बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक कल्याण में योगदान देने वाली परियोजनाओं का समर्थन करना शामिल है.

**डिजिटल प्रौद्योगिकियों में और निवेश:** बैंक परिचालन दक्षता एवं ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए संवर्धित डिजिटल प्रौद्योगिकियों में निवेश करने की योजना बना रहा है. इसमें डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को अपग्रेड करना और ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए डिजिटल उत्पाद की शुरुआत करना शामिल है.

**ग्रीन वित्तपोषण विकल्पों का विस्तार:** यूनियन बैंक अधिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और अन्य संवहनीयता पहलों का समर्थन करने के लिए अपने ग्रीन वित्तपोषण विकल्पों का विस्तार करेगा. इससे पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और कम कार्बन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.

**ग्राहक-केंद्रित सेवाओं में वृद्धि:** बैंक का लक्ष्य अधिक ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर अपनी ग्राहक सेवा को मजबूत करना है. इसमें वैयक्तिक वित्तीय समाधान, बेहतर ग्राहक सहायता और ग्राहकों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझने एवं पूरा करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाना शामिल है.

## वित्तीय वर्ष 2024 हेतु मुख्य वित्तीय विशेषताएँ

**जमा वृद्धि**
9.29 %

**रैम अग्रिम वृद्धि**
13.82 %

**अग्रिम वृद्धि**
11.73 %

**सीआरएआर**
16.97 %
*+93 बीपीएस वर्ष दर वर्ष*

**एनएनपीए**
1.03 %
*-67 बीपीएस वर्ष दर वर्ष*

**एनआईएम**
3.10 %
*+3 बीपीएस वर्ष दर वर्ष*

**पीसीआर**
92.69 %
*+235 बीपीएस वर्ष दर वर्ष*

**परिचालन लाभ**
₹28,211 करोड़
*+10.77% वर्ष दर वर्ष*

**शुद्ध लाभ**
₹13,648 करोड़
*+61.84% वर्ष दर वर्ष*

**जीएनपीए**
4.76 %
*-277 बीपीएस वर्ष दर वर्ष*

**ब्याज आय वृद्धि**
23.57 %
*+473 बीपीएस वर्ष दर वर्ष*

## सुदृढ़ दायित्व प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 2024 में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और अपनी पूंजीगत संरचना को अनुकूलित करने के लिए अपने दायित्व प्रबंधन ढांचे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है. बैंक की सुदृढ़ दायित्व प्रबंधन कार्यनीतियों ने जमा वृद्धि, कासा अनुपात, ऋण-जमा अनुपात और आस्ति गुणवत्ता सहित प्रमुख वित्तीय मेट्रिक में उल्लेखनीय सुधार किया है. ये उपलब्धियाँ वित्तीय स्थिरता, लागत प्रभावी निधीयन और संवहनीय विकास के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं.

### जमा और जमा से ऋण अनुपात (वित्तीय वर्ष 2020 – वित्तीय वर्ष 2024)

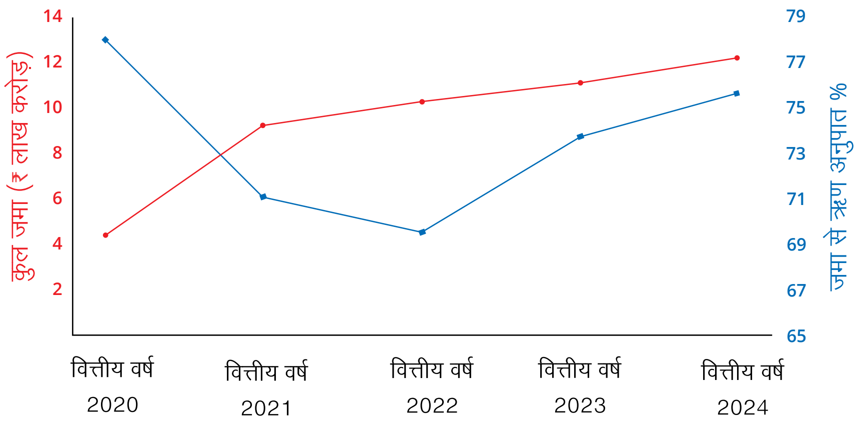


विगत कुछ वर्षों में जमाराशियों में लगातार वृद्धि से पता चलता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कार्यनीतिक पहलों, नए उत्पादों की पेशकश और ग्राहकों के विश्वास में वृद्धि के कारण ग्राहकों से अधिक निधि आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की है. वर्धित ऋण-जमा अनुपात इस तथ्य को रेखांकित करता है कि बैंक न केवल अपने जमा आधार का विस्तार कर रहा है, बल्कि इन निधियों का कुशलतापूर्वक उपयोग ऋण प्रदान करने हेतु भी कर रहा है, जिससे लाभप्रदता और पर्याप्त चलनिधि का संतुलन बना हुआ है. दोनों संकेतक में वृद्धि होने से बैंक को सुदृढ़ वित्तीय स्थिति प्राप्त करने में सहायता मिलती है, जो अधिक जमाराशियाँ एकत्र करने और इन निधियों को ऋण के रूप में प्रभावी ढंग से लगाने की इसकी क्षमता को दर्शाता है, जिससे समग्र विकास और वित्तीय स्थिरता में योगदान मिलता है. यह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के राजकोषीय प्रबंधन प्रथाओं की पुष्टि भी दर्शाता है, जो एक मजबूत विकास पथ और संसाधनों के प्रभावी उपयोग का संकेत है.

### बैंक का वित्तीय डेटा, वित्तीय वर्ष 2020  वित्तीय वर्ष 2024

| | कुल जमा (₹ करोड़ में) | कासा जमा (₹ करोड़ में) | ऋण जमा अनुपात (%) | सकल एनपीए अनुपात (%) |
|---|---|---|---|---|
| **वित्तीय वर्ष 2020*** | 4,50,668 | 1,60,373 | 78.00 | 14.15 |
| **वित्तीय वर्ष 2021** | 9,23,805 | 3,35,592 | 71.06 | 13.74 |
| **वित्तीय वर्ष 2022** | 10,32,392 | 3,77,193 | 69.60 | 11.11 |
| **वित्तीय वर्ष 2023** | 11,17,716 | 3,94,055 | 73.74 | 7.53 |
| **वित्तीय वर्ष 2024** | 12,21,528 | 4,10,134 | 75.65 | 4.76 |

* स्टैंडअलोन यूबीआई

**जीआरआई**

201, 203, 207

**मुख्य विशेषताएँ:**

1. **कुल जमाराशि:** बैंक की कुल जमा राशि में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो वित्तीय वर्ष 2024 में रु.12,21,528 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023 में रु. 11,17,716 करोड़ थी.
2. **कासा जमाराशि:** कासा जमा, जो कुल जमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वित्तीय वर्ष 2024 में रु.4,10,134 करोड़ रहा, जो कम लागत वाले वित्तपोषण स्त्रोतों पर केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है.
3. **ऋण-जमा अनुपात:** ऋण-जमा अनुपात वित्तीय वर्ष 2023 में 73.74% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में 75.65% हो गया, जो ऋण वृद्धि एवं जमा जुटाने के बीच एक कार्यनीतिक संतुलन का संकेत है.
4. **सकल एनपीए अनुपात:** सकल एनपीए अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो वित्तीय वर्ष 2023 में 7.53% से घटकर वित्तीय वर्ष 2024 में 4.76% हो गया है, जो संवर्धित आस्ति गुणवत्ता और प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को दर्शाता है.

> संवहनीयता के प्रति प्रतिबद्धता: नवीकरणीय ऊर्जा में ₹23,059 करोड़ का निवेश और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ₹462 करोड़ की मंजूरी देकर, यूनियन बैंक हरित भविष्य की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है. जानें कि हमारी संवहनीयता पहल किस तरह से बदलाव ला रही है.

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया: सकल एनपीए अनुपात**

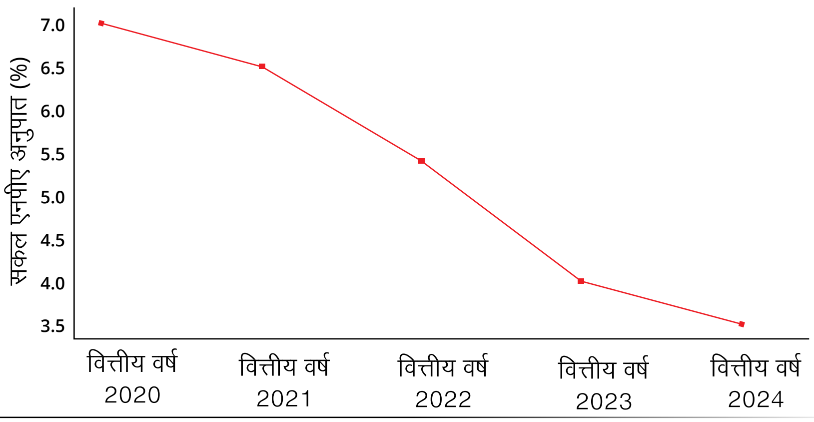


### कार्यनीतिक पहल

1. **फंडिंग स्रोत का विविधीकरण**

   उच्च लागत वाले उधार पर निर्भरता कम करने और निधि की लागत में सुधार करने के लिए, बैंक ने लक्षित उत्पादों और ग्राहक जुड़ाव कार्यनीतियों के माध्यम से कासा जमा में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित किया. "यूनियन समृद्धि" और "यूनियन उड़ान" जैसी पहलों ने विशिष्ट ग्राहक वर्गों को काफी आकर्षित किया है.

2. **संवर्धित जोखिम प्रबंधन**

   सकल एनपीए अनुपात में उल्लेखनीय कमी बैंक की सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है. यह सशक्त ऋण अनुश्रवण, दबावग्रस्त आस्तियों के समय पर समाधान तथा बेहतर हमादारी अंकन मानकों के माध्यम से हासिल किया गया.

3. **इष्टतम पूंजीगत संरचना**

   ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि का रुझान प्रभावी पूंजी उपयोग को दर्शाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बैंक विकास और चलनिधि के बीच एक मजबूत संतुलन बनाए रखता है. इस कार्यनीतिक दृष्टिकोण ने बैंक की लाभप्रदता एवं वित्तीय संवहनीयता में वृद्धि की है.

4. **तकनीकी प्रगति**

   उन्नत विश्लेषण और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अपनाने से दायित्व की बेहतर ट्रैकिंग एवं प्रबंधन संभव हुआ है. इसमें तत्काल जमा प्रवाह और बहिर्वाह की निगरानी, ग्राहक व्यवहार के लिए पूर्वानुमानित विश्लेषण और स्वचालित जोखिम मूल्यांकन साधन शामिल है.

**जीआरआई**

201-1, 203-1, 203-2

## तीव्र कारोबार वृद्धि

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रभावशाली कारोबार वृद्धि इसकी व्यापक राष्ट्रव्यापी पहुंच पर आधारित है, जिसमें 8,466 शाखाएँ एवं 8,982 एटीएम शामिल हैं. यह विस्तृत नेटवर्क वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों एवं सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि में विविध ग्राहक आधार को सेवा प्रदान करते हुए संवहनीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है. दूरदराज के क्षेत्रों में भी आवश्यक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की त्वरित कारोबार वृद्धि ने, जो इसकी व्यापक भौतिक एवं डिजिटल उपस्थिति द्वारा समर्थित है, इसके वित्तीय पूंजीगत संसाधनों को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया है. ग्राहक जुड़ाव, संवहनीय वित्तपोषण और प्रभावी जोखिम प्रबंधन पर कार्यनीतिक ध्यान यह सुनिश्चित करता है कि बैंक भविष्य में संवहनीय आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए आघात-सह, लाभददायी और पूर्णतः तैयार है.

**10.31%**

वर्ष-दर-वर्ष कुल कारोबार मे वृद्धि, मजबूत ग्राहक विश्वसनीयता और प्रभावी सहभागिता कार्यनीतियों को प्रकट करता है.

### भौतिक और डिजिटल एकीकरण

बैंक अपनी कार्यनीति में सुदृढ़ डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ व्यापक भौतिक उपस्थिति को एकीकृत करती है, जिससे एक हाइब्रिड मॉडल बनता है जो डिजिटल दक्षता की परवाह किए बिना सभी ग्राहक वर्गों की सेवा करता है. यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि जब हम डिजिटल भविष्य को अपनाते हैं, तो हम अपने ग्राहक आधार के किसी भी हिस्से को अलग नहीं करते हैं, जिससे डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिलता है - जो डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है. भौतिक और डिजिटल चैनलों का लाभ उठाकर, हम ग्राहक पहुँच एवं सुविधा को बढ़ाते हैं, जिससे ग्राहक संतुष्टि तथा विश्वसनीयता बढ़ती है.

### वित्तीय कार्यनिष्पादन और ग्राहक जुड़ाव

बैंक के कुल कारोबार में वर्ष-दर-वर्ष 10.31% की वृद्धि हमारे मजबूत ग्राहक संबंधों और प्रभावी जुड़ाव की कार्यनीतियों को दर्शाती है. यह वृद्धि विविध वित्तीय जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने की हमारी क्षमता को दर्शाती है, जो हमारे ग्राहकों के आर्थिक हित और अर्थव्यवस्था के समग्र संवहनीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है. ग्राहक-केंद्रित उत्पादों एवं सेवाओं पर हमारा ध्यान यह सुनिश्चित करता है कि हम ग्राहकों की बदलती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हैं.

### अग्रिम और जमा वृद्धि

सकल अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष 11.73% की वृद्धि संवहनीय पहलों का समर्थन करने, हरित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने तथा अर्थव्यवस्था के संवहनीय क्षेत्रों में योगदान करने की हमारी क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारी मजबूत स्थिति को दर्शाती है. यह वृद्धि हमारे ग्राहकों के हम पर भरोसे और विश्वास को दर्शाती है, जो संवहनीय विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को बल प्रदान करती है.

इसी तरह, कुल जमाराशियों में वर्ष-दर-वर्ष 9.29% की वृद्धि ग्राहक निधियों को आकर्षित करने और बनाए रखने में हमारी क्षमता को दर्शाती है. यह वृद्धि स्थिर एवं कम लागत वाली जमाराशि आधार को बनाए रखने, हमारे आघात-सहनीयता एवं दीर्घकालिक अवधि में संवहनीय आर्थिक विकास का समर्थन करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है. कासा (चालू खाता, बचत खाता) जमाराशियों में वर्ष-दर-वर्ष 4.08% की वृद्धि स्थिर एवं लागत प्रभावी वित्तपोषण स्त्रोत बनाए रखने की हमारी क्षमता को और बल प्रदान करती है.

### वित्तीय पूंजीगत संसाधनों पर प्रभाव

त्वरित कारोबार वृद्धि ने बैंक के वित्तीय पूंजी संसाधनों को विशेष रूप से बढ़ावा दिया है. जमा और अग्रिमों में संतोषजनक वृद्धि ने हमारे तुलन पत्र को मजबूत किया है, जो भविष्य के विकास के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है. बेहतर ऋण-जमा अनुपात प्रभावी पूंजी उपयोग को इंगित करता है, जिससे हमें चलनिधि बनाए रखते हुए अधिक ऋण देने की अनुमति मिलती है. लाभप्रदता को बनाए रखने और दीर्घकालिक कार्यनीतिक पहलों का समर्थन करने के लिए यह संवहनीयता आवश्यक है. इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023 में 7.53% से वित्तीय वर्ष 2024 में सकल एनपीए अनुपात में 4.76% की कमी, कड़े जोखिम प्रबंधन आदतों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है, जो वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है. आस्ति गुणवत्ता में यह सुधार सुनिश्चित करता है कि बैंक आर्थिक अनिश्चितताओं को नेविगेट करने के लिए अच्छी स्थिति में बना रहे और साथ ही साथ संवहनीय विकास करता रहे.

"

**डिजिटल परिवर्तन और नवाचार:** व्योम ऐप के साथ बैंकिंग में क्रांति लाना और डिजिटल ऋण के माध्यम से ₹8,300 करोड़ से अधिक जुटाना, हमारा डिजिटल परिवर्तन ग्राहक अनुभव और परिचालन दक्षता को बढ़ा रहा है. हमारे भविष्य को आकार देने वाले नवाचारों को जानें.

**जीआरआई**

201-1, 201-2, 201-3

## आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी आस्ति गुणवत्ता में सुधार करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो बैंक की वित्तीय स्थिति और परिचालन कार्य-कुशलता का एक प्रमुख संकेतक है. पिछले वित्तीय वर्ष में, बैंक ने कार्यनीतिक पहलों और दृढ़ जोखिम प्रबंधन आदतों की एक श्रृंखला को लागू किया है, जिससे गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के स्तर में काफी कमी आई है. बैंक की आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार कार्यनीतिक पहलों, प्रभावी जोखिम प्रबंधन और वसूली पर ध्यान केंद्रित करने का प्रमाण है. इन प्रयासों ने बैंक की वित्तीय नींव को मजबूत किया है और इसे भविष्य के विकास के लिए अच्छी स्थिति में रखा है.

### सकल एनपीए में कमी और शुद्ध एनपीए में सुधार

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक यूनियन बैंक की सकल गैर-निष्पादित आस्तियाँ (जीएनपीए) ₹43,097.73 करोड़ थी, जो 4.76% का जीएनपीए अनुपात दर्शाती है. यह पिछली अवधियों की तुलना में पर्याप्त सुधार दर्शाता है, जो मजबूत तुलन पत्र बनाए रखने और क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. शुद्ध गैर-निष्पादित आस्तियाँ (एनएनपीए) अनुपात में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ, जो 31 मार्च, 2024 तक 1.03% पर था. यह कमी बैंक की प्रभावी समाधान कार्यनीतियों और दबावग्रस्त आस्तियों की वसूली और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने का प्रमाण है.

> **कार्यनीतिक कारोबार वृद्धिः** अग्रिमों में 11.73% वृद्धि एवं जमाराशियों में 9.29% की वृद्धि हासिल करते हुए, यूनियन बैंक प्रमुख क्षेत्रों में कार्यनीतिक रूप से विस्तार कर रहा है. सभी क्षेत्रों में संवहनीय कारोबार वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए हमारे दृष्टिकोण के बारे में जानें.

### कार्यनीतिक वसूली पहल

यूनियन बैंक ने एनपीए की वसूली और समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है. बैंक की प्रमुख कार्यनीतियों में शामिल हैं:

- **कानूनी उपायः** शीघ्र वसूली के लिए सरफेसी और डीआरटी अधिनियमों के तहत कानूनी उपायों का त्वरित और प्रभावी उपयोग.
- **एनपीए खातों की पुनर्रचनाः** व्यवहार्य दबावग्रस्त आस्तियों के पुनर्वास की सुविधा के लिए अनुरूप पुनर्रचना योजनाएं.
- **एकबारगी निपटान (ओटीएस) योजनाएंः** समाधान में तेजी लाने के लिए संदिग्ध और हानि खातों के लिए बातचीत के माध्यम से निपटान और संरचित ओटीएस योजनाएं.

### संवर्धित प्रावधान कवरेज और वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव

वित्तीय वर्ष 2024 के अंत तक बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) बढ़कर 92.69% हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 235 आधार अंक अधिक है. यह मजबूत कवरेज सुनिश्चित करता है कि बैंक एनपीए से संभावित नुकसान के खिलाफ अच्छी तरह से सुरक्षित है, जिससे इसकी वित्तीय स्थिरता और आघात-सहनीयता संवर्धित होती है. आस्ति गुणवत्ता में ये सुधार न केवल बैंक की वित्तीय स्थिरता को बढ़ाते हैं बल्कि हितधारकों का विश्वास भी बढ़ाते हैं. सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखने और दबावग्रस्त आस्तियों की वसूली और समाधान पर ध्यान केंद्रित करके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया संवहनीय विकास और एक मजबूत वित्तीय भविष्य सुनिश्चित करता है.

**जीआरआई**

201-1, 201-2, 201-4

## पूंजीगत अनुपात को मजबूत करना

वित्तीय वर्ष 2024 के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूंजी अनुपात में सुधार वित्तीय स्थिरता और आघात-सहनीयता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. यथा दिनांक 31 मार्च, 2024 तक पूंजी से जोखिम-भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) वित्तीय वर्ष 2023 में 16.04% से बढ़कर 16.97% हो गया, जबकि सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) अनुपात वित्तीय वर्ष 2023 में 12.36% से बढ़कर 13.65% हो गया. हमारी पूंजी संरचना में ये वृद्धि हमारे बैंक की मजबूत वित्तीय स्थिति के महत्वपूर्ण संकेतक हैं.

उच्च सीआरएआर यह दर्शाता है कि यूनियन बैंक के पास संभावित नुकसानों को झेलने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है, जिससे दीर्घकालिक संवहनीयता सुनिश्चित होती है. सीआरएआर में वृद्धि हमारी मजबूत पूंजी पर्याप्तता को दर्शाती है, जो वित्तीय स्थिरता का एक मूलभूत पहलू है. यह बेहतर अनुपात दर्शाता है कि हमारा बैंक अच्छी तरह से पूंजीकृत है और वित्तीय आपदा या आर्थिक मंदी का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है.

इसी तरह, सीईटी 1 अनुपात में, जो बैंक की कुल जोखिम-भारित आस्तियों के विरुद्ध उसकी मूल पूंजी का आकलन करता है, वृद्धि हमारे ठोस पूंजी आधार को दर्शाता है. सीईटी1 पूंजी में साधारण शेयर और प्रतिधारित उपार्जन शामिल हैं, जो पूंजी के सबसे अधिक तरल रूप हैं और घाटे की भरपाई करने के लिए आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं. बेहतर सीईटी1 अनुपात एक मजबूत पूंजी बफर बनाने और बनाए रखने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो संवहनीय बैंकिंग परिचालन के लिए महत्वपूर्ण है.

इन पूंजी अनुपातों की वृद्धि से हमारी वित्तीय नींव मजबूत होती है और ग्राहकों, निवेशकों और नियामकों सहित हितधारकों के बीच विश्वास बढ़ता है. यह सुनिश्चित करता है कि यूनियन बैंक भविष्य में संवहनीय आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए आघात-सह, लाभदायक और हर प्रकार से तैयार है.

## शेयरधारक प्रतिलाभ में वृद्धि

वित्तीय संकेतक आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) दोनों ही वित्तीय कार्य निष्पादन और कार्य-कुशलता के महत्वपूर्ण उपाय हैं, और उनकी वृद्धि यूनियन बैंक की बढ़ती लाभप्रदता और सफल प्रबंधन कार्यनीतियों को दर्शाती है. वित्तीय वर्ष 2023 में 0.69% से वित्तीय वर्ष 2024 में 1.03% तक आरओए में सुधार उल्लेखनीय है क्योंकि यह आय उत्पन्न करने के लिए अपनी आस्तियों का उपयोग करने में यूनियन बैंक की कार्य-कुशलता को दर्शाता है. उच्च आरओए से पता चलता है कि बैंक लाभ उत्पन्न करने के लिए अपने संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से आबंटन और उपयोग कर रहा है, जो संवहनीयता के लिए एक आवश्यक कारक है क्योंकि यह बैंक की लाभदायक निवेश करने और शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की क्षमता को दर्शाता है.

आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) में 0.69% से 1.03% तक का सुधार, आस्ति उपयोग को अनुकूलित करने और आय उत्पन्न करने, प्रभावी संसाधन आबंटन और संवहनीय विकास के लिए लाभदायक निवेश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यूनियन बैंक के प्रयासों को दर्शाता है.

इसके अलावा, आरओई वित्तीय वर्ष 2023 में 13.26% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में 15.58% हो गया, जो दर्शाता है कि यूनियन बैंक शेयरधारकों द्वारा निवेश किए गए धन पर उच्च प्रतिलाभ दे रहा है. बढ़ा हुआ आरओई शेयरधारकों के लिए एक सकारात्मक संकेतक है, जो परिचालन को निधि प्रदान करने में और कारोबार को बढ़ाने के लिए इक्विटी निवेश का उपयोग करने में बैंक की प्रभावशीलता को दर्शाता है, जिससे यह एक आकर्षक निवेश प्रस्ताव बन जाता है.

यूनियन बैंक की वित्तीय मजबूती और अपने शेयरधारकों को लाभप्रद करने की प्रतिबद्धता को प्रकट करते हुए, निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ₹3.60 प्रति इक्विटी शेयर (36%) का लाभांश देने की सिफारिश की है. यह निर्णय न केवल बैंक की लाभप्रदता को दर्शाता है, बल्कि निरंतर विकास और स्थिरता में इसके विश्वास को भी प्रकट करता है.

यूनियन बैंक के डिजिटल कौशल हेतु बढ़ी हुई लाभप्रदता और संसाधनों का कुशल उपयोग डिजिटल बुनियादी ढांचे, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों में निवेश के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है, इस प्रकार डिजिटल रूप से उन्मुख बैंकिंग परिदृश्य में इसकी स्थिति मजबूत होती है.

**1.03%**

*31 मार्च, 2024 तक शुद्ध एनपीए अनुपात में 1.03% का सुधार सकल समाधान कार्यनीति और दबावग्रस्त आस्तियों की दर पर ध्यान केंद्रित करने को तैयार है.*

**जीआरआई**

**201-1, 201-4**

"

**शेयरधारक मूल्य में वृद्धिः** पिछले वर्ष ₹2050 करोड़ से बढ़कर ₹3.60 प्रति शेयर लाभांश की घोषणा करते हुए, हम अपने शेयरधारकों को पुरस्कृत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. देखें कि हमारी कार्यनीतिक पहल शेयरधारक मूल्य और लाभप्रदता को कैसे बढ़ा रही है.

**जीआरआई**

201-1, 201-4

## वित्तीय वर्ष 2024 के लिए शेयरधारक संपदा सृजन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2024 में अपने शेयरधारकों को असाधारण मूल्य प्रदान किया है, जिससे लगभग 167% का कुल प्रतिलाभ प्राप्त हुआ है. इस कार्यनिष्पादन का श्रेय निम्नलिखित को जाता है:

- स्टॉक मूल्य में पर्याप्त वृद्धि: बैंक के स्टॉक मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे समग्र शेयरधारक लाभ प्रभावशाली स्तर पर पहुंच गया.
- लगातार लाभांश भुगतान: नियमित लाभांश भुगतान ने शेयरधारकों को एक स्थिर आय प्रदान की है, जिससे निवेशकों को मूल्य लौटाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को बल मिला है.
- सक्रिय निवेशक सहभागिता: ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि, निवेशक समुदाय की ओर से सहभागिता और विश्वास के बढ़े हुए स्तर को दर्शाती है, जो बैंक के आकर्षक निवेश प्रस्ताव को उजागर करती है.

वित्तीय वर्ष 2024 में यूनियन बैंक के कार्य निष्पादन से वित्तीय वृद्धि, जोखिम प्रबंधन और संवहनीय विकास पर केंद्रित एक अच्छी तरह से क्रियान्वित कार्यनीति का पता चलता है. इन कारकों ने सामूहिक रूप से अपने शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण संपदा सृजन में योगदान दिया है, जिससे वित्तीय क्षेत्र में एक ठोस और विश्वसनीय इकाई के रूप में बैंक की स्थिति मजबूत हुई है. यूनियन बैंक इस गति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जो दीर्घकालिक विकास और शेयरधारक मूल्य को बढ़ावा देने वाली कार्यनीतिक पहलों पर ध्यान केंद्रित करता है. वित्तीय कार्य निष्पादन को बढ़ाने और प्रभावी कार्यनीतियों को लागू करने में बैंक के निरंतर प्रयास भविष्य में निवेशकों का निरंतर विश्वास और मजबूत प्रतिलाभ सुनिश्चित करते हैं.

## पिछले (3 वर्षों के) परिणामों का मुख्य सारांश

| ₹ करोड़ में | वित्तीय वर्ष2022 | वित्तीय वर्ष 2023 | वित्तीय वर्ष 2024 | वित्तीय वर्ष में वर्ष-दर-वर्ष 2023 | वित्तीय वर्ष 2024 में बदलाव (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| **लाभ एवं हानि** | | | | | |
| ब्याज आय | 67,944 | 80,743 | 99,778 | 23.57% | +19,035 |
| ब्याज खर्च | 40,157 | 47,978 | 63,208 | 31.74% | +15,230 |
| शुद्ध ब्याज आय | 27,786 | 32,765 | 36,570 | 11.61% | +3,805 |
| गैर-ब्याज आय | 12,525 | 14,633 | 16,080 | 9.89% | +1,447 |
| एनआईएम % | 2.94 | 3.07 | 3.10 | 3 बीपीएस | |
| परिचालन लाभ | 21,873 | 25,467 | 28,211 | 10.77% | +2,744 |
| कुल प्रावधान | 16,641 | 17,034 | 14,562 | -14.51% | -2,472 |
| कर के बाद लाभ | 5,232 | 8,433 | 13,648 | 61.84% | +5,215 |
| **तुलन पत्र** | | | | | |
| वैश्विक अग्रिम | 7,16,408 | 8,09,905 | 9,04,884 | 11.73% | +94,979 |
| घरेलू अग्रिम | 6,99,269 | 7,85,302 | 8,73,632 | 11.25% | +88,330 |
| जिसमें से खुदरा | 1,36,273 | 1,59,702 | 1,77,488 | 11.14% | +17,786 |
| कृषि | 1,33,092 | 1,51,993 | 1,83,833 | 20.95% | +31,840 |
| एमएसएमई | 1,10,577 | 1,25,022 | 1,35,748 | 8.58% | +10,726 |
| आरएएम अग्रिम | 3,79,942 | 4,36,717 | 4,97,069 | 13.82% | +60,352 |
| जमा | 10,32,392 | 11,17,716 | 12,21,528 | 9.29% | +1,03,812 |
| जिसमें से कासा | 3,77,193 | 3,94,055 | 4,10,134 | 4.08% | +16,079 |
| खुदरा सावधि जमा (<2 करोड़ ) | 4,43,752 | 4,38,280 | 4,51,363 | 2.99% | +13,083 |
| कासा अनुपात (%) | 36.54 | 35.26 | 33.58 | -168 बीपीएस | |
| जीएनपीए | 79,587 | 60,987 | 43,098 | -29.33% | -17,889 |
| एनएनपीए | 24,303 | 12,928 | 8,990 | -30.46% | -3,938 |

| अनुपात (%) | वित्तीय वर्ष 2022 | वित्तीय वर्ष 2023 | वित्तीय वर्ष 2024 | वित्तीय वर्ष 2024 में वर्ष-दर-वर्ष बीपीएस | वित्तीय वर्ष 2024 में बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| **आस्ति की गुणवत्ता** | | | | | |
| जीएनपीए | 11.11 | 7.53 | 4.76 | -277 बीपीएस | |
| एनएनपीए | 3.68 | 1.70 | 1.03 | -67 बीपीएस | |
| पीसीआर | 83.61 | 90.34 | 92.69 | 235 बीपीएस | |
| टीपीसीआर | 69.46 | 78.80 | 79.14 | 34 बीपीएस | |
| ऋण लागत | 1.74 | 1.64 | 0.74 | -90 बीपीएस | |
| **पूंजी अनुपात** | | | | | |
| सीईटी-1 अनुपात | 10.63 | 12.36 | 13.65 | 129 बीपीएस | |
| टियर-1 अनुपात | 12.20 | 13.91 | 15.00 | 109 बीपीएस | |
| सीआरएआर | 14.52 | 16.04 | 16.97 | 93 बीपीएस | |

## पिछले (3 वर्षों) में कार्यनिष्पादन के रुझान

| मेट्रिक | वित्तीय वर्ष 2022 | वित्तीय वर्ष 2023 | वित्तीय वर्ष 2024 |
|---|---|---|---|
| ब्याज स्प्रेड / एडब्लयूएफ | 2.50 | 2.68 | 2.75 |
| ब्याज आय / एडब्लयूएफ | 6.11 | 6.60 | 7.51 |
| ब्याज व्यय / एडब्लयूएफ | 3.61 | 3.92 | 4.76 |
| लागत आय अनुपात | 45.74 | 46.27 | 46.42 |
| गैर-ब्याज आय / एडब्लयूएफ | 1.13 | 1.20 | 1.21 |
| परिचालन व्यय / एडब्लयूएफ | 1.66 | 1.79 | 1.84 |
| सेवांत आस्तियों पर प्रतिफल | 0.44 | 0.66 | 0.98 |
| सकल (परिचालन) लाभ / एडब्लयूएफ | 1.97 | 2.08 | 2.12 |
| औसत मालियत पर प्रतिफल | 10.98 | 14.62 | 18.05 |
| जमा की लागत | 4.12 | 4.37 | 5.22 |
| औसत आस्तियों पर प्रतिफल | 0.47 | 0.69 | 1.03 |
| अग्रिम राशि पर प्राप्ति | 7.14 | 7.68 | 8.73 |
| शुद्ध लाभ में लाभांश भुगतान अनुपात (%) | 24.82 | 24.31 | 20.14 |
| ऋण जमा अनुपात | 69.60 | 73.74 | 75.65 |
| टियर II | 2.32 | 2.13 | 1.97 |
| पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासेल III) | 14.52 | 16.04 | 16.97 |
| टियर I | 12.20 | 13.91 | 15.00 |
| प्रति शाखा सकल लाभ (₹ करोड़) | 2.49 | 2.97 | 3.33 |
| प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ लाख में) | 29.09 | 33.69 | 37.18 |
| प्रति शेयर आय (₹) | 7.73 | 12.34 | 18.95 |
| प्रति शाखा शुद्ध लाभ (₹ करोड़) | 0.60 | 0.98 | 1.61 |
| शाखाएं (संख्या) | 8,792 | 8,580 | 8,466 |
| प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाख में) | 6.96 | 11.16 | 17.99 |
| प्रति शेयर बुक वैल्यू (₹) | 75.74 | 93.05 | 114.76 |
| प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़) | 20.48 | 23.14 | 25.37 |
| प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़) | 175.18 | 203.87 | 227.36 |
| कर्मचारी (संख्या) | 75,201 | 75,594 | 75,866 |

# **ज्ञान और नवाचार** के माध्यम से संवृद्धि को सशक्त बनाना

**यूएनएसडीजी:**

**कार्यनीतिक स्तंभ:**

2, 3, 4, 5, 6

**कारोबार मॉडल कैनवस:**

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

**महत्वपूर्ण विषय**

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44

**जीआरआई संरेखण**

103-1, 103-2, 103-3, 201-1, 203-1, 203-2, 203-3, 404-1, 404-2, 413-1, 418-1, 418-2

> यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नवाचार के मामले में अग्रणी है तथा तकनीकी उन्नति और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक पूंजी में निरंतर निवेश कर रहा है.

*यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नवाचार को बढ़ावा देने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने हेतु बौद्धिक पूंजी का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्नत प्रौद्योगिकी में इसके कार्यनीतिक निवेश, उद्योग हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रयासों और संवहनीयता पर निरंतर ध्यान देना बैंक के बौद्धिक पूंजी के प्रति समर्पण का स्पष्ट प्रमाण है. अत्याधुनिक तकनीकी समाधानों का लाभ उठाकर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लक्ष्य अगली पीढ़ी के डिजिटल-सेवी संस्थान के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना है, जो मजबूत आईटी-संचालित सेवाएं प्रदान करता है जो प्रौद्योगिकी को अपने परिचालन के मूल में रखता है.*

**जीआरआई**

203-1, 203-2

## तकनीकी-संचालित पहलों का महत्व

सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक के रूप में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कारोबारी प्रणालियों और क्लाउड-आधारित एप्लीकेशनों तक उच्च-निष्पादन एक्सैस सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम तकनीकी प्रगति को अपनाता है. इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के साथ कोर बैंकिंग एप्लिकेशनों का एकीकरण मूल्य-वर्धित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. टॉकिंग एटीएम और मल्टी-फंक्शन सम्पूर्ण एटीएम जैसे पहल अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग अनुभव को बढ़ाने हेतु बैंक के समर्पण को दर्शाती है. संवर्धित वास्तविकता/ आभासी वास्तविकता (एआर/वीआर), कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग (एआई/एमएल), प्राकृतिक भाषा संसाधन (एनएलपी) और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का अपनाया जाना डिजिटल रूप से सशक्त भविष्य की ओर बैंक की अभियान को और प्रमुखता से रेखांकित करता है.

**जीआरआई**

103-2, 103-3

## डिजिटल और संवहनीय परिवर्तन हेतु लक्ष्य

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों (यूएनएसडीजी) के साथ जोड़ने और अपने कारोबार मॉडल में संवहनीयता को समाविष्ट करने के लिए समर्पित है. बैंक का कार्यनीतिक ब्लूप्रिंट भारत की डिजिटल और सतत परिवर्तन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हितधारकों के लिए स्थायी मूल्य बनाने पर केंद्रित है. प्रमुख लक्ष्यों में बैंकिंग परिचालन में ग्राहक-केंद्रितता, समावेशिता, जवाबदेही और जिम्मेदारी को बढ़ाना शामिल है. बैंक का लक्ष्य बैंकिंग उद्योग में तकनीकी प्रगति में सबसे आगे रहना, असाधारण डिजिटल अनुभव प्रदान करना और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है. बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों और डिजिटल एप्लीकेशनों में लगातार निवेश करके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक डिजिटल और संवृद्धिशील बैंकिंग लीडर बनने के अपने दृष्टिकोण को प्राप्त करने का प्रयास करता है.

**जीआरआई**

103-2, 103-3

## वित्तीय वर्ष 2023 और वित्तीय वर्ष 2024 की मुख्य बातें

| श्रेणी | वित्तीय वर्ष 2023 | वित्तीय वर्ष 2024 |
|---|---|---|
| **भाषा सुलभता** | | |
| मोबाइल बैंकिंग | 13 भाषाएँ | 13 भाषाएँ |
| इंटरनेट बैंकिंग | 2 भाषाएँ | 2 भाषाएँ |
| कॉल सेंटर | 11 भाषाएँ | 11 भाषाएँ |
| एसएमएस की सुविधा | 13 भाषाएँ | 13 भाषाएँ |
| **पुरस्कार और सम्मान** | | |
| कुल पुरस्कार | 106 पुरस्कार | 90 पुरस्कार |
| **कर्मचारी प्रतिभागिता** | | |
| हिन्दी प्रतियोगिताएं | 6,307 स्टाफ सदस्य | 9,183 स्टाफ सदस्य |

*बौद्धिक पूंजी:*

"

उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाते हुए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग अनुभव को पुनर्परिभाषित करने के लिए प्रतिबद्ध है, तथा यह सुनिश्चित कर रहा है कि डिजिटल परिवर्तन उसके परिचालन के मूल में हो.

| श्रेणी | वित्तीय वर्ष 2023 | वित्तीय वर्ष 2024 |
|---|---|---|
| **ग्राहक सहभागिता** | | |
| साइबर सुरक्षा अभियान | 1.26 करोड़ ग्राहक | 1.50 करोड़ ग्राहक |
| **बौद्धिक पूंजी पहल** | | |
| यूनियन ज्ञानार्जन अकादमी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम | 136 कार्यक्रम | 464 कार्यक्रम |
| ओवरसीज़ कार्यक्रम | 7 कार्यक्रम | 7 कार्यक्रम |
| अंतर्देशीय बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम | 172 कार्यक्रम | 168 कार्यक्रम |
| आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम | 1461 कार्यक्रम | 1362 कार्यक्रम |
| **बहुभाषिक प्रकाशन** | | |
| जारी किए गए प्रकाशन | 131 प्रकाशन | 432 प्रकाशन |
| डिजिटल अंगीकरण | | |
| मोबाइल बैंकिंग में वृद्धि | 29.09% | 26% |
| इंटरनेट बैंकिंग में वृद्धि | 6.84% | 9.94% |

**जीआरआई**

103-2, 103-3

## विगत वर्षों में डिजिटल अगुवाई की उपलब्धियां

### 1. अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक (पीएसबी)

- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) और वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) दोनों के रूप में अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को लागू करने वाला पहला पीएसबी बन गया है. यह पहल ग्राहक की सहमति से डिजिटल डेटा का लाभ उठाकर ऋण वितरण को बढ़ाती है, जिससे भौतिक दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है.
- बैंक ने 11 खाता एग्रीगेटर्स के साथ एकीकरण किया, जिससे निर्बाध सेवा की सुविधा मिली.

### 2. ट्रिपल आईएसओ प्रमाणीकरण

- आईएसओ 27001:2013 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 22301:2019 (कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली) और आईएसओ 31000:2018 (आईटी जोखिम प्रबंधन) प्रमाणन प्राप्त कर बैंक को परिचालन उत्कृष्टता और जोखिम प्रबंधन में अग्रणी के रूप में स्थापित किया.

### 3. बहुभाषी समर्थन को क्रियान्वित करना

- फिनेकल, मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशनों और एसएमएस में बहुभाषी समर्थन की शुरुआत की गई, जिससे डिजिटल बैंकिंग विविध ग्राहक आधार के लिए सुलभ हो गई.

### 4. मेटावर्स बैंकिंग

- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में पहला मेटावर्स वर्चुअल लाउंज, "यूनी-वर्स" लॉन्च किया, जो डिजिटल अवतार, इंटरैक्टिव स्क्रीन और वीआर-सक्षम वातावरण के साथ एक इमर्सिव बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है. दिनांक 31 मार्च, 2024 तक लाउंज को लगभग 3.66 लाख हिट मिले.

**आईएसओ 27001:2013, आईएसओ 22301:2019, आईएसओ 31000:2018**

*परिचालनगत उत्कृष्टता एवं जोखिम प्रबंधन हेतु ट्रिपल आईएसओ प्रमाणीकरण.*

### 5. अभिनवोन्मेषी डिजिटल समाधान

❖ व्हाट्सएप बैंकिंग, वॉयस बैंकिंग, ओपन बैंकिंग आर्किटेक्चर, डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी), रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) की शुरुआत की गई.

### 6. पीसीआई-डीएसएस प्रमाणन

❖ कार्ड से संबंधित सभी भुगतान प्रणालियों और प्रक्रियाओं के लिए भुगतान कार्ड उद्योग - डेटा सुरक्षा मानक (पीसीआई-डीएसएस) प्रमाणन प्राप्त किया, जिससे कार्ड से लेनदेन की सुरक्षा बढ़ गई.

### 7. ईज़ 4.0 मान्यता

❖ ईज़ 4.0 के तहत बेस्ट-इन-क्लास मानकों के अनुरूप, 99.97% का औसत सिस्टम अपटाइम बनाए रखा, जिससे विश्वसनीय और कुशल डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित हुईं.

### 8. एटीएम स्विच प्रोसेसिंग में अग्रणी

❖ भारत में सभी बैंकों के बीच एटीएम स्विच प्रोसेसिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, जो एटीएम लेनदेन को संभालने में बैंक की दक्षता को दर्शाता है.

### 9. सीबीएस लेनदेन की उच्च मात्रा

❖ पिछले छह महीनों में दैनिक औसत लेनदेन मात्रा में 20% की वृद्धि के साथ, औसत मासिक सीबीएस लेनदेन 194 करोड़ से अधिक हो गया.

### 10. एमएसएमई ऋणों का संपूर्ण स्वतः-नवीनीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य

❖ ₹1 मिलियन तक के एमएसएमई ऋणों के लिए स्वतः नवीनीकरण लागू किया गया, जिससे नवीनीकरण प्रक्रिया सुव्यवस्थित हुई और ग्राहक के लिए इस प्रक्रिया में लगने वाले समय में बचत हुई.

**3.66** लाख हिट्स

*मेटावर्स वर्चुअल लाउंज, "यूनी-वर्स" पर हिट्स की संख्या.*

**99.97** % अपटाइम

*ईज़ 4.0 के तहत बेस्ट-इन-क्लास मानकों के अनुरूप सिस्टम अपटाइम को बनाए रखा गया.*

**194** करोड़

*औसत मासिक सीबीएस लेनदेन*

## डिजिटल रूपान्तरण पहल

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और उभरती हुई तकनीकों को अपनाने के लिए एक व्यापक डिजिटल परिवर्तन यात्रा शुरू की है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक की प्रमुख डिजिटल पहल नवाचार और डिजिटल क्षमताओं के विस्तार के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह बैंकिंग क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन में सबसे आगे रहे. ये पहल परिचालन दक्षता को बढ़ाती हैं और ग्राहक अनुभव में उल्लेखनीय सुधार करती हैं, जो तकनीकी उन्नति और ग्राहक संतुष्टि के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं.

### डिजिटल ऋण यात्रा

❖ वित्तीय वर्ष 2023: 9.10 लाख खातों को डिजिटल रूप से नवीकृत किया गया

❖ वित्तीय वर्ष 2024: 15.36 लाख खातों को डिजिटल रूप से नवीकृत किया गया

डिजिटल ऋण यात्रा में विभिन्न परिसंपत्ति और देयता उत्पाद शामिल हैं, जो डिजिटल स्वीकृति, नवीनीकरण और खातों की समीक्षा को सक्षम करते हैं. इस पहल ने प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है, प्रतिवर्तन समय (टीएटी) को कम किया है और ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाया है. बैंक ने ऋण आवेदनों और अनुमोदनों के लिए सहज डिजिटल अनुभव बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे भौतिक रूप से बातचीत की आवश्यकता कम हो गई है.

**जीआरआई**

203-2, 103-2

**₹23,059** करोड़

*नवीनीकरण ऊर्जा का वित्तीय वर्षपोषण: नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं हेतु कुल अनुमोदित राशि.*

₹462 करोड़

*इलैक्ट्रिक वाहन का वित्तीय वर्षपोषण: यूनियन ग्रीन माइल्स योजना के तहत अनुमोदित राशि.*

## वीडियो केवाईसी

- वित्तीय वर्ष 2023: 4,000 खाते खोले गए
- वित्तीय वर्ष 2024: 8,969 खाते डीबीयू में खोले गए

वीडियो केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) लाइव ऑडियो-विजुअल इंटरैक्शन के माध्यम से सहज और सुरक्षित ग्राहक पहचान की सुविधा प्रदान करता है. सभी डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) और प्रमुख क्षेत्रों में परिचालित इस सेवा ने खाता खोलने को आसान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. यह पहल ग्राहकऑनबोर्डिंग दक्षता को बढ़ाते हुए विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करती है.

## यूवीकॉन

- वित्तीय वर्ष 2023: 45 लाख पूछताछ का निपटान किया गया
- वित्तीय वर्ष 2024: 63 लाख पूछताछ का निपटान किया गया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूवीकॉन नामक एक व्हाट्सएप बैंकिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जो ग्राहकों को छः शुरुआती सेवाएं प्रदान करता है: बैलेंस पूछताछ, चेकबुक अनुरोध और मिनी स्टेटमेंट. यूवीकॉ न ने तब से लगभग 65 सेवाएं प्रदान करने के लिए विस्तार किया है, जिसमें खाता विवरण, ब्याज प्रमाणपत्र और डेबिट कार्ड ग्रीन पिन शामिल हैं. ग्राहक 9666606060 पर "Hi" भेजकर यूवीकॉ न को एक्सैस कर सकते हैं. इस प्लेटफ़ॉर्म पर 2.5 मिलियन से अधिक ग्राहक पंजीकृत हैं, और 10 मिलियन से अधिक ग्राहकों ने पूछताछ की है, जिससे ग्राहक सेवा अनुभव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

## प्रोजेक्ट संभव और व्योम एप्प

- वित्तीय वर्ष 2023: 350 सुविधाएँ शुरू की गईं
- वित्तीय वर्ष 2024: 400 सुविधाएँ शुरू की गईं

प्रोजेक्ट संभव का उद्देश्य बैंक के भीतर एक डिजिटल बैंक बनाना है, जिसमें व्योम ऐप शामिल है, जो बेहतर यूजर इंटरफेस और अनुभव के साथ 400 सुविधाएँ प्रदान करता है. इस पहल में डिजिटल उत्पाद रोलआउट में तेजी लाने के लिए 90 से अधिक फिनटेक के साथ साझेदारी भी शामिल है. व्योम ऐप विभिन्न बैंकिंग सेवाओं को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर एकीकृत करता है, जिससे समग्र ग्राहक अनुभव में वृद्धि होती है.

## मेटावर्स का परिचय

- वित्तीय वर्ष 2023: 2,16,262 हिट्स
- वित्तीय वर्ष 2024: 64,675 हिट्स

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग में मेटावर्स तकनीक के इस्तेमाल में अग्रणी है, जो ग्राहकों को एक नया और आकर्षक अनुभव प्रदान करता है. इस पहल का उद्देश्य वर्चुअल शाखाएँ बनाना है जहाँ ग्राहक 3डी में बैंकिंग सेवाओं से जुड़ सकें, जो अभिनव तकनीकों को अपनाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

## एमएसएमई ग्राहकों के लिए डिजिटल ऋण अनुमोदन

**एमएसएमई ग्राहकों के लिए ₹ 25.00 लाख रुपये तक का डिजिटल ऋण**

एमएसएमई ग्राहक अब अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए डिजिटल रूप से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं. ₹ 25.00 लाख तक के ऋण डिजिटल रूप से स्वीकृत किए जा सकते हैं, जिससे त्वरित और कुशल ऋण प्रसंस्करण की सुविधा मिलती है. यह पहल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से वित्तीय संसाधनों तक आसान पहुँच प्रदान करके छोटे व्यवसायों का समर्थन करती है.

> "संवहनीयता और डिजिटल परिवर्तन पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते हुए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लक्ष्य अपने हितधारकों के लिए स्थायी मूल्य बनाना और अत्याधुनिक समाधान अपनाने में उद्योग की अगुवाई करना है.

### वित्तीय वर्ष 2024 के लिए विशिष्ट डिजिटल उत्पाद कार्यनिष्पादन

| उत्पाद | खाते | राशि (रु. करोड़ में) |
|---|---|---|
| एसटीपी शिशु मुद्रा | 55,365 | 267 |
| एसटीपी किशोर मुद्रा | 4,365 | 117 |
| एसटीपी तरुण मुद्रा | 1,991 | 173 |
| नारी शक्ति एसटीपी | 519 | 30 |
| जीएसटी गेन | 522 | 110 |

इन सुव्यवस्थित प्रसंस्करण प्रक्रियाओं ने ग्राहकों के लिए वित्तीय उत्पादों तक पहुंच को अधिक कुशल बना दिया है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है और व्यापार विकास को समर्थन दिया है.

### वित्तीय वर्ष 2024 में अतिरिक्त डिजिटल पहल

- **एमएसएमई खातों का डिजी नवीनीकरण:** 7.33 लाख एमएसएमई खातों की डिजिटल रूप से समीक्षा की गई, जो इस स्लैब के तहत कुल खातों का 98% है.
- **पीएम-स्वनिधि के तहत ऋण अनुमोदन :** सूक्ष्म ऋण संवितरण में शीघ्रता टीएटी को घटाने के लिए डिजिटल समर्थित बनाया गया.

## यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना

### उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ नवाचार को अपनाना

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नवाचार के मामले में अग्रणी है, आंतरिक परिचालन और ग्राहक अनुभव दोनों को बेहतर बनाने के लिए उभरती हुई तकनीकों का लाभ उठा रहा है. कुछ प्रमुख प्रगतियाँ इस प्रकार से हैं:

### मेटावर्स एकीकरण: यूनी-वर्स

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेटावर्स वर्चुअल लाउंज, "यूनी-वर्स" लॉन्च करके मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है. यह प्लेटफ़ॉर्म ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं को एक्सैस करने का एक शानदार तरीका प्रदान करता है, जो डिजिटल बैंकिंग में एक महत्वपूर्ण कदम है. दिनांक 31 मार्च, 2024 तक, यूनी-वर्स ने लगभग 366,000 हिट दर्ज किए हैं, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है.

### वीआर-आधारित गहन प्रशिक्षण मॉड्यूल

बैंक ने वर्चुअल रियलिटी (वीआर) आधारित गहन प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं, जिन्हें कार्यस्थल की समस्याओं और सुरक्षित सोशल मीडिया उपस्थिति बनाए रखने जैसी विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इन मॉड्यूल में प्रश्नोत्तर के माध्यम से आकलन और गहन मूल्यांकन के लिए फीडबैक शामिल है, जो निरंतर सीखने और कर्मचारियों के सुधार के लिए बैंक के समर्पण को रेखांकित करता है. दिनांक 19 मार्च, 2024 को लर्निंग एडवाइजरी काउंसिल इवेंट में लॉन्च किए गए ये प्रशिक्षण सत्र कर्मचारियों को एक इंटरैक्टिव, वर्तमान जगत के एप्लिकेशन-केंद्रित ज्ञानार्जन का अनुभव प्रदान करते हैं.

### यूनियन वॉयस असिस्टेंट (यूवीए)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूनियन वॉयस असिस्टेंट (यूवीए) को भी लागू किया है, जो एलेक्सा प्लेटफॉर्म के माध्यम से एआई और प्राकृतिक भाषा संसाधन (एनएलपी) द्वारा संचालित एक वॉयस

**55,365**

*वित्तीय वर्ष 2024 में एसटीपी शिशु मुद्रा के तहत प्रसंस्करण किए गए खातों की संख्या.*

**7.33** लाख

*वित्तीय वर्ष 2023-24 में डिजि रिनिवल के अंतर्गत डिजिटल रूप से समीक्षित एमएसएमई खातों की संख्या.*

**जीआरआई**

203-1, 203-2

बैंकिंग सेवा है. यह सेवा ग्राहकों को सरल वॉयस कमांड का उपयोग करके खाते से संबंधित जानकारी तक पहुंचने की सुविधा देती है, जिससे उन्हें सुविधाजनक, हैंड्सफ्री बैंकिंग अनुभव मिलता है. अब तक, यूवीए ने लगभग 30,000 लेनदेन की सुविधा प्रदान की है, जो इसकी प्रभावशीलता और ग्राहक स्वीकार्यता को दर्शाता है.

**जीआरआई**

203-1

## गूगल कारोबार संदेश (जीबीएम) एकीकरण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गूगल कारोबार संदेश (जीबीएम) के साथ एकीकृत होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम बैंक है, जो गूगल के वेब पेजों के माध्यम से उपलब्ध एक चैट प्लेटफ़ॉर्म है. जीबीएम के माध्यम से, ग्राहक बैंक के वर्चुअल असिस्टेंट, यूवीए से बातचीत कर सकते हैं, या समस्या समाधान के लिए लाइव एजेंट के साथ चैट करने का विकल्प चुन सकते हैं. यह प्लेटफ़ॉर्म ग्राहक जुड़ाव और लीड जनरेशन का समर्थन करता है, और बैंक उत्पादों को क्रॉस-सेलिंग और अपसेलिंग के अवसर प्रदान करता है.

**160,000**

*गूगल कारोबार संदेश (जीबीएम) चैट प्लेटफ़ॉर्म के कुल उपयोगकर्ता.*

- **कुल उपयोगकर्ता:** लगभग 160,000
- **लाइव एजेंट सेवा उपयोगकर्ता:** लगभग 50,000

बैंक के ग्राहक सेवा एंडपॉइंट और 169 शाखा प्रोफाइल के लिए जीबीएम चैट सक्षम है. बिक्री के बेहतर अवसर, बेहतर ग्राहक संतुष्टि और सहायक अनुभवों और समृद्ध सुविधाओं के माध्यम से लोयल्टी इसके प्रमुख लाभ हैं. एंड्रॉयड डिवाइस के ज़रिए गूगल पर "यूबीआई" "यूनियन बैंक," या "यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया" सर्च करके जीबीएम तक पहुँचा जा सकता है.

**जीआरआई**

203-2

## बीबीपीएस के द्वारा केन्द्रीय विद्यालय शुल्क संग्रहण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) शुल्क संग्रह को भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) में एकीकृत कर दिया है, जो शैक्षिक शुल्क भुगतान प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस एकीकरण से 1,250 से अधिक केवी स्कूलों के छात्रों को लाभ होगा, जिससे शुल्क भुगतान के लिए एक सुविधाजनक तरीका उपलब्ध होगा. लाभों में बैंक के लिए कम लेनदेन लागत और कासा (चालू खाता बचत खाता) में वृद्धि शामिल है.

**1,250**

*एकीकृत बीबीपीएस शुल्क संग्रहण द्वारा लाभान्वित केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या..*

- **कुल सफल लेनदेन:** 152,314 (वित्तीय वर्ष 2024 के लिए)
- **कुल एकत्रित राशि:** ₹30.06 करोड़

**जीआरआई**

203-1

## यूनी पे प्लस

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूनी पे प्लस पेश किया है, जो एक अत्याधुनिक प्लेटफ़ॉर्म है जो स्वचालित भुगतान प्रसंस्करण के लिए कॉर्पोरेट सिस्टम के साथ सहजता से एकीकृत होता है. यह अभिनव पोर्टल कॉर्पोरेट ग्राहकों को व्यापक भुगतान सेवाएँ प्रदान करता है, जिससे कारोबार के लिए अपने वित्तीय लेनदेन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करना आसान हो जाता है.

अपने लॉन्च के बाद से, यूनी पे प्लस ने 150 से ज़्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंट को सफलतापूर्वक अपने साथ जोड़ा है. यह प्लेटफॉर्म कई तरह के खातों को सपोर्ट करता है, जिसमें 207 चालू और बचत खातों में कुल मिलाकर ₹1,145.5 करोड़ की राशि है, और 75 कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट खातों में ₹ 1,208.5 करोड़ की राशि है. इस व्यापक स्वीकृति से यूनी पे प्लस पर कॉर्पोरेट सेक्टर के भरोसे और निर्भरता का पता चलता है,

यूनी पे प्लस का लाभ उठाकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेट ग्राहकों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने की अपनी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है. यह प्लेटफ़ॉर्म भुगतान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है और बैंक की वित्तीय प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करता है, जिससे अंततः अधिक कारोबारी दक्षता और ग्राहक संतुष्टि प्राप्त होती है.

## इंटरनेट बैंकिंग में डेबिट कार्ड का टोकनीकरण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म में कार्ड ऑन फ़ाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी ) की शुरुआत की है. यह अभिनव सुविधा ऑनलाइन लेनदेन के दौरान मर्चेंट वेबसाइट पर ग्राहकों के कार्ड विवरण संग्रहीत करने की आवश्यकता को समाप्त करती है. इसके बजाय, यह एक केंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है जहाँ ग्राहक एक ही स्थान पर सभी मर्चेंट के लिए अपने डेबिट कार्ड टोकन विवरण देख और प्रबंधित कर सकते हैं.

पहले, ग्राहकों को अपने टोकन विवरण को संभालने के लिए अलग-अलग मर्चेंट वेबसाइट पर जाना पड़ता था, लेकिन अब वे बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवा के माध्यम से सीधे टोकन को आसानी से चालू या बंद कर सकते हैं. यह सुविधा फिलहाल केवल रूपे कार्ड के लिए उपलब्ध है.

सीओएफटी की शुरुआत से कई प्रमुख लाभ मिलते हैं. ग्राहकों को अपने टोकन विवरण देखने और प्रबंधित करने के लिए वन-स्टॉप समाधान का लाभ मिलता है, जिससे प्रक्रिया काफी सरल हो जाती है. इसके अतिरिक्त, कई मर्चेंट वेबसाइटों पर कार्ड विवरण संग्रहीत करने की आवश्यकता कम होने से साइबर धोखाधड़ी का जोखिम कम हो जाता है, जिससे ग्राहकों को ऑनलाइन लेनदेन करते समय अधिक मानसिक शांति मिलती है.

**जीआरआई**

203-1

## एनएमसी वॉलेट

शहरी विकास मंत्रालय (एमयूडी ) की पहल के अनुरूप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) वॉलेट पेश किया है. यह मॉडल देश भर में मेट्रो और टोल प्लाजा सहित विभिन्न परिवहन प्रणालियों में निर्बाध यात्रा को सक्षम बनाता है. ग्राहक नेट बैंकिंग के माध्यम से या नकद या खाता डेबिट का उपयोग करके पीओएस टर्मिनलों पर पैसे जोड़कर अपने एनसीएमसी आर-वॉलेट खातों को रिचार्ज कर सकते हैं. विशेषतः रुपे एनसीएमसी डेबिट कार्ड के लिए और एनपीसीआई द्वारा संचालित यह पहल कई लाभ प्रदान करती है.

रुपे डेबिट कार्ड जारी करने की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि ग्राहक उसी कार्ड का इस्तेमाल प्रीपेड वॉलेट के रूप में कर सकते हैं. ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपने वॉलेट को ₹2,000 तक रिचार्ज कर सकते हैं, जिससे मेट्रो स्टेशनों और टोल प्लाजा जैसे विभिन्न पीओएस पॉइंट पर ऑफ़लाइन भुगतान की सुविधा मिलती है.

**जीआरआई**

203-2

## इंटरऑपरेबल कार्ड-लेस कैश निकासी (आईसीसीडब्ल्यू)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम टर्मिनलों पर सुरक्षित और निर्बाध लेनदेन को बढ़ाने के लिए इंटरऑपरेबल कार्ड-लेस कैश विड्रॉल (आईसीसीडब्ल्यू) की शुरुआत की है. यह सुविधा ग्राहकों को बिना किसी भौतिक कार्ड की आवश्यकता के यूपीआई का उपयोग करके नकदी आहरण की अनुमति देती है. एटीएम स्क्रीन पर एक गतिशील रूप से उत्पन्न क्यूआर कोड प्रदर्शित होता है, जिसे किसी भी प्रमुख यूपीआई-समर्थित ऐप के माध्यम से स्कैन और अधिकृत किया जा सकता है. यूपीआई पिन का उपयोग करके सफलतापूर्वक प्राधिकरण के बाद, ग्राहक एटीएम पर उपयुक्त विकल्प का चयन करके निकासी पूरी कर सकते हैं.

यह सेवा कई लाभ प्रदान करती है, जिसमें कार्ड क्लोनिंग को रोकना, भौतिक कार्ड साथ रखने की आवश्यकता को समाप्त करना और अधिक सुविधा प्रदान करना शामिल है. आईसीसीडब्ल्यू वर्तमान में पूरे भारत में 1,388 एनसीआर एटीएम में सक्षम है.

**जीआरआई**

203-2

**1,480**

*इंटरऑपरेबल कार्ड-लेस कैश विड्रॉल (आईसीसीडब्ल्यू) सक्षम एटीएम की संख्या*

## बैंक की वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म 15जी/एच जमा करना

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सुविधा बढ़ाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई ग्राहक-केंद्रित पहल की शुरूआत की हैं. फॉर्म 15जी/एच अब बैंक की वेबसाइट के माध्यम से जमा किया जा सकता है, जिससे ग्राहक शाखाओं में जाए बिना फॉर्म जमा कर सकते हैं और ईमेल के माध्यम से पावती रसीद प्राप्त कर सकते हैं. इस नई सुविधा के परिणामस्वरूप अब तक 900 पंजीकरण हुए हैं और शाखा का कार्यभार काफी कम हुआ है.

**जीआरआई**

203-2

**जीआरआई**

203-2

### खाता एग्रीगेटर

बैंक वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) और वित्तीय सूचना प्रदाता (एपआईपी) दोनों के रूप में अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम में शामिल होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता भी बन गया है. सरकार के डिजिटल अभियान के साथ जुड़ी यह पहल ऋणदाताओं को सहमति के साथ डिजिटल रूप से ग्राहक डेटा तक पहुँचने की अनुमति देती है, जिससे भौतिक दस्तावेज़ों के बिना ऋण वितरण में सुधार होता है. यूनियन बैंक ने अपनी सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए 11 अकाउंट एग्रीगेटर्स के साथ एकीकरण किया है.

**जीआरआई**

203-1

### वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खाता खोलना

इसके अतिरिक्त, बैंक ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) खाता खोलने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया है. वरिष्ठ नागरिक अब एक ही धारक आईडी के तहत कई एससीएसएस खाते खोल सकते हैं, जिसमें अधिकतम जमा सीमा बढ़ाकर ₹ 30 लाख कर दी गई है. यह सुविधा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पूरी तरह से उपलब्ध है, जिससे शाखा में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है. दिनांक 26 दिसंबर, 2023 को इसकी शुरुआत के बाद से, आईबी के माध्यम से 202 एससीएसएस खाते ऑनलाइन खोले गए हैं.

**जीआरआई**

203-2

### एआई, एमएल, एआर/वीआर, ब्लॉकचेन

**वित्तीय वर्ष 2022 :** बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर), वर्चुअल रियलिटी (वीआर) और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों को एकीकृत करने की नींव रखी. बैंकिंग परिचालन में इन तकनीकों की क्षमता और प्रयोज्यता को समझने के लिए शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए.

**वित्तीय वर्ष 2023 :** ग्राहक सेवा और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए एआई और एमएल को अपनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की गई. बैंक ने अमेजन एलेक्सा गूगल असिस्टेंट जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर वॉयस बॉट के ज़रिए एआई-आधारित संवादी बैंकिंग को लागू किया, जिससे ग्राहक संपर्क और सेवा वितरण में वृद्धि हुई. भारतीय रिजर्व बैंक सूचनी प्रोद्योगिकी इनोवेशन हब के सहयोग से ब्लॉकचेन तकनीक की खोज की गई, जिसमें डिजिटल लेजर-आधारित ब्लॉकचेन तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया गया.

**वित्तीय वर्ष 2024 :** पिछले वर्ष की प्रगति के आधार पर, बैंक ने प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित करने तथा उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनानने के लिए एआई और एमएल के अनुप्रयोग का विस्तार किया है. नियमित कार्यों को स्वचालित करने तथा ग्राहक सहभागिता को बढ़ाने के लिए जनरेटिव एआई के संभावित उपयोग के मामलों का पता लगाने के प्रयास चल रहे हैं. विशेष रूप से ग्राहक सेवा और प्रशिक्षण में गहन बैंकिंग अनुभव बनाने के लिए एआर और वीआर तकनीकों का परीक्षण किया जा रहा है.

**जीआरआई**

203-2

### सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी)

**वित्तीय वर्ष 2022:** बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) की अवधारणा की खोज शुरू की और प्रारंभिक चर्चाओं और व्यवहार्यता अध्ययनों में भाग लिया.

**वित्तीय वर्ष 2023:** यूनियन बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीबीडीसी परियोजना में पायलट भागीदारी के लिए चुना गया. बैंक ने सीमित उपयोगकर्ता समूह के भीतर एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए सीबीडीसी-आर एप्लिकेशन को सफलतापूर्वक लागू किया, जो डिजिटल मुद्रा अपनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है.

**वित्तीय वर्ष 2024:** बैंक अब सीबीडीसी के दायरे का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें मौजूदा बैंकिंग प्रणालियों के साथ इसके एकीकरण की खोज और वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान पर इसके संभावित प्रभाव का मूल्यांकन शामिल है.

## फिनटेक साझेदारियां

**वित्तीय वर्ष 2022 :** यूनियन बैंक ने नवाचार और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी शुरू की है.

**वित्तीय वर्ष 2023 :** बैंक ने डिजिटल समाधान तैयार करने के लिए 150 फिनटेक कंपनियों के साथ मिलकर काम किया. इन सहयोगों से नवोन्मेषी उत्पादों और सेवाओं का विकास हुआ है, जिससे ग्राहक अनुभव और परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई है.

**वित्तीय वर्ष 2024 :** फिनटेक सहयोग पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, बैंक परिचालन को और अधिक डिजिटल बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए फिनटेक समाधानों को एकीकृत करने पर काम कर रहा है. इन साझेदारियों से डिजिटल ऋण, भुगतान और ग्राहक सेवा में महत्वपूर्ण प्रगति होने की उम्मीद है.

**जीआरआई**

203-1

## एआई-आधारित सीटीएस क्लियरिंग

यूनियन बैंक एआई-आधारित चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) क्लियरिंग के कार्यान्वयन की संभावना तलाश रहा है. इस तकनीक का उद्देश्य क्लियरिंग प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करना और परिचालन दक्षता को बढ़ाना है. एआई का लाभ उठाकर, बैंक को चेक-क्लियरिंग संचालन में तेज़ प्रोसेसिंग समय और बेहतर सटीकता प्राप्त करने की उम्मीद है.

**जीआरआई**

203-2

## जनरेटिव एआई उपयोग के मामले

बैंक विभिन्न प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए जनरेटिव एआई के संभावित उपयोग के मामलों की सक्रिय रूप से खोज कर रहा है. इसमें ग्राहक सेवा प्रतिक्रियाओं को स्वचालित करना, व्यक्तिगत वित्तीय सलाह तैयार करना और उन्नत डेटा विश्लेषण और पूर्वानुमान मॉडलिंग के माध्यम से बैकएंड प्रक्रियाओं में सुधार करना शामिल है.

**जीआरआई**

203-2

## रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) सीओई

यूनियन बैंक ने स्वचालित प्रक्रियाओं की निगरानी, सुधार और अनुकूलन के लिए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (आरपीए सीओई) की स्थापना की है. आरपीए सीओई उन दोहराए जाने वाले कार्यों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्हें स्वचालित किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों का समय अधिक कार्यनीति गतिविधियों के लिए मुक्त हो जाता है. इस पहल से महत्वपूर्ण लागत बचत और दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है.

**जीआरआई**

203-2

## हरित कार्यालय स्वचालन

यूनियन बैंक अपने संवहनीयता लक्ष्यों के अनुरूप ग्रीन ऑफिस ऑटोमेशन को लागू कर रहा है. इस पहल में दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक तैयार करना, प्रसार करना और डिजिटल हस्ताक्षर शामिल हैं, जिससे कागज पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिलेगा. बैंक का लक्ष्य इस पहल के माध्यम से अधिक संवहनीय और कुशल कार्य वातावरण बनाना है.

**जीआरआई**

203-2

इन उभरती हुई तकनीकों को अपनाकर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया न केवल अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ा रहा है, बल्कि डिजिटल बैंकिंग नवाचार के मामले में भी खुद को अग्रणी स्थान पर रख रहा है. ये पहल बेहतर ग्राहक सेवा, परिचालन दक्षता और संवहनीय विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं.

"

साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के प्रति यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता डिजिटल युग में सुरक्षित बैंकिंग वातावरण, विश्वास निर्माण और ग्राहक जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करती है.

**जीआरआई**

418-1, 418-2

## डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा

वित्तीय वर्ष 2022 में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सी-एसओसी) के लिए आधार तैयार करना शुरू किया, जिसमें सावधानीपूर्वक योजना तैयार करना और संसाधन आवंटन पर ध्यान केंद्रित किया गया. वित्तीय वर्ष 2023 तक, बैंक ने साइबर खतरों की पहचान, पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए 24x7 संचालन करते हुए सी-एसओसी की सफलतापूर्वक स्थापना कर ली थी. यह केंद्र बैंक की साइबर सुरक्षा कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया, जो लगातार हमले के संकेतों की निगरानी करता है और महत्वपूर्ण कारोबारी अनुप्रयोगों के साथ मजबूती से एकीकृत होता है. वित्तीय वर्ष 2024 में आगे बढ़ते हुए, उन्नत खतरे की खुफिया जानकारी और स्वचालन उपकरणों को शामिल करके सी-एसओसी की क्षमताओं को और बढ़ाया गया, जिससे प्रतिक्रिया समय और खतरे का पता लगाने की सटीकता में काफी सुधार हुआ.

साथ ही, वित्तीय वर्ष 2022 में, बैंक ने डिफेंस इन डेप्थ कार्यनीति की अवधारणा तैयार की, जिसका उद्देश्य एक मजबूत, बहुस्तरीय सुरक्षा ढ़ाचा विकसित करना था. इस कार्यनीति को वित्तीय वर्ष 2023 में लागू किया गया, जिसमें परिधि सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लिकेशन सुरक्षा, एंडपॉइंट सुरक्षा, पहचान और पहुंच प्रबंधन, खतरे की खुफिया जानकारी और डेटा सुरक्षा को शामिल करते हुए एक व्यापक सुरक्षा ढांचा स्थापित किया गया. वित्तीय वर्ष 2024 में, बैंक ने प्रत्येक सुरक्षा परत में निरंतर सुधार किए, जिसमें विकसित हो रहे साइबर खतरों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिष्कृत उपकरणों और प्रक्रियाओं को एकीकृत किया गया.

यूनियन बैंक ने साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित किया, वित्तीय वर्ष 2022 में प्रारंभिक रूपरेखा विकसित की. इन कार्यक्रमों का उद्देश्य कर्मचारियों और हितधारकों को संभावित साइबर खतरों के बारे में जागरूक करना था. वित्तीय वर्ष 2023 तक, व्यापक साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम (सीसीएसएपी) शुरू किया गया, जिसमें ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीनतम खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एसएमएस, ईमेल, एटीएम, शाखा कार्यनिष्पादन, सोशल मीडिया और बैंक की वेबसाइट जैसे विभिन्न चैनलों का उपयोग किया गया. वित्तीय वर्ष 2024 में, सीसीएसएपी को अतिरिक्त वेबिनार, इंटरैक्टिव प्रशिक्षण सत्रों और उन्नत शैक्षिक सामग्रियों के साथ विस्तारित किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी हितधारक साइबर जोखिमों के बारे में सूचित और सतर्क रहें.

## साइबर सुरक्षा प्रशासन ढांचा और कार्य योजनाएँ

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक व्यापक साइबर सुरक्षा अभिशासन ढांचा और मजबूत डेटा अभिशासन और गोपनीयता प्रथाओं को लागू किया है, जो इसकी आईटी नीति और डेटा शासन नीति में विस्तृत रूप से हैं. बैंक के पास अपनी गोपनीयता सूचना प्रबंधन प्रणाली (पीआईएमएस) के लिए आईएसओ 27701:2019 प्रमाणन है, जो इसकी सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) को सुधारता है और व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी (पीआईआई) के प्रबंधन को सुनिश्चित करता है. यह प्रमाणन हितधारकों के विश्वास का निर्माण करता है, गोपनीयता जोखिमों को कम करता है, और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करता है, डेटा अखंडता, सटीकता और विश्वसनीयता को मजबूत करता है.

बैंक कई प्रमुख विनियामक ढाँचों का पालन करता है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक साइबर सुरक्षा ढाँचा 2016, डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश 2021 और आईटी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर निर्देश 2023 शामिल हैं. इसकी आईटी प्रणालियाँ अंतर्राष्ट्रीय जोखिम प्रबंधन ढाँचों, विशेष रूप से आईएसओ 31000:2018 का अनुपालन करती हैं और इसमें विस्तृत जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन योजनाएँ शामिल हैं.

इसके अलावा, बैंक आईएसओ 27001 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन), आईएसओ 22301 (कारोबार निरंतरता प्रबंधन), आईएसओ 27701 (गोपनीयता सूचना प्रबंधन), पीसीआई डीएसएस (भुगतान कार्ड उद्योग डेटा सुरक्षा मानक) और पीसीआई पिन (भुगतान कार्ड उद्योग पिन सुरक्षा) के मानकों को पूरा करता है. 14 नवंबर, 2022 से, सीबीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस स्विच, एटीएम स्विच और यूपीआई स्विच जैसी कई प्रमुख प्रणालियों को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा "संरक्षित सिस्टम" के रूप में नामित किया गया है. परिणामस्वरूप, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना सुरक्षा प्रथाएँ और "संरक्षित सिस्टम" के लिए प्रक्रिया) नियम, 2018 का अनुपालन किया जाता है, जिससे मजबूत साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा उपाय सुनिश्चित होते हैं.

### जीआरआई

418-1

## प्रमाणन और अनुपालन

- **डेटा सेंटर (डीसी) और आपदा रिकवरी (डीआर) साइट प्रमाणन :** सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 27001) और कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 22301) द्वारा प्रमाणन, यह सुनिश्चित करता है कि मजबूत सुरक्षा प्रथाएं और आपदा रिकवरी प्रोटोकॉल मौजूद हैं.

- **उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रणाली :** आईएसओ 31000 के तहत प्रमाणित, एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचे को दर्शाती है जिसमें संपूर्ण जोखिम मूल्यांकन और शमन कार्यनीतियां शामिल हैं.

- **पीसीआई-डीएसएस प्रमाणन :** सभी कार्ड भुगतान प्रणालियों और एटीएम स्विच परिचालनों के लिए प्राप्त, भुगतान कार्ड सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

### जीआरआई

418-1

## व्यापक, बहुस्तरीय सुरक्षा संरचना

यूनियन बैंक की बहुस्तरीय सुरक्षा संरचना इसके आईटी बुनियादी ढांचे के हर स्तर पर मजबूत सुरक्षा प्रदान करती है:

- **परिधि सुरक्षा:** बैंक की नेटवर्क सीमाओं की सुरक्षा करती है.

- **नेटवर्क सुरक्षा:** सुरक्षित और विश्वसनीय नेटवर्क संचालन सुनिश्चित करता है.

### जीआरआई

418-1

- **एप्लिकेशन सुरक्षा:** एप्लिकेशन को कमजोरियों और हमलों से बचाता है.
- **एंडपॉइंट सुरक्षा:** बैंक के नेटवर्क से जुड़े उपकरणों को सुरक्षित करता है.
- **पहचान और पहुंच प्रबंधन:** महत्वपूर्ण प्रणालियों तक पहुंच को नियंत्रित और निगरानी करता है.
- **खतरा बुद्धिमत्ता:** निरंतर निगरानी और विश्लेषण के माध्यम से उभरते खतरों से बचे रहना.
- **डेटा सुरक्षा:** संवेदनशील डेटा को अनधिकृत पहुंच और उल्लंघनों से सुरक्षित रखती है.

**जीआरआई**

418-1

### साइबर सुरक्षा अवसंरचना और खतरे को कम करने की कार्यनीतियाँ

- **नीतियां और कार्य योजनाएं:** इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोगों, एटीएम परिचालन और अन्य सामान्य सुरक्षा नियंत्रणों के लिए डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रणों के साथ सामंजस्य.
- **24x7 साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सी-एसओसी):** बैंक के साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे की आधारशिला, जिसमें साइबर खतरों की निगरानी, पता लगाने और प्रतिक्रिया देने के लिए उन्नत साधनों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम कार्यरत है.
- **गहन रक्षा कार्यनीति:** एक व्यापक, बहुस्तरीय सुरक्षा ढ़ाचा के साथ समग्र सुरक्षा प्रदान करती है.
- **एथिकल हैकिंग लैब:** बैंक की परिधि या इंटरनेट-फेसिंग अनुप्रयोगों/परिसंपत्तियों में दैनिक अंतर की पहचान करता है.
- **भेद्यता मूल्यांकन/प्रवेश परीक्षण (वीए/पीटी) प्रयोगशाला:** अनुप्रयोगों और प्रणालियों का नियमित वीए और पीटी आयोजित करता है.
- **रेड-टीमिंग अभ्यास:** कमजोरियों और कारोबारी जोखिमों की पहचान करने के लिए बाहरी विक्रेताओं के साथ आयोजित किया जाता है, तथा मौजूदा नियंत्रणों का परीक्षण करने के लिए हमलावर की गतिविधियों की नकल की जाती है.

## डेटा एनालिटिक्स सेंटर - वित्तीय वर्ष 2024

**जीआरआई**

103-2

डेटा वैश्लेषिकी सेंटर (डीएसी) हमारे संगठन के भीतर एक महत्वपूर्ण इकाई रहा है, जो डेटा-संचालित निर्णय लेने के माध्यम से नवाचार एवं परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है. वित्तीय वर्ष 2024 के लिए उल्लिखित पहल वित्तीय वर्ष 2023 में स्थापित सफल फ्रेमवर्क एवं कार्यप्रणाली पर आधारित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम कार्यनीतिक कारोबारी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डेटा की शक्ति का उपयोग करना जारी रखते हैं.

> बैंकिंग के भविष्य को ग्रहण करते हुए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बाजार में होने वाले बदलावों का पूर्वानुमान लगाने और ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्नत डेटा एनालिटिक्स और पूर्वानुमान मॉडल का एकीकरण करता है.

## प्रोन्नत पूर्वानुमान विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2024 में, डीएसी अपनी पूर्वानुमान वैश्लेषिकी क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखेगा. परिष्कृत एल्गोरिदम एवं मशीन लर्निंग मॉडल का लाभ उठाते हुए, केंद्र का उद्देश्य ग्राहक व्यवहार, बाजार के रुझान एवं परिचालन क्षमता के संबंध में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करना है. यह पहल सटीकता एवं कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि में सुधार के लिए हमारे पूर्वानुमान मॉडल को परिष्कृत करने पर केंद्रित है, जो संगठन को बाजार में बदलाव एवं ग्राहकों की जरूरतों को अधिक प्रभावी ढंग से अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगी.

**जीआरआई**

103-2

- **मुख्य कार्य:**
  - पूर्वानुमान मॉडल को परिष्कृत बनाने के लिए उन्नत मशीन लर्निंग तकनीकों को लागू करना.
  - मॉडल सटीकता एवं प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए नए डेटा स्रोतों को एकीकृत करना.
  - पूर्वानुमान अंतर्दृष्टि को कार्यनीतिक कार्यों में परिणत करने के लिए कारोबारी इकाइयों के साथ सहयोग करना.

## तात्कालिक डेटा एकीकरण

वित्तीय वर्ष 2023 में निर्धारित आधारभूत कार्य के आधार पर, डीएसी वित्तीय वर्ष 2024 में अपनी तात्कालिक डेटा एकीकरण क्षमताओं का विस्तार करेगा. इस पहल का उद्देश्य पूरे संगठन में सूचना का एक सहज प्रवाह बनाना है तथा यह सुनिश्चित करना कि निर्णय लेने वालों के पास हर समय सबसे अद्यतन डेटा उपलब्ध हो. तात्कालिक डेटा एकीकरण को बढ़ाकर, हमारा लक्ष्य प्रतिक्रिया समय में सुधार करना, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को अनुकूलित करना एवं ग्राहक सेवा को बढ़ाना है.

**जीआरआई**

103-2

- **मुख्य कार्य:**
  - वास्तविक समय डेटा प्रोसेसिंग में सहायता करने के लिए डेटा एकीकरण अवसंरचना का उन्नयन.
  - डेटा गुणवत्ता एवं संवहनीयता सुनिश्चित करने के लिए डेटा अभिशासन ढांचे की स्थापना.
  - तात्कालिक डेटा विज़ुअलाइज़ेशन एवं विश्लेषण के लिए डैशबोर्ड एवं टूल विकसित करना.

## डेटा साक्षरता और प्रशिक्षण कार्यक्रम

डेटा साक्षरता के महत्व को स्वीकार करते हुए, डीएसी पूरे वित्तीय वर्ष 2024 में व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना जारी रखेगा. इन कार्यक्रमों को सभी स्तरों पर कर्मचारियों को उनकी भूमिकाओं में डेटा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल एवं ज्ञान से लैस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. डेटा-संचालित संस्कृति को बढ़ावा देकर, हमारा लक्ष्य समग्र संगठनात्मक कार्यनिष्पादन एवं नवाचार को बढ़ाना है.

**जीआरआई**

404-2

❖ **मुख्य कार्य:**

- ⌘ डेटा विश्लेषण एवं व्याख्या पर केंद्रित अनुकूलित प्रशिक्षण मॉड्यूल डिजाइन एवं वितरित करना.
- ⌘ उद्योग के विशेषज्ञों के नेतृत्व में कार्यशालाओं एवं सेमिनारों की मेजबानी करना.
- ⌘ निरंतर सीखने को बढ़ावा देने के लिए जारी सहयोग एवं संसाधन प्रदान करना.

**जीआरआई**

418-1

## संवर्धित डेटा सुरक्षा और अनुपालन

डीएसी के लिए डेटा सुरक्षा एवं अनुपालन सर्वोच्च प्राथमिकता है. वित्तीय वर्ष 2024 में, हम उभरते खतरों से बचाव एवं विकसित होते नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने डेटा सुरक्षा उपायों को और सुदृढ़ करेंगे. यह पहल हमारी साइबर सुरक्षा अवसंरचना को बेहतर बनाने एवं डेटा गोपनीयता एवं सुरक्षा के उच्चतम मानकों को पूरा करने के लिए हमारी नीतियों एवं प्रक्रियाओं को अद्यतन करने पर केंद्रित है.

❖ **मुख्य कार्य:**

- ⌘ संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए उन्नत साइबर सुरक्षा तकनीकों को लागू करना.
- ⌘ जोखिमों की पहचान करने एवं उन्हें कम करने के लिए नियमित लेखा परीक्षा एवं मूल्यांकन आयोजित करना.
- ⌘ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय डेटा सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना.

**जीआरआई**

103-2

## ग्राहक-केंद्रित डेटा समाधान

वित्तीय वर्ष 2024 में एसीओई ग्राहक-केंद्रित डेटा समाधानों को विकसित एवं कार्यान्वित करना जारी रखेगा. इस पहल का उद्देश्य हमारे ग्राहकों की प्राथमिकताओं एवं व्यवहारों को समझने के लिए डेटा अंतर्दृष्टि का लाभ उठाकर उनको अनुकूलित अनुभव देना है. ग्राहक को केंद्र में रखकर, हमारा लक्ष्य उनकी संतुष्टि, निष्ठा एवं जुड़ाव को बढ़ाना है.

> डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि एवं सुदृढ़ साइबर सुरक्षा उपायों के माध्यम से अपने ग्राहकों को सशक्त बनाते हुए हम प्रत्येक टच-पॉइंट पर वैयक्तिक अनुभव और शीर्ष स्तर की डेटा-सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं.

❖ **मुख्य कार्य:**

⌘ प्रमुख रुझानों एवं प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिए ग्राहक डेटा का विश्लेषण करना.

⌘ अनुकूलित विपणन अभियान चलाना एवं उत्पाद अनुशंसाएं देना.

⌘ ग्राहक समाधानों को लगातार परिष्कृत करने के लिए तंत्र को लागू करना.

### डेटा इकोसिस्टम का विस्तार

हमारी बढ़ती डेटा जरूरतों को सहारा देने के लिए, वित्तीय वर्ष 2024 में डीएसी अपने डेटा पारितंत्र का विस्तार करेगा. इस पहल में अतिरिक्त डेटा स्रोतों को एकीकृत करना एवं हमारे डेटा भंडारण एवं प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाना शामिल है. अपने डेटा पारितंत्र का विस्तार करके, हमारा लक्ष्य अधिक जटिल विश्लेषण करने में सहायता करना एवं कार्यनीतिक निर्णय लेने हेतु जानकारी प्रदान करने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि उत्पन्न करना है.

**जीआरआई**

103-2

❖ **मुख्य कार्य:**

⌘ हमारे डेटा परिदृश्य को समृद्ध करने के लिए तृतीय-पक्ष डेटा स्रोतों को एकीकृत करना.

⌘ बढ़े हुए डेटा वॉल्यूम को समायोजित करने के लिए हमारे डेटा संग्रहण अवसंरचना का उन्नयन करना.

⌘ उन्नत विश्लेषण का समर्थन करने के लिए डेटा प्रोसेसिंग क्षमताओं को बढ़ाना.

वित्तीय वर्ष 2024 के लिए उल्लिखित पहल डेटा वैश्लेषिकी के माध्यम से नवाचार एवं परिचालन उत्कृष्टता को गति देने के लिए डीएसी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है. वित्तीय वर्ष 2023 की सफलताओं को आधार बनाकर, हमारा लक्ष्य उच्च-गुणवत्ता, डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करना जारी रखना है जो पूरे संगठन को सूचित निर्णय लेने एवं कार्यनीतिक योजना बनाने में सक्षम बनाता है.

## डेटा एनालिटिक्स और उपयोग

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बेहतर निर्णय लेने, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने एवं परिचालन को अनुकूलित करने के लिए डेटा वैश्लेषिकी का लाभ उठाता है. बैंक ने मजबूत डेटा वैश्लेषिकी पहल की है जो इसके कारोबार के विभिन्न पहलुओं में लाभप्रद साबित हुई है.

**जीआरआई**

103-2

### उन्नत बैंकिंग परिचालन एवं ग्राहक अंतर्दृष्टि के लिए डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाना

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग परिचालन एवं ग्राहक अंतर्दृष्टि में सुधार के लिए डेटा वैश्लेषिकी का लाभ उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है. बैंक ने कार्यनीतिक भर्ती एवं व्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी वैश्लेषिकी टीम को मजबूत करते हुए एक एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एसीओई) की स्थापना की है. इसकी प्रमुख पहलें एवं प्रगति निम्न हैं:

**जीआरआई**

103-2

**धोखाधड़ी का पता लगाने, ग्राहक चर्न विश्लेषण, विपणन लीड:**

- **वित्तीय वर्ष 2022:** बैंक ने ग्राहक चर्न विश्लेषण एवं विपणन लीड के लिए शुरुआती मॉडल विकसित करने के साथ-साथ संव्यवहार की निगरानी करने एवं धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने के लिए मूलभूत वैश्लेषिकी का उपयोग करना शुरू किया.

- **वित्तीय वर्ष 2023:** धोखाधड़ी के संकेत देने वाले असामान्य लेनदेन पैटर्न की पहचान करने, ग्राहक चर्न का पूर्वानुमान करने एवं उसे कम करने एवं लक्षित अभियानों के लिए विपणन लीड उत्पन्न करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग किया गया था. इन प्रयासों के परिणामस्वरूप धोखाधड़ी का पता लगाने की दर में सुधार हुआ एवं अधिक व्यक्तिगत विपणन अभियान चलाए गए.

- **वित्तीय वर्ष 2024:** धोखाधड़ी का पता लगाने, ग्राहक प्रतिधारण कार्यनीतियों एवं विपणन पहलों की सटीकता एवं दक्षता बढ़ाने के लिए उन्नत एल्गोरिदम को परिष्कृत किया गया है, जो संभावित खतरों एवं अवसरों पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तात्कालिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है.

**जीआरआई**

203-2

**कार्यनिष्पादन डैशबोर्ड:**

- **वित्तीय वर्ष 2022:** कासा, रिटेल लोन एवं एमएसएमई लोन से संबंधित प्रमुख मेट्रिक्स पर केंद्रित परफॉर्मेंस डैशबोर्ड का प्रारंभिक सेटअप.

- **वित्तीय वर्ष 2023:** विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों में तात्कालिक निगरानी एवं विश्लेषण के लिए व्यापक डैशबोर्ड विकसित किए गए, जो प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों (केपीआई) में दृश्यता प्रदान करते हैं एवं बेहतर निर्णय लेने एवं कार्यनिष्पादन प्रबंधन की सुविधा प्रदान करते हैं.

- **वित्तीय वर्ष 2024:** डैशबोर्ड को बारीक डेटा एवं उन्नत विज़ुअलाइज़ेशन टूल के साथ लैस किया गया है, जो मेट्रिक्स की एक विस्तृत श्रृंखला को अवलंब प्रदान करता है एवं कारोबारी कार्यनिष्पादन में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है.

**एनालिटिक्स-आधारित दवाब परीक्षण मॉडल एवं डिजिटल जनबल आयोजना को अपनाना:** बैंक ने विभिन्न परिदृश्यों के तहत परिचालन लचीलापन का आकलन करने, जोखिमों का मूल्यांकन करने एवं प्रभावी शमन रणनीतियों को विकसित करने में मदद करने के लिए एनालिटिक्स-आधारित तनाव परीक्षण मॉडल को अपनाया है. इसके अतिरिक्त, डिजिटल जनबल नियोजन कार्यबल आवंटन का अनुकूलन करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सही प्रतिभा मौजूद है.

**एक व्यापक डिजिटल कारोबार मंच का कार्यान्वयन:** यूनियन बैंक ने डिजिटल परिदृश्य में तेज़ी एवं अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कई चैनलों में निर्बाध बातचीत एवं लेनदेन को सक्षम करने के लिए एक डिजिटल कारोबार मंच कार्यान्वित किया है. यह मंच विभिन्न बैंकिंग सेवाओं को एकीकृत करता है, खाता प्रबंधन को अधिक सुलभ बनाकर ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाता है.

**अगली पीढ़ी के डेटा रिपोजिटरी समाधान के रूप में डेटा लेक:** बैंक ने अपनी अगली पीढ़ी के डेटा भंडार के रूप में एक डेटा लेक तैनात किया है, जो विभिन्न स्रोतों से संरचित एवं असंरचित डेटा की विशाल मात्रा को समेकित करता है. यह केंद्रीय भंडार उन्नत वैश्लेषिकी को समर्थन प्रदान करता है एवं कार्यनीतिक निर्णय लेने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है.

**समग्र डेटा विश्लेषण उपयोग:** वर्तमान में, यूनियन बैंक ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने, सूचित निर्णय लेने में सहायता करने एवं जोखिमों को कम करने के लिए डेटा वैश्लेषिकी का लाभ उठाता है. वर्णनात्मक वैश्लेषिकी एवं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम खुदरा, एमएसएमई एवं कृषि जैसी श्रेणियों में लागू किए जाते हैं:

- **निर्णय लेना:** वर्णनात्मक विश्लेषण एवं विज़ुअल डैशबोर्ड शीर्ष प्रबंधन को डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं.

- **ग्राहक प्रतिधारण:** पूर्वानुमान मॉडलिंग संभावित ग्राहक पलायन को चिह्नित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करता है, जिससे प्रतिधारण में सुधार के लिए सक्रिय लोकसंपर्क संभव हो पाता है.

- **वैयक्तिकृत पेशकश:** वैश्लेषिकी-आधारित उपयोग के मामले संभावित लीड की पहचान करने एवं विभिन्न बैंकिंग कार्यों में सहायता करने के लिए पूर्वानुमान मॉडलिंग का उपयोग करके वैयक्तिकृत पेशकश करते हैं.

- **जोखिम प्रबंधन:** मॉडल पुनर्भुगतान व्यवहार, खाता उपयोग एवं लेनदेन पैटर्न पर ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करके ग्राहक खातों में दबाव के शुरुआती संकेतों की पहचान करते हैं तथा प्रभावी जोखिम प्रबंधन एवं शमन में सहायता करते हैं.

## अभिनव बैंकिंग समाधान

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक अनुभव को बढ़ाने एवं परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किए गए अभिनव बैंकिंग समाधान पेश करने में अग्रणी बना हुआ है. यहां लागू किए गए समाधानों एवं उनके प्रभाव का यहाँ अवलोकन किया गया है.

## वैयक्तिकृत इंटरएक्टिव स्टेटमेंट

- **वित्तीय वर्ष 2022:** वैयक्तिकृत इंटरैक्टिव स्टेटमेंट के लिए प्रारंभिक शोध एवं योजना शुरू हुई, जिसमें ग्राहकों की जरूरतों एवं प्राथमिकताओं को समझने पर ध्यान केंद्रित किया गया.
- **वित्तीय वर्ष 2023:** यूनियन बैंक ने व्यक्तिगत इंटरैक्टिव स्टेटमेंट पेश किए, जिन्होंने ग्राहकों को आकर्षक एवं समझने में आसान प्रारूपों के माध्यम से उनकी वित्तीय गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की. इन ब्यौरों में चित्रमय प्रस्तुति एवं वैयक्तिकृत संदेश शामिल थे, जो समग्र ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाते थे.
- **वित्तीय वर्ष 2024:** पिछले वर्ष की सफलता के आधार पर, बैंक ने इन ब्यौरों को और परिष्कृत किया है, जिसमें ग्राहकों को सीधे महत्वपूर्ण जानकारी एवं ऑफ़र संप्रेषित करने के लिए अधिक इंटरैक्टिव तत्व एवं व्यक्तिगत वीडियो शामिल हैं.

> एआई, एमएल, एआर/वीआर और ब्लॉकचेन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यनीतिक निवेश अगली पीढ़ी के डिजिटल रूप से सशक्त बैंकिंग संस्थान बनने के प्रति इसके समर्पण को उजागर करते हैं.

## व्हाट्सएप बैंकिंग एवं वॉयस बैंकिंग

- **वित्तीय वर्ष 2022:** बैंक ने ग्राहक सेवा बढ़ाने के लिए लोकप्रिय मैसेजिंग मंच एवं वॉयस असिस्टेंट का लाभ उठाने की व्यवहार्यता का पता लगाया.
- **वित्तीय वर्ष 2023:** यूनियन बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग एवं वॉयस बैंकिंग सेवाएं शुरू कीं, जिससे ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के बैंकिंग कार्य करना संभव हो पाता है जैसे कि बैलेंस चेक करना, मिनी स्टेटमेंट देखना एवं व्हाट्सएप एवं वॉयस असिस्टेंट जैसे अमेज़ॅन एलेक्सा एवं गूगल असिस्टेंट के माध्यम से पूछताछ करना. इन सेवाओं से महत्वपूर्ण उपयोगकर्ता जुड़ाव देखा गया, जो ग्राहकों को सुविधाजनक एवं सुलभ बैंकिंग विकल्प प्रदान करती हैं.
- **वित्तीय वर्ष 2024**: बैंक ने इन सेवाओं की क्षमताओं का विस्तार किया है, अधिक ट्रांज़ैक्शन सुविधाओं की पेशकश की है एवं इंटरैक्शन की सटीकता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए एआई एल्गोरिदम में सुधार किया है.

## डिजिटल मंच एवं सीधे संस्करण के माध्यम से (एसटीपी)

- **वित्तीय वर्ष 2022:** एक व्यापक डिजिटल मंच के लिए आधार तैयार किया गया था, जिसमें विभिन्न बैंकिंग सेवाओं को एक एकीकृत प्रणाली में एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था.
- **वित्तीय वर्ष 2023:** यूनियन बैंक ने स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) क्षमताओं के साथ एक मजबूत डिजिटल मंच लागू किया. इस एकीकरण ने लेनदेन के निर्बाध एवं कुशल प्रसंस्करण संभव बनाया, मैन्युअल हस्तक्षेप एवं त्रुटियों को कम किया. डिजिटल मंच ने ग्राहकों को एक ही इंटरफ़ेस के माध्यम से खाता प्रबंधन से लेकर ऋण अनुप्रयोगों तक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने में सक्षम बनाया.
- **वित्तीय वर्ष 2024:** आसान बातचीत एवं संव्यवहार सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल मंच उन्नत बनाए गए हैं. बैंक नई सुविधाओं को जोड़कर एवं अधिक सहज एवं कुशल बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए यूजर इंटरफेस में सुधार करके नवाचार करना जारी रखता है.

## ग्रीन ऑफिस ऑटोमेशन

धारणीयता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, यूनियन बैंक ने ग्रीन ऑफिस ऑटोमेशन लागू किया है. यह पहल सावधानीपूर्वक तैयारी, एस्केलेशन एवं दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने, कागज के उपयोग को कम करने एवं पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है. स्वचालन न केवल बैंक के पर्यावरणीय लक्ष्यों का समर्थन करता है बल्कि दस्तावेज़ प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके परिचालन दक्षता को भी बढ़ाता है.

## डिजिटल कारोबार मंच

यूनियन बैंक का डिजिटल कारोबार मंच विभिन्न चैनलों में निर्बाध बातचीत एवं लेनदेन को बढ़ावा देने में सहायक रहा है. यह मंच कई बैंकिंग सेवाओं को एकीकृत करता है, जिससे ग्राहक सुसंगत एवं उच्च-गुणवत्ता वाले अनुभव का आनंद ले सकते हैं चाहे वे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर रहे हों या किसी शाखा में जा रहे हों. इस मंच का डिज़ाइन तेज़ी एवं अनुकूलन क्षमता सुनिश्चित करता है, जिससे बैंक ग्राहकों की बदलती जरूरतों एवं बाजार की गतिशीलता के सापेक्ष त्वरित कार्य कर सकता है.

**जीआरआई**

103-2

## ग्राहक की डिजिटल सहभागिता

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने उन्नत तकनीकों एवं डिजिटल मंचों का लाभ उठाकर ग्राहक डिजिटल जुड़ाव बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है. इन पहलों ने न केवल ग्राहक अनुभव में सुधार किया है बल्कि विभिन्न बैंकिंग प्रक्रियाओं को भी सुव्यवस्थित किया है. यहां इन प्रयासों के विकास एवं प्रभाव का विस्तृत अवलोकन दिया गया है.

> मेटावर्स वर्चुअल लाउंज और एआई-आधारित संवादात्मक बैंकिंग जैसी अग्रणी पहलों के माध्यम से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों के बैंकिंग सेवाओं के लिए बातचीत करने के तरीके को बदल रहा है.

### डिजिटल यात्रा अनुप्रयोगों में वृद्धि

- **वित्तीय वर्ष 2022:** यूनियन बैंक ने डिजिटल यात्रा अनुप्रयोगों को बढ़ाने के उद्देश्य से कई परियोजनाएं शुरू कीं, जो उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस विकसित करने एवं आवश्यक बैंकिंग सेवाओं को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं.
- **वित्तीय वर्ष 2023:** बैंक ने परिसंपत्ति एवं देयता उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हुए कई डिजिटल ऋण यात्राएं सफलतापूर्वक शुरू कीं. इन डिजिटल यात्राओं ने खातों की निर्बाध मंजूरी, नवीनीकरण एवं समीक्षा को सक्षम किया, टर्नअराउंड समय (टीएटी) को काफी कम किया एवं ग्राहक सुविधा को बढ़ाया. उदाहरणों में मुद्रा किशोर एसटीपी, मुद्रा तरुण एसटीपी, शिक्षा ऋण, नए केसीसी ऋण एवं जमा पर ऋण शामिल हैं.
- **वित्तीय वर्ष 2024:** बैंक अपने डिजिटल यात्रा अनुप्रयोगों का विस्तार करना जारी रखता है, जिसमें उन्नत वैश्लेषिकी एवं एआई शामिल हैं ताकि ऋण देने की प्रक्रिया को और अधिक वैयक्तिकृत एवं सुव्यवस्थित किया जा सके. इस वर्ष इन डिजिटल यात्राओं को अपनाया गया है, जो अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग को आसान एवं अधिक सुलभ बनाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

### डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) में वृद्धि

- **वित्तीय वर्ष 2022:** डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (डीबीयू) की अवधारणा विकसित की गई थी, जो उन्नत डिजिटल क्षमताओं से लैस विशेष शाखाएं बनाने पर केंद्रित थी.
- **वित्तीय वर्ष 2023:** यूनियन बैंक ने सात डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना की, जिनमें से प्रत्येक इंटरैक्टिव टैबलेट, मल्टी-फंक्शनल कियोस्क, एटीएम, वीडियो केवाईसी उपकरण एवं

मेटावर्स तकनीक जैसी स्मार्ट क्षमताओं से लैस है. इन डीबीयू का उद्देश्य डिजिटल पैठ बढ़ाना एवं वित्तीय सेवाओं के लिए लागत प्रभावी, सुविधाजनक पहुंच प्रदान करना है.

- **वित्तीय वर्ष 2024:** पिछले वर्ष में रखी गई नींव के आधार पर, बैंक ने अधिक डिजिटल सुविधाओं को जोड़कर एवं उनकी पहुंच का विस्तार करके इन डीबीयू को उन्नत किया है. डीबीयू अब सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहक अधिकांश बैंकिंग लेनदेन डिजिटल रूप से कर सकें, जिससे व्यक्तिगत रूप से शाखा जाने की आवश्यकता कम हो जाती है.

### एमएसएमई खातों के लिए डिजिटल यात्राओं की संख्या में वृद्धि

यूनियन बैंक ने एमएसएमई खातों के लिए डिजिटल यात्राओं की संख्या बढ़ाने, तेजी से ऋण वितरण को सक्षम बनाने एवं छोटे एवं मध्यम उद्यमों के लिए समग्र ग्राहक अनुभव में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया है. क्रेडिट आवेदन एवं अनुमोदन प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप में संभव बनाकर, बैंक ने एमएसएमई हेतु ऋण सुविधा सुलभ बनाने के लिए आवश्यक समय एवं प्रयास को काफी कम कर दिया है तथा इस प्रकार उनकी वृद्धि एवं संवहनीयता में सहायक रहा है.

### पीएमस्वनिधि के तहत प्रतिबंध

माइक्रोक्रेडिट वितरण का समर्थन करने के लिए, यूनियन बैंक ने पीएमस्वनिधि योजना के तहत मंजूरी प्रक्रिया को डिजिटल रूप से सक्षम किया है. इस पहल ने माइक्रोक्रेडिट वितरण के लिए टर्नअराउंड समय (टीएटी) को काफी कम कर दिया है तथा यह सुनिश्चित किया है कि हिताधिकारियों को समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त हो. डिजिटल साधनों एवं मंचों का लाभ उठाकर, बैंक ने आवेदन एवं अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है, जिससे सड़क विक्रेताओं एवं छोटे उद्यमियों के लिए ऋण तक पहुंच आसान हो गई है.

इन पहलों के माध्यम से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहक डिजिटल जुड़ाव बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है. अपने परिचालनों में उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के बैंक के निरंतर प्रयास तेजी से बदलते डिजिटल परिदृश्य में अपने ग्राहकों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं.

## ग्राहक जागरूकता गतिविधियां

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं एवं डिजिटल सुरक्षा पर ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता जारी रखता है. बैंक ने कई पहलें यह सुनिश्चित करने के लिए लागू की हैं कि ग्राहकों को संभावित साइबर खतरों के विषय में एवं उन्हें कम करने के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जाए. ग्राहक जागरूकता के लिए की गई प्रमुख गतिविधियां यहां दी गई हैं:

### सुरक्षित उपयोग दिशानिर्देश

बैंक डिजिटल चैनलों एवं उत्पादों का उपयोग करने के लिए व्यापक, सुरक्षित उपयोग दिशानिर्देश, नियम एवं शर्तें प्रदान करता है. अधिकतम दृश्यता एवं जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए इन दिशानिर्देशों को विभिन्न मंचों पर प्रमुखता से दर्शाया जाता है.

- **इंटरनेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग ऐप व्योम:** सुरक्षित उपयोग दिशानिर्देश बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल एवं मोबाइल बैंकिंग ऐप व्योम के यूजर इंटरफेस में एकीकृत हैं. यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक हर बार इन डिजिटल चैनलों का उपयोग करने पर सर्वोत्तम प्रथाओं एवं सुरक्षा उपायों से अवगत हों.

- **पासबुक एवं एटीएम स्लिप:** ग्राहकों को जारी की गई पासबुक एवं सफल लेनदेन के बाद उत्पन्न एटीएम पर्चियों पर सुरक्षा संदेश मुद्रित किए जाते हैं. यह निरंतर अनुस्मारक ग्राहकों के बीच सुरक्षित बैंकिंग आदतों को सुदृढ़ करने में मदद करता है.

> "यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं एवं डिजिटल सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने, उन्हें साइबर खतरों तथा रोकथाम कार्यनीतियों के बारे में सूचित रखने हेतु पहलों को कार्यान्वित करने के लिए समर्पित है.

**जीआरआई**

103-2, 413-1

### जन जागरूकता अभियान

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार जन जागरूकता अभियान चलाए हैं जिससे ग्राहकों को डिजिटल भुगतान उत्पादों का उपयोग करते समय आने वाले खतरों और हमलों के प्रकारों के बारे में जानकारी दी जा सके. इस प्रकार के अभियान उन एहतियाती उपायों पर प्रकाश डालते हैं जिन्हें ग्राहक अपनी सुरक्षा के लिए अपना सकते हैं.

- **ईमेल और एसएमएस:** संभावित खतरों के संबंध में ग्राहकों को सचेत करने और ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में सुझाव देने हेतु ईमेल और एसएमएस के माध्यम से नियमित संप्रेषण भेजा जाता है.

- **वीडियो और सोशल मीडिया पोस्टर:** बैंक ग्राहकों को साइबर सुरक्षा के संबंध में शिक्षित करने हेतु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर्षक वीडियो और सूचनात्मक पोस्टर का उपयोग करता है. यह सामग्री फ़िशिंग प्रयासों की पहचान करने से लेकर व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित करने तक के विभिन्न विषयों को कवर करती है.

## साइबर सुरक्षा जागरूकता डिस्प्ले

डिजिटल संप्रेषण के अतिरिक्त, बैंक सुनिश्चित करता है कि साइबर सुरक्षा जागरूकता भौतिक बैंकिंग अनुभव का एक दृश्यमान भाग है.

- **नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले यूनिट (एनईडीयू):** शाखाओं में एनईडीयू स्क्रीन पर रचनात्मक साइबर सुरक्षा जागरूकता संदेश और पोस्टर प्रदर्शित किए जाते हैं. इस प्रकार के दृश्य अनुस्मारक ग्राहकों के मन में जब वे अपनी बैंकिंग गतिविधियाँ करते हैं, साइबर सुरक्षा को सबसे आगे रखने में मदद करते हैं.

## मासिक साइबर सुरक्षा युक्तियाँ

बैंक सभी ग्राहकों को साइबर सुरक्षा संबंधी टिप्स की मासिक थोक मेलिंग उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख साझेदार सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सीडीएसी) हैदराबाद के साथ सहयोग करता है.

- **सीडैक साझेदारी:** इस साझेदारी के माध्यम से, बैंक व्यावहारिक साइबर सुरक्षा युक्तियों के साथ नियमित संप्रेषण भेजता है, जिससे ग्राहकों को नवीनतम सुरक्षा आदतों और संभावित खतरों के संबंध में जानकारी रखने में मदद मिलती है.

## ऑनलाइन वेबिनार

व्यापक दर्शकों तक पहुंचने और गहन साइबर सुरक्षा शिक्षा प्रदान करने हेतु, बैंक सी-डैक हैदराबाद के समन्वय में ऑनलाइन वेबिनार आयोजित करता है.

- **मासिक वेबिनार:** यह वेबिनार मासिक रूप से आयोजित किए जाते हैं और पूरे भारत में बैंक ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं. इन सत्रों में कई विषयों को शामिल किया जाता है, जिसमें नवीनतम साइबर सुरक्षा खतरे और उनसे बचाव के तरीके शामिल हैं, जो सीखने और जुड़ाव के लिए एक परस्पर सक्रिय प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करते हैं.

## बहु-चैनल संप्रेषण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करने के लिए कि साइबर सुरक्षा संदेश सभी ग्राहकों तक पहुंचें, चाहे उनका पसंदीदा संप्रेषण माध्यम कुछ भी हो, बहु-चैनल दृष्टिकोण अपनाता है.

- **इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग:** बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल और मोबाइल बैंकिंग ऐप व्योम पर महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा जानकारी प्रदर्शित की जाती है.
- **क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट:** ग्राहकों को उनके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के साथ सुरक्षा संदेश प्राप्त होते हैं, जो उनके वित्तीय दस्तावेजों के साथ साइबर सुरक्षा के महत्व को सुदृढ़ करते हैं.
- **एसएमएस और ईमेल:** नियमित अलर्ट और टिप्स एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भेजे जाते हैं.
- **सोशल मीडिया चैनल:** बैंक साइबर सुरक्षा जागरूकता सामग्री साझा करने हेतु लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का उपयोग करता है.
- **नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले यूनिट्स (एनईडीयू):** शाखाओं में लगे भौतिक डिस्प्ले यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहक शाखा में आने पर साइबर सुरक्षा के सर्वोत्तम तरीकों को याद रखें.

इन व्यापक पहलों के माध्यम से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक सुविज्ञ ग्राहक आधार बनाने हेतु समर्पित है, जो डिजिटल बैंकिंग परिदृश्य को सुरक्षित रूप से संचालित करने में सक्षम है.

> एआई, एमएल, एआर/वीआर और ब्लॉकचेन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यनीतिक निवेश अगली पीढ़ी के डिजिटल रूप से सशक्त बैंकिंग संस्थान बनने के प्रति इसके समर्पण को उजागर करते हैं.

> सशक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों और नवीन प्रौद्योगिकी अपनाने के माध्यम से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया न केवल अपनी परिचालन दक्षता बढ़ा रहा है, बल्कि निरंतर सीखने और सुधार की संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहा है.

## प्रशिक्षण एवं विकास

**जीआरआई**

404-1, 404-2

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास पर विशेष जोर देता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बैंकिंग उद्योग की उभरती जरूरतों को पूरा करने हेतु पूर्ण रूप से तैयार हैं. लागू किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अवलोकन यहाँ दिया गया है:

### एमएसएमई ऋण केंद्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

- **वित्तीय वर्ष 2022:** बैंक ने एमएसएमई ऋण पॉइंट (एमएलपी) पर कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, जिसका उद्देश्य उनके कौशल और ज्ञान को बढ़ाना है.
- **वित्तीय वर्ष 2023:** क्रेडिट अधिकारियों और एमएलपी प्रमुखों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए. इन कार्यक्रमों में क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन और ग्राहक सेवा पर विस्तृत मॉड्यूल शामिल थे, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि एमएसएमई ऋण पॉइंट के कर्मचारी अपनी ज़िम्मेदारियाँ बेहतर रूप से संभाल पाएँ और एमएसएमई ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु सक्षम बन सकें.
- **वित्तीय वर्ष 2024:** पिछले वर्ष की सफलता के आधार पर, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अधिक परिष्कृत और विस्तारित किया गया है. बैंक अब कर्मचारियों को नवीनतम उद्योग प्रथाओं और विनियामक आवश्यकताओं के साथ अद्यतन रखने हेतु उन्नत पाठ्यक्रम और निरंतर सीखने के अवसर प्रदान करता है.

## भविष्य की डिजिटल पहल

**जीआरआई**

103-2

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल बैंकिंग परिदृश्य में अग्रणी रहने हेतु लगातार नवाचार कर रहा है. बैंक ने ग्राहक अनुभव और परिचालन दक्षता को बढ़ाने हेतु कई प्रमुख पहल की हैं.

वित्तीय वर्ष 2022 में, बैंक ने जनरेटिव एआई को लागू करने और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ( सीओई ) की स्थापना हेतु प्रारंभिक अन्वेषण और व्यवहार्यता अध्ययन किए. वित्तीय वर्ष 2023 तक, एक व्यापक कार्यनीति विकसित की गई, जिसमें विभिन्न प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने हेतु जनरेटिव एआई का उपयोग

करने की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई, जबकि स्वचालित प्रक्रियाओं की निगरानी, सुधार एवं अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु आरपीए सीओई की अवधारणा बनाई गई. वित्तीय वर्ष 2024 में, बैंक नियमित कार्यों को स्वचालित करने और सेवा वितरण में सुधार करने हेतु जनरेटिव एआई के कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ रहा है, साथ ही स्वचालित प्रक्रियाओं की निरंतर निगरानी और सुधार सुनिश्चित करने हेतु आरपीए सीओई की स्थापना कर रहा है.

क्लाउड-नेटिव एप्लिकेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) को अपनाने हेतु आधारशिला भी वित्तीय वर्ष 2022 में रखी गई थी, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2023 में एक विस्तृत कार्यान्वयन कार्यनीति विकसित की गई थी. वित्तीय वर्ष 2024 तक, बैंक सक्रिय रूप से इन तकनीकों को लागू कर रहा है जिससे दक्षता और अनुकूलन क्षमता में सुधार हो, परिचालन दक्षता बढ़े और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान किया जा सके.

यूनियन बैंक अपने अगली जेनरेशन के डेटा रिपोजिटरी समाधान के रूप में डेटा लेक विकसित कर रहा है. यह डेटा लेक संरचित और असंरचित डेटा की विशाल मात्रा को समेकित कर सकेगा, बैंक की विश्लेषणात्मक और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करेगा, उन्नत विश्लेषण को सक्षम करेगा, और कार्यनीतिक निर्णय लेने में सहायता हेतु मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा.

**जीआरआई**

103-2

बैंक व्यक्तिगत इंटरैक्टिव स्टेटमेंट और वीडियो जैसी पेशकशों के माध्यम से ग्राहकों के साथ संप्रेषण को व्यक्तिगत बनाना चाहता है. यह क्लियरिंग प्रक्रिया को डिजिटल बनाने हेतु एआई-आधारित सीटीएस क्लियरिंग के कार्यान्वयन पर विचार कर रहा है, जिससे कर्मचारियों का कार्यभार और चेक के लिए प्रसंस्करण समय कम किया जा सके. बैंक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने हेतु जेनरेटिव एआई के संभावित उपयोग के मामलों की भी खोज कर रहा है.

निगरानी, सुधार और परिचालन एवं स्वचालित प्रक्रियाओं के अनुकूलन हेतु आरपीए सीओई बनाना एक और केंद्रित क्षेत्र है. साथ ही, बैंक ग्रीन ऑफिस ऑटोमेशन को प्राथमिकता प्रदान करता है, जो परिचालन दक्षता को बढ़ाएगा और दस्तावेजों, अंतर-कार्यालयीन पत्रों और प्रस्तावों की सावधानीपूर्वक तैयारी, उन्नयन और डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से अनुपालन और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देगा.

प्रमुख केंद्रित क्षेत्रों में शामिल हैं:

- **जनरेटिव एआई:** मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस), संबंध प्रबंधन, डेटा विजुअलाइज़ेशन, संपर्क केंद्र सहायता और कोड जनरेशन जैसे डोमेन में दक्षता और सटीकता बढ़ाने हेतु लागू किया गया.
- **आरपीए सीओई:** विशिष्ट परिचालनों में सुधार और अनुकूल बनाना, जैसे कि सीआरएम प्रक्रियाएं, आरईकेवाईसी अनुस्मारकों हेतु बल्क एसएमएस वितरण, लॉयल्टी रिवार्ड प्वाइंट्स का प्रबंधन, तथा सीईआरएसएआई अस्वीकृत डेटा रिपोर्टिंग को संभालना.
- **हरित कार्यालय स्वचालन:** दस्तावेजों और प्रस्तावों पर डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से परिचालन दक्षता में वृद्धि.
- **डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म:** विभिन्न चैनलों पर निर्बाध बातचीत और लेन-देन हेतु एक व्यापक प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन.
- **डेटा लेक:** यह अगली जेनरेशन का डेटा भंडार है जो विश्लेषणात्मक और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है.

## राजभाषा एवं प्रकाशन: राजभाषा

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने सभी परिचालनों में हिंदी के प्रचार और प्रयोग पर जोर देता रहा है, राजभाषा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है और द्विभाषी कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है. यहाँ राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने हेतु की गई पहलों और उपलब्धियों का अवलोकन दिया गया है.

### बैंकिंग परिचालन में हिंदी को बढ़ावा देना

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने दैनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि आंतरिक परिपत्रों, नोटिसों और रिपोर्टों सहित आधिकारिक संप्रेषण में हिंदी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाए. बैंक कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्य में हिंदी का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करता है, जिससे द्विभाषी वातावरण को बढ़ावा मिलता है.

### बहुभाषी प्रकाशन

बैंक व्यापक पाठकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हिंदी में विभिन्न सामग्री प्रकाशित करता है. उल्लेखनीय प्रकाशनों में तिमाही द्विभाषी कॉर्पोरेट इन-हाउस जर्नल 'यूनियन धारा' और हिंदी पत्रिका 'यूनियन सृजन' शामिल हैं. इन प्रकाशनों में कर्मचारियों द्वारा लिखे गए लेख, कहानियाँ और कविताएँ शामिल हैं, जो संगठन के भीतर हिंदी साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देती हैं.

## कर्मचारी भागीदारी और प्रशिक्षण

यूनियन बैंक अपने कर्मचारियों की हिंदी दक्षता बढ़ाने हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है. इन सत्रों में आधिकारिक दस्तावेजीकरण, संप्रेषण और ग्राहक बातचीत में हिंदी के प्रभावी उपयोग को शामिल किया जाता है. साथ ही, बैंक कर्मचारियों के बीच हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतियोगिताएं और कार्यशालाएं आयोजित करता है.

## मान्यता और पुरस्कार

हिंदी को बढ़ावा देने में यूनियन बैंक के प्रयासों को कई पुरस्कारों से मान्यता प्राप्त है. बैंक को प्रतिष्ठित क्षेत्रीय पुरस्कार राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से पुरस्कार प्राप्त हुआ है.

## डिजिटल और बहुभाषी समर्थन

यूनियन बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुभाषी समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है:

- **मोबाइल बैंकिंग:** 13 भाषाओं में उपलब्ध, जिससे ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला हेतु पहुंच सुनिश्चित होती है.
- **इंटरनेट बैंकिंग:** 2 भाषाओं में उपलब्ध, उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाता है.
- **कॉल सेंटर:** 11 भाषाओं का समर्थन करता है, व्यक्तिगत सहायता प्रदान करता है.
- **एसएमएस सुविधा:** 13 भाषाओं में उपलब्ध, ग्राहकों के साथ प्रभावी संप्रेषण सुनिश्चित करती है.

## राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

हिंदी के प्रयोग की निगरानी और उसे बढ़ावा देने हेतु यूनियन बैंक ने विभिन्न स्तरों पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ (राभाकास) गठित की हैं. यह समितियाँ नियमित रूप से हिंदी कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती हैं और बैंक के परिचालन में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के उपाय सुझाती हैं.

## प्रकाशन और ज्ञान प्रसार

यूनियन बैंक अपने प्रकाशनों के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करता है, जो विविधतापूर्ण दर्शकों की जरूरतों को पूरा करने हेतु कई भाषाओं में जारी किए जाते हैं. इन प्रकाशनों में बैंकिंग अद्यतन, उद्योग की अंतर्दृष्टि और कर्मचारियों के योगदान को कवर किया जाता है, जिससे ज्ञान साझा करने और समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है.

"

यूबीआई निरंतर ग्राहक जुड़ाव, डिजिटल नवाचार एवं वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन दर्शाता है और बेहतर बैंकिंग समाधान प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार एवं मान्यताएं अर्जित करता है.

## पुरस्कार और मान्यताएँ

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न क्षेत्रों में लगातार उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन किया है, तथा अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार और मान्यताएँ अर्जित की हैं. यह सम्मान नवाचार, ग्राहक सेवा और डिजिटल परिवर्तन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

### पुरस्कार और सम्मान सूची

**बीडब्ल्यू पीपल – पीपल डिसेबिलिटी पॉजिटिव अवार्ड: दिव्यांगों के समावेश हेतु सर्वश्रेष्ठ संगठन**

यूनियन बैंक को दिव्यांगों के समावेश हेतु सर्वश्रेष्ठ संगठन होने के लिए बीडब्ल्यू पीपल डिसेबिलिटी पॉजिटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार बैंक की उस प्रतिबद्धता को मान्यता देता है जिसके अंतर्गत यह एक समावेशी कार्यस्थल को बढ़ावा देता है जो दिव्यांग जनों का समर्थन करता है और सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है.

**बैंकिंग फ्रंटियर्स फिनोविटी अवाड्र्स: व्यक्तिगत इंटरैक्टिव वीडियो**

बैंकिंग फ्रंटियर्स फिनोविटी अवाड्र्स में यूनियन बैंक को व्यक्तिगत इंटरैक्टिव वीडियो पहल हेतु सम्मानित किया गया. यह नवाचार इंटरैक्टिव वीडियो के माध्यम से व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी प्रदान करने के पश्चात ग्राहक जुड़ाव को बढ़ाता है, जिससे ग्राहकों के लिए बैंकिंग अधिक सुलभ और आकर्षक बन जाती है.

**डेटाक्वेस्ट डिजिटल लीडरशिप कॉन्क्लेव और पुरस्कार: डिजिटल लीडरशिप – सीटीओ**

बैंक के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी को डेटाक्वेस्ट डिजिटल लीडरशिप कॉन्क्लेव और अवाड्र्स में उत्कृष्ट डिजिटल नेतृत्व दर्शाने हेतु सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार बैंक के डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने और अत्याधुनिक तकनीकों को लागू करने में सीटीओ की भूमिका को उजागर करता है.

**ईएलईटीएस बीएफएसआई गेमचेंजर 2023: मेटावर्स वर्चुअल लाउंज**

यूनियन बैंक के मेटावर्स वर्चुअल लाउंज को ईएलईटीएस बीएफएसआई गेमचेंजर अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ. यह पहल इमर्सिव और इनोवेटिव ग्राहक अनुभव बनाने हेतु उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

**इन्फोसिस फिनेकल पुरस्कार**

इन्फोसिस फिनेकल अवाड्र्स में विभिन्न श्रेणियों में यूनियन बैंक की उपलब्धियों को पुरस्कृत किया गया, जिनमें शामिल हैं:

- **उत्पाद नवाचार:** यूनियन स्पर्श
- **चैनल इनोवेशन:** यूनियन बैंक वॉयस असिस्टेंट और यूनियन वर्चुअल कनेक्ट
- **पारिस्थितिकी तंत्र आधारित नवाचार:** यूपीआई और सैंडबॉक्स पर्यावरण पर रुपे क्रेडिट कार्ड
- **प्रक्रिया नवाचार:** एमएसएमई ऋणों का डिजिटलीकरण
- **ग्राहक सहभागिता को अधिकतम करना:** डिजिलॉकर पर खाता विवरण
- **परिवर्तन उत्कृष्टता:** उत्कृष्टता केंद्र और क्लाउड प्रौद्योगिकी

यह पुरस्कार बैंक की अपनी उत्पाद पेशकश, ग्राहक सहभागिता और परिचालन प्रक्रियाओं को बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के प्रति समर्पण को रेखांकित करते हैं.

### गवर्नेंस नाउ 6वां बीएफएसआई पुरस्कार 2023: उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग, डिजिटल परिवर्तन लीडर पुरस्कार (सीआईओ)

यूनियन बैंक को गवर्नेंस नाउ के छठे बीएफएसआई अवाड्र्स 2023 में उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग हेतु मान्यता दी गई. साथ ही, बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड मिला, जिसमें डिजिटल नवाचार को आगे बढ़ाने में बैंक के नेतृत्व को उजागर किया गया.

### मिशन एक्सेसिबिलिटी वार्षिक कार्यक्रम 2023: चैंपियनिंग एक्सेसिबिलिटी अवार्ड – यूनियन एक्सेस

मिशन एक्सेसिबिलिटी एनुअल इवेंट 2023 में यूनियन बैंक को अपनी यूनियन एक्सेस पहल हेतु चैंपियनिंग एक्सेसिबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया. यह सम्मान बैंक के उन प्रयासों को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत बैंक सभी ग्राहकों, जिनमें विकलांग जन भी शामिल हैं, के लिए बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने का प्रयास करता है.

### इंफोसिस फिनेकल अवाड्र्स (द डिजिटल बैंकर द्वारा ग्लोबल रिटेल बैंकिंग इनोवेशन अवाड्र्स 2023)

यूनियन बैंक ने इंफोसिस फिनेकल ग्लोबल रिटेल बैंकिंग इनोवेशन अवाड्र्स 2023 में कई पुरस्कार प्राप्त किए:

- **सर्वश्रेष्ठ स्व-सेवा बैंकिंग :** यूवीकॉन और यूवीए

### आईबीएसआई ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2023: सर्वश्रेष्ठ डिजिटल चैनल/ प्लेटफॉर्म कार्यान्वयन – यूवीकॉन और यूवीए

बैंक के यूवीकॉन और यूवीए प्लेटफॉर्म को सर्वश्रेष्ठ डिजिटल चैनल/ प्लेटफॉर्म कार्यान्वयन हेतु आईबीएसआई ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने वाले प्रभावी डिजिटल चैनल बनाने में बैंक की सफलता को दर्शाता है.

### आईबीए पुरस्कार

आईबीए पुरस्कारों में यूनियन बैंक की उपलब्धियाँ, जहां बैंक को निम्न पुरस्कार प्राप्त हुए:

- **सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक :** विजेता
- **सर्वश्रेष्ठ डिजिटल जुड़ाव :** उपविजेता
- **सर्वश्रेष्ठ आईटी जोखिम प्रबंधन :** उपविजेता
- **सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी प्रतिभा :** विशेष उल्लेख
- **सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन :** विशेष उल्लेख

ये पुरस्कार प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय समावेशन में बैंक की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं.

### एलेट्स बीएफएसआई सीएक्सओ अवाड्र्स: अग्रणी प्रौद्योगिकी बैंक

यूनियन बैंक को इलेट्स बीएफएसआई सीएक्सओ अवाड्र्स में अग्रणी प्रौद्योगिकी बैंक के रूप में मान्यता दी गई, जिसमें बैंकिंग प्रौद्योगिकी में बैंक के नेतृत्व और नवाचार पर प्रकाश डाला गया.

### आईबीईएक्स इंडिया बीएफएसआई टेक अवार्ड 2024: उभरती हुई तकनीक का उपयोग कर बैंकिंग नवाचार में उत्कृष्टता

आईबीईएक्स इंडिया बीएफएसआई टेक अवार्ड 2024 में यूनियन बैंक को उभरती हुई तकनीक का उपयोग करने के पश्चात बैंकिंग नवाचार में उत्कृष्टता हेतु पुरस्कार प्राप्त हुआ. यह पुरस्कार अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.

### फिनटेक फेस्टिवल इंडिया: फिनटेक फेस्टिवल अवार्ड इनोवेशन

यूनियन बैंक के नवोन्मेषी समाधानों को फिनटेक फेस्टिवल इंडिया में पुरस्कृत किय गया, जहां इन समाधानों को नवाचार हेतु फिनटेक फेस्टिवल पुरस्कार प्राप्त हुआ.

### रिटेल बैंकर इंटरनेशनल एशिया ट्रेलब्लेज़र अवाड्र्स: सर्वश्रेष्ठ एटीएम और सेल्फ-सर्विस इनोवेशन

यूनियन बैंक को रिटेल बैंकर इंटरनेशनल एशिया ट्रेलब्लेज़र अवाड्र्स में सर्वश्रेष्ठ एटीएम और स्व-सेवा नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें नवोन्मेषी एटीएम और स्व-सेवा समाधानों के माध्यम से ग्राहक सुविधा बढ़ाने के बैंक के प्रयासों को मान्यता दी गई.

# यूबीआई का **कार्यनीतिक** पर्यावरणीय अभिशासन और प्रबंधन

> शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए, यूबीआई अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पेरिस जलवायु समझौते और संयुक्त राष्ट्र संवहनीय विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करेगा.

*यूबीआई में, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारे दर्शन में गहराई से समाहित है. हम अत्याधुनिक तकनीक को संवहनीय प्रथाओं के प्रति दृढ़ समर्पण के साथ सहजता से एकीकृत कर रहे हैं. प्राकृतिक पूंजी के प्रति हमारा दृष्टिकोण एक सक्रिय रुख को दर्शाता है, जिसमें जलवायु जोखिमों को कम करने की अनिवार्यता और हरित पहलों को बढ़ावा देने के अवसर दोनों की पहचान शामिल है. यह मानसिकता हमारे पर्यावरणीय फूटप्रिंट को कम से कम करते हुए हमें अपने ग्राहकों और समुदायों को उनकी संवहनीयता यात्रा में सहायता प्रदान करने लिए प्रेरित करती है.*

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम Union Bank of India A Government of India Undertaking

## यूएनएसडीजी:

## कार्यनीतिक स्तंभ:

1 2 3

## कारोबार मॉडल कैनवास:

1 2 3 4 5 6

## महत्वपूर्ण विषय

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

## जीआरआई संरेखण

201, 203, 205, 302, 303, 305, 306, 401, 403, 404, 406, 413, 418

यूनियन बैंक ने पर्यावरण नेतृत्व के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाई है, जिसका एक साहसिक लक्ष्य वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है. यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य पेरिस जलवायु समझौते और संयुक्त राष्ट्र संवहनीय विकास लक्ष्यों (यूएनएसडीजी) के वैश्विक मानकों के अनुरूप है. जलवायु परिवर्तन का समाधान करने और संवहनीय विकास को बढ़ावा देने के महत्व को पहचानते हुए, यूनियन बैंक ने अपनी पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) प्रतिबद्धताओं की देखरेख के लिए एक व्यापक अभिशासन संरचना स्थापित की है.

यह सुदृढ़ एवं बहुआयामी अभिशासन संरचना सुनिश्चित करती है कि बैंक की पर्यावरण संबंधी कार्यनीतियों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाए तथा उनकी निगरानी की जाए. इस संरचना के प्रमुख घटकों में शेयरधारक संबंध समिति (एसआरसी) और जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) शामिल हैं, जो ईएसजी एवं जलवायु संबंधी जोखिमों दोनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ईएसजी संचालन समिति (ईएसजीएससी), जिसमें कार्यपालक निदेशक तथा विभिन्न कारोबार वर्टिकल के प्रमुख शामिल हैं, जो बैंक के संवहनीयता की ओर परिवर्तन का मार्गदर्शन करने के लिए तिमाही आधार पर बैठक करती है. यह समिति बोर्ड को सिफारिशें प्रदान करती है और सुनिश्चित करती है कि बैंक के सभी वर्टिकल ईएसजी उद्देश्यों के अनुरूप हों.

इन अभिशासन तंत्रों को एकीकृत करके, यूनियन बैंक यह सुनिश्चित करता है कि उसका पर्यावरण संरक्षण केवल एक नीति न होकर, उसके परिचालन लोकाचार का एक मुख्य पहलू है, जो बैंक को एक संवहनीय और आघात-सह भविष्य की ओर ले जाता है.

**₹23,059 करोड़**

***नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण:*** *नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मंजूर कुल राशि.*

**₹462 करोड़**

***इलेक्ट्रिक वाहन वित्तपोषण:*** *यूनियन ग्रीन माइल्स योजना के तहत मंजूर राशि.*

> यूबीआई में पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता सिर्फ नीति नहीं है, बल्कि हमारे परिचालन लोकाचार का एक मुख्य पहलू है, जो हमें एक संवहनीय एवं आघात-सह भविष्य की ओर ले जाता है.

## पर्यावरण प्रतिबद्धता

**जीआरआई**

305 - उत्सर्जन प्रकटीकरण

### शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए यूनियन बैंक के पर्यावरणीय लक्ष्यों और कार्यनीतियों का सारांश:

यूनियन बैंक वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को ईएसजी संचालन समिति (ईएसजीएससी) के नेतृत्व में एक संरचित दृष्टिकोण के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है. ईएसजीएससी में कार्यपालक निदेशक और विभिन्न कारोबार एवं नियंत्रण वर्टिकल के प्रमुख शामिल हैं, जो ईएसजी परिवर्तनों पर चर्चा करने और अनुमोदन के लिए संबंधित समितियों को सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु तिमाही बैठक करते हैं. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) तथा बोर्ड नियमित रूप से बैंक की प्रगति को अपडेट करते हैं.

ईएसजीएससी के संदर्भ की शर्तों में ईएसजी पहलों पर वर्टिकल का मार्गदर्शन करना, ईएसजी परिवर्तन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, कार्बन-तटस्थ बैंक बनने के लिए बैंक की परिवर्तन योजना को क्रियान्वित करना, कारोबारी माहौल पर ईएसजी प्रभावों की पहचान एवं निगरानी करना और बैंक के भीतर ईएसजी क्षमता का निर्माण करना शामिल है. इसके अतिरिक्त, सभी वर्टिकल ने ईएसजी तथा जलवायु जोखिम मामलों के लिए संपर्क के निर्दिष्ट बिंदु बनाए हैं, जो पूरे संगठन में सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं. यह दृष्टिकोण जीआरआई 305: उत्सर्जन मानक के अनुरूप है, जो ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन के प्रकटीकरण पर केंद्रित है. जीआरआई 305 का पालन करके, बैंक अपने उत्सर्जन की पारदर्शी रिपोर्टिंग सुनिश्चित करता है, जवाबदेही का पालन करता है और अपने पर्यावरणीय कार्यनिष्पादन में निरंतर सुधार करता है. यह मानक बैंक के अपने कार्बन फूटप्रिंट को कम करने के लक्ष्य का समर्थन करता है और जो व्यापक पारिस्थितिकीय उद्देश्यों के अनुरूप है.

**जीआरआई**

305 - उत्सर्जन प्रकटीकरण

### पेरिस जलवायु समझौते और यूएनएसडीजी के साथ संरेखण:

यूनियन बैंक की पर्यावरण संबंधी कार्यनीतियाँ अंतरराष्ट्रीय मानकों जैसे पेरिस जलवायु समझौते और संयुक्त राष्ट्र संवहनीय विकास लक्ष्यों (यूएनएसडीजी) के साथ ध्यानपूर्वक संरेखित हैं. इन वैश्विक ढाँचों का पालन करके, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि परिचालन से जलवायु परिवर्तन को कम करने और संवहनीय विकास को बढ़ावा देने में सकारात्मक योगदान दें. यह संरेखण विनियामक अनुपालन को पूरा करता है एवं बैंक को वैश्विक संवहनीयता प्रयासों में एक सक्रिय लीडर के रूप में स्थान देता है. इन मानकों को बैंक की कार्यनीतियों में एकीकृत करना एक संवहनीय भविष्य के लिए इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और पर्यावरण प्रबंधन में इसकी विश्वसनीयता तथा जवाबदेही को बढ़ाता है. यह व्यापक दृष्टिकोण बैंक की उत्सर्जन कटौती कार्यनीतियाँ वैश्विक पारिस्थितिक लक्ष्यों के साथ कैसे संरेखित होती हैं, इसका विवरण देकर जीआरआई 305: उत्सर्जन प्रकटीकरण आवश्यकता को संतुष्ट करता है.

**जीआरआई**

102 - सामान्य प्रकटीकरण

### जलवायु कार्यनीति और अभिशासन:

**जलवायु-संबंधी जोखिम और अवसरों का प्रबंधन:**

यूनियन बैंक ईएसजी संचालन समिति पर केंद्रित एक सुदृढ़ अभिशासन ढांचे के माध्यम से जलवायु से संबंधित जोखिमों और अवसरों का प्रबंधन करता है. यह समिति जलवायु परिवर्तन से संबंधित भौतिक एवं परिवर्तन जोखिमों की पहचान, आकलन तथा समाधान करने में महत्वपूर्ण है. बैंक का मानना है कि जलवायु से संबंधित मुद्दे उसके कारोबार संभावनाओं, कार्यनीति और वित्तीय कार्यनिष्पादन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं. आघात-सहनीयता के लिए, बैंक उच्च-उत्सर्जन क्षेत्रों के लिए जोखिम की निगरानी करता है, हरित परियोजनाओं को ऋण देता है और क्षमता निर्माण में निवेश करता है. बैंक ने विशेष रूप से कठिनाई से कम होने वाले वाले क्षेत्रों में परिवर्तन वित्त को एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में पहचाना है और इन क्षेत्रों के लिए केंद्रित उत्पाद विकसित कर रहा है. यह अभिशासन ढांचा जीआरआई 102: सामान्य प्रकटीकरण मानक के अनुरूप है, जिसके लिए संगठनों को समितियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों सहित अपने अभिशासन ढांचे के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है.

## यूबीआई की जलवायु कार्यनीति

- ❖ हम अपने ग्राहकों और समुदायों को जलवायु संबंधी चुनौतियों एवं संभावनाओं से निपटने के लिए सक्षम बनाकर एक संवहनीय बदलाव को सुगम बना रहे हैं.
- ❖ हम अपनी कंपनी को प्रभावित करने वाले जलवायु जोखिमों का समाधान कर रहे हैं, जिनमें भौतिक और परिवर्तनकालीन कारक भी शामिल हैं.
- ❖ हम नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि, तथा अपने संगठन में विभिन्न परिचालन सुधारों के क्रियान्वयन के माध्यम से अपने पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम कर रहे हैं.

**समितियों की अभिशासन संरचना और भूमिकाएँ:**

पर्यावरण कार्यनीतियों के प्रबंधन के लिए यूनियन बैंक की अभिशासन संरचना में कई महत्वपूर्ण समितियाँ शामिल हैं. बोर्ड-स्तरीय समिति, शेयरधारक संबंध समिति (एसआरसी), सभी गैर-जोखिम वाले ईएसजी-संबंधित मामलों की देखरेख करती है और सीधे बोर्ड को रिपोर्ट करती है. बोर्ड की एक उप-समिति, जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी), ईएसजी और जलवायु जोखिम-संबंधित मामलों की देखरेख करती है. ईएसजी संचालन समिति (ईएसजीएससी) बैंक के ईएसजी परिवर्तन को आगे बढ़ाती है और कार्यनीतिक लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करती है. शुद्ध-शून्य उत्सर्जन और संवहनीय वित्त जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्रित उप-समितियाँ इन प्रयासों का और समर्थन करती हैं. ईएसजीएससी ईएसजी पहलों पर विभिन्न वर्टिकल का मार्गदर्शन करती है, ईएसजी परिवर्तन के लिए सर्वोत्तम अभ्यास अपनाती है और बैंक के ईएसजी प्रभावों की निगरानी करती है. जीआरआई 102: सामान्य प्रकटीकरण मानक का पालन करके, यूनियन बैंक अपने अभिशासन कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है, जो जलवायु-संबंधित जोखिमों और अवसरों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की अपनी समग्र कार्यनीति का समर्थन करता है.

**जीआरआई**

102 - सामान्य प्रकटीकरण

## संवहनीय वित्तपोषण

### उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं:

**संवहनीय वित्त, विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा में उपलब्धियों का विवरण:**

यूनियन बैंक ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर बल देते हुए संवहनीय वित्तपोषण में महत्वपूर्ण प्रगति की है. वित्तीय वर्ष 2024 में, बैंक ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं जो कम कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का समर्थन करने की इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं. विशिष्ट उपलब्धियों में विभिन्न सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करना शामिल है, जिन्होंने स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में योगदान दिया है.

उदाहरण के लिए, यूनियन बैंक ने 31 मार्च, 2024 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए रु.23,059 करोड़ मंजूर किए हैं. यह महत्वपूर्ण निवेश संवहनीय ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के लिए बैंक के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है. इसके अतिरिक्त, यूनियन ग्रीन माइल्स योजना के तहत, जो इलेक्ट्रिक वाहनों को वित्तपोषित करती है, बैंक ने रु. 462 करोड़ मंजूर किए हैं. ये उपलब्धियाँ जीआरआई 201: आर्थिक कार्यनिष्पादन मानक के अनुरूप हैं, जो किसी संगठन के स्थिरता प्रयासों के आर्थिक निहितार्थों एवं संवहनीय विकास की दिशा में किए गए वित्तीय योगदान पर बल देती हैं.

**हरित वित्तपोषण के विस्तार हेतु वित्तीय वर्ष 2024 की योजना में लक्ष्य और उपलब्धियाँ:**

भविष्य को देखते हुए, यूनियन बैंक ने अपने हरित वित्तपोषण संविभाग के विस्तार के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं. बैंक का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य संवहनीय परियोजनाओं में अपने निवेश को बढ़ाना है, जिससे उसके समग्र ऋण पोर्टफोलियो में हरित वित्तपोषण का अनुपात काफी बढ़ जाएगा. यह दूरदर्शी कार्यनीति बैंक के संवहनीय वित्तपोषण ढांचे में समाहित है, जिसे क्रिसिल ने द्वितीय पक्ष की राय के माध्यम से मान्य किया है. इस ढांचे में ग्रीन डिपॉजिट, ग्रीन बॉण्ड और संवहनीयता से जुड़े ऋण जैसे अभिनव वित्तीय उत्पाद शामिल हैं.

**जीआरआई**

201 - आर्थिक कार्यनिष्पादन

**50%**

*नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग: वर्ष नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति का लक्ष्य प्रतिशत*

**8,466**

*शाखा नेटवर्क: नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को एकीकृत करने वाली कुल शाखाएँ, जिनमें से 58% ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं.*

अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को संवहनीय प्रथाओं के साथ सहजता से एकीकृत करके, यूबीआई जलवायु जोखिमों को कम करते हुए हरित पहलों को बढ़ावा देती है.

बैंक अपने संवहनीय वित्त प्रस्तावों को बढ़ाने के लिए समयबद्ध लक्ष्य भी निर्धारित कर रहा है. इसमें यूनियन ग्रीन होम लोन और यूनियन ग्रीन कॉर्पोरेट डिपॉजिट जैसे नए उत्पाद शुरू करना शामिल है, जो अपने ग्राहकों के बीच पर्यावरण की दृष्टि से संवहनीय प्रथाओं का समर्थन करने के लिए तैयार किए गए हैं. इन लक्ष्यों को एकीकृत करके, यूनियन बैंक का लक्ष्य अपनी संवहनीयता पहलों की वित्तीय व्यवहार्यता एवं आर्थिक प्रभाव को दर्शाते हुए जीआरआई 201: आर्थिक कार्यनिष्पादन आवश्यकताओं को पूरा करना है. ये उपाय संवहनीयता से संबंधित बैंक के आर्थिक कार्यनिष्पादन में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं, संवहनीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और ग्राहकों को उनके ईएसजी परिवर्तन में सहायता करने में इसकी भूमिका को उजागर करते हैं.

## संवहनीय भविष्य की ओर परिवर्तन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कारोबार कार्यनीति एक समावेशी, संवहनीय पथ को अपनाती है, जो यह स्वीकार करती है कि पूंजी सकारात्मक परिवर्तन के लिए एक शक्ति हो सकती है. संवहनीयता के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमारे ग्राहकों के जीवन को बेहतर बनाने और समुदाय की भलाई को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है. हम अपने सभी कारोबारों, उत्पादों और सेवाओं में जलवायु और संवहनीय वित्त विकास के अवसरों की पहचान करने, उन्हें गति देने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

## परिवर्तन का वित्तपोषण

कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में बदलाव नवाचार और विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है. यूनियन बैंक इस बदलाव का समर्थन करने के लिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्तपोषण में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है. हम कम कार्बन क्षमता और सामर्थ्य का निर्माण करने के लिए नई हरित प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में निवेश कर रहे हैं. ग्राहकों और समुदायों को कम कार्बन, संवहनीय भविष्य हासिल करने में मदद करने की हमारी प्रतिबद्धता में ऐसे उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करना शामिल है जो उनकी उभरती ज़रूरतों को पूरा करते हैं और अधिक संवहनीय एवं समावेशी समाधानों का समर्थन करते हैं.

नीचे दी गई तालिका नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को लक्षित करते हुए संवहनीय वित्तपोषण में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की उपलब्धियों को दर्शाती है

| वित्तपोषण | वि.व. 2022 तक उपलब्धि | वि.व. 2023 तक उपलब्धि | वि.व. 2024 तक उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र | ₹7,164 करोड़ | ₹10,370 करोड़ | ₹23,059 करोड़ |

ये उपलब्धियां संवहनीय वित्त के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को समर्थन देने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं, जो स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर राष्ट्र के परिवर्तन में सक्रिय रूप से योगदान दे रही है.

## जलवायु जोखिम और हरित वित्त

### जलवायु जोखिम प्रबंधन और हरित वित्त का एकीकरण

जलवायु जोखिम प्रबंधन को एकीकृत करने और हरित वित्त को बढ़ावा देने पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कार्यनीतिक ध्यान संवहनीयता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. ये पहल जलवायु जोखिमों के प्रति बैंक की आघात-सहनीयता को बढ़ाती हैं और एक संवहनीय और समावेशी अर्थव्यवस्था के व्यापक लक्ष्य में योगदान देती हैं.

अपने पोर्टफोलियो और समग्र कारोबार मॉडल पर जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण प्रभाव को पहचानते हुए, यूबीआई ने अपनी कारोबार कार्यनीति और परिचालन में जलवायु जोखिम प्रबंधन को सक्रिय रूप से शामिल किया है. इसका समर्थन करने के लिए, यूबीआई ने एक सुदृढ़ ईएसजी जोखिम प्रबंधन ढांचा कार्यान्वित किया है जिसमें जलवायु से संबंधित जोखिमों की पहचान, आकलन, प्रबंधन और

**जीआरआई**

201 - आर्थिक कार्यनिष्पादन
302: ऊर्जा; 305: उत्सर्जन;
307: पर्यावरण अनुपालन;
और 301: भौतिक

प्रकटीकरण के लिए व्यापक प्रक्रियाएं शामिल हैं.

आईसीएमए, एलएमए, एपीएलएमए, एलएसटीए और भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रीन डिपॉजिट्स पर दिशानिर्देशों के सिद्धांतों पर आधारित यह ढांचा जोखिम माप, आंतरिक नियंत्रण, जोखिम रिपोर्टिंग, मेट्रिक्स, लक्ष्य और प्रकटीकरण को कवर करता है. यूबीआई अपने पोर्टफोलियो और परिचालन में भौतिक और परिवर्तन दोनों जोखिमों का आकलन करता है, सेक्टर-स्तरीय हीटमैप और जिला-स्तरीय भौतिक जोखिम भेद्यता सूचकांक का उपयोग करता है. संपूर्ण मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए, ईएसजी और जलवायु जोखिम आकलन अब क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया में एकीकृत किए गए हैं.

यूबीआई ईएसजी स्कोरिंग, वित्तपोषित उत्सर्जन को मापने, भौतिक और परिवर्तन जोखिमों का आकलन करने एवं ग्राहक और पोर्टफोलियो दोनों स्तरों पर डीकार्बोनाइजेशन पथ विकसित करने में सहायता के लिए एक जलवायु जोखिम प्रबंधन समाधान भी कार्यान्वित कर रहा है. पोर्टफोलियो-स्तरीय विश्लेषण समग्र ऋण जोखिम प्रोफ़ाइल पर जलवायु जोखिम प्रभावों का आकलन करने में मदद करते हैं, बैंक ने क्षेत्रवार योगदानों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने तथा उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए जोखिमों की निगरानी करने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने वित्तपोषित उत्सर्जन की गणना की है.

## उधार पोर्टफोलियो

ऋण देने का निर्णय लेते समय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कई पर्यावरणीय कारकों पर विचार करता है, जैसे कि पारिस्थितिकी मंजूरी, प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट निपटान और प्राकृतिक आवासों का संभावित नुकसान. ये विचार जैव विविधता एवं प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभावों का निदान करने के लिए अभिन्न हैं. इसके अलावा, बैंक पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) के माध्यम से अपने ऋण परिचालन में पर्यावरणीय और सामाजिक विचारों को एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है. यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि बैंक की ऋण देने की प्रथाएँ संवहनीय विकास का समर्थन करती हैं और पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिमों को कम करती हैं.

**1.11** मेट्रिक टन

***प्रबंधित अपशिष्ट:*** *प्रबंधित ई-अपशिष्ट की कुल मात्रा*

### पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) फ्रेमवर्क फ्लो चार्ट

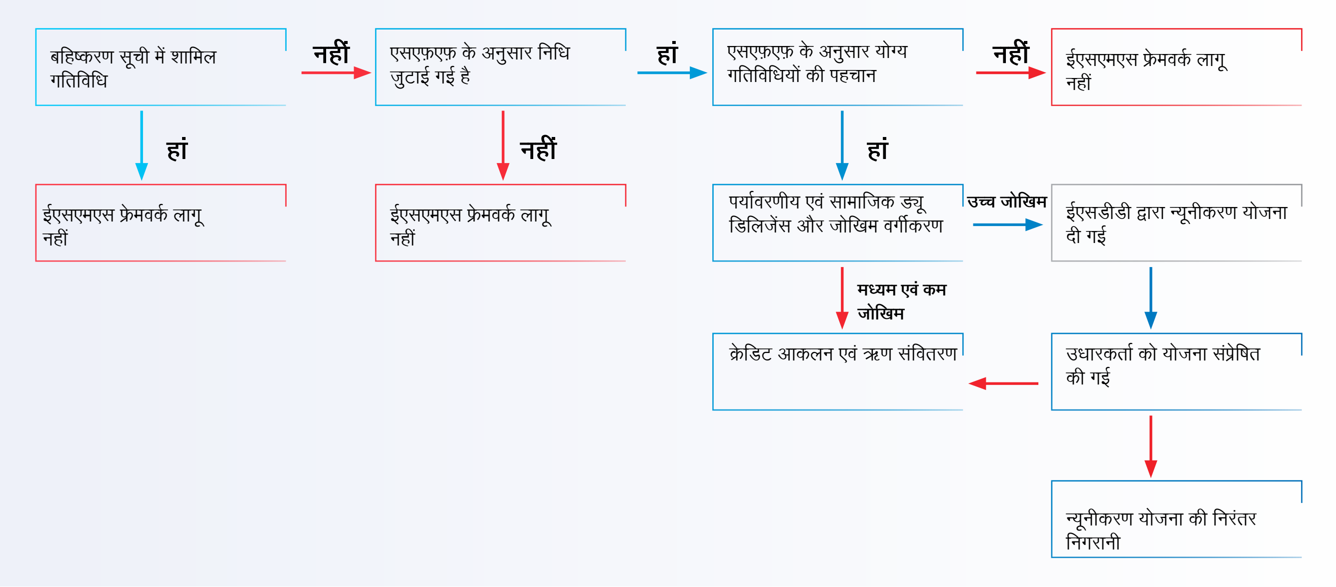

*प्राकृतिक पूंजी – भाग I:*

## अभिशासन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) जलवायु जोखिम प्रबंधन को एकीकृत करने और हरित वित्त को बढ़ावा देने पर अपने कार्यनीतिक फोकस के माध्यम से संवहनीयता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. ये पहल जलवायु जोखिमों के प्रति बैंक की आघात-सहनीयता को बढ़ाती हैं और एक संवहनीय एवं समावेशी अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं.

**बैंक में ईएसजी अभिशासन ढांचा**

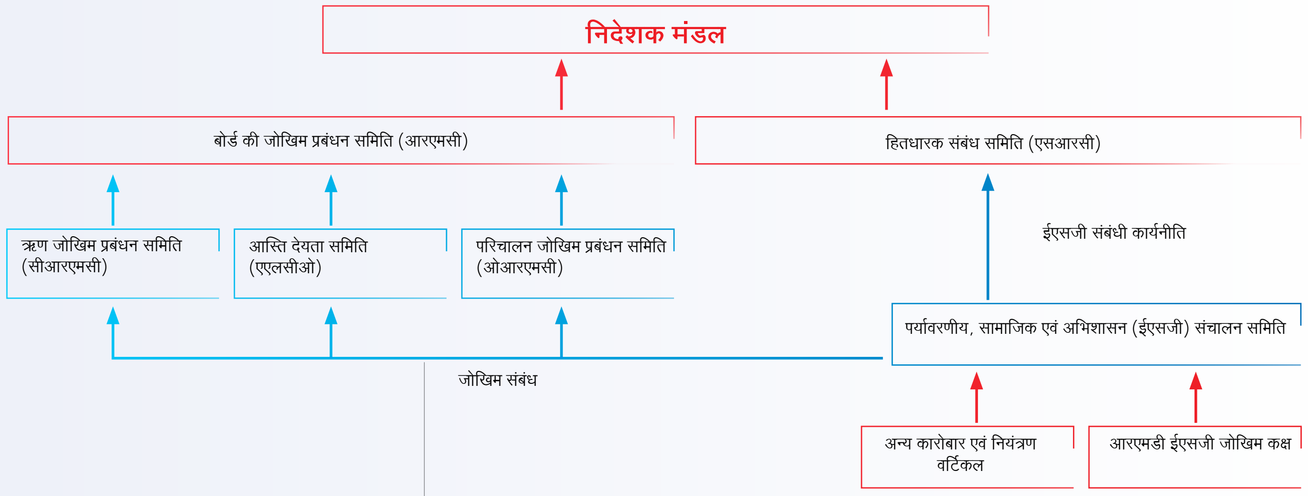


### बोर्ड अन्वेक्षा

यूबीआई ने जलवायु संबंधी जोखिमों एवं अवसरों की देखरेख और प्रबंधन के लिए एक सुदृढ़ अभिशासन संरचना स्थापित की है. बैंक का बोर्ड ईएसजी तथा जलवायु परिवर्तन जोखिम के प्रभाव का समाधान करने की आवश्यकता को पहचानता है. बोर्ड स्तर की समिति, शेयरधारक संबंध समिति (एसआरसी), सभी गैर-जोखिम ईएसजी-संबंधित मामलों का समाधान करती है और सीधे बोर्ड को रिपोर्ट करती है. बोर्ड की एक उप-समिति, जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी), बैंक के सभी ईएसजी और जलवायु जोखिम-संबंधी मामलों की देखरेख करती है.

### प्रबंधन की भूमिका

यूबीआई ने बैंक में ईएसजी परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए कार्यपालक निदेशकों (ईडी) और कारोबार एवं नियंत्रण वर्टिकल के प्रमुखों वाली एक ईएसजी संचालन समिति (ईएसजीएससी) का गठन किया है. ईएसजी परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए ईएसजीएससी तिमाही बैठक करती है और अनुमोदन के लिए संबंधित समितियों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है. आरएमसी और बोर्ड नियमित रूप से प्रगति को अपडेट करते हैं. ईएसजीएससी के संदर्भ की शर्तों में ईएसजी पहलों पर वर्टिकल का मार्गदर्शन करना, ईएसजी परिवर्तन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, कार्बन-शून्य बैंक बनने के लिए बैंक की परिवर्तन योजना को क्रियान्वित करना, कारोबारी माहौल पर ईएसजी प्रभावों की पहचान करना एवं निगरानी करना और बैंक के भीतर ईएसजी क्षमता का निर्माण करना शामिल है. सभी वर्टिकल ने पूरे संगठन में ईएसजी कार्यनीति के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ईएसजी एवं जलवायु जोखिम से संबंधित मामलों के लिए संपर्क बिंदुओं की पहचान की है

> "
> जलवायु जोखिमों एवं अवसरों से निपटने के लिए यूबीआई का सक्रिय दृष्टिकोण वैश्विक संवहनीयता प्रयासों में हमारी अग्रणी भूमिका को दर्शाता है.

### उपसमितियां

अपने स्वयं के परिचालन में शुद्ध-शून्य उत्सर्जन पर एक उप-समिति में बैंक के आईटी एवं परिचालन का प्रबंधन करने वाले वर्टिकल के प्रतिनिधि शामिल हैं. संवहनीय वित्त पर एक अन्य उप-समिति में इस क्षेत्र में बैंक के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सभी ऋण वर्टिकल के सदस्य शामिल हैं.

## नीतियां और ढांचा

यूबीआई ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईएसजी जोखिम ढांचा एवं जलवायु जोखिम नीति तैयार की है. जोखिम और अवसर संबंधी गतिविधियों का समाधान करने के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग के तहत एक ईएसजी जोखिम सेल की स्थापना की गई है. सेबी द्वारा अधिसूचित अनुसार, यूबीआई कारोबार उत्तरदायित्व तथा संवहनीता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) ढांचे के अनुसार अपने ईएसजी कार्यनिष्पादन का भी प्रकटीकरण करता है.

## कार्यनीति

### जलवायु-संबंधी जोखिम और अवसर

यूबीआई का मानना है कि जलवायु संबंधी मुद्दे उसके कारोबारी संभावनाओं, कार्यनीति और वित्तीय कार्यनिष्पादन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं. बैंक अल्पावधि, मध्यम अवधि और दीर्घावधि में जलवायु जोखिमों और अवसरों की पहचान करता है.

### कारोबार, कार्यनीति और वित्तीय आयोजना पर प्रभाव

यूबीआई को उम्मीद है कि नीतियों, विनियमों, बाजार की भावना और जलवायु परिवर्तन के भौतिक जोखिमों में बदलाव से संबंधित परिवर्तन जोखिम उसके ऋण पोर्टफोलियो, ऋण जोखिम प्रोफ़ाइल और समग्र कारोबार कार्यनीति को प्रभावित करेंगे. आघात-सहनीयता के लिए, यूबीआई उच्च-उत्सर्जन क्षेत्रों के लिए जोखिम की निगरानी करता है, हरित परियोजनाओं को ऋण देता है और क्षमता निर्माण में निवेश करता है. बैंक ने परिवर्तन वित्त में विशेष रूप से कठिनाई से कम होने वाले क्षेत्रों को एक अवसर के रूप में पहचाना है और इन क्षेत्रों के लिए केंद्रित उत्पादों पर काम कर रहा है. यूबीआई का लक्ष्य कार्यनीतिक रूप से संवहनीयता वित्त में अवसरों को हासिल करना है और समर्पित हरित ऋण उत्पाद विकसित किए गए हैं. यह कारोबार के एक नए द्वार के रूप में ईएसजी सलाहकार सेवाओं का भी पता लगा रहा है.

### कार्यनीति की आघात-सहनीयता

यूबीआई ने अपनी ऋण हामीदारी अंकन प्रक्रिया में भौतिक और परिवर्तन जोखिमों का आकलन करना शुरू कर दिया है और अपने आईसीएएपी में ईएसजी एवं जलवायु जोखिम को शामिल किया है. बैंक अपनी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं तथा कारोबार नियोजन में ईएसजी विचारों को और अधिक एकीकृत करने की योजना बना रहा है. यूबीआई अपनी कार्यनीति को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए जिम्मेदार बैंकिंग के सिद्धांतों जैसी प्रमुख पहलों के लिए साइन-अप करने का इरादा रखता है.

## जोखिम प्रबंधन

### जलवायु-संबंधी जोखिमों की पहचान और आकलन की प्रक्रियाएँ

यूबीआई ने जलवायु और पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान, आकलन, निगरानी एवं प्रबंधन के लिए ईएसजी जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया है. यह ढांचा जोखिम माप, आंतरिक नियंत्रण, जोखिम रिपोर्टिंग तथा निगरानी, मेट्रिक तथा लक्ष्य, एवं प्रकटीकरण को कवर करने वाले पांच-आयामी दृष्टिकोण को अपनाता है. बैंक अपने पोर्टफोलियो और परिचालन में भौतिक तथा परिवर्तन दोनों जोखिमों के प्रभाव का आकलन करता है. सेक्टर-स्तरीय हीटमैप उद्योगों को उनके जलवायु जोखिम के आधार पर रैंक करते हैं, और संपार्श्विक की भौगोलिक अवस्थिति को जिला-स्तरीय भौतिक जोखिम भेद्यता सूचकांक में मैप किया जाता है. प्रतिपक्ष स्तर पर, यूबीआई ने ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया में ईएसजी और जलवायु जोखिम आकलन को शामिल करना शुरू कर दिया है.

### जलवायु-संबंधी जोखिमों के प्रबंधन की प्रक्रियाएँ

यूबीआई ईएसजी स्कोरिंग, वित्तपोषित उत्सर्जन को मापने, भौतिक एवं परिवर्तन जोखिमों का आकलन करने तथा ग्राहक और पोर्टफोलियो स्तरों पर डीकार्बोनाइजेशन मार्ग विकसित करने में सहायता के लिए एक जलवायु जोखिम प्रबंधन समाधान कार्यान्वित कर रहा है. समग्र ऋण जोखिम प्रोफ़ाइल पर जलवायु जोखिम के प्रभाव का आकलन करने के लिए पोर्टफोलियो-स्तरीय विश्लेषण किया जाता है. यूबीआई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु पूरे ऋण पोर्टफोलियो के लिए अपने वित्तपोषित उत्सर्जन की गणना की है, जो क्षेत्रवार योगदानों के बारे में जानकारी प्रदान करता है. जलवायु जोखिम मूल्यांकन के हिस्से के रूप में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के जोखिमों की निगरानी की जाती है.

### समग्र जोखिम प्रबंधन में एकीकरण

जलवायु जोखिम को यूबीआई की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) में एकीकृत किया गया है. बैंक ने गतिशील तुलन पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए ग्राहक स्तर पर जलवायु दबाव परीक्षण के लिए क्षमताएं विकसित की हैं, जिसमें टॉप-डाउन और बॉटम-अप दबाव परीक्षण पद्धतियों का मिश्रण शामिल है. यूबीआई का लक्ष्य अपने उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे में जलवायु जोखिम विचारों को उत्तरोत्तर शामिल करना है. जलवायु संबंधी व्यवधानों के प्रति यूबीआई के कारोबार मॉडल के आघात-सहनीयता का मूल्यांकन करने हेतु दबाव परीक्षण ढांचे को मजबूत किया जा रहा है.

> "
>
> यूबीआई जलवायु जोखिमों एवं अवसरों को सक्रिय रूप से समाधान करके संवहनीयता के पथ पर आगे बढ़ता है, एक आघात-सहनीयता एवं समावेशी भविष्य के लिए हमारी मुख्य कारोबारी कार्यनीतियों में ईएसजी सिद्धांतों को शामिल करता है.

"

जलवायु जोखिम प्रबंधन एवं हरित वित्त के प्रति यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सक्रिय दृष्टिकोण परिचालन संवहनीयता एवं पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

## मेट्रिक्स और लक्ष्य

### जलवायु-संबंधी जोखिम और अवसरों का आकलन करने के लिए मेट्रिक्स

यूबीआई जलवायु जोखिमों के प्रति अपने जोखिम का आकलन करने और ईएसजी पर प्रगति की निगरानी करने के लिए कई मेट्रिक्स को ट्रैक करता है. अपने बीआरएसआर प्रकटीकरण के हिस्से के रूप में, बैंक अपने स्वयं के परिचालन से स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन की रिपोर्ट करता है, साथ ही ऊर्जा खपत, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, जल खपत और अपशिष्ट प्रबंधन पर मेट्रिक्स भी देता है. पोर्टफोलियो स्तर पर, बैंक ने पीसीएएफ पद्धति को अपनाते हुए और प्रत्येक उधारकर्ता के जोखिम आकार के आधार पर उत्सर्जन आबंटित करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने वित्तपोषित उत्सर्जन की गणना की है. यूबीआई का लक्ष्य स्कोप 1, 2 और 3 श्रेणियों में वित्तपोषित उत्सर्जन का क्षेत्रवार विवरण प्रदान करके और डेटा परिपक्वता स्तर को बढ़ाकर इस गणना को बढ़ाना है.

### भौतिक और परिवर्तन जोखिम माप

यूबीआई जिला स्तर पर संपार्श्विक की भेद्यता का आकलन करके और अपने परिचालन पर चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करके भौतिक जोखिमों के प्रति अपने जोखिम को मापता है. परिवर्तन जोखिमों को क्षेत्र-स्तरीय उत्सर्जन तीव्रता विश्लेषण एवं जलवायु नीति और प्रौद्योगिकी बदलावों के लिए उधारकर्ता-स्तर की भेद्यता के आकलन के माध्यम से मापा जाता है.

### लक्ष्य

यूबीआई ने एक संवहनीय वित्त नीति तैयार की है और क्रिसिल से द्वितीय पक्ष की राय प्राप्त की है, जो इस क्षेत्र में इसके लक्ष्य निर्धारण तथा उत्पाद विकास प्रयासों का मार्गदर्शन करती है. बैंक वर्तमान में अपने संवहनीय वित्त के पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करने पर कार्य कर रहा है. यूबीआई अपने परिचालन में कार्बन शून्य बनने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों के साथ काम कर रहा है. बैंक अपने परिसर को हरित भवनों में परिवर्तित कर रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ा रहा है और अपने स्कोप 1 और 2 जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए ऊर्जा दक्षता बढ़ा रहा है.

### हरित वित्त पहल

हरित वित्त में यूबीआई की पहल प्राकृतिक पूंजी के संरक्षण और बहाली का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन की गई है. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और संवहनीय आदतों को वित्तपोषित करके, बैंक का लक्ष्य अपने पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करना और आघात-सह, संवहनीय समुदायों के विकास को बढ़ावा देना है.

यूबीआई अपने संवहनीय वित्तपोषण फ्रेमवर्क के माध्यम से कम कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है. क्रिसिल की द्वितीय पक्ष राय द्वारा मान्य इस फ्रेमवर्क में संयुक्त राष्ट्र संवहनीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और पेरिस समझौते के साथ संरेखित हरित और सामाजिक परियोजनाओं को बढ़ावा देने वाले विभिन्न उत्पाद शामिल हैं. यह फ्रेमवर्क ग्रीन बॉन्ड, रुपी ग्रीन डिपॉजिट और अन्य ग्रीन वित्तीय उत्पादों को जारी करने में सक्षम बनाता है. बैंक की हरित वित्तपोषण पहलों में शामिल हैं:

**यूनियन रूफ टॉप सोलर योजना:** व्यक्तिगत घरों के लिए रूफटॉप सोलर इंस्टालेशन का वित्तपोषण.

**यूनियन ग्रीन माइल्स योजना:** व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट्स के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का वित्तपोषण, मार्च, 2024 तक ₹ 462 करोड़ मंजूर किए गए.

**यूनियन सोलर योजना:** छत और जमीन पर स्थापित सौर इकाइयां सेटअप करने के लिए एमएसएमई और कारोबारों को वित्तपोषित करना.

**पीएम कुसुम योजना:** नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के वित्तपोषण के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना.

*प्राकृतिक पूंजी भाग II:*

# परिचालन संवहनीयता को बढ़ावा देना

*हमारे पर्यावरणीय प्रभाव का समाधान करते हुए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डीकार्बोनाइजेशन, ऊर्जा बाजार में अस्थिरता और संभावित कार्बन मूल्य निर्धारण परिदृश्यों के प्रति हमारे एक्सपोजर और जोखिम को कम करके भविष्य के परिवर्तनों के लिए बेहतर तरीके से तैयार है. पिछले कुछ वर्षों में हमारे पर्यावरण और कार्बन पदचिह्न को कम करना हमारे संवहनीय कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है.*

वित्तीय वर्ष 2024 में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पर्यावरण प्रयासों को प्राथमिकता देने के लिए महत्वपूर्ण संवहनीय लक्ष्य निर्धारित किए हैं. इन लक्ष्यों में ऊर्जा उपयोग और स्थान-आधारित जीएचजी उत्सर्जन को कम करना, पानी की खपत को कम करना, गड्ढों की भराई में भेजे जाने वाले कचरे को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद को बढ़ाना शामिल है. हम आने वाले वर्षों में कचरे को कम करने और पानी के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. हम अपनी सामग्रियों को लगातार कम करने और अपने पुनर्चक्रण प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

*प्राकृतिक पूंजी – भाग II:*

2.2 मेगावाट

**छत पर सौर पैनल:** स्थापित क्षमता से महत्वपूर्ण वार्षिक ऊर्जा बचत होती है.

प्राकृतिक नुकसान की वैश्विक गति को पहचानते हुए, यूबीआई समाज, कारोबार और वित्त के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक आस्तियों के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक ने वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, कार्य-कुशल विद्युत उपकरण, वायु उत्सर्जन नियंत्रण, अपशिष्ट पृथक्करण और उचित निपटान सहित विभिन्न पर्यावरण-अनुकूल उपायों को लागू किया है. इसके अतिरिक्त, यूबीआई अपने परिचालन में जैव विविधता संरक्षण को एकीकृत करता है और जैव विविधता और प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए स्थायी प्रथाओं को अपनाता है. ये पहल पर्यावरण संरक्षण और संवहनीय विकास के प्रति यूबीआई के समर्पण को दर्शाती हैं.

## विशिष्ट पहल और उनके प्रभाव:

### नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण:

| पहल | विवरण | प्रभाव |
|---|---|---|
| **छत पर सौर पैनल** | प्रमुख शाखाओं और कार्यालयों की छतों पर सौर पैनलों की स्थापना. | जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी, $CO_2$ उत्सर्जन और बिजली की लागत में कमी. |
| **ऊर्जा दक्षता उपाय: एलईडी प्रकाश व्यवस्था** | पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था को ऊर्जा- कार्य-कुशल एल.ई.डी. से प्रतिस्थापित करना. | बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता, कम ऊर्जा खपत, और परिचालन लागत. |
| **ऊर्जा दक्षता उपाय: एचवीएसी उन्नयन** | हीटिंग और कूलिंग प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने के लिए उच्च दक्षता वाली एचवीएसी प्रणालियों को कार्यान्वित करना. | बेहतर ऊर्जा दक्षता, कम ऊर्जा उपयोग, और परिचालन लागत. |

**जीआरआई**

302 - ऊर्जा & 305 - उत्सर्सन

### जल संरक्षण प्रयास:

| पहल | विवरण | प्रभाव |
|---|---|---|
| **वर्षा जल संचयन प्रणालियाँ** | प्रमुख बैंक परिसरों में वर्षा जल को संग्रहित करने तथा गैर-पेय प्रयोजनों के लिए उपयोग करने हेतु प्रणालियां स्थापित करना. | संवहनीय जल प्रबंधन को बढ़ावा देता है और नगरपालिका के जल पर निर्भरता कम करता है. |
| **जल-कार्य-कुशल फिक्स्चर** | सभी शाखाओं में कम प्रवाह वाले नल, दोहरे फ्लश वाले शौचालय और अन्य जल-कार्य-कुशल उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं. | जल के उपयोग को कम करता है और कार्य-कुशल जल प्रबंधन आदतों को बढ़ावा देता है. |

"

फिनटेक नवाचारों एवं डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से, यूबीआई अपने पर्यावरणीय फूटप्रिंट को कम करता है और प्राकृतिक पूंजी को बढ़ाता है, जिससे संवहनीय बैंकिंग में बेंचमार्क स्थापित होते हैं.

### अपशिष्ट न्यूनीकरण पहल:

| पहल | विवरण | प्रभाव |
|---|---|---|
| **पुनर्चक्रण कार्यक्रम** | कागज, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के लिए व्यापक पुनर्चक्रण कार्यक्रम लागू करना. | गड्ढों की भराई में भेजे जाने वाले कचरे को कम करता है तथा पुनर्चक्रण को बढ़ावा देता है. |
| **अपशिष्ट पृथक्करण** | उचित निपटान और पुनर्चक्रण के लिए सभी शाखाओं में अपशिष्ट पृथक्करण प्रणालियां स्थापित करना. | इससे पुनर्चक्रण दक्षता में सुधार होता है और दूषण कम होता है. |

इन संवहनीयता पहलों को अपनाकर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लक्ष्य न केवल अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करना है, बल्कि बैंकिंग क्षेत्र में परिचालन संवहनीयता के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करना भी है. ये प्रयास वैश्विक संवहनीयता लक्ष्यों में योगदान करते हुए अपने हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

## ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का विवरण

### स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन और तीव्रता

| मापदंड | इकाई | वित्तीय वर्ष 23-24 | वित्तीय वर्ष 22-23 | वित्तीय वर्ष 21-22 |
|---|---|---|---|---|
| कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (GHG का CO2, CH4, N2O, HFC, PFCs, SF6, NF3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो) | मेट्रिक टन CO2 समतुल्य | 272,216 | 274,042 | 283,485 |
| कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (GHG का CO2, CH4, N2O, HFC, PFCs, SF6, NF3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो) | मेट्रिक टन CO2 समतुल्य | 180,387 | 241,884 | 193,187 |
| प्रति करोड़ टर्नओवर पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन | मेट्रिक टन / करोड़ | 3.9 | 6.39 | 7.02 |
| कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - इकाई प्रासंगिक मेट्रिक का चयन कर सकती है | मेट्रिक टन / एफटीई | 5.96 | 4.16 | 6.27 |

स्कोप 1 उत्सर्जन की गणना प्रति वर्ग फुट क्षेत्र में कुल एयर कंडीशनिंग टन भार, 5% की रिसाव दर और बैंक के स्वामित्व वाली कारों और डीजी सेटों में खपत डीजल के आधार पर की जाती है.

स्कोप 2 उत्सर्जन की गणना उपयोगिता से खपत की गई बिजली के आधार पर की जाती है.

### कुल ऊर्जा खपत और ऊर्जा तीव्रता का विवरण

| मापदंड | इकाई | वित्तीय वर्ष 23-24 | वित्तीय वर्ष 22-23 | वित्तीय वर्ष 21-22 |
|---|---|---|---|---|
| कुल बिजली खपत (ए) | जीजे में | 7,05,864 | 769,900 | 755,951 |
| कुल ईंधन खपत (बी) | जीजे में | 1,03,775 | 110,348 | 102,140 |
| अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (सी) | जीजे में | 9,855 | 12,339 | 14,515 |
| कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी) | जीजे में | 8,19,494 | 892,587 | 872,606 |
| प्रति करोड़ टर्नओवर पर ऊर्जा तीव्रता | मेट्रिक टन / करोड़ | 7.07 | 11.05 | 12.84 |
| ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मेट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है (प्रति पूर्णकालिक कर्मचारी एफटीई) | मेट्रिक टन / एफटीई | 10.80 | 11.81 | 11.48 |

*खरीदी गई बिजली की खपत की गणना विभिन्न राज्यों की औसत दरों के आधार पर की जाती है.*

*डीजल की खपत लीटर में औसत दर और खर्च की गई राशि के आंकड़ों के आधार पर की जाती है.*

जीआरआई

305-1: प्रत्यक्ष (स्कोप 1) जी.एच.जी. उत्सर्जन; 305-2: ऊर्जा अप्रत्यक्ष (स्कोप 2) जी.एच. जी. उत्सर्जन; और 305-4: जी.एच.जी. उत्सर्जन तीव्रता.

"

नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाकर तथा ऊर्जा दक्षता को बढ़ाकर, यूबीआई अपने कार्बन फुटप्रिंट को महत्वपूर्ण रूप से कम कर रहा है, तथा परिचालन संवहनीयता में नए मानक स्थापित कर रहा है.

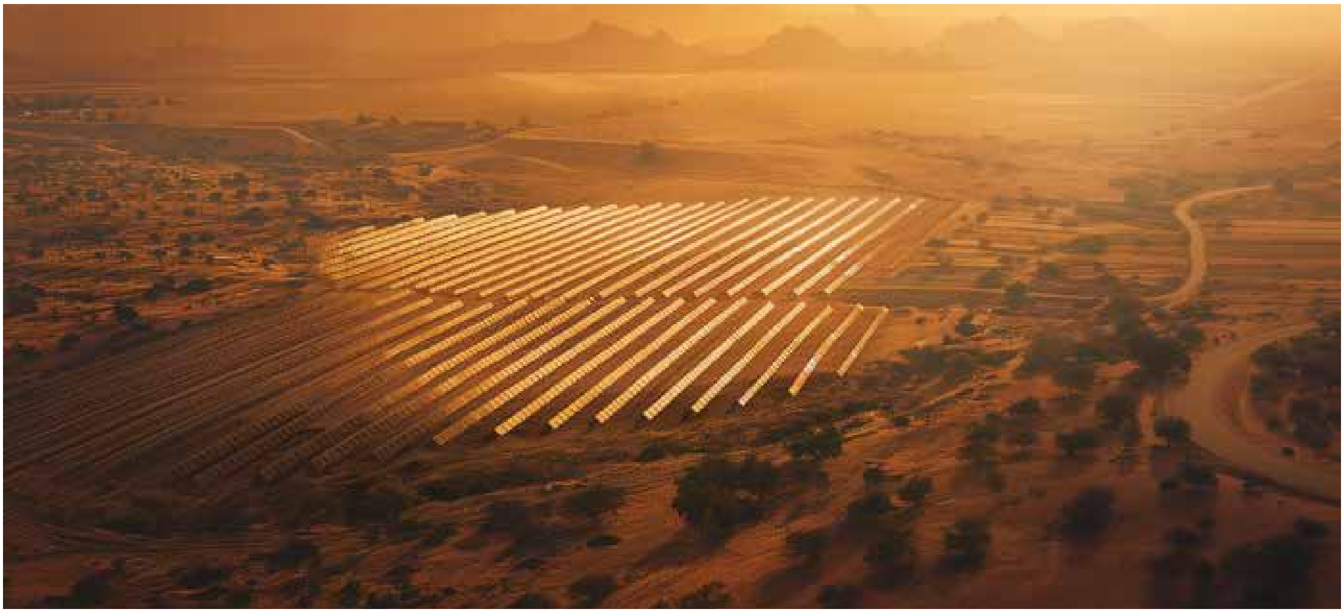

## नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया व्यापक अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करने में नवीकरणीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है. अपने परिचालनों की ऊर्जा तीव्रता को कम करके, हम पर्यावरणीय संवहनीयता का समर्थन करते हैं और अपने संगठन को भविष्य के परिवर्तनों के लिए तैयार कर रहे हैं और ऊर्जा बाजार की अस्थिरता और संभावित कार्बन मूल्य निर्धारण परिदृश्यों से जुड़े जोखिमों को कम कर रहे हैं.

**जीआरआई**

302 - ऊर्जा & 305 - उत्सर्जन

### नवीकरणीय ऊर्जा में प्रमुख उपलब्धियां

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा पहलों और ऊर्जा संरक्षण उपायों के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति की है. दिनांक 31 मार्च, 2024 तक, बैंक के विस्तृत शाखा नेटवर्क में सिडनी और दुबई डीआईएफसी में दो विदेशी शाखाओं सहित 8,466 शाखाएँ शामिल हैं, जिन्होंने विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को एकीकृत किया है. विशेषत: इनमें से 58 प्रतिशत शाखाएँ कार्यनीतिक रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं, जो विविध समुदायों के लिए वित्तीय समावेशन और पहुँच सुनिश्चित करती हैं.

| पहल | विवरण | वित्तीय वर्ष 2024 की उपलब्धि |
|---|---|---|
| **छत पर सौर पैनल** | ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख शाखाओं और कार्यालयों की छतों पर सौर पैनलों की स्थापना. | 2 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई, जिससे प्रतिवर्ष 3,427,597 यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ, जिससे 3,153 मेट्रिक टन $CO_2$ उत्सर्जन में बचत हुई. |
| **सौर ऊर्जा संयंत्र** | प्रमुख सुविधाओं पर ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना. | विजयवाड़ा में 60 किलोवाट पावर प्लांट और मुंबई में 12 किलोवाट पावर प्लांट की स्थापना पूरी हो गई है, जिससे क्रमश: 70.52 और 14.1 मेट्रिक टन सीओ2 उत्सर्जन में कमी आएगी. इसके अलावा, मैंगलोर में 430 किलोवाट पावर प्लांट से 690 मेट्रिक टन $CO_2$ उत्सर्जन में कमी आएगी. |

"

परिचालन संवहनीयता के लिए प्रतिबद्धता में ऊर्जा उपयोग को कम करने, पानी की खपत को कम करने एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के महत्वकांक्षी लक्ष्य शामिल हैं.

| पहल | विवरण | वित्तीय वर्ष 2024 की उपलब्धि |
|---|---|---|
| **इनडोर सजावटी पौधे** | वायु शुद्धिकरण के लिए कार्यालय परिसर में इनडोर सजावटी पौधे उपलब्ध कराना. | वायु शुद्धिकरण के माध्यम से पर्यावरण सुधार में योगदान दिया. |

## कार्यनीतिक लक्ष्य

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025 के लिए लक्षित पहलों के साथ संवहनीयता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाना है. इन लक्ष्यों में शामिल हैं:

### सौर ऊर्जा उपयोग का विस्तार:

- नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से कम से कम 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए सभी शाखाओं में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना.
- अधिक शाखाओं को कवर करने के लिए अतिरिक्त सौर ऊर्जा इंस्टालेशन की योजना बनाना, जिससे जीएचजी उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा.

### वर्धित ऊर्जा दक्षता:

- ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए सभी शाखाओं में प्रकाश व्यवस्था और एचवीएसी प्रणालियों को उन्नत करना जारी रखना.
- ऊर्जा तीव्रता में और अधिक कमी लाने के लिए ऊर्जा खपत की निगरानी और अनुकूलन करना.

### व्यापक जल संरक्षण:

- जल संरक्षण उपायों को अतिरिक्त शाखाओं तक विस्तारित करना, जिसमें वर्षा जल संचयन प्रणालियां और जल-कुशल उपकरण शामिल हों.
- जल के उपयोग में पर्याप्त कमी लाने का लक्ष्य रखना, तथा व्यापक पर्यावरणीय लक्ष्यों का समर्थन करना.

**जीआरआई**

302 - ऊर्जा & 305 - उत्सर्सन

## गैर-प्रदूषणकारी वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करना

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने कर्मचारियों के बीच गैर-प्रदूषणकारी वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय संवहनीयता को जारी रखा है. वित्तीय वर्ष 2022 में शुरू की गई पहलों पर आगे बढ़ते हुए, बैंक ने सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के उपयोग का समर्थन करके कार्बन उत्सर्जन को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने गैर-प्रदूषणकारी वाहनों में बदलाव को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए एक मजबूत प्रतिपूर्ति कार्यक्रम लागू किया है. यह कार्यक्रम पर्यावरण के अनुकूल वाहनों का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवहन व्यय को कवर करता है, जिससे उनकी चलने की लागत की भरपाई होती है और उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प बनाया जाता है.

इस पहल को कर्मचारियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिससे बैंक के परिचालन के समग्र कार्बन पदचिह्न में कमी आई है. गैर-प्रदूषणकारी वाहनों को अपनाने की सुविधा प्रदान करके, बैंक अपने संवहनीयता लक्ष्यों का समर्थन करता है जो व्यापक पर्यावरणीय उद्देश्यों के साथ संरेखित होता है. भविष्य को देखते हुए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लक्ष्य इस कार्यक्रम का और विस्तार करना है, ताकि ज्यादा कर्मचारियों को गैर-प्रदूषणकारी वाहनों पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. बैंक परिवर्तनात्मक और प्रभावशाली पहलों के माध्यम से अपने संवहनीयता प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.

> "व्यापक अपशिष्ट न्यूनीकरण तथा पुनर्चक्रण कार्यक्रमों के माध्यम से, यूबीआई एक संवहनीय परिचालन मॉडल बनाने में उदाहरण प्रस्तुत करता है जो पर्यावरण एवं हमारे समुदायों को लाभ पहुंचाता है.

**जीआरआई**

306: अपशिष्ट;
301: सामग्री और
308: आपूर्तिकर्ता पर्यावरण मूल्यांकन

## अपशिष्ट को कम करना और आपूर्ति श्रृंखला संवहनीयता को बढ़ाना

हमारी खरीद टीमों को निर्देश दिया गया है कि वे लंबे समय तक संवहनीय स्रोत वाले कागज़ की कवरेज को काफ़ी हद तक बढ़ाएँ. वित्तीय वर्ष 2022 से शुरू होकर, हमने एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को खत्म करने के अवसरों की खोज की. जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारा ध्यान अपने अपशिष्ट प्रबंधन दृष्टिकोण और सामग्री के उपयोग को सर्कुलर अर्थव्यवस्था सिद्धांतों के साथ संरेखित करने की ओर जाएगा. यह कार्यनीतिक बदलाव हमारे द्वारा उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा को कम करने और हमारी इमारतों में सामग्रियों के उपयोग को अधिकतम करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.

### अपशिष्ट प्रबंधन विवरण

(मैट्रिक टन में)

| अपशिष्ट का प्रकार | वित्तीय वर्ष 2023-24 | वित्तीय वर्ष 2022-23 |
|---|---|---|
| प्लास्टिक अपशिष्ट | - | - |
| ई – अपशिष्ट | 1.11 | 2.77 |
| बैटरी अपशिष्ट | - | - |
| अन्य अपशिष्ट | - | - |

### अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति प्रयास (मेट्रिक टन)

| अपशिष्ट की श्रेणी | वित्तीय वर्ष 2023-24 (पूर्वानुमानित) | वित्तीय वर्ष 2022-23 (वर्तमान) |
|---|---|---|
| पुनर्चक्रित बैटरी | - | - |

*मूल्यांकन नोट्स:*
*बैटरी अपशिष्ट वजन की गणना 85 रुपये प्रति किलोग्राम के विक्रय मूल्य के आधार पर की जाती है.*
*ई- अपशिष्ट का वजन का निर्धारण 50 रुपये प्रति किलोग्राम के विक्रय मूल्य के आधार पर किया जाता है.*
*पुनर्चक्रण मेट्रिक्स विशेष रूप से बैटरी अपशिष्ट से संबंधित हैं.*
*प्लास्टिक अपशिष्ट प्रति व्यक्ति उत्पादन के आंकड़े केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार निकाले गए हैं.*

### भविष्य के अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्यनीतिक लक्ष्य

हमारी कार्यनीतिक दिशा के अनुरूप, हमारा लक्ष्य हमारी सभी शाखाओं में गड्ढों की भराई और भस्मीकरण से सभी कचरे को हटाना है. हम अपनी सुविधाओं के भीतर कचरे के पुन: उपयोग, पुन: प्रयोजन या पुनर्चक्रण की 100% दर हासिल करने की योजना बना रहे हैं. यह उद्देश्य हमारी शून्य अपशिष्ट कार्यनीति के कार्यान्वयन के माध्यम से पूरा किया जाएगा, जिसे वित्तीय वर्ष 2024 में शुरू करने की योजना है.

इसके अलावा, हम अपनी खरीद टीमों को अपने आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए जोड़ रहे हैं. इन प्रयासों का उद्देश्य हमारे कार्यालयों में वितरित पैकेजिंग की मात्रा को कम करना है. हम अपने आपूर्तिकर्ताओं को हमारे शून्य अपशिष्ट आपूर्ति श्रृंखला चार्टर में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो पारगमन पैकेजिंग को खत्म करने, पुन: प्रयोज्य कंटेनरों में माल की आपूर्ति करने और बाद की डिलीवरी में पैकेजिंग कचरे को वापस लाने के अवसरों की खोज करने का समर्थन करता है.

> यूबीआई आपूर्ति शृंखला प्रथाओं को बढ़ाने, अपशिष्ट को कम करने एवं पलास्टिक से बचने के द्वारा संवहनीयता के प्रति प्रतिबद्ध है, जो पर्यावरण संरक्षण एवं परिचालन दक्षता के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाता है.

## कागज़ का उपयोग कम करना

हमारे बैंक में, हमने विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे कि थोक संग्रह, भुगतान, एमआईएस और चैनल वित्त में कागज़-आधारित सेवाओं से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर अपना परिवर्तन जारी रखा है. इस परिवर्तन ने हमारे कागज़ के उपयोग को काफी हद तक कम कर दिया है. पिछले वर्षों में बैंक द्वारा किए गए डिजिटल लेन-देन की मात्रा नीचे दी गई है:

| वर्ष | लेन-देन की संख्या | राशि (करोड़ में) |
|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष 2023 | 15,95,01,642 | 8,93,524.67 |
| वित्तीय वर्ष 2024 | 16,54,45,023 | 10,45,876.77 |

### प्लास्टिक से बचने के लिए यूबीआई की प्रतिबद्धता

"प्लेनेट वर्सेज प्लास्टिक" 2025 की आकांक्षाओं और दृष्टिकोण के अनुरूप, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) पर्यावरणीय संवहनीयता के प्रति अपनी व्यापक प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में प्लास्टिक कचरे को महत्वपूर्ण रूप से कम करने के लिए समर्पित है. यह पहल विश्व पृथ्वी दिवस के दौरान उजागर की गई कार्रवाई के लिए तत्काल आह्वान के जवाब में यूबीआई के सक्रिय रुख को दर्शाती है.

"प्लेनेट वर्सेज प्लास्टिक" EARTHDAY.ORG द्वारा संचालित एक वैश्विक पहल है, जो वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन में 60% की कमी और एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को खत्म करने का आह्वान करती है. अभियान का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में व्यक्तियों, कारोबारों और सरकारों को एकजुट करना है और प्लास्टिक से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों और पर्यावरणीय क्षति पर जोर देना है.

अपने परिचालनों में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को कम करने के प्रयासों को बढ़ावा देकर, यूबीआई का लक्ष्य हरित भविष्य को बढ़ावा देने में उदाहरण पेश करना है. बैंक की व्यापक प्लास्टिक परिहार कार्यनीति में अपनी सुविधाओं से प्लास्टिक को खत्म करना, पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देना और हितधारकों को संवहनीयता आदतों में शामिल करना है. इन उपायों के माध्यम से, यूबीआई प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में योगदान देता है और हमारे ग्रह की रक्षा के वैश्विक प्रयासों के साथ जुड़ता है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित होता है.

## परिचालन कार्य-कुशलता के लिए हमारे डिजिटल नेटवर्क को बढ़ाना

बैंक ने डिजिटल परिवर्तन की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एक समर्पित डिजिटाईजेशन वर्टिकल बना रखा है, जिसमें डिजिटल यात्राएँ, डिजिटल बैंकिंग विभाग और डिजिटल इंटरैक्शन और भागीदारी शामिल हैं. इस वर्टिकल ने कई डिजिटल पहलों को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे हमारे परिचालन और ग्राहक सेवा की दक्षता में वृद्धि हुई है, साथ ही कागज़-आधारित प्रसंस्करण पर निर्भरता को कम करके हमारे पर्यावरणीय उद्देश्यों का समर्थन किया है:

"यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्राकृतिक पूंजी को बढ़ाने, संवहनीय प्रथाओं को प्रोत्साहित करने एवं उन्नत डिजिटल समाधानों के माध्यम से परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए फिनटेक नवाचारों का लाभ उठाता है.

**जीआरआई**

301: सामग्री; 302: ऊर्जा; 305: उत्सर्जन; 306: अपशिष्ट; और 307: पर्यावरणीय अनुपालन

## डिजिटल पहल और उपलब्धियां

| डिजिटल पहल | विवरण | परिणाम वित्तीय वर्ष 2024 |
|---|---|---|
| **डिजिटल बचत खाता** | वीडियो-केवाईसी और आधार सत्यापन के साथ ऑनलाइन खाता खोलना: वीडियो-केवाईसी और ऑनलाइन आधार एवं पैन सत्यापन की सुविधा के साथ नेक्सट जेनरेशन डिजिटल बचत खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई. | 3012 खाते डिजिटल रूप से खोले गए |
| **डिजिटल यूनियन किसान तत्काल** | केसीसी उधारकर्ताओं के लिए आपातकालीन कृषि ऋण: मौजूदा केसीसी उधारकर्ताओं को आपातकालीन कृषि ऋण प्रदान करना, जिसमें पूर्णतः स्वचालित निर्णय प्रक्रिया और मिनटों में डिजिटल मंजूरी शामिल है. | 1573 आवेदन, ₹6.49 करोड़ मंजूर |
| **डिजिटल पीएमस्वनिधि** | स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण: इसका उद्देश्य डिजिटल रूप से ऋण आवेदनों को मंजूरी देकर स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता करना है. | 8400 आवेदन, ₹9.29 करोड़ मंजूर |

## डिजिटल चैनलों के माध्यम से प्रगति

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया परिचालन दक्षता बढ़ाने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए डिजिटल परिवर्तन को अपनाने में सबसे आगे रहा है. डिजिटल चैनलों का एकीकरण बैंक के कागज़ के उपयोग को कम करने और प्राकृतिक पूंजी में सकारात्मक योगदान देने में सहायक रहा है.

| चैनल | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2024 | वार्षिक वृद्धि (%) |
|---|---|---|---|---|
| **मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ता** | 1.65 करोड़ | 2.13 करोड़ | 2.68 करोड़ | 25.82% |
| **इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता** | 0.68 करोड़ | 0.74 करोड़ | 0.86 करोड़ | 16.21% |

## डिजिटल परिवर्तन और प्राकृतिक पूंजी पर इसका प्रभाव

डिजिटलीकरण की दिशा में बैंक की यात्रा विभिन्न डिजिटल सेवाओं के कार्यान्वयन के साथ शुरू हुई, जिससे भौतिक दस्तावेजीकरण और शाखा में लेन-देन की आवश्यकता में भारी कमी आई. यहाँ वित्तीय वर्ष 2023-24 तक डिजिटल परिवर्तन पहलों और उनके पैमाने का एक स्नैपशॉट दिया गया है:

**डिजिटल लेनदेन:** 649 मिलियन से अधिक मासिक यूपीआई लेनदेन दर्ज किए गए, जो ग्राहकों द्वारा डिजिटल भुगतान को व्यापक रूप से अपनाने का प्रमाण है.

**डिजिटल बचत खाते:** वीडियो-केवाईसी और ऑनलाइन आधार एवं पैन सत्यापन के साथ ऑनलाइन बचत खातों की शुरूआत से बैंक को 3,012 बचत खातों को डिजिटल रूप से चालू करने में मदद मिली, और इसके लिए ग्राहकों को शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी.

**डिजिटल ऋण संवितरण:** डिजिटल यूनियन किसान तत्काल और डिजिटल पीएमस्वनिधि योजनाओं ने पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से हजारों ऋण आवेदन जुटाए, जिससे कुल मंजूर ऋणों की राशि काफी अधिक हो गई.

**649** मिलियन

***मासिक यूपीआई लेनदेन:*** *डिजिटल भुगतान को व्यापक रूप से अपनाए जाने का प्रमाण है.*

**3,012**

***डिजिटल बचत खाते:*** *वीडियो-केवाईसी और ऑनलाइन सत्यापन के साथ डिजिटल रूप से खोले गए खातों की संख्या.*

## प्रमुख डिजिटल चैनल और उनका योगदान

**व्योम ऐप:** पुन:ब्रांडेड और उन्नत व्योम ऐप 400 से अधिक सुविधाएं प्रदान करता है और इसने एक ही वित्तीय वर्ष में 5.52 मिलियन नए उपयोगकर्ता लॉगिन किए है, जो उपयोगकर्ताओं के साथ इसके मजबूत जुड़ाव को दर्शाता है.

**इंटरनेट बैंकिंग और सीआरएम:** उन्नत इंटरनेट बैंकिंग सुविधाओं और एकीकृत सीआरएम समाधान ने ग्राहक संपर्क और वित्तीय लेनदेन को सुव्यवस्थित कर दिया है, जिससे वे अधिक सुरक्षित और कुशल हो गए हैं.

**सीबीडीसी कार्यान्वयन:** अग्रणी बैंकों में से एक के तौर पर, यूनियन बैंक ने डिजिटल रुपी को लागू किया, जिससे वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और दक्षता में वृद्धि हुई.

## पर्यावरणीय प्रभाव

डिजिटल में बदलाव ने प्राकृतिक पूंजी के एक महत्वपूर्ण घटक, कागज़ पर निर्भरता को कम करके बैंक के कार्बन पदचिह्न को काफी हद तक कम कर दिया है. यह कमी वनों को संरक्षित करती है और कागज़ उत्पादन और निपटान से जुड़े अपशिष्ट और ऊर्जा की खपत को कम करती है.

**कागज के उपयोग में कमी:** डिजिटल विवरण और ऑनलाइन लेनदेन सुविधाओं के कारण सभी बैंक परिचालनों में कागज के उपयोग में उल्लेखनीय कमी आई है.

**ऊर्जा कार्य-कुशलता:** डिजिटल प्रक्रियाओं ने परिचालन को सुव्यवस्थित कर दिया है, जिससे भौतिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता कम हो गई है और परिणामस्वरूप ऊर्जा की खपत कम हुई है.

## फिनटेक नवाचारों के माध्यम से प्राकृतिक पूंजी को बढ़ाना

वित्तीय वर्ष 2024 में फिनटेक के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कार्यनीतिक एकीकरण संवहनीय बैंकिंग के लिए एक मजबूत मॉडल का उदाहरण है, जो वित्तीय सेवाओं को पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रभावी ढंग से जोड़ता है. डिजिटल परिवर्तन के प्रति अपने सक्रिय दृष्टिकोण के माध्यम से, बैंक ने प्राकृतिक पूंजी के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को और गहरा किया है, तकनीकी प्रगति को पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ जोड़ने के लिए फिनटेक साझेदारी का उपयोग किया है. यह एकीकरण न केवल परिचालन दक्षता को बढ़ाता है और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाता है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है. जैसे-जैसे यूनियन बैंक अपने डिजिटल पदचिह्नों का विस्तार करना जारी रखता है, यह पर्यावरण के एक जिम्मेदार संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका की पुष्टि करता है, जिससे बैंकिंग उद्योग में अधिक संवहनीय भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है.

**जीआरआई**

301: सामग्री; 302: ऊर्जा;
305: उत्सर्जन; और
307: पर्यावरण अनुपालन

**84**

***फिनटेक सहयोग:** संवहनीय वित्तीय सेवाओं का समर्थन करने के लिए सूचीबद्ध नवीन कंपनियों की कुल संख्या.*

**58.18** मिलियन

***फिनटेक सहयोग:** संवहनीय वित्तीय सेवाओं का समर्थन करने के लिए सूचीबद्ध नवीन कंपनियों की कुल संख्या.*

### संवहनीयता के लिए कार्यनीतिक फिनटेक साझेदारियां

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फिनटेक सहयोग का विस्तार किया, जिसमें कुल 84 नवोन्मेषी कंपनियों को शामिल किया गया. यह पहल पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने और दक्षता में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की बैंक की व्यापक कार्यनीति का हिस्सा है. ये पैनल पर्यावरणीय संवहनीयता के लिए बैंक की प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं, जो हरित और कुशल समाधानों की निरंतर आमद सुनिश्चित करते हैं, और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं:

**जीआरआई**

301: सामग्री; 302: ऊर्जा;
305: उत्सर्जन; और
307: पर्यावरण अनुपालन

**डिजिटल यात्राओं का विकास और एकीकरण:** भौतिक बैंकिंग अवसंरचना की आवश्यकता को कम करना, जिससे बैंक के कार्बन पदचिह्न में कमी आएगी.

**संपदा प्रबंधन और बीमा समाधान:** ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की पेशकश करना जो हरित और संवहनीय आस्तियों में निवेश का समर्थन करते हैं.

**कृषि ऋण:** लक्षित वित्तीय उत्पादों के माध्यम से संवहनीय कृषि आदतों के लिए समर्थन बढ़ाना.

**यूआई/यूएक्स विकास और अनुकूलन:** डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्राहक अनुभव में सुधार, कागज-आधारित प्रक्रियाओं की आवश्यकता को कम करना.

**एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके विश्लेषण:** बेहतर डेटा प्रबंधन और पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण के माध्यम से संसाधन उपयोग को अनुकूलित करना और अपशिष्ट को कम करना.

**इंटेलिजेंट आभासी सहायक (चैटबॉट्स):** 24/7 ग्राहक सेवा प्रदान करना जिससे शाखा में भौतिक रूप से जाने की आवश्यकता कम हो जाती है.

**डिजिटल मार्केटिंग:** कागज रहित बैंकिंग और पर्यावरण संबंधी पहलों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल चैनलों का लाभ उठाना.

**नकदी प्रबंधन, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण:** हरित आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुविधाजनक बनाकर कॉर्पोरेट ग्राहकों के बीच संवहनीय प्रथाओं को अपनाने में सहायता करना.

### वित्तीय वर्ष 2024 में प्राकृतिक पूंजी पर प्रभाव

यूनियन बैंक की फिनटेक पहल बैंक के प्राकृतिक पूंजी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रही है:

**कागज के उपयोग में कमी:** डिजिटल चैनलों में परिवर्तन से बैंकिंग परिचालन में कागज की खपत में काफी कमी आई है, जिससे वन संरक्षण में योगदान मिला है.

**ऊर्जा कार्य-कुशलता:** बैंक ने डिजिटल प्रक्रियाओं को अनुकूलित करके और भौतिक बुनियादी ढांचे पर निर्भरता को कम करके अपनी ऊर्जा खपत और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम किया है.

**संवहनीय प्रथाओं के लिए समर्थन:** संवहनीय विकास के लिए तैयार वित्तीय उत्पादों, जैसे ग्रीन बांड और पर्यावरण अनुकूल ऋण, को फिनटेक प्लेटफार्म के माध्यम से बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया है.

## आईटी आर्किटेक्चर और फिनटेक एकीकरण के माध्यम से प्राकृतिक पूंजी को आगे बढ़ाना

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कारोबारिक प्रणालियों और क्लाउड-आधारित अनुप्रयोगों तक उच्च-कार्यनिष्पादन पहुंच प्रदान करने, नियामक मानदंडों और मजबूत सुरक्षा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने आईटी आर्किटेक्चर को बढ़ा रहा है. ये सुधार परिचालन उत्कृष्टता और पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बैंक विविध, गतिशील और जटिल वातावरणों में अपने पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है.

### अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम

बैंक अकाउंट एग्रीगेटर पारिस्थितिकी में अग्रणी बना हुआ है, जो भौतिक दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता को कम करते हुए क्रेडिट वितरण में सुधार करने के लिए सरकार की डिजिटल पहल का एक प्रमुख घटक है. यह प्रणाली ग्राहक की सहमति से प्राप्त डिजिटल डेटा का उपयोग करती है, जो बैंक को

निर्बाध सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाती है जो कागज के उपयोग और संबंधित पर्यावरणीय प्रभावों को काफी कम करती है. रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (आरईबीआईटी) दिशानिर्देशों का अनुपालन उच्चतम डेटा गोपनीयता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करता है, जो आगे चलकर संवहनीय प्रथाओं के साथ संरेखित होता है.

### ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी

"इंडियन बैंक्स ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी (आईबीबीआईसी)" में एक सक्रिय भागीदार के रूप में, यूनियन बैंक ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाने के लिए 18 अन्य बैंकों के साथ सहयोग करता है. यह पहल बैंकिंग परिचालन को उल्लेखनीय रूप से डिजिटल बनाती है, भौतिक बुनियादी ढांचे और सामग्रियों की आवश्यकता को कम करती है, इस प्रकार पारदर्शिता और दक्षता में योगदान देती है और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती है.

### एआई/ एमएल एवं एनालिटिक्स

बैंक का एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस व्यापक बिजनेस मॉडलिंग, जोखिम प्रबंधन और ग्राहक संपर्क में सुधार के साथ-साथ संसाधन दक्षता बढ़ाने के लिए एआई और एमएल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है. खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों में अर्ली वार्निंग सिग्नल (ईडब्ल्यूएस) जैसी एआई-संचालित प्रणालियों का परिनियोजन वित्तीय विश्लेषण को आगे बढ़ाती है और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार ऋण प्रथाओं का समर्थन करती है.

### रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन (आरपीए)

अग्रणी फिनटेक फर्मों के साथ साझेदारी में, बैंक दैनिक रिपोर्ट निर्माण, एटीएम समाधान और भुगतान निपटान जैसी प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए अपनी आरपीए क्षमताओं का विस्तार कर रहा है. इससे ऊर्जा-खपत वाले भौतिक परिचालन की आवश्यकता कम हो जाती है, इस प्रकार दक्षता बढ़ती है और बैंक के कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है.

### उन्नत पर्यावरण सेवाओं के लिए फिनटेक समावेश

बैंक की सक्रिय फिनटेक नीति संवहनीय वित्तीय सेवाओं का समर्थन करने वाली नवाचार कंपनियों के पैनल को गति प्रदान करती है. वित्तीय वर्ष 2024 में, डिजिटल यात्रा विकास, संपदा प्रबंधन और कृषि ऋण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 24 नए फिनटेक जोड़े गए, जो सभी पर्यावरणीय प्रभाव को कम करके और हरित वित्त का समर्थन करके बैंक के संवहनीयता लक्ष्यों में योगदान करते हैं.

### प्राकृतिक पूंजी के लिए कार्यनीतिक पहल और डिजिटल परिवर्तन

क्लाउड अपनाने, वैयक्तिकृत वीडियो बैंकिंग समाधान और उन्नत सीआरएम सिस्टम जैसी पहलों के साथ, वित्त वर्ष 2024 में डिजिटल प्रौद्योगिकी पर यूनियन बैंक का कार्यनीतिक फोकस अधिक स्पष्ट है. ये प्रयास ग्राहकों के लिए बेहतर डिजिटल अनुभव सुनिश्चित करते हैं और बैंक के पारिस्थितिक फुटप्रिंट को कम करते हैं, जिससे डिजिटल बैंकिंग नवाचार और पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी के रूप में इसकी भूमिका मजबूत होती है.

> यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आईटी आर्किटेक्चर एवं फिनटेक समाधानों को एकीकृत करके, परिचालन दक्षता को बढ़ाकर तथा पर्यावरणीय संवहनीयता को प्रोत्साहित करके प्राकृतिक पूंजी को आगे बढ़ा रहा है.

# आईएसएस एसबी1 और एसबी2 स्थिरता प्रकटीकरण

यह परिशिष्ट आईएफआरएस एस1 और एस2 मानकों के अनुसार, आईएसएस एसबी1 और एसबी2 संवहनीयता प्रकटीकरण आवश्यकताओं के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) के अनुपालन का एक विस्तृत विवरण प्रदान करता है. यह बैंक की अभिशासन संरचना, कार्यनीतिक पहल, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं और पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) कारकों से संबंधित कार्यनिष्पादन मेट्रिक्स की रूपरेखा तैयार करता है, यूबीआई के प्रयासों में बोर्ड और समर्पित समितियों द्वारा मजबूत अन्वेक्षा, जलवायु जोखिम की पहचान और प्रबंधन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण, संबंधित जोखिम और स्थायी वित्त और परिचालन दक्षता को चलाने के लिए स्पष्ट, मापने योग्य लक्ष्य स्थापित करना शामिल है. ये प्रकटीकरण अपने स्थिरता एजेंडे को आगे बढ़ाने में पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति यूबीआई की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं. इस समग्र प्रतिबद्धता को इस अध्याय के "पर्यावरणीय प्रतिबद्धता" और "संवहनीय भविष्य में परिवर्तन" खंडों में संक्षेपित किया जा सकता है.

## अभिशासन

### 1. बोर्ड अन्वेक्षा

- **संरचना और जिम्मेदारियाँ:** यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) के बोर्ड ने जलवायु संबंधी जोखिमों और अवसरों की निगरानी और प्रबंधन के लिए मजबूत अभिशासन संरचनाएँ स्थापित की हैं. हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) सभी गैर-जोखिम ईएसजी-संबंधित मामलों का समाधान करती है और सीधे बोर्ड को रिपोर्ट करती है. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी), बोर्ड की एक उप-समिति है जो, सभी ईएसजी और जलवायु जोखिम से संबंधित मामलों की देखरेख करती है. (अधिक जानकारी के लिए इस अध्याय का "जलवायु कार्यनीति और अभिशासन" अनुभाग देखें)

### 2. प्रबंधन की भूमिका

- **ईएसजी संचालन समिति:** यूबीआई ने बैंक में ईएसजी परिवर्तन को चलाने के लिए कार्यकारी निदेशकों (ईडी) और कारोबार एवं नियंत्रण वर्टिकलों के प्रमुखों से बनी एक ईएसजी संचालन समिति (ईएसजीएससी) का गठन किया है. ईएसजीएससी, ईएसजी परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए त्रैमासिक बैठक करता है और अनुमोदन के लिए संबंधित समितियों को सिफारिशें प्रस्तुत करता है. आरएमसी और बोर्ड नियमित रूप से प्रगति को अद्यतन करते हैं. ईएसजीएससी की संदर्भ शर्तों में ईएसजी पहल पर वर्टिकलों का मार्गदर्शन करना, ईएसजी परिवर्तन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, कार्बन शून्य बैंक बनने के लिए बैंक की परिवर्तन योजना को क्रियान्वित करना, कारोबारी माहौल पर ईएसजी प्रभावों की पहचान करना और निगरानी करना और बैंक के भीतर ईएसजी क्षमता का निर्माण करना शामिल है. (अधिक जानकारी के लिए इस अध्याय का "जलवायु कार्यनीति और अभिशासन" अनुभाग देखें.)

- **उप-समितियाँ:** स्वयं के परिचालन में शुद्ध-शून्य उत्सर्जन पर एक उप-समिति में बैंक के परिसर, आईटी और परिचालन का प्रबंधन करने वाले वर्टिकलों के प्रतिनिधि शामिल हैं. स्थायी वित्त पर एक अन्य उप-समिति में इस क्षेत्र में बैंक के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सभी क्रेडिट वर्टिकलों के सदस्य शामिल हैं. (अधिक जानकारी के लिए इस अध्याय का "जलवायु कार्यनीति और अभिशासन" अनुभाग देखें.)

### 3. नीतियां और ढांचा

- यूबीआई ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईएसजी जोखिम ढांचा और जलवायु जोखिम नीति तैयार की है. जोखिम और अवसर-संबंधी गतिविधियों का समाधान करने के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग के तहत एक ईएसजी जोखिम सेल की स्थापना की गई है. जैसा कि सेबी द्वारा अधिसूचित किया गया है, यूबीआई बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) ढांचे के अनुसार अपने ईएसजी कार्यनिष्पादन का भी प्रकटीकरण करता है. (यह इस अध्याय के "पर्यावरण प्रतिबद्धता" अनुभाग में देखा जा सकता है.)

## कार्यनीति

### 1. जलवायु संबंधी जोखिम और अवसर

- **पहचान और प्रबंधन:** यूबीआई का मानना है कि जलवायु संबंधी मुद्दे उसके कारोबारी संभावनाओं, कार्यनीति और वित्तीय कार्यनिष्पादन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं. बैंक अल्पावधि, मध्यम अवधि और दीर्घावधि में जलवायु जोखिमों और अवसरों की पहचान करता है. (अधिक जानकारी के लिए इस अध्याय का "जलवायु जोखिम और हरित वित्त" अनुभाग देखें)

### 2. कारोबार, कार्यनीति और वित्तीय योजना पर प्रभाव

- यूबीआई को उम्मीद है कि नीतियों, विनियमों, बाजार की भावना और जलवायु परिवर्तन के भौतिक जोखिमों में बदलाव से संबंधित परिवर्तन जोखिम उसके ऋण पोर्टफोलियो, ऋण जोखिम प्रोफ़ाइल और समग्र कारोबार कार्यनीति को प्रभावित करेंगे. आघात-सहनीयता के लिए, यूबीआई उच्च-उत्सर्जन क्षेत्रों के लिए जोखिम की निगरानी करता है, हरित परियोजनाओं को ऋण देता है और क्षमता निर्माण में निवेश करता है. बैंक ने परिवर्तन वित्त में विशेष रूप से कठिनाई से कम होने वाले क्षेत्रों को एक अवसर के रूप में पहचाना है और इन क्षेत्रों के लिए केंद्रित उत्पादों पर काम कर रहा है. यूबीआई का लक्ष्य कार्यनीतिक रूप से संवहनीयता वित्त में अवसरों को हासिल करना है और समर्पित हरित ऋण उत्पाद विकसित किए गए हैं. यह कारोबार के एक नए द्वार के रूप में ईएसजी सलाहकार सेवाओं का भी पता लगा रहा है. (अधिक जानकारी के लिए इस अध्याय का "जलवायु जोखिम और हरित वित्त" अनुभाग देखें)

### 3. कार्यनीति की आघात-सहनीयता

❖ यूबीआई ने अपनी ऋण हामीदारी अंकन प्रक्रिया में भौतिक और परिवर्तन जोखिमों का आकलन करना शुरू कर दिया है और अपने आईसीएएपी में ईएसजी एवं जलवायु जोखिम को शामिल किया है. बैंक अपनी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं तथा कारोबार नियोजन में ईएसजी विचारों को और अधिक एकीकृत करने की योजना बना रहा है. यूबीआई अपनी कार्यनीति को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए जिम्मेदार बैंकिंग के सिद्धांतों जैसी प्रमुख पहलों के लिए साइन-अप करने का इरादा रखता है. (अधिक जानकारी के लिए इस अध्याय का "जलवायु जोखिम और हरित वित्त" अनुभाग देखें)

## जोखिम प्रबंधन

### 1. जलवायु संबंधी जोखिमों की पहचान और आकलन की प्रक्रियाएँ

❖ **ईएसजी जोखिम प्रबंधन ढांचा:** यूबीआई ने जलवायु और पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान, आकलन, निगरानी एवं प्रबंधन के लिए ईएसजी जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया है. यह ढांचा जोखिम माप, आंतरिक नियंत्रण, जोखिम रिपोर्टिंग तथा निगरानी, मेट्रिक तथा लक्ष्य, एवं प्रकटीकरण को कवर करने वाले पांच-आयामी दृष्टिकोण को अपनाता है. बैंक अपने पोर्टफोलियो और परिचालन में भौतिक तथा परिवर्तन दोनों जोखिमों के प्रभाव का आकलन करता है. सेक्टर-स्तरीय हीटमैप उद्योगों को उनके जलवायु जोखिम के आधार पर रैंक करते हैं, और संपार्श्विक की भौगोलिक अवस्थिति को जिला-स्तरीय भौतिक जोखिम भेद्यता सूचकांक में मैप किया जाता है. प्रतिपक्ष स्तर पर, यूबीआई ने ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया में ईएसजी और जलवायु जोखिम आकलन को शामिल करना शुरू कर दिया है. (अधिक जानकारी के लिए इस अध्याय के "जलवायु जोखिम और हरित वित्त" अनुभाग देखें)

### 2. जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रबंधन की प्रक्रियाएँ

❖ **जलवायु जोखिम प्रबंधन समाधान:** यूबीआई ईएसजी स्कोरिंग, वित्तपोषित उत्सर्जन को मापने, भौतिक एवं परिवर्तन जोखिमों का आकलन करने तथा ग्राहक और पोर्टफोलियो स्तरों पर डीकार्बोनाइजेशन मार्ग विकसित करने में सहायता के लिए एक जलवायु जोखिम प्रबंधन समाधान कार्यान्वित कर रहा है. समग्र ऋण जोखिम प्रोफ़ाइल पर जलवायु जोखिम के प्रभाव का आकलन करने के लिए पोर्टफोलियो-स्तरीय विश्लेषण किया जाता है. यूबीआई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु पूरे ऋण पोर्टफोलियो के लिए अपने वित्तपोषित उत्सर्जन की गणना की है, जो क्षेत्रवार योगदानों के बारे में जानकारी प्रदान करता है. जलवायु जोखिम मूल्यांकन के हिस्से के रूप में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के जोखिमों की निगरानी की जाती है. (अधिक जानकारी के लिए इस अध्याय का "जलवायु जोखिम और हरित वित्त" अनुभाग देखें)

### 3. समग्र जोखिम प्रबंधन में एकीकरण

❖ जलवायु जोखिम को यूबीआई की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) में एकीकृत किया गया है. बैंक ने गतिशील तुलन पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए ग्राहक स्तर पर जलवायु दबाव परीक्षण के लिए क्षमताएं विकसित की हैं, जिसमें टॉप-डाउन और बॉटम-अप दबाव परीक्षण पद्धतियों का मिश्रण शामिल है. यूबीआई का लक्ष्य अपने उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे में जलवायु जोखिम विचारों को उत्तरोत्तर शामिल करना है. जलवायु संबंधी व्यवधानों के प्रति यूबीआई के कारोबार मॉडल के आघात-सहनीयता का मूल्यांकन करने हेतु दवाब परीक्षण ढांचे को मजबूत किया जा रहा है. (अधिक जानकारी के लिए इस अध्याय का "जलवायु जोखिम और हरित वित्त" अनुभाग देखें)

## मेट्रिक्स और लक्ष्य

### 1. जोखिम और अवसर मूल्यांकन के लिए मेट्रिक्स

❖ **ईएसजी और जीएचजी मेट्रिक्स:** यूबीआई जलवायु जोखिमों के प्रति अपने जोखिम का आकलन करने और ईएसजी पर प्रगति की निगरानी करने के लिए कई मेट्रिक्स को ट्रैक करता है. अपने बीआरएसआर प्रकटीकरण के हिस्से के रूप में, बैंक अपने स्वयं के परिचालन से स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन की रिपोर्ट करता है, साथ ही ऊर्जा खपत, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, जल खपत और अपशिष्ट प्रबंधन पर मेट्रिक्स भी देता है. पोर्टफोलियो स्तर पर, बैंक ने पीसीएएफ पद्धति को अपनाते हुए और प्रत्येक उधारकर्ता के जोखिम आकार के आधार पर उत्सर्जन आबंटित करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने वित्तपोषित उत्सर्जन की गणना की है. यूबीआई का लक्ष्य स्कोप 1, 2 और 3 श्रेणियों में वित्तपोषित उत्सर्जन का क्षेत्रवार विवरण प्रदान करके और डेटा परिपक्वता स्तर को बढ़ाकर इस गणना को बढ़ाना है. (अधिक जानकारी के लिए "ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का विवरण" और "मेट्रिक्स और लक्ष्य" अनुभाग देखें)

### 2. भौतिक एवं परिवर्तन जोखिम मापन

❖ यूबीआई जिला स्तर पर संपार्श्विक की भेद्यता का आकलन करके और अपने परिचालन पर चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करके भौतिक जोखिमों के प्रति अपने जोखिम को मापता है. परिवर्तन जोखिमों को क्षेत्र-स्तरीय उत्सर्जन तीव्रता विश्लेषण एवं जलवायु नीति और प्रौद्योगिकी बदलावों के लिए उधारकर्ता-स्तर की भेद्यता के आकलन के माध्यम से मापा जाता है. (यह इस अध्याय के "जलवायु जोखिम और हरित वित्त" अनुभाग में पाया जा सकता है.)

### 3. लक्ष्य

❖ **संवहनीय वित्त और कार्बन शून्यता:** यूबीआई ने एक संवहनीय वित्त नीति तैयार की है और क्रिसिल से द्वितीय पक्ष की राय प्राप्त की है, जो इस क्षेत्र में इसके लक्ष्य निर्धारण तथा उत्पाद विकास प्रयासों का मार्गदर्शन करती है. बैंक वर्तमान में अपने संवहनीय वित्त के पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करने पर कार्य कर रहा है. यूबीआई अपने परिचालन में कार्बन शून्य बनने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों के साथ काम कर रहा है. बैंक अपने परिसर को हरित भवनों में परिवर्तित कर रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ा रहा है और अपने स्कोप 1 और 2 जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए ऊर्जा दक्षता बढ़ा रहा है. (अधिक जानकारी के लिए इस अध्याय के "संवहनीय वित्तपोषण" और "पर्यावरणीय प्रतिबद्धता" अनुभाग को देखें.)

संवहनीय भविष्य का निर्माण:

# यूनियन बैंक की सीएसआर और सामाजिक पूंजी के प्रति **प्रतिबद्धता**

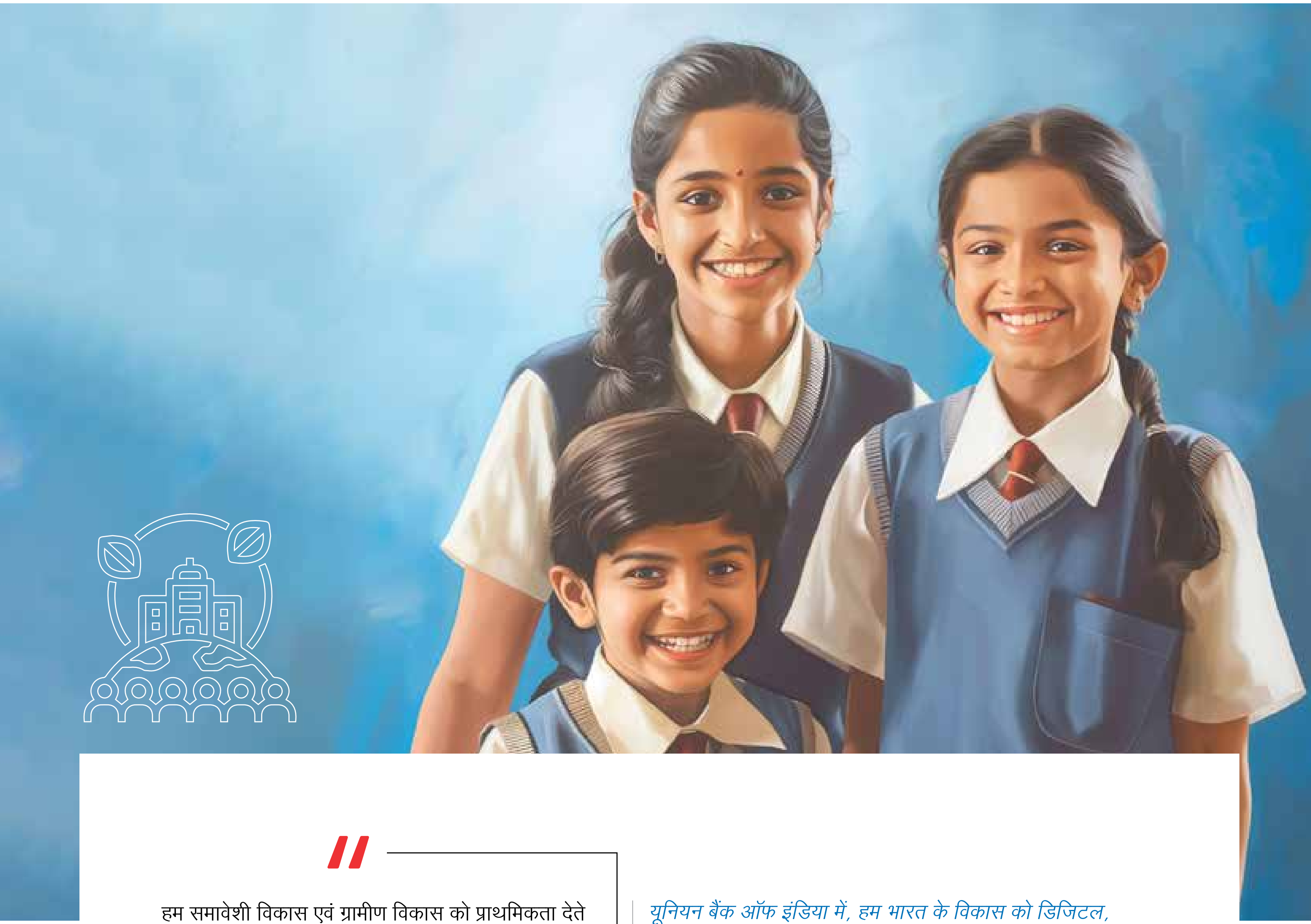

हम समावेशी विकास एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हैं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं आजीविका के अवसरों तक पहुँच के साथ उपांत समुदायों का उत्थान करते हैं, वित्तीय वर्ष 2024 में लगभग ₹481 करोड़ के ऋण के साथ 2.98 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को सुविधा प्रदान की गई.

*यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हम भारत के विकास को डिजिटल, आकांक्षापूर्ण और पर्यावरण के प्रति जागरूक भविष्य की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. संवहनीयता, जिम्मेदार बैंकिंग एवं डिजिटल नवाचार के महत्व को स्वीकार करके, हमारा लक्ष्य भारत के शुद्ध-शून्य उत्सर्जन को प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करते हुए अपने हितधारकों के लिए स्थायी मूल्य सृजन करना है. हमारी कार्यनीति हितधारकों के साथ गहन जुड़ाव, उनकी जरूरतों को समझने तथा उनकी अपेक्षाओं के साथ अपने कार्यों को संरेखित करने पर जोर देती है.*

## यूएनएसडीजी:

## कार्यनीतिक स्तंभ:

2, 3, 4, 5, 6

## कारोबार मॉडल कैनवास:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

## महत्वपूर्ण विषय

2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44

## जीआरआई संरेखण

102, 103, 201, 203, 302, 304, 305, 401, 403, 404, 405, 413, 418

इस अध्याय में विस्तार से बताया गया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी सामाजिक एवं संबंध पूंजी का उपयोग संवहनीय भागीदारी विकसित करने, नवाचार को बढ़ावा देने तथा भारत की सामाजिक उन्नति में योगदान देने के लिए कैसे करता है. हम समावेशी विकास, ग्रामीण विकास एवं सरकारी पहलों के समर्थन को प्राथमिकता देते हैं. हमारे प्रयास उपांत समुदायों के उत्थान, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं आजीविका के अवसरों तक पहुँच बढ़ाने और संवहनीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी विभिन्न पहलों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक प्रभाव बनाने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है. हम अपने हितधारकों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा विकास व्यापक समुदाय हेतु लाभ में परिवर्तित हो.

| हितधारक प्रकार | हम उनके साथ कैसे जुड़ते हैं | उनके लिए हमारी कार्यनीतिक प्राथमिकताएँ | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिक्रिया |
|---|---|---|---|
| **कर्मचारी** | ❖ सभी स्तरों पर निरंतर सहभागिता<br>❖ वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताओं की अगुवाई में नियमित संचार बैठकें<br>❖ विचारों के आदान-प्रदान के लिए डिजिटल मंच<br>❖ सहभागिता सर्वेक्षण<br>❖ कार्यपालक नेतृत्वकर्ता संचार<br>❖ प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम<br>❖ कर्मचारी संसाधन समूह और विविधता परिषद<br>❖ कार्यनिष्पादन एवं कैरियर विकास पहल<br>❖ आंतरिक कॉर्पोरेट पोर्टल | ❖ जोखिम और अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देना<br>❖ विकास एवं सीखने के अवसर प्रदान करना<br>❖ नवाचार को प्रोत्साहित करना | ❖ योग्यता आधारित विकास एवं जॉब रोटेशन को कार्यान्वित करना<br>❖ युवा पेशेवरों को जिम्मेदारियां सौंपना<br>❖ नेतृत्वकर्ता और कैरियर गतिशीलता पहल<br>❖ कोविड टीकाकरण अभियान और आपातकालीन सहायता<br>❖ सहानुभूतिपूर्ण अवकाश नीतियां<br>❖ डिजिटल, कार्यात्मक और व्यवहारिक सीखने के अवसर प्रदान करना |
| **ग्राहक** | ❖ शाखाओं में और फोन के माध्यम से कर्मचारियों के साथ बातचीत<br>❖ संरचित प्रतिक्रिया और संतुष्टि सर्वेक्षण<br>❖ केन्द्रित समूह<br>❖ शाखा-आधारित ग्राहक बैठकें<br>❖ बहुचैनल संचार और शिकायत समाधान<br>❖ सोशल मीडिया जुड़ाव<br>❖ ग्राहक सहायता हेल्पलाइन<br>❖ संस्था की वेबसाइट | ❖ डिजिटल सुविधा बढ़ाना<br>❖ कर्मचारियों का कौशल और संवेदनशीलता/ उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना<br>❖ प्रासंगिक डिजिटल उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना<br>❖ अनुरोधों और शिकायतों का त्वरित समाधान | ❖ ग्राहकों और बैंक दोनों के लिए निष्पक्ष व्यवहार को बढ़ावा देना<br>❖ डिजिटल उत्पादों की उचित-बिक्री<br>❖ डिजिटल दक्षता और त्वरित प्रतिक्रिया के साथ ग्राहक सेवा को बेहतर बनाना<br>❖ कर्मचारियों की डिजिटल दक्षता को बढ़ावा देना |

## संबंध और सामाजिक पूंजी

| हितधारक प्रकार | हम उनके साथ कैसे जुड़ते हैं | उनके लिए हमारी कार्यनीतिक प्राथमिकताएँ | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिक्रिया |
|---|---|---|---|
| **विनियामक** | ❖ विनियामक निकायों और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ नियमित बैठकें<br>❖ नीति मंचों और विनियामक-नेतृत्व वाले कार्यक्रमों में भागीदारी<br>❖ विनियामक और सरकारी मामलों की टीमों के माध्यम से संचार और बातचीत के विभिन्न रूप<br>❖ परीक्षाएं, सतत निगरानी और पर्यवेक्षी बैठकें | ❖ ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार और शिकायत समाधान सुनिश्चित करना<br>❖ धन-शोधन निवारक एवं धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन<br>❖ परिचालन जोखिम प्रबंधन, जिसमें आईटी और साइबर सुरक्षा जोखिम शामिल हैं | ❖ विनियामक संचार के लिए समर्पित टीम<br>❖ विनियामक प्रतिक्रिया के लिए परिभाषित प्रक्रियाएं और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग<br>❖ निरंतर सहभागिता और नीति इनपुट प्रावधान |
| **शेयरधारक और संभावित निवेशक** | ❖ वार्षिक आम बैठकें और तिमाही आय अपडेट<br>❖ ईमेल, आवधिक बैठकें और कॉन्फ्रेंस कॉल<br>❖ निवेशक सम्मेलन, रोड शो और प्रस्तुतियाँ<br>❖ विश्लेषक दिवस कार्यक्रम<br>❖ निवेशक संबंध एवं शीर्ष प्रबंधन के साथ बैठकें<br>❖ विनियामक प्रकटीकरण<br>❖ समर्पित निवेशक संबंध पोर्टल | ❖ शेयरधारक मूल्य सृजन<br>❖ मध्यम और दीर्घ-कालिक कार्यनीति<br>❖ अभिशासन और नैतिक व्यवहार<br>❖ अनुपालन<br>❖ पारदर्शिता | ❖ निवेशकों के साथ नियमित डिजिटल सत्र<br>❖ तिमाही परिणाम कॉल के दौरान बेहतर संचार<br>❖ वार्षिक रिपोर्ट में विस्तृत वर्णनात्मक विश्लेषण एवं प्रकटीकरण<br>❖ बैंक की वेबसाइट पर ईएसजी पहल एवं उपलब्धियों को प्रकट किया गया |
| **समाज** | ❖ समावेशी विकास के लिए यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन (यूबीएसएफटी)<br>❖ ग्रामीण विकास और सरकारी पहलों के लिए समर्थन<br>❖ समुदाय की आवश्यकताओं का आकलन<br>❖ वित्तीय साक्षरता एवं आउटरीच कार्यक्रम<br>❖ धर्मार्थ दान<br>❖ नागरिक संगठनों की सदस्यता<br>❖ स्वयंसेवी गतिविधियाँ और गैर-लाभकारी बोर्डों में भागीदारी<br>❖ संस्था की वेबसाइट | ❖ सामाजिक विकास में योगदान<br>❖ वित्तीय साक्षरता और सेवा पहुंच बढ़ाना | ❖ स्वैच्छिक सीएसआर पहल शुरू करना<br>❖ यूबीएसएफटी आजीविका, स्वास्थ्य अवसंरचना, सामाजिक और पर्यावरणीय परियोजनाओं पर केंद्रित है<br>❖ बैंकिंग क्षेत्र में कौशल विकसित करने के लिए उद्योग तथा शिक्षा जगत के बीच साझेदारी का निर्माण |

**जीआरआई**

401, 404

### कर्मचारियों के साथ स्थायी संबंध बनाना

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने कर्मचारियों के विकास, कल्याण और सहभागिता को प्राथमिकता देकर उनके साथ स्थायी संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. हमारे दृष्टिकोण में कई प्रमुख पहल शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे कर्मचारी मूल्यवान, समर्थित और सफलता के लिए तैयार महसूस करें.

वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताओं के नेतृत्व में नियमित संप्रेषण बैठकें यह सुनिश्चित करती हैं कि संगठन के सभी स्तरों को अच्छी जानकारी हो और वे हमारे कार्यनीतिक लक्ष्यों के साथ संरेखित हों. हमने एकम मोबाइल ऐप भी कार्यान्वित किया है, जो कर्मचारियों के बीच विचारों को साझा करने की सुविधा देता है, जिससे उन्हें कार्यनिष्पादन समीक्षाओं तक पहुँचने और किसी भी समय, कहीं भी चर्चा में शामिल होने की अनुमति मिलती है. यह प्लेटफ़ॉर्म कर्मचारियों के बीच निरंतर जुड़ाव और सहयोग को प्रोत्साहित करता है.

एक मजबूत जोखिम और अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, हमने एचआर आपके द्वार पोर्टल और व्हिसल ब्लोअर नीति सहित विभिन्न कार्यक्रम तथा नीतियां शुरू की हैं, जो रिपोर्टिंग तथा चिंताओं का समाधान करने के लिए तंत्र प्रदान करती हैं. पेशेवर विकास के महत्व को पहचानते हुए, हम जॉब रोटेशन तथा कैरियर की गतिशीलता के लिए कई अवसर प्रदान करते हैं. हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में डिजिटल, कार्यात्मक और व्यवहारिक शिक्षण मॉड्यूल शामिल हैं जो निरंतर विकसित हो रहे उद्योग परिदृश्य में दक्षता एवं स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए हैं.

कर्मचारी की हित सर्वोच्च प्राथमिकता बना हुआ है. कोविड-19 महामारी के दौरान, हमने अपने कर्मचारियों की सहायता के लिए टीकाकरण अभियान चलाया और सहानुभूतिपूर्ण छुट्टी नीतियों को लागू किया. इसके अतिरिक्त, हमारा कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी) - यूनियन स्वर - कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को लाभान्वित करते हुए व्यापक शारीरिक एवं मानसिक कल्याण सहायता प्रदान करता है.

हमारा पुरस्कार और मान्यता (आर एंड आर) कार्यक्रम हमारे कर्मचारियों के प्रयासों एवं उपलब्धियों को मान्यता देता है और उनका जश्न मनाता है. यह कार्यक्रम डिजिटल साधन के माध्यम से सुगम बनाया गया है, जो उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन को मान्यता देने में पारदर्शिता, लचीलापन और समावेशिता सुनिश्चित करता है.

## असाधारण ग्राहक अनुभव प्रदान करना

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ग्राहकों को बेहतरीन अनुभव प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता विभिन्न नवीन दृष्टिकोणों एवं सुदृढ़ प्रणालियों के माध्यम से प्रदर्शित होती है, जिन्हें हमारे ग्राहकों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है. हमारी पहल ग्राहकों की जरूरतों को समझने, वैयक्तिक सेवा प्रदान करने तथा शिकायतों का कुशल समाधान सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

**कर्मचारी से बातचीत और प्रतिक्रिया तंत्र:** हम शाखाओं में प्रत्यक्ष बातचीत और फ़ोन कॉल के ज़रिए अपने ग्राहकों से सक्रिय रूप से जुड़ते हैं. संरचित प्रतिक्रिया सर्वेक्षण हमें अपनी सेवाओं को निरंतर बेहतर बनाने के लिए मूल्यवान ग्राहक अंतर्दृष्टि एकत्र करने में मदद करते हैं. ये सर्वेक्षण हमारी ग्राहक सेवा कार्यनीतियों को आकार देते हैं और विशिष्ट ज़रूरतों का समाधान करते हैं.

**वैयक्तिक शाखा-आधारित बैठकें:** हमारी शाखा-आधारित ग्राहक बैठकें व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक ग्राहक को अनुकूलित सलाह एवं समाधान मिले. यह दृष्टिकोण बैंक एवं उसके ग्राहकों के बीच गहरा संबंध तथा विश्वास बढ़ाता है.

**शिकायत निवारण तंत्र में संवर्धन:** हमने प्रत्येक स्तर पर भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके अपनी शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया है. यह प्रणाली ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करती है. शिकायत निवारण नीति एक संरचित एस्केलेशन मेट्रिक्स और पूर्वनिर्धारित टर्नअराउंड समय (टीएटी) को रेखांकित करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ग्राहकों के मुद्दों का कुशलतापूर्वक समाधान किया जाए.

**शिकायत समाधान हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग:** इस सुविधा को बढ़ाने के लिए, हम कुशल शिकायत समाधान हेतु डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हैं. हमारे यूनियन वर्चुअल कनेक्ट (यूविकॉन) - व्हाट्सएप बैंकिंग, और गूगल बिजनेस मैसेज (जीबीएम) प्लेटफ़ॉर्म ग्राहकों को शिकायत दर्ज करने और तत्काल सहायता प्राप्त करने की अनुमति देते हैं. यूविकॉन ने एक करोड़ से अधिक ग्राहक पूछताछ/ अनुरोधों के संबंध में सेवा प्रदान की है, जबकि जीबीएम ने लगभग 1.6 लाख उपयोगकर्ताओं को जोड़ा है, जो बेहतर ग्राहक सेवा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

"

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की असाधारण ग्राहक अनुभव के प्रति प्रतिबद्धता, नवीन दृष्टिकोणों और सुदृढ़ प्रणालियों के माध्यम से प्रदर्शित होती है, जो उभरती हुई जरूरतों को पूरा करने हेतु तैयार की गई हैं, जो वित्तीय वर्ष 2024 में निर्धारित समय सीमा के भीतर 99.8% ग्राहक शिकायतों का समाधान करती हैं.

***जानें कि हम ग्राहक सेवा और संतुष्टि को कैसे बढ़ाते हैं.***

**जीआरआई**

417

**जीआरआई**

103, 418

"

हमारी शिकायत निवारण प्रणाली ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करती है, जिससे विश्वास और संतुष्टि बढ़ती है, वित्तीय वर्ष 2024 में 3,14,691 शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया.

*हमारी व्यापक शिकायत निवारण नीति और उसके प्रभाव के बारे में जानें.*

## शिकायत निवारण तंत्र

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान को प्राथमिकता देता है. यह तंत्र सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है, जिससे ग्राहकों का विश्वास तथा संतुष्टि बढ़ती है.

**स्पष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां:** हमने संगठन के सभी स्तरों पर शिकायत समाधान के लिए स्पष्ट रूप से भूमिकाएं और जिम्मेदारियां परिभाषित की हैं. प्रत्येक शिकायत निवारण अधिकारी को ग्राहक मुद्दों का कुशलतापूर्वक संभालने के लिए विशिष्ट कर्तव्य सौंपे गए हैं.

**मानक परिचालन प्रथाएँ:** हमने प्रभावी शिकायत प्रबंधन के लिए मानक परिचालन अभ्यास (एसओपी) कार्यान्वित किए हैं. ये एसओपी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हैं, जिससे ग्राहक शिकायतों के समाधान में स्थिरता एवं दक्षता सुनिश्चित होती है.

**संशोधित शिकायत निवारण नीति:** हमारी संशोधित शिकायत निवारण नीति विभिन्न शिकायतों के लिए एक संरचित एस्केलेशन मेट्रिक्स और पूर्वनिर्धारित टर्नअराउंड समय (टीएटी) की रूपरेखा प्रस्तुत करती है. इस नीति का उद्देश्य मुद्दों के तत्काल एवं प्रभावी ढंग से समाधान हेतु स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करके ग्राहक शिकायतों के मामलों को कम करना है.

**शिकायत निवारण अधिकारियों की पहुंच:** शिकायतों के त्वरित समाधान की सुविधा के लिए, हमने अपनी वेबसाइट पर शिकायत निवारण अधिकारियों (एफ़जीआरओ और आरजीआरओ) के संपर्क विवरण उपलब्ध कराए हैं. यह पारदर्शिता ग्राहकों को सीधे उपयुक्त अधिकारियों तक पहुंचने में मदद करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाता है.

**शिकायत समाधान सांख्यिकी:** वित्तीय वर्ष 2024 में, हमें 3,20,495 शिकायतें प्राप्त हुईं और 3,14,691 शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया, जिनमें पिछले वर्ष की शिकायतें भी शामिल हैं. यह उच्च समाधान दर ग्राहकों की समस्याओं को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

**जीआरआई**

102, 201

## शेयरधारकों और संभावित निवेशकों के लिए विश्वास और मूल्य सृजन को बढ़ावा देना

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हम अपने शेयरधारकों और संभावित निवेशकों के लिए विश्वास को बढ़ावा देने एवं मूल्य सृजन को प्राथमिकता देते हैं. हमारा निरंतर संप्रेषण, सुदृढ़ अभिशासन पद्धतियां और पारदर्शी प्रकटीकरण इस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

**नियमित संप्रेषण:** हम विभिन्न चैनलों के माध्यम से अपने शेयरधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव सुनिश्चित करते हैं. इनमें वार्षिक आम बैठकें (एजीएम), ईमेल, आवधिक बैठकें, कॉन्फ्रेंस कॉल और निवेशक सम्मेलन शामिल हैं. वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, हमने अर्हता प्राप्त संस्थान स्थानन (क्यूआईपी) के तहत 79,88,58,141 इक्विटी शेयर भी रखे, जिससे ₹8,000 करोड़ की पर्याप्त राशि जुटाई गई, जो शेयरधारक जुड़ाव एवं पूंजीगत प्रबंधन के प्रति हमारे सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है.

**शेयरधारक मूल्य सृजन पर ध्यान केंद्रित:** हमारी कार्यनीतिक पहलों का उद्देश्य शेयरधारक मूल्य को बढ़ाना है. हम दीर्घ-कालिक कार्यनीति, सुदृढ़ अभिशासन, अनुपालन, पारदर्शिता एवं संवहनीयता पर बल देते हैं. वित्तीय वर्ष 2024 में, हमारी कार्यनीतिक पहलों के कारण मजबूत तुलन पत्र एवं गैर-ब्याज आय में उल्लेखनीय सुधार के साथ हमारे प्रयासों को मान्यता मिली.

**संवर्धित प्रकटीकरण:** तिमाही परिणामों पर चर्चा के दौरान, हमने अपने वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं कार्यनीतिक दिशा की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए अपने प्रकटीकरण को बढ़ाया है. हमारी वार्षिक रिपोर्ट में विस्तृत वर्णनात्मक विश्लेषण शामिल है, जिससे निवेशकों को हमारे परिचालन एवं योजनाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है. बैंक द्वारा की गई कार्यनीतिक पहल नियमित रूप से हमारे निवेशकों को बताई जाती हैं जिसमें डिजिटल और एनालिटिक्स-संचालित व्यावसायिक सुधार शामिल हैं.

**ईएसजी पहल का प्रकटीकरण:** हम पर्यावरण, सामाजिक एवं अभिशासन (ईएसजी) सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध हैं. हमारी ईएसजी पहल एवं उपलब्धियों को हमारी वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रकट किया गया है, जो संवहनीय एवं जिम्मेदार बैंकिंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इसमें समावेशी विकास और ग्रामीण विकास के लिए हमारे प्रयासों के साथ-साथ उपांत समुदायों के उत्थान तथा संवहनीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी पहलों हेतु समर्थन की विस्तृत जानकारी शामिल है.

## यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (यूबीएसएफ़टी)

**स्थापना और मिशन:** यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (यूबीएसएफ़टी) की स्थापना 2 मार्च, 2006 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक समर्पित शाखा के रूप में की गई थी. यूबीएसएफ़टी का प्राथमिक मिशन वंचित समुदायों का उत्थान करना और गरीबों एवं उपांत व्यक्तियों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार करना है. फाउंडेशन का उद्देश्य सार्वजनिक-निजी पहल को बढ़ावा देना और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है. यूबीएसएफ़टी के फोकस क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार, शिक्षा के लिए बुनियादी ढाँचा और साधन प्रदान करना एवं निरंतर तथा संवहनीय कौशल विकास को बढ़ावा देना शामिल है.

**अभिशासन संरचना:** यूबीएसएफटी का प्रशासनिक ढांचा सुदृढ़ है, बोर्ड का नेतृत्व यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ करते हैं, और कार्यपालक निदेशक उपाध्यक्ष ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं. अन्य ट्रस्टियों में बैंक के महाप्रबंधक एवं स्वतंत्र ट्रस्टी शामिल हैं. यूबीएसएफटी बोर्ड यूनियन बैंक की सीएसआर प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यनीतिक दिशा प्रदान करता है और नियमित रूप से गतिविधियों की समीक्षा करता है. यूबीएसएफटी का मुख्य कार्यपालक बोर्ड के निर्देशों के क्रियान्वयन की देखरेख करता है.

यूनियन बैंक ने शीर्ष स्तर पर एक स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी (एसआरसी) भी स्थापित की है, जिसमें निदेशक मंडल के सदस्य शामिल हैं, जो प्रत्येक तिमाही में बैंक एवं यूबीएसएफटी की सीएसआर गतिविधियों की निगरानी तथा मार्गदर्शन करता है. कार्यपालक और गैर-आधिकारिक निदेशकों सहित एमडी और सीईओ इस समिति के प्रमुख हैं.

## वित्तीय वर्ष 2024 में सीएसआर पहल

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हम अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहलों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, जिसका उद्देश्य विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करना है. वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, हमने संवहनीय विकास को बढ़ावा देने और वंचित समुदायों के उत्थान के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया.

**जीआरआई**

413

"

यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट वंचित समुदायों के उत्थान एवं सार्वजनिक-निजी पहलों के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार के लिए समर्पित है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024 में 62 परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए ₹34.79 करोड़ मंजूर किए गए हैं.

***हमारी सीएसआर गतिविधियों और समाज पर उनके प्रभाव के बारे में अधिक जानें.***

**जीआरआई**

201, 203

**जीआरआई**

201, 203

"

वृक्षारोपण अभियान तथा अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रमों सहित हमारी संवहनीयता पहल पर्यावरण संरक्षण तथा जागरूकता को बढ़ावा देती है, वित्तीय वर्ष 2024 में विभिन्न क्षेत्रों में 10,000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं.

*जानें कि हम पर्यावरणीय संवहनीयता में कैसे योगदान दे रहे हैं.*

## सीएसआर की मुख्य विशेषताएं आंकड़ों में

**₹79.33** करोड़

***7 परियोजनाएं/ कार्यक्रम अनुमोदित***

*वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सात परियोजनाओं/ कार्यक्रमों में कुल रु.79.33 करोड़ दान का अनुमोदन किया गया.*

**16,600**

*वित्तीय वर्ष 24 में 16,600 से अधिक नए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को लगभग रु. 404 करोड़ का वित्तपोषण किया गया.*

**₹34.79** करोड़

***62 परियोजनाएं/ कार्यक्रम स्वीकृत***

*वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन (यूबीएसएफटी) ने 62 परियोजनाओं/ कार्यक्रमों के लिए कुल रु. 34.79 करोड़ का दान मंजूर किया.*

**22,600**

*यूनियन नारी शक्तिः वित्तीय वर्ष 24 में 22,600 से अधिक आवेदन मंजूर किए गए, जिनकी राशि रु. 2,555 करोड़ थी.*

**2.98** लाख

*पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 24 में 2.98 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को लगभग रु. 481 करोड़ का वित्तपोषण किया गया.*

**₹19.02** करोड़

*कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन के माध्यम से रु. 19.02 करोड़ का दान वितरित किया गया.*

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कुल ₹79.33 करोड़ के दान को मंजूरी दी, जिसमें से ₹73.33 करोड़ वितरित किए गए. वर्ष के दौरान बैंक ने यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (यूबीएसएफ़टी) को सामाजिक उत्थान हेतु विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए ₹62.19 करोड़ दान दिया. यूबीएसएफ़टी ने वर्ष के दौरान 62 परियोजनाओं के लिए ₹34.79 करोड़ के दान को मंजूरी दी, जिसमें से 61 परियोजनाओं के लिए ₹19.02 करोड़ वितरित किए गए.

### शिक्षा और कौशल विकास:

**गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना:** हमने वंचित बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का समर्थन किया. इसमें शैक्षणिक बुनियादी ढांचे और संसाधनों में योगदान शामिल था.

**जीआरआई**

404

**कौशल विकास कार्यक्रम:** हमने बेहतर रोजगार अवसरों के लिए आवश्यक कौशल से व्यक्तियों को सशक्त बनाने हेतु कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए. इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से की गई पहल भी शामिल थी.

**बुनियादी ढांचे में योगदान:** शैक्षणिक संस्थानों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने तथा छात्रों के लिए अनुकूल शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराने के लिए योगदान दिया गया.

### स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता:

**स्वास्थ्य देखभाल भागीदारी:** हमने स्वास्थ्य सेवा संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ भागीदारी की है. उल्लेखनीय दान में अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों के लिए एम्बुलेंस एवं चिकित्सा उपस्कर शामिल थे.

**जीआरआई**
403, 413

**चिकित्सा उपस्कर दान:** महत्वपूर्ण दान में एम्बुलेंस, एक्स-रे मशीन और अन्य चिकित्सा उपस्कर शामिल थे, ताकि वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाई जा सकें.

### आजीविका संवर्धन:

**आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना:** हमने आजीविका के अवसरों एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पहल की है, मुख्य रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) पर ध्यान केंद्रित किया है. इन कार्यक्रमों का उद्देश्य समुदायों को सशक्त बनाना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था.

**जीआरआई**
203

### पर्यावरण संरक्षण:

**संवहनीयता पहल:** पर्यावरण संवहनीयता में योगदान देने वाली गतिविधियों में वृक्षारोपण अभियान और अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम शामिल थे. इन पहलों का उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता एवं संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना था.

**जीआरआई**
304, 305

### ग्रामीण विकास:

**ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं:** हमने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, स्वच्छ जल तक पहुंच प्रदान करने और संवहनीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित कीं. इन पहलों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और कृषि क्षेत्र को सहायता प्रदान करना था.

**जीआरआई**
413

## स्वास्थ्य सेवा योगदान

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. हमने यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (यूबीएसएफ़टी) के माध्यम से विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में सहायता करने के लिए अस्पतालों, स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं कई पहल की हैं. वित्तीय वर्ष 2024 के लिए प्रमुख योगदान निम्नानुसार है:

**जीआरआई**
413

### अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए दान:

**एम्बुलेंस दान:** हमने कई स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को कस्टम-निर्मित एम्बुलेंस दान की हैं. उल्लेखनीय दान में से एक गोरखपुर के सिविल कोर्ट अस्पताल और दूसरा चित्रकूट के श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट को दिया गया है, जो उन्नत चिकित्सा परिवहन और गहन देखभाल क्षमताओं से निर्मित है.

**जीआरआई**
413

**रक्त बैंकों के लिए सहायता:** यूबीएसएफटी ने राजकोट में सौराष्ट्र मेडिकल एंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के लाइफ ब्लड सेंटर को महत्वपूर्ण डायग्नोस्टिक उपस्कर दान किए हैं. यह योगदान जरूरतमंद मरीजों को गुणवत्तापूर्ण डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान करने के ब्लड बैंक के मिशन का समर्थन करता है.

| जीआरआई |
|---|
| 413 |

### चिकित्सा उपकरण और एम्बुलेंस का प्रावधान:

**चिकित्सा उपस्कर दान:** हमारे दान में विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कि जिला मजिस्ट्रेट, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के लिए आवश्यक जीवन समर्थन से सुसज्जित एम्बुलेंस शामिल हैं. इन दानों का उद्देश्य तीर्थयात्रियों, स्थानीय निवासियों और खेल प्रशिक्षुओं की आपातकालीन चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करना है.

**स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना सहायता:** हमने अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के पूर्वी सियांग जिले के बोरगुली में एक नए अत्याधुनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के निर्माण के लिए ₹3 करोड़ का योगदान दिया. इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीणों और आस-पास के क्षेत्रों को उन्नत चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना है.

| जीआरआई |
|---|
| 413 |

### वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल पहल के लिए समर्थन:

**संगठनों के साथ साझेदारी:** हमने स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं और चिकित्सा शिविर प्रदान करने, सामान्य स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ सहयोग किया है. इन साझेदारियों का उद्देश्य दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है.

**स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाएं:** यूबीआईएसएफटी ने स्वच्छता बुनियादी ढांचे में सुधार करने वाली परियोजनाओं को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका सीधा प्रभाव सामुदायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता पर पड़ता है.

## शिक्षा विकास

| जीआरआई |
|---|
| 404 |

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हम विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में शैक्षणिक अवसरों एवं बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हमारे प्रयासों ने शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों पर ध्यान केंद्रित किया.

| जीआरआई |
|---|
| 404 |

### स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को योगदान:

**बुनियादी ढांचे में योगदान:** हमने शैक्षणिक संस्थानों को महत्वपूर्ण योगदान दिया है, छात्रों के लिए बेहतर शिक्षण वातावरण प्रदान करने हेतु उनके बुनियादी ढांचे में सुधार किया है. इसमें कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए), बेंगलूरु को 10 ऑल-इन-वन कंप्यूटर का प्रावधान और विभिन्न स्कूलों को एयर कंडीशनर और वाटर प्यूरीफायर जैसी आधुनिक सुविधाओं का दान शामिल है.

| जीआरआई |
|---|
| 403, 413 |

### ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण:

**स्वच्छता सुविधाएँ:** शैक्षणिक परिवेश में स्वच्छता के महत्व को समझते हुए, हमने ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण किया है. इस पहल से स्वच्छता में सुधार होता है और छात्रों, विशेषकर लड़कियों के बीच उच्च उपस्थिति दर को बढ़ावा मिलता है.

| जीआरआई |
|---|
| 404 |

### शैक्षणिक सुविधाओं के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे का प्रावधान:

**शैक्षणिक अवसंरचना:** हमने शैक्षणिक सुविधाओं के लिए आधुनिक अवसंरचना प्रदान की है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि छात्र यथासंभव सर्वोत्तम संसाधनों तक पहुँच प्राप्त कर सकें. इसमें श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, अनंतपुर को 2 नई 8-सीटर इलेक्ट्रिक शटल/गोल्फ कार्ट का दान शामिल है, ताकि परिसर के भीतर छात्रों को परिवहन की सुविधा मिल सके.

## कौशल विकास

### ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरसेटी) के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम:

**व्यापक प्रशिक्षण:** यथा 31 मार्च, 2024, 30 आरसेटी में 3,48,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें 73% का सेटलमेंट अनुपात है, जो स्वरोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को दर्शाता है. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सिलाई, लघु कारोबार प्रबंधन और अन्य व्यावसायिक व्यापार सहित विभिन्न कौशल शामिल हैं.

**जीआरआई**

404

### प्रमाणपत्रों और साधनों का वितरण:

**स्नातकों को सशक्त बनाना:** प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर, हम स्नातकों को प्रमाणपत्र और सिलाई मशीन जैसे आवश्यक उपकरण वितरित करते हैं. यह सहायता उन्हें अपनी उद्यमशीलता की यात्रा शुरू करने में मदद करती है और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता में योगदान देती है. उदाहरण के लिए, आरसेटी तिरुपति में सिलाई बैच के सफल प्रशिक्षुओं को सिलाई मशीनें वितरित की गईं, जो सक्रिय रूप से महिला सशक्तिकरण और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देती हैं.

**जीआरआई**

404

### महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना:

**केंद्रित कार्यक्रम:** हमारी कौशल विकास पहलों का महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान है. हम महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं. महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में आरसेटी वाराणसी में महिला सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम और विभिन्न आरसेटी में इसी तरह की अन्य पहल शामिल हैं, जहाँ बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें अपना स्वयं का उद्यम शुरू करने हेतु सहायता प्रदान की गई है.

**जीआरआई**

405

"

शिक्षा एवं कौशल विकास में हमारे योगदान का उद्देश्य बेहतर शिक्षण वातावरण प्रदान करना और व्यक्तियों को आवश्यक कौशल से सशक्त बनाना है, जिसके तहत हमने मार्च, 2024 तक 30 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरसेटी) में 3,48,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है.

*शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ाने के लिए हमारी पहलों के बारे में जानें.*

"

हम उद्योग-विशिष्ट समाधान प्रदान करने के लिए समर्पित हैं जो यूनिक्यू चुनौतियों का समाधान करते हैं और संवहनीय विकास को बढ़ावा देते हैं. हमारा कार्यनीतिक फोकस यह सुनिश्चित करता है कि हम जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, उसे हमारी विशेषज्ञता, नवाचार एवं उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता से लाभ मिले.

हम अपने खुदरा नेटवर्क में सौर ऊर्जा समाधान तैनात करके संवहनीयता के प्रति प्रतिबद्ध हैं. यह पहल हमारे ग्राहकों के कार्बन फूटप्रिंट को कम करती है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देती है और हरित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

मानव पूंजी:

# संवहनीय सफलता के लिए हमारे लोगों को सशक्त बनाना

**यूएनएसडीजी:**

**कार्यनीतिक स्तंभ:**

9, 14, 15

**कारोबार मॉडल कैनवास:**

2, 3, 5, 9

**महत्वपूर्ण विषय**

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 35, 37

**जीआरआई संरेखण**

201, 203, 302, 401, 403, 404, 405

**कर्मचारी-केंद्रित कार्यनीति:** यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हमारे कर्मचारी हमारे संवहनीय और डिजिटल भविष्य की आधारशिला हैं. जानें कि हमारा कर्मचारी-केंद्रित दृष्टिकोण हमारे विजन को किस प्रकार से संचालित करता है

कर्मचारियों की संख्या

**75,866**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कुल कार्यबल

*यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हम पूरी लगन से मानते हैं कि हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हमारे कर्मचारी हैं. संवहनीय, डिजिटल रूप से सशक्त भविष्य के हमारे दृष्टिकोण के लिए उनका कौशल, उत्साह और प्रतिबद्धता आधारशिला है. अपनी मानव पूंजी में निवेश करके, हमारा लक्ष्य अपने ग्राहकों को उच्चतम गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्रदान करना और भारत को एक डिजिटल पावरहाउस तथा शुद्ध-शून्य उत्सर्जन वाला देश बनने की दिशा में सार्थक योगदान देना है.*

यह मानते हुए कि मानव पूंजी संवहनीय सफलता की आधारशिला है, यूनियन बैंक पर्यावरणीय स्थिरता और अल्प-कार्बन अर्थव्यवस्था में रूपान्तरण सहित प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने कार्यबल में कार्यनीतिक रूप से निवेश करता है. हमारी व्यापक कारोबारी कार्यनीति में मजबूत मानव पूंजी पहलों को सहजता से एकीकृत करते हुए, हम सुनिश्चित करते हैं कि आज के तेजी से बदलते परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए कर्मचारियों के पास आवश्यक कौशल और ज्ञान उपलब्ध है.

यह प्रतिबद्धता बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन को बढ़ाती है और इसके पर्यावरणीय संवहनीयता के लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. एक प्रेरित, कुशल और समावेशी कार्यबल को बढ़ावा देने पर हमारा ध्यान हमें हरित प्रौद्योगिकियों के विकास में अग्रणी बनाता है, अभिनव संवहनीय वित्तीय समाधान प्रदान करता है, और एक स्वच्छ और हरित भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है.

## कार्यनीतिक प्राथमिकताएँ तथा पहल

| कार्यनीतिक प्राथमिकताएँ | पहल | विवरण | जीआरआई मानक |
|---|---|---|---|
| **समावेशन और विविधता** | कर्मचारी शिक्षा और प्रशिक्षण | पूर्वाग्रह जागरूकता, सांस्कृतिक क्षमता और समावेशी नेतृत्व पर जोर देने वाली उन्नत शैक्षिक पहल. नियमित प्रशिक्षण सत्र और कार्यशालाएँ कर्मचारियों को विविधता और समावेशन में नवीनतम प्रथाओं और सिद्धांतों के बारे में जानकारी देती रहती हैं. | जीआरआई 405: विविधता और समान अवसर 2016 |
| | संवादात्मक श्रवण सत्र | नियमित इंटरैक्टिव सत्र कर्मचारियों को अपनी राय प्रकट करने, अनुभव साझा करने और विचारों का योगदान करने का अवसर देते हैं. ये सत्र कर्मचारियों की भावनाओं को समझने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं. | जीआरआई 405: विविधता और समान अवसर 2016 |
| | परिष्कृत भर्ती प्रथाएँ | उम्मीदवारों की विविधतापूर्ण पूल को आकर्षित करने के लिए भर्ती प्रक्रियाओं को परिष्कृत किया गया. लक्षित आउटरीच कार्यक्रमों, विविध संगठनों के साथ साझेदारी और समावेशी नौकरी विज्ञापनों के माध्यम से कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों तक पहुँचने पर जोर दिया गया. | जीआरआई 405: विविधता और समान अवसर 2016 |

*मानव पूंजी:*

| कार्यनीतिक प्राथमिकताएँ | पहल | विवरण | जीआरआई मानक |
|---|---|---|---|
| **नेतृत्व विकास** | व्यापक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम | भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए नेताओं को तैयार करने हेतु कार्यनीतिक सोच, डिजिटल दक्षता और परिवर्तन प्रबंधन को कवर करने वाले मजबूत प्रशिक्षण कार्यक्रम. | जीआरआई 404: प्रशिक्षण और शिक्षा 2016 |
| | मेंटरशिप और कोचिंग | मेंटरशिप और कोचिंग ढांचा अनुभवी नेतृत्वकर्ताओं को उभरती प्रतिभाओं के साथ जोड़ता है, ज्ञान हस्तांतरण को बढ़ावा देता है, करियर विकास का समर्थन करता है, और भविष्य के नेतृत्वकर्ताओं की एक शृंखला का निर्माण करता है. | जीआरआई 404: प्रशिक्षण और शिक्षा 2016 |
| | विविधता में नेतृत्व कार्य | विविधता के प्रबंधन में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए समर्पित विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल, नेतृत्वकर्ताओं को विविध टीमों का नेतृत्व करने की बारीकियों को समझने और समावेशी कार्य वातावरण बनाने में मदद करते हैं. | जीआरआई 405: विविधता और समान अवसर 2016 |
| **कर्मचारी अनुभव का विकास** | कर्मचारी आवश्यकता मूल्यांकन | नियमित सर्वेक्षण और फोकस समूह कर्मचारियों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बैंक की नीतियां और लाभ कर्मचारियों के लिए सर्वाधिक मूल्यवान हैं. | जीआरआई 405: विविधता और समान अवसर 2016 |
| | लाभ की पेशकश में वृद्धि | संवर्धित लाभ प्रस्तावों में लचीली कार्य व्यवस्था, कल्याण कार्यक्रम, तथा कार्य-जीवन संतुलन और समग्र नौकरी संतुष्टि में सुधार के लिए व्यापक स्वास्थ्य कवरेज शामिल हैं. | जीआरआई 401: रोजगार 2016 |
| | नवीन कार्य पद्धतियाँ | तकनीकी प्रगति और कर्मचारियों की बदलती अपेक्षाओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए कार्य पद्धतियों को लगातार विकसित करना. चुस्त कार्य पद्धतियाँ, और सहयोगी साधन उत्पादकता और जुड़ाव को बढ़ाते हैं. | जीआरआई 401: रोजगार 2016 |
| **भविष्य के काय** | कार्यबल का पुनर्गठन | कार्यबल के पास भविष्य की भूमिकाओं के लिए आवश्यक कौशल सुनिश्चित करने के लिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पहलों में निवेश करना, जिसमें उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल साधनों और नई कारोबारी प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण शामिल है. | जीआरआई 404: प्रशिक्षण और शिक्षा 2016 |
| | परिष्कृत प्रतिभा प्राप्त करना | प्रतिभा प्राप्ति की कार्यनीति संगठन की कार्यनीतिक प्राथमिकताओं के साथ संरेखित है, जो नवाचार और विकास को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल और मानसिकता वाले प्रतिभाओं को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करती है. उन्नत भर्ती तकनीकें और डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि नियुक्ति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती हैं. | जीआरआई 401: रोजगार 2016 |
| | कर्मचारी कार्य गति को संतुलित करना | काम कैसे, कहाँ और कब किया जाए, इस बारे में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध. हाइब्रिड कार्य मॉडल, लचीला शेड्यूलिंग और कार्य-जीवन एकीकरण का समर्थन करने वाली नीतियाँ लचीलेपन की संस्कृति को बढ़ावा देती हैं, कर्मचारी संतुष्टि और उत्पादकता को बढ़ाती हैं जबकि ठोस व्यक्तिगत सहयोग बनाए रखती हैं. | जीआरआई 401: रोजगार 2016 |

**जीआरआई**

201-1, 201-4

## मानव पूंजी पहल के लिए अभिशासन संरचना

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मानव पूंजी पहलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक मजबूत अभिशासन संरचना स्थापित की है. यह संरचना सुनिश्चित करती है कि सभी प्रयास बैंक के व्यापक ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन) तथा कार्यनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप हों.

## बोर्ड अन्वेक्षण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल एक संरचित दृष्टिकोण के माध्यम से मानव पूंजी पहलों की देखरेख करता है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कार्यनीतिक संरेखण:** यह सुनिश्चित करना कि मानव पूंजी संबंधी कार्यनीतियाँ बैंक के समग्र कार्यनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित हों, जिसमें इसके ईएसजी लक्ष्य भी शामिल हैं.
- **नीति निर्माण:** मानव संसाधन से संबंधित नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन, यह सुनिश्चित करना कि वे अनुकूल कार्य वातावरण तैयार करते हैं और संवहनीय विकास को बढ़ावा देते हैं.
- **कार्यनिष्पादन की निगरानी:** लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने तथा सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मानव पूंजी से संबंधित कार्यनिष्पादन मेट्रिक्स की नियमित निगरानी करना.

## समर्पित समितियां

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मानव पूंजी पहलों के प्रबंधन और संचालन के लिए विशिष्ट समितियों का गठन किया है:

- **ईएसजी संचालन समिति (ईएसजीएससी):** कार्यपालक निदेशकों तथा विभिन्न कारोबार एवं नियंत्रण वर्टिकलों के प्रमुखों वाली यह समिति ईएसजी परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए तिमाही आधार पर बैठक करती है और अनुमोदन के लिए संबंधित समितियों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है. यह सुनिश्चित करती है कि मानव पूंजी पहल बैंक की व्यापक ईएसजी कार्यनीति के साथ एकीकृत हो.
- **हितधारक संबंध समिति (एसआरसी):** एक बोर्ड स्तरीय समिति जो गैर-जोखिम ईएसजी-संबंधित मामलों की देखभाल करती है, तथा यह सुनिश्चित करती है कि सभी मानव पूंजी पहल व्यापक ईएसजी लक्ष्यों के साथ संरेखित है.

## ज्ञानार्जन और विकास

बैंक निम्नलिखित के माध्यम से सतत ज्ञानार्जन और विकास पर जोर देता है:

- **प्रशिक्षण कार्यक्रम:** अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए उनके कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, मानव पूंजी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना.
- **डिजिटल साधन:** संगठन के अंतर्गत पहुंच और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण और विकास के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना ? ?.

## विविधता, समानता और समावेशन (डीईआई)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विविधतापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. इन पहलों में शामिल हैं:

- **लिंग-विशिष्ट समितियां:** 'एम्पावर हर' और 'पावर हिम' समितियां लिंग-विशिष्ट कैरियर संबंधी मुद्दों पर ध्यान देती हैं और समान अवसरों को बढ़ावा देती हैं.
- **एस्केलेशन प्रणाली:** एचआर आपके द्वार, व्हिसलब्लोअर पॉलिसी इस प्रकार की अन्य नीतियां कर्मचारियों को शिकायतों की रिपोर्ट करने और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं.

इन तंत्रों के माध्यम से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मानव पूंजी पहलों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करता है, कार्यनीतिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है और एक उत्पादक, समावेशी और संवहनीय कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है.

"

**अभिशासन संरचना:** हमारा मजबूत अभिशासन ढांचा सभी मानव पूंजी पहलों के कार्यनीतिक संरेखण और प्रभावी अन्वेक्षण को सुनिश्चित करता है. यह जानने के लिए आगे पढ़ें कि हमारा अभिशासन संरचना  हमारे कार्यनीतिक लक्ष्यों का समर्थन कैसे करता है.

### कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम

**1,829**

*कर्मचारियों के कौशल तथा ज्ञान को बढ़ाने के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या.*

### कुल प्रशिक्षण घंटे

**1.84** मिलियन

*कर्मचारियों के निरंतर ज्ञानार्जन और विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण  हेतु प्रदान किए गए घंटे.*

**जीआरआई**

102-19

**ईएसजी संचालन समिति की बैठकें**

**4**

*ईएसजी संचालन समिति द्वारा आयोजित त्रैमासिक बैठकों की संख्या.*

## प्रत्यायोजित प्राधिकारी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सर्वोच्च शासन निकाय से वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों से संबंधित प्रत्यायोजन सौंपने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण स्थापित किया है. यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि संगठन के सभी स्तरों पर कार्यनीतिक लक्ष्यों और जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और निष्पादित किया जाता है.

निदेशक मंडल इस प्रत्यायोजन प्रक्रिया के शीर्ष पर है. वे ईएसजी संचालन समिति (ईएसजीएससी) को अधिकार सौंपते हैं, जिसमें कार्यपालक निदेशक एवं कारोबार और नियंत्रण वर्टिकलों के प्रमुख शामिल होते हैं. ईएसजीएससी बैंक के परिवर्तन और ईएसजी सिद्धांतों के पालन पर चर्चा करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए तिमाही आधार पर बैठक करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मानव पूंजी पहल और अन्य कार्यनीतिक लक्ष्य बैंक के व्यापक उद्देश्यों के साथ एकीकृत किए गए हैं.

इसके अतिरिक्त, बैंक ने अन्य विशेष समितियाँ बनाई हैं, जैसे कि हितधारक संबंध समिति (एसआरसी), जो गैर-जोखिम वाले ईएसजी-संबंधित मामलों की देखभाल करती है, जिससे बैंक के कार्यनीतिक लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित होता है. ये समितियाँ विशिष्ट डोमेन के प्रबंधन और देखरेख में महत्वपूर्ण हैं, जिससे केंद्रित और प्रभावी अभिशासन की अनुमति मिलती है.

इस प्रत्यायोजन ढांचे के माध्यम से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करता है कि जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से परिभाषित और प्रबंधित हों, जिससे पूरे संगठन में जवाबदेही और कार्यनीतिक संरेखण को बढ़ावा मिले.

**जीआरआई**

404

## विविधता और समावेशन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2024 में समावेशी कार्यस्थल के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है, जिसमें कर्मचारी शिक्षा, इंटरैक्टिव श्रवण सत्र और परिष्कृत भर्ती प्रथाओं पर जोर दिया गया है. विविधतापूर्ण और समावेशी कार्य वातावरण बनाकर, यूनियन बैंक का लक्ष्य अपने कार्यबल की पूरी क्षमता का दोहन करना और संवहनीय विकास को आगे बढ़ाना है.

| श्रेणी | वित्तीय वर्ष 2023 | वित्तीय वर्ष 2024 |
|---|---|---|
| अनुसूचित जाति (अजा) | 19.67% | 19.54% |
| अनुसूचित जनजाति (अजजा) | 7.91% | 8.05% |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) | 30.10% | 30.55% |
| सामान्य | 42.32% | 41.86% |
| भूतपूर्व कर्मचारी | 6.23% | 6.34% |
| महिला | 28.82% | 29.14% |
| अल्पसंख्यक समुदाय | 7.14% | 7.25% |

**नेतृत्व विकास प्रतिभागी**

**480**

*नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कार्यपालकों की संख्या.*

**जीआरआई**

404, 405

## नेतृत्व विकास

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक मजबूत नेतृत्व श्रृंखला विकसित करने के लिए अपने नेतृत्व विकास पहलों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है जो विविधतापूर्ण और तकनीकी रूप से विकसित हो रहे वातावरण में सफलता को आगे बढ़ाती है. सभी स्तरों पर नेतृत्वकर्ताओं के पास उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख कार्यक्रम और उपाय लागू किए गए हैं.

"

**नेतृत्व विकास कार्यक्रम:** एक मजबूत नेतृत्व श्रृंखला का निर्माण करते हुए, एकम और विंग्स कार्यक्रम जैसी हमारी पहल प्रभावी पदानुक्रम का नियोजन और विविधता सुनिश्चित करती है. हमारे नेतृत्व विकास कार्यक्रमों और उनके प्रभावों को जानें.

### यूनियन प्रेरना परियोजना:

इस प्रमुख पहल का उद्देश्य बैंक के भीतर नेतृत्व प्रतिभा की पहचान करना और उसका पोषण करना है. परियोजना के प्रमुख घटक इस प्रकार से हैं:

- **वेतनमान 4 और 5 कर्मचारियों के लिए कौशल प्रोफाइलिंग:** इस पहल में वेतनमान 4 और 5 पर पदस्थ कर्मचारियों के कौशल और योग्यताओं का व्यापक मूल्यांकन शामिल है. कौशल अंतर और योग्यता की पहचान करके, बैंक इन कर्मचारियों की नेतृत्व क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्यक्रम तैयार कर सकता है.

- **प्रतिभा प्रबंधन और पदानुक्रम नियोजन साधन:** भावी लीडर की एक सुदृढ़ शृंखला सुनिश्चित करने के लिए, यूनियन बैंक ने एक प्रगतिशील प्रतिभा प्रबंधन और पदानुक्रम नियोजन साधन विकसित किया है. यह साधन उच्च-संभावित कर्मचारियों की पहचान करने, कैरियर पथों को मैप करने और लक्षित विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए तैयार करने में मदद करता है.

- **महिला नेतृत्व के लिए विंग्स कार्यक्रम:** नेतृत्व में लैंगिक विविधता के महत्व को पहचानते हुए, विंग्स कार्यक्रम विशेष रूप से बैंक के भीतर महिला लीडरों को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इस कार्यक्रम में महिलाओं को वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाने हेतु मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और नेटवर्किंग के अवसर शामिल हैं.

### लीडर्स की क्षमताओं बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना:

यूनियन प्रेरना परियोजना के अतिरिक्त, बैंक ने अपने लीडर्स की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न अन्य पहलों को कार्यान्वित किया है:

- **व्यापक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम:** ये कार्यक्रम कार्यनीतिक सोच, डिजिटल प्रवाह और परिवर्तन प्रबंधन सहित आवश्यक कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं. लीडर्स को इन कौशलों से लैस करके, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि वे आधुनिक वित्तीय परिदृश्य की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए तैयार हैं.

- **मेंटरशिप और कोचिंग:** एक संरचित मेंटरशिप और कोचिंग ढांचा अनुभवी नेताओं को उभरती प्रतिभाओं के साथ जोड़ता है. यह पहल ज्ञान अंतरण की सुविधा प्रदान करती है, कैरियर विकास का समर्थन करती है, और एक सशक्त नेतृत्वकर्ता शृंखला तैयार करने में मदद करती है.

- **विविधता में नेतृत्वकार्य:** विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल विविध टीमों के प्रबंधन में नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं. ये मॉड्यूल नेतृत्वकर्ताओं को विविध कार्यबल का नेतृत्व करने और समावेशी कार्य वातावरण बनाने की बारीकियों को समझने में मदद करते हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नेतृत्व विकास पहल इसके कार्यनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप है, जो यह सुनिश्चित करती है कि बैंक में नवाचार को आगे बढ़ाने, व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा समावेशिता और उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नेतृत्व प्रतिभा मौजूद है.

नेतृत्व विकास के लिए यह व्यापक दृष्टिकोण न केवल बैंक की कार्यनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि एक विविध और समावेशी नेतृत्व शृंखला को पोषित करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है जो भविष्य की चुनौतियों और अवसरों का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकता है.

**जीआरआई**

401, 404

## कर्मचारी अनुभव और भविष्य के कार्य

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लगातार कर्मचारियों के अनुभव को बेहतर बनाने और भविष्य के कार्य हेतु तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक की पहल विविध कर्मचारी आवश्यकताओं को समझने, लाभों में वृद्धि करने, कार्य पद्धतियों को विकसित करने और कार्यनीतिक प्राथमिकताओं के साथ प्रतिभा अधिग्रहण को संरेखित करने पर केंद्रित है. ये प्रयास व्यक्तिगत सहयोग के लाभों को बनाए रखते हुए, कर्मचारियों की अपने काम की गति पर अधिक नियंत्रण की आकांक्षा को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.

### विविध कर्मचारी समूहों से संबंधित सर्वेक्षण:

यूनियन बैंक नियमित रूप से सर्वेक्षण और फोकस समूह आयोजित करता है जिसमें विविध कर्मचारी समूह शामिल होते हैं ताकि जानकारी एकत्रित की जा सके और अपनी कार्यनीतियों को सूचित किया जा सके. ये सर्वेक्षण कर्मचारियों की अलग-अलग ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को समझने में मदद करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नीतियाँ और पहल उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखने वाले मुद्दों के अनुरूप हों.

### लाभ पेशकश में वृद्धि:

बैंक ने कर्मचारियों की प्रतिक्रिया के आधार पर अपने लाभ के पेशकशों में वृद्धि की है. प्रमुख संवर्द्धनों में अनुकूल कार्य व्यवस्था, व्यापक स्वास्थ्य कवरेज और कल्याण कार्यक्रम शामिल हैं. इन लाभों का उद्देश्य कार्य-जीवन संतुलन और समग्र नौकरी संतुष्टि में सुधार करना है, जिससे यूनियन बैंक एक आकर्षक और सहयोगी नियोजक बन सके.

### विकासशील कार्य पद्धति:

यूनियन बैंक तकनीकी उन्नति और कर्मचारियों की बदलती अपेक्षाओं से आगे रहने के लिए अपनी कार्य पद्धतियों को लगातार विकसित करता रहता है. कार्यक्षमता और सहभागिता बढ़ाने के लिए बैंक ने कुशल  कार्यप्रणालियों, रिमोट काम करने के विकल्पों और सहयोगी टूल्स को अपनाया है. एक अनुकूल कार्य वातावरण के माध्यम से, यूनियन बैंक यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखते हुए कुशलतापूर्वक काम कर सकें.

> **अनुकूल कार्य मॉडल:** हाइब्रिड कार्य मॉडल और अनुकूल समय-सारणी का समर्थन करते हुए, हम अपने कर्मचारियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करते हैं, उत्पादकता और संतुष्टि बढ़ाते हैं. जानें कि हमारे लचीले कार्य मॉडल हमारे कार्यबल को कैसे लाभ पहुँचाते हैं.

### कार्यनीतिक प्राथमिकताओं के साथ प्रतिभाशाली व्यक्तियों की नियुक्ति:

बैंक द्वारा प्रतिभाशाली व्यक्तियों की नियुक्ति की कार्यनीति इसकी कार्यनीतिक प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं के साथ संरेखित की गई हैं. नवाचार और विकास को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल और मानसिकता वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने पर जोर दिया जाता है. भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए उन्नत भर्ती प्रौद्योगिकियों और डेटा-संचालित परिज्ञान का उपयोग किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यूनियन बैंक अपनी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को आकर्षित करता है.

### कार्य गति सिद्धांत पर अधिक नियंत्रण के लिए कर्मचारियों की इच्छा को समायोजित करना:

अपने कर्मचारियों की अपेक्षाओं को पहचानते हुए, यूनियन बैंक काम कैसे, कहाँ और कब किया जाए, इस बारे में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक हाइब्रिड कार्य मॉडल, आघात-सह समयसारणी और कार्य-जीवन एकीकरण को सुविधाजनक बनाने वाली नीतियों का समर्थन करता है. ये प्रयास व्यक्तिगत सहयोग के लाभों को संरक्षित करते हुए कर्मचारी संतुष्टि और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.

**जीआरआई**

404

## डिजिटल सशक्तिकरण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कार्मिक प्रक्रियाओं में अत्याधुनिक तकनीक को एकीकृत करने के लिए अपने डिजिटल परिवर्तन प्रयासों को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया है. यह परिवर्तन परिचालन दक्षता को बढ़ाता है और कर्मचारियों को डिजिटल-प्रथम परिवेश में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करता है.

## कार्मिक प्रक्रियाओं में डिजिटल रूपांतरण का एकीकरण:

यूनियन बैंक ने मानव संसाधन प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में डिजिटल समाधानों को एकीकृत किया है, जिससे इन प्रक्रियाओं में दक्षता और सटीकता बढ़ी है. कार्यनिष्पादन प्रबंधन, कर्मचारी सहभागिता और वर्कफ़्लो स्वचालन के लिए डिजिटल टूल के माध्यम से बैंक द्वारा सभी कर्मचारियों के लिए एक सहज और कुशल अनुभव सुनिश्चित किया जाता है. यह डिजिटल एकीकरण डेटा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने, सूचित निर्णय लेने और मानव संसाधन संचालन को सुव्यवस्थित करने में सहायता करता है.

## ज्ञानार्जन एवं विकास पहल:

यूनियन बैंक व्यापक ज्ञानार्जन एवं विकास पहलों के माध्यम से डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल हैं:

- **यूनियन ज्ञानार्जन केंद्र:** कर्मचारियों को डिजिटल कौशल और ज्ञान प्रदान करने में इन केंद्रों का महत्वपूर्ण योगदान है. यूनियन ज्ञानार्जन केंद्र परिचालन एवं डिजिटल बैंकिंग के लिए वेबिनार और पॉडकास्ट के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है. इन सत्रों में डिजिटल बैंकिंग परिचालन, साइबर सुरक्षा और परिवर्तनशील प्रौद्योगिकियों जैसे आवश्यक विषयों को कवर किया जाता है.

- **बाहरी साझेदारी:** यूनियन बैंक ने कर्मचारियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ साझेदारी की है. इन साझेदारियों से उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रमाणपत्रों का एक्सेस प्राप्त होता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कर्मचारी नवीनतम डिजिटल ट्रेंड और प्रौद्योगिकियों के बारे में अच्छी तरह अवगत हैं.

- **कौशल विकास कार्यक्रम:** डिजिटल प्रवाह को बढ़ाने पर केंद्रित इन कार्यक्रमों में डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन तकनीक पर कार्यशालाएं शामिल हैं.  इन कार्यक्रमों में भाग लेकर कर्मचारियों को तकनीकी प्रगति के बारे में अवगत होने और अपने कौशल का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

डिजिटल सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया न केवल अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ा रहा है, बल्कि अपने कर्मचारियों को डिजिटल-प्रथम दुनिया में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से भी सुसज्जित कर रहा है. यह कार्यनीतिक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि बैंक निरंतर सीखने और सुधार की कार्यप्रणाली को बढ़ावा देते हुए तकनीकी नवाचार में सबसे आगे रहे.

## डिजिटल परिवर्तन का प्रभाव

डिजिटल सशक्तिकरण में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रयासों के परिणामस्वरूप कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं:

- **डिजिटल गोल्ड लोन:** व्योम ऐप और बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध डिजिटल गोल्ड लोन एप्लिकेशन, खुदरा, एमएसएमई और कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करता है. वित्तीय वर्ष 2024 में, 2,50,433 आवेदन प्राप्त एवं मंजूर किए गए, जिनकी राशि ₹ 5007 करोड़ थी.
- **ऑनलाइन ओटीएस:** पूरी तरह से स्वचालित ओटीएस आवेदन प्रसंस्करण प्रणाली पात्र उधारकर्ताओं को बैंक शाखा में गए बिना निपटान प्रक्रिया को पूरा करने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे सुविधा और दक्षता बढ़ जाती है.
- **वी-केवाईसी:** वीडियो केवाईसी समाधानों ने नए ग्राहकों के लिए खाता खोलने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, जिससे न्यूनतम टर्नअराउंड समय (टीएटी) सुनिश्चित किया जाता है और ऑनबोर्डिंग अनुभव को बढ़ाया जाता है.

> **डिजिटल परिवर्तन:** डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाते हुए, हम परिचालन दक्षता को बढ़ाते हैं और कर्मचारियों को डिजिटल-अग्रणी दुनिया में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए कौशल प्रदान करते हैं. हमारी डिजिटल परिवर्तन यात्रा और इसके लाभों के बारे में जानें.

**डिजिटल गोल्ड लोन आवेदन**

**2,50,433**

*संसाधित और अनुमोदित डिजिटल गोल्ड लोन आवेदनों की संख्या.*

ये पहल कर्मचारी एवं ग्राहक दोनों के अनुभवों में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि और डिजिटल रूप से सक्षम कार्यबल को बढ़ावा देने हेतु, जो वित्तीय क्षेत्र के उभरते मांगों के अनुसार स्वयं को परिवर्तित कर सकें, को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल तकनीकी का लाभ उठाने के प्रति यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता को विशेष रूप से दर्शाते हैं.

जीआरआई

404

कल्याण कार्यक्रम में भागीदारी

100%

*व्यापक कल्याण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत..*

"

**सतत ज्ञानार्जन और विकास:** निरंतर ज्ञानार्जन में निवेश करके, हम अपने कर्मचारियों को कुशल, जानकार और भविष्य हेतु तैयार रहने के लिए सशक्त बनाते हैं. जानें कि हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों को भविष्य के लिए कैसे तैयार करते हैं.

## ज्ञानार्जन एवं विकास

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने कर्मचारियों के निरंतर ज्ञानार्जन एवं विकास हेतु प्रतिबद्ध है. मजबूत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करके, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि उसका कार्यबल कुशल, जानकार और वित्तीय क्षेत्र की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए तैयार रहे. निरंतर सुधार और नवाचार की कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए ज्ञानार्जन एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करना बैंक की कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है.

### आंतरिक प्रशिक्षण

**प्रशिक्षण वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24**

| प्रशिक्षण कार्यक्रम | वित्तीय वर्ष 2021-22 | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2023-24 |
|---|---|---|---|
| कार्यक्रमों की संख्या | 2,245 | 1,582 | 1,829 |
| प्रशिक्षितों की संख्या | 1,19,439 | 88,477 | 72,723 |

### बाहरी प्रशिक्षण

प्रशिक्षण वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2022-23, और वित्तीय वर्ष 2023-24

| प्रशिक्षण कार्यक्रम | वित्तीय वर्ष 2021-22 | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2023-24 |
|---|---|---|---|
| कार्यक्रमों की संख्या | 179 | 185 | 175 |
| प्रशिक्षितों की संख्या | 985 | 977 | 1,782 |

### प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षण के घंटे

वित्तीय वर्ष 2024 में, यूनियन बैंक ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अपनी प्रशिक्षण पहलों का काफी विस्तार किया है. बैंक ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या और दायरे को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं, ताकि कर्मचारियों को अपने कौशल और दक्षताओं को बढ़ाने के लिए अधिक अवसर मिल सके. नीचे वित्तीय वर्ष 2023 और वित्तीय वर्ष 2024 में यूनियन बैंक द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षण घंटों पर प्रकाश डालने वाली एक तुलनात्मक तालिका दी गई है:

| मेट्रिक | वित्तीय वर्ष 2023 | वित्तीय वर्ष 2024 | वर्ष दर वर्ष परिवर्तन (%) |
|---|---|---|---|
| प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या | 1,582 | 1,829 | 13.50% |
| कुल प्रशिक्षण घंटे | 13,66,200 | 18,38,412 | 12.72% |

### प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार

यूनियन लर्निंग अकादमी (यूएलए) केंद्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6,700 से अधिक कर्मचारियों को कवर करते हुए 249 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए. इसके अतिरिक्त, 324 वर्चुअल कार्यक्रमों/वेबिनार में 56,000 से अधिक कर्मचारियों को कवर किया गया. प्रशिक्षण पहलों में यह उल्लेखनीय वृद्धि व्यापक शिक्षण और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कर्मचारियों की दक्षता और कौशल में सुधार करने के लिए यूनियन बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

### प्रशिक्षण घंटों में वृद्धि

कुल प्रशिक्षण घंटों में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो वित्तीय वर्ष 2023 में 13,66,200 घंटे से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में 18,38,412 घंटे हो गए. यह वृद्धि अपनी प्रशिक्षण पहलों के विस्तार को बढ़ाने के प्रति बैंक के समर्पण को रेखांकित करती है. यूनियन बैंक यह सुनिश्चित करता है कि अधिक प्रशिक्षण घंटे प्रदान करके कर्मचारियों को संपूर्ण और गहन निर्देश प्राप्त हों, जो उनके पेशेवर विकास और बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन के लिए आवश्यक है.

## प्रमुख ज्ञानार्जन & विकास पहल

- **यूनियन ज्ञानार्जन केंद्र :** संरचित और लक्षित ज्ञानार्जन कार्यक्रम प्रदान करने में ऐसे केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका हैं. वे डिजिटल कौशल, परिचालन ज्ञान और लीडरशिप क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं.

- **बाहरी साझेदारी:** प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ सहयोग कर्मचारियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रमाणपत्रों का एक्सेस प्रदान करता है. ऐसी साझेदारियां सुनिश्चित करती हैं कि प्रशिक्षण सामग्री अद्यतन है और उद्योग के ट्रेंड के लिए प्रासंगिक है.

- **डिजिटल ज्ञानार्जन प्लेटफॉर्म:** यूनियन बैंक प्रशिक्षण कंटेंट को कुशलतापूर्वक वितरित करने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ लेता है. ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वेबिनार और ई-लर्निंग मॉड्यूल से कर्मचारी अपनी गति और सुविधानुसार सीख पाते हैं, जिससे निरंतर सीखने की कार्यप्रणाली को बढ़ावा मिलता है.

## प्रशिक्षण के लिए फोकस क्षेत्र

वित्तीय वर्ष 2024 में यूनियन बैंक के प्रशिक्षण कार्यक्रम कई प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित थे:

- **डिजिटल कौशल:** कर्मचारियों को तेजी से डिजिटल हो रही दुनिया में आवश्यक कौशल में समर्थ बनाने के लिए डिजिटल बैंकिंग, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण दिया जाता है.
- **लीडरशिप विकास:** लीडरशिप गुणों को बढ़ाने और बैंक के भीतर भविष्य के लीडर को तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया कार्यक्रम.
- **ग्राहक सेवा उत्कृष्टता:** ग्राहक संपर्क और सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे ग्राहक संतुष्टि का उच्च स्तर सुनिश्चित किया जाता है.
- **नियामक अनुपालन :** कर्मचारियों को नवीनतम नियामक आवश्यकताओं के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान करने और अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पाठ्यक्रम डिज़ाइन किए गए हैं.

> **कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम:** कर्मचारी कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का समाधान करने वाले व्यापक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदर्शित होती है. जानिए कि हम अपने कर्मचारियों के कल्याण को किस तरह प्राथमिकता देते हैं.

## कर्मचारी कल्याण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है. यह मानते हुए कि स्वस्थ कार्यबल संवहनीय विकास और परिचालन दक्षता प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, बैंक द्वारा एक व्यापक कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम शुरू किया गया है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है.

**वार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना:** बैंक सभी कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना प्रदान करता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का शीघ्र पता लग सके और उनका उपचार हो सके. यह पहल सक्रिय स्वास्थ्य सेवा के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है.

**प्रसव-पूर्व जांच योजना:** यूनियन बैंक गर्भवतियों के लिए प्रसव-पूर्व जांच योजना प्रदान करता है. इस कार्यक्रम में गर्भावस्था के दौरान माँ और बच्चे दोनों अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच और परामर्श शामिल हैं.

**शिशु देखभाल सुविधा योजना :** कार्य-जीवन संतुलन के महत्व को समझते हुए, बैंक ने शिशु देखभाल सुविधा योजना शुरू की है. यह पहल कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण शिशु देखभाल सेवाओं का एक्सेस प्रदान करती है, जिससे वे पारिवारिक जिम्मेदारियों से समझौता किए बिना अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं.

**समूह दुर्घटना बीमा योजना:** दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंक समूह दुर्घटना बीमा योजना प्रदान करता है. यह कवरेज दुर्घटना में घायल होने या मृत्यु होने की स्थिति में कर्मचारियों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है.

**जीआरआई**

401, 403

**समूह बीमा योजना:** दुर्घटना बीमा के पूरक के रूप में, समूह बीमा योजना कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है. इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने, सर्जरी और अन्य चिकित्सा व्यय के लिए कवरेज शामिल है.

कर्मचारी के हित के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का व्यापक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को उनके स्वास्थ्य और कल्याण के सभी पहलुओं में सहायता मिल सके. अपने कर्मचारियों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए, बैंक एक सहायक और लचीली संगठनात्मक कार्यप्रणाली को बढ़ावा देता है

**जीआरआई**

405

**महिला कर्मचारी**

**29.10%**

*लैंगिक विविधता को बढ़ावा देते हुए, कार्यबल में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत.*

**जीआरआई**

401, 403,404

"

**विविधता और समावेशन:** समावेशी कार्यस्थल को बढ़ावा देते हुए, हम लक्षित भर्ती और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सभी के लिए समान अवसर और सहायता सुनिश्चित करते हैं. विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हमारे द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानें.

## समावेशन मेट्रिक्स

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक विविध और समावेशी कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. विविधता पर बैंक का ध्यान यह सुनिश्चित करता है कि उसका कार्यबल अपने समुदायों की समृद्ध विविधता को प्रतिबिंबित करे. नीचे वित्तीय वर्ष 2023 और वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कार्यबल विविधता के आँकड़े और तुलनात्मक वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन दिए गए हैं.

### कार्यबल विविधता के आँकड़े

| श्रेणी | वित्तीय वर्ष 2023 (%) | वित्तीय वर्ष 2024 (%) | वर्ष दर वर्ष परिवर्तन (बीपीएस) |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (एससी) | 19.67 | 19.51 | -16 |
| अनुसूचित जनजाति (एसटी) | 7.91 | 8.05 | 14 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) | 30.10 | 30.55 | 45 |
| सामान्य | 42.32 | 41.86 | -46 |
| भूतपूर्व सैनिक | 6.23 | 6.34 | 11 |
| महिलाएं | 28.82 | 29.14 | 28 |
| अल्पसंख्यक समुदाय | 7.14 | 7.25 | 11 |

## प्रतिभाशाली व्यक्तियों का प्रबंधन और प्रतिधारण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक समर्पित और उच्च कार्यनिष्पादन करने वाले कार्यबल को बढ़ावा देने में प्रभावी प्रतिभाशाली कर्मियों के प्रबंधन और प्रतिधारण कार्यनीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है. वित्तीय वर्ष 2024 में, बैंक ने ऑनबोर्डिंग, कार्यनिष्पादन प्रबंधन और प्रतिधारण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, विशेष रूप से अपने प्रतिभाशाली कर्मियों के प्रबंधन की कार्यप्रणालियों में डिजिटलीकरण और स्थिरता पर जोर दिया है.

### ऑनबोर्डिंग, कार्यनिष्पादन और प्रतिधारण पर फोकस

यूनियन बैंक ने ऑनबोर्डिंग अनुभव को बढ़ाने, कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करने और शीर्ष प्रतिभा को बनाए रखने के उद्देश्य से कई पहलों को कार्यान्वित किया है. ये प्रयास सुनिश्चित करते हैं कि नए कर्मचारियों को संगठन में आसानी से एकीकृत किया जाए, मौजूदा कर्मचारियों को उनके करियर विकास में सहायता दी जाए और सभी कर्मचारियों को लंबे समय तक बैंक के साथ बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.

- **ऑनबोर्डिंग कार्यक्रम:** बैंक के ऑनबोर्डिंग कार्यक्रम नए कर्मचारियों को बैंक की संस्कृति, मूल्यों और परिचालन प्रक्रियाओं की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. इन कार्यक्रमों में अभिविन्यास सत्र, मेंटरशिप पेयरिंग और प्रमुख बैंकिंग प्रणालियों और प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण शामिल हैं.
- **कार्यनिष्पादन प्रबंधन:** यूनियन बैंक ने नियमित फीडबैक लूप, सटीक कार्यनिष्पादन मेट्रिक्स और व्यक्तिगत कर्मचारी लक्ष्यों के अनुरूप विकास योजनाओं को शामिल करने के लिए अपने कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाया है. यह प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है कि कर्मचारी अपनी कार्यनिष्पादन अपेक्षाओं को जानें और उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान किए जाएं.
- **प्रतिधारण कार्यनीतियाँ:** अपनी शीर्ष प्रतिभा को बनाए रखने के लिए, यूनियन बैंक प्रतिस्पर्धी समपूर्ति पैकेज, कैरियर विकास के अवसर और सकारात्मक कार्य वातावरण प्रदान करता है. बैंक की प्रतिधारण कार्यनीतियों में कर्मचारी उपलब्धियों और योगदान की सराहना करने वाले मान्यता कार्यक्रम भी शामिल हैं.

### प्रतिभा प्रबंधन में डिजिटलीकरण और स्थिरता पर जोर

यूनियन बैंक ने अपनी प्रतिभा प्रबंधन प्रक्रियाओं में डिजिटल साधनों और संवहनीय कार्यप्रणालियों को शामिल करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है. इन प्रयासों का उद्देश्य अधिक कुशल, लचीला और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाना है.

- **प्रतिभा प्रबंधन के लिए डिजिटल साधन:** बैंक अपनी प्रतिभा प्रबंधन प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए उन्नत मानव संसाधन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है. इसमें भर्ती, कार्यनिष्पादन समीक्षा और कर्मचारी सहभागिता सर्वेक्षण के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करना शामिल है. उदाहरण के लिए, एकम मोबाइल ऐप कर्मचारियों को कार्यनिष्पादन समीक्षा, रिवार्ड पॉइंट और अपस्किलिंग के लिए प्रासंगिक प्रशिक्षण का 24/7 एक्सेस प्रदान करता है.

- **संवहनीयता पहल:** यूनियन बैंक पर्यावरण और सामाजिक कल्याण में योगदान देने वाली कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देकर अपने प्रतिभा प्रबंधन में संवहनीय कार्यप्रणालियों को एकीकृत करता है. इसमें लचीली कार्य व्यवस्था के माध्यम से कार्य-जीवन संतुलन का समर्थन करना और संवहनीयता-केंद्रित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल है.

## उत्तराधिकार नियोजन और नेतृत्व विकास

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने मानव पूंजी कार्यनीति के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में उत्तराधिकार नियोजन और नेतृत्व विकास पर जोर देता है. अगली पीढ़ी के नेतृत्वकर्ता को तैयार करने के महत्व को पहचानते हुए, बैंक ने एक सहज परिवर्तन और निरंतर नेतृत्व उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए नवोन्मेषी उपाय और कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं.

### नवोन्मेषी प्रतिभा प्रबंधन और उत्तराधिकार नियोजन टूल

यूनियन बैंक ने एक उन्नत प्रतिभा प्रबंधन और उत्तराधिकार नियोजन टूल विकसित और स्थापित किया है. यह डिजिटल साधन उच्च क्षमता वाले कर्मचारियों की पहचान करने और उन्हें भविष्य की नेतृत्वकर्ता भूमिकाओं के लिए तैयार करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का लाभ लेता है. टूल कर्मचारियों के कौशल, कार्यनिष्पादन और पदोन्नति के लिए तत्परता का आकलन करता है, यह सुनिश्चित करता है कि बैंक प्रभावी रूप से नेतृत्वकर्ता निरंतरता की योजना बना सकता है. यह कार्यनीतिक दृष्टिकोण नेतृत्वकर्ता अंतर से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायता करता है और यह सुनिश्चित करता है कि बैंक तेज़ी से बदलते कारोबारी परिवेश में सक्रिय और लचीला बना रहे.

### महिला लीडरशिप के लिए विंग्स कार्यक्रम

लैंगिक विविधता और समावेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, यूनियन बैंक ने विंग्स कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे विशेष रूप से महिला कर्मचारियों की लैंगिक-विशिष्ट करियर चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया गया है. यह कार्यक्रम बैंक के भीतर महिलाओं की लीडरशिप क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लक्षित समर्थन प्रदान करता है. विंग्स कार्यक्रम के प्रमुख घटकों में शामिल हैं:

- **मेंटरशिप और कोचिंग:** अनुभवी लीडर महिला कर्मचारियों को सलाह देते हैं, उन्हें करियर की चुनौतियों और अवसरों से निपटने में सहायता करने के लिए मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करते हैं.

- **लीडरशिप प्रशिक्षण:** विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रभावी लीडरशिप के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने जैसे कार्यनीतिक निर्णय लेना, बातचीत और संघर्ष तथा समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं,

- **नेटवर्किंग के अवसर:** कार्यक्रम नेटवर्किंग कार्यक्रमों और मंचों की सुविधा प्रदान करता है, जहां महिला नेता जुड़ सकती हैं, अनुभव साझा कर सकती हैं और पेशेवर संबंध बना सकती हैं.

**जीआरआई**

404, 405

विंग्स कार्यक्रम का उद्देश्य बैंक के भीतर उच्च भूमिकाएँ निभाने के लिए तैयार महिला नेताओं के लिए मजबूत शृंखला तैयार करना है, जिससे नेतृत्वकर्ताओं के पदों पर लैंगिक समानता और विविधता को बढ़ावा मिले.

### वित्तीय वर्ष 2024 के लिए नेतृत्वकर्ता विकास में मुख्य उपलब्धियां

- **लीडरशिप विकास कार्यक्रम:** 14 से अधिक लीडरशिप विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए और विभिन्न वेतनमान (IV से VIII) के 480 से अधिक अधिकारियों ने इसमें भाग लिया. ये कार्यक्रम कार्यनीतिक सोच, डिजिटल प्रवाह और परिवर्तन प्रबंधन कौशल को बढ़ाते हैं.

- **बाहरी प्रशिक्षण और अनुभव:** बैंक ने 1,793 कर्मचारियों को बाहरी प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए, जिसमें 327 अधिकारियों के लिए विदेशी प्रशिक्षण अनुभव शामिल है. ये कार्यक्रम सुनिश्चित करते हैं कि कर्मचारी लीडरशिप में वैश्विक दृष्टिकोण और सर्वोत्तम कार्यप्रणाली प्राप्त करें.

❖ **यूनियन लर्निंग अकादमी (यूएलए):** यूएलए ने 6,700 से अधिक कर्मचारियों को कवर करते हुए 249 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 56,000 से अधिक कर्मचारियों को कवर करते हुए 324 वर्चुअल कार्यक्रम / वेबिनार आयोजित किए. इन पहलों ने विभिन्न नए युग के कौशल में प्रतिभागियों के दक्षता स्तरों में उल्लेखनीय सुधार किया है.

## कर्मचारी आचार संहिता और व्हिसल ब्लोअर तंत्र

**जीआरआई**

102-16, 102, 102-17, 205, 205-2

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नैतिक आचरण और पारदर्शिता को प्राथमिकता देता है, जो एक सशक्त कर्मचारी आचार संहिता और व्हिसल ब्लोअर तंत्र द्वारा समर्थित है. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 के अनुसार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, आचरण विनियम बनाने के लिए उत्तरदायी है. ये विनियम सभी कर्मचारियों से यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके कार्य बैंक के मूल्यों और कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप हों , अपेक्षित पेशेवर व्यवहार और नैतिक आचरण के लिए मानक निर्धारित करते हैं.

बैंक ने एक व्यापक व्हिसल ब्लोअर नीति भी लागू की है, जिसे बोर्ड के कर्मचारियों और निदेशकों को किसी भी कदाचार के बारे में चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह नीति व्हिसलब्लोअर के लिए प्रतिशोध के खिलाफ गोपनीयता और सुरक्षा का आश्वासन देती है, एक सुरक्षित और पारदर्शी वातावरण को बढ़ावा देती है जहां बिना किसी डर के मुद्दों को उठाया जा सकता है.

**डिजिटल लर्निंग सत्र**

**324**

*डिजिटल कौशल बढ़ाने के लिए आयोजित आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रमों/वेबिनारों की संख्या.*

इन उपायों के अलावा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समर्पित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से नैतिकता के महत्व पर जोर देता है. इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना और कर्मचारियों को नैतिक दुविधाओं को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए जागरूक करना है. प्रशिक्षण सत्र समग्र नैतिक आचरण में सुधार लाने तथा यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित होते हैं ताकि सभी कर्मचारियों द्वारा ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए.

### पुरस्कार एवं मान्यता

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने विशिष्ट मानव पूंजी प्रबंधन, नवोन्मेषी कार्यप्रणालियों और समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं. ये पुरस्कार समावेशी, गतिशील और अग्रगामी सोच वाले कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए बैंक के समर्पण को रेखांकित करते हैं. नीचे कालानुक्रमिक क्रम में प्रस्तुत पुरस्कारों और प्राप्त मान्यताओं का विस्तृत विवरण दिया गया है:

| पुरस्कार | वर्ष | विवरण |
|---|---|---|
| **रिटेल बैंकर इंटरनेशनल एशिया ट्रेलब्लेज़र अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ एटीएम और स्वयं-सेवा नवाचार पुरस्कार** | 2024 | एटीएम और स्वयं-सेवा प्रौद्योगिकियों में बैंक की उन्नति को मान्यता देता है |
| **ईलेट्स बीएफ़एसआई सीआईएक्सओ अवार्ड्स में अग्रणी प्रौद्योगिकी बैंक** | 2024 | बैंकिंग उत्कृष्टता के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में बैंक की अगुवाई को मान्यता देता है |
| **आईबीईएक्स इंडिया बीएफएसआई टेक अवार्ड में उभरते तकनीक का उपयोग करके बैंकिंग नवाचार में उत्कृष्टता** | 2024 | बैंकिंग में उभरती प्रौद्योगिकियों के बैंक में अभिनव उपयोग को मान्यता दी गई. |
| **एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक** | 2024 | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बैंक के उत्कृष्ट समर्थन और सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया. |

| पुरस्कार | वर्ष | विवरण |
|---|---|---|
| **सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई अनुकूल बैंक एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार (उपविजेता)** | 2024 | एमएसएमई के लिए एक सहायक और मैत्रीपूर्ण संस्थान होने के बैंक के प्रयासों को मान्यता दी गई. |
| **स्टार परफॉर्मर - एनपीएस में रैंक 1 पुरस्कार, पीएफआरडीए द्वारा गेम चेंजर अभियान** | 2024 | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लागू करने में बैंक के नेतृत्व और उत्कृष्टता को मान्यता दी गई |
| **आईएसी कॉर्पोरेट अवार्ड्स में भविष्य के लिए तैयार समावेशी संगठन बनाने में अग्रणी कार्य** | 2023 | भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार एक समावेशी संगठन के निर्माण में बैंक के दूरदर्शी दृष्टिकोण को मान्यता दी गई. |
| **मिशन एक्सेसिबिलिटी वार्षिक कार्यक्रम में चैंपियनिंग एक्सेसिबिलिटी अवार्ड** | 2023 | सभी ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए पहुंच और समावेशिता को बढ़ावा देने में बैंक के प्रयासों को मान्यता दी गई. |
| **ग्लोबल रिटेल बैंकिंग इनोवेशन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ स्वयं-सेवा बैंकिंग** | 2023 | यूनियन वॉयस असिस्टेंट (यूवीए) जैसे बैंक के अभिनव स्व-सेवा बैंकिंग समाधानों को मान्यता दी गई. |
| **वॉयस बैंकिंग कार्यान्वयन - ग्लोबल बैंकिंग और वित्त पुरस्कारों में नवाचार में उत्कृष्टता** | 2023 | अभिनव वॉयस बैंकिंग समाधानों के सफल कार्यान्वयन के लिए सम्मानित किया गया. |
| **गवर्नेंस नाउ में उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग, 6वां बीएफएसआई पुरस्कार** | 2023 | बैंकिंग परिचालन और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के बैंक के कार्यनीतिक उपयोग के लिए सम्मानित किया गया |
| **भारतीय अकादमिक सम्मेलन कॉर्पोरेट पुरस्कार** | 2023 | शिक्षा-उद्योग सहयोग में यूनियन बैंक के योगदान और कॉर्पोरेट पहलों के माध्यम से शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के इसके प्रयासों को मान्यता दी गई. |
| **गोल्डन पीकॉक नैशनल ट्रेनिंग अवॉर्ड 2024** | मार्च, 2024 | उन संगठनों के लिए जिन्होनें अपने एचआर और मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाओं में समग्र उत्कृष्टता प्राप्त की है |
| **एपेक्स इंडिया एचआर एक्सीलेंस अवार्ड** | सितंबर, 2023 | एचआर की बेहतर प्रथाओं और कारोबारी उत्कृष्टता के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए |
| **एक्सीलेंस इन लर्निंग एक्सपीरियंस** | जुलाई, 2023 | इस पुरस्कार ने सीखने को शामिल करने, ज्ञान का सृजन करने और साझा करने, सीखने और काम को एकीकृत करने और संगठनात्मक सीखने में तेजी लाने और कारोबारी प्रभाव सृजन करने के सबसे नवीन और जमीनी तरीकों के प्रयासों को मान्यता दी. |
| **यूनियन प्रेरणा परियोजना के लिए बीएफएसआई में गोल्ड** | मई, 2023 | एचआर डिजिटल परिवर्तनकारी परियोजना "यूनियन प्रेणा" के लिए. |
| **फ्यूचर रेडी संस्था 2023 अवार्ड** | मई, 2023 | वार्ड ने उन सर्वश्रेष्ठ कंपनियों को मान्यता दी है जिन्होनें भविष्य के लिए तैयार होने में सराहनीय कार्य किया है. |
| **डिसेबिलीटी पॉजिटिव अवार्ड** | अप्रैल, 2023 | विकलांगता सकारात्मक पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों के असाधारण प्रयासों को सम्मानित और प्रदर्शित करते हैं जो समावेशी समाज को बढ़ावा देते हैं. |

"

**मान्यता और पुरस्कार:** हमारी नवोन्मेषी मानव संसाधन प्रथाओं और प्रौद्योगिकी में अगुवाई के लिए पुरस्कारों की प्राप्ति, हम मानव पूंजी प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन पुरस्कारों के बारे में जानें में जो नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं.

**प्राप्त पुरस्कार**

# 20+

*नवोन्मेषी मानव संसाधन प्रथाओं और प्रौद्योगिकी में अगुवाई के लिए मान्यता के रूप में प्राप्त पुरस्कारों की संख्या.*

## मानव पूंजी:

BFSI CXO AWARDS
Congratulations!
Union Bank of India
CXO

IBEX INDIA 2024 BFSI TECH AWARDS

RETAIL BANKING INNOVATION
Best Self-Service Banking
Union Bank of India
and
Infosys Finacle
WINNER

MISSION ACCESSIBILITY
Union Bank

WINNER
BEST GOVERNMENT/PSU AT INITIATIVE

Awarded to
Union Bank of India
for
Personalized Interactive

UNION BANK OF INDIA
PLATINUM

HEROES
Hero for Good
Union Bank of India
HEROES
Hero for Good
Union Bank of India

Leader in Banking Innovation
FinTech Festival India 2024
FinTech Festival India

FUTURE
READY
ORGANISATIONS
2023-2024

पब्लिक रिलेशन्स काउन्सिल ऑफ इंडिया
PUBLIC RELATIONS COUNCIL OF INDIA
IN ASSOCIATION WITH
PUBLIC RELATIONS SOCIETY DELHI
Welcomes you to the
17th GLOBAL COMMUNICATION CONCLAVE
ON

# जीआरआई सूचकांक

| मद | जीआरआई मानक संख्या | प्रकटीकरण | भौतिक मुद्दे – कार्यनीतिक स्तंभ – कारोबारी मॉडल घटक | यूएनएसडीजी संदर्भ | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जीआरआई 102-1 | संगठन का नाम | 36 - 12 - 3 | - | 10 |
| 2 | जीआरआई 102-2 | गतिविधियाँ, ब्रांड, उत्पाद और सेवाएँ | 23 - 15 - 2 | - | 68 |
| 3 | जीआरआई 102-3 | मुख्यालय का स्थान | 32 - 12 - 3 | - | 10 |
| 4 | जीआरआई 102-4 | परिचालन का स्थान | 39 - 12 - 2 | - | 68 |
| 5 | जीआरआई 102-5 | स्वामित्व और कानूनी स्वरूप | 36 - 12 - 3 | - | 10, 30 |
| 6 | जीआरआई 102-6 | सेवित बाज़ार | 25 - 8 - 6 | - | 68 |
| 7 | जीआरआई 102-7 | संगठन का विस्तार | 24 - 15 - 6 | - | 68 |
| 8 | जीआरआई 102-8 | कर्मचारियों और अन्य श्रमिकों के बारे में जानकारी | 23 - 8 - 7 | 8.5, 8.8 | 160 |
| 9 | जीआरआई 102-9 | आपूर्ति श्रृंखला | 26 - 12 - 8 | 12.6 | 68 |
| 10 | जीआरआई 102-10 | संगठन और इसकी आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण परिवर्तन | 24 - 15 - 6 | - | 68 |
| 11 | जीआरआई 102-11 | एहतियाती सिद्धांत या दृष्टिकोण | 33 - 12 - 6 | 16.5 | 56 |
| 12 | जीआरआई 102-12 | बाहरी पहल | 17 - 11 - 7 | 17.16 | 126, 148 |
| 13 | जीआरआई 102-13 | संघों की सदस्यता | 36 - 12 - 3 | - | 68 |
| 14 | जीआरआई 102-14 | वरिष्ठ निर्णयकर्ता का वक्तव्य | 36 - 12 - 7 | - | 24, 26 |
| 15 | जीआरआई 102-15 | प्रमुख प्रभाव, जोखिम और अवसर | 33 - 12 - 6 | 13.1 | 32, 40 |
| 16 | जीआरआई 103-1 | सामग्री विषय और उसकी सीमा का स्पष्टीकरण | 33 - 12 - 6 | - | 44 |
| 17 | जीआरआई 201-1 | उत्पन्न और वितरित प्रत्यक्ष आर्थिक मूल्य | 42 - 8 - 2 | 8.1, 8.2 | 88 |
| 18 | जीआरआई 202-1 | स्थानीय न्यूनतम वेतन की तुलना में लिंग के आधार पर मानक प्रवेश-स्तर वेतन का अनुपात | 23 - 8 - 7 | 5.1, 8.5 | 160 |
| 19 | जीआरआई 202-2 | स्थानीय समुदाय से नियुक्त वरिष्ठ प्रबंधन का अनुपात | 39 - 12 - 2 | 8.5 | 160 |
| 20 | जीआरआई 203-1 | बुनियादी ढांचे में निवेश और समर्थित सेवाएं | 24 - 15 - 6 | 9.1, 9.3 | 68, 100 |
| 21 | जीआरआई 203-2 | महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव | 39 - 12 - 2 | 8.1, 8.2 | 32 |
| 22 | जीआरआई 205-1 | भ्रष्टाचार से संबंधित जोखिमों के लिए परिचालन का मूल्यांकन | 36 - 12 - 7 | 16.5 | सीजीआर देखे |
| 23 | जीआरआई 205-2 | भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में संप्रेषण और प्रशिक्षण | 36 - 12 - 7 | 16.5 | 160 |
| 24 | जीआरआई 205-3 | भ्रष्टाचार की पुष्टि की गई घटनाएं और की गई कार्रवाई | 36 - 12 - 7 | 16.5 | सीजीआर देखे |
| 25 | जीआरआई 206-1 | प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार , अविश्वास-विरोधी और एकाधिकार प्रथाओं के लिए कानूनी कार्रवाई | 37 - 8 - 7 | 16.3 | सीजीआर देखे |
| 26 | जीआरआई 302-1 | संगठन के भीतर ऊर्जा खपत | 27 - 12 - 8 | 7.3, 12.2 | 135 |
| 27 | जीआरआई 302-3 | ऊर्जा तीव्रता | 27 - 12 - 8 | 7.3, 12.2 | 135 |
| 28 | जीआरआई 302-4 | ऊर्जा खपत में कमी | 27 - 12 - 8 | 7.3, 12.2 | 135 |
| 29 | जीआरआई 303-1 | साझा संसाधन के रूप में जल के साथ अंतर्क्रिया | 29 - 12 - 8 | 6.4, 12.2 | 135 |
| 30 | जीआरआई 304-1 | संरक्षित क्षेत्रों के स्वामित्व वाली, पट्टे पर ली गई, प्रबंधित या संरक्षित क्षेत्रों के समीपवर्ती परिचालन स्थल तथा संरक्षित क्षेत्रों के बाहर उच्च जैवविविधता मूल्य वाले क्षेत्र | 30 - 12 - 8 | 15.1, 15.5 | 135 |
| 31 | जीआरआई 305-1 | प्रत्यक्ष (स्कोप 1) जीएचजी उत्सर्जन | 31 - 12 - 8 | 13.1, 13.2 | 135 |
| 32 | जीआरआई 305-2 | ऊर्जा अप्रत्यक्ष (स्कोप 2) जीएचजी उत्सर्जन | 31 - 12 - 8 | 13.1, 13.2 | 135 |
| 33 | जीआरआई 305-3 | अन्य अप्रत्यक्ष (स्कोप 3) जीएचजी उत्सर्जन | 31 - 12 - 8 | 13.1, 13.2 | 135 |
| 34 | जीआरआई 305-4 | जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता | 31 - 12 - 8 | 13.1, 13.2 | 135 |
| 35 | जीआरआई 305-5 | जीएचजी उत्सर्जन में कमी | 31 - 12 - 8 | 13.1, 13.2 | 135 |
| 36 | जीआरआई 306-1 | अपशिष्ट उत्पादन और अपशिष्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रभाव | 36 - 12 - 8 | 12.4, 12.5 | 135 |
| 37 | जीआरआई 307-1 | पर्यावरण कानूनों और विनियमों का गैर-अनुपालन | 37 - 8 - 8 | 16.3 | 135 |
| 38 | जीआरआई 401-1 | नये कर्मचारियों की नियुक्ति और कर्मचारी टर्नओवर | 23 - 8 - 7 | 8.5, 8.6 | 160 |
| 39 | जीआरआई 402-1 | परिचालन परिवर्तनों के संबंध में न्यूनतम सूचना अवधि | 23 - 8 - 7 | - | 160 |
| 40 | जीआरआई 403-1 | व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली | 25 - 8 - 7 | 8.8 | 160 |
| 41 | जीआरआई 403-2 | खतरे की पहचान, जोखिम मूल्यांकन और घटना की जांच | 25 - 8 - 7 | 8.8 | 135 |

| मद | जीआरआई मानक संख्या | प्रकटीकरण | भौतिक मुद्दे – कार्यनीतिक स्तंभ – कारोबारी मॉडल घटक | यूएनएसडीजी संदर्भ | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | जीआरआई 403-3 | व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएँ | 25 - 8 - 7 | 8.8 | 160 |
| 43 | जीआरआई 403-4 | व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर श्रमिक भागीदारी, परामर्श और संप्रेषण | 25 - 8 - 7 | 8.8 | 160 |
| 44 | जीआरआई 404-1 | प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष प्रशिक्षण के औसत घंटे | 23 - 8 - 7 | 8.5 | 160 |
| 45 | जीआरआई 404-2 | कर्मचारी कौशल उन्नयन कार्यक्रम और परिवर्तन सहायता कार्यक्रम | 23 - 8 - 7 | 8.5 | 160 |
| 46 | जीआरआई 405-1 | शासन निकायों और कर्मचारियों की विविधता | 23 - 8 - 7 | 5.1, 5.5 | 160 |
| 47 | जीआरआई 405-2 | महिलाओं और पुरुषों के मूल वेतन और पारिश्रमिक का अनुपात | 23 - 8 - 7 | 5.1, 5.5 | 160 |
| 48 | जीआरआई 406-1 | भेदभाव की घटनाएँ और सुधारात्मक कार्रवाई | 23 - 8 - 7 | - | 160 |
| 49 | जीआरआई 412-1 | ऐसे परिचालन जो मानवाधिकार समीक्षा या प्रभाव आकलन के अधीन रहे हों | 23 - 11 - 7 | 16.1, 16.2 | 160 |
| 50 | जीआरआई 418-1 | ग्राहक की गोपनीयता के उल्लंघन और ग्राहक डेटा की हानि से संबंधित पुष्ट शिकायतें | 17 - 11 - 7 | 16.3, 16.10 | 100, 148 |
| 51 | जीआरआई 419-1 | सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कानूनों और विनियमों का अनुपालन न करना | 32 - 12 - 3 | 16.3, 16.6 | 148 |
| 52 | जीआरआई एफएस-1 | कारोबारिक क्षेत्रों पर लागू विशिष्ट पर्यावरणीय और सामाजिक घटकों वाली नीतियाँ | 33 - 12 - 6 | - | 135, 148 |
| 53 | जीआरआई एफएस-2 | कारोबारिक क्षेत्रों में पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों का आकलन और जांच करने की प्रक्रिया | 33 - 12 - 6 | - | 68, 148 |
| 54 | जीआरआई एफएस-3 | अनुबंधों या लेनदेन में शामिल पर्यावरणीय और सामाजिक आवश्यकताओं के साथ ग्राहकों के कार्यान्वयन और अनुपालन की निगरानी के लिए प्रक्रियाएं | 33 - 12 - 6 | - | 126, 135 |
| 55 | जीआरआई एफएस-4 | कारोबारिक गतिविधियों पर लागू पर्यावरणीय और सामाजिक नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए कर्मचारियों की योग्यता में सुधार करने की प्रक्रिया(एँ) | 23 - 8 - 7 | 8.5 | 160 |
| 56 | जीआरआई एफएस-5 | पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और अवसरों के संबंध में ग्राहकों/निवेशकों/व्यावसायिक साझेदारों के साथ बातचीत | 17 - 11 - 6 | - | 148 |
| 57 | जीआरआई एफएस-6 | विशिष्ट क्षेत्र, आकार और सेक्टर के अनुसार कारोबारिक गतिविधियों के लिए पोर्टफोलियो का प्रतिशत | 25 - 8 - 6 | 10.2, 10.3 | 68 |
| 58 | जीआरआई एफएस-7 | प्रत्येक कारोबारिक गतिविधियों के लिए विशिष्ट सामाजिक लाभ प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए उत्पादों और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, उद्देश्य के अनुसार विभाजित | 17 - 11 - 7 | 1.4, 10.2 | 68 |
| 59 | जीआरआई एफएस-8 | प्रत्येक कारोबारिक गतिविधियों के लिए विशिष्ट पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए उत्पादों और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, उद्देश्य के अनुसार विभाजित | 31 - 12 - 8 | 13.2, 13.3 | 68, 126 |
| 60 | जीआरआई एफएस-10 | संस्था के पोर्टफोलियो में शामिल कंपनियों का प्रतिशत और संख्या जिनके साथ रिपोर्टिंग संगठन ने पर्यावरण या सामाजिक मुद्दों पर बातचीत की है | 33 - 12 - 6 | 12.6, 12.8 | 88 |
| 61 | जीआरआई एफएस-11 | सकारात्मक और नकारात्मक पर्यावरणीय या सामाजिक जांच के अधीन परिसंपत्तियों का प्रतिशत | 33 - 12 - 6 | 12.6 | 68, 88, 126 |
| 62 | जीआरआई एफएस-13 | निम्न जनसंख्या वाले या आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में पहुँच बिंदु के प्रकार के अनुसार | 25 - 8 - 6 | 8.10, 10.2 | 68 |
| 63 | जीआरआई एफएस-14 | वंचित लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार हेतु पहल | 17 - 11 - 7 | 1.4, 10.2 | 68 |
| 64 | जीआरआई एफएस-15 | वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के निष्पक्ष डिजाइन और बिक्री के लिए नीतियां | 17 - 11 - 7 | 10.2, 10.3 | 68, 88 |
| 65 | जीआरआई एफएस-16 | लाभार्थी के प्रकार के अनुसार वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की पहल | 23 - 8 - 7 | 4.4, 4.7 | 68, 148 |

**अस्वीकरण:**

*छायाचित्र पर कॉपीराइट अस्वीकरण - इस रिपोर्ट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) टूल द्वारा उत्पन्न छायाचित्र शामिल हैं, जिनमें एजेंसी के डिजिटल रेंडरिंग और एआई सब्सक्रिप्शन के माध्यम से निर्मित छायाचित्र और लोगों और परिसंपत्तियों के हमारे अपने आंतरिक फोटोशूट शामिल हैं. इस रिपोर्ट में स्टॉक फोटो विक्रेताओं से प्राप्त छायाचित्र जिनमें लोग हैं उनका उपयोग नहीं किया गया है. ये छायाचित्र केवल उदाहरण के लिए हैं और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) की संपत्ति हैं. इन छायाचित्रों के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं. छायाचित्रों को यूबीआई से स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी रूप में पुनः प्रस्तुत, कॉपी, वितरित या उपयोग नहीं किया जाना चाहिए. किसी भी अनधिकृत उपयोग से कॉपीराइट कानूनों के अतिलंघन के परिणामस्वरूप कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इन छायाचित्रों के उपयोग के बारे में पूछताछ के लिए कृपया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के विधि विभाग से संपर्क करें.*

# 22 वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियमन, 1998 की विनियमन 56 के अनुपालन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के शेयरधारकों की **22वीं (बाईसवीं) वार्षिक महासभा बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 2024 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी)** केंद्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक को अभिप्रेत स्थान) में **विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से** निम्नलिखित कार्यो के लिए आयोजित की जाएगीः

## सामान्य कारोबार :

### मद क्र. 1

दिनांक **31 मार्च, 2024** के लेखापरीक्षित **स्टैंडअलोन एवं समेकित** तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के **स्टैंडअलोन एवं समेकित** लाभ व हानि लेखा, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक के कार्य एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं अभिग्रहण हेतु.

### मद क्र. 2:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर ₹ 3.60/- का लाभांश घोषित करने हेतु .

## विशेष कारोबार:

### मद क्र. 3

**बासेल III के दिशानिर्देशों के अनुरूप नवीन इक्विटी शेयर जारी कर और/ या अतिरिक्त टियर-1 /टियर-2 पूंजी को जारी करने के माध्यम से बैंक के लिए पूंजी जुटाना**

**विचारोपरांत उचित पाये जाने पर आशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करना:**

"**संकल्प किया कि** बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (**"अधिनियम"**) की धारा 3 (2बी) के प्रावधानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (**"योजना"**) के खंड 20 तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 (**"विनियमन"**) एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, भारतीय रिजर्व बैंक (**"आरबीआई"**), भारत सरकार (**"जीओआई"**), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (**"सेबी"**) और/ या इस संबंध में आवश्यक होने पर किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अध्यधीन तथा उनके द्वारा अनुमोदन के लिये आवश्यक निर्धारित शर्तों, निबंधनों और संशोधनों तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार तथा सेबी (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2018 [**सेबी (आईसीडीआर)** विनियमन] यथा संशोधित, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 [**सेबी (एलओडीआर) विनियमन**] यथा संशोधित, सेबी (गैर-प्रवर्तनीय प्रतिभूति जारी करना एवं सूचीबद्ध करना) विनियमन, 2021, यथा संशोधित, विदेशी विनिमय प्रबंधन [भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति जारी या अंतरण] विनियमन, 2017, यथा संशोधित, आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य सभी लागू विधियों और समय-समय पर अन्य सभी सक्षम प्राधिकारियों के अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों एवं समरूप सूचीबद्धता समझौते के अधीन है. ऐसे स्टॉक एक्सेंज के साथ किए गए समरूप, करारों के अनुसरण में, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, में दर्ज सूचीयन करार के अध्यधीन बैंक के सदस्यों की सहमति है और एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद "बोर्ड" कहा जाएगा, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गयी/ की जाने वाली समिति भी शामिल है) को एतदद्वारा प्रदान की जाती है कि वह एक या एक से अधिक बार में निम्नलिखित शर्तो के अधीन **राशि जो कि ₹ 10,000 करोड़ (रुपए दस हजार करोड़ मात्र) से अधिक न हो** की पूंजी का भारत या भारत के बाहर सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन और/या निर्गम का ऐसा भाग और ऐसे संवर्ग के व्यक्तियों, जो उस समय लागू नियमों के तहत अनुमत हों, को आरक्षित प्रावधानों सहित) प्रस्ताव दस्तावेज/प्रास्पेक्टस अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से कर सकते हैं:

- ऐसे इक्विटी शेयर और/अथवा अधिमान शेयर (चाहे संचयी या नहीं; इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय हो या नहीं), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिसमें अधिमान शेयरों की श्रेणी, ऐसे प्रत्येक श्रेणी के अधिमान शेयर जारी करने की सीमा, बेमियादी अथवा प्रतिदेय, ऐसी प्रत्येक श्रेणी के अधिमान शेयरों को जारी किए जाने और/ या अनुमत प्रतिभूति जो इक्विटी में परिवर्तन के पात्र हैं और नकद में नहीं, के अधीन (चाहे बाजार दर, निर्गम दर या

न्यूनतम दर से छूट या प्रीमियम पर हो) राशि जो कि ₹ 6,000 करोड़ (रुपए छह हजार करोड़ मात्र) से अधिक न हो के इक्विटी शेयर जो ₹ 7633.60 करोड़ (रुपए सात हजार छ सौ तैंतीस करोड़ एवं साठ लाख मात्र), की विद्यमान पेड-अप इक्विटी शेयरपूंजी सहित बैंक के कुल रु. 10,000 करोड़ (रुपए दस हज़ार करोड़ मात्र) की प्राधिकृत पूंजी के अधीन होंगे, जो इस धारा की 3(2ए) अथवा संशोधन (यदि कोई हो) जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, के द्वारा बढ़ाई गई सीमा के अंदर हो तथा, इसमें जो भी अधिक है, इस प्रकार कि किसी भी स्थिति में भारत के केंद्र सरकार की अंशधारिता बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो.

- निजी स्थानन/सार्वजनिक निर्गम आधार में एक या अधिक बार में ऐसी संस्था के स्थायी ऋण लिखतों, गौण ऋण पत्रों को शामिल करते हुए लेकिन इन तक ही सीमित न रहते हुए राशि जो कि अतिरिक्त टियर-I बांड के रुप में ₹ 2,000 करोड़ (रुपए दो हजार करोड़ मात्र) से अधिक न हो एवं टियर II बांड के रुप में ₹ 2,000 करोड़ (रुपए दो हजार करोड़ मात्र) से अधिक न हो, के लिए अपरिवर्तनीय ऋण, बॉन्ड और/ या अन्य ऋण प्रतिभूतियों, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चिन्हित या वर्गीकृत टियर I या टियर II पूंजी (ग्रीन विदेशी मुद्रा नामित अतिरिक्त टियर I या टियर II बॉन्ड) के लिए वर्गीकृत किया जा सकता है.

- एक अथवा अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("एनआरआई"), निजी अथवा सार्वजनिक कंपनियों, विनिवेश संस्थाओं, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) समितियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी), विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफआईआई"), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफ़पीआई), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्युचुअल फंडों, वैकल्पिक निवेश निधि, उद्यम पूंजी निधियों, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्त संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या अन्य किसी संवर्ग के निवेशकों, जो विद्यमान विनियमों/ दिशानिर्देशों या उपर्युक्त दोनों के किसी संयोजन, जिसे बैंक द्वारा उचित समझा जाए, के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु पात्र हैं. को पूंजी का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन और/या निर्गम का ऐसा भाग और ऐसे संवर्ग के व्यक्तियों, जो उस समय लागू नियमों के तहत अनुमत हों, को आरक्षित प्रावधानों सहित) किया जाए".

"**पुनः संकल्प किया कि** इक्विटी/अधिमान शेयर प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, ऑफर या आबंटन अर्हता प्राप्त संस्थागत (क्यूआईपी); आगे सार्वजनिक प्रस्ताव, फॉलोऑन पब्लिक निर्गम, अधिकार निर्गम, एडीआर-जीडीआर, इक्विटी/अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर का निजी प्लेसमेंट, एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन योजनाएं या बैंक के एम्प्लॉयी शेयर पर्चेस स्कीम, या इनके समूहित रूप निर्गम के ऐसे अन्य माध्यम जैसे कि लागू विधि के अनुसार आबंटन सहित या बिना अधि-आबंटन या ग्रीन शू विकल्प सहित या रहित के जरिये प्रदान किया होगा तथा ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, एक या अधिक किस्तों में इक्विटी /अधिमान शेयर/प्रतिभूतियों का स्थापन या आबंटन, अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, सेबी आईसीडीआर विनियमन तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अन्य पात्र दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों पर इस प्रकार तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर, जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से उचित समझा जाए, के प्रावधानों के अनुसार किया जाए."

"**पुनः संकल्प किया कि** उपर्युक्त निर्गम(मों) के संबंध में ऐसी कीमत या कीमतों को तय करने का समस्त प्राधिकार बोर्ड के पास होगा जो सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों, में संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई कीमतों से कम न हों, तो लीड मैनेजरों और/ या हामीदारों और/ या अन्य परामर्शदाताओं और/या इस प्रकार के नियम व शर्तों के अनुसार जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकानुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों, अन्य विनियमनों और किसी अन्य और लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों, और/या चाहे प्रस्तावित निवेशक बैंक के विद्यमान शेयरधारक हैं या नहीं."

"**पुनः संकल्प किया कि** संबंधित शेयर बाज़ार के साथ किए गए लिस्टिंग के प्रावधानों, विनियमनों, अधिनियम के प्रावधानों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 के प्रावधानों, सेबी (आसीडीआर) विनियमनों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण व निर्गम) विनियमन, 2017 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), शेयर बाजार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी), वित्त मंत्रालय तथा अन्य सभी अपेक्षित प्राधिकारी वर्ग (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रुप में "सम्यक प्राधिकारी" कहा जाएगा) तथा उपर्युक्त में से किसी के भी द्वारा इस प्रकार का अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/ या मंजूरियां (जिन्हें इसके बाद अपेक्षित अनुमोदन कहा जाएगा) प्रदान करते समय निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अध्यधीन बोर्ड, स्थापन दस्तावेज और/ या ऐसे अन्य दस्तावेजों/ लेखों/ परिपत्रों/ ज्ञापनों के जरिये तथा समय-समय पर एक या अधिक अवसरों पर अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (जिन्हें आईसीडीआर विनियमन के अध्याय I में परिभाषित किया गया है), को अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन (क्यूआईपी), जैसा कि सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अध्याय VI में उल्लेख है, के अनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमनों के या उस समय प्रचलित कानूनों के अन्य प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों एवं निबंधनों के तहत ऐसे मूल्य एवं तरीके से इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों (वारंटों को छोड़कर), जो बाद में इक्विटी शेयरों के बदले परिवर्तनीय हैं, का बोर्ड अपने सम्यक विवेक से इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन

कर सकता है कि किसी भी समय भारत के केंद्र सरकार की धारिता बैंक की इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो."

"**पुनः संकल्प किया कि** सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अध्याय VI के अनुसार पात्र संस्थागत स्थापन के मामले में :

ए) प्रतिभूतियों का आबंटन केवल (आईसीडीआर) विनियमन के अध्याय I के अन्तर्गत परिभाषित पात्र संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा. ये प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 365 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा.

बी) सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के विनियमन 176 (1) के प्रावधान के अनुक्रम में बैंक, सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से अधिकतम 5 प्रतिशत से अनधिक छूट पर शेयर का प्रस्ताव देने हेतु अधिकृत है.

सी) प्रतिभूतियों का आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु संबद्ध तारीख, सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अनुसार होगी."

"**पुनः संकल्प किया कि** भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या इस संबंध में बोर्ड द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार निर्गम, आबंटन एवं लिस्टिंग के अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों के द्वारा संशोधित जैसा भी आवश्यक या लागू हो, को स्वीकार करने का बोर्ड को अधिकार होगा."

"**पुनः संकल्प किया कि** एनआरआई/एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नये इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम और आबंटन, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन द्वारा किन्तु अधिनियम एवं अन्य विनियामकों, यथालागू द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के अध्यधीन होगा."

"**पुनः संकल्प किया कि** जारी किये जाने वाले कथित इक्विटी शेयर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन, 1998 समय-समय पर यथा संशोधित (विनियमन) के अध्यधीन तथा बैंक के मौजूदा शेयरों के समरुप होंगे एवं लाभांश की घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरुप लाभांश, यदि कोई है, के लिये पात्र होंगे."

"**पुनः संकल्प किया कि** निर्गमित इक्विटी शेयरों को, स्टॉक एक्चेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा, जहां बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं."

"**पुनः संकल्प किया कि** इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम या आबंटन करने के लिये बोर्ड को निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक अवसर पर आबंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, सहित सार्वजनिक निर्गम की शर्तें निर्धारित करने तथा ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई, मामले और काम निपटाने तथा ऐसे कार्य, दस्तावेज एवं करार निष्पादित करने, जिसे वह अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे तथा इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन तथा निर्गम राशि के उपयोग करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने या उन्हें निपटाने के अनुदेश या निर्देश जारी करने तथा अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में ठीक एवं उचित माने जाने वाले निबंधनों व शर्तों, जो भी हों, में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, फेरबदल, विलोपन तथा परिवर्धन आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये, इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत किया जाए और एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है."

"**पुनः संकल्प किया कि** बोर्ड यथा आवश्यक इक्विटी/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव के लिये बुक रनर (रों), लीड मैनेजर (रों), बैंकर्स, अभिगोपक (कों), डिपाजिटरी (रियों), रजिस्ट्रार (रों), लेखापरीक्षक (कों) तथा अन्य ऐसी एजेन्सी, जो इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों के प्रस्ताव संबंधी कार्य में शामिल हों, को कमीशन, दलाली, शुल्क या ऐसे अन्य प्रभार के भुगतान हेतु ऐसी एजेंसियों के साथ इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को निष्पादित करने के लिये बोर्ड को अधिकृत किया जाय एवं एतदद्वारा ऐसा किया जाता है."

"**पुनः संकल्प किया कि** उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये लीड मैनेजरों, अभिगोपकों, परामर्शदाताओं और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से बोर्ड को निर्गम की शर्तें निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं किया जाता है, जिसमें निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, का निर्धारण, प्रत्येक अवसर पर आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि/ प्रतिभूतियों का कंवर्जन/ वारंट की प्रक्रिया/ प्रतिभूतियों का शोधन (रिडेम्शन), ब्याज दर, शोधन अवधि, प्रतिभूतियों के परिवर्तन या शोधन या निरस्तीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के निर्गम/ कंवर्जन पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, कंवर्जन की अवधि, रिकार्ड तिथि या बुक क्लोजर एवं अन्य संबंधित प्रासंगिक मामलों का निर्धारण, भारत और/या विदेश में एक या अधिक शेयर बाजारों में लिस्टिंग, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, आदि शर्तों का निर्धारण शामिल है."

"**पुनः संकल्प किया कि** ऐसे उपरोक्त प्रतिभूतियां, जो अभिदत्त नहीं हुए हैं, को बोर्ड अपने सम्यक विवेक, जिसे बोर्ड उचित समझे तथा विधि सम्मत तरीके से निस्तारित कर सकता है ."

"**पुनः संकल्प किया कि** उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये बोर्ड द्वारा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से उचित समझे तथा शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने, पुनः ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, सभी आवश्यक, वांछनीय एवं उचित दस्तावेज व ज्ञापनों को निष्पादित करने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से ठीक, उचित एवं वांछनीय समझे, को आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत माना जाए तथा एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है."

"**पुनः संकल्प किया कि** इस संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इसमें प्रदत्त सभी प्राधिकार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक/निदेशकों की समिति को पूंजी निधि एकत्रित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं एतदद्वारा किया जाता है."

## मद क्र. 4:

**बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री संजय रुद्र (डीआईएनः 09650826) की नियुक्ति**

**सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:**

"**संकल्प किया गया है कि** सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के पहले प्रावधान, यथासंशोधित, को बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के साथ पढ़ा जाए एवं भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/1(i)/2023-बीओ.I दिनांक 9 अक्तूबर, 2023 के जरिए बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री संजय रुद्र (डीआईएनः 09650826) की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात दिनांक 9 अक्तूबर, 2023 से उनकी सेवानिवृति की तिथि (अर्थात दिनांक 30 जून, 2026) या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है."

## मद क्र. 5:

**बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पंकज द्विवेदी की नियुक्ति**

**सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:**

"**संकल्प किया गया है कि** सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के पहले प्रावधान, यथासंशोधित, को बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के साथ पढ़ा जाए एवं भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/3/2023-बीओ.I दिनांक 27 मार्च, 2024 के जरिए बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पंकज द्विवेदी की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात दिनांक 27 मार्च, 2024 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है."

## मद क्र. 6:

**सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:**

(केंद्र सरकार के अतिरिक्त **बैंक के शेयरधारकों में से दो निदेशकों का चुनाव करना**, जिनके संबंध में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 9(3) (i) के अनुसार वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जिसे आगे "बी आर अधिनियम" कहा जाएगा), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे आगे "स्कीम" कहा जाएगा) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियमन, 1998 (जिसे आगे "विनियमन" कहा जाएगा) और पीएसबी के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के "उचित एवं उपयुक्त" मानदंड पर आरबीआई मास्टर निदेश अधिसूचना सं. डीबीआर. एपीपीटी. सं: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019 (जिसे आगे "आरबीआई मास्टर निदेश" और इसमें आगे संशोधन, यदि कोई हो) को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में विचार के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 25 मार्च, 2015 और दिनांक 20 जुलाई, 2016 को जारी किए गए दिशानिर्देशों के साथ पठित (जिसे आगे "जीओआई दिशानिर्देश" और इसमें आगे संशोधन, यदि कोई हो) के रूप में संदर्भित किया गया है और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में संशोधन(नों) के साथ या बिना संशोधन के पारित किया जाए:

"**संकल्प किया कि** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के साथ पठित प्रासंगिक योजना, विनियमन और उसके अंतर्गत बनाई गई अधिसूचनाएं, आरबीआई मास्टर निदेश और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से दो निदेशकों को बैंक के शेयरधारक निदेशकों के रूप में चुना जाता है और वे शेयरधारक निदेशकों के पद में रिक्ति होने की तारीख से पदभार ग्रहण करने के लिए चुने जाते हैं और पदभार ग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पूरी होने तक पद पर बने रहेंगे."

**निदेशक मंडल के आदेश से**
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

**(एस. के. दास)**
कंपनी सचिव

**स्थान :** मुंबई
**दिनांक:** 14.06.2024

## नोट्स

1. **व्याख्यात्मक विवरण**

   बैठक के कारोबार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य युक्त व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है .

2. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक का संचालन**

   ए. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र क्र.09/2023, दिनांक 25 सितंबर, 2023 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी परिपत्र") द्वारा जारी परिपत्र क्र. सेबी/एचओ/सीएफ़डी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/0164 दिनांक 06 अक्तूबर, 2023, सेबी/एचओ/सीएफ़डी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/0167 दिनांक 07 अक्तूबर, 2023 एवं सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 ("सूचीबद्धता विनियमन"), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संप्रेषण क्र. ए. फ.क्र.7/47/2020-बीओए दिनांक 10 जुलाई, 2020 और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की वार्षिक महासभा (एजीएम) बैठक का संचालन वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से किया जाए, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर सभी सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी. वार्षिक महासभा बैठक के लिए विचारणीय स्थान मुंबई में स्थित बैंक का केंद्रीय कार्यालय होगा. कारोबार मद क्र. 3 से 6 में वर्णित विशेष कारोबार अपरिहार्य होने के कारण 22वीं एजीएम में वीसी/ओएवीआईएम के माध्यम से संचालित किया जाएगा.

   बी. बैंक एमसीए परिपत्र में वर्णित सभी प्रावधानों का अनुपालन एवं पालन कर रहा है. बैंक ने वीसी/ओएवीएम कनेक्शन में तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं. बैंक ने बैठक की समग्रता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समुचित सुरक्षा अपनाई है.

   सी. केफिन टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक) ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक में सहभागिता एवं वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कारवाई जाएगी.

   डी. एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक महासभा बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाज़ार लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और साथ ही केफिनटेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी.

   ई. चूंकि वार्षिक महासभा बैठक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित की जाएगी, इस कारण रूट मैप इस सूचना में संलग्न नहीं होगी, जैसा कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालय मानक 2 के अंतर्गत अपेक्षित है.

   एफ़. सभी सदस्य वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित इस वार्षिक महासभा बैठक में नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं जो कि वार्षिक महासभा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 15 मिनट पहले अर्थात 10.45 [आईएसटी] पूर्वाह्न से खुली रहेगी और बैंक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित में वार्षिक महासभा बैठक में शामिल होने के लिए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 30 मिनट बाद विंडो बंद कर सकती है. वीसी/ओएवीएम में जुडने के लिए नोटिस पैरा क्र. 17(vii) में वर्णित विवरणों के साथ https://emeetings.kfintech.com में कृपया जुड़ें. बैठक के दौरान या उससे पहले तकनीकी से संबंधित किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800 309 4001 का उपयोग किया जा सकता है.

   जी. सदस्य नोट करें कि केफिनटेक द्वारा प्रदत्त वीसी/ओएवीएम सुविधा में द्विपक्षीय कॉन्फ्रेंसिंग एवं साथ ही प्रश्न पूछने के लिए पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर कम से कम 1,000 सदस्यों की सहभागिता की अनुमति होगी. बड़े शेयरधारकों (अर्थात ऐसे शेयरधारक जिनके पास 2% या इससे अधिक का शेयर होगा), प्रमोटर, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं शेयरधारक संबंध समिति, लेखा-परीक्षक, संवीक्षक आदि पहले-आओ-पहले-पाओ सिद्धान्त के कारण बिना किसी बाधा के वार्षिक महासभा बैठक में शामिल हो सकते हैं. संस्थागत निवेशक जो बैंक के सदस्य हैं, को वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 22वीं वार्षिक महासभा बैठक में शामिल होने और वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

   एच. वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित वार्षिक महासभा बैठक में शामिल सदस्यों की उपस्थिति की गिनती कोरम का अनुमान लगाने के उद्देश्य से की जाएगी.

   आई. वार्षिक महासभा बैठक से पहले स्पीकर शेयरधारक का पंजीकरण रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अधिकतम बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2024 को शाम 5 बजे तक किया जा सकता है. स्पीकर के रूप में पंजीकृत होने के इच्छुक शेयरधारकों से निवेदन

है कि वे ई-वोटिंग लॉगिन विवरणों का उपयोग करके https://emeetings.kfintech.com पर जाएं और इस अवधि के दौरान स्पीकर पंजीकरण पर क्लिक करें. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक महासभा बैठक के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र और समन्वय के समय बैठक के अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने तक अपनी बारी आने का इंतजार करें. बैंक स्पीकर सत्र को समाप्त या रोक सकती है; इसलिए, शेयरधारकों को सूचना पैरा सं. 14 में प्रदत्त, अग्रिम रूप से अपने पंजीकृत ई-मेल पता से अपना नाम, डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी नंबर/ फोलिओ नंबर तथा मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रासंगिक प्रश्न इत्यादि investorservices@unionbankofindia.bank भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्न पर कार्रवाई की जाएगी एवं बैंक द्वारा उचित रूप से प्रतिउत्तर दिया जाएगा. हालांकि, यह निवेदन किया जाता है कि बैठक के दौरान प्रश्न ठीक और संक्षेप रुप से किये जाएं ताकि हम उनका उत्तर दे पाएं.

जे. वे शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, वे वेबलिंकः https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx में अपनी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकृत करने के बाद वार्षिक महासभा बैठक में भाग ले सकते हैं.

के. भौतिक रूप से धारित शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे **कटऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2024** से पहले बैंक विवरण, ईमेल एड्रैस, पते में बदलाव आदि को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड को प्रस्तुत करें, ताकि इसे नोट किया जा सके. इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित शेयर धारक सदस्यों के संबंध में, उपर्युक्त तिथि की समाप्ति पर डिपाजिटरी द्वारा प्रदत्त ब्यौरे पर बैंक द्वारा विचार किया जाएगा. इसलिए, शेयर धारित सदस्य नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के लिए यथाशीघ्र अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करेंगे.

### 3. परोक्षी की नियुक्ति

एमसीए के परिपत्रों के क्रम में, चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है, अतः परोक्षी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होगी. तद्नुसार, वार्षिक महासभा बैठक के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन 1998 के विनियमन 70(vi) के अंतर्गत सदस्यों द्वारा परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. इस कारण, परोक्षी की नियुक्ति के संबंध में लिखत एवं उपस्थिति स्लिप को इसके साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है. तथापि, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग, वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा संचालित वार्षिक महासभा बैठक में सहभागिता तथा वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग के उद्देश्य से सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जा सकती है.

### 4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कंपनी या कोई निकाय, निगम, जो बैंक का शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया हो, को investorservices@unionbankofindia.com पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् **शनिवार, दिनांक 20 जुलाई, 2024** को कार्य-समाप्ति अर्थात **शाम 5.00 बजे** तक या उससे पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जाता है.

### 5. बुक क्लोज़र

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही, एजीएम के लिए तथा लाभांश के भुगतान, यदि शेयरधारकों द्वारा घोषित किया जाता है, के लिए **शनिवार, दिनांक 20 जुलाई, 2024 से शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 2024** (दोनों दिनों को मिलाकर) तक बंद रहेगी.

### 6. अदावाकृत /अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने पिछली अवधि के अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं कराया है/ लाभांश वारंट प्राप्त नहीं किया है, यदि कोई है, तो उनसे अनुरोध है कि वे अदत्त लाभांश के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) से उक्त पते पर अथवा निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क करें.

शेयरधारकों से यह ध्यानपूर्वक नोट करने का अनुरोध है कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार लाभांश घोषित होने की तिथि के 30 दिनों तक लाभांश अदावाकृत/ अदत्त रहने पर 30 दिन की निर्धारित अवधि समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर उन्हें "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित कर दिया जायेगा.

उक्त "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि, अंतरण की तिथि से सात वर्षो तक अदावाकृत/ अदत्त रहने पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है. जबकि, बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 (अन्तरिम) तक के अदत्त लाभांश को आईईपीएफ में पहले ही अंतरित किया जा चुका है, वित्त वर्ष 2013-14 (अंतिम) से अवैतनिक लाभांश के विवरण के लिए, शेयरधारक बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत अवैतनिक लाभांश

खोज सुविधा पर जा सकते है: https://eremit.unionbankofindia.co.in/UnclaimedDividend/GUIs/CustomerList.aspx अवैतनिक लाभांश का दावा करने की प्रक्रिया और अपेक्षित फॉर्म भी उपरोक्त लिंक पर उपलब्ध कराए गए हैं.

7. **पता/ बैंक विवरण/ बैंक खाता अधिदेश/ नामांकन का परिवर्तन**

सदस्यों से अनुरोध है कि उनके नाम, पोस्टल पता, ई-मेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिशेषों, नामांकनों, मुख्तारनामा, बैंक विवरणों जैसे बैंक का नाम तथा शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफ़एससी कोड, आदि में परिवर्तन, यदि कोई हो, को सूचित करें,

ए. इलेक्ट्रानिक फॉर्म में धारित शेयर के लिए : डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) हेतु

बी. भौतिक फॉर्म में धारित शेयर के लिए: बैंक/बैंक के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट (आरटीए) हेतु निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 में तथा सेबी परिपत्र क्र. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 03 नवंबर, 2021 में निर्दिष्ट अन्य फॉर्म. बैंक ने वांछित विवरणों को प्रदत्त करने के लिए कारोबार रिप्लाइ एनवेलप (बीआरई) सहित पत्रों को भेजा है.

सी. उक्त सेबी परिपत्र के प्रावधानों के अनुरूप, सदस्यों द्वारा धारित शेयरों के संबंध में नामांकन करने की सुविधा उपलब्ध है. जिन सदस्यों ने अपना नामांकन पंजीकृत नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि फॉर्म एसएच-13 जमा कर इसे पंजीकृत करें. यदि कोई सदस्य अपना नामांकन वापस लेना चाहता है या पूर्ववर्ती नामांकन को रद्द करना चाहता है तथा नवीन नामांकन रिकॉर्ड करना चाहता है, वह फॉर्म आईएसआर-3 या एसएच-14, जैसा भी मामला हो, में इसे जमा कर सकते हैं. सदस्यों से अनुरोध है कि यदि सदस्यों द्वारा धारित शेयर अमूर्तीकृत रूप में हैं तथा बैंक के आरटीए में शेयरों के भौतिक रूप में धारित किए जाने की स्थिति में, उक्त विवरणों को उनके डीपी में प्रस्तुत करें.

बैंक के आरटीए का पता :

**केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड.,**
यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबावली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रमगुड़ा
हैदराबाद 500 032
दूरभाष.: 040 67162222.

डी. उपरोक्त वर्णित फॉर्म बैंक के वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in/english/important-announcement-to-physical-shareholders.aspx में उपलब्ध हैं.

ई. इलेक्ट्रोनिक फॉर्म में शेयर धारित करने वाले शेयधारकों को बैंक को या बैंक के आरटीए के स्थान पर केवल उनके संबंधित डिपोजीटरी प्रतिभागी को पते में परिवर्तन करने का सुझाव भेजना चाहिए.

एफ़. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक या बैंक के आरटीए से किसी संप्रेषण में सदा उनके संबंधित फोलियो नंबर/नंबरों (भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले) तथा उनके संबंधित डीपी आईडी/क्लाईंट नंबर (इलेक्ट्रोनिक/डिमेट रूप में धारित करने वाले) का उल्लेख करें.

8. **निवेशक सेवा अनुरोध और शेयरों के हस्तांतरण जारी करने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकरण के मामले में अमूर्तीकृत रूप में प्रतिभूतियों को जारी करना**

सदस्य कृपया यह नोट करें कि सेबी ने अपने परिपत्र क्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से निम्न सेवा अनुरोध को प्रसंकृत करने के दौरान पुष्टिपत्र के जरिये केवल अमूर्तीकृत रूप में सूचीबद्ध ईकाइयों को प्रतिभूतियां जारी करने को अधिदेशित किया है.

- अनुलिपि प्रतिभूतियाँ प्रमाणपत्र जारी करना;
- अदावाकृत उचंत खाते से दावा;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र का नवीकरण/ विनिमय;
- पृष्ठांकन;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/ विभाजन;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र /फोलियो का समेकन;
- प्रेषण तथा प्रतिस्थापन.

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त सेवा अनुरोध के लिए फॉर्म आईएसआर 4 को विधिवत भर कर तथा हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें, जिसका प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in/english/issuance-securities.aspx में उपलब्ध है. यह नोट किया जाए कि कोई भी सेवा अनुरोध केवाईसी अनुपालित होने पर ही प्रसंस्कृत किया जा सकता है. शेयरधारकों से भी अनुरोध है कि शेयरों के अंतरण एवं डुप्लीकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकृत प्रक्रियाओं का पालन करें.

9. **स्थिति में परिवर्तन की रिकार्डिंग**

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के आरटीए- केफिन टेक्नोलॉजी लि. को तत्काल सूचित करें:

ए) स्थायी निवास हेतु भारत में वापसी पर निवासी स्थिति में परिवर्तन.

बी) भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण यथा पूरा नाम, शाखा, खाते का स्वरुप, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड सहित आदि, यदि पहले न दिया गया हो.

10. **वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां**

प्राधिकारियों द्वारा अनुमत के अनुरूप, वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 की प्रतियाँ भौतिक रूप में प्रेषित नहीं की जाएंगी तथा यह ई-मेल के माध्यम से केवल उन शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जिन्होंने बैंक या डिपोजिटरी प्रतिभागी के पास अपने ई-मेल आईडी को पंजीकृत किया है. वार्षिक रिपोर्ट बैंक के वेबसाइट तथा शेयर बाज़ार में भी अपलोड किया जाएगा. ईमेल आईडी को अद्यतन करने हेतु शेयरधारक भौतिक शेयर के मामले में रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट या डिमेट रूप शेयर के मामले में डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क कर सकते हैं.

11. **कट ऑफ तिथि**

**शेयरधारक निदेशक के चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों के निर्धारण के उद्देश्य से:**

वे शेयरधारक जिनके नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों के रजिस्टर/लाभार्थी के रूप में कारोबारी समय की समाप्ति अर्थात **शुक्रवार, दिनांक 28 जून, 2024** को दर्ज हैं, वे चुनाव में भाग लेने के पात्र होंगे अर्थात नोटिस के कारोबारी मद संख्या 6 में उल्लिखित केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से दो निदेशकों चुनाव में नामांकन और चुनाव लड़ने के पात्र होंगे.

**ई-वोटिंग के लिए:**

कंपनी ड्प्रबंधन एवं प्रशासन. नियम, 2014 के नियम 20, यथा संशोधित, के अनुसार कारोबार मद क्र. 1 से 6 के संबंध में शेयरधारकों के वोटिंग अधिकारों को **शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2024** को मान्यता दी जाएगी.

12. **लाभांश का भुगतान**

यदि लाभांश, निदेशक मण्डल द्वारा संस्तुत के अनुरूप, एजीएम में घोषित होता है, तो स्त्रोत पर कर की कटौती के अधीन ऐसे लाभांश का भुगतान सोमवार, दिनांक 5 अगस्त, 2024 से निम्न के अनुसार किया जाएगा:

- नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") संयुक्त रूप से डिपॉजिटरीज़ के पास **शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2024** के अंत तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अमूर्तीकृत रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभप्रद स्वामियों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा.

- उन सभी सदस्यों को जिनके पास बैंक के शेयर भौतिक रूप में उपलब्ध है और उन्होंने वैध प्रेषण या प्रतिस्थापन अनुरोध को **शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2023** को कारोबार अवधि की समाप्ति तक बैंक के साथ दर्ज किया है.

वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों के लिए लाभांश आय कर योग्य होगा तथा बैंक को प्रति शेयर धारक आधार पर ₹ 5000 से अधिक राशि के लाभांश पर पैन आधार पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश पर `स्त्रोत पर कर' की कटौती करने की आवश्यकता है. विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए, वित्त अधिनियमन, 2020 और उसके संशोधनों का संदर्भ लें. शेयरधारकों से निवेदन है कि वे वैध पैन को डीपी (यदि शेयर डीमैट रूप में धारित है) और बैंक / बैंक के आरटीए (यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है) के साथ अद्यतित करें.

13. **वोट देने का अधिकार**

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, इस समय केंद्र सरकार के अलावा, संपर्की नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, बैंक के सभी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक के उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में वोट देने का अधिकारी नहीं होगा.

उपर्युक्त के अधीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन, 1998 के विनियमन 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक, जो कट ऑफ तारीख अर्थात शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2024 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, प्रत्येक शेयर के लिये एक वोट देने का अधिकारी होगा/होगी.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 के विनियमन 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पंजीकृत है, तो रजिस्टर में जिसका नाम प्रथम स्थान पर अंकित होगा, वह वोट देने के लिए, उसका अकेला धारक माना जायगा. इस प्रकार यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का अधिकारी होगा और वही वोट देने का अधिकारी भी होगा.

14. **लेखों एवं इससे संबद्ध अन्य शंकाओं के संबंध में जानकारी**

जो शेयरधारक लेखों एवं इससे संबद्ध अन्य शंकाओं पर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं उनसे, अनुरोध है कि वे बैंक को investorservices@unionbankofindia.bank पर मेल करें, जो वार्षिक साधारण बैठक की तारीख के पूर्व बैंक को दिनांक 24 जुलाई, 2024 को शाम 5 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए ताकि प्रबंधन द्वारा यह सूचना तैयार रखी जा सके. जवाब केवल एजीएम के दौरान ही दिए जाएंगे. कृपया नोट करें कि केवल उन्हीं सदस्यों के प्रश्नों के जवाब किए जाएंगे जो कट-ऑफ तारीख यथा दिनांक 19 जुलाई, 2024 को शेयरधारक हैं.

साथ ही, जिन शेयरधारकों के पास कट-ऑफ तारीख को शेयर उपलब्ध हैं वे https://emeetings.kfintech.comवेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं और **"post your queries here"** पर क्लिक करके प्रश्न/शंकाओं को पोस्ट कर सकते हैं. रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान, विंडो सक्रिय हो जाएगा और दिनांक 24 जुलाई, 2024 को शाम 5 बजे बंद हो जाएगा.

15. **भौतिक धारिता का अमूर्तीकरण**

सेबी ने दिनांक 24 जनवरी, 2022 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से अनिवार्य किया है कि प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और हस्तांतरण के अनुरोधों को केवल अभौतिक रूप में संसाधित किया जाएगा. इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने और डीमैटरियालैजेशन के विभिन्न लाभों को उठाने के लिए, सदस्यों को सलाह दिया जाता है कि वे भौतिक रूप में उनके द्वारा रखे गए शेयरों को डीमैटरियालाइज करें. सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए बैंक या बैंक के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं.

16. **सूचना में प्रदर्शित कार्यवाही को इलेक्ट्रोनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से पूरा किया जाएगा और बैंक इलेक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रहा है:**

i. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित), के नियम 20, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ("आईसीएसआई") द्वारा साधारण बैठक पर जारी सचिवालय मानक (एसएस-2) तथा एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्रों के साथ लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक सहर्ष सूचित करना चाहता है कि वार्षिक महासभा में कार्यवाही की सुविधा प्रदान करने के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा और वार्षिक महासभा में शामिल सदस्य बैठक के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट देने की सुविधा प्रदान की गई है.

ii. वोटिंग की सुविधा वार्षिक महासभा में रहेगी और इस बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारक अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है .

iii. जिन शेयरधारकों ने वार्षिक महासभा से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी वार्षिक महासभा में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे दोबारा वोट नहीं कर सकेंगे .

iv. वार्षिक महासभा से पूर्व निर्धारित समयावधि के दौरान इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") का प्रयोग कर शेयरधारक द्वारा वोट डालने की सुविधा एवं वार्षिक महासभा के दौरान वोटिंग की सुविधा केफिनटेक द्वारा प्रदान की जायेगी.

v. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, **दिनांक 23 जुलाई, 2024 (प्रातः 9.00 बजे आईएसटी)** से प्रारम्भ होकर **गुरुवार, दिनांक 25 जून, 2024 (शाम 5.00 बजे आईएसटी)** तक रहेगी. बैंक के शेयरधारक इस अवधि के दौरान, वोटिंग के लिए कट ऑफ तारीख **शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2024** को भौतिक या डि-मटेरियलाइज्ड फार्म में शेयर धारण करते हों, कार्यसूची 1 से 6 के लिए रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट कर सकते हैं. इस अवधि के बाद केफिनटेक द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को बन्द कर दिया जाएगा. शेयरधारकों द्वारा एक बार संकल्प पर वोट करने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी. मद क्र. 6 के लिए, केंद्र सरकार को वोटिंग का अधिकार नहीं है.

vi. ऐसा व्यक्ति जो वार्षिक महासभा बैठक की सूचना भेज कर बैंक का सदस्य बनता है एवं कटऑफ तिथि अर्थात **शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2024** को शेयर धारित करता है, वह बैंक की ई-मेल investorservices@unionbankofindia.bank पर शेयरधारक के प्रामाणिक साक्ष्य भेज कर याकेफिनटेक evoting@kfintech.com को रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति से पहले अर्थात **दिनांक 25 जुलाई, 2024 सायं 5.00 बजे से पूर्व** लिख कर निम्नलिखित वर्णित तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं.

vii. रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और तरीका एवं वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग निम्नानुसार है:

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जानेवाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरीज या डिपॉजिटरी सहभागी के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी अपडेट करें.

(डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले) **वैयक्तिक शेयरधारकों डिपॉजिटरी के जरिए लॉगिन.**

| **एनएसडीएल** | **सीडीएसएल** |
|---|---|
| **1. आईडीईएएस सुविधा के लिए उपयोगकर्ता पहले ही पंजीकृत है :** | **1. विद्यमान उपयोगकर्ता जिसके पास ईजी/इजीयस्ट का विकल्प है** |
| I. यूआरएल : https://eservices.nsdl.com<br>II. "आईडीईएएस" सेक्शन में "बेनीफिसियल ओनर" आइकॉन को क्लिक करें.<br>III. नए पेज पर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्रविष्टि करें. सफल प्रमाणीकरण के बाद, "एक्सैस टु ई-वोटिंग " पर क्लिक करें.<br>IV. कंपनी अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और ई-वोटिंग अवधि के दौरान आप वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे . | I. यूआरएलः https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login<br>अथवा<br>यूआरएलः www.cdslindia.com<br>II नई प्रणाली माइईजी पर क्लिक करें.<br>III. उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करें.<br>III. आगे बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा.<br>V. अपना वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें. |
| **2. उपयोगकर्ता आईडीईएएस ई-सेवा के लिए पंजीकृत न हो** | **2. उपयोगकर्ता ईजी/इजीयस्ट ई-सेवा के लिए पंजीकृत न हो** |
| I. पंजीकरण के लिए लिंक पर क्लिक करें : https://eservices.nsdl.com<br>II. "आईडीईएएस" के लिए " ऑनलाइन पंजीयन " चुने<br>III. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें . | I. पंजीकरण का विकल्प पर लिंक उपलब्ध है https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Registration/EasiRegistration<br>II. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें . |
| **3. उपयोगकर्ता आईडीईएएस ई-सेवा के लिए पंजीकृत न हो** | **3. सीडीएसएल की ई-वोटिंग वैबसाइट पर जाकर** |
| I. पंजीकरण के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp<br>II. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें.<br>**4. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वैबसाइट जाकर्र**<br>I. यूआरएलः https://www.evoting.nsdl.com/<br>II. "अशंधारक / सदस्य" सेक्शन में उपलब्ध " लॉगिन " आइकॉन को क्लिक करें.<br>III. उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात एनएसडीएल के साथ 16- अंकों का डि-मैट खाता संख्या), पासवर्ड / ओटीपी एवं प्रमाणीकरण कोड, जैसा की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रविष्ट करें.<br>IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप एनएसडीएल डिपोजिटिरी साइट पर पहुँच जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग का पेज देख सकते हैं.<br>V. कंपनी अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और ई-वोटिंग अवधि के दौरान आप वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के वैबसाइट पर पहुँच जाएंगे. | I. यूआरएल:www.cdslindia.com<br>II. डि-मैट खाता एवं पैन संख्या प्रदान करें.<br>III. सिस्टम पंजीकृत मोबाइल एवं ई-मेल, जैसा डि-मैट खाते में रिकॉर्ड है, पर ओटीपी भेट कर उपयोगकर्ता को प्रमाणीकृत करेगा.<br>IV. फल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी (ई-वोटिंग सेवा प्रदाता) के लिए लिंक उपलब्ध कराएगा जहां पर ई-वोटिंग चल रही है. |

**महत्वपूर्ण नोटः**

सदस्य, जो अपना यूजर आईडी /पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपसे अनरोध है कि उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर आईडी भूल गए /पासवर्ड भूल गए के विकल्प का उपयोग करें.

**डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मामले के लिए हेल्पडेस्क**

| एनएसडीएल के सदस्य को किसी भी तकनीकी समस्या के लिए | सीडीएसएल के सदस्य को किसी भी तकनीकी समस्या के लिए |
|---|---|
| लॉगिन के दौरान तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य एनएसडीएल हेल्पडेस्क पर evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते है. | लॉगिन के दौरान तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य सीडीएसएल हेल्पडेस्क helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज कर या 022- 23058738 और 22-23058542- 43 पर संपर्क कर सकते हैं. |

**(डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले) वैयक्तिक शेयरधारकों – डिपॉजिटरी पार्टिसीपेंट के जरिए लॉगिन.**

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं. एकबार लॉगिन करने पर, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकते हैं. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के उपरांत आपको सफल अधिप्रमाणन के बाद एनएसडीएल/ सीडीएसएल की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करने पर आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान, वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा.

**भौतिक स्वरूप से धारित प्रतिभूतियों के शेयरधारकों एवं गैर–वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति**

ए. ईमेल के मसौदे में प्रारंभिक पासवर्ड प्रदान किया गया है.

बी. इंटरनेट ब्राउज़र खोले और एड्रैस बार में https://evoting.kfintech.com यूआरएल टाइप करें.

सी. आपके ई-मेल आईडी में प्रेषित लॉगिन विवरण अर्थात यूज़र आईडी और पासवर्ड डालें. आपका फोलियो नं./डीपी आईडी क्लाईंट आईडी ही आपका यूज़र आईडी होगा. तथापि, यदि आपने ई-वोटिंग के लिए पहले से ही केफिनटेक में पंजीकरण कर रखा है तो वोट देने के लिए आप अपना मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं.

डी. उचित तरीके से विवरण भरने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें.

ई. आप पासवर्ड चेंज मेन्यू में पहुंच जाएंगे जहां आपको अनिवार्य रूप से पासवर्ड बदलना पड़ेगा. नये पासवर्ड में न्यूनतम 8 कैरक्टर होने जरूरी है जिसमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक अंकीय मान (0-9) और एक विशेष कैरक्टर (@,#,$ आदि) होने चाहिए. यह अवश्य ध्यान रखें कि आप अपना पासवर्ड किसी से साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें.

एफ़. आपको नए विवरण के साथ पुनः लॉगिन करना पड़ेगा.

जी. सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, सिस्टम तुरंत आपको EVENT अर्थात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चयन करने के लिए निर्देशित करेगा.

एच. वोटिंग पेज पर, कट ऑफ की तारीख तक आपके पास कितने शेयर (जो आपके वोटों की संख्या दर्शाएगा) थे स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा. यदि संकल्प के लिए आप अपने सभी वोट स्वीकृत/अस्वीकृत में देना चाहते हैं तो यथास्थिति सभी शेयर की प्रविष्टि करें और `FOR`/`AGAINST` पर क्लिक करें या आंशिक रूप से `FOR` एवं आंशिक रूप से `AGAINST` में, लेकिन कट ऑफ तारीख तक `FOR` और/या `AGAINST` में की गई वोटों की कुल संख्या आपके कुल शेयरधारण से अधिक नहीं होनी चाहिए. आप `ABSTAIN` विकल्प का भी चयन कर सकते हैं और धारित शेयर की गणना दोनों में से किसी एक शीर्ष के अंतर्गत नहीं की जाएगी.

आई. `SUBMIT` बटन पर क्लिक करें. एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित हो जाएगा. पुष्टि हेतु `OK` पर क्लिक करें या संशोधित करने के लिए `CANCEL` को क्लिक करें. एक बार पुष्टि हो जाने के बाद आपको अपने वोट में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी. वोटिंग अवधि के दौरान जब तक आप पुष्टि नहीं करते कि संकल्प पर आपने वोट किया है, तब तक आप अनेक बार लॉगिन कर सकते हैं.

जे. ऐसे सदस्य जिनके विविध फोलियो/डिमेट खाते हैं प्रत्येक फोलियो/डिमेट खाते के लिए अलग से वोटिंग की प्रक्रिया का चयन कर सकते हैं.

के. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्य (अर्थात वैयक्तिक के अतिरिक्त, एचयूएफ़, एनआरआई आदि) से अपेक्षित है कि सुसंगत बोर्ड

संकल्प / प्राधिकृत पत्र आदि की प्रमाणित सही प्रतिलिपि की स्कैन ईमेज (पीडीएफ़/जेपीजी प्रारूप) के साथ-साथ विधिवत हस्ताक्षरित अधोहस्ताक्षरी, जो mail@csraginichokshi.com ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को वोट देने के लिए प्राधिकृत है, का अभिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर प्रेषित करें और अपने लॉगिन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी इसे अपलोड करें. उपर्युक्त दस्तावेजों की स्कैन प्रति का नाम `EVENT.................` के प्रारूप में रखें.

viii. ई-वोटिंग से संबंधित मामले में किसी प्रकार की शंका या पूछताछ होने की दशा में हेल्प सेक्शन में, https:/ /evoting.Kfintech.com पर उपलब्ध "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" (एफ़एक्यू) और ई-वोटिंग मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं या 1800 309 4001 (टोल फ्री) नंबर पर कॉल करें.

ix. इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा वोटिंग की सुविधा से संबंधित समस्त शिकायतों के लिए केफिनटेक में संपर्क कर सकते हैं या evoting@kfintech.comपर ई-मेल भेजे या 1800309 4001 (टोल फ्री) नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

x. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ की तारीख अर्थात **शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2024** को शेयरहोल्डर के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वहीं व्यक्ति रिमोट ई- वोटिंग या वोटिंग द्वारा वार्षिक महासभा बैठक स्थल पर वोटिंग के लिए पात्र होगा.

xi. संयुक्त धारक के मामले में शेयर के प्रथम धारक को लॉगिन आईडी/यूजर आईडी एवं पासवर्ड का ब्यौरा भेजा जाएगा. तदनुसार, प्रथम धारक को प्रेषित यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर वोट को सभी संयुक्त धारकों की ओर से माना जाएगा क्योंकि शेयरधारक जो केफिनटेक की रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से वोट करता है, का सभी संयुक्त धारकों की ओर से प्रयुक्त किया जाएगा. प्रथम धारक को ही शेयर धारक माना जाएगा, जिसका नाम शेयरों के सापेक्ष पंजीकृत किया गया है.

xii. केवल वोट करने के पात्र शेयरधारक ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसा व्यक्ति जिसके पास वोट करने का कोई अधिकार नहीं है उसके लिए यह नोटिस को केवल एक सूचना माना जाना चाहिए.

xiii. मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी द्वारा सुश्री रागिनी चोकसी या श्री उमा शंकर हेगड़े., पेशेवर कंपनी सचिव की नियुक्ति जांचकर्ता के रूप में की गयी है ताकि वे सत्य एवं पारदर्शी ढंग से रिमोट की वोटिंग कार्यपद्धति की जांच कर सकें.

xiv. वार्षिक महासभा बैठक शुरु होने के बाद बैठक के अध्यक्ष द्वारा वहां उपस्थित उन्हीं शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.

xv. जांचकर्ता द्वारा वार्षिक महासभा में वोटिंग समाप्त होने के उपरांत तथा बैठक की समाप्ति के बाद अधिकतम दो कार्यदिवसों के अंदर पक्ष और विपक्ष में पड़े कुल वोटों की समेकित रिपोर्ट बनाकर, यदि कोई हो, बैठक के अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी.

## 17. वोटिंग के परिणाम

वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग के समेकित परिणाम, जांचकर्ता की समेकित रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in तथा केफिनटेक की वेबसाइटः https://evoting.kfintech.com उपलब्ध करा दिया जायेगा. वोटिंग परिणाम एवं समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट को स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाएंगे.

## 18. बैठक में ई वोटिंग के लिए जांचकर्ता

ई-वोटिंग के संबंध में जैसा पहले ही इंगित किया है कि सभी कारोबार मद के लिए मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी की सुश्री रागिनी चोकसी या श्री उमा शंकर हेगड़े, पेशेवर कंपनी सचिव, जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगे. वे बैठक में अन्य शेयरधारक के ई-वोटिंग के लिए भी जांचकर्ता के रूप में कार्य करेगें.

## 19. बैठक का परिणाम

बैंक के केंद्रीय कार्यालय में वार्षिक महासभा बैठक की तिथि से संकल्प के पक्ष में आवश्यक वोटों की संख्या की प्राप्ति के अध्यधीन संकल्प (पों) को पारित माना जाएगा.

## 20. रिकॉर्ड की गई ट्रांस्क्रिप्ट

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से हुई वार्षिक महासभा की कार्यवाही को बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in के निवेशक संबंध अनुभाग के अधीन यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा.

**21. शेयरधारक निदेशक के उम्मीदवार के लिए पात्रता**

उम्मीदवार को अधिनियम की धारा 9 (3ए) में निर्धारित योग्यताएं पूरी करनी होंगी तथा योजना के खंड 10 में निर्दिष्ट अयोग्यताएं नहीं होंगी तथा उसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1998 के विनियमन 65 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

(ए) अधिनियम के धारा 9(3 ए) के अनुसार, उम्मीदवार जो बैंक के शेयरधारक होने के नाते, अधिनियम के धारा 9(3)(1) के तहत बैंक के निदेशक के रूप चुने जाने की इच्छा रखता है तो

(ए) निम्नलिखित एक या एक से अधिक विषयों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए अर्थात्:

- कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- को-ऑपरेशन
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव होना, जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो.

(बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो ; या

(सी) किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो

(बी) आरबीआई अधिसूचना और अधिनियम की धारा 9(3एए) के अनुसार, बैंक का शेयरधारक होने के नाते और बैंक के निदेशक चुने जाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार को उचित एवं उपयुक्त स्थिति में होना चाहिए.

(सी) इसके अतिरिक्त चयनित निदेशक को अनुबंध विलेख को निष्पादित करना होगा और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणाओं को प्रस्तुत करना होगा.

**22. बैंक के निदेशक रूप में चयनित होने की निरर्हता:**

ए. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 के खंड 10 के अनुसार, व्यक्ति बैंक के निदेशक के रूप में चयनित होने के लिए अपात्र होगा यदि:

ए) यदि उसे किसी समय दिवालिया घोषित किया गया हो या भुगतान निलंबित किया गया हो या ऋणदाताओं के साथ गलत समझौता किया हो ; या

बी) यदि उसे विकृत चित्त पाया गया हो और सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया है; या

सी) यदि उसे नैतिक भ्रष्टता जैसे अपराध के लिए दंड न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराया गया हो ; या

डी) यदि उसने किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक, 1955 के धारा 3 के उप धारा (1) या भारतीय स्टेट बैंक(सहयोगी बैंकों) अधिनियम,1959 के धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक में अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड ई और एफ़ के तहत बैंक के कर्मचारियों में से प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक लाभ का पद ग्रहण किया हो.

और

यदि उसे भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना-डीबीओडी न. बीसी न 46/29.39.001/2007-08, दिनांक 01 नवंबर 2007 और सं.डीबीओडी.बीसी. 95/29.39.001/2010-11, दिनांक 23 मई, 2011, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए `उचित और उपयुक्त` जारी आरबीआई मास्टर निदेश, दिनांक 2 अगस्त, 2029 की अधिसूचना संख्या डीबीआर.एपीपीटी. सं.9/29.67.001./2019-20 के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की 24 नवंबर, 2016 की संख्या डीबीआर.एपीपीटी. सं.39/29.39.001/2016-17(जिसे आगे "आरबीआई अधिसूचना " कहा जाएगा और इसमें आगे संशोधन यदि कोई हो) और भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 3 सितंबर की अधिसूचना संख्या एफ.सं.16/83/2013-बीओ.आई के माध्यम से जारी किए गए. भारत सरकार के दिनांक 28 अप्रैल, 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016 के एफ.सं. 2013, एफ.

सं.16/51/2012-बीओ.आई जिसे दिनांक 25 मार्च, 2015 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशक के रूप में विचार करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के साथ पठित (जिसे आगे "भारत सरकार के दिशानिदेश" और इसके आगे संशोधन, यदि कोई हो, के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के अनुसार `उचित एवं उपयुक्त` व्यक्ति नहीं पाया जाता है.

## 23. शेयरधारकों की सूची

दिनांक 28 जून, 2024 यथा बैंक के शेयरधारकों की सूची दिनांक 2 जुलाई, 2024 से 11 जुलाई, 2024 तक बिक्री के लिए उपलब्ध होगी, जिसके लिए रु. 50,000/- (केवल पचास हजार रुपये) का भुगतान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नरीमन पॉइंट शाखा के बैंक खाता संख्या 378901010036984, आईएफएससी UBIN0537896 में ऑनलाइन अंतरण करके या "यूनियन बैंक ऑफ इंडिया" के पक्ष में मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ-साथ बैंक के केंद्रीय कार्यालय 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021, महाराष्ट्र राज्य में निवेशक सेवाएं विभाग के कंपनी सचिव को संबोधित अनुरोध के साथ नामांकन फॉर्म अंतिम तिथि अर्थात 27 जुलाई, 2021 तक जमा किया जाना चाहिए. तथापि, इच्छुक उम्मीदवार अपने खर्च पर सदस्यों के रजिस्टर का निरीक्षण भी कर सकते हैं और वहां से अंश ले सकते हैं. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि **शुक्रवार, 12 जुलाई, 2024 शाम 5.00 बजे** तक है.

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, बैंक के शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए, जिसके लिए कट-ऑफ तिथि यानी **दिनांक 19 जुलाई, 2024** तय की गई है, वे सभी शेयरधारक जिन्होंने **दिनांक 11 जुलाई, 2024** तक अपेक्षित राशि का भुगतान करके बैंक के शेयरधारकों की सूची ले ली है, वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किए **19 जुलाई, 2024** तक शेयरधारकों की अद्यतन सूची प्राप्त कर सकते हैं.

सदस्यों का रजिस्टर शेयरधारकों द्वारा निरीक्षण के लिए बैंक के मुंबई स्थित निवेशक सेवाएं विभाग में **दिनांक 6 जुलाई 2024 से 11 जुलाई 2024** तक सभी कार्य दिवसों में दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच खुला रहेगा, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को सदस्यों के रजिस्टर में किसी भाग का उद्धरण लेने अथवा प्रत्येक 1000 शब्द या उसके भाग के लिए 5 रुपये की दर से गणना की जाने वाली राशि के पूर्व भुगतान पर बैंक से संबंधित भागों में कंप्यूटर प्रिंट के लिए अनुरोध करने की सुविधा प्रदान करना है.

## 24. नामांकन

### i) नामांकन की वैधता

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियमन, 1998 के विनियमन 65 के अनुसार, तथा भारतीय रिजर्व बैंक-डीबीओडी की अधिसूचना के अनुसार. सं. बीसी सं.46/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवंबर 2007, सं.डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11, दिनांक 23 मई 2011 और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड पर आरबीआई मास्टर निदेश अधिसूचना सं.डीबीआर.एप्ट. सं.9/29.67.001/2019-20, दिनांक 2 अगस्त 2019 और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और विभिन्न अधिनियमों, नियमों, विनियमन और दिशा-निर्देशों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, निदेशक के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा बशर्ते:

(ए) वह **दिनांक 28 जून, 2024** तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में न्यूनतम 100 शेयर या तो भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक/डीमैटेरियलाइज्ड मोड में रखने वाला शेयरधारक हो, और **दिनांक 26 जुलाई, 2024** तक न्यूनतम 100 शेयर रखें हो एवं उसके बाद यदि वह निर्वाचित हुआ/हुई है, कार्यकाल की समाप्ति तक शेयर धारण करना जारी रखते हैं.

(बी) नामांकन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक, वह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998 और अधिसूचना सं. डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर 2007, सं. डीबीओडी.बीसी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई 2011 और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीआर.एपीपीटी.सं.: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019 और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए ' उचित और उपयुक्त ' मानदंड पर आरबीआई मास्टर निदेश के तहत निदेशक होने से अयोग्य नहीं है.

(सी) उनके द्वारा रखे गए शेयरों के संबंध में कोई कॉल इन एरियर नहीं है.

(डी) नामांकन अधिनियम के तहत निदेशकों को चुनने के हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके विधिवत् गठित अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में है, बशर्ते कि शेयरधारक द्वारा जो एक कंपनी है, उक्त कंपनी के निदेशकों के एक संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकता है और जहां यह इस प्रकार किया जाता है, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित संकल्प की एक प्रति, जिसमें इसे पारित किया गया था, कंपनी सचिव, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021, महाराष्ट्र राज्य को भेजा जाएगा, और ऐसी प्रति को ऐसी कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा.

(ई) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा नामांकन के साथ उम्मीदवार द्वारा एक घोषणा भी संलग्न है, जो इस नोटिस में प्रस्तुत नामांकन और घोषणा के नमूना फॉर्म के अनुसार है, जिस पर उम्मीदवार द्वारा न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं, कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव में खड़ा होने के लिए इच्छुक है, और वह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998 के तहत निदेशक होने से अयोग्य नहीं है और वे इस नोटिस में प्रस्तुत नामांकन और घोषणा के नमूना प्रपत्रों के अनुसार हैं.

(एफ) नामांकन फॉर्म और घोषणा फॉर्म विनियमन द्वारा निर्धारित और संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार हैं (प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है. ई-मेल आईडी investorservices@unionbankofindia.bank है.

**ii) नामांकन फॉर्म प्रस्तुत करना**

निदेशक के चुनाव लड़ने के इच्छुक तथा ऊपर उल्लिखित शर्तों के अनुसार योग्य शेयरधारक कृपया प्रस्तुत करें

(ए) न्यूनतम 100 शेयरधारकों के नामांकन तथा उम्मीदवार की ओर से विनियमन के तहत निर्धारित घोषणा तथा ऊपर (डी) (ई) (एफ) में उल्लिखित घोषणा पत्र को एक अलग सीलबंद लिफाफे में बैंक के केंद्रीय कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 - महाराष्ट्र राज्य में निवेशक सेवाएं विभाग के कंपनी सचिव को सभी तरह से पूर्ण, संबंधित दस्तावेजों के साथ बैठक की तिथि से कम से कम 14 कार्य दिवस पहले, अर्थात **शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई, 2024 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले** प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

(बी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उचित और उपयुक्त स्थिति पर विचार करने के लिए उपलब्ध कराए गए प्रोफार्मा के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनबद्धता (पीडीयू फॉर्म), एक अलग सीलबंद लिफाफे में, बैंक के केंद्रीय कार्यालय 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021, महाराष्ट्र राज्य में कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं विभाग को संबोधित करते हुए, सभी तरह से पूर्ण, संबंधित दस्तावेजों के साथ, बैठक की तिथि से कम से कम 14 दिन कार्य दिवस पहले, यानी **शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई, 2024 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पहले**, यानी नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से पर्याप्त समय पहले, ताकि बैंक के निदेशक मंडल की नामांकन समिति भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार उचित और उपयुक्त स्थिति का पता लगा सके, जैसा कि इस नोटिस में उल्लिखित विवरण में बताया गया है.

**iii) उम्मीदवारी वापस लेना**

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह बैंक बंद होने के पहले किसी भी समय, यानी **शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2024 को शाम 5 बजे तक या उससे पहले** कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 12वीं मंजिल, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 को संबोधित पत्र भेजकर या स्कैन करके हस्ताक्षरित पत्र ई-मेल के माध्यम से investorservices@unionbankofindia.com पर भेजकर ऐसा कर सकता है.

**25. जांच और निदेशकों का चुनाव.**

(ए) नामांकन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के बाद, बैंक द्वारा पहले कार्य दिवस अर्थात **सोमवार, 15 जुलाई, 2024** को नामांकन की जांच की जाएगी, और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो उसका कारण रिकार्ड करते हुए, नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा.

(बी) वैध नामांकनों की जांच आरबीआई के निदेशों और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) / निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी. चूंकि आरबीआई के

निदेशों और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध प्रकृति में समान हैं, इसलिए बैंक उम्मीदवारों की उचित और उपयुक्त स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों में से अधिक सख्त पर विचार कर सकता है.

(सी) बैंक नामांकन की जांच के समय या एनआरसी/निदेशक मंडल द्वारा दी गई सलाह के अनुसार उम्मीदवारों से अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज मांग सकता है.

(डी) व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनबद्धता (पीडीयू फॉर्म) को 1 नवंबर, 2007, 23 मई, 2011 और 24 नवंबर, 2016 के `उचित और उपयुक्त' दिशा-निर्देशों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना संख्या डीबीआर.एपीपीटी.सं.: 9/29.67.001/2019-20 और प्रासंगिक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पीएसबी के बोर्डों पर निर्वाचित निदेशकों के लिए `उचित और उपयुक्त' मानदंड पर आरबीआई मास्टर निदेशों के अनुसार बोर्ड/निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा समुचित सावधानी जांच के अधीन किया जाएगा.

(ई) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा जांच के पश्चात, यदि चुनाव तक भरे जाने वाले वैध नामांकन केवल दो हैं, तो इस प्रकार नामांकित (निर्वाचित माने जाने वाले) उम्मीदवार का नाम एजीएम में बैंकिंग कंपनी अधिनियम की धारा 9(3)(i) के साथ पठित सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 25(2ए) के अनुसार संकल्प के माध्यम से एजीएम नोटिस के मद संख्या 6 के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा, जिसमें केवल केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक ही मतदान करने के हकदार होंगे। निर्वाचित माने जाने वाले उम्मीदवार (उम्मीदवारों) के विशेष संकल्प को शेयरधारकों द्वारा अपेक्षित बहुमत से अनुमोदित किया जाएगा.

(एफ) चुनाव होने की स्थिति में, यदि वैध नामांकन दो से अधिक हैं, तो चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित माना जाएगा तथा उसका नाम और पता समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा.

## 26 ए. निदेशकों के पद का कार्यकाल

मौजूदा रिक्ति को भरने के लिए चुने गए निदेशकों को दिनांक 16 जुलाई, 2024 से पदभार ग्रहण करने वाला माना जाएगा (यदि जांच के दौरान केवल दो वैध उम्मीदवार पाए जाते हैं). यदि जांच के बाद दो से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए जाते हैं, तो बैठक की तिथि को एक निदेशक के लिए रिक्ति भरी जाएगी और दूसरा निदेशक 29 जुलाई 2024 से पदभार ग्रहण करेगा.

योजना के खंड 9(4) और आरबीआई मास्टर निर्देशों के अनुसार, एक निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों तक पद पर रहेगा और पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि कोई भी निदेशक किसी भी प्रासंगिक श्रेणी के तहत छह वर्ष से अधिक अवधि के लिए लगातार या बीच-बीच में पद पर न रहे.

## 26 बी. निदेशक को हटाना

शेयरधारकों का ध्यान अधिनियम की धारा 9(3बी) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक को उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत चुने गए निदेशक, जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और धारा 9(3एए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, को हटाने का अधिकार है

## 26 सी. चुनाव विवाद

इस संबंध में यदि कोई विवाद होता है, तो उसका निपटारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998 के विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा.

## व्याख्यात्मक विवरण

**मद क्रमांक 3:**

**पूंजी की उगाही:**

बैंक का कारोबार बैंकिंग एवं उससे संबद्ध सेवा गतिविधियों से हैं. वर्तमान में, बैंक की प्राधिकृत पूंजी रु.10000 करोड़ हैं. दिनांक 31 मार्च, 2024 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 7,633.60 करोड़ थीं.

क्यूआईपी के पश्चात, बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी का 74.76**%** है.

यथा 31 मार्च, 2024 जोखिम भारित आस्तियों की पूंजीगत निधि निम्नानुसार हैं:

**पूंजी पर्याप्तता अनुपात बासल III** (रु. करोड़ में)

| मापदंड | दिनांक 31 मार्च, 2024 आरबीआई न्यूनतम बेंचमार्क | 31 मार्च, 2024 | 31 मार्च, 2023 |
|---|---|---|---|
| कुल जोखिम भारित आस्तियां | लागू नहीं | 6,64,188 | 5,78,455 |
| कुल पूंजीगत निधि | | 1,12,689 | 92,778 |
| सीईटी 1 पूंजी | | 90,693 | 71,492 |
| टियर 1 पूंजी | | 99,622 | 80,478 |
| सीआरएआर (%) | 11.50 | 16.97 | 16.04 |
| सीईटी 1 (%) | 8.00 | 13.65 | 12.36 |
| टियर 1 (%) | 9.50 | 15.00 | 13.91 |
| टियर 2 (%) | 2.00 | 1.97 | 2.13 |

नोटः आरबीआई न्यूनतम बेंचमार्क में 2.50 प्रतिशत सीसीबी (पूंजी संरक्षण बफर) सहित (सीआरएआर, सीईटी 1 एयूआर टियर 1) शामिल है. टियर II अनुपात के लिए कोई न्यूनतम नहीं है.

कारोबार आस्तियों की बढ़ोत्तरी हेतु बासल III दिशानिर्देशों के अधीन पूंजी को बनाए रखने एवं नियंत्रित अनुपात अपेक्षाओं की प्राप्ति हेतु विकास अनुमानों के आधार पर आपके निदेशकों ने **रु. 10,000 करोड़ (रूपये दस हजार करोड़ मात्र)** की पूंजी जुटाने का फैसला किया है.

लक्षित कारोबार वृद्धि के विकास एवं उसकी प्राप्ति और सामान्य उधारी के उद्देश्य हेतु विनियामक अनुपालन एवं अतिरिक्त पूंजीगत निधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा पूंजी प्रदान किए जाने के साथ-साथ बैंक द्वारा इक्विटी पूंजी जुटाने के विकल्पों जैसे सार्वजनिक निर्गम (फॉलो-ऑन-पब्लिक इश्यू) और/या राइट इश्यू और/या पात्र संस्थागत नियोजन सहित निजी नियोजन और/या भारत सरकार को अधिमानित आबंटन तथा/या अन्य नियामक प्राधिकरणों और सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अधीन अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है. बढ़ी हुई पूंजी का प्रयोग बैंक के सामान्य कारोबारी उद्देश्य के लिए किया जाएगा.

यदि क्यूआईपी के द्वारा प्रतिभूतियों को जारी किया जाना है तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2018 के अध्याय VI के अनुरूप किया जाएगा.

बैंक एक या एक से अधिक किश्तों में निजी नियोजन/सार्वजनिक निर्गम आधार पर गौण डिबेंचर, बॉन्ड और/या अन्य ऋण प्रतिभूतियों / ग्रीन बॉन्ड आदि. सहित, लेकिन इन तक सीमित नहीं, स्थायी ऋण लिखतों, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर की संख्या बढ़ा सकता है, जिसे आरबीआई और सेबी (गैर परिवर्तनीय प्रतिभूति जारी करना एवं सूचीबद्ध करना), 2021 के साथ अनुपालन में निर्धारित एवं वर्गीकृत किया गया है टियर I और टियर II को भी वर्गीकृत किया गया है.

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 41(4) के अनुसार यदि बैंक द्वारा पुनः कोई निर्गम या ऑफर जारी किया जाता है तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर इन्हें ऑफर किया जाएगा, यदि सामान्य बैठक में शेयरधारकों ने अन्यथा निर्णय न लिया हो. उक्त प्रस्ताव के पारित होने की स्थिति में यह बैंक की ओर से बैंक के निदेशक मंडल को अन्यथा न होने की स्थिति में वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर शेयर जारी एवं आबंटित करने के लिए अनुमति देगा.

अतः उपर्युक्त कारणों के लिए, एक संकल्प पारित करना प्रस्तावित हैं जिसमें बोर्ड पर्याप्त लचीलापन और विवेक से निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप दे सके.

वर्तमान संकल्प प्रस्तावित है ताकि बैंक का निदेशक मण्डल उचित समय, माध्यम, प्रीमियम एवं अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी कर सकें. एक बार प्रस्तावित संकल्प पारित हो जाने पर, इसी तर्ज पर पूर्व में बैंक के शेयरधारकों द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2023 को आयोजित वार्षिक महासभा बैठक में पारित संकल्प का, यह अधिक्रमण करेगा.

विशेष संकल्प के अनुरूप प्रस्तावित इक्विटी शेयरों को लागू सभी विधिक प्रावधानों के अनुरूप जारी किया जाएगा.

आपके निदेशक गण इस कार्यसूची की नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं.

बैंक के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति एवं उनके रिश्तेदारों को शेयरधारिता तक, यदि कोई हो, उपर्युक्त संकल्प (पों) से सम्बद्ध और इच्छुक माना जाएगा.

**मद क्रमांक 4:**

**बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री संजय रुद्र (डीआईएनः 09650826) की नियुक्ति**

श्री संजय रुद्र (डीआईएनः 09650826) को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और उपक्रम का अतंरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9(3)(ए) के तहत बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.नं. 4/1(i)/2023-बीओ.आई दिनांक 9 अक्तूबर, 2023 द्वारा अधिसूचना की तिथि अर्थात 9 अक्तूबर, 2023 से उनकी सेवानिवृति की तिथि (अर्थात 30 जून, 2026) या अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था. तदनुसार, श्री संजय रुद्र दिनांक 9 अक्तूबर, 2023 से बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक का पद संभाल रहे हैं.

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, के विनियम 17(1सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित किया जाना है.

अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो पर बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री संजय रुद्र की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी गई है.

श्री संजय रुद्र को बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं जैसे क्रेडिट, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, एमएसएमई और एकीकृत जोखिम विभाग में तीन दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव है. आप एल एवं डी वर्टिकल के प्रभारी थे और आपके पास डिजिटल लेंडिंग के विकास परीक्षण का अतिरिक्त प्रभार भी था.

आपके पास भौतिकी में स्नातकोत्तर की डिग्री और वेलिंगकर संस्थान से वित्तीय प्रबंधन में डिप्लोमा है. आप आईआईबीएफ के सहयोगी सदस्य हैं. आपने एफएसआईबी द्वारा संचालित आईआईएम, बेंगलूरु में नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भाग लिया. आपने केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यूएसए के सहयोग से आईएसबी हैदराबाद द्वारा आयोजित वैश्विक उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम में भी भाग लिया है.

श्री रुद्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बैंक के वरिष्ठ नेतृत्व में बदलाव की अगुआई करने के लिए एक सक्रिय सहयोगी थे. आपने महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड(बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सहायक कंपनी) के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य किया है.

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नलिखित हैं:

- निदेशकों के बीच परस्पर संबंध: शून्य
- सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक के तौर पर: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता / अध्यक्षता: शून्य
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारिता: शून्य

- श्री संजय रुद्र के कौशल/निपुणता/क्षमताओं को बैंक कारोबार के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा पहचाना गया है और तदनुसार बैंक के बोर्ड के निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है.

  श्री संजय रुद्र को छोड़कर, कोई भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी प्रकार से, संकल्प से संबंधित नहीं हैं.

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प की सिफ़ारिश करता है.

### मद क्रमांक 5:
### बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पंकज द्विवेदी की नियुक्ति

श्री पंकज द्विवेदी को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और उपक्रम का अतंरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9(3)(ए) के तहत बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.नं. 4/3/2023-बीओ.आई दिनांक 27 मार्च, 2024 द्वारा अधिसूचना की तिथि अर्थात दिनांक 27 मार्च, 2024 से तीन साल तक की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था. तदनुसार, श्री पंकज द्विवेदी 27 मार्च, 2024 से बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक का पद संभाल रहे हैं.

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, के विनियम 17(1सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित किया जाना है.

अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो पर बैंक के कार्यपालक निदेशक निदेशक के रूप में श्री पंकज द्विवेदी की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी गई है.

श्री पंकज द्विवेदी ने पुणे के सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेंजमेंट स्टडीज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्ट्रस की डिग्री हासिल की है और आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) हैं. आपने आईआईएम, रायपुर से एप्लाइड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट प्रोग्राम पूरा किया है और आईबीए और एगॉन झेंडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के परामर्श से बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा तैयार आईआईएम बैंगलोर के लीडरशीप डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी पूरा किया है.

पंजाब एंड सिध बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान, आपको बैंकिंग के विभिन्न विभागों में काम करने का समृद्ध अनुभव है. आपने प्रधान कार्यालय में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, खुदरा ऋण, विधि एवं वसूली, ट्रेजरी, कॉर्पोरेट क्रेडिट, बोर्ड सचिवालय, आयोजना एवं विकास, विदेशी मुद्रा, को-लेंडिंग कक्ष आदि जैसे विभिन्न कार्यो को संभाला है. वे आईआईएफसीएल म्यूचुएल फंड के ट्रस्ट बोर्ड के ट्रस्टी भी हैं.

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नलिखित हैं:

- निदेशकों के बीच परस्पर संबंध: शून्य
- सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक के तौर पर: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता / अध्यक्षता: शून्य
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारिता: शून्य
- श्री पंकज द्विवेदी के कौशल/निपुणता/क्षमताओं को बैंक कारोबार के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा पहचाना गया है और तदनुसार बैंक के बोर्ड के निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है.

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प की सिफ़ारिश करता है.

### मद क्रमांक 6: दो निदेशकों का चुनाव

दिनांक 26.02.2024 को अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के तहत निर्गम पर बैंक द्वारा शेयरों के आबंटन के पूरा होने के बाद भारत सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के पास वर्तमान में बैंक की शेयर पूंजी के 25.24% भाग पर अधिकार है. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (आई) के अनुसार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक के निदेशक मंडल में बैंक के शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अलावा) का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम दो निदेशक रखने का हकदार है.

वर्तमान में बैंक के निदेशक मंडल में से एक शेयरधारक निदेशक का कार्यकाल दिनांक 27 जून, 2024 को समाप्त हो रहा है और एक अन्य शेयरधारक निदेशक के लिए, यह कार्यकाल दिनांक 28 जुलाई, 2024 को समाप्त हो रहा है और उपरोक्त अधिनियम के अनुसार, उपर्युक्त रिक्ति को भरने के लिए केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों द्वारा दो शेयरधारक निदेशकों का चुनाव किया जाना आवश्यक है.

तदनुसार, बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक के चुनाव के लिए आवश्यक संकल्प पारित करने के लिए एजीएम की सूचना में कार्यसूची का एक मद शामिल किया गया है.

अतः शेयरधारक (केंद्र सरकार के अलावा) विभिन्न और संगत अधिनियम/ स्कीम/ विनियमों/ अधिसूचना/ भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेशों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकन भेजने के पात्र हैं, जिनके संगत भाग यहां दर्शाए गए हैं. किसी निदेशक का चुनाव या तो नामांकनों की जाँच के बाद किया जाएगा, (यदि वैध नामांकन की संख्या रिक्तस्थानों की संख्या के बराबर है) तथा यदि वह बैंक के निदेशक मंडल/ निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा उचित एंव उपयुक्त पाया जाता है तो वह निर्वाचित माना जाएगा/ गी तथा जिस तारीख को उसे निर्वाचित माना जाता है उसके बाद की तारीख को वह पद ग्रहण करेगा/ गी या यदि बैंक के निदेशक मंडल/ निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति, जैसा भी मामला हो, द्वारा अधिक प्रतियोगी उचित एंव उपयुक्त पाए जाने पर दिनांक 26 जुलाई, 2024 को बाद के चुनाव में निदेशक का चुनाव किया जाएगा. इस तरह के चुनाव के बाद उच्चतम वोट प्राप्त करने के आधार पर, वह दिनांक 29 जुलाई, 2024 से पद ग्रहण करेगा और पद ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा.

इसके अलावा, अन्य निदेशक या तो नामांकन की जांच के बाद (यदि वैध नामांकन की संख्या रिक्तियों की संख्या के बराबर है) निर्वाचित किया जाएगा, जो बैंक के बोर्ड / निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा उपयुक्त एवं उचित पाए जाने के अधीन है, तो वह 29 जुलाई, 2024 को निर्वाचित माना जाएगा एवं पदभार ग्रहण करेगा या 26 जुलाई, 2024 को बाद के चुनाव में, यदि अधिक प्रतियोगी हैं, जो बैंक के बोर्ड / निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा उपयुक्त एवं उचित पाए जाने के अधीन है, जैसा भी मामला हो. उच्चतम वोट प्राप्त करने के आधार पर ऐसे चुनाव के बाद, वह 29 जुलाई, 2024 से पदभार ग्रहण करेगा और पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पदस्थ रहेगा. निर्वाचित उम्मीदवार(ओं) के विशेष प्रस्ताव को शेयरधारकों द्वारा एजीएम में अपेक्षित बहुमत से अनुमोदित किया जाएगा.

## 1. कानूनी प्रावधान

| अधिनियम/योजना/ विनियम/अधिसूचना | प्रावधान | | संक्षिप्त विवरण |
|---|---|---|---|
| बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 | धारा 5 (एनई) | • | सारभूत हित |
| | धारा 16 (1) | • | सामान्य निदेशकों को निषेध |
| | धारा 20 | • | किसी निदेशक को या उसकी और से कोई ऋण या अग्रिम दिये जाने पर प्रतिबंध |
| | धारा 51 | • | अधिनियम की कुछ धाराओं की संगत नए बैंक पर प्रयोज्यता. |
| बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 | धारा 3 (2 ई) | • | मतदान अधिकार पर प्रतिबंध |
| | धारा 9 (3) (i) | • | शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या |
| | धारा 9 (3ए) (ए) से (सी) तक, धारा 9 (3एए) | • | कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान |
| | | • | कोई व्यक्ति निदेशक चुने जाने के लिए उस समय तक योग्य नहीं होगा यदि वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकार्ड, ईमानदारी और अन्य ऐसे मानदंडो पर खरा (उचित एवं उपयुक्त) नहीं उतरता. |
| | धारा 13(2) | • | गोपनियता व निष्ठा का दायित्व |

| अधिनियम/योजना/ विनियम/अधिसूचना | प्रावधान | संक्षिप्त विवरण |
|---|---|---|
| राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 | खंड 10 | • बैंक के निदेशक चुने जाने की अपात्रताएं |
| | खंड 11 | • कार्यालय का निदेशक पद खाली होना |
| | खंड 11ए | • चुने गये निदेशक को हटाया जाना |
| | खंड 11 बी | • चुने गये निदेशक की रिक्त पद भरा जाना |
| | खंड 12(8) | • अपने हित वाली कतिपय व्यवस्थाओं में निदेशकों के अपने हितों का प्रकटन. |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर व बैठक) विनियम, 1998 | विनियम 10 | • चुने गये निदेशकों का कार्यकाल |
| | विनियम 10 | • सयुंक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग |
| | विनियम 61 | • आम बैठक में वोट डालना |
| | विनियम 61ए | • मतदान में जांचकर्ता |
| | विनियम 61बी | • मतदान का तरीका और उसका परिणाम |
| | विनिययम 63 | • आम बैठक में चुने जाने वाले निदेशक |
| | विनिनियम 64 | • शेयरधारकों की सूची |
| | विनियम 65 | • चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन |
| | विनियम 66 | • नामांकन की जांच |
| | विनियम 67 | • चुनावी विवाद |
| | विनिययम 68 | • वोट देने के अधिकारों का निर्धारण |
| | विनियम 69 | • विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान |
| | विनियम 70 | • परोक्षी |
| आरबीआई अधिसूचना संख्या डीबीओडी सं. बीसी.सं. 46 /29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवंबर 2007 और सं. डीबीओडी.बीसी.सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई 2011 और सं.डीबीआर.एपीपीटी.बीसी. सं.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर 2016 और पीएसबी के बोर्डस पर निर्वाचित निदेशकों के लिए `उचित एवं उपयुक्त" मानदंड पर आरबीआई मास्टर निदेश अधिसूचना सं.डीबीआर.एपीपीटी.सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019 के माध्यम से जारी किए गए. | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण)<br><br>अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3एए) और धारा 9 (3ए बी) के अनुसार. | राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड हेतु चुने गये निदेशकों के लिए उचित एवं उपयुक्त का मानदंड |
| बैंक के बोर्ड में अपने सरकारी नामित निदेशकों के माध्यम से सलाह के रूप में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय तथा भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संदर्भ सं. एफ. सं.16/83/2013-बीओआई दिनांक 03 सितंबर, 2013 तथा भारत सरकार के संदर्भ संख्या एफ. सं.16/51/2012-बीओ.आई दिनांक 28 अप्रैल, 2015 तथा दिनांक 20 जुलाई, 2016 के दिशानिर्देश, जिन्हें 25 मार्च, 2015 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशक के रूप में विचार करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के साथ पढ़ा गया (इसके बाद इन्हें "भारत सरकार के दिशानिर्देश" कहा जाएगा तथा इसमें आगे संशोधन, यदि कोई हो) | बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन अधिकतम पारदर्शिता और जनहित में करने के लिए शेयरधारक निदेशक का चुनाव करने के लिए, इस दिशा में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में 1 जून, 2011 के दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखकर उम्मीदवारों की उचित एवं उपयुक्त स्थिति का निर्धारण किया जाना चाहिए और बाद में इसमें उल्लिखित संबंधित संशोधन किए जाने चाहिए. | |
| भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2015 | निदेशकों के संबंधियों को ऋण व अग्रिम देना. | |
| सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 | स्वतंत्र निदेशक से संबंधित प्रावधान | |

**2. भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2021**

भारत सरकार ने दिनांक 25 जनवरी 2021 की अधिसूचना के माध्यम से एक विशेष प्रावधान (खंड 14ए) को सम्मिलित करके राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 में संशोधन किया, जिसमें कहा गया हैः जहां किसी राष्ट्रीयकृत बैंक को कानून द्वारा कोई कार्य करने की आवश्यकता है और ऐसा करने के लिए प्रतिभूतिधारकों की सिफारिशों या निर्धारण, या शिकायतों का समाधान, या किसी भी नियुक्ति के संबंध में या बैंक के निदेशक मंडल की किसी भी समिति द्वारा अनुमोदन या समीक्षा आवश्यक है, और यदि निदेशक मंडल संतुष्ट है कि ऐसी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति ऐसी समिति में किसी रिक्ति के अस्तित्व के कारण या उसके सदस्य द्वारा अलग होने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है, तो निदेशक मंडल वह कार्य कर सकता है.

उपर्युक्त के अनुसार, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक मंडल को कोई कार्य करने के लिए या प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के समाधान के लिए, या किसी नियुक्ति के संबंध में जो अनुमोदन या समीक्षा विधि द्वारा करना आवश्यक है, निदेशक मंडल की समिति की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है, बशर्ते कि निदेशक मंडल इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति या तो ऐसी समिति में किसी रिक्ति के कारण या उसके सदस्य द्वारा अलग हो जाने के कारण पूरी नहीं हो पा रही है.

**3. भारत सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 25 मार्च, 2015 और 08 जुलाई, 2016**

जैसा कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 3 सितंबर, 2013 के अपने पत्र के तहत सलाह दी गई है, निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति शेयरधारक निदेशक की उचित एवं उपयुक्त स्थिति का निर्धारण करते समय गैर-सरकारी निदेशकों (एनओडी) की नियुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखेगी. भारत सरकार ने दिनांक 28 अप्रैल, 2015 और 20 जुलाई, 2016 के अपने पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दिनांक 25 मार्च, 2015 और 20 जुलाई, 2016 के संशोधित दिशानिर्देश और 8 जुलाई 2016 के संशोधन भेजे हैं, जिनका सार निम्नानुसार हैः

**ए) सामान्य**

i. संबंधित अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नामांकन किए जाएंगे.

ii. नामांकित व्यक्तियों की उपयुक्तता का आकलन औपचारिक योग्यता और विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा आदि के संदर्भ में किया जा सकता है. सत्यनिष्ठा और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए, आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋणों को आगे बढ़ाने के लिए की गई नागरिक कार्रवाइयों, पेशेवर निकायों में प्रवेश से इनकार या निष्कासन, नियामकों और इसी तरह के निकायों द्वारा लागू प्रतिबंधों और पिछले संदिग्ध व्यावसायिक प्रथाओं आदि पर भरोसा किया जाएगा.

**बी) अनुभव**

i. कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहयोग, अर्थशास्त्र, कारोबार प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्र में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों पर आमतौर पर विचार किया जाएगा. किसी वरिष्ठ पद पर उद्योग के 20 वर्षों का अनुभव, संबंधित क्षेत्रों में स्थापित विशेषज्ञता (सफलतापूर्वक एक प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व, एक असफल संगठन में सफल बनाना) को प्राथमिकता दी जाएगी.

ii. सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जिनके पास संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर पर 20 वर्षों का कुल अनुभव और न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो. सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों/कार्यकारी निदेशकों को जिस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से वे सेवानिवृत्त हुए हैं उसके निदेशक मंडल में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा. पीएसबी के सेवारत सीएमडी/ईडी को किसी अन्य पीएसबी के निदेशक मंडल में एनओडी के रूप में नियुक्त करने पर विचार नहीं किया जाएगा.

iii. शिक्षाविद, प्रमुख प्रबंधन बैंकिंग संस्थानों के निदेशक और 20 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले प्रोफेसर.

iv. 20 साल के अनुभव (ऑडिट अनुभव को छोड़कर) वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट को भी प्राथमिकता दी जाएगी.

v. हालांकि, योग्यता के आधार पर असाधारण मामलों में वित्त मंत्री के अनुमोदन से अनुभव मानदंड में छूट दी जा सकती है.

जहां तक संभव हो महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए.

**सी) शिक्षा**

एनओडी को कम से कम किसी भी स्ट्रीम में स्नातक होना चाहिए, अधिमानतः कारोबार प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और आईटी में विशेषज्ञता के साथ.

**डी) आयु**

खोज समिति द्वारा सिफारिश की तारीख को निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

**ई) कार्य अनुभव**

व्यावसायिकों/शिक्षाविदों के पास सामान्यतः अपने विशेष क्षेत्र में 20 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए.

## एफ) निरर्हता

i. किसी भी श्रेणी के तहत बैंक/वित्तीय संस्थान (एफआई)/आरबीआई/बीमा कंपनी में पहले से ही कार्यरत निदेशक को किसी अन्य बैंक/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में नामांकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है.

ii. किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, लीजिंग और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों, सांसदों, विधायकों, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकरों को बैंकों/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनियों के बोर्डों में गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा. किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, लीजिंग और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों में निवेशकों को, यदि उनके पास ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है, एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा,.

iii. किसी भी व्यक्ति को किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/भारतीय रिजर्व बैंक/बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में एनओडी के रूप में पुनः नामित नहीं किया जा सकता है, जिसमें उसने पूर्व में किसी भी श्रेणी के तहत दो कार्यकाल या छह वर्षों के लिए, जो भी अधिक हो, निदेशक के रूप में कार्य किया है.

iv. यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म वर्तमान में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में लगी हुई है, तो उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का कोई भी भागीदार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/पीएसबी में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

v. यदि चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म वर्तमान में एक राष्ट्रीयकृत बैंक में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में लगी हुई है, तो उसी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों का कोई भी भागीदार उसी बैंक में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होना चाहिए.

## जी) कार्यकाल

किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/भारतीय रिजर्व बैंक/बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामांकन के लिए किसी गैर सरकारी निदेशक पर विचार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान/भारतीय रिजर्व बैंक/बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में छह वर्षों के लिए लगातार या अंतराल पर एनओडी/शेयरधारक-निदेशक रहा हो.

## एच) कारोबारी प्रतिबंध

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 (डी) के तहत सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक में लाभ के पद की तुलना में कारोबारी प्रतिबंध के मुद्दे की अलग से जाँच की जाए.

## आई) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में देश के सभी छह अंचलों-उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर का एक साथ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए.

## अधिनियमों/योजना/विनियमनों/अधिसूचना का उद्धरण

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद "योजना" के रूप में संदर्भित) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998 (इसके बाद "विनियम" के रूप में संदर्भित) के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में निर्वाचित निदेशकों के लिए उचित एवं उपयुक्त मानदंड के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का मास्टर निर्देश अधिसूचना सं. डीबीआर.एपीपीटी. सं.: 9/ 29.67.001/ 2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019, अधिसूचना संख्या डीबीओडी. बीसी. सं.46/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवंबर, 2007, सं.डीबीओडी.बीसी.नं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 और सं.डीबीआर.एपीपीटी बीसी. संख्या 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 तथा भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संदर्भ संख्या एफ.सं.16/83/2013-बीओआई दिनांक 03 सितंबर, 2013 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशक के रूप में विचार के लिए सरकार द्वारा 25 मार्च, 2015 को निर्धारित मानदंडों तथा बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भारत सरकार द्वारा जारी तत्पश्चात दिशानिर्देश के साथ पढ़ा गया.

ऐसे उद्धरण इच्छुक उम्मीदवारों को बैंक के केंद्रीय कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 महाराष्ट्र राज्य में कंपनी सचिव, निवेशक सेवा विभाग को संबोधित अनुरोध प्राप्त होने पर या नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि यथा मंगलवार, दिनांक 27 जुलाई, 2021 को या उससे पहले investorservices@unionbankofindia.com पर ईमेल के माध्यम से मेल किया जाएगा.

## निदेशकों का हित

बैंक के कोई भी निदेशक, केएमपी और उनके रिश्तेदार का कारोबार की उपर्युक्त मद में रुचि या संबंध नहीं है, सिवाय उनकी शेयरधारिता की सीमा तक और उन पात्र मौजूदा शेयरधारक निदेशकों के जो चुनाव लड़ सकते हैं. निदेशक मंडल ने आपके अनुमोदन के लिए विशेष संकल्प की शिफारिश की है.

**निदेशक मंडल के आदेश से**

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

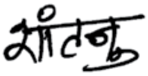

**स्थान:** मुंबई

**दिनांक:** 14.06.2024

**(एस के दास)**

**कंपनी सचिव**

# निदेशकों की रिपोर्ट

**प्रिय शेयरधारको,**

निदेशक मंडल को 'लेखा परीक्षित (ऑडिटेड) तुलन पत्र', 'लाभ और हानि खाता', 'नकदी प्रवाह विवरणी (कैश-फ्लो स्टेटमेंट)' और 9प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण" की रिपोर्ट के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 की बैंक की 105वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है. "कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट" और 'कारोबार उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट' भी वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 का हिस्सा है.

1. **मुख्य विशेषताएं:**

1.1 वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि सुदृढ़ रही है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 8.2% रहने का अनुमान है, जो निवेश द्वारा संचालित होती है. वित्तीय वर्ष 24 की चौथी तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष 7.8% रही, जिसे निवेश मांग से बढ़ावा मिला. सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण पर लगातार जोर दिए जाने से स्थिर निवेश सुदृढ़ हुई. निजी कॉर्पोरेट निवेश में धीरे-धीरे गति आ रही है और चुनावों के बाद इसमें तेजी आने की संभावना है. आपूर्ति पक्ष में, विनिर्माण गतिविधि ने दूसरी छमाही में गति प्राप्त करना जारी रखा, जिसे वस्तु की कम कीमतों, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता और बुनियादी ढांचे में सुधार के कारण लॉजिस्टिक लागत में कमी का समर्थन मिला. निर्माण गतिविधि में उछाल ने सेवा क्षेत्र की गति को बढ़ावा दिया. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मौजूदा कीमतों पर जीडीपी या सांकेतिक जीडीपी में 9.6% की वृद्धि अनुमानित है.

1.2 सभी क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि हुई, जिसमें व्यापार, पर्यटन और आतिथ्य जैसी सेवाओं ने गति पकड़ी. इन क्षेत्रों के बाद विनिर्माण, निर्माण और बिजली, गैस आदि जैसे उपयोगिता सेवा उद्योग रहे. सरकार की नीतियों को सक्षम बनाने से उद्योग की वृद्धि को और अधिक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. वित्तीय क्षेत्र की गतिविधि भी उत्साहजनक रही है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक ऋण वृद्धि बढ़कर 20.2% रही, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15.0% थी. सितंबर, 2023 से तरलता की स्थिति में कमी आई क्योंकि जमा वृद्धि ऋण से कम रह गई. लगातार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, कुल निर्यात में (माल + सेवाएँ) पिछले वर्ष के उच्च स्तरीय रिकॉर्ड को पार करने का अनुमान है. वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान औसतन 600.63 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसके 776.68 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है. कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, कुछ उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध, खासकर लाल सागर संकट और भू-राजनैतिक तनाव के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद निर्यात में वृद्धि हुई. आरबीआई के मासिक बुलेटिन के अनुसार, भारत के लगभग 48.7% व्यापारिक निर्यात और 30.4% आयात लाल सागर मार्ग से होने का अनुमान है.

1.3 कतिपय विशिष्ट खाद्य वस्तुओं में मूल्य अस्थिरता के बावजूद, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति जुलाई और अगस्त 2023 को छोड़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आरबीआई की 2 से 6 प्रतिशत की सहन सीमा के भीतर रही. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ उत्तरोत्तर संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नीति रेपो दर को अपरिवर्तित रखा.

1.4 इसके अतिरिक्त, महामारी के बाद भारत की विकास दर में उल्लेखनीय उछाल आने की संभावना है, शुरुआती संकेतक 7% से अधिक की मजबूत विकास दर पर लौटने का संकेत दे रहे हैं. जबकि निजी खपत प्रमुख चालक बने हुई हैं, निवेश एवं निर्यात से इस पुनरुत्थान को गति मिलने की उम्मीद है. हालाँकि वैश्विक प्रतिकूलताओं ने निर्यात वृद्धि को धीमा कर दिया है, बुनियादी ढाँचे पर सार्वजनिक व्यय विकास की गति को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहा है, जिसमें चुनावों के बाद निजी कैपेक्स में व्यापक वृद्धि होने की संभावना है. तथापि, भू-राजनैतिक तनावों से तेल की कीमतों में वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता, भू-आर्थिक विखंडन, लाल सागर में बढ़ते व्यवधान और खराब मौसम की घटनाओं से आउटलुक के लिए जोखिम पैदा होता है.

1.5 इस बीच, वित्तीय क्षेत्र की अस्थिरता, विकसित बाजारों में धीमी किन्तु उच्च मुद्रास्फीति तथा जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अत्यधिक अनिश्चित है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) के अप्रैल, 2024 के अद्यतन के अनुसार, 2023, 2024 और 2025 में वैश्विक विकास दर 3.2% पर स्थिर रहने की उम्मीद है. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए मामूली वृद्धि, जहां विकास दर 2023 में 1.6% से बढ़कर 2024 में 1.7% और 2025 में 1.8% होने की उम्मीद है, उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 2023 में 4.3% से 2024 और 2025 दोनों

में 4.2% तक मामूली मंदी से पूरी हो जाएगी. वैश्विक मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट आने का अनुमान है, जो 2023 में 6.8% से घटकर 2024 में 5.9% और 2025 में 4.5% हो जाएगी. कोर मुद्रास्फीति में आमतौर पर धीरे-धीरे गिरावट आने का अनुमान है. मुद्रास्फीति का बढ़ता स्तर व्यापारगत को जटिल बना रही है, जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के बीच केंद्रीय बैंकों के सामने एक बड़ी चुनौती है.

1.6 आईएमएफ के अनुसार, वर्ष 2024 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि में एशिया का योगदान 60% होगा, क्योंकि गति मजबूत बनी हुई है. 2023 में 5.0% की वृद्धि के बाद, 2024 में एशिया का सकल घरेलू उत्पाद 4.5% बढ़ेगा. भारत और चीन को उस वृद्धि के सबसे बड़े चालक होने का अनुमान है. वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, भारत का 2024 में 6.8% वृद्धि का अनुमान है, जबकि चीन की वृद्धि 4.6% होगा.

1.7 वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत का आर्थिक कार्यनिष्पादन उम्मीदों से बेहतर रहा है, जिसके कारण हाल के महीनों में आईएमएफ़, विश्व बैंक और एडीबी जैसी संस्थाओं ने वृद्धि के पूर्वानुमानों में वृद्धि की है. आईएमएफ़ के अनुसार, भारत का 2024 में 6.8% और 2025 में 6.5% की वृद्धि का अनुमान है. भारत दुनिया भर में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरने के लिए तैयार है, जिसका वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने का अनुमान है. अनुमानों से संकेत मिलता है कि भारत अगले दशक में बाजार विनिमय दरों में जर्मनी और जापान से आगे निकल जाएगा, क्रय-शक्ति सममूल्यता के मामले में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा.

1.8 भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024-25 के लिए आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7.0% लगाया है. इस वर्ष सामान्य से अधिक मानसून की उम्मीद ने कृषि क्षेत्र और ग्रामीण मांग की संभावनाओं को उज्ज्वल किया है. संपर्क-गहन सेवाओं में स्थिर वृद्धि शहरी मांग के लिए सकारात्मक रहने की संभावना है. पूंजीगत व्यय, दीर्घावधि औसत से अधिक क्षमता उपयोग और वस्तु की कीमतों में नरमी पर सरकार को ध्यान केंद्रित करने से विनिर्माण एवं निवेश गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा. सरकार द्वारा किए गए सुधारों और आरबीआई द्वारा विभिन्न सहायक उपायों को देखते हुए, आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास में और तेजी से वृद्धि के लिए बहुत मजबूत नींव रखी जा रही है. विभिन्न सरकारी पहलों को विकास को बल मिल रहा है और ऋण मांग वित्तीय वर्ष 2023-24 में दर्ज दशक के उच्चतम स्तरों से कम किंतु सुदृढ़ रहने की उम्मीद है.

## 2. बैंक का कार्यनिष्पादन

वर्ष 1919 में स्थापित, 31 मार्च, 2024 तक आपके बैंक की 29 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में 8,466 घरेलू शाखाएँ, 8,982 एटीएम और 75,866 कर्मचारी हैं. बैंक की सिडना और दुबई डीआईएफ़सी में 2 विदेशी शाखाएं, 5 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ, 3 संयुक्त उद्यम और 1 सहयोगी संगठन हैं.

आपके बैंक का वैश्विक कारोबार 31 मार्च, 2024 तक रु. 21,26,412 करोड़ रहा, जिसमें कुल जमा रु.12,21,528 करोड़ और सकल अग्रिम रु. 9,04,884 करोड़ शामिल हैं.

31 मार्च, 2024 को बैंक का परिचालन लाभ और शुद्ध लाभ क्रमशः रु.28,211 करोड़ और रु.13,648 करोड़ रहा.

## 3. डिजिटलीकरण

3.1 बैंक ने बिना किसी परेशानी के डिजिटल बैंकिंग का अनुभव प्रदान करने के लिए अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी समाधान कार्यान्वित किए हैं. बैंक अत्याधुनिक डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म लाकर अपने आईटी सिस्टम को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया में है, जिसका उद्देश्य एकल इंटरफ़ेस में भागीदारियों में सेवाओं के एकीकरण के लिए ओमनी-चैनल क्षमताएं, डेटा संचालित हाइपर पर्सनलाइजेशन, क्रॉस सेल और अपसेल की क्षमताओं के साथ सुपर ऐप, एसटीपी यात्राएं और ओपन बैंकिंग क्षमताएं हैं.

3.2 बैंक ने 40 से अधिक डिजिटलीकरण परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से 27 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 13 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं.

3.3 बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 7 यात्राएँ कार्यान्वित की हैं, जिससे यात्राओं की कुल संख्या 24 हो गई है (7 यात्राओं में गोल्ड लोन एसटीपी, डिजिटल किसान तत्काल, डिजिटल पीएम स्वनिधि, डिजिटल डब्ल्यूसी संवर्द्धन, डिजिटल बचत खाता, ऑनलाइन ओटीएस, वीकेवाईसी शामिल हैं). बैंक 20+ यात्राओं से रु. 8300 करोड़ से अधिक का डिजिटल कारोबार जुटा सकता है, जिसके साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 में रु.6,200 करोड़ का कारोबार उत्पन्न होगा.

**मेसर्स आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एक सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप ऑनबोर्डिंग:**

बैंक ने मेसर्स आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ भागीदारी करके अत्याधुनिक डिजिटल कारोबार प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिससे सर्वश्रेष्ठ डिजिटल पेशकश विकसित की जा सके. इस वर्टिकल ने वेब-वाइज दृष्टिकोण अपनाया है और एकाधिक ड्रॉप्स में 100+ डिजिटल जर्नी और कारोबार सेवाएं शुरू करेगा. यह परियोजना 30 जून, 2023 को नए डिजिटल कारोबार प्लेटफॉर्म की डिजाइनिंग, आपूर्ति, स्थापना, निर्माण, कार्यान्वयन, एकीकरण, अनुकूलन और रखरखाव के लिए शुरू हुई. यह परियोजना चल रही है और बैंक इस वित्तीय वर्ष के दौरान एक सुपर ऐप लाने के अलावा दायित्व (कासा) और रैम क्षेत्र में कई यात्राएं शुरू करने के लिए तैयार है.

*Cumulative till 31.03.2024

## 3.4 व्योम एप

बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन को "व्योम" के रूप में रीब्रांड किया गया है. जुड़ाव बढ़ाने के लिए एक्सप्लोरेटिव यूआई/ यूएक्स डिजाइन के साथ-साथ व्योम 400+ सुविधाएं प्रदान करता है और अद्वितीय बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है.

यह एप्लिकेशन लाइफस्टाइल विशेषताएं (मार्केटप्लेस) प्रदान करता है, जिसमें ग्राहक फ्लाइट टिकट, होटल, कैब, बस टिकट, गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हैं, मोबाइल डीटीएच और डेटा कार्ड रिचार्ज और दान भी कर सकते हैं. बैंक ने व्योम एप में म्यूचुअल फंड, बीमा और विभिन्न एसटीपी यात्राओं को भी शामिल किया है.

व्योम को समय-समय पर नई सुविधाओं के साथ अद्यतन किया जाता है जैसे कि आधार+ओटीपी आधारित पंजीकरण, वर्चुअल डेबिट कार्ड, मीयादी जमा के सापेक्ष क्रेडिट कार्ड, एएसबीए - आईपीओ के लिए आवेदन, लेनदेन को धोखाधड़ी के रूप में चिह्नित करना, एनसीएमसी वॉलेट रिचार्ज सुविधा, आईएमपीएस में लाभार्थी का नाम जांचना, पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई के लिए बीमा पॉलिसी का तत्काल जेनरेशन. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 55.18 लाख उपयोगकर्ताओं को जोड़ा गया है, जिसमें 24 लाख से अधिक उपयोगकर्ता प्रतिदिन लॉगिन करते हैं.

## 3.5 सीआरएम समाधान

बैंक ने सीआरएम एज को कार्यान्वित किया है; यह शाखाओं, विपणन अधिकारी और प्रशासनिक कार्यालयों के लिए एक एकीकृत समाधान है; यह उत्पाद प्रति ग्राहक (पीपीसी), ग्राहक संबंध मूल्य (सीआरवी), प्राप्त सेवाएं, ग्राफिकल रिपोर्ट, शिकायतें / सेवा अनुरोध / प्रश्नों का समाधान जैसी विभिन्न सुविधाएँ एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदान करता है. इसके अलावा, यह शिकायतों को संबंधित हितधारकों तक स्वचालित रूप से भेजने और निर्धारित टीएटी की समाप्ति पर शिकायतों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है.

इस समाधान की सहायता से, बैंक स्वचालित रूप से कारोबार को ट्रैक करता है, लीड्स को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करता है, ग्राहक सेवा में सुधार करता है और शिकायतों का समय पर एवं प्रभावी ढंग से प्रबंधन करता है, ग्राहक को 360-डिग्री दृश्य (विस्तार से), एनालिटिक्स टूल, अभियान प्रबंधन समाधान आदि प्रदान करता है.

सीआरएम तक पहुंच कॉल सेंटर एजेंटों, बैंक के बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और डीएसए/ सीएसए को दी जाती है.

## 3.6 सीबीडीसी डिजिटल रुपया (e₹) ऐप

ई-रूपी (डिजिटल रुपया) हाल ही में शुरू किया गया है, जो भारतीय रुपये का टोकनयुक्त डिजिटल संस्करण है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है.

हमारा बैंक डब्ल्यू-सीबीडीसी (थोक) को कार्यान्वित करने वाले 9 बैंकों में से एक था और सीबीडीसी-आर (खुदरा) को कार्यान्वित करने वाले 13 बैंकों में से एक था. बैंक सीबीडीसी-आर पायलट प्रोजेक्ट के साथ लाइव होने वाला कोहोर्ट 2 में पहला बैंक था.

**6 Lakh+** Users registered on CBDC platform | **16000+** Merchants on-boarded on CBDC | **9.8 Lakh+** Total number of transactions done through CBDC | **₹ 48 Cr** Total amount of transactions done through CBDC

(ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2023 में यूनियन बैंक का सीबीडीसी ऐप आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास एवं श्री नन्दन निलेकानी को प्रदर्शित किया गया)

## 3.7 डिजिटल यात्राएं

### म्यूचुअल-फंड और बीमा कारोबार के लिए डिजिटल समाधान

### डिजिटल म्यूचुअल फंड

शुल्क-आधारित आय बढ़ाने के उद्देश्य से, बैंक ने शाखाओं में पेपरलेस लेनदेन प्रदान करने के अलावा, बैंक के मोबाइल ऐप और नेट-बैंकिंग चैनलों के माध्यम से म्यूचुअल फंड की बिक्री के लिए डिजिटल समाधान शुरू किया है.

Union Invest यथा 31-03-2024

**1,01,360 (एसआईपी + एकमुश्त) 89.43 करोड़ राशि**

म्यूचुअल फंड एसटीपी का उद्देश्य ग्राहकों की म्यूचुअल फंड निवेश आवश्यकताओं के लिए सर्वोत्तम ग्राहक अनुभव प्रदान करना और हमारे ग्राहकों को डिजिटल खरीदारी का अनुभव प्रदान करना है.

### डिजिटल बीमा

बैंक ने स्वास्थ्य, सामान्य और जीवन खंड में 34 डिजिटल बीमा उत्पादों को एकीकृत किया है.

UniSure Union Insure यथा 31-03-2024

**2259 नीतियां, 0.26 करोड़ राशि**

यह व्योम, इंटरनेट बैंकिंग और शाखा मॉड्यूल में उपलब्ध है.

### वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित डिजिटल यात्राएँ:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने झंझट-रहित डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न एसटीपी यात्राएं, सुविधाओं में वृद्धि, प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि को कार्यान्वित किया है.

- **डिजिटल बचत खाता:**

  बैंक ने नेक्स्ट-जेनरेशन का डिजिटल बचत खाता शुरू किया है, जिसमें ग्राहक शाखा में जाए बिना ऑनलाइन अपना बचत खाता खोल सकते हैं. वीडियो-केवाईसी और आधार एवं पैन के ऑनलाइन सत्यापन के कार्यान्वयन के साथ खाता खोलने की प्रक्रिया आसान हो गई है और इस तरह ग्राहक तुरंत लाभ उठाना शुरू कर सकते हैं. डिजिटल बचत खाता यात्रा

31 अक्तूबर, 2023 को शुरू की गई. यथा 31 मार्च, 2024 तक, बैंक ने 3012 बचत खातों का डिजिटल रूप से जुटाव कर सका है. वॉक-इन ग्राहकों के लिए एसबी जनरल और प्रीमियम खाते आसानी से और कम टीएटी के साथ खोलने के लिए डिजिटल रूप से सहायता प्राप्त प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया गया है.

डिजिटल बचत खाते की प्रमुख विशेषताएं:

- ऑनलाइन पैन और आधार सत्यापन
- वी-केवाईसी के माध्यम से ऑनलाइन खाता खोलना
- निकटवर्ती शाखा का चयन करने की सुविधा
- तत्काल खाता खोलना और वित्तपोषण का विकल्प

➢ **डिजिटल यूनियन किसान तत्काल:**

डिजिटल यूनियन किसान तत्काल यात्रा मौजूदा केसीसी उधारकर्ताओं को आपातकालीन कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए ऑफर की जाती है, जिनकी केसीसी सीमा रु.25.00 लाख तक है. यह योजना रु. 5,000 से रु. 50,000 तक की ऋण राशि प्रदान करती है. यह यात्रा मिनटों के भीतर पूर्णतः स्वचालित निर्णय लेने और डिजिटल मंजूरी प्रदान करती है. डिजिटल यूनियन किसान तत्काल यात्रा स्वयं सेवा मोड में मोबाइल और वेब एप्लिकेशन इंटरफ़ेस के माध्यम से किसान अनुकूल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया प्रदान करती है. 31 मार्च, 2024 तक, बैंक रु. 6.49 करोड़ की मंजूर राशि के साथ 1573 आवेदन जुटा पाया/सका है.

जी20 सम्मेलन, गांधीनगर में डिजिटल केसीसी की प्रस्तुति

➢ **डिजिटल पीएम स्वनिधि:**

स्ट्रीट वेंडरों को सूक्ष्म ऋण सक्षम करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार ने "पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि)" वर्ष 2020 में अपनी आजीविका पुनः शुरू करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती ऋण प्रदान करने हेतु विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा योजना शुरू की थी. ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को सूक्ष्म ऋण के लिए परेशानी मुक्त त्वरित मंजूरी और संवितरण दृष्टिकोण की सुविधा देने के लिए, डिजिटल पीएम स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को रु.50000.00 तक के ऋण मंजूर करने हेतु एक नया उत्पाद विकसित किया गया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 8400 ऋण आवेदनों को डिजिटल रूप से मंजूर किया गया, जिसकी राशि रु. 9.29 करोड़ है.

➢ **डिजिटल कार्यशील पूंजी वृद्धि:**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मौजूदा सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के नकदी ऋण खाताधारकों के लिए कार्यशील पूंजी सीमा में डिजिटल रूप में बढ़ोत्तरी की योजना बनाई गई है, ताकि उन्हें अपनी नियमित कारोबार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परेशानी मुक्त मंजूरी मिल सके. इस उत्पाद के साथ, मौजूदा सीसी ग्राहक अपनी मौजूदा सीमा में रु.10.00 लाख तक की वृद्धि के लिए आवेदन कर सकते हैं.

➢ **डिजिटल स्वर्ण ऋण:**

डिजिटल स्वर्ण ऋण एप्लीकेशन का उद्देश्य ग्राहकों की ऑन-बोर्डिंग को आसान बनाना और स्वर्ण ऋण के प्रसंस्करण के लिए टीएटी को कम करना है. डिजिटल स्वर्ण ऋण की यात्रा व्योम ऐप के साथ-साथ बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट के माध्यम से भी उपलब्ध है. डिजिटल स्वर्ण ऋण एप्लीकेशन खुदरा, एमएसएमई और कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करता है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,50,433 आवेदन जुटाए गए और रु. 5007 करोड़ मंजूर किए गए.

➢ **ऑनलाइन ओटीएस:**

बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के पूर्णतः स्वचालित ओटीएस आवेदन प्रक्रिया. पात्र उधारकर्ता बैंक शाखा में गए बिना निपटान प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

➢ **वी-केवाईसी:**

बैंक ने डिजिटल बचत खाता खोलने और अन्य नए बैंक (एनटीबी) के साथ एकीकरण करके वीडियो केवाईसी समाधान कार्यान्वित किया है. बैंक न्यूनतम टीएटी के साथ मजबूत वी-केवाईसी समाधान प्रदान करता है.

## फिनटेक और पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारी

बैंक फिनटेक के साथ जुड़ने और ग्राहक डिजिटल यात्रा के निर्माण के लिए उनके समाधानों का लाभ उठाने के लिए नीतिगत ढांचा बनाने वाले अग्रणी बैंकों में से एक है. बैंक ने 84 फिनटेक को सूचीबद्ध किया है, इनमें से 18 फिनटेक को कृषि, खुदरा और एमएसएमई क्षेत्रों में विभिन्न डिजिटल समाधानों को कार्यान्वित करने के लिए शामिल किया गया है. फिनटेक के एपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न क्षैतिज क्षमताएं जैसे स्टेटमेंट एनालाइजर, वीडियो-केवाईसी, टाइटल सर्च, वैल्यूएशन आदि का निर्माण किया जा रहा है.

### खाता एग्रीगेटर और ओसीईएन:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खाता एग्रीगेटर इकोसिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था.

बैंक ने 13 खाता एग्रीगेटर को शामिल किया है, जिनमें से 11 एए (फिनवू, वनमनी, अनुमति, एनईएसएल एसेट डेटा लिमिटेड, साफे, कैम्सफिनसर्व, फोनपे, प्रोटीन सुरक्षाएए, टैलीएज, सीआरआईएफ कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और योडली) अभी सक्रिय हैं. आईएनके (मेसर्स यूनाकोर्स एए सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड) और सेतु (मेसर्स अग्या टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) एकीकरण के अधीन हैं.

खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क 4 एमएसएमई यात्राएं अर्थात तरुण, किशोर (मुद्रा), नारी शक्ति और जीएसटी गेन में अंतर्निहित है, और एलएएस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है.

बैंक कारोबार में सुधार, जोखिम प्रबंधन और प्रभावी निगरानी के लिए नए उपयोग के मामलों को विकसित करने हेतु खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क का लाभ उठा रहा है.

ओसीईएन के तहत बैंक ने पहले संदर्भ उपयोग मामले के रूप में जीईएम सहाय को कार्यान्वित किया है और वर्तमान में जीईएम पोर्टल एवं जीएसटीएन पर पंजीकृत एमएसएमई को प्रतिभूति-रहित नकदी प्रवाह आधारित ऋण प्रदान करने के लिए जीएसटी सहाय पर कार्य कर रहा है.

**डिजिटल बैंकिंग इकाइयां**

आपके बैंक ने 7 जिलों में 7 डीबीयूएस का संचालन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कागज रहित, सुरक्षित और जुड़े हुए वातावरण का उपयोग करके उन्नत अनुभव के साथ लागत प्रभावी, सुविधाजनक पहुंच प्रदान करके वित्तीय सेवाओं की डिजिटल पहुंच बढ़ाना है. डीबीयूएस आंध्र प्रदेश के राजमंड्री और मछलीपट्टणम, पलक्कड़ (केरल), सागर (मध्य प्रदेश), नागपुर (महाराष्ट्र), पटियाला (पंजाब) और अगरतला (त्रिपुरा) में स्थित हैं.

डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के कार्यनिष्पादन नीचे दिए गए है:

| | कुल अब तक (वित्तीय वर्ष 2023-24) |
|---|---|
| बचत खाता | 4800+ |
| आयोजित वित्तीय एवं साइबर सुरक्षा कैंप (आरंभ से) | 1840+ |
| केसीसी ऋण (वर्तमान में केवल डीबीयू सागर में परिचालित) | 230 |
| एसटीपी मुद्रा ऋण | 402 |
| व्योम पंजीकरण | 3400+ |
| इंटरनेट बैंकिंग पंजीकरण | 1800+ |
| डिजिटल लेनदेन की संख्या | 1920000+ |

सभी डीबीयू इंटरएक्टिव टैबलेट, बहु-कार्यात्मक कियोस्क, टेबलेट, एटीएम, वीडियो केवाईसी उपकरण, जैसी स्मार्ट क्षमताओं से लैस हैं. ये डीबीयू स्व-सेवा मोड में 27 बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं.

## 4. कारोबार की मुख्य विशेषताएं:

4.1 31 मार्च, 2024 तक बैंक का कुल वैश्विक कारोबार रु. 21,26,412 करोड़ रहा.

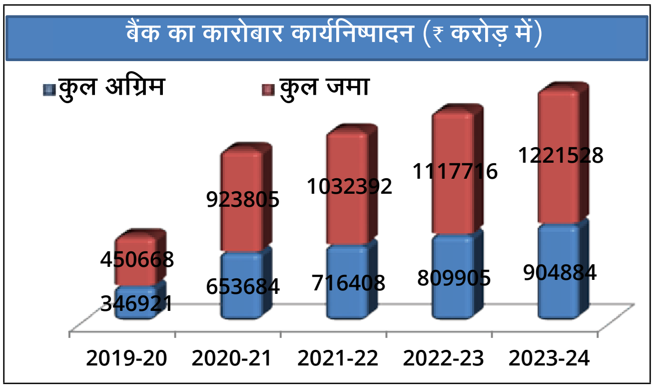


4.2 31 मार्च, 2024 तक कुल जमाराशियां रु.12,21,528 करोड़ रही. 31 मार्च, 2024 को इसमें से कासा (चालू खाता और बचत खाता) अंश 33.58 % रहा.

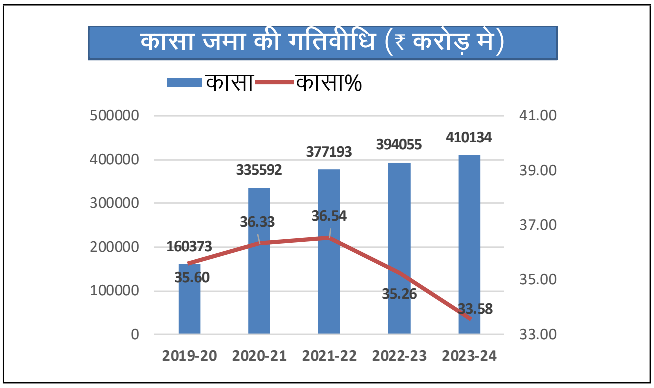


4.3 31 मार्च, 2024 को सकल अग्रिम रु. 9,04,884 करोड़ पर बना रहा. आपके बैंक का रैम सेगमेंट 13.82% रहा. वर्ष-दर-वर्ष आधार पर खुदरा में 11.14%, कृषि में 20.95% एवं एमएसएमई अग्रिमों में 8.58% की वृद्धि हासिल की गई. घरेलू अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में रैम अग्रिम 56.90% रहा.

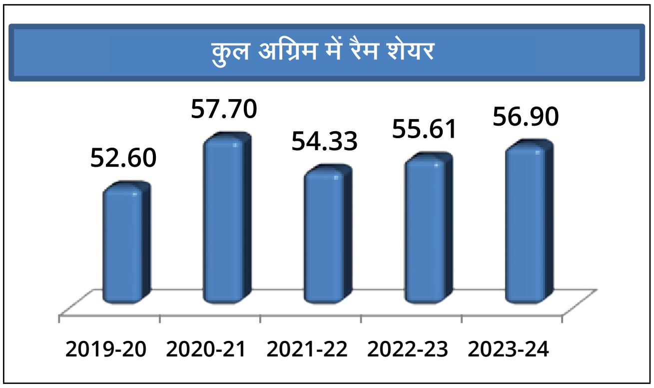


4.4 आपके बैंक का विदेशी कारोबार यथा 31 मार्च, 2024 को ₹53,583 करोड़ रहा, जबकि यथा 31 मार्च, 2023 को ₹36,229 करोड़ रही. आपके बैंक की डीआईएफसी (दुबई) और सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में दो विदेशी शाखाएं हैं. आपका बैंक अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम में भी कार्य करता है और कुआलालंपुर (मलेशिया) में अपने संयुक्त उद्यम- इंडिया इंटरनेशनल बैंक मलेशिया बेरहाद के माध्यम से संचालित होता है, जोकि बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ एक संयुक्त उद्यम है. यथा 31 मार्च, 2024 को विदेशी शाखाओं का सकल अग्रिम संविभाग ₹31,252 करोड़ रहा और यथा 31 मार्च, 2024 को विदेशी शाखाओं का निवल लाभ ₹109.76 करोड़ रहा.

## 5. आय और व्यय:

| तालिका 1: आय और व्यय विवरण (रु. करोड़ में) | | | |
|---|---|---|---|
| क्र | मापदंड | वित्तीय वर्ष 2023-24 | वित्तीय वर्ष 2022-23 |
| 1 | अर्जित आय | 99778 | 80743 |
| 2 | अन्य आय | 16080 | 14633 |
| 3 | कुल आय (1+2) | 115858 | 95376 |
| 4 | व्यय किया गया ब्याज | 63208 | 47978 |
| 5 | निवल ब्याज आय (1-4) | 36570 | 32765 |
| 6 | परिचालन व्यय | 24440 | 21931 |
| | जिसमें से स्थापना व्यय | 14377 | 12390 |
| 7 | कुल व्यय | 87648 | 69909 |
| 8 | परिचालन लाभ (3-7) | 28211 | 25467 |
| 9 | प्रावधान | 14562 | 17034 |
| 10 | निवल लाभ / हानि | 13648 | 8433 |
| 11 | प्रति शेयर आय (रु में) | 18.95 | 12.34 |

## 6. लाभप्रदता और दक्षता:

6.1 आपके बैंक का परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु. 25,467 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में रु. 28,211 करोड़ दर्ज किया गया.

6.2 वित्तीय वर्ष 2023-24 में आपके बैंक का निवल लाभ रु. 13,648 करोड़ रहा.

6.3 आपके बैंक का लागत-से-आय अनुपात वित्तीय वर्ष 2023-24 में 46.42% रहा.

6.4 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, औसत संपत्ति पर प्रतिलाभ 1.03% रहा, जबकि इक्विटी पर प्रतिलाभ 15.58% रहा.

| तालिका 2: दक्षता अनुपात | | |
|---|---|---|
| मापदंड (%) | वि.व. 2023-24 | वि.व. 2022-23 |
| औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ | 1.03 | 0.69 |
| इक्विटी पर प्रतिलाभ | 15.58 | 13.26 |

6.5 वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु आपके बैंक के प्रमुख उत्पादकता अनुपात निम्नानुसार हैं.

| तालिका 3: उत्पादकता | | |
|---|---|---|
| मापदंड | वि.व. 2023-24 | वि.व. 2022-23 |
| प्रति कर्मचारी कारोबार (रु. करोड़ में) | 28.02 | 25.50 |
| प्रति शाखा कारोबार (रु. करोड़ में) | 251.17 | 224.66 |
| प्रति कर्मचारी सकल लाभ (रु. लाख में) | 37.18 | 33.69 |

6.6 लाभांश:

आपके बैंक के बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु रु.10/-प्रत्येक अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर रु.3.60 के लाभांश देने की संस्तुति की है.

## 7. शेयरधारकों को प्रतिलाभ:

7.1 31 मार्च, 2024 तक आपके बैंक की कुल संपत्ति रु.87,601.31 करोड़ रही.

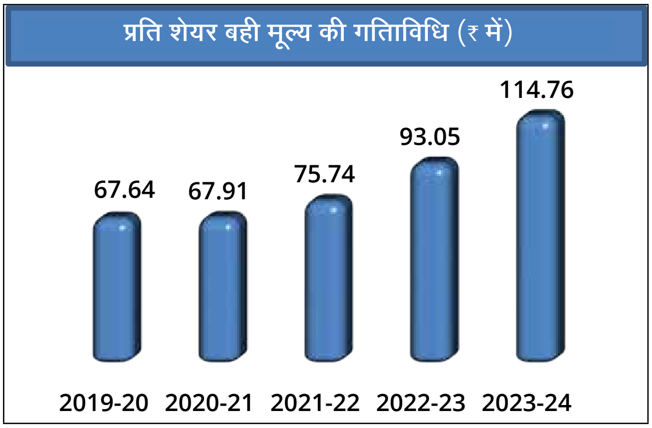


## 8. आस्ति गुणवत्ता:

8.1 31 मार्च, 2024 तक आपके बैंक की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (जीएनपीए) रु. 43,098 करोड़ रही. 31 मार्च, 2024 तक सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में जीएनपीए 4.76% रहा.

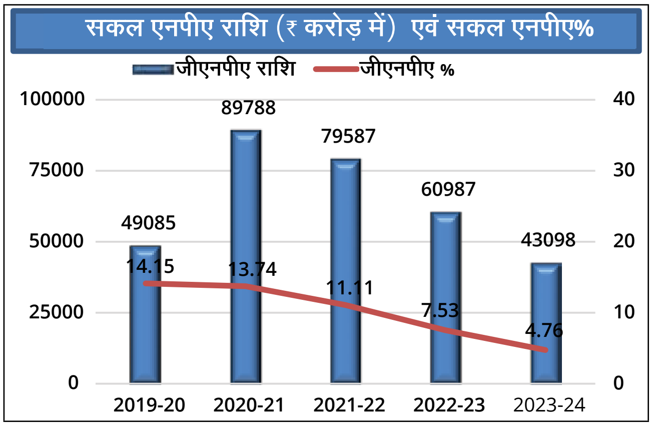


8.2 31 मार्च, 2024 तक बैंक का शुद्ध एनपीए रु.8990 करोड़ रहा तथा 31 मार्च, 2024 को शुद्ध एनपीए अनुपात 1.03% रहा.

## 9. पूंजी पर्याप्तता:

9.1 31 मार्च, 2024 को बासेल III मानदंडों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.97% रहा. मार्च, 2024 को आपके बैंक की सामान्य इक्विटी टीयर I (सीईटी II) पूंजी 13.65% रही.

| तालिका 4: पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासेल III (रु. करोड़ में) | | | |
|---|---|---|---|
| मापदंड | भारतीय रिजर्व बैंक न्यूनतम बेंचमार्क 31 मार्च, 2024 | मार्च 31, 2024 | माच 31, 2023 |
| कुल जोखिम भारित आस्तियां | लागू नहीं | 664188 | 5,78,455 |
| कुल पूंजीगत निधि | | 112689 | 92,778 |
| सीईटी 1 पूंजी | | 90693 | 71,492 |
| टीयर 1 पूंजी | | 99622 | 80,478 |
| सीआरएआर (%) | 11.50 | 16.97 | 16.04 |
| सीईटी 1 (%) | 8.00 | 13.65 | 12.36 |
| टीयर 1 (%) | 9.50 | 15.00 | 13.91 |
| टीयर 2 (%) | 2 | 1.97 | 2.13 |

9.2 आपके बैंक द्वारा जुटाई गई पूंजी

वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने दिनांक 25.08.2023 को ₹10/- अंकित मूल्य के रु.86.55 के मूल्य पर 57,77,00,751 इक्विटी शेयरों के निर्गम और आबंटन के माध्यम से ₹ 5000 करोड़ तक की अर्हता संस्थागत स्थानन के जरिए इक्विटी पूंजी जुटाई है और 26.02.2024 को ₹ 10/- अंकित मूल्य के 22,11,57,390 इक्विटी शेयरों के निर्गम और आबंटन के माध्यम से ₹ 3000 करोड़ की क्यूआईपी के जरिए इक्विटी पूंजी जुटाई है.

उक्त राशि का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक के बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की टीयर 1 पूंजी को बढ़ाने और बैंक के दीर्घ-कालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया गया.

## 10. नेटवर्क

31 मार्च, 2024 तक आपके बैंक का शाखा नेटवर्क 8466 शाखाओं और 2 विदेशी शाखाओं (सिडनी और दुबई) के साथ पूरे देश में फैला हुआ है. इनमें से 59 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित हैं.

## 11. पुरस्कार एवं उपलब्धियां:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आपके बैंक को डिजिटलीकरण, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधन प्रबंधन, ग्राहक सेवा आदि के क्षेत्र में की गई अपनी विभिन्न पहलों के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए.

- 19वीं आईबीए टेक एक्स्पो में बेहतर डिजिटल इंगेजमेंट साइटेशन (उप विजेता, बड़ा बैंक)
- बीएफ़एसआई कॉन्क्लेव और निम्नलिखित पुरस्कार:
  - डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन लीडर
  - यूज ऑफ इमरजिंग टेक्नोलॉजी
  - डिजिटल सिक्योरिटी लीडर अवार्ड
  - इन्नोवेशन बैंक ऑफ द ईयर

## 12. सोशल मीडिया

आपका बैंक सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन पर अपने आधिकारिक हैंडल के माध्यम से उत्पाद/सेवाओं से संबंधित जानकारी प्रदान कर रहा है. बैंक ने अगस्त, 2023 में थ्रेड्स पर अपनी आधिकारिक उपस्थिति दर्ज की है. वार्तालाप सत्र/प्रत्यक्ष संदेश, ग्राहक सेवा सहायता, ऑनलाइन प्रतियोगिता, शैक्षणिक पोस्ट/वीडियो, ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने आदि के माध्यम से कारोबार विचार-विमर्श में उपयोगकर्ता जुड़े थे. उपयोगकर्ता इंटरैक्शन का उपयोग ब्रांड धारणा को समझने और सोशल मीडिया के माध्यम से कारोबार संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया था.

आपका बैंक सोशल मीडिया के माध्यम से किफ़ायती ब्रांड प्रचार पर फल-फूल रहा है और ग्राहकों को उत्पादों, सेवाओं और ऑफ़र के बारे में जागरूक करते हुए आकर्षक स्थिर / वीडियो पोस्ट के साथ गतिशील सामग्री पोस्ट की है. साइबर सुरक्षा पर पोस्ट के माध्यम से जागरूकता भी पैदा की गई, ग्राहकों से धोखाधड़ी, साइबर घोटाले और अन्य सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक कारणों, व्यक्तित्वों को याद रखने, महत्वपूर्ण दिनों/घटनाओं, सार्वजनिक हित का अभियान आयोजित करना आदि के बारे में जागरूक होने का आग्रह किया गया.

बैंक ने प्रमुख इन्फ्लुएंसरों जैसे मैथली ठाकुर, अड्डा संदीप, कार्तिक सूर्या, ईशा केशकर आदि के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के माध्यम से ईटीबी और एनटीबी ग्राहकों के बीच जागरूकता फैलाई है.

आपका बैंक सभी हैंडल पर 365 दिन, रात-दिन, सात दिन (365x24x7) उपलब्ध है, जो बहुत ही संवेदनशील हैं और तुरंत उत्तर देते हैं. पिछले वर्ष में, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के 1.70 लाख प्रश्नों का उत्तर दिया गया, जिससे समय पर मार्गदर्शन, उचित पुनर्निर्देशन और शिकायत निवारण सुनिश्चित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों को संतुष्टि प्राप्त हुई. 8846.14 लाख इंप्रेशन और 115.79 लाख जुड़ाव के साथ आपके बैंक ब्रांड को जनता ने खूब सराहा.

आपके बैंक के पास सोशल मीडिया उपस्थिति पर एक विशाल फालोवर आधार है जो 31 मार्च, 2024 तक वृद्धि होकर 49.75 लाख हो गया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 41.47 लाख था, जो वर्ष-दर-वर्ष 20.04% की वृद्धि को दर्शाता है.

आपका बैंक लगातार मौजूदा या नए उत्पादों के बारे में समग्र भावना को आंक रहा है, नई पहलों, ग्राहक रुचि के बारे में प्रतिक्रिया एकत्र कर रहा है जिससे उत्पाद पेशकशों और प्रदान की जाने वाली सेवाओं में ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके.

आपके बैंक ने सोशल मीडिया हैंडल पर 200 से अधिक डिजिटल मार्केटिंग अभियान चलाए हैं और गूगल एड्स पर लक्षित विज्ञापन अभियान चलाए हैं, जो उत्पादों / सेवाओं / प्रस्तावों पर अधिकतम पहुंच के लिए एक माहौल पैदा कर रहे हैं और बेहतर खोज इंजन दृश्यता और वर्धित वेबसाइट ट्रैफ़िक के साथ नए ग्राहकों को शामिल कर रहे हैं.

बैंक ने आवास ऋण, यूनियन नारी शक्ति आदि जैसे उत्पादों के लिए संभावित कारोबार में परिवर्तित करने हेतु गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, सोशल मीडिया और प्रकाशक नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रमुख अभियान आयोजित किया है.

## 13. बैंक के बोर्ड में निदेशकों में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आपके बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए.

- श्री रजनीश कर्नाटक, कार्यपालक निदेशक बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पदोन्नत हुए, जो 29.04.2023 से प्रभावी है.
- श्री अरुण कुमार सिंह, 14.07.2023 को अपना कार्यकाल पूर्ण किए.
- श्री प्रकाश बलियारसिंह को 14.07.2023 से आपके बैंक के बोर्ड में आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.
- श्री संजय रुद्र को 09.10.2023 से आपके बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.
- श्री निधु सक्सेना, कार्यपालक निदेशक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पदोन्नत हुए, जो 27.03.2024 से प्रभावी है.
- श्री पंकज द्विवेदी को 27.03.2024 से आपके बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

## 14. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशकों द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा बनाते समय निम्न तथ्यों की पुष्टि की गई है:

- भौतिक प्रस्थान, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ प्रभावी लेखा मानकों का पालन किया गया.
- लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और निरन्तर लागू किया गया है तथा लिए गए निर्णय और जो अनुमान लगाए गए हैं वे उचित और विवेकपूर्ण हैं, जिससे कि वित्तीय वर्ष के अंत में आपके बैंक के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए आपके बैंक के लाभ -हानि के बारे में सही और निष्पक्ष चित्रण दिया जा सके.
- आपके बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए प्रासंगिक अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त खाता अभिलेखों के रख-रखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है.
- वार्षिक लेखों को कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किए गए.
- आपके बैंक द्वारा पालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए एवं ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्यशील थे. स्पष्टीकरण इस उपबंध के उद्देश्य के लिए, "आंतरिक वित्तीय विवरणियां" शब्द का अर्थ आपके बैंक द्वारा अपने कारोबार को व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है, जिसमें बैंक की नीतियों का अनुपालन, अपनी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाना, लेखाबहियों के रिकॉर्ड की शुद्धता, पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं को समय पर तैयार करना शामिल है.
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां मौजूद और पर्याप्त रही और ऐसी प्रणालियां प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं.

## 15. बोर्ड का कार्यनिष्पादन आकलन

बैंक के बोर्ड, बोर्ड की समितियों और बैंक के बोर्ड के निदेशकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन एक स्वतंत्र निकाय मेसर्स केपीएमजी इंडिया सर्विसेस एलएलपी, मुंबई द्वारा किया गया है और उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए उपायों की सिफ़ारिश की गई है.

मूल्यांकन हेतु प्रमुख विषय योग्यता, गतिशीलता, विजन तथा कार्यनीति, जोखिम एवं स्वतंत्रता, प्रक्रिया एवं कार्यनिधि है.

## 16. बैंक का बाजार पूंजीकरण

| विवरण | यथा 28.03.2024 बाजार पूंजीकरण (₹ करोड़ में) | सूचीबद्ध इकाइयों में स्थान |
|---|---|---|
| नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड | 1,17,175.85 | 70 (शीर्ष 100 में) |
| बीएसई लिमिटेड | 1,17,137.68 | 70 (शीर्ष 100 में) |

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को इक्विटी कैश मार्केट में स्टॉक एक्स्चेंजों द्वारा टी+0 रोलिंग सेटलमेंट में शामिल किया गया है.

इसके अलावा, बैंक के शीर्ष प्रबंधन ने बैंक की बाजार धारणा को बढ़ाने के लिए बैंक के हितधारकों के साथ अधिक चर्चा की है.

## 17. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

आपके बैंक का बोर्ड उचित कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को अक्षरशः अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. वार्षिक रिपोर्ट के एक अलग खंड में कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक विस्तृत रिपोर्ट दी गई है. वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट लेखा परीक्षा के पात्र नहीं है.

## 18. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

18.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में अग्रणी रहा है. इसी प्रयास में आपके बैंक ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) में अपने योगदान को अधिकतम बनाने के लिए वर्ष 2006 में यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (यूबीएसएफटी) की स्थापना की है. आपके बैंक की प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियां अब यूबीएसएफटी के माध्यम से संचालित की जा रही हैं. इसके बोर्ड की अध्यक्षता आपके बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की जाती है, जिसमें कार्यपालक निदेशक इसके उपाध्यक्ष न्यासी (ट्रस्टी) होते हैं, अन्य न्यासियों (ट्रस्टियों) में आपके बैंक के मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक और एक स्वतंत्र न्यासी (ट्रस्टी) शामिल होते हैं. यूबीएसएफ़टी बोर्ड बैंक के लक्षित क्षेत्रों के अनुसार दिशा-निर्देश प्रदान करता है और प्रत्येक तिमाही में इसकी समीक्षा करता है. बोर्ड के निर्देशों का पालन यूबीएसएफटी के मुख्य कार्यपालक द्वारा किया जाता है. यूबीएसएफटी का पंजीकृत कार्यालय बेंगलुरु में है, जबकि प्रशासनिक कार्यालय मुंबई में स्थित है.

आपके बैंक ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधि की तिमाही आधार पर निगरानी और मार्गदर्शन करने के लिए बैंक के हितधारकों की यूबीएसएफटी की भी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति बनाई है.

सामाजिक उत्थान और वंचित वर्गों के जीवन में सुधार की दिशा में की जाने वाली पहल का समर्थन करने के उद्देश्य से यूबीएसएफ़टी की स्थापना की गई है.

18.2 वर्ष 2023-24 में आपके बैंक/यूबीएसएफ़टी द्वारा कार्यान्वित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियां

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने सीएसआर के तहत रु. 79.33 करोड़ का दान अनुमोदित किया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सेनिटेशन, सामुदायिक विकास, कौशल विकास आदि के तहत 62 परियोजनाओं/कार्यक्रमों को रु.34.79 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई है,

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान शुरू की गई कुछ प्रमुख परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:

- स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ने सिविल कोर्ट अस्पताल, गोरखपुर को एक कस्टम निर्मित एम्बुलेंस दान की है.
- यूबीएसएफटी ने सौराष्ट्र मेडिकल एंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, राजकोट के लाइफ ब्लड सेंटर में महत्वपूर्ण डायग्नोस्टिक उपकरणों की खरीद और स्थापना के लिए गौरवान्वित होकर दान दिया है. यह योगदान जरूरतमंद मरीजों को गुणवत्तापूर्ण डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान करने के अपने मिशन में ब्लड बैंक का समर्थन करने के लिए हमारे समर्पण को दर्शाता है.
- स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता के तहत, चित्रकूट के श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट को उनके अस्पताल के लिए एक एम्बुलेंस दान की गई. इस दान का उद्देश्य गहन देखभाल क्षमताओं से सुसज्जित उन्नत चिकित्सा परिवहन की पेशकश करके रोगियों की गंभीर जरूरतों को पूरा करना है.
- स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता के तहत, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के जिला मजिस्ट्रेट को उनके अस्पताल के लिए एक एम्बुलेंस दान की गई. इस दान का उद्देश्य केदारनाथ के तीर्थयात्रियों एवं स्थानीय लोगों की आपातकालीन चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करना है.
- खेल परिसर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता के तहत नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला को बुनियादी जीवन समर्थन के साथ एक एम्बुलेंस दान की गई. इस दान का उद्देश्य खेल संस्थान में प्रशिक्षुओं की आपातकालीन चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करना है.
- स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), धारकोंडा, पडेरू में एक एम्बुलेंस दान की है. इस दान का उद्देश्य उस इलाके में रोगियों की आपातकालीन चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करना है.

- अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता के तहत श्री गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय, गोरखपुर को 100 अस्पताल बेड दान किए गए. इस दान का उद्देश्य मरीजों की अस्पताल में बिस्तर की जरूरत को पूरा करना है.
- वृद्ध आश्रम में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता के तहत गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम, वृंदावन को एक एम्बुलेंस दान की गई. इस दान का उद्देश्य वृद्ध आश्रम के निवासियों की आपातकालीन चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करना है.
- परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता के तहत निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एनआईएमएस), हैदराबाद में चार इलेक्ट्रिक वाहन (गोल्फ कार्ट) दान किए गए. इस दान से परिसर के अंदर ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अलग-अलग जगहों पर परिवहन की सुविधा मिलेगी.
- स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की प्रतिबद्धता के तहत सीएसआईटीए स्कडर मेमोरियल अस्पताल (एसएमएच) रानीपेट में आरओ प्लांट दान किया. इस दान का उद्देश्य उनके रोगियों, डॉक्टरों, नर्सों और सहायक कर्मचारियों को स्वच्छ और शुद्ध पानी उपलब्ध कराना है.
- स्वच्छ और शुद्ध पानी प्रदान करने की प्रतिबद्धता के तहत असम के कामाख्या मंदिर को 15 स्टील बेंच दान किए गए. इस दान का उद्देश्य देवी कामाख्या के दर्शन के लिए प्रतीक्षा अवधि के दौरान भक्तों के लिए उचित बैठने की व्यवस्था करना है.
- आधुनिक बुनियादी ढांचे प्रदान करने की प्रतिबद्धता के तहत विकास भवन, गाजीपुर के सम्मेलन हॉल को बुनियादी ढांचे का दान किया गया. यह दान आम जनता के कल्याण के लिए उनके सम्मेलन हॉल में आधुनिक बुनियादी ढांचे की पूर्ति करेगा.
- सीताराम पोद्दार माध्यमिक विद्यालय, मुंबई को डेस्कटॉप कंप्यूटर और प्रिंटर, वाटर कूलर, पंखे आदि दान किए गए. इस दान का उद्देश्य स्कूली बच्चों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं और शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है.
- शिशु सिरोथी, बहु दिव्यांग के लिए पुनर्वास और प्रशिक्षण केंद्र, गुवाहाटी को डेस्कटॉप कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, सोनी हेडफोन, आरओ यूवी शुद्धिकरण वाटर कूलर और कुर्सियां दान की गईं. इस दान का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों और व्यक्तियों का कल्याण करना है, जिससे उन्हें उपयुक्त और नवीन उपचार प्रदान किया जा सके तथा उन्हें हस्तक्षेप, सक्षम/पुनर्वासित किया जा सके.

## 19. ईज (संवर्धित पहुंच और सेवा उत्कृष्टता)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा नेक्स्ट-जेनरेशन के सुधारों की शुरुआत करने के लिए प्रारंभ किया गया संवर्धित पहुँच और सेवा उत्कृष्टता (ईज) सुधार एजेंडा अब आपके बैंक में गहराई से समाहित हो गया है. इस यात्रा में बैंक में कई परिवर्तन हुए हैं, जिसमें तकनीकी-क्षमताओं को बढ़ाना, ग्राहक अनुभव में सुधार, तकनीक एवं डेटा-सक्षम क्षमता निर्माण और परिचालन दक्षता में सुधार आदि शामिल हैं. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ईज एजेंडा का पाँचवाँ संस्करण "संवर्धित डिजिटल अनुभव, एकीकृत और समावेशी बैंकिंग" थीम के तहत शुरू किया गया और आपके बैंक को ईज 5.0 वार्षिक सूचकांक में दूसरे स्थान पर रखा गया.

"आधुनिक क्षमताओं द्वारा सक्षम ग्राहक-अनुकूल बैंकिंग" थीम के तहत शुरू किए गए ईज के छठे संस्करण का उद्देश्य ग्राहक स्व-सेवा और कर्मचारी-सहायता प्राप्त डिजिटल यात्राओं को बढ़ाकर ग्राहकों के लिए शाखा बैंकिंग अनुभव में सुधार करना, अधिक ग्राहक जुड़ाव हासिल करना, ग्राहकों को एक सहज कॉल सेंटर अनुभव प्रदान करना, शिकायत निवारण प्रक्रिया की ग्राहक संतुष्टि में सुधार करना, कृषि और इसकी मूल्य श्रृंखला में डिजिटल बैंकिंग पेशकशों का विस्तार करना, परिचालन दक्षता में सुधार के लिए व्यवहार्य प्रक्रियाओं का स्वचालन, पीएसबी की क्लाउड अपनाने की यात्रा में तेजी लाना, फ्रंट बुक में जलवायु जोखिम के आकलन के लिए जोखिम आकलन के तरीके विकसित करना, साइबर जोखिम को कम करने के लिए पीएसबी की तैयारी बढ़ाना, कर्मचारी उत्पादकता में सुधार करना, कौशल योजना बनाना, जॉब फ़ैमिली में प्रशिक्षण और डिजिटल-डेटा-संचालित उत्तराधिकार योजना बनाना है.

आपके बैंक ने ईज ढांचे में क्रमिक रूप से शामिल सुधार उपायों को केन्द्रित तरीके से अपनाया है, जिससे परिचालन क्षमता में वृद्धि, ग्राहक पेशकश में सुधार और तीव्र सेवा वितरण प्राप्त करने में काफी योगदान मिला है.

वित्तीय वर्ष 2023-24 में आपके बैंक द्वारा हासिल किए गए प्रमुख विकासात्मक लक्ष्यों में शामिल हैं:

- डिजिटल व्यापार वित्तीय समाधान के साथ एमएसएमई के लिए व्यापक डिजिटल बैंकिंग का शुभारंभ.
- किसान तत्काल, जीएसटी गेन, नारी शक्ति जैसी और अधिक डिजिटल ऋण यात्राएं का शुभारंभ.
- मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में संवर्धित एमएसएमई कार्यक्षमताओं की शुरुआत.
- आउटबाउंड कॉल सेंटर में भावनाओं और भाषण विश्लेषण के साथ एकीकृत ग्राहक व्यू की शुरुआत.
- ग्राहकों की स्वयं-सेवा तथा कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों की सहायता के लिए 100% शाखाओं को टैबलेट उपलब्ध कराना. सभी ग्राहक शिकायत/प्रतिक्रिया चैनलों को सार्वभौमिक शिकायत आईडी के साथ समेकित शिकायत प्रबंधन पोर्टल में एकीकृत करना.

- वी-केवाईसी के माध्यम से डिजिटल बचत खाता अपनाने की प्रक्रिया में वृद्धि.
- व्योम के माध्यम से संपदा प्रबंधन उत्पादों का डिजिटल अपनाना.
- सुदृढ़ डेटा सुशासन और मॉडल प्रबंधन के लिए विशेषीकृत विश्लेषण कार्य को मजबूत करना.
- संवर्धन विश्लेषणात्मक अवसंरचना और एनालिटिक्स टीम को एनालिटिक्स-आधारित प्रशिक्षण.
- क्लाउड प्रौद्योगिकियों को अपनाने में वृद्धि.
- अंडरराइटिंग प्रक्रिया के दौरान जलवायु-संबंधी और पर्यावरणीय जोखिमों के प्रति संभावित जोखिम का आकलन करने के लिए जलवायु-संबंधी जोखिम प्रबंधन और प्रकटीकरण को मजबूत करना.
- साइबर धोखाधड़ी को कम करने और शिकायत निवारण के लिए साइबर सुरक्षा मॉडल को मजबूत करना.
- लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाना.
- विभिन्न कर्मचारी अनुकूल पहलों को अपनाना.
- बैंक में विशेषज्ञता, उत्तराधिकार नियोजन और नेतृत्व विकास को और मजबूत करना.
- कार्यबल की उत्पादकता में सुधार करना.

वित्तीय वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के लिए नवीनतम ईज 6.0 सूचकांक में, आपका बैंक सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में तीसरे स्थान पर है. आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के सूचकांक में चार में से तीन विषयों अर्थात "डिजिटल सक्षमता के साथ ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता प्रदान करना", "डिजिटल और एनालिटिक्स-संचालित कारोबार सुधार" और "लोगों का विकास करना एवं मानव संसाधन परिचालन को बढ़ाना" के तहत दूसरा स्थान प्राप्त किया है.

चूंकि, आपका बैंक ईज 1.0 से ईज 7.0 में जा हो रहा है, इसलिए यह ग्राहक सेवा, कारोबार निर्णय लेने, बैक-ऑफिस प्रक्रियाओं में नवाचार लाने एवं आपके लिए बैंकिंग अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी में तेजी से विकास का लाभ उठाने के लिए तैयार है.

**ईज नेक्स्ट (पीलर II): बैंक-विशिष्ट 3-वर्षीय रोडमैप कार्यक्रम:**

बैंक विशिष्ट कार्यनीतिक पहलों के लिए ईज़ नेक्स्ट (पीलर-II) के भाग के रूप में, आपके बैंक ने वित्तीय और गैर-वित्तीय आकांक्षाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से 45 मेट्रिक्स को कवर करते हुए निम्नलिखित 5 पहलों को प्राथमिकता दी है.

- बाजार में अग्रणी बनने के लिए आकांक्षी जिलों में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना.
- संपदा प्रबंधनः एचएनआई के लिए रिलेशनशिप मैनेजरों के साथ समर्पित वर्टिकल.
- डिजिटल रेडी बैंकः ऑपेन बैंकिंग क्षमताओं के साथ प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन, अंतर्निहित वित्तपोषण क्षमताओं को सक्षम करना.
- लैंगिक विविधता को केंद्र में रखते हुए उत्तराधिकार नियोजन.
- शाखाओं को बिक्री इंजन के रूप में कार्य करने के लिए बैक-ऑफिसों को मजबूत करना.

इन पहलों से बैंक को अपनी गैर-ब्याज आय में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज करने में सहायता मिली है.

## 20. आभारः

20.1 निदेशक मंडल अपने शेयरधारकों, सम्मानित ग्राहकों, शुभचिंतकों, शेयर अंतरण एजेंट तथा भारत और विदेशों में स्थित आपके बैंक के संवाददाताओं को उनकी सद्भावना, संरक्षण और समर्थन के लिए धन्यवाद देता है.

20.2 निदेशक मंडल, बैंक के काम-काज सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, बीएसई, एनएसई, वित्तीय संस्थाओं, संपर्की बैंक तथा बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से प्राप्त मूल्यवान और सामयिक परामर्श, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है.

20.3 निदेशक मंडल वर्ष के दौरान बैंक के समग्र कार्य-निष्पादन में स्टाफ सदस्यों की समर्पित सेवा तथा उनके बहुमूल्य योगदान की सराहना करता है और आपके बैंक के कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति में इसी प्रकार उनके निरंतर सहयोग की आशा करता है.

20.4 निदेशक मंडल सभी स्टाफ सदस्यों के सुरक्षित, स्वस्थ और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

स्थानः मुंबई (श्रीनिवासन वरदराजन)

दिनांक 11.06.2024 अध्यक्ष

# प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

## 1 वैश्विक अर्थव्यवस्था

1.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था बार-बार लगने वाले झटकों और अभूतपूर्व मौद्रिक सख्ती के बाद भी लचीली बनी रही. अमेरिका और कई प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में वृद्धि उम्मीद से बेहतर रही है. क्षेत्रवार, विनिर्माण गतिविधि धीमी रही, लेकिन सेवाओं ने मजबूती दिखाई. श्रम बाजारों में जारी सख्ती के बीच कोर और सेवाओं की मुद्रास्फीति में गिरावट धीमी रहने के बावजूद सभी देशों में हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी आई. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति को लक्ष्यों के अनुरूप बनाए रखने के लिए नीतिगत दरों को स्थिर रखा है. मौद्रिक नीति पथ पर उतार-चढ़ाव वाली धारणाओं के जवाब में वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं. 'लंबे समय तक उच्च' मौद्रिक नीति पथों की उम्मीदों पर वैश्विक इक्विटी बाजारों में अक्तूबर, 2023 में सुधार हुआ लेकिन बाद में मौद्रिक नीति चक्रों के उलट होने की संभावनाओं के बेहतर होने के कारण इसमें तेजी आई.

1.2 ब्लूमबर्ग कमोडिटी प्राइस इंडेक्स के अनुसार वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में 2023 की दूसरी तिमाही में 4.2% (तिमाही-दर-तिमाही) की गिरावट आई, जो जुलाई, 2023 से ऊर्जा की उच्च कीमतों और ब्लैक सी ग्रेन डील के टूटने के कारण बढ़ रही थी. 2023 की चौथी तिमाही के दौरान यह 5.9% पर थी. खाद्य और कृषि संगठन (एफ़एओ) के अनुसार, वैश्विक खाद्य कीमतों में 2023 की दूसरी तिमाही में 3.2% (तिमाही-दर-तिमाही) की कमी आई और 2024 की पहली तिमाही (फरवरी तक) में 1.6% की और गिरावट आई, जो मुख्य रूप से चीनी, अनाज और मांस की कीमतों में सुधार के कारण हुई.

1.3 कच्चे तेल की कीमतों में शुरुआत में दूसरी तिमाही के दौरान नरमी आई, जो काफी हद तक कमजोर वैश्विक आर्थिक मांग को दर्शाती है. हालांकि, सऊदी अरब और रूस द्वारा तेल आपूर्ति में कटौती के परिणाम में तीसरी तिमाही में कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई, जो 2023 के बाकी समय तक जारी रही. ओपेक+ द्वारा उत्पादन में कटौती और इज़राइल-हमास युद्ध की शुरुआत के कारण सितंबर-अक्तूबर में 90 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के ऊंचे स्तर पर रहने के बाद, 2023 की चौथी तिमाही में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई, जो मुख्य रूप से गैर-ओपेक आपूर्ति में वृद्धि, मांग की बिगड़ती संभावनाओं और मांग में मौसमी नरमी को दर्शाती है. लाल सागर संकट, मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक दवाब के बढ़ने के जोखिम और ओपेक+ द्वारा 2024 की दूसरी तिमाही के लिए स्वैच्छिक कटौती के विस्तार की घोषणा के परिणाम में 2024 की पहली तिमाही में तेल की कीमतों में तेजी आई

1.4 चीन में कमज़ोर आर्थिक गतिविधि और दुनिया भर में निरंतर मौद्रिक सख्ती के मद्देनजर अप्रैल, 2023 से धातु की कीमतें आम तौर पर स्थिर बनी हुई हैं. अमेरिका और यूरोप में बैंक विफलताओं के बीच सुरक्षित आश्रय की मांग के कारण दूसरी तिमाही के पहले आधे समय में सोने की कीमत में उछाल आया. सितंबर में, मोर्टगेज डाउन पेमेंट और ब्याज दरों की आवश्यकताओं में छूट के माध्यम से आवास बाजार का समर्थन करने के लिए चीनी प्रोत्साहन उपायों पर अधिकांश आधार धातुओं की कीमतें मजबूत हो गई. वित्तीय बाजारों द्वारा 2024 के लिए नीतिगत दरों में और अधिक कटौती किए जाने के कारण चौथी तिमाही में सोने की कीमतों में उछाल आई. वैश्विक केंद्रीय बैंकों, विशेषतः यूएस फेड द्वारा लंबी अवधि हेतु उच्च दरों की थीम पर बल देने के साथ लगातार मुद्रास्फीति संबंधी चिताओं पर जोखिम से बचाव के कारण 2024 की पहली तिमाही में सोने की कीमतों में मजबूती जारी रही.

1.5 खाद्य, धातु और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2023 के दौरान दुनिया भर में उच्च स्तर पर बनी रही. मुद्रास्फीति को लक्षित करने वाले अधिकांश एई और मुद्रास्फीति को लक्षित करने वाले ईएमडीई में से लगभग आधे में मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर रही. एई और ईएमई दोनों में कोर मुद्रास्फीति भी उच्च स्तर पर बनी रही. प्रमुख एई में वस्तुओं की मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, जबकि सेवाओं की मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है. कुल मिलाकर, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में निकट अवधि की मुद्रास्फीति की उम्मीदें गिर गई हैं, जबकि दीर्घकालिक उम्मीदें स्थिर बनी हुई हैं. जनवरी, 2024 के आईएमएफ के डबल्यूईओ अपडेट के अनुसार, वैश्विक मुद्रास्फीति 2023 में 6.8% से घटकर 2024 में 5.8% और 2025 में 4.4% हो जाने का अनुमान है.

1.6 वैश्विक वित्तीय बाजारों ने दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान भारी उतार-चढ़ाव दिखाया, जो मौद्रिक नीति पथ पर बदलती अपेक्षाओं के अनुरूप था. अप्रैल-जुलाई, 2023 के दौरान बाजार में तेजी आई, क्योंकि कठिन लैंडिंग की संभावना कम हो गई और अमेरिका में मौद्रिक सख्ती चक्र के उम्मीद से पहले खत्म होने की उम्मीदें मजबूत हुई. मजबूत आंकड़ों और 'लंबे समय तक उच्च' मौद्रिक नीति रुख के कारण तीसरी तिमाही में वित्तीय बाजारों में सुधार हुआ.

1.7 मौद्रिक नीति पथ, मुद्रास्फीति की स्थिरता और आर्थिक गतिविधि की मजबूती पर उतार-चढ़ाव भरी धारणाओं के जवाब में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वैश्विक वित्तीय बाजारों में बड़े उतार-चढ़ाव देखे गए. अक्तूबर में वैश्विक इक्विटी बाजारों में 'लंबे समय तक उच्च' मौद्रिक नीति रुख की प्रत्याशा में सुधार हुआ, लेकिन बाद में कुछ प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों द्वारा निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए जाने के कारण इसमें तेजी आई. एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स के संदर्भ में, सितंबर के अंत से इक्विटी बाजारों में 19.3% की वृद्धि हुई, जो एई और ईएमई दोनों में लाभ को दर्शाता है.

1.8 प्रमुख एई में सॉवरेन बॉण्ड प्रतिफल 2023 की दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में मजबूत हुई, जो चल रही मौद्रिक सख्ती और अवस्फीति की धीमी गति को दर्शाती है. कई ईएमई में बॉण्ड प्रतिफल ने मजबूत पूर्वाग्रह प्रदर्शित किया, जो घरेलू मौद्रिक सख्ती के साथ-साथ वैश्विक संकेतों से प्रेरित था. 2023 की चौथी तिमाही में, प्रमुख एई में सॉवरेन बॉण्ड प्रतिफल नरम हो गई क्योंकि 2024 की शुरुआत में प्रणालीगत वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने सख्ती के चक्रों के अंत और संभावित उलटफेर का संकेत दिया. तथापि, अपस्फीति की धीमी गति के कारण एवं फेड द्वारा लंबी अवधि हेतु उच्च दरों पर बल देने के कारण शुरुआती दर में कटौती की संभावना कम हो जाने के कारण 2024 की पहली तिमाही में प्रतिफल मजबूत हुई.

1.9 वैश्विक वृद्धि के अनुमानों को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा संशोधित किया गया है. अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) ने 2023 में वैश्विक वृद्धि 3.2% रहने का अनुमान लगाया है और 2024 एवं 2025 में भी इसी गति से जारी रहने का अनुमान है. जनवरी प्रकाशन से 2024 के लिए अनुमान 0.1 प्रतिशत अधिक है. क्षेत्रीय संघर्षों, लगातार मुद्रास्फीति और वित्तीय दवाब, चीन की रिकवरी में बाधा, ऋण संकट और भू-आर्थिक विखंडन में वृद्धि के बीच नई कमोडिटी कीमतों में उछाल वैश्विक विकास के लिए नकारात्मक जोखिम हैं.

1.10 आपूर्ति पक्ष के दबावों में कमी के मध्य, प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति, श्रम बाजारों में ढील और ऊर्जा की कीमतों में पहले की गिरावट के कारण 2024 में अधिकांश क्षेत्रों में ईएमई की तुलना में एई में अधिक तेज़ी से मुद्रास्फीति में कमी आने का अनुमान है. वैश्विक मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट आने का अनुमान है, जो 2023 में 6.8% से घटकर 2024 में 5.9% और 2025 में 4.5% हो जाएगी, जिसमें उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपने मुद्रास्फीति लक्ष्यों पर जल्दी वापस आएंगी. कोर मुद्रास्फीति में आम तौर पर अधिक धीरे-धीरे गिरावट आने का अनुमान है. जनवरी, 2024 के अनुमानों की तुलना में 2024 एवं 2025 के लिए 0.3 प्रतिशत अंकों की कमी के संशोधन के साथ, विश्व व्यापार वृद्धि 2024 में 3.0% और 2025 में 3.3% रहने का अनुमान है. मध्यम अवधि में व्यापार वृद्धि अपने ऐतिहासिक (2000-19) वार्षिक औसत वृद्धि दर 4.9% से नीचे, 2029 में 3.2% रहने की उम्मीद है.

## 2. घरेलू अर्थव्यवस्था

2.1 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.0% की वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2% से बढ़ेगी. वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर (2011-12) कीमतों पर जीडीपी रु. 173.82 लाख करोड़ के स्तर को प्राप्त करने का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह रु. 160.71 लाख करोड़ थी. आपूर्ति पक्ष से, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्रमशः 1.4%, 9.5% और 7.6% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में क्रमशः 4.7%, 2.1% और 10.0% की वृद्धि हुई थी. पिछले वर्ष की तुलना में औद्योगिक विकास में सुधार हुआ, जबकि कृषि और सेवा क्षेत्र की वृद्धि कम देखी गई.

2.2 आईएमएफ ने जनवरी के अपने आउटलुक से अप्रैल आउटलुक में 2024 के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी विकास पूर्वानुमान को 30 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने नवीनतम मौद्रिक नीति में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.2% लगाया है, जिसमें पहली तिमाही 7.3%, दूसरी तिमाही 7.2%, तीसरी तिमाही 7.3% और चौथी तिमाही में 7.2% है. ग्रामीण मांग में मजबूती, रोजगार की स्थिति और अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधि में सुधार, मुद्रास्फीति के दबाव में कमी और विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में निरंतर गति से निजी खपत को बढ़ावा मिलना चाहिए. निजी कैपेक्स के लगातार व्यापक होने के कारण, निरंतर और मजबूत सरकारी पूंजीगत व्यय; बैंकों और

कॉरपोरेट्स की स्वस्थ तुलन पत्र; बढ़ती क्षमता उपयोग; और व्यापार आशावाद को मजबूत करने के कारण निवेश गतिविधि की संभावनाएं उज्ज्वल बनी हुई हैं. वैश्विक विकास और व्यापार की संभावनाओं में सुधार, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में भारत के बढ़ते एकीकरण के साथ, वस्तुओं और सेवाओं की बाहरी मांग को बढ़ावा देने की उम्मीद है. हालांकि, दीर्घकालिक भू-राजनीतिक दवाब और व्यापार मार्गों में बढ़ती रुकावटें, वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता, कृषि पर अल नीनो का प्रभाव, तेल की कीमतों के झटके आदि से उत्पन्न चुनौतियां भविष्य के लिए जोखिम पैदा करती हैं.

## 3. कीमत परिदृश्य:

3.1 मौद्रिक नीति कार्रवाइयों और आपूर्ति पक्ष उपायों के जवाब में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 2022-23 में औसतन 6.7% से घटकर 2023-24 में 5.4% हो गई. हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 2023-24 की पहली छमाही में औसतन 5.5% से 2023-24 की दूसरी छमाही में 5.2% हो गई. छिटपुट खाद्य मूल्य झटकों ने मुद्रास्फीति पथ में महत्वपूर्ण अस्थिरता प्रदान करना जारी रखा, नवंबर एवं दिसंबर, 2023 में सब्जियों की कीमतों में उछाल के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि हुई. तथापि, मुख्य मुद्रास्फीति लगातार घट रही है. मार्च, 2024 में, यह 3.2% तक गिर गई, जो वर्तमान सीपीआई शृंखला (2012=100) में सबसे कम दर्ज में से एक है, जो प्रमुख वस्तुओं और सेवाओं दोनों घटकों द्वारा संचालित है.

3.2 2023-24 की पहली छमाही के दौरान, हेडलाइन मुद्रास्फीति की गतिविधियों को मार्च-मई, 2023 के दौरान औसतन एक प्रतिशत अंक के मजबूत अनुकूल आधार प्रभावों से लाभ हुआ, जिससे हेडलाइन मुद्रास्फीति फरवरी में 6.4% से मई में 4.3% तक नीचे आ गई. जुलाई में, खाद्य कीमतों (5.7%) में सर्वकालिक उच्च गति और ईंधन (1.8%) में मजबूत गति ने हेडलाइन मुद्रास्फीति में 290 बीपीएस की रिकॉर्ड मासिक गति को जन्म दिया, जिससे सालाना मुद्रास्फीति 7.4% हो गई. अगस्त में, अनुकूल आधार प्रभावों के साथ गति में गिरावट ने मुद्रास्फीति को 6.8% तक कम करने में मदद की. 2023-24 की दूसरी छमाही में मुख्य मुद्रास्फीति की गतिशीलता को मोटे तौर पर अस्थिर खाद्य मूल्य गति और आधार प्रभावों के बीच परस्पर क्रिया से आकार मिला. मार्च, 2024 में, ईंधन और कोर समूहों से अनुकूल आधार प्रभावों के साथ-साथ खाद्य कीमतों में सुधार से प्रेरित गति में गिरावट के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति में 4.9% की नरमी आई.

3.3 उम्मीद है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति कम होगी और आरबीआई की लक्ष्य सीमा के अंतर्गत होगी. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुद्रास्फीति की गति घरेलू और वैश्विक दोनों कारकों द्वारा निर्धारित की जाएगी और उम्मीदें धीरे-धीरे कम होने के साथ काफी हद तक सीमित रहेंगी. आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.5% रहने का अनुमान लगाया है, जिसमें पहली तिमाही 4.9%, दूसरी तिमाही 3.8%, तीसरी तिमाही 4.6% और चौथी तिमाही 4.5% रहेगी.

## 4. शेयर बाजार का कार्यनिष्पादन

4.1 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) से मजबूत खरीद समर्थन, सकारात्मक पहली तिमाही कॉर्पोरेट आय और स्थिर घरेलू आर्थिक दृष्टिकोण के कारण 2023-24 की पहली छमाही में घरेलू इक्विटी बाजार में तेजी बनी रही. घरेलू मुद्रास्फीति में नरमी और सकारात्मक औद्योगिक उत्पादन आंकड़ों को लेकर आशावाद के बीच सितंबर में बाजारों में तेजी देखी गई. पहली छमाही के दौरान बीएसई सेंसेक्स में 11.6% की तेजी आई और यह 65,828 पर बंद हुआ. पहली छमाही में भारतीय इक्विटी बाजारों ने अधिकांश ईएमई और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) से बेहतर कार्यनिष्पादन किया.

4.2 घरेलू इक्विटी बाजारों ने 2023-24 की दूसरी छमाही में अपनी ऊपर की ओर गति जारी रखी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध फर्मों का कुल बाजार पूंजीकरण ऐतिहासिक यूएसडी 4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर गया और भारत को दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा बाजार बना दिया. कुल मिलाकर, बीएसई सेंसेक्स 2023-24 की दूसरी छमाही के दौरान 11.9% बढ़कर 73,651 पर बंद हुआ, जबकि बीएसई मिडकैप और बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक दूसरी छमाही के दौरान क्रमशः 21.6% और 14.9% बढ़े. दूसरी छमाही में भारतीय इक्विटी बाजारों ने प्रमुख उभरती हुई बाजार (ईम) अर्थव्यवस्थाओं के साथ तालमेल बनाए रखा.

## 5. प्रतिफल उतार-चढ़ाव:

5.1 2023-24 की पहली छमाही के दौरान, 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल में 9 बीपीएस की कमी आई, जो घरेलू और वैश्विक कारकों को दर्शाता है. 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल पहली तिमाही में 21 बीपीएस गिरकर 7.10% पर बंद हुई और दूसरी तिमाही में प्रतिफल 12 बीपीएस बढ़कर 7.22% हो गई.

5.2 2023-24 की दूसरी छमाही के दौरान, जी-सेक प्रतिफल में कमी आई, जो घरेलू और वैश्विक दोनों कारकों को दर्शाता है. 2023-24 की तीसरी तिमाही में, प्रतिफल में शुरुआत में

मजबूती आई, लेकिन उसके बाद अक्तूबर और नवंबर के लिए उम्मीद से कम दर्ज घरेलू सीपीआई, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, प्रमुख वैश्विक उभरते बाजार सूचकांक में भारत सरकार के बॉण्ड को शामिल करने का प्रस्ताव और यूएस प्रतिफल में गिरावट के कारण इसमें नरमी आई. कुल मिलाकर, 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल तीसरी तिमाही में 2 बीपीएस से कम होकर 7.20% पर बंद हुई. अंतरिम बजट 2024-25 में कम सकल बाजार उधारी की घोषणा के बाद फरवरी, 2024 में घरेलू प्रतिफल में और कमी आई. कुल मिलाकर, 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल चौथी तिमाही में 13 बीपीएस से गिरकर 7.07% हो गई और संचयी रूप से, 2023-24 की दूसरी छमाही में प्रतिफल में 15 बीपीएस की गिरावट आई.

5.3 मार्च के अंत और सितंबर, 2023 के अंत के बीच सभी अवधियों में टी-बिलों पर प्रतिफल में कमी आई, तथा बाजार की उम्मीदें अपरिवर्तित नीतिगत दरों पर टिकी रहीं. 2023-24 की दूसरी छमाही के दौरान, टी-बिलों पर प्रतिफल शुरू में चलनिधि में वृद्धि के कारण ऊपर की ओर दवाब के साथ स्थिर रहा, जबकि सरकारी खर्च पर चलनिधि की स्थिति में सुधार होने से मार्च में प्रतिफल में वृद्धि हुई.

## 6 बाह्य क्षेत्र

6.1 धीमी होती वैश्विक अर्थव्यवस्था, लगातार भू-राजनैतिक दवाब और भू-आर्थिक विखंडन के बीच, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में वास्तविक रूप से 7.7% की कमी आई, जबकि वस्तुओं और सेवाओं के आयात में 10.1% की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप निवल निर्यात में तेज उछाल आया और यह 2023-24 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का (-) 6.4% हो गया, जबकि 2022-23 की चौथी तिमाही में यह (-) 0.1% और एक साल पहले (-) 2.3% था. अप्रैल-अगस्त, 2023 के दौरान व्यापारिक निर्यात (यूएसडी के संदर्भ में) में 11.9% की गिरावट आई और व्यापारिक आयात में 12.1% की गिरावट आई. अप्रैल-अगस्त, 2023 में व्यापारिक व्यापार घाटा एक साल पहले के 112.9 बिलियन यूएसडी से कम होकर 98.9 बिलियन यूएसडी हो गया क्योंकि आयात में गिरावट निर्यात से ज्यादा रही. लंबे समय तक चले भू-राजनीतिक दवाब के बावजूद भारत की बाहरी मांग में 2023-24 की दूसरी छमाही (अक्तूबर-फरवरी) में सुधार के संकेत मिले हैं. दूसरी छमाही (अक्तूबर-फरवरी) के दौरान व्यापारिक निर्यात (यूएसडी के संदर्भ में) में 3.7% की वृद्धि हुई, जबकि इस अवधि के दौरान व्यापारिक आयात में 2.5% की मामूली वृद्धि हुई. दूसरी छमाही (अक्तूबर-फरवरी) के दौरान व्यापारिक व्यापार घाटा पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यूएसडी 105.1 बिलियन से मामूली रूप से बढ़कर यूएसडी 105.7 बिलियन हो गया.

6.2 चालू खाता घाटा (सीएडी) पिछले वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी के 2.1% से कम होकर 2023-24 की पहली तिमाही में जीडीपी का 1.1% हो गया, जो कि कम वाणिज्य वस्तु व्यापार घाटे, सेवाओं के निर्यात में उच्च निवल अधिशेष और मजबूत आवक प्रेषणों के कारण हुआ. निवल सेवा व्यापार में सुधार और निवल हस्तांतरण प्राप्तियों में वृद्धि के साथ चालू खाता घाटा दूसरी तिमाही में 1.3% से मामूली रूप से कम होकर 2023-24 की तीसरी तिमाही में जीडीपी का 1.2% हो गया.

6.3 वैश्विक एफडीआई प्रवाह में व्यापक गिरावट के बीच अप्रैल-जुलाई, 2023 के दौरान निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह घटकर 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया. घरेलू विकास और कॉर्पोरेट आय पर निवेशकों के सकारात्मक दृष्टिकोण के जवाब में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) मुख्य रूप से इक्विटी मार्ग के माध्यम से फिर से बढ़ गया. पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आउटफ्लो के मुकाबले 2023-24 की पहली छमाही में 20.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफपीआई प्रवाह दर्ज किया गया. निवल एफडीआई प्रवाह एक वर्ष पूर्व (2023-24 की तीसरी तिमाही में 4.2 बिलियन अमरीकी डॉलर का अंतर्वाह) के 5.4 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर दूसरी तिमाही (अक्तूबर-जनवरी) में 9.9 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया. निवल एफपीआई इक्विटी प्रवाह 2023-24 की दूसरी छमाही के दौरान बढ़कर 8.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था.

6.4 मुद्रा बाजार में, 2023-24 में भारतीय रुपया (रु.) मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल और चालू खाता घाटे (सीएडी) में कमी, पूंजी प्रवाह में सुधार और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के साथ भारत की बाहरी स्थिति में सुधार के कारण काफी हद तक सीमित रहा. 2023-24 की दूसरी छमाही में, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.4% कमजोर हुआ. अक्तूबर-दिसंबर, 2023 के दौरान भारतीय रुपये में गिरावट के साथ कारोबार हुआ, जिसमें अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में वृद्धि और मध्य पूर्व में भू-राजनैतिक दवाब के कारण सुरक्षित पनाहगाह की मांग पर अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ. मार्च, 2023 के अंत और मार्च, 2024 के अंत के बीच, भारतीय रुपये में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1.4% की गिरावट आई, तथापि इसने अन्य ईएमई मुद्राओं से बेहतर कार्यनिष्पादन किया. 2023-24 की दूसरी छमाही में, ईएमई मुद्राओं में विनिमय दर में उतार-चढ़ाव कम हो

गया. भारतीय रुपया सबसे कम अस्थिर ईएमई मुद्राओं में से एक रहा.

6.5 29 मार्च, 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 645.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2023-24 में अनुमानित व्यापारिक आयात के 11.3 महीने के बराबर और दिसंबर, 2023 के अंत में बकाया विदेशी ऋण के 99.6% के बराबर है.

## 7. चलनिधि की स्थिति:

7.1 मौद्रिक नीति के रुख, अधिशेष चलनिधि में वृद्धि और अतिरिक्त चलनिधि से मूल्य और वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने 19 मई से 28 जुलाई, 2023 के बीच सभी अनुसूचित बैंकों के एनडीटीएल में वृद्धि पर 12 अगस्त, 2023 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी 10% का वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (आई-सीआरआर) लगाया. यह संकेत दिया गया था कि त्यौहारी सीज़न से पहले बैंकिंग प्रणाली में अवरुद्ध धन वापस करने के उद्देश्य से 8 सितंबर, 2023 को या उससे पहले आई-सीआरआर की समीक्षा की जाएगी. 8 सितंबर को समीक्षा करने पर, आई-सीआरआर को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया ताकि सिस्टम की चलनिधि को अचानक झटके न लगें और मुद्रा बाजार व्यवस्थित तरीके से काम करें.

7.2 चलन में मुद्रा (सीआईसी) ने दूसरी छमाही में बैंकिंग प्रणाली से चलनिधि को खत्म कर दिया क्योंकि त्यौहारी मांग और राज्य चुनावों के कारण यह बढ़कर रु. 2.26 लाख करोड़ हो गया. यह सरकारी नकदी शेष (रु. 1.43 लाख करोड़) की कमी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निवल विदेशी मुद्रा खरीद (रु. 1.95 लाख करोड़) से अधिक था. ओएमओ बिक्री ने बैंकिंग प्रणाली से चलनिधि को वापस ले लिया जबकि वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (आई-सीआरआर) के चरणबद्ध समापन ने चलनिधि को बढ़ाया. कुल मिलाकर, एलएएफ के तहत निवल इंजेक्शन 29 मार्च, 2024 को रु. 0.53 लाख करोड़ तक सीमित हो गया, जो 29 सितंबर, 2023 को रु. 0.97 लाख करोड़ और 24 जनवरी, 2024 को रु. 3.46 लाख करोड़ के उच्च स्तर पर था.

7.3 आरबीआई के चलनिधि प्रबंधन में 2023-24 के दौरान दो-तरफ़ा परिचालन शामिल थे. लगभग साढ़े चार साल के अंतराल के बाद सितंबर, 2023 के मध्य में पहली बार सिस्टम चलनिधि घाटे की स्थिति में चली गई और दूसरी छमाही के दौरान उच्च सरकारी नकदी शेष के मद्देनजर घाटा जारी रहा. दूसरी छमाही में चलनिधि की तंगी को कम करने के लिए रिज़र्व बैंक ने उनतीस परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) परिचालनों के माध्यम से चलनिधि इंजेक्ट की. दूसरी छमाही के दौरान, सरकारी खर्च में वृद्धि से उत्पन्न अधिशेष चलनिधि को अवशोषित करने के लिए 2-7 फरवरी, 2024 के बीच छह फाइन ट्यूनिंग वीआरआरआर नीलामियाँ आयोजित की गईं, इसके बाद फरवरी और मार्च के शेष भाग में आठ और नीलामियाँ की गईं. निवल आधार पर, पहली छमाही में रु. 1.07 लाख करोड़ के शुद्ध अवशोषण की तुलना में दूसरी छमाही में औसत दैनिक इंजेक्शन रु. 1.06 लाख करोड़ था. तथापि, सरकारी नकदी शेष के लिए समायोजित, दूसरी छमाही के दौरान बैंकिंग प्रणाली में औसत संभावित चलनिधि अधिशेष (रु. 2.34 लाख करोड़) में रही.

## 8. आरबीआई के नीतिगत निर्णय:

8.1 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा और विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप लाने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रही.

8.2 2023-24 की पहली छमाही के दौरान, मुद्रा बाजार दरें नीति गलियारे के भीतर उभरती हुई चलनिधि स्थितियों और भारतीय रिज़र्व बैंक के बाज़ार संचालन के अनुरूप उतार-चढ़ाव करती रहीं. औसत आधार पर, अग्रिम कर भुगतान, माल और सेवा कर (जीएसटी) आउटफ्लो और अगस्त, 2023 में सभी अनुसूचित बैंकों के लिए निर्धारित वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) से घर्षणात्मक चलनिधि कमी के कारण भारित औसत कॉल मनी दर (डब्ल्यूएसीआर), रेपो दर से 5 बीपीएस अधिक थी.

8.3 2023-24 की दूसरी छमाही के दौरान, डब्ल्यूएसीआर पॉलिसी रेपो दर से 21 आधार अंक (बीपीएस) अधिक था, जो 2023-24 की पहली छमाही में 5 बीपीएस से अधिक था. अन्य ओवरनाइट दरें डबल्यूएसीआर के अनुरूप ही चलीं. 2023-24 की दूसरी छमाही के दौरान डब्ल्यूएसीआर का बढ़ा हुआ स्तर मुख्य रूप से प्राथमिक डीलरों (पीडी) के कारण था. पीडी द्वारा सामना किए जाने वाले चलनिधि दवाब को पहचानते हुए, रिज़र्व बैंक ने जनवरी, 2024 में स्थायी चलनिधि सुविधा (एसएलएफ़) के तहत स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) के लिए सीमा बढ़ा दी और मार्च, 2024 में एलएएफ़ के तहत विशेष प्रावधान किया.

## 9 बैंकिंग वातावरण:

9.1 भारत का बैंकिंग क्षेत्र सुदृढ़ और लचीला बना हुआ है, जिसे परिसंपत्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार, खराब ऋणों के लिए बढ़ा हुआ प्रावधान, संवहनीय पूंजी पर्याप्तता और लाभप्रदता में वृद्धि का समर्थन प्राप्त है.

9.2 आर्थिक गतिविधियों के अनुरूप 2023-24 की पहली छमाही में बैंक ऋण वृद्धि मजबूत रही. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा दिए गए गैर-खाद्य बैंक ऋण में 22 सितंबर, 2023 तक 15.3% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जो एक वर्ष पहले 16.9% की वृद्धि से अधिक है. 2023-24 की दूसरी छमाही में भी, आर्थिक गतिविधियों में सुधार के साथ बैंक ऋण वृद्धि मजबूत रही. गैर-खाद्य बैंक ऋण में वृद्धि मार्च, 2023 के अंत में 15.4% से बढ़कर मार्च, 2024 (किसी गैर-बैंक के बैंक में विलय के प्रभाव को छोड़कर) के अंत में 16.3% (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई. वृद्धि को सेवाओं और खुदरा क्षेत्रों द्वारा संचालित किया गया. औद्योगिक ऋण वृद्धि, जो 2023-24 की पहली छमाही के दौरान धीमी थी, इसमें तीसरी तिमाही में सुधार हुआ. 2023-24 के दौरान सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि लचीली बनी रही, जबकि व्यक्तिगत ऋण की वृद्धि धीमी रही, विशेष रूप से 16 नवंबर, 2023 को आरबीआई द्वारा किए गए नियामक उपायों के बाद नवंबर, 2023 में चुनिंदा खंडों पर जोखिम भार में वृद्धि के बाद गैर-जमानती वैयक्तिक ऋणों की वृद्धि में कमी आई. वर्ष की तीसरी तिमाही में वाहन ऋणों की वृद्धि में कमी आई, जबकि आवास ऋणों की वृद्धि सीमित रही.

9.3 2023-24 की दूसरी छमाही के दौरान वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात 100% से नीचे रहा, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 100% से ऊपर था. यह खासकर 2000 रुपये के नोटों को बंद करने के बाद जमा जुटाने में वृद्धि को दर्शाता है. नतीजतन, ऋण और जमा वृद्धि के बीच की अंतर कम हो गई है. मार्च, 2024 के अंत तक वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात 95.9% था.

9.4 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ब्याज दरों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण एससीबी की कुल जमाराशियों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई. 22 मार्च, 2024 तक कुल जमाराशियों में 12.9% (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई, जो वित्तीय सेवाओं में निरंतर उछाल का संकेत है. कम चलनिधि की स्थिति और मजबूत ऋण मांग के संयोजन ने बैंकों को नई जमाराशियाँ जुटाने के लिए अपनी सावधि जमा दरों में वृद्धि करने के लिए प्रेरित किया. तथापि, वित्तीय वर्ष 2023-24 में जमा वृद्धि ऋण वृद्धि से कम रही.

9.5 2023-24 (दिसंबर, 2023 तक) के दौरान एससीबी की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ, कुल सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात दिसंबर 2023 में घटकर 3.0% रह गया, जो एक साल पहले 4.5% था. सभी प्रमुख क्षेत्रों में परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ.

9.6 2023-24 की पहली छमाही में बैंक उधार एवं जमा दरों में और वृद्धि हुई, जो मई, 2022-फरवरी, 2023 के दौरान नीतिगत दरों में बढ़ोतरी, ऋणों के मूल्य निर्धारण की बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दर (ईबीएलआर) प्रणाली और अधिशेष चलनिधि के मॉडरेशन के विलंबित प्रभाव को दर्शाती है. 2023-24 की दूसरी छमाही में बैंकों की उधार और जमा दरों में संचरण जारी रहा, जिसमें बैंकों ने लगातार ऋण मांग के आधार पर दरों में वृद्धि की. मई, 2022 से नीतिगत रेपो दर में 250 बीपीएस की संचयी वृद्धि के परिणाम में मई, 2022 से फरवरी, 2024 के दौरान एससीबी के नए और बकाया रुपया ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर में क्रमशः 185 बीपीएस और 111 बीपीएस की वृद्धि हुई. मई, 2022 से फरवरी, 2024 के दौरान एससीबी की नई और बकाया रुपया जमा पर डब्ल्यूएडीटीडीआर में क्रमशः 241 बीपीएस और 183 बीपीएस की वृद्धि हुई.

## 10 संसाधन जुटाना

बैंक की कुल जमाराशि रु. 12,21,528 करोड़ रही. कासा जमा कुल जमा का 33.58% रहा.

**जमा की संरचना:**

(रु. करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2024 |
|---|---|---|
| कुल जमा | 11,17,716 | 12,21,528 |
| कासा जमा | 3,94,055 | 4,10,134 |
| बचत जमा | 3,20,075 | 3,36,349 |
| चालू जमा | 73,980 | 73,785 |

**वर्ष के दौरान की गई पहल:**

वित्तीय वर्ष 2024 में विशिष्ट ग्राहक वर्गों के लिए कई अनुरूप उत्पाद पेश किए गए:

- यूनियन सम्मान: पेंशनभोगियों के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप लाभ प्रदान किया गया.
- यूनियन समृद्धि: महिलाओं के लिए एक बचत खाता जो जीवनशैली लाभ और विशेष डेबिट कार्ड प्रदान करता है.
- यूनियन उड़ान: युवा पेशेवरों के लिए, बचत और चालू खाता सुविधाओं को मिलाकर उनके करियर और वित्तीय विकास में सहायता करना. ये उत्पाद इन समूहों की अनूठी ज़रूरतों को पूरा करके ज़िम्मेदार बैंकिंग के साथ जुड़ते हैं, जिससे वित्तीय समावेशन और ग्राहक संतुष्टि बढ़ती है.

- यूनियन मुस्कानः खास तौर पर नाबालिगों के लिए बनाया गया यह विशेष बचत खाता माता-पिता या अभिभावकों के मार्गदर्शन में स्मार्ट मनी मैनेजमेंट के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है. कम तिमाही बैलेंस, बीमा लाभ और सुकन्या समृद्धि और व्यवस्थित निवेश योजनाओं जैसे अनुकूलित निवेश विकल्पों जैसी सुविधाओं के साथ, यूनियन मुस्कान सिर्फ़ एक बैंक खाता नहीं है - यह हमारे युवा ग्राहकों के लिए वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहला कदम है. यह पहल समावेशी बैंकिंग और सामुदायिक समर्थन के प्रति हमारे समर्पण को रेखांकित करती है, जिससे अगली पीढ़ी के लिए एक उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित होता है.

हमने एचएनआई, पेंशनभोगियों और महिलाओं के लिए नए डेबिट कार्ड भी लॉन्च किए- एचएनआई के लिए "एचएनआई एम्पेरियो मेटल कार्ड", पेंशनभोगियों के लिए "सम्मान डेबिट कार्ड" और महिलाओं के लिए "एम्पावर हर डेबिट कार्ड".

अगले साल की ओर बढ़ते हुए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिटेल टर्म डिपॉजिट पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए रोमांचक लॉन्च शामिल हैं. हम अपने ग्राहकों की अनूठी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई कस्टमाइज्ड आवर्ती जमा योजना सहित बाजार में सर्वश्रेष्ठ दरें और लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

## 11 ऋण प्रबंधन

### 11.1 समग्र ऋण:

दिनांक 31.03.2024 तक बैंक का कुल अग्रिम रु.9,04,884 रहा, कॉर्पोरेट एवं अन्य अग्रिम रु.4,07,815 करोड़ रहा. देश भर में 19 बड़ी कॉर्पोरेट शाखाएँ (एलसीबी) और 40 मिड कॉर्पोरेट शाखाएँ (एमसीबी) कॉर्पोरेट ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं. हमारे बैंक ने लार्ज कॉर्पोरेट की निवेश-ग्रेड परियोजनाओं के लिए विवेकपूर्ण संवितरण किया है, इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के अवसरों में भाग लिया है.

### 11.2 मिड कॉर्पोरेट:

एमसीवी ने मिड कॉर्पोरेट वर्टिकल नियंत्रित खातों में वर्ष दर वर्ष आधार पर 25.26% की वृद्धि दर्ज की है.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रु. 20,530 करोड़ की राशि के कुल 193 नए व्यापार प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से रु. 7,003 करोड़ की राशि को 69 खातों में अंतिम मंजूरी दी गई है.

एमसीवी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 178 खातों में रु. 7029 करोड़ की वृद्धि प्रदान की है.

एमसीवी की गैर-ब्याज आय में नई मंजूरी/वृद्धि/गैर-निधि आधार सीमाओं (ऑफ तुलन पत्र एक्सपोजर) के उपयोग से वर्ष दर वर्ष आधार पर 84.47% की वृद्धि दर्ज की गई.

### 11.3 एमएसएमई:

**कारोबार वृद्धि:**

(रु. करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2024 | वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%) |
|---|---|---|---|
| कुल एमएसएमई अग्रिम | 125022 | 135761 | 8.59 |

**एमएसएमई अग्रिम**

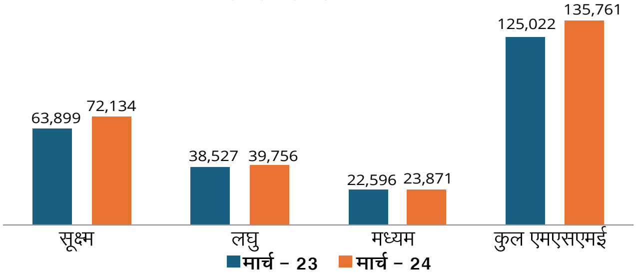


वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एमएसएमई अग्रिमों में 8.59% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नई मंजूरी में वर्ष दर वर्ष आधार पर 13.58% की वृद्धि हुई.

**वर्ष के दौरान नई एमएसएमई मंजूरी (₹ करोड़ में)**

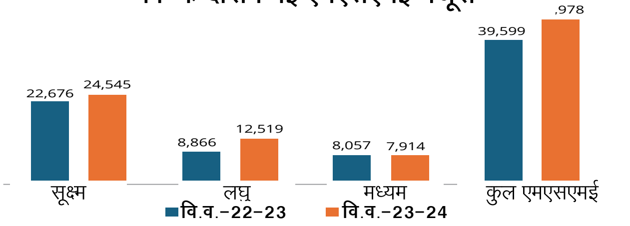


**चिन्हित एमएसएमई योजनाओं के अंतर्गत कार्यनिष्पादन:** बैंक ने लक्षित एमएसएमई खंड के लिए विशिष्ट योजनाएं तैयार की हैं. वर्ष के दौरान चिन्हित की गई एमएसएमई योजनाओं के तहत बैंक के कार्यनिषादन का विवरण निम्नलिखित है.

| योजना का नाम | मंजूर खाता (सं.) | मंजूर राशि (रु. करोड़ में) |
|---|---|---|
| यूनियन एमएसएमई सुविधा | 5607 | 4930 |
| यूनियन नारी शक्ति | 22676 | 2555 |
| यूनियन उपकरण वित्त | 922 | 580 |
| यूनियन आयुष्मान प्लस | 582 | 387 |
| यूनियन सोलर | 186 | 156 |
| यूनियन कोंट्रेक्टर | 541 | 736 |
| यूनियन टेक्सटाइल | 265 | 185 |

**एमएसएमई ऋण केंद्र:** वित्तीय वर्ष के दौरान हमारे 135 एमएसएमई प्रसंस्करण केंद्रों ने रु. 39,228 करोड़ के ऋण प्रस्तावों (कृषि और कॉर्पोरेट सहित) को मंजूर/ मूल्यांकित किया है, जिनमें से रु. 19,693 करोड़ उनके अपने प्रत्यायोजन के अंतर्गत थे.

**आउटरीच कैंप:** एमएसएमई कारोबार के तहत विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने नियमित रूप से अपने निर्धारित क्षेत्रों का दौरा किया है. इसके परिणामस्वरूप एमएसएमई कारोबार आंकड़ों में सुधार के साथ उनके क्षेत्रों की निगरानी में वृद्धि हुई है.

**शाखा प्रबंधक प्रत्यायोजन शक्ति अभियान:** एमएसएमई के तहत स्थायी कारोबार प्राप्त करने के लिए, वर्टिकल ने वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान एमएसएमई ऋणों हेतु शाखा प्रबंधक प्रत्यायोजन के उपयोग के लिए अभियान शुरू किया है. इस अभियान को क्षेत्र से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली और कुल 7,94,720 ऋण खातों को मंजूरी दी गई, जिससे रु.17,824 करोड़ की राशि प्राप्त हुई.

**क्लस्टर योजनाएं:** बैंक के पास पूरे भारत में 27 स्वीकृत क्लस्टर विशिष्ट योजनाएं हैं. वित्तीय वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत कुल मंजूरी रु. 3607 करोड़ थीं.

**यूनियन एमएसएमई फर्स्ट ब्रांच:** एमएसएमई क्लाइंट बेस की जरूरतों को पूरा करने और उनकी ऋण जरूरतों को समय पर पूरा करने के लिए, बैंक के पास देश भर में 105 यूएमएफबी हैं, जिनका कुल एमएसएमई पोर्टफोलियो रु.10,189 करोड़ का है. वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान, इन यूएमएफबी के माध्यम से रु. 3,959 करोड़ की राशि के 3578 ऋण मंजूर किए गए हैं.

**पीएमईजीपी (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम):** वर्टिकल सभी स्तरों पर नियमित निगरानी के साथ सभी क्षेत्रों में पीएमईजीपी योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने 14,714 व्यक्तियों को उद्यमिता की यात्रा शुरू करने में सक्षम बनाया है, जिसके लिए कुल रु. 1501 करोड़ मंजूर किए गए हैं और रु. 345 करोड़ की मार्जिन मनी का दावा किया गया है.

**पीएमएमवाई (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना):** उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और महत्वाकांक्षी युवाओं को सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रु.15,448 करोड़ की कुल मंजूरी के साथ 10,32,375 आवेदनों को मंजूरी देकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कार्यान्वित करने में अग्रणी रहा है.

**पीएमस्वनिधि (पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि):** स्ट्रीट वेंडर्स को सूक्ष्म ऋण प्रदान करके उनके वित्तीय समावेशन को लागू करने और उनके बीच वित्तीय अनुशासन की आदत डालने के लिए, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पीएमस्वनिधि योजना के तहत 2,94,661 स्ट्रीट वेंडर्स को रु. 475 करोड़ की सहायता प्रदान की है.

**स्टैंडअप इंडिया:** अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत रु. 503 करोड़ की संचयी मंजूरी के साथ 2603 आवेदनों को मंजूरी दी है.

**ईएसजी पहल के एक भाग के रूप में पर्यावरणीय फुटप्रिंट को कम करने की पहल:**

**डिजिटल परिवर्तन:** एमएसएमई ग्राहक अब अपनी कारोबारिक आवश्यकताओं के लिए डिजिटल रूप से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस मोर्चे पर, बैंक ने डिजिटल यात्राएँ शुरू की हैं, जिसके माध्यम से रु. 25.00 लाख तक के ऋण डिजिटल रूप से मंजूर किए जा सकते हैं.

प्रत्येक डिजिटल उत्पाद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है

राशि रु. करोड़ में

| डिजिटल यात्रा | खाते | मंजूर राशि |
|---|---|---|
| एसटीपी शिशु मुद्रा | 55,365 | 267 |
| एसटीपी किशोर मुद्रा | 4,365 | 117 |
| एसटीपी तरुण मुद्रा | 1,991 | 173 |
| नारी शक्ति एसटीपी | 519 | 30 |
| जीएसटी लाभ | 522 | 110 |
| **कुल** | **62,762** | **698** |

**एमएसएमई खातों का रु. 10.00 लाख तक का डिजी नवीनीकरण:** वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान, 7.33 एमएसएमई खातों की डिजिटल रूप से समीक्षा की गई, जो स्लैब के तहत कुल खाते का 98% है.

वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान पीएमस्वनिधि के तहत मंजूरियों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाया गया, जिससे टीएटी में कमी आई और सूक्ष्म ऋण का तेजी से संवितरण हुआ.

आवेदनों के तेजी से निपटान और टीएटी में सुधार के लिए पीएमस्वनिधि योजना के लिए डिजिटल मंजूरी सक्षम की गई है.

**यूनियन सोलर (नया उत्पाद):** वर्टिकल ने अपने कैप्टिव उपयोग के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए उधारकर्ताओं को वित्तपोषित करने और ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों के उपयोग को बढ़ाने के लिए इस उत्पाद को नया रूप दिया है. योजना को आकर्षक और लागत प्रभावी बनाने के लिए, संपार्श्विक आवश्यकताओं की छूट और रियायती ब्याज दर को मंजूरी दी गई है.

बैंक ने कैप्टिव उपयोग के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन इकाइयों के वित्तपोषण हेतु टीएटी पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है.

महिलाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए, बैंक ने 04.05.2023 से 31.07.2023 तक एक समर्पित अभियान "अब नारी की बारी" शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 1,25,000 महिला उद्यमियों को ऋण स्वीकृत करना है. इस अभियान के दौरान, महिला उद्यमियों के 46,775 ऋण आवेदन मंजूर किए गए.

## 12 खुदरा:

कुल खुदरा अग्रिम रु. 1,77,488 करोड़ तक पहुंच गया, जिससे बकाया खुदरा ऋणों में समग्र वार्षिक वृद्धि 11.14% दर्ज की गई.

**खुदरा ऋण के अंतर्गत उत्पादवार वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि निम्नानुसार है:**

(₹ करोड़ में)

| योजना | वास्तविक मार्च, 2023 | वास्तविक मार्च, 2024 | मार्च, 23 की तुलना में वृद्धि | मार्च, 23 की तुलना में % वृद्धि |
|---|---|---|---|---|
| आवास | 79374 | 86079 | 6704 | 8.45 |
| माइल्स | 16509 | 20340 | 3831 | 23.21 |
| शिक्षा | 9210 | 14068 | 4857 | 52.73 |
| बंधक | 14190 | 15043 | 853 | 6.01 |
| वैयक्तिक | 11664 | 11450 | -214 | -1.83 |
| अन्य | 28754 | 30508 | 1754 | 6.10 |
| कुल खुदरा अग्रिम | 159702 | 177488 | 17786 | 11.14 |

- मार्च, 2023 की तुलना में कुल खुदरा वृद्धि रु. 17786 करोड़ का रहा.
- वर्ष दर वर्ष आधार पर वृद्धि दर 11.14% का रहा.
- अखिल भारतीय आधार पर, आरएलपी (सीपीसी) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रु. 40,017 करोड़ के खुदरा ऋण मंजूर किए.

**लिए गए कदम:**

- टीएटी और अंडरराइटिंग मानकों में सुधार लाने के उद्देश्य से खुदरा ऋणों को संसाधित/स्वीकृत करने के लिए केंद्रीय कार्यालय में एक केंद्रीकृत खुदरा ऋण कक्ष की स्थापना करना.
- केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीकृत बिल्डर टाई-अप, डीलर टाई-अप और डीएसए/सीएसए पैनल कक्ष की स्थापना, जिसका उद्देश्य अनुशासित परिवेश प्रदान कर शीघ्र अनुमोदन प्राप्त करना है.
- खुदरा उधारकर्ताओं को परिचालन सुविधा और सहजता प्रदान करने के लिए आरएलपी संरचना का पुनर्गठन.
- डिजी रिव्यू नवीनीकरण प्रक्रिया अब रु. 50.00 लाख तक के सभी खुदरा ऋणों के लिए अनिवार्य कर दी गई है.
- यूआरटीएस-पीएम सूर्य घर की शुरूआतः यूआरटीएस योजना के तहत मुफ्त बिजली योजना, संपार्श्विक मुक्त ऋण, ऋण की मात्रा रु. 15 लाख तक.

**कार्यनीतियाँ:**

- अंचल/क्षेत्र को उनकी क्षमता और विकास के अवसरों के आधार पर खुदरा कारोबार लक्ष्य का आवंटन.
- आवास ऋण/बंधक ऋण/वाहन ऋण के लिए डिजिटल यात्रा का कार्यान्वयन.
- आवास ऋण और पूल बायआउट के सह-उधार मॉडल के लिए एनबीएफसी/एचएफसी के साथ टाई -अप करना.
- क्रेडिट आउटरीच अभियान का आयोजन.
- टीयर II, III शहरों में आगामी परियोजनाओं पर बिल्डर टाई-अप बढ़ाने के लिए विशेष अभियान.

**12.1 कृषि:** कृषि ऋण हमेशा से हमारे बैंक के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र रहा है. दिनांक 31.03.2024 तक कृषि अग्रिम बैंक के सकल अग्रिम का 21.04% था.

बैंक ने 31 मार्च, 2024 तक कृषि प्राथमिकता के तहत समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 18% के वैधानिक लक्ष्य के मुकाबले एएनबीसी में 18.97% हासिल किया. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कृषि में 20.95% की वार्षिक

वृद्धि दर्ज की, जिसमें 31.03.2024 तक रु. 1,83,833 करोड़ का बकाया था.

लघु एवं सीमांत किसानों को रु. 1,05,242 करोड़ का ऋण दिया गया, जो 31 मार्च, 2024 तक एएनबीसी के 10% के बेंचमार्क के मुकाबले एएनबीसी का 13.24% है. बैंक पीएसएलसी-लघु और सीमांत किसान के तहत रु. 30,000 करोड़ का अधिशेष भी बेच सकता है. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रु. 10568 करोड़ के 5.47 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं.

### 12.2 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम:

बैंक समाज के जरूरतमंद वर्गों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. 31 मार्च, 2024 तक बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम रु. 3,27,728 करोड़ रहा, जिसमें एएनबीसी को 41.32% का ऋण दिया गया, जबकि एएनबीसी को 40% का सांविधिक लक्ष्य दिया गया था. इसमें पीएसएलसी की बिक्री को छोड़कर और आरआईडीएफ/सिडबी/मुद्रा/एनएचबी में निवेश शामिल है.

(रु. करोड़ में )

**तालिका 5: प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम (31.03.2024 को समाप्त तिमाही) लेखापरीक्षा उपरांत (राशि करोड़ में)**

| विवरण* | 31.03.24 | 31.03.23 | वर्ष दर वर्ष(%) | एएनबीसी से % | बेंचमार्क |
|---|---|---|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष 2023-24 | | | | | |
| एएनबीसी का % | | | | | |
| प्राथमिकता क्षेत्र ऋण | 3,27,728 | 3,02,006 | 9% | 41.32 | 40% |
| कृषि प्राथमिकता क्षेत्र | 1,57,248 | 1,35,430 | 16% | 19.83 | 18% |
| लघु एवं सीमांत किसान | 1,05,042 | 95,171 | 10% | 13.24 | 9.50% |
| सूक्ष्म उद्यम | 63,897 | 72,136 | 13% | 9.10 | 7.50% |

(*पीएसएलसी बिक्री/खरीद के बाद और आरआईडीएफ सहित)

### सामाजिक उत्थान के लिए विशिष्ट ऋण

हमारे बैंक ने समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक विकास और समान अवसरों पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है. तदनुसार, बैंक ने समाज के विभिन्न कमजोर और वंचित वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं, अल्पसंख्यक समुदाय और स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधाएं प्रदान की हैं.

- **महिला लाभार्थी:** महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से, बैंक महिला उद्यमियों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करता है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, महिला लाभार्थियों को कुल बकाया ऋण 31 मार्च, 2023 तक रु.1,05,954 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2023 में रु.1,29,304 करोड़ हो गया है, जिसमें 22% की वृद्धि हुई है.
- **अल्पसंख्यक समुदाय:** बैंक अल्पसंख्यक समुदायों जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण पर भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप वित्त प्रदान कर रहा है. 31 मार्च, 2024 तक अल्पसंख्यकों को बकाया ऋण रु.44,734 करोड़ था, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का 13.17% है.
- **कमजोर वर्ग:** हमारा बैंक समाज के कमजोर वर्गों के लिए वित्तपोषण में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है. पीएसएलसी-एसएफ/एमएफ की कमजोर वर्ग को शुद्ध बिक्री एएनबीसी के 14.25% के साथ रु. 1,12,990 करोड़ रहा, जबकि एएनबीसी को 12% का बेंचमार्क दिया गया था.
- **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी):** ग्रामीण युवाओं के बीच रोजगार की समस्या को कम करने के उद्देश्य से, बैंक ने 30 आरसेटी की स्थापना की है, जिनमें से 24 आरसेटी उन जिलों में हैं जहां 31 मार्च, 2024 तक बैंक के पास "लीड बैंक जिम्मेदारी" है. हमारे आरसेटी में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कुल संख्या 3,48,157 है, जिनमें से 2,54,155 उम्मीदवारों का प्रशिक्षण 73% के निपटान अनुपात के साथ किया गया है.
- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी):** बैंक चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक (सीजीजीबी), गुंटूर, आंध्र प्रदेश राज्य को प्रायोजित करता है. इसके पास आंध्र प्रदेश के 8 जिलों में फैली 265 सीबीएस शाखाओं का नेटवर्क है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सीजीजीबी का कारोबार 22% की

वृद्धि के साथ रु. 21,444 करोड़ तक बढ़ गया है. कुल जमा रु. 10,029 करोड़ और अग्रिम रु. 12415 करोड़ रहा, जबकि निवल लाभ रु. 251.91 करोड़ रहा. दिनांक 31.03.2024 तक सकल एनपीए 0.68% और निवल एनपीए 0% है.

- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफ़बीवाई):** हमारा बैंक किसानों के लाभ के लिए पीएमएफ़बीवाई को कार्यान्वित कर रहा है, जो अक्सर जलवायु संबंधी प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं और बहुत पीड़ित होते हैं. बटाईदार और किरायेदार किसानों सहित सभी किसान जो अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाते हैं, पीएमएफ़बीवाई के अंतर्गत कवर होते हैं.

- **क्षेत्र विशेष योजनाएँ**

  बैंक ने कृषि के अंतर्गत ऋण देने में वृद्धि करने के लिए संबंधित क्षेत्रों में किसानों के लाभ के लिए उपलब्ध क्षमता के आधार पर 21 क्षेत्र-विशिष्ट योजनाएं तैयार की हैं.

- **आत्मनिर्भर भारत योजनाएँ/उभरते नवीकरणीय क्षेत्र:**

  बैंक ने कृषि अवसंरचना निधि, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण जैसी विभिन्न आत्मनिर्भर भारत योजनाओं के माध्यम से कृषि अवसंरचना संरचना, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण में हो रहे भारी निवेश का लाभ उठाना शुरू कर दिया है.

  बैंक अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत अन्य योजनाओं का भी लाभ उठा रहा है, जैसे संपीड़ित बायो गैस योजनाएं, सौर ऊर्जा संयंत्र, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत पंप सेटों का सौरीकरण, ताकि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और हरित वित्तपोषण में सुधार करने में मदद मिल सके.

- **डिजिटलीकरण:**

  **डिजिटल केसीसी**

  बैंक ने दिनांक 29.11.2022 को पूरे कर्नाटक में और 30.11.2022 को पूरे मध्य प्रदेश राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड ऑटो रिन्यूअल एसटीपी (सीधे प्रसंस्करण के माध्यम से) शुरू किया है. फिनटेक को ऑनबोर्ड किया गया है और इसे धीरे-धीरे पूरे भारत में बढ़ाया जाएगा (शेष सभी राज्यों में जहां भूमि रिकॉर्ड डिजिटल हैं). रु. 1.60 लाख तक के नए मंजूरी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड एसटीपी पूरे मध्य प्रदेश राज्य, कर्नाटक राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ हिस्सों में शुरू किया गया है. फिनटेक को ऑनबोर्ड किया गया है और इसे धीरे-धीरे पूरे भारत में बढ़ाया जाएगा (शेष सभी राज्यों में जहां भूमि रिकॉर्ड डिजिटल हैं).

  **डिजिटल किसान तत्काल:**

  डिजिटल ऋण कारोबार को बढ़ाने और कृषक समुदाय की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए, बैंक ने दिनांक 24.12.2023 को पूरे देश में एसटीपी (एंड टू एंड) यात्रा के माध्यम से "डिजिटल यूनियन किसान तत्काल ऋण" योजना शुरू की है.

## 12.3 वित्तीय समावेशन:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यनिष्पादन का सारांश:

(रु. लाख में)

| क्र. सं. | मापदंड | मार्च, 2023 | मार्च, 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | पीएमजेडीवाई खातों की संख्या | 280 | 295 |
| 2 | पीएमजेडीवाई खातों में शेष राशि (राशि रु. करोड़ में) | 9046 | 10918 |
| 3 | रुपे कार्ड जारी खाते | 120 | 127 |
| 4 | आधार से जुड़े खाते | 229 | 246 |
| 5 | स्वीकृत ओवरड्राफ्ट | 2.41 | 1.13 |
| 6 | एपीवाई (संचयी) | 33.77 | 42.23 |
| 7 | पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमजेडीवाई खाते | 8.39 | 10.68 |
| 8 | पीएमजेडीवाई खातों में पीएमएसबीवाई | 36.57 | 50.09 |
| 9 | बीसी प्वाइंट पर लेनदेन की संख्या | 1110 | 1505 |
| 10 | बीसी प्वाइंट पर लेनदेन की राशि (रु. करोड़ में) | 71618 | 98738 |
| 11 | आधार नामांकन केंद्रों पर प्रति शाखा प्रतिदिन औसत नामांकन (सं. में) | 14 | 10 |
| 12 | वित्तीय साक्षरता शिविर | 4128 | 8428 |

- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 26.54 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले गए, पीएमजेडीवाई संतृप्ति अभियान लक्ष्य प्राप्ति 99% के साथ.

- पीएमजेडीवाई खातों में कुल जमा राशि पिछले वर्ष प्रति खाता औसत शेष राशि की तुलना में रु. 1872 करोड़ की वृद्धि है.

- वर्ष के दौरान एपीवाई के अंतर्गत संचयी नामांकन में 8.46 लाख की वृद्धि हुई. दिनांक 31.03.2024 तक आपके बैंक ने एपीवाई नामांकन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डीएफ़एस द्वारा आवंटित लक्ष्य 8.53 लाख का 99% हासिल कर लिया है.

- बीसी की संख्या 16806 से बढ़कर 19603 हो गई.
- बीसी एंड्रॉयड डिवाइस का उपयोग करके लेनदेन कर सकते हैं.

**लिए गए नए कदम:**

ए) बीसी प्वाइंट्स पर तत्काल खाता खोलने की सुविधा लागू की गई.

बी) बैंक में वैकल्पिक बीसी और उप-बीसी की अवधारणा शुरू की गई है.

**वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए कार्यनीतियाँ:**

- बीसी की संख्या बढ़ाकर 30000 की जाएगी.
- एपीवाई का वास्तविक समय पर नामांकन की योजना बनाई गई है.
- बीसी भुगतान का पूर्ण स्वचालन
- बीसी कार्यनिष्पादन पर इंटेलिजेंस डैशबोर्ड
- बीसी प्वाइंट पर पासबुक प्रिंटिंग की सुविधा.

## 13 अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग

आपके बैंक का विदेशी कारोबार यथा 31 मार्च, 2023 को रु. 36,229 करोड़ के सापेक्ष यथा 31 मार्च, 2024 तक रु. 53,583 करोड़ रहा. आपके बैंक की डीआईएफसी (दुबई) और सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में दो विदेशी शाखाएँ हैं और यह लंदन, यूनाइटेड किंगडम में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड के माध्यम से और कुआलालंपुर (मलेशिया) में अपने संयुक्त उद्यम - इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद के माध्यम से परिचालन करता है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ एक संयुक्त उद्यम है. यथा 31 मार्च, 2024 तक विदेशी शाखाओं का सकल अग्रिम पोर्टफोलियो रु. 31,252 करोड़ रहा है और यथा 31मार्च, 2024 तक विदेशी शाखाओं का निवल लाभ रु. 109.76 करोड़ रहा.

### व्यापार वित्त

आपका बैंक भारत और विदेशों में संचालित एक व्यापक, सुसज्जित शाखा नेटवर्क के माध्यम से निर्यातकों और आयातकों को कारोबार वित्त उत्पादों और सेवाओं का एक समूह प्रदान करता है. देश भर में फैली 133 अधिकृत डीलिंग शाखाएँ, केंद्रीकृत व्यापार वित्त बैक ऑफिस और केंद्रीकृत स्विफ्ट बैक ऑफिस हैं, जो व्यापार वित्त पोर्टफोलियो के व्यवस्थित विकास, बाजार की माँगों और बदलते नियामक मानदंडों के अनुसार नीतियाँ बनाने और नए उत्पादों को नया रूप देने के लिए हैं.

आपका बैंक घरेलू कार्यालयों और विदेशी कार्यालयों/ संपर्ककर्ता बैंकों और व्यापारिक समुदाय के बीच एक मजबूत संबंध बनाकर उनके बीच तालमेल और व्यापार प्रवाह में सुधार करता है.

आपका बैंक शाखाओं, व्यापार निकायों और अन्य हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल करके निर्यात ऋण की वृद्धि को सुविधाजनक बनाता है.

### वैश्विक भुगतान और सेवाएँ

**अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज वोस्ट्रो शाखा–** हमारी अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज वोस्ट्रो शाखा (आईईवीबी) विदेशी स्थानों से भारत में आवक धन प्रेषण की सुविधा प्रदान करती है. आपका बैंक वोस्ट्रो तंत्र के तहत विदेशी बैंकों के 8 खाते, रुपया आहरण व्यवस्था के तहत एक्सचेंज हाउस के 3 खाते और विशेष रुपया वोस्ट्रो तंत्र के तहत विदेशी बैंकों के 3 खाते बनाए रखता है.

**प्रतिनिधि बैंकिंग संबंध –** अंतरराष्ट्रीय व्यापार और लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए, हमारा बैंक 94 देशों में 520 बैंकों के साथ आरएमए संबंध बनाए हुए है और 15 विभिन्न मुद्राओं में 33 बैंकों के साथ नोस्ट्रो खाते हैं.

### "व्यापार वित्त व्यवस्था"

आपके बैंक के पास विदेशी मुद्रा लेनदेन को डिजिटल बनाने की दिशा में, "ट्रेड नेक्स्ट" का डिजिटल प्लेटफॉर्म है. इन लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए मुंबई और मैंगलोर में केंद्रीकृत विदेशी मुद्रा बैक ऑफिस चालू किए गए.

मानकीकृत दृष्टिकोण का पालन करते हुए प्रचलित दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन के साथ लेनदेन संसाधित किए जा रहे हैं.

समय के साथ, विदेशी मुद्रा बैक ऑफिसों ने व्यापार वित्त लेनदेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त कर लिया है, ग्राहक 'ट्रेड नेक्स्ट' डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित हो रहे हैं, जिससे विदेशी मुद्रा बैक ऑफिस परिचालन मजबूत हो रहा है.

इसके अतिरिक्त, आपका बैंक स्विफ्ट (स्विफ्ट) नेटवर्क का सदस्य है, जो वैश्विक वित्तीय नेटवर्क के भीतर संचार का एक सुरक्षित और सबसे तेज़ माध्यम है.

इसके अलावा, आपका बैंक स्विफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर एमक्यू सीरीज का अवलोकन कर रहा है. एमक्यू सीरीज एक मजबूत मैसेजिंग बैकबोन के रूप में कार्य करती है, जो वित्तीय संस्थानों के बीच विश्वसनीय और वास्तविक समय संचार सुनिश्चित करती है, जिससे निर्बाध सूचना विनिमय का समर्थन होता है.

निरंतर सुधार और नवाचार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, हमारे बैंक ने स्विफ्ट सिस्टम के भीतर कई सिस्टम संवर्द्धन और अपडेट लागू किए हैं. इन संवर्द्धनों का उद्देश्य परिचालन प्रक्रियाओं को अनुकूलित करना, सुरक्षा उपायों को बढ़ाना और हमारे ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है.

आपका बैंक फेमा सुनिश्चित करने और अन्य विनियमों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है.

**निर्यातक/आयातक बैठक**

आपके बैंक द्वारा दी जाने वाली बैंकिंग सुविधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में विभिन्न निर्यातक/आयातक सम्मेलन आयोजित किए गए. यूनियन ट्रेड करंट अकाउंट (यूटीसीए), यूनियन एक्सपोर्ट्स जैसे नए उत्पादों को और अधिक आकर्षक बनाया गया है.

**बाजार में हिस्सेदारी**

निर्यात ऋण में आपके बैंक की बाजार हिस्सेदारी 7.20% (मार्च, 2023 तक) से बढ़कर 8.05% (दिसंबर, 2023 तक) हो गई है.

**टीआरआरएसीएस सॉफ्टवेयर, ईडीपीएमएस / आईडीएमपीएमएस**

आपके बैंक ने व्यापार विनियामक रिपोर्टिंग और अनुपालन समाधान (टीआरआरएसीएस) सॉफ्टवेयर लागू किया है, जिसके कारण समय के साथ लंबित ईडीपीएमएस/आईआरएम/निर्यात अग्रिम प्रविष्टियों में लगातार कमी आ रही है और हम इन प्रविष्टियों को हटाने में काफी हद तक सफल हो पाए हैं, जिससे ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि हुई है.

**लीबोर से एआरआर (वैकल्पिक संदर्भ दर) / आरएफ़आर (जोखिम मुक्त दर) परिवर्तन**

लीबोर की जगह एआरआर की शुरुआत के साथ, वैश्विक व्यापार परितंत्र में एक बड़ा बदलाव आया है. आपके बैंक ने अपने व्यापार वित्त संचालन में एआरआर व्यवस्था को लागू और स्वचालित किया है.

**केंद्रीकृत स्विफ्ट बैक ऑफिस (सीएसबीओ)**

स्विफ्ट एक एकीकृत वेब सक्षम मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है जो केंद्रीय रूप से चलता है और इंटरफेस चैनलों और शाखाओं द्वारा उपयोग किया जाता है, जिससे वित्तीय और गैर-वित्तीय संदेशों का इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान संभव होता है.

स्विफ्ट नेटवर्क पर सीमा पार लेनदेन को संभालने तथा संदेशों का सुचारू एवं पूर्ण सुरक्षित प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए मुम्बई में केंद्रीकृत स्विफ्ट कार्यालय स्थापित किया गया है.

**व्यापार वित्त समाधान-ट्रेड नेक्स्ट**

कारोबार वित्त प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और पुनः डिजाइन के एक भाग के रूप में, आपके बैंक ने कारोबार वित्त समाधान अर्थात् ट्रेड नेक्स्ट की शुरुआत की है.

ट्रेड नेक्स्ट हमारे ग्राहकों के लिए एक अद्वितीय डिजिटल व्यापार सेवा प्लेटफ़ॉर्म है, जो कुशलतापूर्वक और उनकी सुविधा के अनुसार विदेशी मुद्रा लेनदेन करने में मदद करता है. यह प्लेटफ़ॉर्म निर्यात, आयात, गारंटी और प्रेषण सहित सभी प्रकार के व्यापार लेनदेन का समर्थन करता है.

**प्रमुख विशेषताएं:**

- **सुविधा –** अपने घर या कार्यालय से सेवा का लाभ उठाएं, शाखाओं में जाने की आवश्यकता नहीं.
- **रात दिन सात दिन उपलब्धता –** व्यापार से संबंधित लेनदेन चौबीसों घंटे शुरू किया जा सकता है.
- **अनुकूलन –** वैयक्तिक डैशबोर्ड, अनुकूलित टेम्पलेट्स.
- **डिजिटलीकरण के माध्यम से कागज रहित बैंकिंग –** सभी व्यापार लेनदेन के प्रबंधन के लिए समर्पित पोर्टल, सलाह और स्विफ्ट संदेशों की स्वचालित मेलर सूचनाएं.
- **प्रक्रिया सुधार –** लेनदेन आरंभ करने और संसाधित करने के लिए एआई और ओसीआर प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित (कार्यान्वयन प्रगति पर है).
- **दक्षता –** डिजिटलीकरण और केंद्रीकरण के कारण टीएटी में पर्याप्त सुधार.
- **संबंध प्रबंधक –** समर्पित संबंध प्रबंधकों के माध्यम से बेहतर ग्राहक सेवा.
- **अनुपालन –** अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ-साथ विनियामक मानदंडों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करना.

**फेमा लेखा-परीक्षा**

सीएसबीओ, व्यापार वित्त प्रसंस्करण बैक ऑफिस सहित विदेशी मुद्रा लेनदेन में सौदा करने के लिए अधिकृत शाखाएं (प्राधिकृत डीलर) फेमा अनुपालन ऑडिट के अधीन हैं.

**केवाईसी/एएमएल-सीएफटी उपाय**

आपका बैंक पूरे बैंक में केवाईसी मानदंड/दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए व्यापक कदम उठा रहा है. बैंक के पास केवाईसी पर मौजूदा आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुरूप अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)

मानकों, धन शोधन निरोधक (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने (सीएफटी) उपायों पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है.

**बैंक द्वारा आयोजित कार्यशालाएं / कार्यक्रम**

- फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गनाइजेशन (एफ़आईसीओ) ने हमारे बैंक के सहयोग से निर्यातक जागरूकता शिविर का आयोजन किया.

❖ देश में निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने में योगदान के लिए एफ़आईईओ ने बैंक को लगातार 2 वर्षों तक "निर्यात उत्कृष्टता स्वर्ण पुरस्कार" से सम्मानित किया है.

**डिजिटलीकरण पहल**

आपका बैंक अपने मूल्यवान ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए कुशल और सुरक्षित वित्तीय समाधान प्रदान करते हुए नवाचार और सहयोग करना जारी रखा है.

**फोकस में पहल और लाभ:**

**व्योम मोबाइल ऐप के माध्यम से जावक एवं आवक धन प्रेषण:**

- मोबाइल ऐप/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खुदरा सीमा पार धन प्रेषण की सुविधा प्रदान करता है.
- सुव्यवस्थित डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्धारित समय अवधि (टीएटी) को महत्वपूर्ण रूप से कम किया जाता है.

## 14 ट्रेजरी परिचालन

- बैंक के कॉर्पोरेट लक्ष्य के अनुरूप एक विवेकपूर्ण चलनिधि प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए, ट्रेजरी का लक्ष्य नीति दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण, बाजार और चलनिधि जोखिमों का प्रबंधन करते हुए इष्टतम लाभ उत्पन्न करना है. विभिन्न अल्पकालिक मुद्रा बाजार साधनों और विदेशी मुद्रा बाजार द्वारा बेहतर नकदी प्रबंधन. उचित संशोधित अवधि के साथ एक उचित एसएलआर और गैर-एसएलआर निवेश पुस्तक को बनाए रखने से हमें अपनी लाभप्रदता बढ़ाने में मदद मिलेगी.
- उच्च पूंजी-गहन उपकरणों को कम करके अपने बैंक की पूंजी का संरक्षण करें तथा कम पूंजी-गहन उपकरणों का लाभ उठाकर एनआईएम और आरओसीई में वृद्धि करें.

### 14.1 ट्रेजरी कार्यनीति:

- उचित/अनुकूल ब्याज दर अवधि के दौरान एक बड़ी निवेश बही बनाएं और स्वीकृत नीति के अनुसार एम-अवधि बनाए रखें. यह ट्रेजरी लाभ का एक स्रोत होगा.
- वित्तीय बाजार में सभी उपलब्ध अंतरपणन अवसरों का पता लगाना, जैसे विदेशी मुद्रा बनाम मुद्रा बाजार, दिनांकित प्रतिभूतियां बनाम ब्याज दर वायदा (आईआरएफ), दिनांकित प्रतिभूतियां बनाम ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस), दीर्घकालिक राजकोषीय देयताएं बनाम संरचित व्युत्पन्न आदि.
- प्रत्येक स्तर पर समग्र दक्षता स्तर में सुधार के लिए एसीआई डीलिंग प्रमाणन, ट्रेडिंग गेम में निपुणता आदि जैसे विभिन्न आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण के माध्यम से जनशक्ति को मजबूत करना.
- बैंक के नए ग्राहकों को ऑन-बोर्डिंग में और नए एवं पुराने ग्राहकों को सहज अनुभव प्रदान करने हेतु प्रभावी उपयोग के लिए ट्रेजरी बिक्री टीम को मजबूत करना. हम पीडी कारोबार को गतिशील बनाने के लिए बिक्री टीम का विस्तार भी कर रहे हैं.

### 14.2 2023-24 के दौरान कार्यनिष्पादन का सारांश:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रमुख मापदंडों पर ट्रेजरी कार्यनिष्पादन का लक्ष्य बनाम उपलब्धि निम्नानुसार हैं:

(रु. करोड़ में)

| विवरण | वि.व. 2022-23 हेतु वास्तविक आंकड़े | वि.व. 2023-24 हेतु वास्तविक आंकड़े |
|---|---|---|
| ब्याज आय | 24,438.39 | 28,406.49 |
| एमटीएम गेन सहित निवेश के बिक्री पर लाभ | 1083.00 | 1,940.02 |
| विनियम लाभ (फॉरेक्स) | 813.00 | 963.79 |
| **कुल ट्रेजरी आय** | **26,334.39** | **31,310.30** |

### 14.3 वर्ष के दौरान नई पहल:

**ऋण सिंडिकेशन:**

ट्रेजरी शाखा कॉर्पोरेट्स/एनबीएफ़सी को उनके बॉण्ड जारी करने के बारे में सलाह देती है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/वित्तीय संस्थानों/ एनबीएफ़सी/ कॉर्पोरेट्स के बॉण्ड/डिबेंचर में भाग लेकर ऋण सिंडिकेशन गतिविधि भी करती हैं.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आपके बैंक ने कुल रु.4.56 करोड़ की अरेंजर शुल्क अर्जित की है. प्राइम डेटाबेस (प्राइमरी मार्केट मॉनिटर) के अनुसार 01 अप्रैल, 23 से 31 मार्च, 24 की अवधि के लिए, आपके बैंक को कुल निर्गमों के 12.4% शेयर के साथ 16वां स्थान प्राप्त हुआ. प्राइम डेटाबेस के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान आपके बैंक की रैंकिंग में सुधार हुआ है, जो कुल निर्गमों में 1.3% की हिस्सेदारी के साथ 29वें स्थान पर था.

### 14.4. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नियोजित नई पहल

**डीलिंग रूम ट्रेडिंग सिस्टम का उन्नयन:**

डीलिंग रूम सिस्टम के उन्नयन के लिए विक्रेता पहचान की प्रक्रिया पूरी हो गई है, विक्रेताओं के साथ नियम और शर्तें यथाशीघ्र फ़ाइनल होंगी. इससे ट्रेजरी की दक्षता में सुधार के लिए उन्नत प्रणालियों के साथ डीलिंग रूम का सुचारू संचालन होगा.

**बॉण्ड एफआरए/फ्यूचर डेस्क की स्थापना:**

बैंक ने एक समर्पित संरचित डेरिवेटिव डेस्क स्थापित करने की योजना बनाई है जो ग्राहकों को अपने जोखिमों को अधिक कुशलतापूर्वक और वास्तविक समय के आधार पर कम करने में मदद करेगी. इससे आपके क्रेडिट वर्टिकल को संरचित डेरिवेटिव की मदद से संरचित ऋण उत्पादों द्वारा ग्राहकों को उधार लेने की लागत को कम करने में भी मदद मिल रही है.

**मौजूदा ग्राहक कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ाना और नए ग्राहकों को शामिल करना:**

ट्रेजरी रिलेशनशिप समूह मौजूदा ग्राहकों के साथ-साथ नए ग्राहकों के अधिग्रहण से एफएक्स कारोबार को आगे बढ़ाएगा; ग्राहक के लिए व्हाइट लेबल स्क्रीन एफएक्स वॉल्यूम बढ़ा सकता है; कारोबार वित्त समाधान (फिनस्ट्रा) दस्तावेज़ हैंडलिंग के लिए ग्राहकों को लचीलेपन के कारण अधिक एफएक्स कारोबार प्रदान करेगा.

### 14.5. पुरस्कार / सम्मान:

1. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 360टी (फ़ॉरेक्स डॉयचे बोर्स ग्रुप) द्वारा शीर्ष कार्यनिष्पादन करने वाला सदस्य बैंक होने के लिए.
2. एनएसई द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में शीर्ष कार्यनिष्पादन करने वाला सदस्य बैंक होने के लिए.
3. बीएसई द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में शीर्ष कार्यनिष्पादन करने वाला सदस्य बैंक होने के लिए.
4. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एनएसई द्वारा करेंसी डेरिवेटिव और ब्याज दर डेरिवेटिव में सक्रिय भागीदारी.

## 15 आस्ति गुणवत्ता

**कार्यनिष्पादन का सार:**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जिन शेयरधारकों ने उचंत निलंब डीमैट खाते से अपने शेयर का दावा किया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक की नकद वसूली और अपग्रेडेशन, अन्य वसूली के विवरण निम्नानुसार है:

एनपीए प्रवृतियों के विवरण निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

| विवरण | वि. व. 2023-24 |
|---|---|
| दि. 31.03.2023 तक जीएनपीए | 60987 |
| दि. 31.03.2024 तक जीएनपीए | 43098 |
| नकद वसूली | 7289 |
| वसूल हेतु शेष ब्याज की वसूली | 3065 |
| बट्टे खाते डाले गए खातों में वसूली | 3988 |
| सकल नकद वसूली | 14342 |
| अपग्रेडेशन | 4213 |
| सकल नकद वसूली+ अपग्रेडेशन | 18555 |
| % सकल एनपीए | 4.76 |

**वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान की गई डिजिटल पहल:**

**यूनियन सरस:**

- भारतीय बैंक नीलामी बंधक संपत्ति सूचना (आईबीएपीआई) पोर्टल के तहत आम नीलामी मंच यानी ईबिक्रय पर संपत्तियों को प्रदर्शित करना, आईबीए द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष के लिए मासिक आधार पर पूर्व निर्धारित तिथियों पर शुरू किया गया है ताकि क्षेत्र पदाधिकारियों को नीलामी के लिए सभी योग्य संपत्तियों को प्रदर्शित करने हेतु सक्षम बनाया जा सके.
- ऋण वापसी नोटिस, डीआरटी मॉड्यूल, सरफेसी मॉड्यूल, प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, सिविल वाद, वाहन ऋण एनपीए, इरादतन चूककर्ता और गैर-इरादतन चूककर्ता की घोषणा, लोक अदालत मॉड्यूल लाइव हैं.
- अपील मॉड्यूल, वसूली एजेंटों/प्रवर्तन एजेंटों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा, राजस्व वसूली अधिनियम मॉड्यूल विकासाधीन हैं.

**ऑनलाइन एकमुश्त समझौता निपटान (ई-ओटीएस):**

- रु.25 लाख तक के गैर-आरक्षित एनपीए ऑनलाइन ओटीएस मंजूरी और क्लोज़र के लिए पात्र हैं.

**वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान शुरू की गयी वसूली कार्यनीतियाँ:**

- एनसीएलटी के सभी मामलों की बारीकी से निगरानी करना/ एनसीएलटी मामलों पर क्षेत्र को त्वरित समाधान/सूचना प्रदान करना.
- 100% प्रावधान किए गए खातों में वसूली को बढ़ावा देने के लिए, 100% प्रावधान किए गए खातों की सूची विशिष्ट लक्ष्य के साथ

फील्ड में साझा की जाती है. इसके अलावा, इन खातों में दैनिक वसूली को निगरानी के उद्देश्य से फ़ील्ड के साथ साझा किया जाता है.

- ➢ सभी पात्र खातों में 100% वाद दाखिल करना सुनिश्चित करना. अधिक वसूली हेतु कानूनी कार्रवाइयों को तेज करने के लिए "लीगल मसल्स - 2.0" नामक एक अभियान शुरू किया गया है. इसे विधि अधिकारियों, प्राधिकृत अधिकारियों, अधिवक्ताओं और प्रवर्तन एजेंटों द्वारा संचालित किया जाएगा.
- ➢ सरफेसी गतिविधियों पर लगातार ध्यान केंद्रित किया गया, विशेष रूप से सभी पात्र संपत्तियों की नीलामी बिक्री सुनिश्चित की गई.
- ➢ अखिल भारतीय स्तर पर साप्ताहिक मेगा वसूली शिविरों का आयोजन किया जाता रहा है.
- ➢ बड़े एनपीए के निपटान/नियमितीकरण के लिए अधिकारियों द्वारा नियमित क्षेत्र दौरे की योजना बनाई गई है.
- ➢ बकाया ओटीएस राशि की वसूली के लिए अंका/क्षेका/शाखा से अनुवर्ती कार्रवाई की गयी.
- ➢ शाखाओं/क्षेत्रों की सहायता करने और उन्हें सक्षम बनाने के लिए, प्रत्येक क्षेत्र की जवाबदारी वर्टिकल के अलग-अलग अधिकारी को सौंपी गयी है.
- ➢ क्षेत्र को पूर्ण और त्रुटि रहित ओटीएस प्रस्ताव प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए, एक चेकलिस्ट परिचालित की गई है. इससे ओटीएस अनुमोदन का समय कम हो जाएगा.
- ➢ बैंक नए स्लिपेज से बचाव पर जोर देता रहा है और यह स्लिपेज को एक निर्धारित सीमा के भीतर रखने तथा एनपीए के स्तर को लगातार कम करते रहने के लिए वसूली/अपग्रेडेशन पर सख्ती से ध्यान केंद्रित करेगा.
- ➢ बैंक द्वारा एआरसी/एनबीएफसी/बैंक/एफआई को एनपीए खाते बेचने के अपने प्रयास में तेजी लाई जाएगी.
- ➢ उच्च स्तरीय एनपीए को एनएआरसीएल को त्वरित हस्तांतरण के लिए हमारा वर्टिकल अन्य ऋणदाताओं के साथ निरंतर संपर्क में है.
- ➢ वसूली संबंधी कार्यों में रिकवरी एजेंट/बीसी/बीएफ का उपयोग बढ़ाना.
- ➢ महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधकों द्वारा सैमबी और एआरबी के कार्यनिष्पादन की नियमित समीक्षा.

## 16 रिलेशनशिप बैंकिंग

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान तृतीय पक्ष उत्पादों के वितरण के माध्यम से रु. 388.50 करोड़ की आय अर्जित की है.

(रु. करोड़ में)

| कारोबार मापदंड | वित्तीय वर्ष 2022-23 वास्तविक आंकड़े | वित्तीय वर्ष 2023-24 वास्तविक आंकड़े | उपलब्धि % में |
|---|---|---|---|
| जीवन बीमा | 233.69 | 278.40 | 63.13% |
| गैर-जीवन बीमा | 50.76 | 29.76 | 33.82% |
| स्वास्थ्य बीमा | 49.13 | 54.49 | 57.35% |
| म्यूचुअल फंड | 19.77 | 20.80 | 54.74% |
| मर्चेन्ट बैंकिंग विभाग | 6.93 | 5.06 | - |
| **कुल आय** | **360.29** | **388.50** | **58.69%** |

### वर्ष के दौरान किए गए पहल

- बैंक के एचएनआई ग्राहकों की निवेश जरूरतों को पूरा करने के लिए सम्पदा प्रबन्धकों को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गयी है.
- जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा चैनल भागीदारों द्वारा कमीशन संरचनाओं को ऊर्ध्वगामी रूप से संशोधित किया गया.
- सभी मौजूदा चैनल भागीदारों के साथ कॉर्पोरेट करारनामों का नवीनीकरण किया गया.
- क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस कारोबार की सोर्सिंग में इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आगमन.
- बीमा तथा म्यूचुअल फंड उत्पादों और संबंधित बाजार विकास के लिए गृह-पत्रिका प्रकाशित करने की प्रक्रिया शुरू की गई.
- एसयूडी लाइफ, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, केयर हेल्थ, मणिपाल सिग्ना, बजाज आलियांज, चोला एमएस और यूनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस कंपनी के बीमा उत्पादों को डिजिटल चैनलों के माध्यम से खरीद के लिए उन्हें व्योम ऐप में शामिल किया गया.
- शाखा पोर्टल (यूनियन इन्वेस्ट) के माध्यम से म्यूचुअल फंड निवेश को लाइव किया गया
- शाखा पोर्टल (यूनिश्योर) के माध्यम से बीमा उत्पाद की खरीदारी लाइव कर दी गई
- व्योम ऐप पर राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड को ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया चल रही है.

- आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड सदस्यता राशि के भुगतान प्रक्रिया को प्रत्यक्ष डेबिट से ग्रहणाधिकार-आधारित डेबिट में बदलने का अनुरोध किया है. यह प्रक्रिया विकासाधीन है और जल्द ही इसे लाइव कर दिया जाएगा.
- फ़िनेकल में राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड के लिए खाता विवरण अपडेट करने का एक विकल्प विकसित किया गया है, जिससे भौतिक आवेदन भेजने की मैन्युअल प्रक्रिया समाप्त हो गई है.

**शुरू किए गए नए उत्पाद:**

- **यूनियन सुपर टॉप–अप स्वास्थ्य बीमा:** मणिपाल सिग्ना स्वास्थ्य बीमा कंपनी की ओर से यूनियन सुपर टॉप अप स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी आपके बैंक के माध्यम से वेतन/पेंशन पाने वाले कॉर्पोरेट वेतनभोगी खाताधारकों और पेंशनभोगियों तथा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों के लिए लॉन्च की गई है.
- **यूनियन पिंक 2.0:** उन्नत सुविधाओं के साथ महिलाओं हेतु मणिपाल सिग्ना की कैंसर योजना लॉन्च की गयी है.
- **डबल्यूएपी बीमा 2.0:** बैंक के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाले वाहनों के लिए बजाज आलियांज द्वारा विशेष मोटर बीमा योजना शुरू की गयी है.
- **एनएफओ लॉन्च:** तीन एनएफओ (यूनियन बिजनेस साइकिल फंड, यूनियन चिल्ड्रेन फंड और यूनियन इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फंड) लॉन्च किए गए.

**डिजिटल पहल:**

1. मैसर्स फिनटेक ब्लू सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने मोबाइल ऐप और शाखा पोर्टल पर डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है. ऑनबोर्ड किए जाने वाले कुल 50 उत्पादों में से, एसयूडी लाइफ, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, केयर हेल्थ, मणिपाल सिग्ना, बजाज एलियांज, चोला एमएस और यूनाइटेड इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के 34 बीमा उत्पादों को दिनांक 31.03.2024 तक लाइव किया जा चुका है.
2. राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड को व्योम एप्प पर ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया चल रही है.
3. म्यूचुअल फंड निवेश के लिए 17 एएमसी द्वारा शाखा पोर्टल (यूनियन इन्वेस्ट) को लाइव किया गया.

**17 सरकारी कारोबार**

- ➢ सभी वित्तीय संस्थानों के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले पीएफआरडीए-द गेम चेंजर्स पुरस्कार व सम्मान हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया "स्टार परफॉर्मर-प्रथम श्रेणी" के रूप में उभरा हैऔर पीएफ़आरडीए, वित्त मंत्रालय द्वारा कार्यपालक निदेशक, 5 अंचल प्रमुखों, 5 क्षेत्रीय प्रमुखों, नोडल अधिकारी, 10 शाखाओं और 15 अन्य कर्मचारियों को प्रथम वर्ग में विजेता के रूप में पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं.
- ➢ वर्ष-दर-वर्ष 102% की वृद्धि हासिल करते हुए 5,82,383 लघु बचत खाते खोले गए और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सरकार की पहल में योगदान दिया गया.
- ➢ केंद्रीय विद्यालय को शुल्क संग्रहण के लिए बीबीपीएस प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया. इससे हम जो पीजी सुविधा प्रदान करने के लिए पेमेंट एग्रीगेटर को दे रहे हैं, उसमें हमारी लागत कम हो जाएगी.
- ➢ संबंधित विभाग के सहयोग से डेबिट कार्ड एवं प्रीपैड कार्ड के जरिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सुविधा कार्यान्वित की गई. एनसीएमसी के लिए सरल एवं झंझट-रहित ग्राहक जर्नी सुनिश्चित करने हेतु, हमारे डिजिटल बैंकिंग चैनल-इंटरनेट बैंकिंग एवं व्योम के माध्यम से विभिन्न एनसीएमसी सेवाओं को सक्षम किया गया है.
- ➢ भारतीय वायुसेना-एयरफोर्स वारियर्स और अग्निवीरों, भारतीय नौसेना और तटरक्षक कर्मचारियों के साथ वेतन, पेंशन और अन्य खुदरा ऋण के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया.
- ➢ पोर्ट बकाया संग्रहण के लिए एनएलपी मरीन पोर्टल के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया और 13 बंदरगाहों में से 8 बंदरगाहों के लिए ऑनलाइन शुल्क/प्रभार संग्रहण के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.
- ➢ विभिन्न संस्थानों के अंतर्गत भुगतान गेटवे को समर्थित करना यथा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट), नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, डीएमआरसी, निफ्ट भुवनेश्वर और शिलांग, ओडिशा श्रम आयोग, ओडिशा खनन निगम, केरल राज्य पेय पदार्थ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इटावा सफारी पार्क समिति, कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड, पनवेल नगर निगम, हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड आदि.

- ➢ वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाते को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खोलने की सुविधा.
- ➢ कर्मचारी बीमा अंशदान के संग्रह हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ एकीकरण और सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर.
- ➢ आपके बैंक पेंशनभोगियों के लिए समर्पित वेब पोर्टल का विकास.

## 18. मानव संसाधन प्रबंधन

आपका बैंक अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति यानी अपनी मानव पूंजी में निवेश करके एक सर्वोत्तम रोजगार अनुभव प्रदान करने को प्राथमिकता देता है. अपने लोगों की प्रक्रियाओं को लगातार विकसित करते हुए, बैंक ने उद्योग-अग्रणी अनुभव प्रदान करने का प्रयास किया है. पूरे वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कार्यबल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और कॉर्पोरेट उद्देश्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ स्वचालन और डिजिटलीकरण प्रयासों को स्थिर करने पर जोर दिया गया है, ताकि यह निर्बाध रूप से कार्य कर सके.

### यूनियन प्रेरणा परियोजना (एकम):

**एकम मोबाइल एप्प:** एकम मोबाइल एप्लिकेशन को बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए 24*7, कभी भी, कहीं भी, एचआर आवश्यकताओं और कार्यनिष्पादन दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है. एकम मोबाइल एप्प को कर्मचारियों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा, टीम के सदस्यों के निष्पादन की समीक्षा, कर्मचारियों के लिए रिवार्ड पॉइंट्स और कर्मचारियों के कौशल उन्नयन के लिए प्रासंगिक प्रशिक्षण तक पहुंच जैसी कई अंतर्निहित सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है.

**कम्यूनिटी कनेक्ट:** कम्युनिटी कनेक्ट टूल, जो एक सामुदायिक जुड़ाव का मंच है, को विभिन्न विषयों पर कर्मचारियों के बीच सक्रिय चर्चा चलाने - चाहे वह कार्यालय-व्यापी कार्यक्रम, कार्यकल वर्षगाँठ, कर्मचारी पदोन्नति या अन्य के लिए शुरू किया गया है. कम्युनिटी कनेक्ट टूल का लक्ष्य है:

1. यह कर्मचारियों के लिए उनके सहकर्मियों की उपलब्धियों की सराहना करने और जश्न मनाने के लिए एक बैंक-व्यापी एकल मंच होगा, जिससे कि कर्मचारियों के बीच परितोष की संस्कृति को मजबूती मिलेगी.
2. निरंतर कर्मचारी जुड़ाव बढ़ाएं और सिस्टम-जनरेटेड के साथ-साथ उपयोगकर्ता-जनरेटेड पोस्ट के माध्यम से नेटवर्क के लिए एक अवसर प्रदान करें.

### पुरस्कार व सम्मान

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पिछले कुछ वर्षों में बैंक के सांस्कृतिक और मानव संसाधन ढांचे में लाए गए महत्वपूर्ण बदलावों के साथ डिजिटल एचआर समाधान, स्वचालन और बेहतर कर्मचारी अनुभव के लिए मानक स्थापित करने में सक्षम रहा है. इस परिवर्तन ने उद्योग को व्यापक पहचान प्रदान किया है.

हमारा पुरस्कार व सम्मान कार्यक्रम एक विशेष कार्यनीतिक पहल है जिसे किसी संगठन के भीतर कर्मचारियों के प्रयासों, उपलब्धियों और योगदान की पहचान करने और सराहना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह संगठन के मिशन और विजन के प्रति व्यक्तियों और टीमों को उनके उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन, समर्पण और प्रतिबद्धता हेतु सराहना करने और प्रेरित करने के लिए उपाय के रूप में कार्य करता है. हमारी पुरस्कार व सम्मान संरचना उद्देश्यपूर्ण, समावेशी और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने और उसे बनाए रखने के उद्देश्य के साथ कार्मिकों के कार्यनिष्पादन से जुड़ी हुई है. इस ढांचे में, सभी अधिकारियों चाहे वो किसी भी वेतनमान या भूमिका में हो, वे कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से तैयार अपने वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन स्कोर के आधार पर पुरस्कार के लिए पात्र होंगे.

पुरस्कार व सम्मान प्रशंसा, सम्मान भावना और उत्कृष्टता की संस्कृति को विकसित करता है जहां कर्मचारियों को उत्कृष्टता प्राप्त करने और एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. साथ ही, ये पहल एक सकारात्मक और संतुष्टिदायक कार्य वातावरण तैयार करके कर्मचारी प्रतिधारण के दर को बढ़ाती हैं जहां कर्मचारी स्वयं को मूल्यवान और आभारी महसूस करते हैं.

**नए आर & आर ढांचे में, तीन पुरस्कार हैं:**

- **दि ऐस परफॉर्मर रिवॉर्ड** कार्यनिष्पादन-आधारित पुरस्कार है जो कारोबार उत्कृष्टता की उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है. माप-योग्य कार्यनिष्पादन केआरए हेतु वस्तुनिष्ठ पीएमएस स्कोर के आधार पर इसकी गणना की जाती है. इस पुरस्कार का उद्देश्य परिणाम-उन्मुख भूमिकाओं और केआरए के साथ जोड़कर व्यवसाय को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है.
- तिमाही हेतु द **पिनेकल परफॉर्मर** पुरस्कार एक नामांकन-आधारित पुरस्कार है. वर्टिकल / अंचल /क्षेत्र /शाखा प्रमुख क्रमशः अपने वर्टिकल /अंचल /क्षेत्र /शाखा से कर्मचारियों को नामांकित कर सकते हैं. यह पुरस्कार कर्मचारियों को विभिन्न कारकों के आधार पर दिया जाएगा, जिसमें धोखाधड़ी का पता लगाना, नुकसान को कम करना, असाधारण सहयोग का निष्पादन, तिमाही में असाधारण उपलब्धि आदि शामिल हैं, लेकिन इसके निर्धारण की सीमा इन्हीं तक सीमित नहीं है.
- **स्पॉटलाइट शाइनिंग स्टार** पूरी यूनिट को दिया जाने वाला एक यूनिट-आधारित पुरस्कार है. यह पुरस्कार एक निश्चित अवधि के दौरान किसी विशेष पैरामीटर लिए चलाए गए अभियान की उपलब्धि पर केंद्रित होता है.

नए डिजिटल आर&आर ढांचे का उद्देश्य एक समग्र प्रणाली स्थापित करना है जो पारदर्शिता, लचीलापन को प्रोत्साहित करती है और कार्यस्थल पर पक्षपात से बचती है. नया आर&आर कार्यक्रम एक डिजिटल टूल के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है. यह डिजिटल टूल कर्मचारियों को बैंक-व्यापी लीडर बोर्ड पर जांच करने, प्रमाणपत्र डाउनलोड करने, पॉइंट्स एकत्रित करने और पुरस्कार रिडीम करने आदि की अनुमति देता है. एक रिवॉर्ड एग्रीगेटर अर्थात. मेसर्स लॉयल्टी सॉल्यूशंस एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (ब्रांड नामः ज़िलियन) को सम्पूर्ण रिवॉर्ड प्रतिदेयता इकोसिस्टम के लिए नियुक्त किया गया है.

**डीईआई पहल:** विविधता, साम्यता और समावेशन की संस्कृति को विकसित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों और अंचलों में साम्यता स्थापित करते हुये बैंक कार्यबल विविधता के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक ने कर्मचारियों को अपनी समस्याओं/शिकायतों को रखने/ बैंक के भीतर होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव या कदाचार के खिलाफ चेतावनी देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपने कर्मचारियों द्वारा रिपोर्टिंग के मामलों में विभिन्न एस्केलेशन तंत्र/नीतियां प्रस्तुत की हैं जैसे एचआर आपके द्वार पोर्टल, व्हिसल ब्लोअर नीति, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण पर रिपोर्टिंग तंत्र, समान अवसर नीति आदि.

**एम्पावर हर और पावर हिम:** एम्पावर हर और पावर हिम समितियां पुरुषों और महिलाओं के कैरियर पथ में लिंग आधारित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाई गई है. इन समितियों के सदस्य समूहबद्ध विशिष्ट मुद्दों को लेकर कर्मचारियों तक पहुंच रहे हैं, जैसे कर्मचारियों का पदोन्नति के लिए उपस्थित नहीं होना, कर्मचारियों द्वारा करियर की प्रगति में समस्याओं, बाधाओं आदि का सामना करना. इन समितियों द्वारा विभिन्न सीएसआर पहल और अभियान भी शुरू किए गए हैं, जिससे बैंक को कारोबार के अवसर जुटाने में मदद मिली है.

### कर्मचारी सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से वेलनेस को बढ़ावा देना

बैंक की स्वास्थ्य एवं सहभागिता की कार्यनीति कर्मचारियों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जैसे संपूर्ण स्पेक्ट्रम हितों का समाधान करती है. बैंक ने नवंबर, 2023 में M/s.1to1help.net प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में एक "**कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी) – यूनियन स्वर (वेलनेस सहायता एवं रिजिलीन्स)**" शुरू किया है. इस कार्यक्रम के माध्यम से बैंक न सिर्फ अपने कर्मचारियों के लिए बल्कि उनके आश्रितों को भी जब भी आवश्यकता हो, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी मदद और सहायता प्रदान करने में सक्षम हो पाया है.

इस कार्यक्रम के माध्यम से कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को वित्तीय अस्थिरता, कार्य संबंधों में सुधार, कार्यनिष्पादन में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य, व्यावसायिक दवाब, जीवन के किसी घटना से उत्पन्न कुंठा आदि जैसे समस्याओं से निपटने के लिए परामर्श सहायता के माध्यम से लाभान्वित किया गया. इन आपसी संवादों के माध्यम से हम कर्मचारियों द्वारा सामना किए जाने वाले कुछ प्रमुख समस्याओं की पहचान करने में सक्षम हुए हैं जो कि उत्कंठा, पारस्परिक और संबंधों में टकराव, कार्य-जीवन संतुलन, अस्पष्ट विचार, नकारात्मक सोच, वैवाहिक जीवन में क्लेश आदि हैं. कर्मचारियों को नियमित परामर्श द्वारा कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, अनुपस्थिति में कमी, कार्य पर उत्पादकता में वृद्धि, कर्मचारियों में दवाब के स्तर में कमी होगी जिससे बैंक को लाभ मिलेगा. केंद्रीय कार्यालय के कर्मचारियों के लिए डेस्क योग, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कर्मचारियों के लिए योग सत्र भी आयोजित किए गए हैं. कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए प्रत्येक रविवार को विशेष योग अभियान चलाया जा रहा है.

कर्मचारियों के लिए वेलनेस वेबिनार कार्यक्रमों की एक श्रृंखला - "किसी विशेषज्ञ के साथ जर्नलिंग", "कार्यस्थल पर अनुकूलनीयता बनाए रखना", "कार्य जीवन संतुलन से परे -कार्य जीवन एकीकरण में आगे बढ़ना" भी आयोजित की गई है, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में भागीदारी देखी गयी. हमारे एल&डी विभाग ने वेलविंग पर वेबिनार की एक श्रृंखला भी आयोजित की है. दवाब प्रबंधन पर वेबिनार भी आयोजित किया गया. यूएलए पीपल एक्सीलेंस ने कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए क्लासरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम "वेलकमिंग वेलनेस" शुरू किया है. स्वास्थ्य कल्याण और दवाब प्रबंधन पर विभिन्न एल&डी पहल ने कर्मचारियों को थकान से उबरने और कार्य-जीवन संतुलन का प्रबंधन करने में मदद की है.

### ज्ञानार्जन एवं विकास : (एल&डी)

बैंक ने सतत ज्ञानार्जन की संस्कृति को बढ़ावा देने और बैंक के विजन को पूर्ण करने के लिए कौशल के साथ भविष्य के लिए एक तैयार प्रतिभा पूल का निर्माण करने के उद्देश्य से पिछले वित्तीय वर्ष के अपने ज्ञानार्जन एवं विकास कार्यप्रणाली को पुनर्निर्मित करने की यात्रा को जारी रखा है.

प्रत्येक यूनियनाइट तक सर्वोत्तम श्रेणी के संकाय नेटवर्क, प्रासंगिक सामग्री, बाहरी सहयोग और नवीन प्रशिक्षण डिजाइन की पहुंच हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने बड़ी मात्रा में अपने निवेश को जारी रखा है.

एल&डी इकाई ने ज्ञानार्जन के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नई अध्ययन प्रबंधन प्रणाली "यूनियन विद्या" को जारी किया है. सर्वोत्तम अध्ययन परिणामों के लिए यूनियन विद्या में ई-बुक्स, पॉडकास्ट और ऑडियोबुक्स, सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म, माइक्रोलर्निंग मॉड्यूल,

वर्चुअल कार्यशाला आदि जैसी विभिन्न तकनीकों को इसमें शामिल किया गया है.

एल&डी इकाई ने इमर्सिव एज - एक वर्चुअल रियलिटी (वीआर) आधारित अनुभवात्मक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी जारी किया है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को वर्चुअल लाउंज "यूनि-वर्स" के माध्यम से बैंकिंग प्रदान करने के लिए मेटावर्स प्लेटफ़ॉर्म पर कदम रखने वाला पहला भारतीय बैंक है.

बैंक ने उन्नत डिजिटल लर्निंग पाठ्यक्रमों हेतु लाइसेंस की सदस्यता के लिए अग्रणी डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म प्रदाता "कोर्सेरा" के साथ भागीदारी की है, जो हमारे अधिकारियों को दुनिया भर के 275+ विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में नामांकन करने का अवसर देगा. इसके अलावा, बैंक ने हमारे अधिकारियों को विभिन्न कॉर्पोरेट लीडरों से नेतृत्व वार्ता और पाठों तक विशेष पहुँच प्रदान करने के लिए इकोनॉमिक टाइम्स ग्रैंडमास्टर्स के साथ भागीदारी की है. इसके अलावा, बैंक ने 1 वर्ष की अवधि के लिए जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के पाठ्यक्रम को समाविष्ट करने वाले ई-लर्निंग मॉड्यूल के लिए आईआईबीएफ़ के साथ भी भागीदारी की है.

कार्यबल के सीखने की यात्रा को सतत बनाए रखने के लिए, विभिन्न वेबिनार और लघु अवधि/दीर्घ अवधि के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. 1793 कर्मचारियों को बाहरी प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 327 अधिकारियों हेतु विदेशी प्रशिक्षण भी शामिल है. वेतनमान IV से वेतनमान VIII संवर्ग के 480 से अधिक अधिकारियों द्वारा 14+ नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में भाग लिया गया.

यूनियन ज्ञानार्जन केन्द्रों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6700 से अधिक कर्मचारियों को समाविष्ट करते हुए कुल 249 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए. यूएलए ने 56000 से अधिक कर्मचारियों को कवर करते हुए 324 वर्चुअल कार्यक्रम/वेबिनार भी आयोजित किए. प्रतिभागियों के विभिन्न नवयुगीन कौशल में अपनी दक्षता को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रणााली द्वारा 80 लाख से अधिक अध्ययन घंटे प्रदान किए गए. प्रति तिमाही प्रति कर्मचारी के औसत अध्ययन घंटों में वित्तीय वर्ष 22-23 में 24 घंटे से लेकर वित्तीय वर्ष 2023-24 के तीसरे तिमाही में 33 घंटे तक उल्लेखनीय सुधार हुआ है. यूएलए ने एमडीआई और आईएसबी के सहयोग से कार्यक्षेत्र विशिष्ट उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए हैं.

अंचलीय ज्ञानार्जन केन्द्रों (जेडएलसी) ने 50,536 कर्मचारियों के लिए 1249 क्लासरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं; 29,800 से अधिक कर्मचारियों के लिए 716 स्थानीय कार्यक्रम और 3369 कर्मचारियों के लिए 19 कार्यशालाएं आयोजित की गयी हैं.

एल&डी इकाई ने पाठ्यक्रम पश्चात मूल्यांकन (पीसीई) गुणात्मक मूल्यांकन किया और प्रशिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए चयनित कार्यक्रमों हेतु मात्रात्मक व्यावसायिक मापदंडों की पहचान की. 1 से 5 के पैमाने पर कक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की औसत रेटिंग (1 सबसे कम और 5 सबसे अधिक) के तहत यूएलए के लिए रेटिंग 4.69 और जेडएलसी के लिए 4.75 रही.

हमारे शोध अधिकारियों ने 63 शोध परियोजनाएं पूरी कीं. साथ ही, संकाय सदस्यों द्वारा 130 से अधिक केस स्टडी विकसित की गई. कुल 118 संकाय सदस्यों ने प्रीमियम बाह्य संस्थानों में संकाय विकास कार्यक्रमों में भाग लिया. संकाय सदस्यों ने 316 बाह्य प्रमाणन पाठ्यक्रम भी पूरे किए, प्रतिष्ठित बाह्य पत्रिकाओं में 173 लेख प्रकाशित किए और एक पुस्तक की समीक्षा की. उन्होंने एनएएमसीएबीएस, बीआईआरडी, विशाखापत्तनम सहकारी बैंक आदि जैसे बाह्य संस्थानों में 33 सत्र भी संयोजित किए.

कुल 5336 कर्मचारियों ने 6762 बाह्य प्रमाणन पाठ्यक्रम पूरे किए, जबकि 2550 कर्मचारियों ने यूएलए द्वारा विकसित आंतरिक प्रमाणन पाठ्यक्रम पूरे किए.

एल&डी इकाई ने करियर विकास के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'यूनियन लर्नथॉन' नामक एक विशेष शिक्षण श्रृंखला भी आयोजित की है. इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के दौरान 280+ ई-लर्निंग मॉड्यूल जारी/अपडेट किए गए औरई-लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित ई-लर्नथॉन अभियानों में 30800+ कर्मचारियों ने भाग लिया. पूछताछ आधारित प्रशिक्षण सत्र (क्यूबीटीएस), यूबीआईक्यूयूई (मंथन) सत्र, क्रमबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसटीपी) और यूनियन मंच के माध्यम से सफलता की कहानियों/विचारों को साझा करने जैसी एमईटीए (मेगा एक्सपीरियंसियल ट्रेनिंग एक्शन) लर्निंग पहलों में भी कर्मचारियों की बढ़ती भागीदारी देखी गई. मेटा लर्निंग वास्तव में सबसे प्रभावी प्रशिक्षण दृष्टिकोण बन गया है, जिसमें अधिक सक्रिय भागीदारी, क्षेत्र से सुझाव आदि प्राप्त हो रहे हैं.

एल&डी इकाई ने कई डिजिटल लर्निंग चैनल शुरू किए हैं, जिनमें एल&डी यूट्यूब चैनल पर प्रेरक नेतृत्व वार्ता की मेजबानी, 200 से अधिक पॉडकास्ट, 135 से अधिक रेडियो प्रसारण, "लर्नकास्ट" शैक्षिक श्रृंखला के साथ-साथ "यूनिवर्सिटी" पोर्टल शामिल हैं, जो बैंक के इंट्रानेट पर विकसित और होस्ट किए गए सभी एल&डी संसाधनों तक पहुँचने के लिए एकल-स्थान समाधान है. एल&डी इकाई ने यूनियन स्टूडियो भी शुरू किया, जो पॉडकास्ट/नेतृत्व वार्ता आदि की रिकॉर्डिंग के लिए बेंगलुरु में एक अत्याधुनिक सुविधा है.

एल&डी इकाई ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर "लुमिना"- अग्रणी यूनियनाइट्स, प्रेरक व्यक्ति, उल्लेखनीय उपलब्धियाँ नामक एक विशेष पत्रिका जारी की, जिसका उद्देश्य बैंक के विकास के साथ-साथ समाज के समग्र विकास में महिलाओं की भूमिका तथा योगदान और उस विकास के प्रति उनका आभार व्यक्त करना है. लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए महिला कर्मचारियों के लिए एक विशेष नेतृत्व कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किया जाता है.

बैंक को प्रतिष्ठित आईएसी कॉर्पोरेट अवार्ड्स 2023, एल&डी के माध्यम से व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए बीएमएल मुंजाल पुरस्कार और गोल्डन पीकॉक नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ. बैंक को ईज़ 5.0 के "कर्मचारी विकास और शासन" कार्यसूची मद में भी प्रथम स्थान प्रदान किया गया.

**राजभाषा:**

बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों /अंचलों को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से 7 प्रतिष्ठित क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार प्राप्त हुए हैं. बैंक ने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधन में पासबान-ए-अदब का 'दुष्यंत सम्मान' और आशीर्वाद से 'उत्कृष्ट राजभाषा सम्मान' और 'राजभाषा गौरव पुरस्कार' भी प्राप्त किया है. मौलिक पुस्तक लेखन योजना के तहत बैंक ने 'डिजिटल बैंकिंग @ डिजिटल इंडिया' शीर्षक से हिंदी पुस्तक प्रकाशित की है. बैंक ने हिंदी में 'अनुपालन के विविध आयाम' पुस्तक भी प्रकाशित की है जो कि बैंकों में अनुपालन संस्कृति और उसके महत्व पर केंद्रित है.

बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं के बीच हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए अखिल भारतीय हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता 2023-24 आयोजित की गई थी. लोकसंपर्क पहल के तहत बैंक द्वारा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक के कासा उत्पादों और वसूली उपायों पर प्रकाश डालते हुए तेलुगु, तमिल, उड़िया और कन्नड़ भाषाओं में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया. इन नुक्कड़ नाटकों को 45 ग्रामीण शाखाओं में प्रदर्शित किया गया जिसमें कुल 4,489 दर्शक शामिल हुए.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस-2024 के अवसर पर बैंक के राजभाषा विभाग ने 'महिलाओं का सम्मान-राष्ट्र के विकास में योगदान' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा देश भर में स्थापित विभिन्न नराकासों (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों) से राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए 90 शील्ड/पुरस्कार प्राप्त हुए. देश भर में आयोजित हुए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में आपके बैंक के कुल 359 स्टाफ-सदस्यों ने व्यक्तिगत पुरस्कार प्राप्त किया. डिजिटल केसीसी एसटीपी हिंदी और कन्नड़ भाषाओं में उपलब्ध है. सभी ग्राहकों के लिए एसएमएस सुविधा 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है. कॉल सेंटर की सुविधा भी 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है. मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन - 'व्योम' 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है. वर्ष के दौरान बैंक ने 'चालू खाता- हम सबको भाता', 'यूनियन मुस्कान' पर कार्टून पुस्तकें भी प्रकाशित किया है, जिनमें बैंक के उत्पादों पर प्रकाश डाला गया हैं.

आपके बैंक की तिमाही द्विभाषी कॉर्पोरेट गृह-पत्रिका 'यूनियन धारा' और बैंक की हिंदी गृह-पत्रिका 'यूनियन सृजन' को प्रतिष्ठित पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (पीआरसीआई) द्वारा क्रमशः 'सर्वश्रेष्ठ गृह-पत्रिका' श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार और 'सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी गृह-पत्रिका' श्रेणी में कांस्य पुरस्कार मिला है. बैंक की हिंदी गृह-पत्रिका "यूनियन सृजन" ने प्रतिष्ठित आशीर्वाद पुरस्कार भी जीता है. 'यूनियन धारा' में 'अमृतकाल और 'बैंकिंग', 'एमएसएमई' और 'विपणन' पर विशेषांक प्रकाशित किए गए हैं. यूनियन सृजन में 'भाषा' और 'महिला उद्यमिता' पर भी विशेषांक प्रकाशित किए गए हैं. दोनों गृह-पत्रिकाओं की ई-प्रतियां बैंक की वेबसाइट और यूबीआईनेट पर होस्ट की गई हैं और इसका लिंक सभी मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एसएमएस के माध्यम से भेजा जाता है.

**जनबल शक्ति:**

**दिनांक 31.03.2024** तक बैंक का कुल जनबल **75866** रहा.

| वर्ष | अधिकारी | | लिपिक | | अधीनस्थ कर्मचारी | | कुल | | कुल स्टाफ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | |
| 2021-22 | 31326 | 11469 | 16389 | 7705 | 5979 | 2333 | 53694 | 21507 | 75201 |
| 2022-23 | 31814 | 11734 | 16774 | 7886 | 2170 | 5216 | 53804 | 21790 | 75594 |
| 2023-24 | 32446 | 12213 | 16767 | 7861 | 4547 | 2032 | 53760 | 22106 | 75866 |

मानव संसाधन प्रबंधन(एचआरएम) का एक अनिवार्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी संगठनात्मक लक्ष्यों की दिशा में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए प्रेरित हों, साथ ही उनके व्यक्तिगत विकास को भी बढ़ावा दें. बैंक के मानव संसाधनों की प्रभावकारिता और दक्षता उसके विकास पथ को

महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है. इस उद्देश्य के लिए, हमने बैंक के सभी क्षेत्रों और कार्यात्मक चैनलों में पर्याप्त कार्यबल बनाए रखने पर लगातार ध्यान केंद्रित किया है, जिससे हमारे ग्राहकों को उच्च स्तर की सेवा प्रदान करना सुनिश्चित हो सके. बैंक विभिन्न कार्य श्रेणियों में कर्मचारी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए नियमित समीक्षा करता है. ये समीक्षाएँ व्यवसाय वृद्धि, भविष्य की शाखा विस्तार या युक्तिकरण, साथ ही इस्तीफ़ों, सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं (वीआरएस) के कारण होने वाली कमी जैसे कारकों पर विचार करती हैं. विभिन्न संवर्गों में रिक्तियों का गहन विश्लेषण करके, हम बैंक की उभरती ज़रूरतों के अनुरूप एक इष्टतम स्टाफिंग स्तर बनाए रखने का प्रयास करते हैं. आरक्षण पर सरकारी नीतियों के अनुपालन में, बैंक निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए रोजगार के अवसरों के आरक्षण के लिए दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करता है. यह प्रतिबद्धता निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस), मुंबई के साथ मांगपत्र रखने तक है. बैंक ने अपने समग्र स्टाफ़ में सभी आरक्षित श्रेणियों का प्रतिनिधित्व पूरी लगन से बनाए रखा है. विविधता और समावेशन के प्रति यह प्रतिबद्धता एक समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है जहाँ प्रत्येक कर्मचारी को विकास और तरक्की के समान अवसर मिलते हैं:

यथा 31.03.2024 तक कुल स्टाफ संख्या में सभी आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारियों का प्रत्यायोजन निम्नलिखित है:

| विवरण | अधिकारी | | लिपिक | | अधीनस्थ कर्मचारी | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **कुल कर्मचारी** | 44659 | | 24628 | | 6579 | | 75866 | |
| उनमें से | | | | | | | | |
| अनुसूचित जाति (अजा) | 7737 | 17.32% | 4658 | 18.91% | 2408 | 36.60% | 14803 | 19.51% |
| अनुसूचित जनजाति (अजजा) | 3494 | 7.82% | 1943 | 7.89% | 532 | 8.09% | 5969 | 7.87% |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) | 13476 | 30.18 | 7766 | 31.53 | 2142 | 32.56 | 23384 | 30.82 |
| भूतपूर्व-सैनिक | 864 | 1.93% | 3271 | 13.28% | 506 | 7.69% | 4641 | 6.11% |
| सामान्य | 19952 | 44.68% | 10261 | 41.66% | 1497 | 22.75% | 31710 | 41.80% |
| महिला | 12213 | 27.35% | 7861 | 31.99% | 2032 | 30.89% | 22106 | 29.14% |
| अल्पसंख्यक समुदाय | 3241 | 7.26% | 1728 | 7.02% | 472 | 7.17% | 5441 | 7.17% |

## 19 नेटवर्क

आपके बैंक की शाखा नेटवर्क पूरे देश में व्यापक रूप से फैली हुई है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक कुल 8464 शाखाएँ और 2 विदेशी शाखाएँ (सिडनी और दुबई डीआईएफसी) शामिल हैं, इनमें से 58 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित हैं.

**सारणी 11: शाखा नेटवर्क दिनांक 31.03.2024 तक**

| | ग्रामीण | अर्द्ध-शहरी | शहरी | मेट्रो | विदेशी | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शाखाओं की सं. | 2540 | 2436 | 1728 | 1760 | 2 | 8466 |
| शाखाएँ (%) | 30 | 29 | 20 | 21 | -- | 100 |

आपके बैंक में कुल 19603 कारोबार प्रतिनिधि, 8982 एटीएम, 7 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू), 5 स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां, 3 संयुक्त उद्यम और 1 सहयोगी संगठन हैं.

## 20 सूचना प्रौद्योगिकी

आपका बैंक नवीनतम तकनीक आधारित मजबूत आईटी सिस्टम वाला एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है. जिन उत्पादों और सेवाओं के स्थापन में आईटी की मुख्य भूमिका होती है वहाँ बैंक आईटी संचालित सुविधाजनक और अनुकूलनीय बैंकिंग उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करने में सुखद अनुभव प्राप्त करता है. वर्तमान कारोबारी माहौल में, संगठन परिवर्तन के माध्यम से नयापन लाने का प्रयास कर रहे हैं और अधिक डेटा-संचालित बनकर, लागत में कमी और अधिक दक्षता के लिए अपने संचालन को डिजिटल बनाकर, अधिक लचीलेपन के लिए क्लाउड को अपनाकर और कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए बेहतर अनुभव प्रदान करके मजबूत बन रहे हैं. व्यवसाय का समर्थन करने और बदलते व्यावसायिक परिदृश्य को देखते हुए और विकास के उभरते अवसरों को भुनाने के लिए, बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति तैयार की थी.

बैंक की आईटी कार्यनीति को बैंक के समग्र व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समग्र डिजिटल और एनालिटिक्स कार्यनीतियों के साथ जोड़ा गया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आईटी कार्यनीति को मोटे तौर पर दो प्रमुख विषयों में वर्गीकृत किया गया था यथा बैंक को चलाएँ और बैंक को

बदलें. बैंक को चलाएँ विषय में लचीले बुनियादी ढांचे, शासन, जोखिम और साइबर सुरक्षा और अपस्किलिंग, काम करने के नए तरीके और मानव संसाधन परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया. जबकि बैंक को बदलें विषय में डिजिटल परिवर्तन, आधुनिक बुनियादी ढांचे और त्वरित प्रौद्योगिकी, डेटा अंतर्दृष्टि और नवाचार तथा नवयुगीन बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, संगठन ने उत्कृष्टता और नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं. संचालन की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए इसके अनुकूलनीयता को सुनिश्चित करते हुए बुनियादी ढाँचे को मजबूत किया गया. विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:

1. **नवीन बैंकिंग समाधान:**

बैंक ने उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को सक्रिय रूप से अपनाकर खुद को प्रतिस्थापित किया है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों की यात्रा और समग्र अनुभव को समृद्ध बनाना है. बैंक ने ग्राहकों की सुविधा और अनुभव को प्राथमिकता देने के लिए अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है.

विभिन्न नवीन बैंकिंग समाधान/ पहल इस प्रकार हैं:

**यूनियन वर्चुअल कनेक्ट (यूवीकॉन)** – व्हाट्सएप बैंकिंग बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए 6 पूछताछ / सेवा सुविधाओं जैसे: बैलेंस पूछताछ, चेक बुक अनुरोध, चेक स्टेटस, मिनी स्टेटमेंट, डोरस्टेप बैंकिंग, ईएमआई कैलकुलेटर,ऋण के लिए आवेदन, खाता खोलना, एटीएम खोज, शाखा खोज आदि के साथ एक संवादी बैंकिंग प्लेटफॉर्म के रूप में यूवीकॉन-व्हाट्सएप बैंकिंग पहल शुरू की थी.

यूवीकॉन को अब लगभग 65 सेवाएँ प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है, जिसमें खाता विवरण, ब्याज प्रमाणपत्र जेनेरेशन, डेबिट कार्ड ग्रीन पिन, फॉर्म 15 जी/ एच, फॉर्म 16/ 16ए, ऋण विवरण, क्रेडिट कार्ड विवरण, क्रेडिट कार्ड ग्रीन पिन आदि शामिल हैं. ग्राहक 9666606060 पर "Hi" भेजकर यूवीकॉन तक पहुँच सकते हैं. यूवीकॉन (व्हाट्सएप बैंकिंग) पर 25 लाख से अधिक ग्राहक पंजीकृत हैं. यूवीकॉन ने अब तक 1 करोड़ से अधिक ग्राहक पूछताछ/ अनुरोधों को पूरा किया है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर ग्राहक सेवा अनुभव हुआ है.

**गूगल बिजनेस मैसेज (जीबीएम):** आपका बैंक जीबीएम प्लेटफॉर्म पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है. जीबीएम गूगल के वेबपेज पर उपलब्ध एक चैट प्लेटफ़ॉर्म है, जो बैंक के ग्राहकों को बैंक के वर्चुअल असिस्टेंट "यूवीए" से सीधे संवाद करने की अनुमति देता है. ग्राहक अपने प्रश्नों के समाधान के लिए लाइव एजेंट के साथ चैट करने की सुविधा का विकल्प भी चुन सकते हैं. बैंक जीबीएम के माध्यम से ग्राहकों से जुड़ भी सकता है. एण्ड्रोएड डिवाइस के माध्यम से गूगल पर यूबीआई या यूनियन बैंक या यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया आदि सर्च करके जीबीएम तक पहुँचा जा सकता है. जीबीएम का उपयोग वर्तमान में लीड उत्पन्न करने और ग्राहकों को चैट वार्तालाप के माध्यम से सीधे लाइव एजेंटों तक पहुँचाने में सक्षम बनाने के लिए किया जा रहा है. जीबीएम के माध्यम से, बैंक के पास बैंक के उत्पादों को क्रॉस-सेलिंग और अपसेलिंग करने का अवसर है.

- आज की तारीख तक कुल उपयोगकर्ता लगभग 1.6 लाख
- उपयोगकर्ताओं ने लाइव एजेंट सेवाओं का लाभ उठाया लगभग 0.50 लाख

बैंक के ग्राहक सेवा केन्द्र के लिए जीबीएम चैट विकल्प सक्षम किया गया है, साथ ही अब तक 169 शाखा प्रोफाइल अपलोड की गई हैं.

**कारोबारी लाभ:**

- जीबीएम, एनटीबी (न्यू टू बैंक) ग्राहकों सहित ग्राहकों को गूगल सर्च, गूगल मैप्स आदि जैसे विभिन्न गूगल अंतिम बिन्दु के माध्यम से क्रॉस-सेलिंग/ अपसेलिंग का अनूठा लाभ प्रदान करता है.
- जीबीएम सहायक अनुभव और समृद्ध सुविधाओं के माध्यम से बिक्री बढ़ाने, ग्राहक संतुष्टि और निष्ठा में बढ़ोतरी करने में मदद करेगा.

**मेटावर्स:**नवाचार में अग्रणी, आपका बैंक बैंकिंग में अपने आंतरिक परिचालन और ग्राहकों के अनुभव दोनों को बदलने के लिए उभरती हुई तकनीकों का उपयोग कर रहा है. आपका बैंक मेटावर्स वर्चुअल लाउंज, "यूनी-वर्स" लॉन्च करके मेटावर्स प्लेटफ़ॉर्म पर प्रवेश करने वाला पहला भारतीय बैंक है, जिससे ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने का एक व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ है. मेटावर्स में कुल हिट लगभग 3.66 लाख हैं (31 मार्च, 2024 तक).

**वीआर आधारित गहन प्रशिक्षण मॉड्यूल:** आपके बैंक ने ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए कार्यस्थल की चुनौतियों से निपटने, सुरक्षित सोशल मीडिया उपस्थिति बनाए रखने आदि जैसी विभिन्न चिंताओं को हल करने के लिए **वीआर आधारित गहन प्रशिक्षण मॉड्यूल** भी विकसित किए हैं. सभी प्रशिक्षण मॉड्यूल में मूल्यांकन के लिए मॉड्यूल विशेष से संबंधित

प्रश्नोत्तर/ फीडबैक के माध्यम से मूल्यांकन शामिल किया गया है. प्रशिक्षण मॉड्यूल वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कर्मचारियों को गहन और संवादमूलक प्रशिक्षण सत्र प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर कर्मचारियों के निरंतर ज्ञानार्जन और विकास के लिए बैंक की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं. 19 मार्च, 2024 को आयोजित लर्निंग एडवाइजरी काउंसिल इवेंट में वीआर आधारित गहन प्रशिक्षण मॉड्यूल को लॉन्च किया गया.

**यूनियन वॉयस असिस्टेंट:** बैंक नेयूनियन वॉयस असिस्टेंट - एआई और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी) द्वारा संचालित एलेक्सा चैनल के माध्यम से वॉयस बैंकिंग कार्यान्वित किया है. यह ग्राहकों को सरल वॉयस कमांड के माध्यम से खाते से संबंधित जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें सुविधाजनक और हैन्ड-फ्री बैंकिंग अनुभव मिलता है. 31 मार्च, 2024 तक यूवीए में कुल लेनदेन लगभग 30,000 रहे हैं.

**हाइपर ऑटोमेशन:** बैंक ने **हाइपर ऑटोमेशन परियोजना** भी कार्यान्वित की है जिसके अंतर्गत 3 प्रक्रियाओं को स्वचालित किया गया है - ऑफिस 365 रिपोर्ट जनरेशन, सीटीएस इमेज पर्जिंग प्रक्रिया और इंटरनेट बैंकिंग रिपोर्ट जनरेशन प्रक्रिया.

### बीबीपीएस के माध्यम से केन्द्रीय विद्यालय शुल्क संग्रह का एकीकरण

बैंक ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) शुल्क संग्रह को बीबीपीएस प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया है जो शैक्षणिक इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि है. बीबीपीएस पर केवीएस शुल्क संग्रह के माध्यम से 1250+ केवी स्कूलों के छात्रों को बीबीपीएस पर सुविधाजनक शुल्क भुगतान का लाभ मिलेगा.

कुल सफल लेनदेन 1,52,314 (31 मार्च, 2024 तक)

कुल राशि ₹ 30.06 करोड़.

**कारोबारी लाभ:**

- प्रति लेनदेन लागत कम हो जाती है.
- बैंक के कासा को बढ़ाने में सहायता करना.

### यूनी पे प्लस

यूनी पे प्लस को स्वचालित भुगतान प्रसंस्करण के लिए कॉर्पोरेट सिस्टम के साथ एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यूनी पे प्लस पोर्टल कॉर्पोरेट ग्राहकों को भुगतान सेवाएँ प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है, सीआरसी कई कॉर्पोरेट ग्राहकों से व्यवसाय प्राप्त करने के लिए इस पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं. 150 से अधिक कॉर्पोरेट यूनी पे प्लस के साथ जुड़ चुके हैं, जिनमें से प्रमुख हैं:

- एमवीआरपीएल (महाराष्ट्र विक्रय रोखे प्राधिकरण लिमिटेड)
- तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी)
- ओडिशा राज्य पुलिस आवास एवं कल्याण निगम (ओपीएचडब्ल्यूसी)
- जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
- यूबीआई कर्मचारी सहकारी ऋण सोसायटी
- टीपी सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड
- शाकम्भरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड
- रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- कोंकण फिनकैप को ऑपरेटिव बैंक
- मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक
- पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डबल्यूबीहिड्का).

**कारोबारी लाभ:**

31-03-2024 तक कुल 150 से अधिक कॉर्पोरेट यूनी पे प्लस पर शामिल हैं, जिनके 282 खाते हैं.

- चालू एवं बचत खाते 207 (संख्या में) जिनका शेष रु. 1145.5 करोड़ है.
- नकद ऋण एवं ओवरड्राफ्ट खाते 75 (सं. में) जिनका जमाशेष रु. 1208.5 करोड़ है.

### इंटरनेट बैंकिंग में डेबिट कार्ड टोकनाइजेशन को सक्षम करना

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, इंटरनेट बैंकिंग में ग्राहकों को कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफ़टी) विकल्प प्रदान किया गया है. टोकनाइजेशन से ऑनलाइन लेनदेन में मर्चेंट वेबसाइट पर ग्राहकों के कार्ड विवरण संग्रहीत करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है. इंटरनेट बैंकिंग में सीओएफ़टी ग्राहकों को सभी मर्चेंट से संबंधित डेबिट कार्ड टोकन विवरण एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर देखने की सुविधा देता है, पहले यह व्यक्तिगत मर्चेंट वेबसाइट पर जाकर किया जाता था. इस सुविधा

का उपयोग करके ग्राहक टोकन को सक्षम/अक्षम कर सकते हैं. यह केवल रुपे कार्ड के लिए समर्थित है.

**कारोबारी लाभ:**

- ग्राहकों को विभिन्न व्यापारिक वेबसाइटों पर जाने के बजाय अपने टोकन विवरण देखने/प्रबंधित करने के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान किया जाता है, जिससे साइबर धोखाधड़ी को कम करने में मदद मिलती है.

**एनसीएमसी वॉलेट**

शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) की पहल के तहत, देश भर में विभिन्न मेट्रो, टोल प्लाजा और अन्य परिवहन प्रणालियों द्वारा निर्बाध यात्रा को सक्षम करने के लिए एक राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) मॉडल तैयार किया गया था. नेट बैंकिंग के माध्यम से नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी आर-वॉलेट) खातों को रिचार्ज करने की सुविधा समर्थित है. ग्राहक पीओएस टर्मिनल से अपने वॉलेट खाते में नकद या खाते से सीधे डेबिट द्वारा भी पैसे डाल सकते हैं. यह एनपीसीआई की पहल है जो केवल रुपे एनसीएमसी डेबिट कार्ड के लिए है.

**कारोबारी लाभ:**

- रुपे डेबिट कार्ड जारी करने की संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ग्राहक उसी कार्ड का उपयोग प्रीपेड वॉलेट के रूप में कर सकते हैं.
- ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अधिकतम रु. 2,000 तक का वॉलेट रिचार्ज कर सकते हैं, जिससे ग्राहकों को विभिन्न पीओएस बिंदुओं (उदाहरणार्थः मेट्रो स्टेशन, टोल प्लाजा आदि) पर ऑफलाइन भुगतान की सुविधा मिलती है.

**इंटरऑपरेबल बिना-कार्ड नकद निकासी (आईसीसीडब्ल्यू):**

डिजिटल क्रांति के अनुरूप और ग्राहकों को एटीएम टर्मिनलों पर अधिक सुरक्षित और निर्बाध लेनदेन के लिए सक्षम करने के लिए, यूपीआई के माध्यम से नकद निकासी सक्षम की गई है जो एक गतिशील रूप से उत्पन्न क्यूआर कोड को डिस्प्ले करता है जिसे यूपीआई समर्थित मुख्य एप्प के माध्यम से स्कैन और अधिकृत किया जा सकता है. यूपीआई पिन का उपयोग करके यूपीआई एप्प में लेनदेन के सफल प्राधिकरण के बाद, एटीएम टर्मिनल पर उचित विकल्प/बटन का चयन करके निकासी शुरू की जा सकती है.

**कारोबारी लाभ:**

- सुरक्षित और निर्बाध लेनदेन प्रदान करने के लिए कार्ड क्लोनिंग को रोकता है.
- एटीएम के माध्यम से खातों के एक्सैस के लिए कार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं है.
- पूरे भारत में 1,388 एनसीआर एटीएम में आईसीसीडब्ल्यू को सक्षम किया गया है.

**बैंक की वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म 15जी/एच जमा करना**

यह सुविधा ग्राहकों को शाखाओं में गए बिना फॉर्म 15जी/एच जमा करने में मदद करेगी और फॉर्म 15जी/एच सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, ग्राहक को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर पावती रसीद और जेनरेटेड फॉर्म 15जी/एच प्राप्त होगा.

**कारोबारी लाभ:**

- यह सुविधा फॉर्म 15 जी/एच के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करेगी तथा शाखाओं के काम के बोझ को कम करेगी.
- आज की तारीख में कुल 900 पंजीकरण किया गया.

**वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता**

**खाता एग्रीगेटर:**

आपका बैंक वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) और वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) दोनों के रूप में खाता एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता बन गया है, जो ऋण वितरण में सुधार के लिए सरकार की डिजिटल पहल का एक हिस्सा है.

**वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता**

खाता एग्रीगेटर इकोसिस्टम ऋणदाताओं को ग्राहक की सहमति से प्राप्त डिजिटल डेटा का लाभ उठाने में मदद करता है, ताकि भौतिक दस्तावेजीकरण के बिना निर्बाध सेवा प्रदान की जा सके.

कोई भी वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) अपने खाता एग्रीगेटर हैंडल पर ग्राहक द्वारा दी गई सहमति के आधार पर डेटा का अनुरोध कर सकता है. बैंक ने रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (रीबिट) दिशानिर्देशों के अनुसार प्रौद्योगिकी स्टैक को लागू किया है.

वर्तमान में बैंक ने 11 खाता एग्रीगेटर को एकीकृत कर लिया है और एफआईयू समाधान को सॉफ्टवेयर एए पोर्टल और

एमएसएमई जर्नी के साथ एकीकृत कर दिया गया है. ये 11 खाता एग्रीगेटर हैं:

- एनईएसएल एसेट डाटा लिमिटेड (एनएडीएल)
- पर्फ़िओस एकाउंट एग्रीगेटर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड(अनुमति)
- कूकीजार टेक्नालॉजिस प्राइवेट लिमिटेड (फिनवू)
- फिनसेक एए सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड (वन मनी)
- कैम्सफिनसर्व
- साफे
- प्रोटीन सुरक्षा
- फोनपे
- योडली फिनसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
- टेलीएज़
- कृफ कनेक्ट

**इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एससीएसएस (वरिष्ठ नागरिक बचत योजना) खाता खोलना**

पूर्व में वरिष्ठ नागरिक केवल एक ही एससीएसएस खाता खोल सकते थे. वर्तमान में एक धारक आईडी को एकाधिक एससीएसएस खाते खोलने की सुविधा प्रदान की गयी है. प्रति ग्राहक अधिकतम जमा सीमा भी बढ़ाकर रुपये 30 लाख कर दी गई है.

पूर्णतः नया मॉड्यूल जो ग्राहकों को शाखा में जाए बगैर धारक आईडी और खाता खोलने की अनुमति देता है.

एससीएसएस खाते ऑनलाइन खोलना 26.12.2023 से लाइव किया गया और वित्तीय वर्ष 23-24 में 223 खाते खोले गए.

**समावेशी और सुलभ बैंकिंग**

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, बैंक ने समावेशी और सुलभ बैंकिंग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है. "यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड" की शुरुआत ने दृष्टिबाधित ग्राहकों को टॉकिंग एटीएम एवं अन्य कार्ड सेवाओं तक बाधा-मुक्त पहुँच प्रदान की. दिव्यांग कर्मचारियों की एक समर्पित टीम के नेतृत्व में "यूनियन एक्सेस प्रोजेक्ट" ने डिजिटल बैंकिंग की पहुँच को और बढ़ाया है. मई, 2023 में, बैंक ने "एक्सेसिबल बैंकिंग" वेब पेज शुरू किया, जिसमें ब्रेल, बड़े फॉन्ट और ऑडियो फॉर्मेट में उपयोगकर्ता गाइड शामिल हैं. इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन फॉर्म, और वेबसाइट सहित हमारे डिजिटल बैंकिंग चैनल दिव्यांगों के अनुकूल के लिए डिजाइन किए गए थे. इसके अतिरिक्त, हमने व्हाट्सएप, यूवीकॉन 3.0 के साथ `दिव्यांगता सहायता' और दिव्यांगता-संवेदनशील ग्राहक सेवा के माध्यम से एक समर्पित पहुँच सहायता शुरू की. इन अग्रणी प्रयासों को चार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जो समावेश एवं पहुँच को बढ़ावा देने में बैंक के नेतृत्व एवं प्रभाव को रेखांकित करता है.

**बेहतर गवर्नेंस हेतु**

डीआईटी प्रभावी निर्णय लेने, जोखिम प्रबंधन और विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक अभिशासन ढांचे और प्रथाओं की स्थापना कर रहा है, जिससे संगठन के सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके.

बैंक के पास मजबूत डेटा गवर्नेंस और गोपनीयता प्रथाएं हैं जो बैंक की आईटी नीति और डेटा गवर्नेंस नीति में परिभाषित हैं. इसके अतिरिक्त, बैंक को गोपनीयता सूचना प्रबंधन प्रणाली (पीआईएमएस) आईएसओ 27701:2019, के द्वारा प्रमाणित भी किया गया है, आईएसओ 27701 जो डेटा गोपनीयता का प्रबंधन करने के लिए पीआईआई (व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी) नियंत्रकों और पीआईआई प्रोसेसर के लिए ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है. यह मौजूदा आईएसएमएस (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) को बढ़ाकर व्यक्ति और संगठन के गोपनीयता अधिकारों के लिए जोखिम को कम करता है. आईएसओ 27701 प्रमाणन गोपनीयता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करके, गोपनीयता जोखिमों को कम करने, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा को प्राथमिकता देकर कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करके हितधारकों/ग्राहकों के बीच विश्वासनीयता को भी बढ़ाता है.

**उद्यम संरचना (ईए):** ईए कारोबार कार्यनीति को आईटी कार्यनीति के साथ संरेखित करने में मदद करता है.उद्यम संरचना एक कार्यनीतिक दृष्टिकोण है जो संगठनों को समन्वित और एकीकृत तरीके से अपनी कारोबारी प्रक्रियाओं, सूचना प्रणालियों एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना को डिजाइन करने, योजना बनाने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है. यह उद्यम का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसमें इसके लक्ष्य, कार्यनीतियाँ, परिचालन और आईटी अवसंरचना शामिल होती है. ईए कार्यालय एजीबी (आर्किटेक्चर गवर्नेंस बोर्ड) की स्थापना पूरी हो चुकी है.

**डेटा गोपनीयता ढांचा:** इसमें डीपीडीपी संगठन संरचना और डेटा गोपनीयता प्रभाव विश्लेषण शामिल हैं.डेटा सेंटर, पवई और डीआर साइट, बेंगलुरु में बैंक की आईटी प्रणालियाँ आईएसओ 27701:2019 प्रमाणन (पीआईएमएस-गोपनीयता सूचना प्रबंधन प्रणाली) की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं. आपका बैंक देश का पहला वित्तीय संस्थान है जिसने विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने एवं गोपनीयता जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए डेटा गोपनीयता में आईएसओ प्रमाणन प्राप्त किया है.

**आईटीएसएम/आईटीएम/आईटीओएम:** चूंकि बैंक के दिन-प्रतिदिन के परिचालन में आईटी कार्यशीलता तेजी से महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही हैं, इसलिए कारोबार की तेजी से बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए आईटीएसएम और आईटीएम सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना अनिवार्य हो गया है. यह सेवा अनुरोध प्रबंधन क्षेत्रों जैसे परिवर्तन एवं निर्गम प्रबंधन,घटना का प्रबंधन,कार्यप्रवाह और ऑर्केस्ट्रेशन से संबंधित है.

**पीसीआई पिन प्रमाणीकरण:** भुगतान कार्ड उद्योग व्यक्तिगत पहचान संख्या प्रमाणन एटीएम और पीओएस पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल पर ऑनलाइन और ऑफ़लाइन भुगतान कार्ड लेनदेन प्रसंस्करण के दौरान व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) डेटा के सुरक्षित प्रबंधन, प्रसंस्करण और संचरण के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं का एक सेट है. आपका बैंक पीसीआई पिन प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का दूसरा पीएसबी है.

**पीसीआई डीएसएस प्रमाणन:** भुगतान कार्ड उद्योग डेटा सुरक्षा मानक (पीसीआई डीएसएस) एक विश्व स्तर पर स्वीकृत मानक है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत नीतियों और प्रक्रियाओं का एक सेट है, जिसका उद्देश्य कार्ड-आधारित लेनदेन की सुरक्षा को अनुकूलित करना एवं कार्ड धारक की जानकारी को दुरुपयोग और उल्लंघनों से बचाना है. आपका बैंक एसबीआई के बाद दूसरा पीएसबी है जिसने 9 महीने के रिकॉर्ड समय में यह उपलब्धि हासिल की है.

### आघात-सह बुनियादी ढांचे के लिए

बुनियादी ढांचे की एक ठोस नींव का निर्माण करना जो मजबूत, अनुकूलनीय और लचीला हो, तथा अप्रत्याशित चुनौतियों और व्यवधानों के बावजूद निर्बाध संचालन एवं निरंतरता सुनिश्चित करे.

### डेटा सेंटर आधुनिकीकरण:

**सह-अवस्थान:** 250 + 50 रैक स्पेस की क्षमता के साथ प्राथमिक साइट के लिए सह-अवस्थान डेटा सेंटर की प्रक्रिया शुरू की गई है.डेटा सेंटर सह-अवस्थान के लाभ:

- सेवा स्तर करारनामा (एसएलए) द्वारा अभिशासित
- बिजली में कटौती या देरी की स्थिति में सबसे कम संभव डाउनटाइम
- आसानी से स्केलेबल, लचीला और लागत प्रभावी
- कोई पूंजी निवेश नहीं
- बेहतर प्रसुप्ति और कनेक्टिविटी.

सह-अवस्थित डाटा सेंटर को चालू कर दिया गया है तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म बुनियादी ढांचा स्थापित की गई है.

**फिनेकल अलर्ट समाधान:**

सीबीएस से लोड कम करने के लिए फिनेकल से जारी किए जाने वाले सभी एसएमएस को फिनेकल अलर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाता है. इस परियोजना को इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, एटीएम, पीओएस, यूपीआई और शाखा लेनदेन के लिए लाइव किया गया है.

**विदेशी शाखाओं के लिए फिनेकल कोर संस्करण उन्नयन 10.2.18 से 10.2.25 तक - सिडनी, दुबई और यूके सहयोगी संस्था:** सिडनी शाखा, दुबई शाखा और यूके शाखा के लिए 10.2.18 से 10.2.25 तक सीबीएस संस्करण उन्नयन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है.

### 9 करोड़ लेनदेन को समर्थन देने के लिए सीबीएस इन्फ्रा का विस्तार

### सुदृढ़ सीबीएस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर

सुरक्षित बीसीपी के लिए स्वचालित डीआर स्विचिंग ऑपरेशन.

**एपीएम टूल के माध्यम से तत्कालिक आधार पर निष्पादन निगरानी:** बैंक ने एप्लिकेशन्स और इसके बुनियादी ढांचे की तात्कालिक निगरानी के लिए एप्लिकेशन निष्पादन निगरानी केंद्र (एचईएएल) की स्थापना की है. इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आईएमपीएस, सीबीएस डोमेस्टिक, सीबीएस ओवरसीज, एफआई गेटवे, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, स्विफ्ट, लेंडिंग ऑटोमेशन सिस्टम, एसएमएस गेटवे, क्रेडिट कार्ड होस्ट सिस्टम, एटीएम स्विच, ई 2 एफए (द्वितीय फैक्टर प्रमाणीकरण प्रणाली), एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) मिडलवेयर, बीबीपीएस, डीमैट, यूवीकॉन, मेटावर्स और यूनियन एकम जैसे 21 महत्वपूर्ण एप्लिकेशन एचईएएल एपीएम प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं.

**सॉफ्टवेयर परिभाषित नेटवर्क:** बेहतर लचीले बुनियादी ढांचे के लिए, डीआईटी कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन को केंद्रीकृत करने और अल्ट्रा-लो और अनुमानित विलंबता को बनाए रखने के लिए एसडीएन परियोजना पर कार्य कर रहा है, जो कठिन परिस्थितियों में भी इष्टतम निष्पादन सुनिश्चित करता है.

### बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए अन्य प्रमुख पहल

### सीएमएमआई परिपक्वता स्तर 3 प्रमाणन

आपके बैंक की इन-हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सुविधा को आईएसएसीए के सीएमएमआई परिपक्वता स्तर 3 पर मूल्यांकित किया गया है. सीएमएमआई के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं- प्रक्रिया सुधार, कार्यनिष्पादन प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन, संसाधन अनुकूलन और ग्राहक संतुष्टि. इसमें उत्पाद विकास, सेवा वितरण और समग्र

संगठनात्मक कार्यनिषादन को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास और मॉडल भी शामिल हैं.

सीएमएमआई परिपक्वता स्तर 3 मूल्यांकन के प्रमुख लाभ निम्नानुसार हैं:

- उच्च गुणवत्ता वाले समाधान प्रदान करें.
- विभिन्न टीमों में प्रक्रिया का मानकीकरण, जिससे प्रदेय में निरंतरता बनी रहे.
- उत्पादों और सेवाओं की पूर्वानुमानित और समय पर सुपुर्दगी.
- प्रक्रियाओं को सरल बनाना और पुनःकार्य को कम करने से अंततः प्रयास और लागत में बचत होती है.
- जोखिम प्रबंधन के लिए पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया से समय रहते खामियों की पहचान और समाधान संभव होता है.
- ब्रांड छवि निर्माण और सद्भावना.

### कुबेरनेटेस और डेवसेकऑप्स

कुशल कार्यप्रणाली को प्राप्त करने और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने बैंक के ऑन-प्रिमाइसेस प्राइवेट क्लाउड पर कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन लेयर (कुबेरनेटेस प्लेटफ़ॉर्म) के साथ एंड-टू-एंड डेवसेकॉप्स प्लेटफ़ॉर्म स्थापित किया है. बैंक ने माइक्रो सर्विसेज़ आधारित बैंक के एप्लिकेशन्स के विकास के लिए डेवसेकॉप्स पर आधारित ऐप आधुनिकीकरण प्लेटफ़ॉर्म (कुबेरनेटेस) को अपनाया है. माइक्रो-सर्विसेज (या माइक्रो-सर्विस आर्किटेक्चर) एक क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चरल दृष्टिकोण है जिसमें एकल एप्लिकेशन कई शिथिल रूप से संयुक्त और स्वतंत्र रूप से परिनियोजित छोटे घटकों या सेवाओं से बना होता है. यह मौजूदा एकीकृत एप्लिकेशन्स को आधुनिक बनाने और क्लाउड की शक्ति का दोहन करने तथा नवीनतम सॉफ़्टवेयर विकास पद्धति के अनुसार बाज़ार मानक एप्लिकेशन्स को विकसित करने के लिए उपयोगी है. अब तक, ऑनलाइन खाता खोलना, सीबीडीसी आदि जैसे एप्लिकेशन क्लाउड के लेवल 3 (विकसित) पर चल रहे हैं.

### सीआरएम (ज़ोहो) का लैस (एलएएस) के साथ एकीकरण

सीआरएम (ज़ोहो) को लैस के साथ एकीकृत किया गया है जिसमें प्रसंस्करण अधिकारी लैस एप्लीकेशन में सीआरएम के माध्यम से उत्पन्न लीड को देख सकता है जो सीआरएम एप्लीकेशन के माध्यम से उत्पन्न लीड के प्रसंस्करण को सरल बनाता है.

बैंक को कॉर्पोरेट वेबसाइट, एसीओई, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, व्योम, सोशल मीडिया, फिनटेक पार्टनर्स, बीसी एजेंट्स, कॉल सेंटर, डीबीयू आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से लीड प्राप्त हो रही है. अक्सर देखा गया है कि ये लीड अप्राप्य होती हैं और इनकी निगरानी नहीं की जाती. इसलिए, बैंक ने सीआरएम-एज़ एप्लीकेशन शुरू किया है जो विभिन्न स्रोतों से लीड को चैनलाइज़ करता है. यह एकीकरण लैस पर विभिन्न स्रोतों से इन लीड को प्रोसेस करने में सक्षम बनाता है और इन लीड के प्रसंस्करण की स्थिति लैस से सीआरएम में वापस अपडेट की जाती है.

### डिजिटल चैनलों में प्रगति

| डिजिटल चैनलों पर वृद्धि (आंकड़ें करोड़ में) | | | |
|---|---|---|---|
| चैनल | 31.03.2022 | 31.03.2023 | वार्षिक वृद्धि (%) |
| मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ता | 2.68 | 2.13 | 25.82 |
| इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता | 0.86 | 0.74 | 16.21 |

## 21 संव्यवहार अनुश्रवण और धोखाधड़ी प्रबंधन

संव्यवहार अनुश्रवण और धोखाधड़ी प्रबंधन वर्टिकल का गठन बैंक में होने वाले धोखाधड़ी के मामलों की बेहतर निगरानी और धोखाधड़ी को अंजाम देने में प्रयुक्त कार्यप्रणाली का शीघ्र पता लगाने के उद्देश्य से किया गया है, ताकि ओटीएमएस अलर्ट, ईएफआरएमएस अलर्ट, प्रारंभिक चेतावनी संकेतों आदि जैसे विभिन्न उपकरणों के आधार पर धोखाधड़ी को रोका जा सके.

आपका बैंक बैंकिंग उद्योग में पहला ऐसा बैंक है जिसने तात्कालिक आधार पर मूल प्रणाली (फिनेकल) में लेनदेन से संबंधित धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए तत्काल निगरानी प्रणाली (आरटीएमएस) शुरू की है. बैंक ने दिनांक 27.01.2023 से तत्काल निगरानी प्रणाली कार्यान्वित की है.

यह एक अनूठी अवधारणा है, जिसमें नए खोले गए बचत और चालू खातों की एक वर्ष तक (24/7) निगरानी की जाती है और फिनेकल-सीबीएस में संवर्धित ड्यू डिलिजेंस (ईडीडी) रिकॉर्ड करने की सुविधा होती है.

नए खोले गए कासा खातों की निगरानी बाह्य आधार पर त्वरित जांच के आधार पर की जा रही है. इस तरह की त्वरित जांच में लेनदेन की संख्या, ग्राहक प्रोफ़ाइल के अनुसार लेनदेन राशि आदि शामिल हैं.

बैंक की वर्तमान प्रणाली लेनदेन/घटना/गतिविधि घटित होने के बाद टी+1 (लेनदेन के अगले दिन) के आधार पर अलर्ट उत्पन्न करती है.

आरटी 360 निकट तत्काल निगरानी प्रणाली (एन-आरटीएमएस मॉड्यूल) लेनदेन/घटना/गतिविधि के समापन से लगभग तात्कालिक आधार पर, मूल प्रणाली (फिनेकल) में निरंतर आधार पर लेनदेन और घटनाओं की निगरानी के लिए एक व्यापक निगरानी तंत्र प्रदान करते

हुए, इस कमी को दूर करने का प्रयास करता है; एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से नामित उपयोगकर्ताओं को तुरंत सचेत करता है. इस प्रकार, किसी भी नुकसान को तुरंत रोका जा सकता है.

यह पहल आपके बैंक को भारतीय बैंकिंग उद्योग में अग्रणी बनाती है, तथा धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे कम करने की क्षमताओं को बढ़ाती है.

## 22 जोखिम प्रबंधन

आपके बैंक का जोखिम प्रबंधन के प्रति अग्रसक्रिय दृष्टिकोण है. इसके जोखिम दर्शन में जोखिम उठाने की क्षमता और नियामक ढांचे के भीतर एक स्वस्थ पोर्टफोलियो का विकास और रखरखाव शामिल है. आपका बैंक लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि शेयरधारक मूल्य बढ़ाने और उपलब्ध पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु जोखिम प्रबंधन कार्य के साथ कारोबारी कार्यों का भागीदार हो.

बैंक में जोखिम प्रबंधन बोर्ड द्वारा संचालित कार्य है जिसमें विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए शीर्ष कार्यपालकों की परिचालन स्तर की समितियों द्वारा समर्थित शीर्ष स्तर पर जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) है. बैंक का निदेशक मंडल बैंक के लिए जोखिम उठाने की क्षमता और जोखिम नीतियों को मंजूरी देता है. आरएमसी जोखिम कार्यनीति और नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, जोखिम के स्तर और दिशा, विवेकपूर्ण उच्चतम सीमा, पोर्टफोलियो विविधीकरण की समीक्षा करता है और जोखिम रिपोर्टिंग की निगरानी करता है. जोखिम कार्यनीति और नीतियां बैंक की सभी शाखाओं एवं कार्यालयों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित की जाती हैं.

आपका बैंक उचित नीतियों, संगठन संरचना, जोखिम प्रबंधन तकनीकों, पर्याप्त प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं, निगरानी तथा रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से क्रेडिट, बाजार एवं परिचालन जोखिम को पता करता है. अंचल कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में जोखिम अधिकारियों की पदस्थी करके जोखिम प्रबंधन गतिविधि को क्षेत्र स्तर तक प्रदान किया गया है. इन जोखिम अधिकारियों की प्राथमिक ज़िम्मेदारी पहचान, आकलन, निगरानी तथा रिपोर्ट करना है और शमन के उपाय सुझाना है.

आपके बैंक के पास एक सुपरिभाषित जोखिम-प्रवृत्ति विवरण और एक स्वतंत्र जोखिम कार्य है, जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंक अपनी जोखिम क्षमता के भीतर काम करता है.

### ऋण जोखिम प्रबंधन

आपके बैंक के पास ऋण एक्सपोजर में जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं नियंत्रण के लिए पूर्ण रूप से परिभाषित ऋण मूल्यांकन तंत्र एवं जोखिम प्रबंधन ढांचा है.

आपके बैंक के पास ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियाँ, विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएं, जोखिम रेटिंग प्रणाली, विशाल अग्रिमों हेतु ऋण मूल्यांकन की जोखिम आधारित समीक्षा और ऋण जोखिम/ संविभाग प्रबंधन हेतु जोखिम-आधारित मूल्य निर्धारण जैसे विभिन्न साधन हैं.

बैंक के पास सभी अग्रिमों के लिए मानकीकृत और सुपरिभाषित अनुमोदन प्रक्रिया है. यह ऋण स्वीकृतियों के लिए एक समिति दृष्टिकोण अपनाता है और विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग अनुमोदन समितियाँ हैं.

पहचान किए गए उद्योगों/ क्षेत्रों/ संवर्ग में इसके आउटलुक एवं विकास को निर्धारित करने हेतु एक समर्पित टीम द्वारा संरचित तरीके से कारोबारी वातावरण का विश्लेषण एवं अनुसंधान किया जाता है. आपके बैंक ने आंतरिक खपत एवं उद्योग अनुसंधान/ विश्लेषण रिपोर्ट की जाँच करने हेतु शीर्ष शोध कंपनियों की सदस्यता भी ली है. जोखिम भरे क्षेत्रों की निरंतर निगरानी की जाती है और ताकि जहां कहीं भी आवश्यक हो, एक्स्पोजर से संबंधी समीक्षा तत्काल की जाए.

आपके बैंक द्वारा प्रत्येक तिमाही में ऋण संविभाग का दबाव परीक्षण भी किया जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों, उद्योग के सर्वोत्तम प्रथाओं और व्यापक आर्थिक अस्थिरता में हुए बदलाव के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों को नियमित रूप से अद्यतित किया जाता है.

आपके बैंक ने विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) प्रणाली स्थापित की है, जो दबावग्रस्त संकेतों को पहले से ही पहचानने में मदद करती है और नियमित आधार पर उधारकर्ताओं की वांछित क्रेडिट गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उचित प्रबंध करने में मदद करती है.

आपका बैंक उधारकर्ता-वार ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए विभिन्न क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन तंत्र एवं आंकड़ों का उपयोग करता है. आपके बैंक में "गतिशील दर निर्धारण तंत्र" भी मौजूद है, जो दवाबग्रस्त आस्तियों की शीघ्र पहचान और उचित समाधान को अपनाने की सुविधा प्रदान करता है. बैंक ने ऋण हामीदारी को मजबूत करने के लिए बड़े मूल्य के खातों हेतु 'ऋण मूल्यांकन फ्रेमवर्क की जोखिम आधारित समीक्षा' भी शुरू की है.

आपके बैंक ने ऋण स्वचालन समाधान (एलएएस) के माध्यम से ऋण मूल्यांकन प्रक्रियाओं के लिए एक आईटी प्लेटफॉर्म अपनाया है. इन प्लेटफार्मों पर आंतरिक रेटिंग मॉडल रखे जाते हैं, जो सिबिल, आरबीआई डिफॉल्टरों की सूची आदि के साथ जुड़े होते हैं.

बैंक सीआरएआर का निर्धारण करते समय, ऋण जोखिम पर पूंजीगत प्रभार की गणना मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर की जाती है.

आपके बैंक ने इष्टतम जोखिम-रिवार्ड विचार हेतु आरएआरओसी

रूपरेखा को अपनाया है जिसमें कृषि, एमएसएमई के समस्त नए ऋण/ समीक्षाओं / नवीनीकरण और निश्चित कट-ऑफ सीमा से ऊपर कॉर्पोरेट प्रस्तावों हेतु आरएआरओसी गणना अनिवार्य है. ब्याज दर में रियायत से संबंधित ऋण निर्णय उधारकर्ता के आरएआरओसी से जुड़े होते हैं जो बैंक की लाभप्रदता बनाए रखने और हितधारकों के लिए मूल्य सृजन में मदद करते हैं.

आपका बैंक एक व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) भी संचालित करता है जिसमें बैंक द्वारा सामना किए जाने वाले भौतिक जोखिमों को सूचीबद्ध किया जाता है, और उनके मापन एवं प्रबंधन के तरीकों की गणना की जाती है. पिलर-I जोखिमों के अलावा, पिलर-II जोखिमों का भी मूल्यांकन किया जाता है. भविष्य की कारोबार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य एवं दवाबपूर्ण स्थितियों के तहत पूंजी की पर्याप्तता का भी मूल्यांकन किया जाता है.

### आस्ति देयता और बाजार जोखिम प्रबंधन

आपके बैंक में, आस्ति देयता और बाजार जोखिम के प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी आस्ति देयता समिति (अल्को) के पास होती है. आस्ति देयता समिति विभिन्न आस्तियों एवं देयताओं के आकार, मिश्रण, अवधि तथा संरचना की समीक्षा करने और निर्णय लेने के लिए नियमित रूप से बैठक करती है. यह मुख्य रूप से चलनिधि और ब्याज दर जोखिम की पहचान, मापन, निगरानी और प्रबंधन करती है. आस्ति एवं देयता उत्पादों का मूल्य निर्धारण भी अल्को द्वारा निर्धारित किया जाता है. इसका मूल केंद्र आय परिप्रेक्ष्य तथा आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य दोनों की मूल्य वृद्धि है. आपका बैंक अपनी बेंचमार्क उधार दरों के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत दरों का संचारण सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है.

आपके बैंक के पास आस्ति देयता प्रबंधन नीति, ट्रेजरी नीति और बाजार जोखिम नीति जो ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन एवं शमन, देयता जोखिम तथा बैंकिंग में बाजार जोखिम और व्यापार बहियों में सहायता करती है.

आपका बैंक सक्रिय चलनिधि प्रबंधन, दवाब परिदृश्यों को विकसित करना तथा व्यावहारिक अध्ययन सुनिश्चित करता है और उसकी एक आकस्मिक वित्तपोषण योजना भी है. बैंक ने चलनिधि मानकों पर बासेल III ढांचे के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी चलनिधि जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों को अपनाया है. इनमें अंतर्दिवसीय चलनिधि प्रबंधन, चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात (एनएसएफआर) शामिल हैं. चलनिधि की निगरानी प्रमुखता से स्टॉक दृष्टिकोण और प्रवाह दृष्टिकोण दोनों माध्यमों से की जाती है. एएलएम डेस्क और मिड-ऑफिस क्रमशः बैंकिंग एवं व्यापार बहियों में बाजार जोखिम का मापन तथा निगरानी करते हैं.

ऋण / इक्विटी साधनों, विदेशी मुद्रा लेनदेन और डेरिवेटिव में बैंक द्वारा ग्रहण की गई ट्रेडिंग स्थितियों से बाजार जोखिम उत्पन्न होता है. ब्याज जोखिम, इक्विटी जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम बाजार जोखिम के प्रमुख घटक हैं. कुछ प्रमुख जोखिम उपायों में स्थिति सीमा, अवधि सीमा, मूल्य संवेदनशीलता माप टूल जैसे पीवी01 और संशोधित अवधि (एमडी), जोखिम पर मूल्य (वीएआर), निवल एकदिवसीय खुली स्थिति सीमा (एनओओपीएल), दैनिक सीमा एवं डीलर तथा प्रतिभीति दोनों स्तरों पर स्टॉप लॉस सीमाएं शामिल हैं, और जिनकी दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है.

जोखिम उपायों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'दवाब परीक्षण नीति' द्वारा अनुपूरित किया जाता है, जो बैंक की निवेश बही पर प्रतिकूल परिदृश्यों के संभावित प्रभाव का आकलन करने में बैंक का मार्गदर्शन करता है, जिसमें विदेशी मुद्रा जोखिम और बैंक के लाभ एवं हानि पर इसके प्रभाव शामिल हैं. दवाब परीक्षण परिणाम आवधिक आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

विनियामक कारकों को लागू कर मानकीकृत मापविधि (एसएमएम) का उपयोग करके बैंक के बाजार जोखिम पूंजी प्रभार की गणना की जा रही है.

### परिचालन जोखिम प्रबंधन

परिचालन जोखिम, अपर्याप्त या असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से होने वाले नुकसान का जोखिम है. परिचालन जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए, आपके बैंक के पास एक व्यापक परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा है, जिसके कार्यान्वयन की देखरेख परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) द्वारा की जाती है और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है.

एक स्वतंत्र परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रकोष्ठ इस ढांचे को कार्यान्वित करता है. ढांचे के तहत, बैंक के पास बचाव की तीन श्रेणियां हैं. बचाव की पहली श्रेणी कारोबार इकाई (सहायता एवं संचालन सहित) है जो मुख्य रूप से दैनिक आधार पर परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है. बचाव की दूसरी श्रेणी जोखिम प्रबंधन विभाग है, जो आपके बैंक के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता का आकलन और निगरानी करने के लिए नीतियों, प्रक्रियाओं एवं तकनीकों को विकसित करता है. आंतरिक लेखा परीक्षा बचाव की तीसरी श्रेणी है. इसकी टीम आपके बैंक के भीतर गवर्नेंस, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण के प्रभावशीलता की समीक्षा करती है.

परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए व्यापक प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखा परीक्षा का उपयोग प्राथमिक साधनों के रूप में किया जाता है. बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है. बैंक द्वारा शुरू किए गए समस्त नए उत्पाद / प्रक्रियाएं परिचालन जोखिम के मुद्दों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए एक उत्पाद मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरती हैं. मौजूदा उत्पादों में भिन्नताओं के साथ-साथ आउटसोर्सिंग गतिविधियों में भी जोखिमों की समीक्षा की जाती है. बैंक ने पिछले अठारह वर्षों के दौरान हुई परिचालनात्मक हानियों से संबंधित आंकड़े संकलित किए हैं और सुधारात्मक उपाय करने के लिए इसका विश्लेषण किया जाता है ताकि इन हानियों की पुनरावृत्ति न हो. बैंक के उत्पादों/प्रक्रियाओं में अवशिष्ट जोखिमों का आकलन करने के लिए जोखिम और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) करने हेतु प्रक्रिया भी शुरू की गई है. विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) की पहचान की गई है और जोखिम की सीमाएं निर्धारित की गई हैं.

आपका बैंक वर्तमान में परिचालन जोखिम के तहत पूंजी गणना के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) का पालन कर रहा है.

आपका बैंक सभी स्तरों पर मौजूदा प्रशिक्षण प्रणाली के माध्यम से इसे अंतःस्थापन के द्वारा जोखिम जागरूकता संस्कृति भी बना रहा है. सभी स्तरों पर जोखिम के महत्व को समझाने के लिए जोखिम संस्कृति सर्वेक्षण आयोजित की जाती है. जोखिम अधिकारियों के लिए बैंक में आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं. बैंक में विभिन्न कार्यों और क्षेत्र पदाधिकारियों में जोखिम संस्कृति को आत्मसात करने के लिए, जोखिम प्रबंधन पर ई-लर्निंग मॉड्यूल को अनिवार्य कर दिया गया है.

आपके बैंक के पास सुदृढ़ कारोबार निरंतरता योजना और आपदा उद्धार योजना है जिसका समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण किया जाता है कि यह किसी भी परिचालन आकस्मिकताओं को पूरा कर सकता है. सुप्रलेखित तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना किसी भी अप्रत्याशित प्रतिकूल घटना या परिस्थितियों के दौरान अपने कारोबार, कर्मचारियों और ग्राहकों पर कारोबारी व्यवधानों और प्रणाली की विफलता एवं संभावित प्रभाव को कम करने के लिए है. यह योजना नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है और नियमित रूप से इसकी समीक्षा की जाती है. इसके अलावा, बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी और गैर-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों के लिए बीसीपी त्वरित निपटान टीम (क्यूआरटी) का भी गठन किया है. क्यूआरटी व्यवधान की निगरानी करता है और विभिन्न वर्टिकल / क्षेत्र को आवश्यक निर्देश देता है और सामान्य स्थिति बहाल होने तक स्थिति की निगरानी भी करता है.

आपके बैंक ने आउटसोर्स किए गए विक्रेताओं के विक्रेता जोखिम प्रबंधन डेटा को कैप्चर करने एवं प्रभावी निगरानी रखने के लिए एक केंद्रीकृत विक्रेता जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है. यह जोखिम प्रबंधन का रूप है जो विक्रेताओं से संबंधित आउटसोर्सिंग गतिविधियों से संबंधी जोखिम की पहचान करने एवं उसे कम करने पर केंद्रित है.

### समूह जोखिम प्रबंधन

समूह जोखिम प्रबंधन संस्थाओं में से किसी के द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों पर जोर देता है, जिनके पास समूह भर में एक सामान्य स्थिति है, जिसका समूह पर व्यापक प्रभाव हो सकता है.

आपका बैंक अपनी समूह संस्थाओं के माध्यम से विविध वित्तीय सेवाओं जैसे बैंकिंग, प्रतिभूतियों और पूंजी बाजार, बीमा, म्यूचुअल फंड और खुदरा आस्ति कारोबारों में भाग लेता है. बैंक ने सामान्य एवं दवाबग्रस्त परिस्थितियों में अपनी समूह इकाइयों, आंतरिक नियंत्रणों, कम करने और पूंजी मूल्यांकन के लिए जोखिमों के आकलन के लिए एक रूपरेखा/ नीति बनाई है.

### पर्यावरण, सामाजिक, गवर्नेंस (ईएसजी) और जलवायु जोखिम प्रबंधन

आपके बैंक के बोर्ड ने ईएसजी और जलवायु परिवर्तन से होने वाले जोखिम के प्रभाव को दूर करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है. आपका बैंक अपने कारोबार के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करके एवं पर्यावरण की चुनौतियों का पता करके पर्यावरण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

आरएमसी, जो आपके बैंक के जलवायु जोखिम संबंधी मामलों को देखने वाली बोर्ड की उप-समिति है. बैंक ने ईएसजी संचालन समिति (ईएसजीएससी) का गठन किया है जिसमें आपके बैंक के ईएसजी ट्रांसिशन के लिए कार्यपालक निदेशक और कारोबार एवं कंट्रोल वर्टिकल के प्रमुख भी शामिल हैं. आपके बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईएसजी जोखिम रूपरेखा और जलवायु जोखिम नीति तैयार की है. बैंक ने संसाधन जुटाने एवं वित्तपोषण ढांचे तथा आश्वासन से संबंधित पहलुओं को कवर करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित संवहनीय वित्तपोषण ढांचा (जिसे क्रिसिल ने अपनी दूसरे पक्ष की राय के माध्यम से सत्यापित किया है) भी तैयार किया है.

आपके बैंक ने जोखिम एवं अवसर संबंधी गतिविधियों को देखने के लिए अलग से एक ईएसजी कक्ष का निर्माण किया है. बैंक ने वर्टिकल-वार ईएसजी से संबंधित कार्रवाई बिंदुओं और समय-सीमा की पहचान की है. एक उप-समिति का गठन किया गया है, जिसमें बैंक के परिसर, सूचना प्रौद्योगिकी और संचालन की देखरेख करने वाले वर्टिकल शामिल हैं, जो बैंक के अपने परिचालनों में नेट जीरो-एमिशन हासिल

करने के लिए कार्रवाई बिन्दु तैयार करते हैं. इसके अतिरिक्त, बैंक के क्रेडिट वर्टिकल के तहत एक अन्य उप-समिति का गठन किया गया है, जो बैंक के ऋण संविभाग को संवहनीय/हरित वित्त की ओर ले जाने के पीछे प्रेरक शक्ति होगी. यह समिति बैंक के ऋण संविभाग में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के ऋण जोखिम के प्रतिशत को मापकर एवं कम करके संवहनीय वित्त के लिए नये रास्ते और अवसर खोजने का कार्य कर रही है. बैंक ने ऋण हामीदारी में भौतिक एवं संक्रमण जोखिम का आकलन शुरू कर दिया है, जिला स्तर पर संपार्श्विक के भौतिक जोखिम की पहचान की है और विभिन्न जलवायु परिदृश्यों के तहत ग्राहक स्तर पर कॉर्पोरेट के लिए भौतिक एवं संक्रमण जोखिम का भी मूल्यांकन किया है.

बैंक अपने आईसीएएपी में ईएसजी एवं जलवायु जोखिम को शामिल करने की प्रक्रिया में है. बैंक ने अपने सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ईएसजी संबंधित विषयों का भी एकीकरण भी शुरू कर दिया है.

आपका बैंक उत्सर्जन में कमी/उत्सर्जन तीव्रता में कमी/ कार्बन तटस्थता के लिए समयबद्ध परिणात्मक लक्ष्य निर्धारित करने की दिशा में कार्य कर रहा है. आपका बैंक कम कार्बन अर्थव्यवस्था हेतु राष्ट्र के सामूहिक परिवर्तन में राष्ट्रीय उद्देश्यों एवं लक्ष्यों से जुड़ा होगा.

### उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम)

बैंकों को वित्तीय मध्यस्थ होने के नाते विभिन्न प्रकार के वित्तीय एवं गैर-वित्तीय जोखिमों का सामना करना पड़ता है जैसे कि क्रेडिट, बाजार, परिचालनगत, प्रतिष्ठागत, आदि. ये जोखिम अत्यधिक परस्पर निर्भर हैं और जो घटनाएँ एक जोखिम को प्रभावित करती हैं, उनका अन्य जोखिम श्रेणियों की एक श्रृंखला पर प्रभाव पड़ सकता है. ईआरएम इन जोखिमों को अलग-अलग प्रबंधित करने के बजाय बैंक-व्यापी स्तर पर संबोधित करने की एक प्रक्रिया है.

ईआरएम ढांचा किसी इकाई को अपने समग्र जोखिम स्तर के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है. इसमें अन्य बातों के अलावा, जोखिम-वहन क्षमता ढांचा और बैंक में सुसंगत जोखिम संस्कृति की स्थापना शामिल है. ईआरएम में संगठनों द्वारा जोखिमों का प्रबंधन करने और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित अवसरों को हासिल करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं.

ईआरएम फ़ंक्शन बैंक को आवश्यक परिवर्तन करने, विशिष्ट जोखिम प्रकारों और कारोबार समूहों पर केंद्रित समूहों के साथ मिलकर कार्य करने एवं उनके साथ काम करने के लिए सशक्त बनाएगा. ईआरएम फंक्शन पारंपरिक जोखिम प्रबंधन गतिविधियों में नई और अधिक सक्रिय क्षमताओं को विकसित करने में बैंक का नेतृत्व कर सकता है, जिसमें जोखिम लेने की इच्छा को सीमित करना, नए जोखिमों एवं संभावित नियंत्रण कमजोरियों का पता लगाना तथा जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण को कैसे समायोजित किया जाए, यह गतिशील रूप से तय करना शामिल है.

आपके बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति है.

## 23 अनुपालन

आपके बैंक ने सुदृढ़ अनुपालन प्रणाली के साथ-साथ अच्छी तरह से प्रलेखित अनुपालन नीति कार्यान्वित की है. अनुपालन कार्य का ध्यान विनियामक एवं वैधानिक दिशानिर्देशों, निष्पक्ष व्यवहार संहिताओं और अन्य निर्धारित संहिताओं, सरकारी नीतियों, बैंक की आंतरिक नीतियों तथा धन शोधन और अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण की रोकथाम का अनुपालन सुनिश्चित करना है.

आपके बैंक के पास अनुपालन विभाग में विभिन्न अनुपालन क्षेत्रों जैसे विनियामक अनुपालन, जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण, परिचालन, अनुपालन परीक्षण जांच और नीतियों की समीक्षा के लिए समर्पित टीमें हैं. ये टीमें अनुपालन जोखिम प्रबंधन एवं निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कारोबार विभागों और अन्य आश्वासन कार्यों के साथ कार्य करती हैं. विनियामक अनुपालन की जिम्मेदारी रखने वाली टीम विनियामक मामलों पर आंतरिक हितधारकों को सलाहकार सेवाएं भी प्रदान करती है.

आपका बैंक मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करने, नियामकों के साथ सहयोग बढ़ाने, परिचालन दक्षता प्राप्त करने के लिए निगरानी बढ़ाने हेतु तकनीकी लाभ उठाने में निरंतर प्रगति कर रहा है.

आपके बैंक के पास अनुपालन जोखिम की पहचान, आकलन, निगरानी और प्रबंधन तथा गैर-अनुपालन के मुद्दों के लिए प्रक्रियाएं हैं, यदि कोई हो, तो एस्केलेट करने की प्रक्रिया है. आपका बैंक उत्पादों और प्रक्रियाओं में विनियामक/आंतरिक आवश्यकताओं का आकलन करता है.

आपके बैंक विनियामक/आंतरिक दिशानिर्देशों और अनुपालन जोखिम के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संबंध में कर्मचारियों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करके मानव पूंजी को मजबूत करने का निरंतर प्रयास करता है.

आपका बैंक विभिन्न केंद्रीय कार्यालय विभागों, क्षेत्र स्तरीय नियंत्रक कार्यालयों और शाखाओं द्वारा किए गए विभिन्न बैंकिंग कार्यों की नियमित अनुपालन परीक्षण जांच करता है.

आपके बैंक के पास नियामकों (आरबीआई, सेबी आदि)/ भारत सरकार (एमओएफ़) और आईबीए से प्राप्त संप्रेषण की प्रतिक्रियाओं की

निगरानी एवं प्रबंधन के लिए एक इन-हाउस अनुपालन पैकेज है. अनिवार्य दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर अनुपालन परीक्षण जांच की जाती है. बैंक में प्रत्येक स्तर के लिए अनुपालन कार्य की भूमिका एवं उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है. आपके बैंक के पास स्व-प्रमाणन प्रक्रिया के माध्यम से विनियामक और वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुस्थापित रिपोर्टिंग प्रणाली है. शाखाओं से संबंधित क्षेका को और क्षेका से अंचल कार्यालय को अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है. अंचल कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय के वर्टिकल प्रत्येक तिमाही में अनुपालन विभाग को अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं. क्षेत्र अनुपालन अधिकारियों और क्षेत्रीय अनुपालन निगरानी समिति के माध्यम से अनुपालन की एक क्षेत्र स्तरीय संरचना स्थापित की गई है.

आपके बैंक ने ईज 4.0 डिलिवरेबल्स के अनुरूप व्यक्तिगत स्तर की अनुपालन निगरानी, प्रमाणन एवं सत्यापन को सक्षम करने के लिए अनुपालन निगरानी उपकरण, इन-हाउस निर्मित एप्लिकेशन कार्यान्वित किया है.

## 24 आंतरिक लेखा परीक्षा

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां संचालित की जाती हैं:

1. शाखाओं और अन्य इकाइयों की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा
2. चुनिंदा शाखाओं और अन्य इकाइयों की समवर्ती लेखा परीक्षा
3. नियंत्रण कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय वर्टिकल का प्रबंधन लेखा परीक्षा
4. आईएस लेखा परीक्षा
5. विदेशी शाखाओं की लेखा परीक्षा
6. विशेष लेखा परीक्षा और विशेष रिपोर्ट
7. एसीबी, एसीई
8. डेटा डंप विश्लेषण
9. स्टाफ जवाबदेही की जांच के लिए डेटा उपलब्ध कराना - डीएफएस दिशानिर्देश

### शाखाओं एवं अन्य इकाइयों की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 6419 शाखाओं का लेखा परीक्षा शुरू हुआ, जिसमें से 6189 शाखाओं का लेखा परीक्षा पूर्ण हो गया और दिनांक 31.03.2024 तक 6184 शाखाओं की रेटिंग को अंतिम रूप दिया गया. शाखाओं की संख्या कम जोखिम वाली 5154 (83.35%), मध्यम जोखिम वाली 984 (15.91%), उच्च जोखिम वाली 46 (0.74%) और अत्यधिक उच्च जोखिम वाली शून्य है. इसके अलावा, 737 अन्य इकाइयों का लेखा परीक्षा शुरू हुई, जिनमें से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 714 की लेखा परीक्षा पूर्ण हुई. इस अवधि के दौरान 150 'बी' श्रेणी की शाखाओं का फॉरेक्स लेखा परीक्षा किया गया है.

### चुनिंदा शाखाओं और अन्य इकाइयों की समवर्ती लेखा परीक्षा:

विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए (नए/नवीनीकृत) 1984 समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है. समवर्ती लेखा परीक्षा के अंतर्गत कारोबार कवरेज हेतु अनिवार्य निर्धारित कवरेज से कहीं अधिक है. केंद्रीय कार्यालय वर्टिकल और अन्य इकाइयों के लिए समवर्ती लेखा परीक्षा का भी ध्यान रखा गया है.

### राजस्व लेखा परीक्षा (आय का क्षरण)

आय के क्षरण का सीधा असर लाभ पर पड़ता है. कर्मचारियों की ओर से लापरवाही की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया है, जिसमें प्रत्येक मामले में क्षरण के सामने अधिकारियों के नाम का उल्लेख करना आवश्यक है, ताकि बैंक उचित सुधारात्मक कार्रवाई कर सके. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान तीन (3) राजस्व लेखा परीक्षा (आय का क्षरण) विशेष अभियान चलाए गए. दिनांक 31-03-2024 तक कुल ₹ 549.98 करोड़ की राशि का पता लगाया गया और ₹ 504.78 करोड़ की वसूली की गई.

### नियंत्रण कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय वर्टिकल का प्रबंधन लेखा परीक्षा

प्रबंधन लेखा परीक्षा में संगठनात्मक उद्देश्य, नीतियों, प्रक्रियाओं, संरचना, नियंत्रण और प्रणाली जैसे प्रबंधकीय पहलुओं की समीक्षा शामिल है ताकि बैंक की गतिविधियों पर प्रबंधन की दक्षता या कार्यनिष्पादन की जांच की जा सके. प्रबंधन लेखा परीक्षा का उद्देश्य कार्यों को पूरा करने और समग्र कॉर्पोरेट उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन की प्रभावशीलता का आकलन करना है. यह बेहतर परिणामों एवं गुणवत्ता के लिए प्रबंधन प्रक्रियाओं, नियंत्रण और गवर्नेंस प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने हेतु व्यवस्थित और अनुशासित दृष्टिकोण लाकर लेखापरीक्षित इकाई को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करने का प्रयास करेगा. प्रबंधन लेखा परीक्षा के अंतर्गत 134 क्षेत्रीय कार्यालय, 18 अंचल कार्यालय, 18 अंचल लेखा परीक्षा कार्यालय, 34 केंद्रीय कार्यालय वर्टिकल, 7 अन्य कार्यालय कवर किए गए हैं.

**आईएस लेखा परीक्षा:**

सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अवसंरचना के भीतर नियंत्रण की जांच है. बैंक ने आईटी आस्तियों के आईएस लेखा परीक्षा के संचालन के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाया है, जिसमें बैंक की आंतरिक आईएस लेखा परीक्षा टीम चयनित सीईआरटी-इन पैनल में शामिल आईएस लेखा-परीक्षा सेवा प्रदाता के साथ मिलकर अनुमोदित वार्षिक आईएस लेखा-परीक्षा योजना के अनुसार आईएस लेखा-परीक्षा कर रही है.

इस अवधि के दौरान 100% लक्ष्य प्राप्त किया गया क्योंकि 278 आईटी अनुप्रयोगों / प्रक्रियाओं और 65 प्रशासनिक कार्यालयों और 3 विदेशी मामलों के लिए आईएस लेखा-परीक्षा किया गया. इन नियमित आईएस लेखा-परीक्षा के साथ-साथ, सीसो और स्वामित्व लेखा-परीक्षा टीम को लाइव होने का निर्णय लेने हेतु आईटी नियंत्रण स्थिति प्रदान करने के लिए 25 पूर्व-कार्यान्वयन आईएस लेखा-परीक्षा किए गए. विनियामक/आंतरिक दिशानिर्देशों जैसे स्विफ्ट सीएससीएफ, व्यापक स्विफ्ट, आरबीआई केआरआई डेटा, यूआईडीएआई अनुपालन, आरए लेखा-परीक्षा आदि के अनुसार 25 विशेष केंद्रित आईएस लेखा-परीक्षा भी किए गए.

**विदेशी शाखाओं की लेखा परीक्षा:**

बैंक की दुबई, सिडनी में शाखाएँ हैं और यू. के. में एक सहायक कंपनी है. तीनों स्थानों का वार्षिक लेखा-परीक्षा समय-सारिणी के अनुसार पूर्ण किया जाता है. दुबई और सिडनी शाखाओं में आवधिक लेखा-परीक्षा भी पूरा किया जाता है.

**विशेष लेखा–परीक्षा और विशेष रिपोर्ट:**

**विशेष लेखा–परीक्षा:** यह नियंत्रक कार्यालयों जैसे ज़ेडएओ/क्षेका/अंका और/या केंद्रीय कार्यालय के संबंधित कार्यात्मक विभाग जिसमें लेखा परीक्षा और निरीक्षण वर्टिकल शामिल है, से विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर आयोजित किया जा रहा है. विशेष लेखा परीक्षा के संचालन के लिए ऐसे अनुरोध में अनिवार्य रूप से सिफारिशों, मुद्दों की प्रकृति एवं गंभीरता और विशिष्ट क्षेत्र जहां लेखा परीक्षा केंद्रित की जानी है, के लिए विशिष्ट कारण शामिल होंगे. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 94 विशेष लेखा परीक्षाएँ स्वीकृत की गईं, जिनमें से 75 विशेष लेखा परीक्षाएँ पूरी हो गई.

**विशेष रिपोर्ट:** विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उद्देश्य शाखा/खाते में अनियमितताओं की ओर प्रबंधन/नियंत्रण कार्यालयों का तत्काल ध्यान आकर्षित करना है, ताकि ऐसी अनियमितताओं के सुधार/नियमन के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें और बैंक के हितों की रक्षा की जा सके. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 74 विशेष रिपोर्ट जारी की गई.

**बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) और कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति (एसीई):**

- एसीबी की तिमाही में न्यूनतम एक बार और वर्ष में न्यूनतम छह बार बैठक होगी, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 11 एसीबी (जिसमें से कार्यचालन परिणाम हेतु 4) बैठकें आयोजित की गई.
- एसीई की तिमाही में न्यूनतम एक बार और वर्ष में न्यूनतम छह बार बैठक होगी, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एसीई की 7 बैठकें आयोजित की गई.

**डेटा डंप विश्लेषण**

डेटा डंप विश्लेषण सिस्टम में उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण इन-हाउस गतिविधि है, जिसका उद्देश्य बैंक और नियामक (आरबीआई) द्वारा परिभाषित उत्पादों/प्रक्रियाओं की नीतियों/दिशानिर्देशों से डेटा अंतर, विचलन की पहचान करना है. यह गतिविधि क्षेत्र पदाधिकारियों की नीतियों के अनुरूप कैप्चर किए गए डेटा की सटीकता एवं पूर्णता बनाए रखने में मदद करने हेतु की जाती है. लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण कंपनी में डेटा विश्लेषण टीम (डीएटी) नियंत्रण अंतराल की पहचान करने के लिए विभिन्न परिदृश्यों पर विश्लेषण करती है. डेटा डंप विश्लेषण की शुरुआत अर्थात दिसंबर, 2021 से, लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण वर्टिकल ने 125 परिदृश्यों का विश्लेषण किया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 (मार्च, 2024 तक) में 54 नए परिदृश्यों पर डेटा डंप विश्लेषण किया गया और उनकी टिप्पणियों/निष्कर्षों को एसीई के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

**स्टाफ जवाबदेही की जांच के लिए डेटा उपलब्ध कराना – डीएफएस दिशानिर्देश:**

वित्तीय सेवा विभाग द्वारा रु. 50.00 करोड़ तक के एनपीए खातों (धोखाधड़ी के मामलों को छोड़कर) के लिए स्टाफ जवाबदेही ढांचे पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए. तदनुसार, अंचल लेखा परीक्षा कार्यालयों में रु. 0.10 करोड़ से रु. 1.00 करोड़ से अधिक के खातों के लिए लेखा-परीक्षा रिपोर्ट 7 कार्य दिवसों के भीतर स्टाफ जवाबदेही समिति को उपलब्ध कराने हेतु एक प्रणाली स्थापित की गई है और इसी तरह रु. 1.00 करोड़ से रु. 50.00 करोड़ से अधिक के खातों के लिए लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग, केंका द्वारा 15 कार्य दिवसों के भीतर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है.

**भविष्य का दृष्टिकोण:**

**रिमोट लेखा परीक्षा:**

शाखाओं के लिए रिमोट लेखा परीक्षा का प्रथम चरण कार्यान्वयन पूर्ण हो गया है. ई-थिक मॉड्यूल में 2573 आरबीआई मास्टर चेकलिस्ट बिंदुओं का 13% हिस्सा के 341 लेखा-परीक्षा बिंदुओं को कार्यान्वयन

के प्रथम चरण के तहत लाया गया है.

**फिनस्ट्रा के साथ रिमोट लेखा-परीक्षा एकीकरण:**

फिनस्ट्रा के साथ इंटरफेस बनाने की प्रक्रिया चल रही है. इस चरण के तहत, अन्य 388 चेकलिस्ट पॉइंट (15%) को रिमोट लेखा-परीक्षा के दायरे में लाया जाएगा.

**डीएमएस के साथ रिमोट लेखा-परीक्षा एकीकरण:**

शेष मास्टर चेकलिस्ट बिंदुओं को रिमोट लेखा-परीक्षा के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाएगा, जब डीएमएस मॉड्यूल पूरी तरह कार्यात्मक हो जाएगा और ई-थिक के साथ एकीकृत हो जाएगा.

रिमोट लेखा-परीक्षा मॉड्यूल के कार्यान्वयन से, वर्टिकल को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

- लागत और प्रयास में बचत.
- जनबल पदस्थी में कमी.
- लेखा-परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार.

## 25 साइबर सुरक्षा

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने डिजिटल कारोबार की सर्वव्यापी उपस्थिति के साथ बढ़ते हुए बैंक के हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च वरीयता देता है. बैंक ने अपने हितधारकों के बीच डिजिटल विश्वास को बढ़ाने के लिए एक मजबूत साइबर सुरक्षा संस्कृति विकसित की है. बैंक ने हैदराबाद में अपने परिसर में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीसीओई) की स्थापना की है, जिसे सीखने, उद्योग-अग्रणी नई पीढ़ी की साइबर सुरक्षा तकनीकों को आत्मसात और कार्यान्वित करने का कार्य सौंपा गया है, जो न केवल बैंक की साइबर सुरक्षा संपत्तियों की रक्षा करेगा बल्कि अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए व्यापक जागरूकता एवं शैक्षणिक कार्यक्रम पर भी ध्यान केंद्रित करेगा. सीसीओई ने उन्नत कंप्यूटिंग के विकास हेतु केंद्र (सीडैक), हैदराबाद और साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार (डबल्यूबी-सीएस-सीओई) जैसे बाहरी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे हितधारकों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता वेबिनार/प्रशिक्षण आयोजित किए जाने में उनकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जाए.

बैंक ने ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम (सीसीएसएपी) भी विकसित किया है. बैंक एसएमएस, बहुभाषी ईमेल, एटीएम, शाखाओं में प्रदर्शन यूनिट, सोशल मीडिया और बैंक की वेबसाइट जैसे कई चैनलों पर जागरूकता अभियान आयोजित करके ग्राहकों तक अपनी पहुँच बनाता है. पूरे भारत में ग्राहकों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता वेबिनार बैंक के सभी अंचल कार्यालयों में आयोजित किए जा रहे हैं. अपने लोगों के लिए शैक्षणिक साइबर सुरक्षा सुरक्षा सुझाव को व्यक्ति केन्द्रित बनाने एवं बढ़ावा देने हेतु साइबर सुरक्षा शुभंकर "USuरKsha" और "UरKshak" की शुरुआत एक अनूठी पहल है.

इसके अतिरिक्त, बैंक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साइबर जागरुकता दिवस (सीजेडी) को आगे बढ़ाने की पहल करता है, जो प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है. इस दिन, यूनियन बैंक ग्राहकों को साइबर सुरक्षा विषयों पर ई-मेल भेजता है, सोशल मीडिया पर क्रिएटिव पोस्ट करता है, और आकर्षक वेबिनार आयोजित करने के लिए साइबर सुरक्षा डोमेन से प्रतिष्ठित वक्ताओं को आमंत्रित करता है. अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप वार्षिक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (एनसीएसएएम) अक्तूबर के पूरे महीने में विभिन्न साइबर सुरक्षा विषयों पर दैनिक वेबिनार के साथ आयोजित किया जाता है. बैंक अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान https://cybercrime.gov.in पर जाकर या 1930 डायल करकेभारत सरकार के राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी का प्रसार कर रहा है.

बैंक विभिन्न साइबर सुरक्षा गतिविधियों के लिए वार्षिक कार्य योजना कार्यान्वित करके अपने स्टाफ सदस्यों के बीच साइबर सुरक्षा संस्कृति को मजबूत कर रहा है एवं बढ़ावा दे रहा है, जिसमें पूरे भारत में टाउनहॉल बैठकें आयोजित करना, साइबर सुरक्षा सुझावों के साथ दैनिक मेल, इंटरैक्टिव पहेलियाँ और क्रॉसवर्ड शामिल हैं.

बैंक नियमित रूप से नवीनतम साइबर सुरक्षा समाचार और रुझानों पर स्टाफ सदस्यों को अपडेट करने के लिए आंतरिक पुस्तिकाएं एवं समाचार स्निपेट प्रकाशित करता है. सभी कर्मचारियों के लिए एक मासिक फ़िशिंग सिमुलेशन अभ्यास जागरूकता पैदा करता है और स्टाफ सदस्यों के बीच कमजोर विषयों की पहचान करता है जिसे अतिरिक्त प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग के साथ सुधारा जा सकता है. यूनियन बैंक ने आईटी और साइबर सुरक्षा में वरिष्ठ प्रबंधन के लिए इन-हाउस प्रमाणन प्रदान करने हेतु साइबर सुरक्षा कार्यकारी विकास कार्यक्रम (सीएसईडीपी) भी तैयार किया है. बैंक ने एक सुदृढ़ साइबर सुरक्षा गवर्नेंस संरचना भी बनाई है जिसमें कार्यपालक और बोर्ड स्तर पर नीतियां, प्रक्रियाएं, दिशानिर्देश और समितियां शामिल हैं.

## 26 नवोन्नत तकनीक

यूनियन बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन, एटीएम परिचालन और अन्य सामान्य सुरक्षा नियंत्रणों के लिए डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रणों के अनुरूप अपनी नीतियों और कार्य योजनाओं को सुसंगत बनाया है. बैंक का डाटा सेंटर (डीसी) और डिजास्टर

रिकवरी (डीआर) साइट सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (27001) और कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (22301) के लिए आईएसओ प्रमाणित है. बैंक की उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 31000 प्रमाणित है. बैंक के पास सभी कार्ड भुगतान प्रणालियों और एटीएम स्विच परिचालनों के लिए पीसीआई-डीएसएस प्रमाणीकरण है. सिस्टम और गोपनीय बैंक/ग्राहक डाटा की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि बहुपरतीय रक्षात्मक तंत्र के साथ गहन संरचना और डाटा हानि या लीकेज प्रबंधन स्ट्रेटजी. इसमें एंड-पॉइंट डिवाइसेस पर संसाधित डाटा, ट्रांसमिशन में डाटा के साथ-साथ सिस्टम पर संग्रहीत डाटा का सुरक्षा शामिल है. डाटा सुरक्षा और डाटा बचाव बैंक के वेंडर प्रबंधित सुविधाओं में भी शामिल हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने साइबर सुरक्षा ढांचा भी कार्यान्वित किया है और एक समर्पित, कुशल टीम के साथ चौबीस घंटे काम करने वाली 24x7 साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सी-एसओसी) की स्थापना की है. सी-एसओसी साइबर खतरों की पहचान करने, उनका पता लगाने और उनसे बचाव में मदद करता है. यह विभिन्न स्तरों पर हमले के वैक्टरों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण कारोबार एप्लिकेशन के साथ मजबूती से एकीकृत है. बैंक ने अपने डाटा सुरक्षा नियंत्रणों को स्वचालित करके और एक मजबूत आईटी अवसंरचना विकसित करके बैंक की साइबर सुरक्षा स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु "सिक्योरिटी बाय डिजाइन" दृष्टिकोण अपनाया है.

अपने साइबर बुनियादी ढांचे हेतु समग्र सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बैंक ने एक व्यापक, बहुस्तरीय सुरक्षा संरचना के साथ "डिफेंस इन डेप्थ" कार्यनीति अपनाई है. बैंक ने अपनी आईटी आस्तियों के बचाव हेतु प्रत्येक स्तर पर साइबर सुरक्षा समाधान जैसे परिधि सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लिकेशन सुरक्षा, अंतिम पॉइंट सुरक्षा, पहचान एवं पहुंच प्रबंधन भी कार्यान्वित किए हैं. बैंक द्वारा अपने सीसीओई के तहत स्थापित एथिकल हैकिंग लैब को दैनिक आधार पर परिधि या बैंक की इंटरनेट-फेसिंग एप्लिकेशन/आस्ति में अंतर की पहचान करने का कार्य सौंपा गया है.

सीसीओई के अंतर्गत असुरक्षितता मूल्यांकन/व्यापन परीक्षण प्रयोगशाला (वीए/पीटी) भी है और यह एप्लिकेशन का आवधिक वीए या पीटी आयोजित करता है. बाहरी विक्रेताओं की मदद से, बैंक अपने आईटी बुनियादी ढांचे में कमजोरियों, कारोबारी जोखिम, सुरक्षा की क्षमता आदि की पहचान करने के लिए रेड-टीमिंग अभ्यास भी आयोजित करता है. ये हमलावर के कार्यों का अनुकरण करते हैं और पहले से मौजूद शमन नियंत्रणों का परीक्षण करते हैं.

आपके बैंक की उपस्थिति विभिन्न देशों में है, और यह वैश्विक उपस्थिति बैंक की आक्रमण सतह को भी बढ़ाती है और साइबर खतरे का प्रभाव बैंक के परिचालन पर हो सकता है. बैंक की सहायक कंपनियों सहित घरेलू और वैश्विक दोनों संस्थाओं के संबंध में साइबर जोखिम का प्रबंधन करने के लिए सीसीओई के तहत बैंक ने सतत स्वचालित रेड टीम अभ्यास प्लेटफ़ॉर्म, ब्रीच अटैक सिमुलेशन और डिजिटल जोखिम निगरानी के साथ अटैक सरफेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन की शुरुआत की है. यह परियोजना बैंक को जोखिम के न्यूनतम स्तर पर लाने, परिधि की निरंतर निगरानी, खतरे का पता लगाने और घटना प्रतिक्रिया में सुधार एवं सार्वजनिक डोमेन में उजागर बैंक की संवेदनशील जानकारी जैसे कार्ड डेटा, ग्राहक क्रेडेंशियल्स की पहचान करने में सक्षम बनाती है.

आपके बैंक ने बैंक कर्मचारियों, विक्रेताओं, ग्राहकों एवं अन्य हितधारकों के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र हेतु साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जानकारी भागीदारों को शामिल किया है. वे जागरूकता पहलों की कार्यनीति बनाने, क्रियेटिंग, डिजाइन करने और वितरण सहित बैंकों की सूचना सुरक्षा/साइबर सुरक्षा जागरूकता पहलों की अंतिम डिलीवरी और प्रबंधन प्रदान करते हैं.

आपके बैंक ने ईज 6.0 सुधार एजेंडे में परिभाषित साइबर सुरक्षा (एपी-18) से संबंधित स्तर - 4 का सर्वश्रेष्ठ साइबर सुरक्षा परिपक्वता स्कोर हासिल किया है.

### आरबीआई साइबर सुरक्षा ढांचा

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित साइबर सुरक्षा नीति लागू की है, जिसमें साइबर सुरक्षा जोखिमों के प्रबंधन के लिए स्पष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां शामिल हैं. संभावित साइबर खतरों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए नियमित जोखिम आकलन और भेद्यता आकलन आवश्यक हैं, आपका बैंक संभावित साइबर खतरों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए नियमित साइबर सुरक्षा जोखिम आकलन कर रहा है.

बैंक ने सूचना सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं को तैयार एवं कार्यान्वित किया है, जिसमें डेटा सुरक्षा, एक्सेस नियंत्रण तथा घटना प्रतिक्रिया सहित साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलू शामिल हैं. हमने साइबर सुरक्षा नीति के तहत घटना प्रतिक्रिया एवं रिपोर्टिंग तंत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा प्रलेखित किया है.

बैंक साइबर सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए बाह्य/तृतीय पक्ष लेखा परीक्षकों के माध्यम से साइबर सुरक्षा समाधानों/प्रक्रियाओं का आवधिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा और मूल्यांकन कर रहा है.

### समूह सीसो

बैंक ने अपनी सभी सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यम/ एसोसिएट के लिए समूह सीसो की अवधारणा शुरू की है. समूह सीसो समूह संस्थाओं के साइबर सुरक्षा जोखिम की देखरेख करता है, संस्थाओं की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में भाग लेता है और संस्थाओं के प्रबंधन के लिए उनके साइबर सुरक्षा संबंधी कार्यों हेतु सलाहकार के रूप में कार्य करता है.

## 27 परिचालन

### की गई पहल

वीडियो केवाईसी को सभी डीबीयू, 3 अंचल कार्यालय (अहमदाबाद, मुंबई, पुणे) और 5 क्षेत्रीय कार्यालय (लुधियाना, लखनऊ, मुंबई दक्षिण, ठाणे और कानपुर) के लिए लाइव कर दिया गया है. वी-केवाईसी के माध्यम से लगभग 4000+ खाते खोले गए हैं. लखनऊ में वीडियो केवाईसी सेल स्थापित किया गया है.

### यूवीकॉन 3.0:

यूवीकॉन एक अभिनव 24X7 डिजिटल बैंकिंग टूल है जो 9666606060 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेंजर चैट सेवा पर उपलब्ध है. यूवीकॉन 3.0 अपने खातों से संबंधित पूछताछ के लिए ग्राहकों से जुड़ने हेतु व्हाट्सएप संप्रेषण मंच का लाभ उठाता है. यूवीकॉन वर्तमान में 7 भाषाओं (अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बांग्ला और मराठी) में लाइव है और 60 गैर-वित्तीय सेवाओं के साथ उपलब्ध है, जिससे ग्राहक के लिए बैंकिंग सहज हो जाती है. इसके अलावा सभी नए ऑनबोर्ड किए गए ग्राहकों को सभी सेवाओं के क्रिएटिव के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से स्वागत संदेश भेजा जा रहा है. वर्तमान में, 25 लाख से अधिक उपयोगकर्ता यूवीकॉन से जुड़े हुए हैं और यूवीकॉन 3.0 पर ग्राहकों द्वारा 118 लाख से अधिक पूछताछ की गई है.

### कार्यान्वित परियोजनाएं:

**ई-नामांकन:** मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, शाखा बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग और कॉर्पोरेट वेबसाइट के माध्यम से नामांकन.

**पॉज़िटिव पे:** चेक की पुनः पुष्टि-वर्तमान में इसे ₹5.00 लाख और उससे अधिक के चेक में अनिवार्य कर दिया गया है. तथापि, ₹50000.00 और उससे अधिक के चेक निकालने वाले ग्राहक पॉजिटिव पे का उपयोग कर सकते हैं. यह सुविधा शाखा, एसएमएस, मोबाइल, यूवीकॉन, इंटरनेट बैंकिंग और कॉर्पोरेट वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध है. ग्राहकों को उनकी सुरक्षा के लिए सीमा निर्धारण विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है. जहाँ भी सीमा निर्धारण विकल्प का उपयोग किया जाता है, वहाँ सीमा से अधिक और उससे ऊपर हमेशा पुनः पुष्टि की जाती है.

- रु. 5.00 लाख से ऊपर की प्रतिदिन 1000 से अधिक पुनः पुष्टि होती है.
- अब ग्राहक को सुविधा प्रदान करने हेतु शाखाओं द्वारा भी पॉजिटिव पे पर रिपोर्ट जेनरेट की जा सकती है. ऐसी सुविधा सर्वप्रथम किसी पीएसयू में.
- इंटरनेट बैंकिंग में पुनः पुष्टि के लिए चेक की बल्क अपलोडिंग पीएसयू में सबसे पहले.

धोखाधड़ी की रोकथाम में पॉजिटिव पे बहुत सफल पाया गया है. पॉजिटिव पे के उपयोग में धोखाधड़ी की एक भी घटना की सूचना नहीं मिली है.

चैटबॉट को इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में कार्यान्वित किया गया है. नई सुविधाएँ जोड़ी गई हैं. अब चैटबॉट हिंदी, अंग्रेजी एवं 7 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है. केवल कुछ ही बैंकों के पास हिंदी संस्करण एवं क्षेत्रीय भाषा विकल्प है. यूवीकॉन में चैटबॉट विकासाधीन है. चैटबॉट पर 10000 से अधिक हिट्स एवं समाधान हैं.

आईवीआर के माध्यम से रु. 5000/- तक का निधि अंतरण उपलब्ध कराया जाता है. इस सुविधा का लाभ बेसिक/फीचर फोन के माध्यम से भी उठाया जा सकता है.

**गूगल बिजनेस मैसेज:** बैंक की सेवा और उत्पाद से जुड़ी कोई भी पूछताछ एंड्रॉयड फोन उपयोगकर्ताओं के लिए गूगल बिजनेस मैसेज सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है. यह लाइव चैट के जरिए समाधान प्रदान करता है और साथ ही ग्राहक द्वारा दी गई कारोबार लीड का भी ध्यान रखता है.

### शिकायत निवारण तंत्र

ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया गया है. शिकायत निवारण तंत्र के प्रत्येक स्तर पर भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से पहचानने एवं परिभाषित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है. शिकायत निवारण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी स्तरों पर शिकायतों के समाधान हेतु तंत्र और मानक संचालन तरीकों को परिभाषित किया गया है.

**शिकायत निवारण नीति:** यह संशोधित नीति ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने हेतु रूपरेखा तैयार करती है; इसका उद्देश्य शिकायत की प्रकृति के आधार पर अच्छी तरह से संरचित प्रगति मैट्रिक्स और पूर्व-परिभाषित टीएटी के माध्यम से ग्राहकों के शिकायतों की घटनाओं को कम करना है. इसका उद्देश्य ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करना है.

**बैंक की वेबसाइट पर शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण अपडेट करना:** बैंक ने अब वेबसाइट पर अंचल एवं क्षेत्रीय शिकायत निवारण अधिकारियों के संपर्क तथा अन्य विवरण अपलोड कर दिए हैं, ताकि ग्राहकों को शिकायतों का त्वरित समाधान करने में आसानी हो. अब वेबसाइट में मुख्य शिकायत अधिकारी स्तर से लेकर अंचल कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर तक संरचित शिकायत निवारण तंत्र शामिल है.

**ग्राहक शिकायतों का निपटान:** बैंक के पास कॉर्पोरेट वेबसाइट, आईवीआर, कॉल सेंटर, मोबाइल बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, ईमेल आदि के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र है. ग्राहक द्वारा शिकायत दर्ज करने पर शिकायत का टिकट नंबर हमेशा ग्राहकों को प्रदान किया जाता है. इसके अलावा साइबर धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों का 24X7 निपटारा किया जाता है. शिकायत दर्ज करने और फीडबैक प्राप्त करने के लिए शाखाओं/ग्राहकों को क्यूआर कोड उपलब्ध कराए जाते हैं.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ग्राहक से प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

| विवरण | संख्या |
|---|---|
| यथा 01 अप्रैल, 2023 को बकाया शिकायतें (बीओ शिकायतों सहित) | 527 |
| वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें (बीओ शिकायतों सहित) | 3,20,495 |
| वर्ष के दौरान समाधान की गई शिकायतें (बीओ शिकायतों सहित) | 3,14,691 |
| 31 मार्च, 2024 तक बकाया शिकायतें (बीओ शिकायतों सहित) | 6331 |

## 28 विश्लेषणात्मक क्षमताएं

एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एसीओई) की स्थापना के पश्चात, बैंक ने सही प्रतिभाओं को शामिल करके और डेटा की शक्ति का दोहन करने के लिए आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें उन्नत बनाकर अपनी एनालिटिक्स टीम को मजबूत किया है.

बैंक आंतरिक एवं बाह्य दोनों स्रोतों से संरचित तथा असंरचित डेटा का उपयोग करके उन्नत विश्लेषण को आगे बढ़ाने हेतु नेक्स्ट-जेन के अत्याधुनिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर - डेटा लेक की स्थापना की प्रक्रिया में है. इससे बैंक को अधिक सूचित निर्णय लेने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

इसके अलावा, आपका बैंक वर्तमान में ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने, सूचित निर्णय लेने का समर्थन करने और बैंक के भीतर जोखिम को कम करने के लिए वर्णनात्मक विश्लेषण और विभिन्न श्रेणियों (खुदरा, एमएसएमई, कृषि आदि) में सांख्यिकीय/विश्लेषणात्मक एल्गोरिदम का उपयोग करके निर्मित विभिन्न मशीन लर्निंग आधारित उपयोग मामलों के माध्यम से डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठा रहा है.

**निर्णय लेना:** बैंक शीर्ष प्रबंधन और वर्टिकल को जानकारी प्रदान करने के लिए वर्णनात्मक विश्लेषण और दृश्य डैशबोर्ड का उपयोग कर रहा है, ताकि डेटा आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके.

**ग्राहक प्रतिधारण:** बैंक ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करके और पहचाने गए ग्राहकों तक पहुंचकर ग्राहक प्रतिधारण में सुधार करके ग्राहक क्षरण के संभावित उदाहरणों की पहचान करने के लिए पूर्वानुमानात्मक मॉडलिंग का उपयोग कर रहा है.

**वैयक्तिकृत ऑफर:** बैंक के विभिन्न कार्यों जैसे खुदरा, एमएसएमई, कृषि आदि का समर्थन करने वाले संभावित ग्राहकों की पहचान करने के लिए बैंक ग्राहक डेटा का लाभ उठाते हुए पूर्वानुमानात्मक मॉडलिंग का उपयोग करते हुए एनालिटिक्स-आधारित उपयोग मामलों के माध्यम से ग्राहकों के लिए वैयक्तिकृत ऑफर तैयार कर रहा है और परिणामस्वरूप व्यापार वृद्धि में योगदान दे रहा है.

**दवाब की पहचान के माध्यम से जोखिम प्रबंधन:** बैंक ने ग्राहकों के ऐतिहासिक डेटा (चुकौती व्यवहार, खाता उपयोग, लेन-देन व्यवहार और खाता रखरखाव आदि) का लाभ उठाते हुए विभिन्न संभावित दवाब खाता मॉडल स्थापित किए हैं, ताकि नियमित खातों में दवाब के शुरुआती संकेतों के पैटर्न का पता लगाया जा सके एवं उनका पूर्वानुमान लगाया जा सके.

### प्रमुख फोकस क्षेत्र

- **जनरेटिव एआई:** जनरेटिव एआई का उपयोग विविध क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस), संबंध प्रबंधन, डेटा विज़ुअलाइज़ेशन, संपर्क केंद्र सहायता और यहां तक कि कोड जनरेशन भी शामिल है, जिससे इन क्षेत्रों में दक्षता एवं सटीकता में वृद्धि होती है.

- **आरपीएसीओई:** रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) प्रमुख भूमिका निभाता है, जो विशिष्ट कार्यों जैसे कि ज़ेडओएचओ सीआरएम प्रक्रियाओं, री-केवाईसी अनुस्मारकों के लिए बल्क एसएमएस वितरण, लॉयल्टी रिवार्ड पॉइंट्स का प्रबंधन, तथा सरसाई अस्वीकृत डेटा रिपोर्टिंग का सावधानीपूर्वक संचालन आदि को उपयुक्त एवं अनुकूल बनाता है.

- **हरित कार्यालय स्वचालन:** बैंक कार्यालय स्वचालन को प्राथमिकता देता है तथा दस्तावेजों, अंतर-कार्यालय पत्रों और प्रस्तावों की सावधानीपूर्वक तैयारी, उन्नयन एवं डिजिटल हस्ताक्षर पर ध्यान केंद्रित करता है.

- **डिजिटल कारोबार प्लेटफॉर्म:** बैंक विभिन्न चैनलों में निर्बाध बातचीत और लेनदेन को सक्षम करने के लिए एक व्यापक डिजिटल कारोबार प्लेटफॉर्म को कार्यान्वित कर रहा है, जिससे डिजिटल परिदृश्य में दक्षता एवं अनुकूलनशीलता को बढ़ावा मिलेगा. मार्च, 2025 तक डिजिटल यात्राओं की कुल संख्या 94 हो जाएगी जिसमें लेंडिंग जर्नी जैसे कासा एवं जमा (10), एमएसएमई (12), खुदरा (23), कृषि (6), स्वर्ण (02) और अन्य (41) शामिल है.
- **डेटा लेक:** डेटा लेक विश्लेषणात्मक और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नेक्स्ट-जेनरेशन का डेटा रिपॉजिटरी समाधान है.
- **बीसीपी को मजबूत बनाना:** महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में डीआर स्वचालन को कार्यान्वित करना, रिकवरी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और तत्परता को बढ़ाना. योजनाबद्ध और अनियोजित डीआर अभ्यासों का संचालन करना, तत्परता और अनुक्रिया की संस्कृति को बढ़ावा देना.
- **बैंगलोर डीआर साइट के लिए एनडीआर:** बैंगलोर के लिए सुदृढ़ चार-तरफा आपदा रिकवरी (डीआर) साइट सेटअप की स्थापना, अभूतपूर्व स्तर तक लचीलापन बढ़ाना. कठोर डीआर अभ्यासों के बीच भी शून्य डेटा हानि के लिए प्रयास करना, यह सुनिश्चित करना कि डेटा अखंडता सर्वोपरि बनी रहे.

## 29 ऋण अनुपालन एवं अनुश्रवण

**वेब और मोबाइल आधारित डिजिटल ऋण संग्रह प्रबंधन समाधान:**

बैंक ने इन-हाउस वेब और मोबाइल आधारित डिजिटल ऋण संग्रह प्रबंधन समाधान के विकास हेतु मेसर्स स्पोक्टो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को शामिल किया है. समाधान में वित्तीय संकेतकों का उपयोग करके एआई/एमएल पर आधारित पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण, जनसांख्यिकी, भुगतान और लेनदेन, पिछला कार्यनिष्पादन, वर्गीकरण आदि के डेटा इंजीनियरिंग के जरिए ग्राहक व्यवहार एवं ऋण खातों में संग्रह के लिए अनुकूलित जर्नी के आदर्शों का निर्माण शामिल है. प्रस्तावित समाधान में ऋण डेटा का विश्लेषण करने एवं उपयुक्त जोखिम वर्गीकरण मॉडल विकसित करने के लिए पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण मॉडल है. प्रस्तावित समाधान सभी खातों की अभियान आयोजना के लिए विभिन्न चैनलों के माध्यम से उधारकर्ताओं से संपर्क करने हेतु सुझाव देगा. प्रस्तावित समाधान के माध्यम से बैंक की संपूर्ण ऋण पुस्तिका की निगरानी की जाएगी. दवाबग्रस्त खातों एवं संभावित दवाबग्रस्त खातों पर ध्यान दिया जाएगा. वित्तीय वर्ष 2024-25 में समाधान लाइव होने के लिए तैयार होगा.

**स्टाफ जवाबदेही प्रक्रिया का डिजिटलीकरण:**

इससे पहले, रु. 10.00 करोड़ तक के एनपीए मामलों के लिए स्टाफ जवाबदेही जांच की स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अपने अंचल कार्यालय को रिपोर्ट की जाती थी और क्षेत्रीय कार्यालय, अंचल कार्यालय की समेकित स्थिति एक्सेल प्रारूप में पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से केंद्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जाती थी. उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर स्टाफ जवाबदेही जांच लंबित स्थिति की निगरानी की जाती थी.

अब, बैंक ने स्ट्रेस्ड एसेट्स रिकवरी ऑटोमेशन सॉल्यूशन (सरस) पैकेज में स्टाफ जवाबदेही मॉड्यूल विकसित किया है और इसे 01 अक्तूबर, 2023 से सभी स्तरों पर बेहतर निगरानी एवं नियंत्रण के लिए तथा स्टाफ जवाबदेही पर नीति में निहित प्रत्यायोजन के अनुसार लंबित मामलों के तेजी से निपटान हेतु लाइव कर दिया है. क्षेत्रीय कार्यालय/अंचल कार्यालय/केंद्रीय कार्यालय नीति के अनुसार सूचना एवं दस्तावेजों को संसाधित तथा अद्यतन करेंगे. इससे स्टाफ जवाबदेही पर सटीक एमआईएस निकालने में मदद मिलती है. तदनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय/अंचल कार्यालय/केंद्रीय कार्यालय प्रभावी निगरानी एवं नियंत्रण के लिए संबंधित स्तर पर स्टाफ जवाबदेही पर एमआईएस बनाए रखेंगे.

## 30 सतर्कता

बैंक का सतर्कता विभाग मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) और अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी (एसीवीओ) की देखरेख में कार्य करता है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करते हैं. सीवीओ एवं एसीवीओ को केंद्रीय कार्यालय में पदस्थ कार्यसंबंधी 38 सतर्कता अधिकारियों और अखिल भारत के क्षेत्रीय/अंचल कार्यालयों से जुड़े 134 क्षेत्र सतर्कता अधिकारियों की एक टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है. इस टीम का प्रबंधन प्रशासनिक कार्यालय में 02 उप महाप्रबंधक और 06 सहायक महप्रबंधक द्वारा किया जाता है, साथ ही दिल्ली और मुंबई में 02 सहायक महाप्रबंधक पदस्थ हैं. प्रत्येक स्तर पर सतर्कता पदाधिकारी एक निवारक कार्य बल के रूप में कार्य करते हैं, जो बैंक की संवहनीय कारोबार वृद्धि और लाभप्रदता सुनिश्चित करते हैं. यह बैंक के रक्षा स्तंभों में से एक है, जो सभी स्तरों पर पारदर्शिता के साथ ईमानदारी एवं जवाबदेही का माहौल बनाता है. सतर्कता विभाग संभावित जोखिमों की सक्रियता से पहचान करके और उनका समाधान करके, भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी से जुड़े वित्तीय, कानूनी और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों को कम करने में मदद करता है, तथा संगठन तथा उसके हितधारकों के हितों की रक्षा करता है.

व्हिसल ब्लोअर तंत्र को संगठनों के लिए सहभागी सतर्कता सुनिश्चित करने हेतु एक शक्तिशाली माध्यम माना जाता है, जिसमें प्रत्येक

कर्मचारी के पास धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग, निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पालन न करने जैसे आंतरिक / बाह्य खतरों से बैंक की सुरक्षा करने के लिए शीर्ष प्रबंधन को ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने के माध्यम तक पहुंच और अवसर होता है. यह मानव संसाधन विभाग के प्रमुख कार्यपालक निदेशक के अधीन है. भ्रष्टाचार के खतरों के बारे में कर्मचारियों और नागरिकों को संवेदनशील बनाने एवं भ्रष्टाचार से लड़ने हेतु उपलब्ध तौर-तरीकों के बारे में जागरूकता लाने के लिए, भ्रष्टाचार तथा पीआईडीपीआई की बुराइयों पर लघु वीडियो फिल्म, बैंक के सभी सोशल मीडिया हैंडल जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर आदि पर प्रसारित करने के लिए बैंक कर्मचारियों द्वारा इन-हाउस तैयार की जाती है. बैंक के सभी सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार किया जाता है.

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 के दौरान भ्रष्टाचार के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने एवं सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुल 03 इन-हाउस फ़िल्में और 01 रेडियो जिंगल्स शुरू किए गए. इसके अतिरिक्त, सीजीजीबी (प्रायोजित आरआरबी) द्वारा "भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" की अवधारणा के साथ 12 लघु वीडियो तैयार किए गए. बैंक के सभी सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार किया गया और इसके परिणामस्वरूप अब तक लगभग 43 हजार से अधिक व्यूज़ और इंप्रेशन प्राप्त हुए.

जागरूकता फैलाने के लिए, संगठन की सभी इकाइयों में समय-समय पर निवारक सतर्कता दौरे आयोजित करके सभी स्तरों पर सहभागी सतर्कता अभियान आयोजित किए जाते हैं. प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता अभियान मनाने का यह भी एक प्रमुख उद्देश्य है.

बैंक की सभी कार्यात्मक इकाइयों को कवर करते हुए कुल 8820 निवारक सतर्कता दौरे किए गए, ताकि मुख्य रूप से धोखाधड़ी वाले क्षेत्रों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके और कार्यात्मक प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने हेतु सलाह दी जा सके कि उचित प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ कार्यान्वित की गई हैं. निवारक सतर्कता दौरे मूल रूप से जोखिम के क्षेत्रों का पता लगाने के उद्देश्य से किए जाते हैं जहाँ बैंक का वित्तीय और प्रतिष्ठा जोखिम शामिल है और विवेकाधिकार के प्रयोग पर नियंत्रण के पर्याप्त तरीके तैयार किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने ढंग से न किया जाए बल्कि पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किया जाए.

निवारक उपायों को मजबूत करने के लिए आईटी प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के प्रयास में इस वित्तीय वर्ष में कई पहल की गई जिसका उद्देश्य एक मजबूत ऑफसाइट निगरानी प्रणाली बनाना था. कर्मचारियों के खातों में लेनदेन की निगरानी के लिए सतर्कता विभाग द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए संव्यवहार अनुश्रवण और धोखाधड़ी प्रबंधन विभाग द्वारा समर्पित एल्गोरिदम तैयार किया गया है. सतर्कता संबंधी क्षेत्रों में अलर्ट भेजने के लिए इन्हें सिस्टम में एकीकृत किया गया है, जिससे समय पर सुधारात्मक/निवारक कार्रवाई संभव हो सके. इनके अलावा, डेटा संग्रह बनाने एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ प्रभावी निगरानी और समन्वय सुनिश्चित करने हेतु सीबीआई शिकायत प्रबंधन पोर्टल को भी लाइव किया गया है.

वर्ष के दौरान संगठन में कार्रवाई योग्य घटनाओं की जांच और रोकथाम के लिए तीन प्रमुख श्रेणियों में विभिन्न प्रणालीगत सुधार शुरू किए गए:

- निवारक उपाय
- अवरोध (डिटरेन्स) उपाय
- जागरूकता उपाय

डिजिटल सतर्कता डैशबोर्ड की अवधारणा तैयार की गई जिसमें सतर्कता के विभिन्न अनुभागों जैसे निवारक, दंडात्मक, सीबीआई, एबीबीएफएफ, शिकायतों आदि की अद्यतन स्थिति के साथ विवरण शामिल है. इसे पाक्षिक आधार पर शीर्ष प्रबंधन को प्रस्तुत किया जाता है.

केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के अनुसार, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 के अग्रदूत के रूप में 16 अगस्त, 2023 से 15 नवंबर, 2023 तक निवारक सतर्कता अभियान मनाया गया/शुरू किया गया और सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 का विषय "भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" को 31 अक्तूबर से 5 नवंबर, 2023 तक पूरे भारत में सभी शाखाओं/कार्यालयों में उचित तरीके से मनाया गया.

इस समारोह के एक हिस्से के रूप में, संगठन के भीतर विभिन्न सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और अखिल भारत में आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया गया, ताकि भारत के आम जनता और युवाओं में भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं उनके लिए उपलब्ध उपचारात्मक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके. बस स्टॉप, रेलवे स्टेशनों, सड़कों और आवासीय परिसरों में बैनर एवं पोस्टर प्रदर्शित करके संकल्प के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया. सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 के तहत कुल 9,070 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 5,31,782 लोगों की व्यापक भागीदारी के साथ कई शाखाओं/कार्यालयों में की गई गतिविधियाँ शामिल थीं. कुछ प्रमुख गतिविधियों में पीआईडीपीआई पर केंद्रित एक कार्टून बुक प्रकाशित करना, देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न प्रतियोगिताओं को प्रायोजित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा एवं अन्य जागरूकता कार्यक्रम, ग्राहक/विक्रेता बैठकें आदि शामिल थीं.

क्षमता निर्माण और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, इस अभियान अवधि के दौरान पीआईडीपीआई, खरीद, नैतिकता एवं गवर्नेंस, प्रणाली तथा प्रक्रिया (क्रेडिट और गैर-क्रेडिट क्षेत्र) और साइबर हाइजीन पर स्निपेट युक्त संग्रह शामिल है. सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह के दौरान इसे डिजिटल मोड के माध्यम से जारी किया गया था. श्रृंखला को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित किया गया है और पूरे बैंक में परिचालित किया गया है. वित्तीय और बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित 20 जटिल केस स्टडीज को उजागर करने वाली एक व्यापक पत्रिका का अनावरण किया गया और उसे उपलब्ध कराया गया. यह प्रकाशन वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में गहराई से उतरता है, वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्रों के भीतर विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में गहन विश्लेषण तथा अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, उद्योग के पेशेवरों एवं हितधारकों के लिए मूल्यवान सबक तथा सावधानी की कहानियाँ प्रदान करता है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मस्थान नाडियाड से केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 148 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली वॉकथॉन और बाइक रैली शामिल थी. इस यात्रा का विषय रन फॉर एकता था. भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए यात्रा के दौरान विभिन्न गांवों में ग्राम सभाएं और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए.

दिनांक 31.03.2024 तक कुल 75866 कर्मचारियों की संख्या के विरुद्ध दंडात्मक तंत्र के अंतर्गत लंबित सतर्कता मामलों की संख्या 200 है, अर्थात 0.26%. वर्ष के दौरान विभाग को कुल 1394 शिकायतें प्राप्त हुई और 1383 शिकायतों का निपटान निर्धारित समय अवधि के भीतर किया गया. वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 59 जांच के आदेश दिए गए, जिनमें से 53 मामलों में रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं. 6 मामलों में लंबित जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जो 3 महीने से कम पुरानी हैं. जांच पूरी करने और सतर्कता विभाग को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय अवधि 90 दिनों के बेंचमार्क के मुकाबले 81 दिन रहा है.

सीवीसी के निर्देशों के अनुपालन में, एमडी और सीईओ के साथ नियमित रूप से त्रैमासिक संरचित बैठकें आयोजित की जाती हैं. संबंधित तिमाहियों के लिए दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के बीच 26.06.2023, 29-09-2023, 19-12-2023 और 18.03.2024 को चार त्रैमासिक संरचित बैठकें आयोजित की गई हैं. सतर्कता मामलों की स्थिति की समीक्षा, एनपीए खातों में स्टाफ जवाबदेही जांच में लंबितता और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की जांच के अतिरिक्त बैठक में बैंक के लिए तत्काल चिंता के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई. टिप्पणियों के आधार पर, एमडी और सीईओ ने अनुपालन के साथ कारोबार वृद्धि पर बल देते हुए प्रणाली और प्रक्रियाओं को संशोधित करने या सुधारने के निर्देश दिए हैं. सतर्कता विभाग की गतिविधियों की समीक्षा एवं निगरानी के लिए सीवीसी, एमओएफ़, डीए. फएस आदि को सभी वैधानिक और विनियामक रिटर्न समय-समय पर प्रस्तुत किए गए हैं.

बैंक में निवारक दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए वीएडी (सतर्कता जागरूकता दिवस) की अवधारणा शुरू की गई है. सतर्कता जागरूकता दिवस पर, सभी शाखाओं और कार्यालयों में बैठकें आयोजित की जाती हैं, जहाँ शाखा प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख और विपणन अधिकारियों सहित सभी कर्मचारी प्रत्येक महीने भाग लेते हैं. क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़े सतर्कता अधिकारी (वीओ) इस बैठक के संयोजक होते हैं. मासिक स्टाफ वीएडी बैठक का मुख्य एजेंडा विभिन्न शाखाओं/ बैंकों में धोखाधड़ी की नवीनतम घटनाओं और अपनाई गई कार्यप्रणाली, उद्योगों में विकास, बैंक तथा आरबीआई के नवीनतम दिशानिर्देश, सीवीसी पहल, सतर्कता के मोर्चे पर बैंक की पहल आदि के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाना है. सतर्कता दौरे, अनुश्रवण दौरे, लेखा परीक्षा, बीएमडीपी विवरणों की जांच, सीपीए आदि के दौरान देखी गई अनियमितताएँ.

इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि अनुशासनात्मक प्रक्रिया के कारण किसी भी तरह का मनोबल कम न हो. दिन-प्रतिदिन के कामकाज के दौरान होने वाली निर्णय संबंधी और अन्य कारोबार निर्णयों की वास्तविक त्रुटियों को अनदेखा करने के लिए उचित मात्रा में सहिष्णुता और समझदारी दिखाई जा रही है. शीर्ष प्रबंधन, अनुशासनात्मक अधिकारियों और सतर्कता तंत्र द्वारा तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है ताकि कामकाज में एकरूपता, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखा जा सके. निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्णय देने और अत्यधिक देरी से बचने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं.

## 31 अवसर

**31.1 आर्थिक गति:** वित्तीय वर्ष 24 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि अनुमान को संशोधित कर 7.6% कर दिया गया है, जो अर्थव्यवस्था की स्थायी मजबूती को दर्शाता है. उपभोग मांग स्थिर है, जिसे लचीली शहरी मांग एवं वित्तीय वर्ष 25 में सामान्य मानसून पूर्वानुमान के कारण प्रत्याशित ग्रामीण उपभोग वृद्धि का समर्थन प्राप्त है. भू-राजनैतिक जोखिमों और अस्थिर कमोडिटी कीमतों के बावजूद, भारतीय पूंजीगत बाजार वित्तीय वर्ष 24 में उभरते बाजारों में सबसे बेहतर कार्यनिष्पादन करने वाले बाजारों में से एक रहा है. जबकि सुदृढ़ निवेश गतिविधि चल रही है, निजी उपभोग की मांग में मजबूती हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या और यात्री वाहनों की बिक्री, डिजिटल भुगतान,

बेहतर उपभोक्ता विश्वास और सामान्य मानसून की उम्मीदों जैसे संकेतकों से स्पष्ट है. यह सब बैंकिंग क्षेत्र के लिए अच्छा संकेत है और इससे ऋण प्रदान करने के अपार अवसर मिलेंगे.

31.2 **मज़बूत बैंकिंग क्षेत्र की बुनियादी बातें:** वित्तीय वर्ष 11 में 20% से ज़्यादा की दर से बढ़ने वाले बैंक ऋण में वित्तीय वर्ष 16 में लगातार गिरावट देखी गई और यह वित्तीय वर्ष 22 तक 10% से कम रहा. यह एनपीए में तेज़ वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ था जो वित्तीय वर्ष 18 में 11.2% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, हालांकि कम होते-होते यह वित्तीय वर्ष 24 की पहली छमाही में 3.2% पर पहुंच गया. इसने वित्तीय वर्ष 24 में ऋण वृद्धि को 16% (एचडीएफसी विलय के बाद) तक बढ़ाने में मदद की, जो एक दशक से ज़्यादा समय में सबसे अधिक है. दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के कार्यान्वयन और आरबीआई एवं सरकार द्वारा विभिन्न उपायों ने बैंकिंग क्षेत्र (जैसे कि आस्ति गुणवत्ता समीक्षा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, बैंकों का समामेलन और पुनर्पूंजीकरण) के तुलन पत्र को मज़बूत किया है. इसने बैंकिंग क्षेत्र की मज़बूती के संकेतकों को बढ़ावा दिया. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए आस्ति पर प्रतिफल 2013-14 में 0.50% से बढ़कर 2022-23 में 0.79% हो गया, तथा इक्विटी पर प्रतिफल 2013-14 में 8.48% से बढ़कर 12.35% हो गया. प्रावधान कवरेज अनुपात सितंबर, 2023 में दशक के उच्चतम स्तर 75.3% पर पहुंच गया.

31.3 **उभरते क्षेत्र:** जैसा कि प्रधानमंत्री ने आरबीआई@90 भाषण में कहा है, आने वाले वर्षों में विकास उभरते क्षेत्रों में मजबूत निवेश इरादे और पीएलआई योजना कार्यान्वयन द्वारा संचालित होगा. पीएलआई एवं उभरते क्षेत्रों ने वित्तीय वर्ष 2019 और 2023 के बीच पूंजीगत व्यय का 5% हिस्सा लिया. यह वित्तीय वर्ष 2024 और 2028 के बीच 27% तक वृद्धि करने वाला है. क्रिसिल रेटिंग्स का अनुमान है कि अकेले निजी क्षेत्र द्वारा पूंजीगत व्यय को निधि देने के लिए रु. 30-35 लाख करोड़ के ऋण की आवश्यकता होगी. उनके पैमाने को बढ़ाने के लिए बड़े पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होगी, और इसलिए पिछले दशक में 17-18% के करीब रुके रहने के बाद सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने की संभावना है.

31.4 **सरकारी पहल:** पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) पर सरकार के फोकस ने निजी निवेश को बढ़ावा दिया है, अंतरिम बजट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 25 में प्रभावी पूंजीगत व्यय जीडीपी के 4.6% तक पहुंचने की उम्मीद है. यह वित्तीय वर्ष 20 में जीडीपी के 2.6% से 200 आधार अंकों की पर्याप्त वृद्धि है.

## 32 खतरे

32.1 **कड़ी प्रतिस्पर्धा:** बैंकिंग प्रणाली के लिए जमा वृद्धि वित्तीय वर्ष 24 में 13.8% से वित्तीय वर्ष 25 में 12-13 प्रतिशत तक कम होने की उम्मीद है, जिससे विशेषतः कम लागत वाले चालू खाता बचत खाता (कासा) जमा हेतु जमाराशि वृद्धि के लिए प्रतिस्पर्धा और भी तेज हो जाएगी. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ब्याज दर अधिक रह सकती है और देयताओं के लिए प्रतिस्पर्धा कड़ी होगी. सभी प्रमुख बैंकों का ध्यान बैंकिंग उद्योग द्वारा जुटाई गई वृद्धिशील जमाराशि का अधिक हिस्सा प्राप्त करने पर होगा. सरकार ने घरों से बचत के अधिक प्रवाह को आकर्षित करने के लिए छोटी बचत पर ब्याज भी बढ़ाया है. वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता भारत एवं अन्य उभरते बाजारों में पूंजीगत प्रवाह को प्रभावित कर सकती है. इसका संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ पूंजीगत प्रवाह पर निर्भर अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

32.2 **कारोबारी माहौल में वैश्विक अनिश्चितता:** वैश्विक स्तर पर, चिंता यह है कि मुख्य मुद्रास्फीति स्थिर रह सकती है और कई क्षेत्रों में अपेक्षाकृत तंग आर्थिक माहौल के कारण कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे केंद्रीय बैंकों पर अभूतपूर्व दबाव पड़ रहा है. भारत में बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेहतर कार्यनिष्पादन किया है. चाहे अशोध्य ऋणों की वसूली हो, बेहतर लाभ कमाना हो, उच्च प्रावधान करना हो, सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र के बैंकों ने सकारात्मक लक्षण देखे हैं. आगे, घरेलू बचत/उपभोग पर उच्च मुद्रास्फीति का प्रभाव और कमजोर उधारकर्ताओं पर उच्च ब्याज दरों एवं सेवा लागतों का प्रभाव जोखिम बना रहेगा.

32.3 **साइबर सुरक्षा:** पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा उल्लंघनों में वृद्धि हुई है. सरकारी डेटा से पता चलता है कि जून, 2018 और मार्च, 2022 के बीच भारत के बैंकिंग क्षेत्र में 248 सफल डेटा उल्लंघन हुए. इन उल्लंघनों में मुख्य रूप से कार्ड विवरण लीक और सूचना चोरी शामिल थी, और सतर्कता बढ़ाई गई. इसके अतिरिक्त, बैंकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दुरुपयोग का मुकाबला करने के लिए अपने एन्क्रिप्टेड सिस्टम को नया रूप देना होगा. बैंकों को अपने आईटी जोखिम गवर्नेंस ढांचे को मजबूत करना होगा.

## 33 परिदृश्य

ए. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के रूप में बाह्य बाधाओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की है. आर्थिक गतिविधि में तेजी आई और एनएसओ द्वारा जारी राष्ट्रीय आय (एसएई) के अनंतिम अनुमानों ने भारत की

वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 2023-24 में 8.2% पर रखा दूसरे पूर्वानुमान (एफ़एई) से 60 बीपीएस से अधिक का संशोधन. 2024-25 के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति औसतन 4.5% रहने का अनुमान है, जो 2023-24 के लिए 5.4% से कम है, जिसमें अधिकांश गिरावट 2024-25 की पहली छमाही में होगी. मध्यम चालू खाता घाटे, मुद्रास्फीति के दबाव में कमी और बैंकिंग प्रणाली में लचीलेपन में देखी गई बेहतर व्यापक आर्थिक स्थिरता से दृष्टिकोण को और मजबूत किए जाने की उम्मीद है. उपभोग मांग में सुधार, बुनियादी ढांचे पर व्यय पर सरकार का बल, कॉर्पोरेट निवेश में पुनरुद्धार, स्वस्थ बैंक ऋण और कमोडिटी की कीमतों में नरमी से वृद्धि के आंकड़े को और बढ़ावा मिलेगा. वृद्धि के लिए नकारात्मक जोखिमों में दीर्घकालिक भू-राजनैतिक दवाब, विषम वैश्विक वित्तीय स्थिति, वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता और धीमी होती बाह्य मांग शामिल हैं.

बी. लचीली आर्थिक गतिविधि के कारण बैंक ऋण उठाव में उछाल रहा. तथापि, शीर्ष वृद्धि आंकड़ों में कुछ सुधार की उम्मीद है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऋण वृद्धि दोहरे अंकों में रहने की उम्मीद है, जिसके बाद जमाराशि प्रवाह जारी रहेगा. मुद्रास्फीति के लक्ष्य स्तर से कम होने के साथ, वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में भारिबैं से दरों में मामूली कटौती का सहारा मिलने की उम्मीद है. इसके अतिरिक्त, भारिबैं ने दोहराया है कि वह घरेलू वित्तीय बाजारों पर वैश्विक स्पिल ओवर के प्रभाव को कम करते हुए आर्थिक विकास का समर्थन करने हेतु नीतिगत कार्यों में सतर्क, मुस्तैद और तेज रहेगा.

**कृते और निदेशक मंडल की ओर से**

स्थानः मुंबई

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**

दिनांकः11.06.2024

अध्यक्ष

# कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

## 1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बैंक की मान्यता

1.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया श्रेष्ठ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है. शेयरधारकों की संपदा वृद्धि और हितधारकों के हितों के संरक्षण के लिए बैंक ने अपने सभी स्तर के कार्यों में औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है.

1.2 बैंक स्वयं को अपने शेयरधारकों का ट्रस्टी मानता है और शेयरधारकों की संपदा सृजन करने और उसकी रक्षा करने की ज़िम्मेदारी स्वीकार करता है. आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक कॉर्पोरेट कार्यनीति लागू करने और उसका अनुश्रवण करने, सुविचारित कारोबार योजना बनाने, बैंक के कारोबार की प्रमुख जोखिमों का अनुश्रवण करने तथा कानूनी एवं नैतिक जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु नीतियों और कार्यपद्धतियों के पालन के माध्यम से उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा है.

1.3 बैंक का दृढ़ विश्वास है कि निदेशक मंडल एवं अन्य शेयरधारकों द्वारा स्व-अनुशासन एवं निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाने से एक स्वच्छ, पारदर्शी एवं विश्वसनीय कार्पोरेट गवर्नेंस अभिशासन के लिए आधार उपलब्ध होगा जिससे शेयरधारकों का निरंतर सहयोग एवं विश्वास प्राप्त होगा.

1.4 उत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्वैच्छिक संहिता तैयार की है. यह संहिता शीर्ष से ही अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भावना का विकास करती है. इसमें मूलतः सभी हितधारकों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह में बैंक में प्रचलित कार्यप्रणालियां सम्मिलित एवं प्रलेखित हैं, यथाः

- ❖ निदेशक मंडल एवं उसकी विभिन्न समितियों की कार्यप्रणालियां
- ❖ अनुपालन (विनियामक एवं पॉलिसी)
- ❖ शेयरधारकों के साथ संबंध
- ❖ बैंक एवं उसके निदेशकों द्वारा प्रकटन
- ❖ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और
- ❖ अन्य विविध मामले जैसे निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन कार्मिक के लिए आचार संहिता, आंतरिक व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) निषेध, संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति, विसिल ब्लोवर नीति, स्टाफ संबंधी मामले, सतर्कता आदि.

1.5 बैंक सूचीबद्ध निकाय होने के कारण सेबी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी प्रावधानों (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 का अनुपालन करता है.

## 2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का संघटन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम 1970 यथा संशोधित और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970 यथा संशोधित के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है.

2.2 निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व में बैंक के समग्र अनुश्रवण कार्य सहित नये उत्पाद विकसित करने के लिए नीतियों को मंजूर करना, लक्ष्यों के सापेक्ष कारोबार समीक्षा, ऋण, परिचालन, बाजार, तरलता जोखिम, जोखिम कार्यों की स्वतंत्रता का मूल्यांकन, तिमाही तथा वार्षिक वित्तीय परिणामों की विस्तृत संवीक्षा, एनपीए प्रबंधन एवं रिपोर्ट किए गए एनपीए तथा प्रावधानीकरण सत्यनिष्ठा, विनियामक एवं सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधन का समग्र पर्यवेक्षण संबंधी नीतियों का अनुमोदन सम्मिलित हैं.

2.3 निदेशक मंडल ने विभिन्न उप-समितियां बनाई हैं और निदेशक मंडल के समितियों के लिए विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है. निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें आवधिक अंतराल पर होती हैं.

2.4 31 मार्च, 2024 को निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नियुक्त पाँच पूर्णकालिक निदेशक यथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) तथा चार कार्यपालक निदेशकों के अतिरिक्त सात गैर-कार्यपालक निदेशक भी हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों से चुने गये श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं. विभिन्न क्षेत्रों में उनके बहुमूल्य एवं बृहद् अनुभव बैंक की प्रगति एवं उपलब्धियों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं.

2.5 वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले कर्मचारी निदेशक और अधिकारी निदेशक के पद रिक्त थे. केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले सीए निदेशक और एक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद यथा 31 मार्च, 2024 को रिक्त थे.

2.6 **निदेशक मंडल की संरचना यथा 31 मार्च, 2024 निम्नानुसार है:**

| क्र सं | निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी | नियुक्ति की तारीख | बैंक की समितियों में सदस्यता $ | बैंक के शेयरों की धारिता | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/ एसआरसी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या | टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरुप और विशेषज्ञता के क्षेत्र) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री श्रीनिवासन वरदराजन, गैर-कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र) | 07-11-2022 | एसआरसी<br>आरएमसी<br>एससीएमएफ़<br>एनआरसी<br>एचआरएससी<br>बीसीपीई | शून्य | 3 | 2 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन गैर-कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक के रुप में नियुक्ति, कार्यालय में पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 07.11.2022 से प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त |
| 2 | सुश्री ए. मणिमेखलै, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (कार्यपालक) | 03-06-2022 | एमसीबी<br>एसआरसी<br>आरएमसी<br>आईटीएससी<br>एससीएमएफ़<br>डीपीपीसी<br>एसटीसीबी<br>एचआरएससी<br>सीएससी-I<br>आरईएमसी<br>सीडीआरसीएफ़<br>आरसीएनसीबी एवं डबल्यूडी | शून्य | 3 | 2 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्ति, कार्यालय में पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 03.06.2022 से प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं विपणन |
| 3 | श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) | 10-03-2021 | एमसीबी<br>एसआरसी<br>आईटीएससी<br>आरईएमसी<br>एचआरएससी<br>सीएससी-I<br>सीडीआरसीएफ़ | 6725 | 2 | शून्य | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्ति, कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 10.03.2021 से प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे. इसके अतिरिक्त सरकारी अधिसुचना के अनुसार, श्री नितेश रंजन का कार्यलय दो वर्ष की अवधि कि लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले, हो बढ़ा दिया गया है.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : अर्थशास्त्र, वित्त एवं प्रबंधन, बैंकिंग |

| क्र सं | निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी | नियुक्ति की तारीख | बैंक की समितियों में सदस्यता $ | बैंक के शेयरों की धारिता | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/ एसआरसी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या | टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरुप और विशेषज्ञता के क्षेत्र) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | श्री रामसुब्रमणियन एस.,<br>कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)<br>(28.04.2023 तक) | 21-11-2022 | एमसीबी<br>एसआरसी<br>आईटीएससी<br>आरईएमसी<br>एचआरएससी<br>सीएसी-I<br>सीडीआरसीएफ़ | शून्य | 1 | शून्य | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्ति, कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 21.11.2022 से प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त |
| 5 | श्री संजय रुद्र,<br>कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) | 09-10-2023 | एमसीबी<br>एसआरसी<br>आईटीएससी<br>आरईएमसी<br>एचआरएससी<br>सीएसी-I<br>सीडीआरसीएफ़ | शून्य | 1 | शून्य | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्ति, कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि अर्थात 09.10.2023 से और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु (अर्थात 30.06.2026) से प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : जोख़िम, बैंकिंग एवं वित्तीय प्रबंधन |
| 6 | श्री पंकज द्विवेदी,<br>कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) | 27-03-2024 | एमसीबी<br>एसआरसी<br>आईटीएससी<br>आरईएमसी<br>एचआरएससी<br>सीएसी-I<br>सीडीआरसीएफ़ | शून्य | 1 | शून्य | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्ति, कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि अर्थात 27.03.2024 से तीन वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त. |
| 7 | श्री समीर शुक्ला,<br>सरकार नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक) | 08-11-2021 | एसीबी<br>एसआरसी<br>आईटीएससी<br>एससीएमएफ़<br>डीपीपीसी<br>आरईएमसी<br>एचआरएससी<br>बीसीपीई | शून्य | 3 | शून्य | केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के अधीन दिनांक 08.11.2023 से निदेशक के रुप में नियुक्त. अगले आदेशों तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : प्रबंधन एवं वित्त |

| क्र सं | निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी | नियुक्ति की तारीख | बैंक की समितियों में सदस्यता $ | बैंक के शेयरों की धारिता | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/ एसआरसी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या | टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरुप और विशेषज्ञता के क्षेत्र) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | श्री प्रकाश बलियारसिंह, भारिबैं द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक) | 14-07-2023 | एमसीबी<br>एसीबी<br>डीपीपीसी | शून्य | 1 | शून्य | केंद्र सरकार द्वारा भारिबैं की संस्तुति पर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी) के अधीन दिनांक 14.07.2023 से निदेशक के रुप में नियुक्त. अगले आदेशों तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग, विनियमन एवं पर्यवेक्षण, वित्त |
| 9 | श्री सूरज श्रीवास्तव, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक- स्वतंत्र) | 21-12-2021 | एसीबी<br>एसआरसी<br>आरएमसी<br>एससीएमएफ़<br>एसटीसीबी<br>एनआरसी<br>आरसीएनसीबी एवं डबल्यूडी | शून्य | 2 | 1 | केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के अधीन, अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि यथा 21.12.2021 या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रुप में नामित.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : लेखा, कराधान एवं वित्त |
| 10 | श्री लक्ष्मण एस. उप्पर, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक- स्वतंत्र) | 21-03-2022 | एसीबी<br>आरएमसी<br>एससीएमएफ़<br>एनआरसी<br>एचआरएससी<br>आरसीएनसीबी एवं डबल्यूडी | शून्य | 1 | शून्य | केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के अधीन, अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि यथा 21.03.2022 या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रुप में नामित.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : ज्ञानार्जन एवं विकास, प्रबंधन एवं सीएसआर |
| 11 | डॉ. जयदेव मदुगुला, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक) | 28-06-2018 | एमसीबी<br>आरएमसी<br>एससीएमएफ<br>सीडीआरसीएफ<br>बीसीपीई | 200 | 0 | शून्य | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन दिनांक 28.06.2018 से 27.06.2021 तक निर्वाचित और दिनांक 28.06.2021 से 27.06.2024 तक आगामी तीन वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रुप में पुनः निर्वाचित.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग, वित्त एवं जोखिम प्रबंधन |

| क्र सं | निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी | नियुक्ति की तारीख | बैंक की समितियों में सदस्यता $ | बैंक के शेयरों की धारिता | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/ एसआरसी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या | टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरुप और विशेषज्ञता के क्षेत्र) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | सुश्री प्रीति जय राव, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक) | 29-07-2021 | एसीबी<br>एसआरसी<br>आईटीएससी<br>एसटीसीबी<br>सीडीआरसीएफ | 1000 | 2 | 1 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन दिनांक 29.07.2021 से 28.07.2024 तक तीन वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रुप में निर्वाचित.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : सूचना प्रौद्योगिकी, एचआर एवं सीएसआर |

$ समिति के नाम का संक्षिप्ताक्षर

| | | |
|---|---|---|
| एसीबी | - | बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति |
| बीसीपीई | - | बोर्ड की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति |
| सीएसी । | - | साख अनुमोदन समिति- । |
| सीडीआरसीएफ | - | पूंजी निधि की उगाही हेतु निदेशकों की समिति |
| आरएमसी | - | जोखिम प्रबंधन समिति |
| एससीएमएफ | - | 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी मामलों के अनुश्रवण हेतु विशेष समिति |
| एसआरसी | - | हितधारकों की संबंध समिति |
| डीपीपीसी | - | अनुशासनिक कार्यवाही एवं पदोन्नति समिति |
| एसटीसीबी | - | बोर्ड की शेयर अंतरण समिति |
| एचआरएससी | - | बोर्ड की मानव संसाधन उप समिति |
| आईटीएससी | - | बोर्ड की आईटी रणनीति समिति |
| एमसीबी | - | बोर्ड की प्रबंधन समिति |
| एनआरसी | - | नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति |
| आरसीएनसीबी एवं डबल्यूडी | - | बैंक के गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं एवं जानबूझकर चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति |
| आरईएमसी | - | बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति |

**2.7 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान नियुक्तियां / कार्यकाल समापन :**

नियुक्तियांः वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड में शामिल किए गए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसारः-

| क्र. | नाम | आयु | नियुक्ति की तारीख | वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तारीख | विशेषज्ञता का स्वरुप | संक्षिप्त परिचय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री प्रकाश बलियारसिंह | 60 | 14-07-2023 | अगले निर्देशों तक | बैंकिंग, विनियमन एवं पर्यवेक्षण, वित्त | श्री प्रकाश बलियारसिंह को 14.07.2023 से बैंक के बोर्ड में आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया है. श्री प्रकाश बलियारसिंह भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक थे. आप एक कैरियर उन्मुखी बैंकर थे और आपके पास भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों (मुख्य रूप से पर्यवेक्षण विभाग और विनियमन विभाग) के साथ 3 दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव है. आपने अग्रणी वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्रधान निरीक्षण अधिकारी/वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक के रूप में कार्य किया है. आप बैंकों की आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर), जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के साथ-साथ जोखिम और पूंजी के आकलन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित विभिन्न समितियों/उप समितियों के सदस्य भी रहे हैं. आपने अंतर्राष्ट्रीय समितियों में सदस्य के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक का भी प्रतिनिधित्व किया है. आप राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं और आपने ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी, यूके से एम.एससी (वित्त) भी किया है. आपको भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति भी प्राप्त है. आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट हैं. |
| 2. | श्री संजय रुद्र | 57 | 09-10-2023 | 30-06-2026 | जोखिम, बैंकिंग एवं वित्तीय प्रबंधन | श्री संजय रुद्र ने 09 अक्तूबर, 2023 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शामिल होने से पहले, आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के महाप्रबंधक और मुख्य जोखिम अधिकारी थे. आपके पास बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं जैसे क्रेडिट, प्राथमिकता, एमएसएमई और एकीकृत जोखिम विभाग में तीन दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव है. आप एल और डी वर्टिकल के प्रभारी भी रहे हैं और आपके पास डिजिटल लेंडिंग के विकास परीक्षण का अतिरिक्त प्रभार भी था. आप वेलिंगकर इंस्टीट्यूट से भौतिकी में स्नातकोत्तर डिग्री और वित्तीय प्रबंधन में डिप्लोमा प्राप्त है. आप आईआईबीएफ़ के एसोसिएट सदस्य हैं. आपने एफएसआईबी द्वारा आयोजित आईआईएम बैंगलोर से नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भाग लिया है. आपने केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यूएसए के सहयोग से आईएसबी हैदराबाद द्वारा आयोजित ग्लोबल एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी भाग लिया है. श्री रुद्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र के टर्न-अराउंड का नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताओं में एक सक्रिय सहयोगी रहे हैं. आपने महाराष्ट्र एक्ज़ीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सहायक कंपनी) के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य किया है. |

| क्र. | नाम | आयु | नियुक्ति की तारीख | वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तारीख | विशेषज्ञता का स्वरुप | संक्षिप्त परिचय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | श्री पंकज द्विवेदी | 53 | 27-03-2024 | 26-03-2027 | बैंकिंग, वित्त एवं प्रबंधन | श्री पंकज द्विवेदी ने 27 मार्च, 2024 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नियुक्त होने से पहले, आप पंजाब एंड सिंध बैंक में महाप्रबंधक थे. आपके पास 31 वर्षों से अधिक का समृद्ध बैंकिंग अनुभव है. आपने सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, पुणे से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर किया है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) से प्रमाणित एसोसिएट हैं. आपने आईआईएम, रायपुर से एप्लाइड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में एक्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है और आईबीए और एगॉन ज़ेन्डर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के परामर्श से बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया आईआईएम बेंगलूरु का लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी किया है. आपने पंजाब एंड सिंध बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान, बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है और आपको शाखाओं, अंचल कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों में काम करने का समृद्ध अनुभव है. आपने प्रधान कार्यालय में प्राथमिकता क्षेत्र, खुदरा ऋण, कानून और वसूली, ट्रेजरी, कॉर्पोरेट क्रेडिट, बोर्ड सचिवालय, योजना एवं विकास, विदेशी मुद्रा, सह-उधार कक्ष इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यों को संभाला है. आप आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड के न्यासी मण्डल में ट्रस्टी भी हैं. |

**कार्यकाल समापन:** निम्नलिखित सदस्यों का कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पूर्ण हुआ:

| क्र | निदेशक का नाम | पदनाम | कार्यकाल पूर्ण होने की तिथि | कारण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री रजनीश कर्नाटक | कार्यपालक निदेशक | 29.04.2023 | बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में पदोन्नति |
| 2. | श्री अरुण कुमार सिंह | भारिबैं द्वारा नामित निदेशक | 14.07.2023 | कार्यकाल पूर्ण होने पर |
| 3. | श्री निधु सक्सेना | कार्यपालक निदेशक | 27.03.2024 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पदोन्नति |

### 2.8 निदेशकों का परस्पर संबंध:

किसी भी निदेशक का आपस में कोई भी नजदीकी संबंध नहीं है.

### 2.9 निदेशकों की समिति सदस्यता:

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 26(1) के क्रम में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता एवं सदस्यता (एसीबी) तथा हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) को प्रकटन के लिए ध्यान में रखा जाता है.

वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक का कोई भी निदेशक उन सभी सूचीबद्ध संस्थाओं/ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में जहां वे निदेशक थे 10 समिति से अधिक समिति के सदस्य नहीं रहे हैं ना ही उन्होंने 5 समिति से अधिक समिति की अध्यक्षता की है.

बैंक की समितियों पर निदेशक द्वारा धारित सदस्यता / अध्यक्षता एवं अन्य सूचीब्धद / सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियाँ जहाँ वे निदेशक थे यथास्थिति 31, मार्च, 2024 का ब्यौरा निम्नानुसार है.

| क्र | निदेशक का नाम एवं पदनाम | कंपनी का नाम | समिति का नाम | सदस्य/ अध्यक्ष |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री श्रीनिवासन वरदराजन, गैर-कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक | 1. इंडिया डेब्ट रेसोल्यूशन कंपनी लिमिटेड | एसीबी | अध्यक्ष |
| | | 2. इन्स्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अड्वाइसरी सर्विसेस इंडिया लिमिटेड | एसीबी | अध्यक्ष |
| | | 3. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 2 | सुश्री ए. मणिमेखलै, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | 1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसीबी | अध्यक्ष |
| | | 2. जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया | एसआरसी | अध्यक्ष |
| | | 3. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 3 | श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक | 1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| | | 2. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम | एसीबी | सदस्य |
| 4 | श्री रामसुब्रमणियन एस., कार्यपालक निदेशक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 5 | श्री संजय रुद्र, कार्यपालक निदेशक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 6 | श्री पंकज द्विवेदी, | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 7 | श्री समीर शुक्ला, सरकार नामित निदेशक | 1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसीबी | सदस्य |
| | | 1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| | | 3. राष्ट्रीय आवास बैंक | एसीबी | सदस्य |
| 8 | श्री प्रकाश बलियारसिंह, भारिबैं द्वारा नामित निदेशक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसीबी | सदस्य |
| 9 | श्री सूरज श्रीवास्तव, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक | 1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसीबी | अध्यक्ष |
| | | 2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 10 | श्री लक्ष्मण एस. उप्पर, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 11 | डॉ. जयदेव मदुगुला, शेयरधारक निदेशक | शून्य | शून्य | शून्य |
| 12 | सुश्री प्रीति जय राव, शेयरधारक निदेशक | 1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | अध्यक्ष |
| | | 2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसीबी | सदस्य |

2.10 निदेशकों द्वारा भाग लिये जाने वाले अभिज्ञता (परिचय) कार्यक्रमों का ब्यौराः निदेशकों द्वारा भाग लिये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा बैंक की बेवसाइट पर निम्नांकित लिंक पर उपलब्ध कराया गया है:

http://www.unionbankofindia.co.in/english/familarisation.aspx

2.11 सूचीबद्धता विनियमन की अनुसूची V की अपेक्षा के अनुरुप पेशारत कंपनी सचिव ने अपने प्रमाणपत्र के जरिए प्रमाणित किया है कि सेबी/ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या अन्य ऐसे सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति या नियुक्ति पर बने रहने के संबंध में वर्जित या अयोग्य नहीं माना गया है तथा इस संबंध में पेशारत कंपनी सचिव का प्रमाणपत्र वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है.

2.12 बैंक का निदेशक मण्डल पुष्टि करता है कि बैंक के स्वतंत्र निदेशक (शेयरधारक निदेशक) सूचीबद्धता विनियम में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति करता हैं एवं वे प्रबंधन से स्वतंत्र है.

## 2.13 वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल एवं अन्य समिति बैठकों में निदेशकों का ब्यौरा तथा उपस्थिति निम्नानुसार हैं :

| क्र. सं | निदेशक का नाम | प्रकार | बोर्ड | | एमसीबी | | एसीबी | | एसआरसी | | आरएमसी | | आईटीएससी | | एससीएमएफ़ | | डीपीपीसी | | एसटीसीबी ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित |
| 1. | श्री श्रीनिवासन वरदराजन 07.11.2022 से | एनईसी | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 5 | 5 | - | - | | |
| 2 | सुश्री ए. मणिमेखले 03.06.2022 से | एमडी एवं सीईओ | 16 | 16 | 29 | 29 | - | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | श्री नितेश रंजन 10.03.2021 से | ईडी | 16 | 15 | 29 | 22 | - | - | 5 | 1 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | श्री रामसुब्रमणियन एस. 21.11.2022 से | ईडी | 16 | 16 | 29 | 29 | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 5 | श्री संजय रुद्र 09.10.2023 से | ईडी | 8 | 8 | 16 | 14 | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | श्री पंकज द्विवेदी 27.03.2024 से | ईडी | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 7 | श्री समीर शुक्ला केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक 08.11.2021 से | एनईडी | 16 | 9 | - | - | 11 | 5 | 5 | 2 | - | - | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | - | - |
| 8 | श्री प्रकाश बलियारसिंह आरबीआई द्वारा नामित निदेशक 14.07.2023 से | एनईडी | 12 | 12 | 23 | 22 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - |
| 9 | श्री सूरज श्रीवास्तव 21.12.2021 से | आईडी/ एनईडी | 16 | 16 | - | - | 11 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | 4 | 4 |
| 10 | श्री लक्ष्मण एस. उप्पर 21.03.2022 से | आईडी/ एनईडी | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 11 | डॉ. जयदेव मदुगुला 28.06.2018 से | आईडी / एसडी | 16 | 15 | 13 | 13 | 7 | 7 | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 12 | सुश्री प्रीति जय राव 29.07.2021 से | आईडी / एसडी | 16 | 15 | - | - | 11 | 11 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 |
| वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 31.03.2024 से पूर्व बैंक के निदेशक मंडल के निदेशकों की बैठकों में उपस्थिति की जानकारी निम्नानुसार हैं. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | श्री रजनीश कर्नाटक 21.10.2021 से 29.04.2023 तक | ईडी | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | श्री अरुण कुमार सिंह आरबीआई द्वारा नामित निदेशक 26.04.2019 से 14.07.2023 तक | एनईडी | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | श्री निधु सक्सेना 01.02.2022 से 27.03.2024 तक | ईडी | 16 | 16 | 28 | 26 | - | - | 5 | 3 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - |

* निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या

** 09 प्रस्तावों को अलग-अलग समय अंतराल पर शेयर अंतरण समिति को परिपत्र संकल्प के रूप में परिचालित किया गया तथा इसे समिति द्वारा अनुमोदित किया गया.

एमडी एवं सीईओ - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ईडी- कार्यपालक निदेशक
एनईडी - गैर कार्यपालक निदेशक
आईडी - स्वतंत्र निदेशक
एसडी - शेयरधारक निदेशक
एनईसी- गैर कार्यपालक अध्यक्ष

## 2.13 वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल एवं अन्य समिति बैठकों में निदेशकों का ब्यौरा तथा उपस्थिति निम्नानुसार हैं

| क्र. सं | निदेशक का नाम | प्रकार | आरसीएनसीबीर्ं डबल्यूडी | | एनआरसी | | एचआरएससी | | सीएससी-I | | आरईएमसी | | सीडीआरसीएफ़ | | बीसीपोई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित |
| 1 | श्री श्रीनिवासन वरदराजन 07.11.2022 से | | - | - | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 | सुश्री ए. मणिमेखलै 03.06.2022 से | | 4 | 4 | - | - | 5 | 5 | 31 | 31 | 4 | 4 | 7 | 7 | | |
| 3 | श्री नितेश रंजन 10.03.2021 से | ईडी | - | - | - | - | 5 | 2 | 31 | 14 | 4 | 3 | 7 | 5 | - | - |
| 4 | श्री रामसुब्रमणियन एस. 21.11.2022 से | ईडी | - | - | - | - | 5 | 5 | 31 | 31 | 4 | 3 | 7 | 7 | - | - |
| 5 | श्री संजय रुद्र 09.10.2023 से | ईडी | - | - | - | - | 2 | 2 | 17 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| 6 | श्री पंकज द्विवेदी 27.03.2024 से | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | श्री समीर शुक्ला केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक 08.11.2021 से | एनईडी | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 8 | श्री प्रकाश बलियारसिंह आरबीआई द्वारा नामित निदेशक 14.07.2023 से | एनईडी | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | श्री सूरज श्रीवास्तव 21.12.2021 से | आईडी/एनईडी | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | श्री लक्ष्मण एस. उप्पर 21.03.2022 से | आईडी/एनईडी | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | डॉ. जयदेव मदुगुला 28.06.2018 से | आईडी / एसडी | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 12 | सुश्री प्रीति जय राव 29.07.2021 से | आईडी / एसडी | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - |
| वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 31.03.2024 से पूर्व बैंक के निदेशक मंडल के निदेशकों की बैठकों में उपस्थिति की जानकारी निम्नानुसार हैं. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | श्री रजनीश कर्नाटक 21.10.2021 से 29.04.2023 तक | ईडी | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | श्री अरुण कुमार सिंह आरबीआई द्वारा नामित निदेशक 26.04.2019 से 14.07.2023 तक | एनईडी | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 3 | श्री निधु सक्सेना 01.02.2022 से 27.03.2024 तक | ईडी | - | - | - | - | - | - | 29 | 23 | - | - | 7 | 7 | - | - |

* निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या

## 3. वार्षिक सामान्य बैठक

बैंक के शेयरधारकों की 19वीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार, दिनांक 04 अगस्त, 2023 को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

| नाम | पदनाम |
|---|---|
| श्री श्रीनिवासन वरदराजन | अध्यक्ष |
| सुश्री ए. मणिमेखलै | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ |
| श्री नितेश रंजन | कार्यपालक निदेशक |
| श्री निधु सक्सेना | कार्यपालक निदेशक |
| श्री रामसुब्रमणियन एस. | कार्यपालक निदेशक |
| श्री सूरज श्रीवास्तव | अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक |
| श्री लक्ष्मण एस. उप्पर | अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक |
| डॉ. जयदेव मदुगुला | शेयरधारक निदेशक |
| सुश्री प्रीति जय राव | शेयरधारक निदेशक |

## 4. निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का ब्यौरा:

वर्ष 2023-24 के दौरान 16 बार यथा 06.04.2023, 26.04.2023, 06.05.2023, 20.06.2023, 20.07.2023, 29.08.2023, 14.09.2023, 27.09.2023, 27.10.2023, 20.11.2023, 28.12.2023, 20.01.2024, 12.02.2024 से 13.02.2024, 22.03.2024 और 27.03.2024.

## 5. बोर्ड की समितियां

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवं जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में महत्वपूर्ण रणनीति के विभिन्न क्षेत्रों को देखने के लिए निदेशकों एवं/अथवा कार्यपालकों की विभिन्न समितियां गठित की हैं. महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं-

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
4. ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीएमएफ)
5. बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरईएमसी)
6. बोर्ड की मानव संसाधन उप-समिति (एचआरएससीबी)
7. हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसी)ङ
8. आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी)
9. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)
10. अनुशासनिक कार्यवाही एवं पदोन्नति समिति (डीपीपीसी)
11. बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)
12. बैंक के गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं एवं जानबूझकर चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी एवं डबल्यूडी)
13. ऋण अनुमोदन समिति-I (सीएसी- I)
14. पूंजीगत निधि की उगाही के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ)
15. बोर्ड की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति (बीसीपीई)

### 5.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

#### 5.1.1 संघटन:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 13 (यथा संशोधित) के अनुक्रम में बोर्ड की प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल है

- ⌘ प्रबंध निदेशक एवं सीईओ,
- ⌘ कार्यपालक निदेशक,
- ⌘ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक, एवं
- ⌘ तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशकों का धारा 9(3) (ई), (एफ), (एच) एवं (आई) के अन्तर्गत आवर्तन के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड द्वारा नामांकन किया जा सकता है और छह माह की अवधि हेतु दो बार के लिए पुनः निर्वाचित किया जा सकता है.

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

#### 5.1.2 कार्य :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में विभिन्न कारोबारी मामलों यथा ऋण प्रस्तावों की मंजूरी/समीक्षा, ऋण

समझौता/ अपलेखन प्रस्ताव, साख अनुमोदन समिति-I के प्राधिकार से अधिक पूँजी एवं राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण एवं किराए पर लेने, निवेश, दान आदि को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के निदेशकों द्वारा बोर्ड की प्रबंधन समिति गठित की गयी है.

वर्ष 2023-24 के दौरान एमसीबी की 29 बैठकें आयोजित की गयी.

## 5.1 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

### 5.2.1 संघटन :

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गयी है. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निम्नानुसार सदस्य हैं

- ⌘ भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती, एवं
- ⌘ तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक.

इस बैठक में कार्यपालक निदेशकों को आमंत्रित किया गया.

श्री सूरज श्रीवास्तव, अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक ने समिति की अध्यक्षता की.

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 18(1)(ई) के अनुसार कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति का सचिव होगा.

### 5.2.2 कार्य :

लेखापरीक्षा समिति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कैलेंडर मद के आदेश के अनुसार बैंक के कार्यों की समीक्षा करती है. निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:

1. एसीबी बैंक के लेखापरीक्षा संबंधी समग्र कार्य का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करती है. समग्र लेखा परीक्षा कार्य में बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण का गठन, परिचालन तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/ बाह्य लेखापरीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है.

2. एसीबी, बैंक के आंतरिक निरीक्षण/ लेखापरीक्षा कार्यों अर्थात् उसकी प्रणाली, गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा करती है. यह विशेषीकृत शाखाओं और बहुत बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक रेटिंग वाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है. इसके द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है :-

   - ⌘ अंतर-शाखा समायोजन खाते
   - ⌘ अंतर बैंक खातों और नोस्ट्रो खातों में बहुत समय से बकाया प्रविष्टियां जिनका मिलान न हुआ हो.
   - ⌘ विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान की बकाया स्थिति
   - ⌘ धोखाधड़ी
   - ⌘ बहियों के मिलान से संबंधित सभी अन्य प्रमुख क्षेत्र.

3. एसीबी, भारिबैं एवं सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करती है एवं उसकी समीक्षा करती है.

4. सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में यह समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है. बैंक के छमाही/ वार्षिक वित्तीय लेखों और रिपोर्टों को अंतिम रूप प्रदान करने के पहले यह बाह्य लेखापरीक्षकों से चर्चा करती है.

5. लेखापरीक्षा समिति, बैंक की लेखा नीति और कार्य प्रणाली, संबंधित पार्टी लेनदेन, व्हिसिल ब्लोअर तकनीक, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण तथा बैंक के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों की भी समीक्षा करती है.

6. उपर्युक्त के अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस सूची II के भाग-सी के अधीन परिभाषित अनुसार लेखापरीक्षा समिति की भूमिका एवं लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा करना भी लेखापरीक्षा समिति के कार्य में शामिल है.

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की 11 बैठकें हुई. ये बैठकें दिनांक 06.05.2023, 15.06.2023, 20.07.2023, 25.07.2023, 30.08.2023, 27.10.2023, 30.10.2023, 22.12.2023, 20.01.2024, 07.02.2024 और 11.03.2024 को आयोजित हुई.

## 5.3 जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

### 5.3.1संघटन :

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति गठित की है. सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के संदर्भ में, निदेशक मंडल ने

बाज़ार पूंजीकरण के आधार पर निर्धारित शेष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन करेगा. कार्यों में समानता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 06.12.2019 को आयोजित अपनी बैठक में जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन (सीएसआर & एएलएम) पर निर्देशकों की पर्यवेक्षण समिति का नाम बदलकर जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) किया है.

समिति में निम्नानुसार सदस्य शामिल किए गए हैं:

- गैर-कार्यपालक अध्यक्ष
- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- तीन गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशक.

**5.3.2 कार्य :**

बैंक ने जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण के लिए समिति गठित की है, यह समिति बैंक के सभी जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी है.

वित्त मंत्रालय, सरकार भारत के पत्र सं एफ.सं. 16/19/2019-बीओ. दिनांक 30.08.2019, के अनुसार जोखिम के प्रबंधन, माप और नियंत्रण के लिए एक संरचित दृष्टिकोण के तहत एक जोखिम धारणीय तंत्र युक्त संस्था की परिकल्पना की गई, जिसमें शामिल हैं - i बैंक के लिए जोखिम धारणीय विवरण और बैंक के लिए जोखिम सीमाएं; ii. भौतिक और प्रतिष्ठा संबंधी दोनों जोखिमों के लिए नीतियां, प्रक्रियाएं, नियंत्रण और प्रणालियां iii. कार्यान्वयन और निगरानी की देखरेख के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निरूपण.

आगे यह परिकल्पना की गई थी कि जोखिम प्रबंधन समिति को समय-समय पर बैंक के जोखिम धारणीयता ढांचे के पालन की समीक्षा करने और स्वीकृत जोखिम धारणीयता के उल्लंघन की स्थिति में जवाबदेही तय करने का अधिकार दिया जा सकता है.

वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी.

**5.4 ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीएमएफ)**

**5.4.1 संघटन :**

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है. वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) से आंतरिक निरीक्षण, सांविधिक लेखापरीक्षा, अंतर शाखा /अंतर बैंक खातों, बहियों के मिलान के प्रमुख क्षेत्रों आदि का पर्यवेक्षण अपेक्षित है. एसीबी से यह भी अपेक्षित है कि वह बैंक में धोखाधड़ी के संबंध में निवारक पहलुओं तथा की जा रही अनुवर्ती कार्रवाई पर भी ध्यान दे. यह विशेष समिति रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों का विशेष रूप से अनुश्रवण और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर ध्यान देती है, जबकि एसीबी सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों का भी अनुश्रवण जारी रखेगी.

यह विशेष समिति, निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर गठित की गई है:

- गैर-कार्यपालक अध्यक्ष
- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के दो सदस्य
- भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती को छोड़कर निदेशक मंडल के दो अन्य सदस्य

**कार्य :**

इस विशेष समिति का प्रमुख कार्य ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के सभी मामलों की समीक्षा एवं उनका अनुश्रवण करना होगा ताकि:

- धोखाधड़ी की संभावनाओं वाली कार्यप्रणालीगत कमियों को पहचानने और उन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक उपाय करना.

- धोखाधड़ी का पता लगाने में हुई देरी का पता लगाने और/अथवा बैंक के उच्च प्रबंधन या भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करने में यदि कोई देरी हुई हो, तो उनके कारणों की पहचान करना.
- सीबीआई/पुलिस जांच एवं वसूली स्थिति की प्रगति का अनुश्रवण करना.
- सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में प्रत्येक स्तर पर स्टाफ उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा यदि स्टाफ संबंधी कोई कार्रवाई हो तो उसे तत्काल निपटाया जाता है.
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने जैसी उपचारात्मक कार्रवाई की समीक्षा करना.
- धोखाधड़ी निवारक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु यथावश्यक अन्य उपाय लागू करना.

वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गयी.

### 5.5 बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरईएमसी)

**5.5.1 संघटन :**

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए वसूली प्रबंधन के लिए बोर्ड स्तर की उप समिति गठित की गयी हैं. यह समिति अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगी.

समिति का संगठन इस प्रकार है:

- ⌘ प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- ⌘ कार्यपालक निदेशकगण
- ⌘ भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

**5.5.2 कार्य :**

नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करना एवं बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना.

वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी.

### 5.6 बोर्ड की मानव संसाधन उप-समिति (एचआरएससीबी)

**5.6.1 संघटन :**

समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा बोर्ड द्वारा नामित कोई दो निदेशक होते हैं. इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन के दो विशेषज्ञ भी विशेष आमंत्रित के रुप में भाग लेते हैं.

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

**5.6.2 कार्य :**

निम्नलिखित पहलुओं के कार्यान्वयन का प्रबंधन एवं पुनरावलोकन :

1. एचआर पर बैंक की संपूर्ण कार्यनीति.
   - ⌘ समग्र जनबल आयोजना व कौशल अंतराल की पहचान
   - ⌘ सही प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उनके विकास के लिये प्रणाली, प्रक्रिया और संरचना
   - ⌘ उत्तराधिकार की योजना
2. बैंक के सभी स्टाफ पर लागू होने वाली निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का विकास
   - ⌘ प्रमुख दायित्व क्षेत्रों का पारदर्शी निष्पादन आकलन
   - ⌘ सभी स्टाफ को विकास संबंधी फीडबैक प्रणाली देना
3. बैंक की रणनीति और बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप एचआर नीतियों को सुव्यवस्थित करना
   - ⌘ पुरस्कार व प्रोत्साहन
   - ⌘ पदोन्नति
   - ⌘ तैनाती
4. प्रशिक्षण
   - ⌘ विशिष्ट कारोबारी कौशल प्रशिक्षण
   - ⌘ सभी स्टाफ सदस्यों को सामान्य प्रशिक्षण/पुनश्चर्या
5. एचआर संबंधी सभी कार्यों का आईटी स्वचालन

   वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गयी.

### 5.7 बोर्ड की हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसीबी)

**5.7.1.संघटन :**

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुक्रम में, कार्यपालक निदेशकों एवं तीन गैर-कार्यपालक निदेशकों की बोर्ड की स्टेकधारक संबंध समिति (एसआरसी) गठित की गयी है.

सुश्री प्रीति जय राव, शेयरधारक निदेशक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

**5.7.2. कार्य :**

**हितधारकों संबंधी:**

1. बैंक के प्रतिभूति धारकों के शेयरों के अंतरण/ट्रांसमिशन, वार्षिक रिपोर्ट की अप्राप्ति, घोषित लाभांशों की अप्राप्ति, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्रों को जारी करने, सामान्य बैठकों आदि से संबंधित शिकायतों का निपटान एवं अनुश्रवण करना.
2. शेयरधारकों द्वारा मतदान के प्रभावी अभ्यास के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना.
3. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा अपनाई गयी सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना.

4. बैंक द्वारा अदावी लाभांशों की प्रमात्रा को कम करने एवं कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंटों/ वार्षिक रिपोर्टों/ सांविधिक नोटिसों की ससमय प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए विभिन्न उपायों एवं पहल की समीक्षा करना.

**ग्राहक सेवा संबंधी:**

1. बैंक में समग्र ग्राहक शिकायत निवारण के कार्यों की निगरानी करना
2. ग्राहक सेवाओं की निगरानी करना और बैंक में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए मार्गदर्शन करना
3. ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के हित में नीतियां बनाना और उनकी समीक्षा करना

**कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधित:**

1. बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की समीक्षा करना
2. यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा की गई गतिविधियों/ परियोजनाओं का समय-समय पर अनुमोदन और समीक्षा करना

**ईएसजी संबंधित:**

1. ईएसजी से संबंधित गतिविधियों पर निगरानी रखना.
2. ईएसजी से संबंधित सभी मामलों और गतिविधियों पर कार्यनीतिक मार्गदर्शन और निगरानी प्रदान करना;
3. ईएसजी से संबंधित पहलों और नीतियों के कार्यान्वयन और निष्पादन की निगरानी करना;
4. विभिन्न ईएसजी पहलों के प्रभाव का आकलन करना;
5. आंतरिक और बाहरी हितधारकों के लिए ईएसजी मामलों के खुलासे की समीक्षा करना;
6. ईएसजी से संबंधित उभरते जोखिमों की पहचान करना और बोर्ड तथा बैंक की समितियों को इसकी सिफारिश करना

वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गयी.

**5.7.3.अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम:**

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 6 के अनुक्रम में, श्री एस. के. दास को कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया एवं निवेशक शिकायत निवारण के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया.

**5.7.4.वर्ष 2023-24 के दौरान शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण:**

31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की तुलना में 31.03.2023 को समाप्त वित्त वर्ष में प्राप्त, निस्तारित एवं लंबित शिकायतों की संख्या प्रदर्शित करने वाली तुलनात्मक तालिका निम्नानुसार है:-

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.24 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए | 31.03.23 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|
| ए. | वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारकों की लम्बित शिकायतों की संख्या | 0 | 0 |
| बी. | वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या | 10 | 14 |
| सी. | वर्ष के दौरान शेयरधारकों की निस्तारित की गयी शिकायतों की संख्या | 10 | 14 |
| डी. | वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारकों की लम्बित शिकायतों की संख्या | 0 | 0 |

**5.8 आईटी कार्यनीति समिति (आईटीएससी)**

**5.8.1संघटन :**

आईटी सुशासन उपायों के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बोर्ड को आईटी पर कार्यनीतिक मार्गदर्शन देने और बोर्ड की ओर से आईटी निवेश की समीक्षा के लिए आईटी कार्यनीति समिति बनाने की संस्तुति की है. समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- ❖ एमडी एवं सीईओ
- ❖ कार्यपालक निदेशकगण
- ❖ सरकार द्वारा नामिती निदेशक
- ❖ दो गैर कार्यपालक निदेशक जिसमें से एक स्वतंत्र निदेशक होगा
- ❖ एक बाहरी आईटी विशेषज्ञ
- ❖ मुख्य सूचना अधिकारी (बैंक के आईटी कार्यों के प्रमुख, मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक)

सुश्री प्रीति जय राव, शेयरधारक निदेशक ने समिति की अध्यक्षता की.

**5.8.2 कार्य:**

- आईटी कार्यनीति और नीति दस्तावेजों का अनुमोदन.
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी कार्यनीतिक योजना प्रक्रिया बनाई है.
- यह पुष्टि करना कि कारोबारी कार्यनीति वास्तव में आईटी रणनीति के साथ संयोजित है.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी की संगठनात्मक संरचना, कारोबारी मॉडल और इसकी दिशा के अनुरूप है.
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने कारोबार बढ़ाने में आईटी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया एवं पद्धति का पालन किया है.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी में निवेश जोखिम और लाभ के संतुलन के अनुरूप रहें और बजट स्वीकार करने योग्य हों.
- कार्यानीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों का प्रयोग तय करने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपायों का अनुश्रवण और आईटी संसाधनों के स्रोत और उपयोग के बारे में उच्च स्तरीय मार्गदर्शन देना.
- बैंक के सुस्थिर विकास के लिए आईटी निवेश में उचित संतुलन सुनिश्चित करना.
- आईटी जोखिम और नियंत्रणों के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना और अनुश्रवण के लिए प्रबंधन की तैयारी का मूल्यांकन करना.
- आईटी रणनीतियों के कार्यान्वयन में वरिष्ठ प्रबंधन के निष्पादन का मूल्यांकन करना.
- उच्च स्तरीय नीति संबंधी मार्गदर्शन (उदाहरणार्थ- जोखिम, फंडिंग या प्राप्ति स्रोत संबंधी)
- यह पुष्टि करना कि आईटी या कारोबारी संरचना इस प्रकार बनायी गयी है जिससे आईटी से अधिकतम कारोबारी लाभ प्राप्त हो.
- बैंक स्तर पर आईटी पर व्यय होने वाली समग्र राशि का पयर्वेक्षण और यह पता करना कि प्रबंधन के पास आईटी जोखिम के लिए संसाधन हैं.
- आईटी के कामकाज और कारोबार में इसके योगदान की समीक्षा (अर्थात् वायदे के अनुरूप लाभ मिल रहा है)
- आईटी आपदा प्रबंधन के लिए तंत्र स्थापित करना.
- बैंक के डिजिटल लेनदेनों को बढ़ाने के लिए तत्संबंधी परामर्श, दिशानिर्देश एवं अनुश्रवण हेतु डिजिटल लेनदेन पर बोर्ड स्तरीय उप समिति के रूप में कार्य करने के लिए.

वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गयी.

### 5.9 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

बैंक की पूर्व में दो अलग समितियां अर्थात नामांकन समिति एवं पारिश्रमिक समिति थी जो कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गयी थी. वित्त मंत्रालय ने अपने पत्रांक एफ़. नं. 16/19/2019-बीओ.1 दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से यह सुझाव दिया कि बोर्ड को अलग नामांकन समिति एवं परिश्रमिक समिति के स्थान पर, कथित दोनों समितियों को सुपुर्द किए गए कार्यों को करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 मास्टर दिशानिर्देश डीबीआर.एपीपीटी.नं. 9/29.67.001/2019-20, दिनांक 2 अगस्त, 2019 के माध्यम से निर्दिष्ट अनुसार बैंक के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के नाम से एक समिति गठित कर सकता है.

इस प्रकार, उपरोक्त वर्णित वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के क्रम में, निदेशकों के बोर्ड ने 06.12.2019 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप दो अलग समितियों के स्थान पर एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के गठन को अनुमोदित किया है.

**5.9.1संघटन:**

भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर निर्देश क्र. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (पीएसबी के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए `उपयुक्त एवं उचित" मानदंड) के निर्देशों, 2019 को जारी किया है. कथित निर्देशों के परिच्छेद 4.1 के क्रम में, बैंक को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (आई) के अधीन निदेशकों के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के `उपयुक्त एवं उचित" स्थिति को निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया को करने के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को गठित करने की आवश्यकता है. समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- गैर-कार्यपालक अध्यक्ष
- अधिनियम 9(3) (एच) की धारा के अधीन नामित दो गैर-कार्यपालक निदेशक

### 5.9.2 कार्य :

बैंकिग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अधीन किसी व्यक्ति के निदेशक के रुप में चयन हेतु "योग्य एवं उपयुक्त" निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया करना.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान समिति द्वारा 5 बार बैठक आयोजित की गयी.

## 5.10 अनुशासनिक कार्यवाही और पदोन्नति समिति (डीपीपीसी)

बैंक के पास पहले दो अलग समितियां यथा निदेशक पदोन्नति समिति (डीपीसी) और अनुशासनिक कार्यवाही समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता (डीपीसी-V) थीं.

वित्त मंत्रालय ने अपने पत्राचार एफ. सं. 16/19/2019-बीओ.1 दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से बैंक की अपनी पहल पर गठित बोर्ड समितियों की निरंतरता की आवश्यकता और उनकी संख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए अन्य बोर्ड समिति या बोर्ड द्वारा किए जाने वाले उनके कार्यों की संभावना की, उनके बोर्ड में समीक्षा करने की सलाह दी.

निदेशक मंडल ने अपनी समितियों को युक्तिसंगत बनाने के लिए और वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देश दिनांक 24.10.1990 और बुनियादी संरचना को ध्यान में रखते हुए, निदेशकों की पदोन्नति समिति और अनुशासनिक कार्यवाही समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता को 06.12.2019 से समामेलित करने का निर्णय लिया.

### 5.10.1संघटन:

निदेशक मंडल ने समिति के गठन को निम्न रुप में मंजूरी दी है

- ❖ प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- ❖ भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- ❖ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

वेतनमान VI से VII और वेतनमान VII से VIII की पदोन्नति प्रक्रिया के लिए साक्षात्कार आयोजित करते समय स्वतंत्र सदस्य / बाहर के विशेषज्ञों को शामिल किया जाना है.

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

### 5.10.2 कार्य :

- ❖ टीईजीएस VI से टीईजीएस VII में तथा टीईजीएस VII से टीईजीएस VIII में पदोन्नति प्रक्रिया कराना, टीईजीएस VI एवं टीईजीएस VII के कार्यपालकों का क्रमशः टीईजीएस VII एवं VIII में पदोन्नति न होने पर अपीलों पर विचार करना.
- ❖ टीईजीएस VII एवं VIII में पदोन्नति के ऐसे मामले पर विचार करना जहां सील्ड कवर प्रक्रिया को अपनाया गया है.
- ❖ सतर्कता, गैर-सतर्कता अनुशासनिक मामलों तथा विभागीय जांच की समीक्षा करना
- ❖ उच्च कार्यपालकों के एपीएआर अंकों की समीक्षा अभ्यावेदन के आधार पर प्रकटीकरण की तिथि से 15 दिनों के भीतर करना
- ❖ महाप्रबंधकों को प्रमुख दंड के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध अपील की समीक्षा करना

वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की 6 बैठकें आयोजित की गयी.

## 5.11 बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)

### 5.11.1 संघटन:

समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- ❖ प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या उनकी अनुपस्थिति में, बोर्ड सचिवालय के प्रभारी कार्यपालक निदेशक
- ❖ दो गैर कार्यपालक निदेशक

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

### 5.11.2 कार्य:

बैंक ने शेयरों के शीघ्र अंतरण के लिए निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति गठित की है, जिसे शेयरों के अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने आदि की पुष्टि के अधिकार दिये गये हैं.

इसके अलावा, निवेशकों के हित में और निवेशकों द्वारा प्रतिभूति बाज़ारों में कारोबार में सुगमता के लिए, सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 25.01.2022 के जरिए निर्णय लिया है कि सूचीबद्ध संस्थाएं अब से निम्नलिखित सेवा अनुरोध की प्रोसेसिंग करते समय केवल अभौतिकी

रूप में (डीमैटरियलाइज्ड मोड में) शेयर जारी करेंगी:

ए. प्रतिभूति प्रमाणपत्र की अनुलिपि जारी करना
बी. दावारहित उचंत खाते से दावा
सी. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का नवीकरण/ आदान-प्रदान
डी. पृष्ठांकन
ई. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/ विभक्त करना
एफ़. प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/ फोलियो का समेकन
जी. संचारण
एच. परिवहन

वर्ष के दौरान, एसटीसीबी की बैठक 4 बार आयोजित की गई तथा परिचालन के जरिए 09 संकल्प पारित किए गए थे.

### 5.12. गैर सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी एवं डब्ल्यूडी)

पूर्व में बैंक की दो अलग समितियां थी अर्थात "गैर-सहकारी" उधारकर्ता के वर्गीकरण के लिए समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी) और बैंक के जानबूझकर चूककर्ता से संबंधित समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीबी). एमओएफ ने अपने पत्रांक एफ. क्र. 16/ 19/ 2019-बीओ.1 दिनांक 30.08.2019 को बोर्ड में बैंक की स्वयं की पहल पर स्थापित बोर्ड समितियों के जारी रहने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा उनके कार्यों को किसी अन्य बोर्ड समिति या बोर्ड द्वारा किए जाने की संभावना की समीक्षा करने की सलाह दी ताकि उनकी संख्या को तर्कसंगत बनाया जा सकें.

निदेशक मंडल ने अपनी समितियों को तर्कसंगत बनाने और उपर्युक्त दो समितियों से संघटन के आधार पर उनमें संशोधन करने का निर्णय लिया और गैर सहकारी उधारकर्ता की पहचान करने तथा गैर सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर चूककर्ताओं के वर्गीकरण के लिए एकल समिति गठित करने का निर्णय किया जो 06.12.2019 से प्रभावी है.

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कोई दो स्वतंत्र निदेशक

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

#### 5.12.1 कार्य :

- समिति, अनुमोदन समिति के आदेशों की समीक्षा करेगी, अर्थात् कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व वाली समिति द्वारा उधारकर्ता की रिकार्डिंग असहयोगी के रूप में किये जाने पर बोर्ड की समीक्षा समिति द्वारा पुष्टि होने के बाद ही यह आदेश अंतिम होगा.
- छमाही आधार पर असहयोगी उधारकर्ताओं की स्थिति की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि क्या बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व ऋण अनुशासन रिटर्न व सहकारी व्यवहार द्वारा उनके नाम को अवर्गीकृत किया जा सकता है.
- जानबूझकर चूककर्ता के रूप में उधारकर्ता के वर्गीकरण पर कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा और पुष्टि करना.
- सीआरआईएलसी को प्रस्तुत तिमाही रिटर्न की समीक्षा करना.

वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी.

### 5.13 पूंजीगत निधियों की उगाही के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ़)

#### 5.13.1 संघटन:

बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार पूंजीगत निधियों की उगाही के लिए आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति की दृष्टि से समिति का गठन किया गया है. समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकगण भी शामिल हैं.

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

#### 5.13.2 कार्य :

निदेशक मंडल / शेयरधारकों जैसा भी मामला हो, द्वारा प्राधिकृत समिति को पूंजीगत निधियों की उगाही हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने तथा ऐसे सभी कार्य, कृत्य करने तथा विषय एवं मामले निपटाने, जो उसके सम्पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित है, करने के लिए प्राधिकार हैं. लेकिन यह बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय एवं सेबी विनियमन के अधीन प्रदत्त अनुसार प्रमात्रा एवं माध्यम, ट्रांच की संख्या, कीमत या कीमतें, डिस्काउंट/प्रीमियम, कर्मचारियों, ग्राहकों, वर्तमान शेयरधारकों और/ या अन्य किसी व्यक्ति को आरक्षण देने तथा ऐसे निर्गम (मों) का समय निर्धारण, अपने विवेकाधिकार पर निर्गम की शुरुआत करने के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं. बशर्तें कि यह लागू नियमों एवं विनियमन तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अध्यधीन है.

वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की 7 बैठकें आयोजित की गयी.

## 5.14 कार्य निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति (बीसीपीई)

### 5.14.1 संघटन:

वित्त मंत्रालय ने पत्रांक एफ़.नं. 9/5/2019-आईआर दिनांक 30.08.2019 द्वारा बैंक को सलाह दी कि प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक प्रभारी आंतरिक नियंत्रण कार्य (जोखिम, अनुपालन एवं लेखापरीक्षा) एवं महाप्रबंधक प्रभारी आंतरिक नियंत्रण (जोखिम, अनुपालन एवं लेखापरीक्षा) के कार्य निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति का गठन किया जाएं.

दिनांक 14.11.2019 को संप्रेषित उपर्युक्त वर्णित एमओएफ़ के अनुसार बोर्ड के निम्नलिखित सदस्यों के अनुमोदन के साथ कार्य निष्पादन मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएं

1. गैर कार्यपालक अध्यक्ष (एनईसी)
2. सरकार द्वारा नामिती निदेशक, एवं
3. बोर्ड में सबसे लंबे समय तक सेवारत शेयरधारक निदेशक.

कार्यालय में एनईसी का पद खाली होने की दशा में, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, एनईसी के स्थान पर समिति के सदस्य होंगे.

### 5.14.2 कार्य :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य महाप्रबंधकों के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का मूल्यांकन, समीक्षा एवं स्वीकृति.

वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की 1 बैठक आयोजित की गयी.

## 5.15 ऋण अनुमोदन समिति-I (सीएसी-I)

### 5.15.1 संघटन:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1970 के खंड 13ए के अनुसार, बैंक ने ऋण-अनुमोदन समिति-1 का गठन किया है. समिति ₹ 800 करोड़ तक के किसी भी एकल ऋण प्रस्ताव के संबंध में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगी (ए और अधिक के बाह्य रेटिंग किए खाते जिनकी वैध रेटिंग है) और अन्य खातों के लिए ₹600 करोड़ तक तथा समूह एक्सपोजर के लिए ₹800 करोड़ और यदि एक्सपोजर इन सीमाओं से अधिक होता है तो उस पर बोर्ड की प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा.

**सीएसी-1 में निम्न शामिल हैं :**

- ❖ प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- ❖ कार्यपालक निदेशकगण
- ❖ मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक प्रभारी ऋण
- ❖ मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक प्रभारी वित्त/मुख्य वित्त अधिकारी और
- ❖ मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक प्रभारी जोखिम प्रबंधन

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

### 5.15.2कार्य :

अग्रिम से संबधित सभी मामले, जिसमें अनुमोदन/समीक्षा - नवीकरण, विविध अनुरोध, ब्याज में रियायत, समझौते/बट्टे खाते में डालने वाले प्रस्ताव, पूंजी एवं राजस्व व्यय का अनुमोदन, अधिग्रहण एवं किराए पर परिसर आदि जो इसके प्रत्यायोजन अधिकारों में आते हैं, सीएसी-I में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं.

वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की 31 बैठकें आयोजित की गयी.

## 6. सामान्य सभा की बैठकें

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की सामान्य बैठकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

| बैठक का स्वरूप | दिनांक एवं समय | स्थान | विशेष संकल्प |
|---|---|---|---|
| उन्नीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक | 10 अगस्त, 2021 प्रातः 11 बजे | केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के द्वारा | ऑफर दस्तावेज़/प्रोस्पेक्ट्स या ऐसे अन्य दस्तावेज़ के द्वारा भारत या विदेश में एफपीओ/राइट्स/ क्यूआईपी/अधिमानी आबंटन आदि के जरिए ₹3,500 करोड़ (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) तक इक्विटी शेयर के लिए पूंजी में वृद्धि करना. |
| बीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक | 30 जून, 2022 प्रातः 11 बजे | केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के द्वारा | बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार नए इक्विटी शेयर जारी करके और/या अतिरिक्त टियर-1/टियर-2 पूंजी जारी करके बैंक की पूंजी जुटाना, जिसकी राशि ₹ 8100 करोड़ से अधिक न हो. |
| इक्कीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक | 4 अगस्त, 2023 प्रातः 11 बजे | केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के द्वारा | बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार नए इक्विटी शेयर जारी करके और/या अतिरिक्त टियर-1/टियर-2 पूंजी जारी करके बैंक की पूंजी जुटाना, जिसकी राशि ₹ 10,100 करोड़ से अधिक न हो.<br>श्री लक्ष्मण एस उप्पर (डीआईएनः 02453845) की अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र) के रूप में नियुक्ति.<br>श्री श्रीनिवासन वरदराजन (डीआईएनः 00033882) की अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र) एवं बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष |

## 7. प्रकटन

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 तथा भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी दिशानिदेशों/परिपत्रों से बैंक संचालित होता है.

यह बताया गया है कि बैंक सूचीबद्धता विनियमों की लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है.

उक्त खंड के अंतर्गत गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं से संबंधित अनुपालन की जानकारी भी इस रिपोर्ट में दी गई है. खंड द्वारा निर्धारित अन्य प्रकटन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं:

### 7.1 निदेशकों का पारिश्रमिक:

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन से बनाये गये नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान और यात्रा व्ययों एवं विराम व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है. पूर्णकालिक कार्यपालकों की नियुक्ति के अन्य नियम एवं शर्तें राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 8 के अनुसार हैं, जिनके विस्तृत विवरण लेखों की टिप्पणियों में दिए गए हैं.

**बैठक शुल्क (फीस) :**

बैंकिंग कंपनी अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (3) की शर्तों (ई), (एफ), (जी), (एच) एवं (आई) के अनुसार नियुक्त किए गए निदेशक वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र एफ संख्या 15/1/2011-बीओ-1 दिनांक 30 अगस्त, 2019, बोर्ड की बैठकों एवं बोर्ड की समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक योजना की शर्त 17 (1) के अनुसार, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता तथा बोर्ड की समितियों की बैठकों की अध्यक्षता के लिए बोर्ड के निदेशकों द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शुल्क सहित प्रति निदेशक कुल अधिकतम सीमा ₹ 25 लाख के साथ नीचे दिए गए तरीके से बैठक शुल्क प्राप्त करने के पात्र होंगे.

बोर्ड के निदेशकों ने 29 जुलाई, 2020 की अपनी बैठक द्वारा बोर्ड की प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु 1 अप्रैल, 2021 से ₹ 70000 बैठक शुल्क एवं बोर्ड की समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु ₹ 35000 के भुगतान को अनुमति प्रदान की है. बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता हेतु ₹ 20000 एवं बोर्ड की समितियों की बैठकों हेतु ₹10000 के अतिरिक्त शुल्क की स्वीकृति दी गई है.

उपरोक्त सूचना बैंक की वेबसाइट में https://www.unionbankofindia.co.in/english/Making-payment.aspx लिंक के अंतर्गत भी उपलब्ध है

**यात्रा एवं विराम भत्ता :**

अपने लिये पात्र शुल्क के अतिरिक्त बैंक के कार्य से यात्रा करने वाले प्रत्येक निदेशक को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 खंड 17 की शर्तों के अनुसार यात्रा व्यय एवं विराम व्यय, यदि कोई हो, का समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा.

**7.2 महत्वपूर्ण लेनदेन एवं आर्थिक संबंधों का प्रकटन:**

बैंकिंग कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त, बैंक ने बड़े स्तर पर बैंक के हितों की संभाव्य प्रतिकूलता को ध्यान में रखते हुए कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है, जो बैंक के हितों के विपरीत हो.

बैंक में यह स्थापित प्रथा है कि बोर्ड या बोर्ड की उप-समितियों की उन बैठकों में वे निदेशक भाग नहीं लेते हैं जिनमें उनके या उनके रिश्तेदारों/फर्मों/कंपनियों के हितों से संबंधित मामलों पर चर्चा होती है.

**7.3 आर्थिक संबंध या लेनदेन का प्रकटन :**

बैंक के गैर कार्यपालक निदेशकों का सामान्य बैंकिंग कारोबार लेनदेन तथा बोर्ड एवं समिति की बैठकों हेतु उन्हें प्रदत्त बैठक शुल्क के अलावा उनका बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं है.

**7.4 सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि के आगम:**

वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने 25.08.2023 को अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक के 57,77,00,751 इक्विटी शेयरों के निर्गम और आवंटन के माध्यम से ₹5000 करोड़ की इक्विटी पूंजी जुटाई है और 26.02.2024 को अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक के 22,11,57,390 इक्विटी शेयरों के निर्गम और आवंटन के माध्यम से ₹3000 करोड़ की इक्विटी पूंजी जुटाई है.

उक्त राशि क उपयोग आरबीआई के बासेल-III दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की टियर-1 की पूंजी को बढ़ाने और बैंक के दीर्घकालीक संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया गया.

**7.5 दंड या आक्षेप:**

विगत 3 वर्षों के दौरान बैंक पर स्टॉक एक्सचेज, सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कोई अर्थदंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है.

**7.6 व्हिसिल ब्लोअर नीति:**

बैंक ने गुप्त सूचना नीति लागू की है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx लेखापरीक्षा समिति उक्त नीति के कार्य की आवधिक रूप से समीक्षा करती है. इसके अतिरिक्त, यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से रोका नहीं गया है.

**7.7 प्रमुख सहायक निर्धारण की नीति:**

सेबी (सूचीबद्धता और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 46(2) (एच) के अनुपालन में बैंक ने प्रमुख सहायक निर्धारण की नीति निरुपित की है तथा इस नीति तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx

हालांकि आज की तारीख में बैंक की कोई प्रमुख सहायक नहीं है.

**7.8 संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति:**

बैंक द्वारा संबंधित पक्ष संव्यवहारों के निपटान हेतु संबंधित संव्यवहार नीति निरुपित की गयी है. इस नीति तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है
https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx.

बैंक का कोई भी संबंधित पक्ष संव्यवहार नहीं था, जिसका वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक का वृहद स्तर पर हित प्रभावित नहीं हुआ.

**7.9 लाभांश वितरण नीति:**

बैंक ने वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश की घोषणा हेतु नीति तैयार की है. इस नीति तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है
https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx

**7.10 अधिग्रहण कूट:**

बैंक ने समय-समय पर सेबी के यथा संशोधित 2011 प्रावधानों (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण एवं टेकओवर) का अनुपालन किया है.

**7.11 सेबी विनियमन 2015 का अनुपालन (आंतरिक भेदिया ट्रेडिंग को रोकना):**

विनियमों के अनुसार बैंक ने नामित कर्मचारियों एवं निदेशकों को बैंक के शेयर में लेनदेन करने में आंतरिक भेदिया ट्रेडिंग को रोकने के लिए एक संहिता को तैयार किया है. इन विनियमों के लिए आवश्यक कई प्रपत्रों को तैयार किया गया है जिनके द्वारा बैंक के नामित कर्मचारियों एवं निदेशकों से आवधिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकें. इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विवरणों के साथ बैंक के नामित कर्मचारियों एवं निदेशकों के लिए बैंक के शेयरों में ट्रेडिंग विंडो को बंद रखा गया है:

| ट्रेडिंग विन्डो बंद होने कि तिथि | बंद होने का कारण |
|---|---|
| 01 अप्रैल, 2023 से 08 मई, 2023 | 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा. |
| 01 जुलाई, 2023 से 22 जुलाई, 2023 | 30 जून, 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा. |
| 01 अक्तूबर, 2023 से 29 अक्तूबर, 2023 | 30 सितंबर, 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा. |
| 01 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 | 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा. |

**7.12 प्रवंधन चर्चा एवं विश्लेषण:**

इसे वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है.

**7.13 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट:**

बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में बीएसई लिमिटेड (बीएसई) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) को निर्दिष्ट समयावधि में प्रस्तुत किया.

**7.14 वेबसाइट पर जानकारी का प्रचार:**

बैंक ने सूचियन विनियम के उप विनियम 46 के खंड (बी) से (आई) तक के अधीन आवश्यक जानकारी को अपने वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर प्रदर्शित किया हैं

**7.15 सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त फीस का ब्यौरा:**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों को बैंक एवं इसके सहायक द्वारा सभी सेवाओं हेतु समेकित रूप से कुल ₹ 65.03 करोड़ का भुगतान किया गया है.

**7.16 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में प्रकटीकरण (बचाव, रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम, 2013:**

ए. 31.03.2023 तक लंबित शिकायतों की संख्या : 1 (एक)

बी. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दाखिल की गयी शिकायतों की संख्या : 13 (तेरह)

सी. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निपटाई गयी शिकायतों की संख्या : 13 (तेरह)

डी. वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या : 1 (एक)

**7.17 शाखा नेटवर्क:**

31 मार्च, 2024 तक हमारे बैंक का शाखा नेटवर्क 8464 शाखाओं और 2 विदेशी शाखाओं (सिडनी और दुबई डीआईएफ़सी) के साथ पूरे देश में फैला हुआ है. इनमें से 58 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित हैं.

**यथा 31.03.2023 तक शाखा का नेटवर्क**

| | ग्रामीण | अर्ध-शहरी | शहरी | मेट्रो | विदेशी | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शाखाओं की संख्या | 2540 | 2436 | 1728 | 1760 | 2 | 8466 |
| शाखा (%) | 30 | 29 | 20 | 21 | -- | 100 |

यथा 31.03.2024 तक भारत में शाखा नेटवर्क की राज्यवार स्थिति निम्न मानचित्र में दर्शाया गया है.

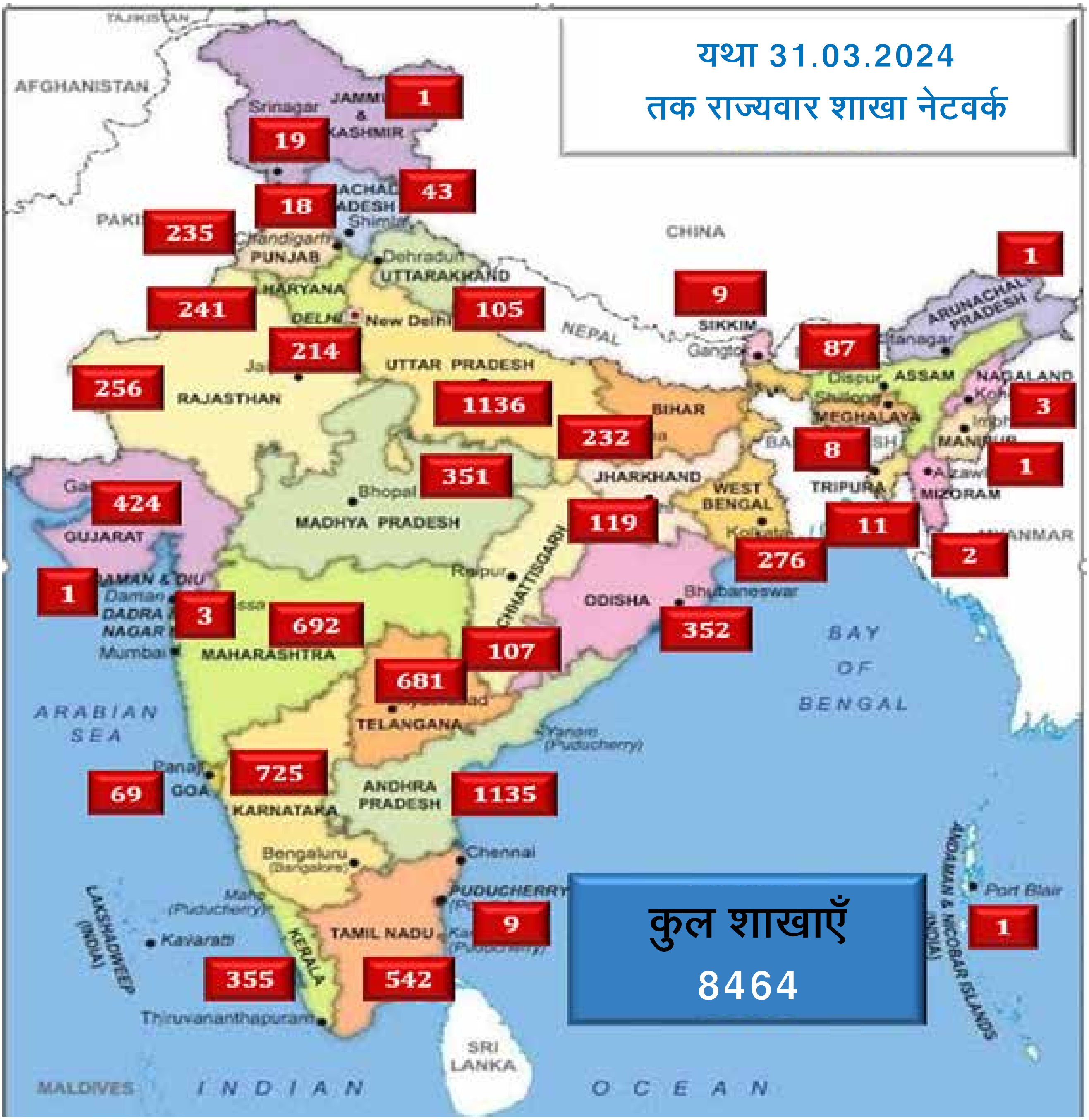

7.18 क्रेडिट रेटिंग

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत या विदेश में सभी डेब्ट इन्स्ट्रुमेंट या कोई मियादी जमा राशि कार्यक्रम या फंड को जुटाने हेतु बैंक का प्रस्ताव कोई योजना, सभी का पुनर्रिक्षण के सहित क्रेडिट रेटिंग्स की सूची प्राप्त की गयी है:

| रेटिंग एजेंसी | बासेल III | | जमा प्रमाणपत्र | आउटलुक |
|---|---|---|---|---|
| | अतिरिक्त टियर 1 | टियर 2 | | |
| ब्रिकवर्क | BWR AA | BWR AA+ | - | स्थाई |
| क्रिसिल | CRISIL AA+ | CRISIL AAA | - | स्थाई |
| केयर | CARE AA+ | CARE AAA | - | स्थाई |
| इंडिया रेटिंग | IND AA | IND AA+ | IND A1+ | सकारात्मक |
| इकरा लिमिटेड | - | ICRA AAA | ICRA A1+ | स्थाई |

एफ़आईटीसीएच रेटिंग लिमिटेड:

| संवर्ग | रेटिंग |
|---|---|
| दीर्घकालिक जारीकर्ता चूक रेटिंग (आईडीआर) | "BBB-" आउटलुक स्थाई |
| अल्पावधि जारीकर्ता चूक रेटिंग (आईडीआर) | F3 |
| व्यवहार्यता रेटिंग (वीआर) | B+ |

स्टैंडर्ड & पूअर ग्लोबल रेटिंग्स

| संवर्ग | रेटिंग |
|---|---|
| जारीकर्ता ऋण रेटिंग (दीर्घ अवधि/ अल्प अवधि) | BBB-/Stable/A-3 |
| बैंक सीनियर अंसेक्युर्ड नोट्स (दीर्घ अवधि) | BB+ |
| आउटलुक: स्टेबल | |

7.19**बैंक की महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों का विवरण:** बैंक की कोई भी सहायक कंपनी महत्वपूर्ण सहायक नहीं है.

## 8. संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैन्डर्ड (अंग्रेजी) सहित फ्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी), नवभारत (हिंदी), नवशक्ति (मराठी) आदि अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं. ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी दर्शाए गये हैं. इसी प्रकार बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति, संबंधित प्रस्तुतियां, शेयरधारकों का पैटर्न आदि भी बैंक की वेबसाइट पर "निवेशक संबंध" के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये हैं.

## 9. शेयरधारकों की सूचना

9.1 **वित्तीय वर्ष** 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक

9.2 **इक्विटी शेयर एवं बॉन्ड की सूचीबद्धता –** बैंक के इक्विटी शेयर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध हैं तथा इसका स्क्रिप कोड निम्नानुसार है: -

| नाम | कोड |
|---|---|
| बीएसई लिमिटेड (बीएसई),<br>फिरोज़ जीजीभाय टावर, दलाल स्ट्रीट, मुंबई 400 001 | 532477 |
| **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई),**<br>एक्सचेंज प्लाज़ा, प्लॉट नं सी/ 1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051 | UNIONBANK-EQ |

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इक्विटी शेयर के लिए वार्षिक सुचीबद्ध शुल्क दिनांक 29 अप्रैल, 2024 से पहले दोनो शेयर बाज़ारों को प्रदत्त कर दिया गया है.

बैंक ने समय-समय पर प्रॉमिजरी नोट (टियर I एवं टियर II पूंजी) के रूप में आरक्षित गैर परिवर्तनीय बॉण्ड जारी किए हैं. 31 मार्च, 2024 को तत्संबंधित ब्योरा निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | आईएसआईएन | बॉण्ड ब्यौरा | शृंखला | राशि (रु.करोड़ में) | आबंटन की तिथि | परिपक्वता तिथि | कूपन दर % (प्र.व.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INE692A08029 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XX | 1,000 | 15-सितंबर-16 | स्थाई | 9.50 |
| 2 | INE692A08110 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XXVII | 500 | 15-दिसंबर-20 | स्थाई | 8.73 |
| 3 | INE692A08128 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XXVIII | 1,000 | 11-जनवरी-21 | स्थाई | 8.64 |
| 4 | INE692A08136 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XXIX | 205 | 29-जनवरी-21 | स्थाई | 8.73 |
| 5 | INE692A08169 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XXXII | 2,000 | 22-नवंबर-21 | स्थाई | 8.70 |
| 6 | INE692A08177 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XXXIII | 1,500 | 20-दिसंबर-21 | स्थाई | 8.40 |
| 7 | INE692A08185 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XXXIV | 1,500 | 02-मार्च-22 | स्थाई | 8.50 |
| 8 | INE692A08193 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XXXV | 1,320 | 25-जुलाई-22 | स्थाई | 8.69 |
| 9 | INE692A08227 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XXXVII | 663 | 23-दिसंबर-22 | स्थाई | 8.40 |
| 10 | INE692A08045 | बासेल III अनुपालन टियर II | बॉण्ड सिरीज़ XXII | 750 | 24-नवंबर-16 | 24-नवंबर-26 | 7.74 |
| 11 | INE112A08051 | बासेल III अनुपालन टियर II | बॉण्ड सिरीज़ II | 1,000 | 8-नवंबर-19 | 8-नवंबर-29 | 8.93 |
| 12 | INE692A08094 | बासेल III अनुपालन टियर II | बॉण्ड सिरीज़ XXV | 1,000 | 16-सितंबर-20 | 16-सितंबर-30 | 7.42 |
| 13 | INE692A08102 | बासेल III अनुपालन टियर II | बॉण्ड सिरीज़ XXV | 1,000 | 26-नवंबर-20 | 26-नवंबर-35 | 7.18 |
| 14 | INE692A08144 | बासेल III अनुपालन टियर II | बॉण्ड सिरीज़ XXX | 850 | 24-जून-21 | 24-जून-31 | 7.19 |
| 15 | INE692A08151 | बासेल III अनुपालन टियर II | बॉण्ड सिरीज़ XXXI | 1,150 | 9-जुलाई-21 | 9-जुलाई-36 | 7.25 |
| 16 | INE692A08219 | बासेल III अनुपालन टियर II | बॉण्ड सिरीज़ XXXVI-A | 1,500 | 29-नवंबर-22 | 29-नवंबर-37 | 7.85 |
| 17 | INE692A08201 | बासेल III अनुपालन टियर II | बॉण्ड सिरीज़ XXXVI-B | 700 | 29-नवंबर-22 | 29-नवंबर-32 | 7.80 |
| | कुल | | | 17,638.00 | | | |

**9.3 लाभांश :**

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹10/- अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 3.60/- के लाभांश की सिफारिश की है. लागू कर यदि कोई हों, घटाने के बाद

**9.4 वार्षिक सामान्य बैठक के विवरण:**

| | |
|---|---|
| लेखों और लाभांश पर विचार विमर्श के लिए बोर्ड की बैठक | शुक्रवार, 10 मई, 2024 |
| वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि, समय और स्थान | शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 2024 सुबह 11.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी सी) या अन्य आडिओ विजुअल साधन (ओएवीएम) सुविधा के जरिए, केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक का अभिप्रेत स्थल) पर |
| बहियों के बंद रहने की तिथि | शनिवार, दिनांक 20 जुलाई, 2024 से शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 2024 (दोनों दिनों सहित) |
| ई-वोटिंग के खुलने और बंद होने की तिथि | मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई, 2024 से गुरूवार, दिनांक 25 जुलाई, 2024 |

### 9.5 वित्तीय कैलेंडर :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय परिणामों की घोषणा की संभावित तिथियां निम्नलिखित हैं:

| वित्तीय परिणाम | घोषणा की संभावित तिथि |
|---|---|
| 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम | 10 अगस्त, 2024 तक |
| 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम | 10 नवम्बर, 2024 तक |
| 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम | 10 फरवरी, 2025 तक |
| 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम | 15 मई, 2025 तक |

### 9.6 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

बैंक ने शेयरों के अंतरण और उससे संबंधित अन्य मामलों के निपटान के लिए बोर्ड की शेयर अंतरण समिति गठित की है. सेबी के दिनांक 08.06.2018 के दिशानिर्देशों एवं सेबी कि प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03.12.2018, दिनांक 31.03.2019 के बाद शेयरों को भौतिक अंतरण अनुमत नहीं है, अतः शेयर धारकों से अनुरोध है कि अपने भौतिक शेयर धारिता को डीमैट खाता खोलकर डीमैट रूप में परिवर्तित करा लें.

इसके अलावा, निवेशकों के हित में और निवेशकों द्वारा प्रतिभूति बाज़ारों में कारोबार में सुगमता के लिए, सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 25.01.2022 के जरिए निर्णय लिया है कि सूचीबद्ध संस्थाएं अब से निम्नलिखित सेवा अनुरोध की प्रोसेसिंग करते समय केवल अभौतिकी रूप में (डीमैटरियलाइज्ड मोड में) शेयर जारी करेंगी:

i. प्रतिभूति प्रमाणपत्र की अनुलिपि जारी करना

ii. दावारहित उचंत खाते से दावा

iii. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का नवीकरण/आदान-प्रदान

iv. पृष्ठांकन

v. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/विभक्त करना

vi. प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/फोलियो का समेकन

vii. संचारण

viii. स्थानांतरण

शेयरधारक / दावेदार विधिवत भरा हुआ फॉर्म आईएसआर -4 (आईएसआर -5 के लिए हस्तांतरण) जमा करेगा और आरटीए / सूचीबद्ध संस्था, सेवा अनुरोधों को संसाधित करने के बाद, आपत्तियों को दूर कर, यदि कोई हो, ऐसे अनुरोधों के 30 दिनों के भीतर शेयरधारक / दावेदार को भौतिक प्रमाण पत्र के बजाय "पुष्टिकरण पत्र" जारी करेगी.

पुष्टि पत्र जारी होने की तारीख से 120 दिनों के लिए वैध होगा, जिसके तहत शेयरधारक / दावेदार उक्त प्रतिभूतियों को डीमैटरियलाइज़ करने के लिए निक्षेपागार सहभागी से अनुरोध करेगा.

आरटीए पुष्टि पत्र जारी होने की तारीख से 45 दिनों और 90 दिनों की समाप्ति के बाद, प्रतिभूति धारक / दावेदार को डीमैट अनुरोध जमा करने की जानकारी देते हुए एक अनुस्मारक जारी करेगा.

आरटीए मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार भौतिक शेयर प्रमाण पत्र को बनाए रखेगा और सेवा अनुरोध को संसाधित करने के पश्चात, प्रमाण पत्र के ऊपर/ प्रमाण पत्र के पीछे "पुष्टिकरण पत्र जारी" पर मुहर लगाएगा.

निक्षेपागार सहभागी पुष्टि पत्र के आधार पर डीमैट अनुरोध तैयार करेगा और डीमैट अनुरोध को संसाधित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई/आरटीए को अग्रेषित करेगा.

यदि पुष्टि पत्र के 120 दिनों के भीतर डीमैट अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो शेयरों को इकाई के उचंत निलंब डीमैट खाते में जमा किया जाएगा.

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के अनुपालन के क्रम में बैंक द्वारा केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को अपने रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में शेयरों तथा लाभांश के अंतरण, शेयरधारकों के आवेदनों के रिकॉर्ड एवं शेयर से संबंधित अन्य गतिविधियों में शेयरधारकों द्वारा की गई शिकायतों के निवारण हेतु अधिदेश द्वारा नियुक्त किया गया है. निवेशक अपने अंतरण विलेख / आवेदन / शिकायतें आरटीए के साथ नीचे दिए पते पर भेज सकते हैं.

बैंक ने अपने केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में भी निवेशक सेवाएं प्रभाग स्थापित किया है. शेयरधारक अपनी शिकायतों के लिए कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं.

| रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) | डिबेंचर ट्रस्टी | कंपनी सचिव |
|---|---|---|
| केएफ़आईएन टेक्नालजी लिमिटेड<br>यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया<br>सेलेनियम, टावर बी, प्लॉट नं 31-32,<br>गच्चीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,<br>नानक्रमगुडा, हैदराबाद - 500032<br>फोन नं: 040- 67162222<br>फैक्स नं.: 040 23001153<br>ई-मेल : einward.ris@kfintech.com | आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस<br>लिमिटेड<br>एशियन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर,<br>17, आर. कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट,<br>मुंबई 400 001.<br>फोन (022) 40807001<br>फ़ैक्स (022) 66311776<br>ईमेल : itsl@idbitrustee.com, | निवेशक सेवाएं प्रभाग<br>यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,<br>12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय,<br>239, विधान भवन मार्ग,<br>नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.<br>फोन -(022) 2289 6636<br>फैक्स -(022) 22025238<br>ई-मेल: investorservices@<br>unionbankofindia.bank |

**9.7 अन्य सूचनाएं:**

शेयरधारकों की समस्याओं का समय से जवाब देने के अलावा, बैंक अपनी तरफ से पत्राचार और अन्य उपायों के माध्यम से निवेशकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है.

बैंक ने ऐसे सभी शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से अर्धवार्षिक संप्रेषण भेजा है, जिनकी ई-मेल आईडी बैंक/ डीपी में पंजीकृत है.

**9.8 शेयरों का अमूर्तिकरण:**

बैंक ने दोनों डिपोजिटरियों यथा नैशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरीज लि.(एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) से बैंक के शेयरों का अमूर्तिकरण करने का करार किया है. बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए आबंटित आईएसआईएन (ISIN) कोड, INE692A01016 है.

अतः यह अनुरोध है कि भौतिक रूप में शेयर धारित शेयरधारक अपने हित में अपने शेयरों का अमूर्तिकरण कराएं, इससे वे शेयर प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने/ खराब हो जाने जैसी समस्याओं से बच जाएंगे. इसके अलावा यह उन्हें तुरंत तरलता (नकदीकरण) भी प्रदान करेगा, क्योंकि बैंक के शेयरों का क्रय- विक्रय केवल डीमैट के रूप में ही किया जा सकता है. इससे लाभांश भुगतान भी तेजी और आसानी से हो सकेगा.

31.03.2024 को शेयरधारकों द्वारा डीमैट एवं भौतिक रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है:

| श्रेणी | शेयर धारकों की संख्या | शेयरों की संख्या | शेयरधारिता का % |
|---|---|---|---|
| **भौतिक** | 80,611 | 1,51,56,115 | 0.20 |
| **डीमैट** | | | |
| एनएसडीएल | 3,21,168 | 1,68,04,87,235 | 22.01 |
| सीडीएसएल | 5,34,021 | 5,93,79,62,257 | 77.79 |
| **कुल** | **9,35,800** | **7,63,36,05,607** | **100.00** |

नोट: बैंक के प्रोमोटोर की पूरी शेयरधारिता डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में उपलब्ध है.

इसके अतिरिक्त, सेबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में व्यवसायरत कंपनी सचिव ने भी तिमाही आधार पर शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का मिलान किया गया है. शेयर पूंजी के मिलान के दौरान सदस्यों की बहियों के अद्यतनीकरण/ रखरखाव में अथवा डीमैट अनुरोध की प्रासेसिंग में कोई विसंगति नहीं पायी गयी और भौतिक प्रणाली तथा डीमैट प्रणाली में रखी गई पूंजी का निर्गमित पूंजी से मिलान हुआ है.

बैंक ने भौतिक रूप में शेयर धारित सभी धारकों को शेयरों के आमूर्तिकरण हेतु अनेक बार सूचित किया है. परिणामस्वरूप, वर्ष 2023-24 के दौरान 2160 शेयरधारकों ने भौतिक रूप से धारित 5,13,130 शेयरों का आमूर्तिकरण किया है.

**9.9 बाजार मूल्य, शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किए गये शेयरों की मात्रा :**

| माह | बीएसई | | | एनएसई | | | बीएसई सेंसेक्स | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | उच्चतम (₹) | न्यूनतम (₹) | मात्रा (संख्या लाख में) | उच्चतम (₹) | न्यूनतम (₹) | मात्रा (संख्या लाख में | उच्चतम (₹) | न्यूनतम (₹) |
| अप्रैल, 2023 | 76.35 | 66.30 | 150.66 | 76.35 | 66.3 | 1,530.13 | 61,209.46 | 58,793.08 |
| मई, 2023 | 78.75 | 68.43 | 191.96 | 78.8 | 68.4 | 1,891.51 | 63,036.12 | 61,002.17 |
| जून, 2023 | 73.46 | 68 | 187.33 | 73.45 | 68 | 1,289.18 | 64,768.58 | 62,359.14 |
| जुलाई, 2023 | 94.30 | 72.31 | 273.27 | 94.30 | 72.40 | 4,337.16 | 67,619.17 | 64,836.16 |
| अगस्त, 2023 | 96.75 | 85.10 | 192.39 | 96.80 | 85.00 | 3,732.55 | 66,658.12 | 64,723.63 |
| सितंबर, 2023 | 106.93 | 84.85 | 543.32 | 107 | 84.85 | 9,323.93 | 67,927.23 | 64,818.37 |
| अक्टूबर, 2023 | 113.40 | 91.20 | 391.73 | 113.35 | 91.25 | 5,293.05 | 66,592.16 | 63,092.98 |
| नवंबर, 2023 | 116.10 | 100.55 | 285.25 | 116.00 | 100.55 | 3,683.89 | 27,069.89 | 63,550.46 |
| दिसंबर, 2023 | 129.30 | 107.75 | 374.90 | 129.40 | 107.65 | 4,612.56 | 72,484.34 | 67,149.07 |
| जनवरी, 2024 | 145.25 | 119.10 | 540.25 | 145.40 | 119.10 | 4,555.46 | 73,427.59 | 70,001.60 |
| फरवरी, 2024 | 155.30 | 132.60 | 504.24 | 155.35 | 132.60 | 8,196.12 | 73,413.93 | 70,809.84 |
| मार्च, 2024 | 161.85 | 137.75 | 272.72 | 161.90 | 137.70 | 3,768.45 | 74,245.17 | 71,674.42 |
| **31.03.24 को अंतिम मूल्य** | | | 153.45 | | | 153.50 | | |
| **बाजार पूंजीकरण** | | | ₹ 1,17,138 करोड़ | | | ₹ 1,17,176 करोड़ | | |

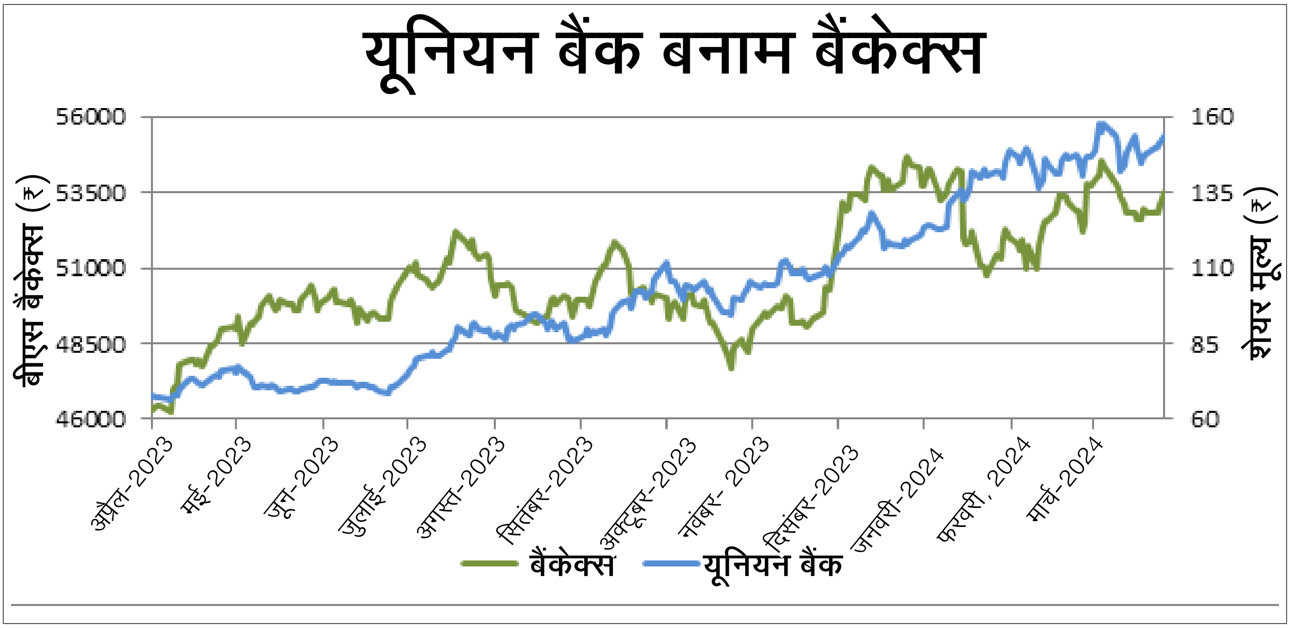

* स्रोत-बीएसई वेबसाइट (www.bseindia.com)

**9.10 शेयरधारिता का वितरण :**

| शेयरधारिता | यथा 31.03.2024 | | | | यथा 31.03.2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | शेयरधारकों की संख्या | कुल का % | शेयरों की संख्या | कुल का % | शेयरधारकों की संख्या | कुल का % | शेयरों की संख्या | कुल का % |
| 500तक | 816,175 | 87.22 | 84,034,404 | 1.10 | 665546 | 84.94 | 74,079,944 | 1.08 |
| 501से1000 | 56,164 | 6.00 | 43,117,613 | 0.56 | 52924 | 6.76 | 40,433,982 | 0.59 |
| 1001से2000 | 27,676 | 2.96 | 41,599,588 | 0.55 | 26956 | 3.44 | 40,668,815 | 0.59 |
| 2001से3000 | 13,949 | 1.49 | 35,238,325 | 0.46 | 15910 | 2.03 | 40,039,611 | 0.59 |
| 3001से4000 | 6,683 | 0.71 | 23,420,115 | 0.31 | 7608 | 0.97 | 26,522,967 | 0.39 |
| 4001से5000 | 4,295 | 0.46 | 20,190,369 | 0.26 | 4329 | 0.55 | 20,258,665 | 0.30 |
| 5001से10000 | 6,145 | 0.66 | 44,170,650 | 0.58 | 6522 | 0.83 | 46,280,143 | 0.68 |
| 10001सेअधिक | 4,713 | 0.50 | 7,341,834,543 | 96.18 | 3756 | 0.48 | 6,546,463,339 | 95.78 |
| **कुल** | 935,800 | 100.00 | 7,633,605,607 | 100.00 | 78,3551 | 100 | 6,834,747,466 | 100 |

बैंक के शेयर का अंकित मूल्य ₹ 10/- है.

## 9.11 शेयरधारिता का पैटर्नः

दिनांक 31.3.2024 तथा 31.03.2023 को बैंक की शेयरधारिता का पैटर्न निम्नानुसार रहाः

| शेयरधारक की श्रेणी | यथा 31.03.2024 | | यथा 31.03.2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | धारित शेयरों की संख्या | कुल का % | धारित शेयरों की संख्या | कुल का % |
| **प्रोमोटर** | | | | |
| भारत सरकार | 5,70,66,60,850 | 74.76 | 5,70,66,60,850 | 83.49 |
| **पब्लिक** | | | | |
| **निवेशक संस्था** | | | | |
| म्युच्युअल फंड & यूटीआई | 28,50,70,855 | 3.73 | 15,53,30,626 | 2.27 |
| बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी | 64,98,33,025 | 8.51 | 41,06,75,574 | 6.01 |
| (केंद्रीय/ राज्य सरकार संस्थान) | | | | |
| एफ़आईआई & विदेशी म्यूचुअल फंड | 51,58,27,515 | 6.76 | 11,39,04,254 | 1.67 |
| **अन्य** | | | | |
| निजी कॉर्पोरेट निकाय | 2,81,77,462 | 0.37 | 2,40,23,255 | 0.35 |
| भारतीय जनता | 42,40,96,910 | 5.56 | 41,66,82,742 | 6.10 |
| एनआरआई/ ओसीबी/ योग्य विदेशी निवेशक | 2,39,38,990 | 0.31 | 74,70,165 | 0.11 |
| **कुल** | **7,63,36,05,607** | **100.00** | **6,83,47,47,466** | **100.00** |

## 9.12 बैंक के 10 शीर्ष शेयरधारकों की सूचीः

31.03.2024 को शीर्ष 10 शेयरधारकों के नाम इस प्रकार हैं:

| क्र. | नाम | शेयर | पूंजी का% |
|---|---|---|---|
| 1 | भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) | 5,70,66,60,850 | 74.76 |
| 2 | भारतीय जीवन बीमा निगम | 44,52,67,877 | 5.83 |
| 3 | एचडीएफसी म्यूचुअल फंड - एचडीएफसी मिड कैप अपरच्यूनिटीज फंड | 9,55,52,641 | 1.25 |
| 4 | एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लिमिटेड | 6,11,16,964 | 0.80 |
| 5 | एचडीएफ़सी लाइफ इंश्योरेंस कं. लिमिटेड | 4,17,27,624 | 0.55 |
| 6 | वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट स्टॉक इंडेक्स फंड | 2,03,23,439 | 0.27 |
| 7 | वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट स्टॉक इंडेक्स फंड, वैनगार्ड इंटरनेशल इक्विटि इंडेक्स फंड्स की एक श्रृंखला | 1,96,07,338 | 0.26 |
| 8 | निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड ए/ सी निप्पॉन इंडिया ग्रोंथ फंड | 1,94,00,000 | 0.25 |
| 9 | गवर्नमेंट पेंशन ग्लोबल फंड | 1,79,70,093 | 0.24 |
| 10 | पाइनब्रिज ग्लोबल फंड्स पाइनब्रिज इंडिया इक्विटि फंड | 1,66,53,776 | 0.22 |

### 9.13 अदावाकृत/ अदत्त लाभांश :

अदत्त लाभांश खाते में लाभांश अंतरित किये जाने की तिथि से सात वर्ष तक लाभांश की रकम का दावा न किये जाने पर वह रकम निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जायेगी. इसके बाद खाते में अंतरित उस रकम के लिये बैंक अथवा उक्त निधि के सापेक्ष कोई दावा नहीं किया जा सकेगा. अब तक घोषित लाभांशों तथा विभिन्न लाभांश खातों के सापेक्ष दावा करने की अंतिम तिथि की सूची निम्नानुसार दी गई है:

| क्र. सं. | संबंधित लाभांश खाते | अदत्त लाभांश बैंक खाता सं. | वित्तीय वर्ष | लाभांश का दर | आईईपीएफ़ को अंतरण की प्रस्तावित तारीख | यथा 31.03.2024 को शेष (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | यूबीआई | 066221090000005 | 2021-22 | ₹ 1.90 प्रति शेयर | 11-08-29 | 3,49,74,828.00 |
| 2 | यूबीआई | 317901090049834 | 2022-23 | ₹ 3.00 प्रति शेयर | 15-09-30 | 5,19,63,798.00 |
| | **कुल** | | | | | **86,938,626.00** |

जिन शेयरधारकों ने अभी तक उपर्युक्त लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपना दावा बैंक के निवेशक सेवाएं प्रभाग या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें. इससे संबंधित क्षतिपूर्ति बांड का प्रारूप बैंक की वेबसाइट (www.unionbankofindia.co.in) पर भी उपलब्ध है.

### 9.14 अदावाकृत शेयर :

**क) भौतिक रूप में :**

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा विनियमन) 2015 की अनुसूची VI अर्थात अदावाकृत शेयरों के निपटान का तरीका के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च, 2012 में एक अदावाकृत उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2002 में बैंक के आईपीओ के समय आबंटित शेयर जो अभी तक अदावाकृत हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं:

| विवरण | शेयरधारकों की संख्या | शेयरों की संख्या |
|---|---|---|
| डीमैट उचंत खाते में 01.04.2023 को शेष | 4 | 600 |
| वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक | शून्य | शून्य |
| वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए | शून्य | शून्य |
| 31.03.2024 को डीमैट उचंत खाते में शेष | 4 | 600 |

**ख) डीमैट रूप में :**

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा विनियमन) 2015 की अनुसूची VI अर्थात अदावाकृत शेयरों के निपटान का तरीका के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2010 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2006 में बैंक के एफ़पीओ के समय आबंटित शेयर जो किसी तकनीकी कमी के कारण आवेदकों के डीमैट खाते में क्रेडिट नहीं किए गए हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं:

| विवरण (यूबीआई-एफ़पीओ) | शेयरधारकों की संख्या | शेयरों की संख्या |
|---|---|---|
| डीमैट उचंत खाते में 01.04.2023 को शेष | 216 | 26,414 |
| वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक | 0 | 0 |
| वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए | 0 | 0 |
| 31.03.2024 को डीमैट उचंत खाते में शेष | 216 | 26,414 |

| विवरण (पूर्व-आंध्रा बैंक एवं पूर्व-कॉर्पोरेशन बैंक) | शेयरधारकों की संख्या | शेयरों की संख्या |
|---|---|---|
| डीमैट उचंत खाते में 01.04.2023 को शेष | 168 | 13,089 |
| वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक | 0 | 0 |
| वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए | 0 | 0 |
| 31.03.2024 को डीमैट उचंत खाते में शेष | 168 | 13,089 |

| विवरण (यूबीआई पुष्टि पत्र) | शेयरधारकों की संख्या | शेयरों की संख्या |
|---|---|---|
| उचंत निलंब डीमैट खाते में 01.04.2023 को शेष | 0 | 0 |
| वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जिन शेयरधारकों ने 120 दिनों के भीतर अपने एलओसी को अमूर्तिकृत नहीं किया है. | 25 | 15,064 |
| वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जिन शेयरधारकों ने उचंत निलंब डीमैट खाते से अपने शेयर का दावा किया है. | 0 | 0 |
| 31.03.2024 को उचंत निलंब डीमैट खाते में शेष | 25 | 15,064 |

ऊपर बताए गए सभी शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं.

## 10. सूचीबद्ध करार के गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति

| क्र. | गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं | अनुपालन की स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | **निदेशक मंडल**<br>एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के व्यय पर अध्यक्ष-कार्यालय का रखरखाव करने के लिए अधिकारी होता है तथा उसे अपने कर्तव्यपालन के संबंध में किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति की अनुमति होती है. | अनुपालन किया गया. |
| 2 | **शेयरधारकों के अधिकार**<br>विगत छः माह की प्रमुख घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयर धारक को भेजी जाए. | बैंक के आरटीए/ बैंक में अपना ईमेल आईडी पंजीकृत करने वाले सभी शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से अर्धवार्षिक सूचना भेजा जाता है. |
| 3 | **लेखापरीक्षा में संशोधित अभिमत**<br>कंपनी बिना कमियों वाले वित्तीय विवरणों की दिशा में अग्रसर होनी चाहिए. | समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई लेखापरीक्षा कमी (आपत्ति) नहीं रही. |
| 4 | **आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टिंग**<br>आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं. | बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे महा प्रबंधक, केन्द्रीय लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग को रिपोर्ट करता है. हालांकि, आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई फ्लैश रिपोर्ट तथा विशेष रिपोर्ट की अद्यतन जानकारी लेखापरीक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाती है. |

**कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से**

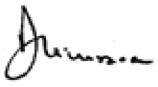

**स्थान : मुंबई**
**दिनांक : 11.06.2024**

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

**आचार संहिता की घोषणा**

बोर्ड द्वारा निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया गया है तथा बैंक की वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित भी किया गया है. निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है.

**कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

**(ए. मणिमेखलै)**
**प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

**स्थान : मुंबई**
**दिनांक : 01-06-2024**

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के तहत कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकतों का अनुपालन

प्रति
सदस्यगण
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

1. यह प्रमाणपत्र हमारे नियुक्ति पत्र दिनांक 27 सितंबर, 2023 की शर्तों के अनुसार जारी किया गया है.

2. इस प्रमाणपत्र में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ('बैंक') द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का विवरण शामिल है, जैसा कि विनियमन 17 से 27 और विनियमन 46(2) के खंड (बी) से (आई) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, ("सूचीबद्धता विनियम") की अनुसूची V के पैराग्राफ सी, डी, ई में है.

### प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

3. बैंक का निदेशक मंडल और प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन करता है, जिसमें सूचीबद्ध विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट तैयार करना शामिल है. इस जिम्मेदारी में आंतरिक नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव और सूचीबद्ध विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं भी शामिल है.

### लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारी

4. हमारी जांच उपर्युक्त सूचीबद्ध विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी. यह न तो लेखा-परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है.

5. सूचीबद्ध विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें कि बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सूचीबद्ध विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है.

6. हमने अपनी जांच इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा विशेष उद्देश्यों के लिए जारी रिपोर्ट या प्रमाणपत्रों पर मार्गदर्शन नोट संशोधित 2016.('मार्गदर्शन नोट') के अनुसार की है. मार्गदर्शन नोट में यह आवश्यक है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें.

7. हमने ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी की लेखा-परीक्षा और समीक्षा करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा अनुबंधों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी)1 के प्रासंगिक तथा लागू अपेक्षाओं का अनुपालन किया है.

### अभिमत

8. उपरोक्त के अनुसार हमारी जांच और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित को छोड़कर, विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) और सूचीबद्ध विनियमों की अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है:

    i. बैंक के बोर्ड में बैंक के कर्मचारियों और गैर-कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक-एक निदेशक नहीं था, जैसा कि धारा 9 (3) (ई) और (एफ) के तहत प्रावधान किया गया है और एक निदेशक जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (जी) के तहत प्रावधान किए गए अनुसार कम से कम पंद्रह वर्षों के लिए सनदी लेखाकार रहा है.

9. हमारा कथन है कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही दक्षता के बारे में या जिस प्रभावकारिता के साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है.

**उपयोग पर प्रतिबंध**

10. यह प्रमाणपत्र बैंक के सदस्यों को संबोधित किया जाता है और केवल इस उद्देश्य के लिए प्रदान किया जाता है कि बैंक सूचीबद्ध विनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में सक्षम हो, और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए. तदनुसार, हम किसी अन्य उद्देश्य या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व या किसी कर्तव्य के निर्वाह को स्वीकार या ग्रहण नहीं करते हैं जिसे यह प्रमाणपत्र दिखाया गया है या जिसके हाथों में यह हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना आ सकता है.

**कृते एन बी एस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W

**सीए शरत शेट्टी**
भागीदार
सदस्य सं. 132775
यूडीआईएन:24132775BKCYFL9949

**कृते छाजेड & डोसी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन101794W

**सीए नितेश जैन**
भागीदार
सदस्य सं. 136169
यूडीआईएन:24136169BKEKKU5700

**कृते जी एस माथुर & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 008744N

**सीए राजीव कुमार वाधवन**
भागीदार
सदस्य सं. 091007
यूडीआईएन:24091007BKCFCO8388

**कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 000580S/S200066

**कृते पी. चंद्रशेखर**
भागीदार
सदस्य सं. 026037
यूडीआईएन:24026037BKARCJ3763

**कृते वी के लाधा & एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002301C

**कृते वी के लाधा**
भागीदार
सदस्य सं. 071501
यूडीआईएन:24071501BKFQHC9896

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2024

# यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु

**[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, विनियमन, 2015 के विनियमन 24 ए के अंतर्गत (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं)]**

**हमने परीक्षण किया है :**

ए) **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** ("सूचीबध्द संस्था") द्वारा सभी दस्तावेज़ एवं रिकॉर्ड हमें उपलब्ध कराये गए एवं स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है,

बी) सूचीबद्ध संस्था द्वारा स्टॉक एक्स्चेंज में फ़ाइल/ प्रस्तुत किए गए हैं,

सी) सूचीबद्ध संस्था की वेबसाइट,

डी) अन्य कोई दस्तावेज़/ फ़ाइल, जो भी संबंधित है, जिनका इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए विश्वास किया गया है.

**31 मार्च, 2024 ("समीक्षा अवधि") को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन के संबंध में निम्न के प्रावधानों के साथ:**

ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") एवं विनियमन, इसके अंतर्गत जारी परिपत्र, दिशानिर्देश; एवं

बी) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआर"), उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा इसके अंतर्गत जारी विनियमन, परिपत्र, दिशानिर्देश;

**विशिष्ट विनियम, जिनके प्रावधानों और उनके द्वारा जारी परिपत्र / दिशानिर्देशों की जांच की गई है, में शामिल हैं:-**

ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्वों एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार;

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार;

सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और टेकओवर का भौतिक अधिग्रहण) विनियम, 2011 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार;

डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 2018; **(समीक्षा अवधि के दौरान बैंक के लिए लागू नहीं)**

ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम-जन्य इक्विटि) विनियम, 2021 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार; **(समीक्षा अवधि के दौरान बैंक के लिए लागू नहीं)**

एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;

जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया लेनदेन का निषेध) विनियम, 2015 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार;

एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी एवं सहभागी) विनियम, 2018;

आई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटि शेयरों का असूचीयन) विनियम, 2021; **(समीक्षा अवधि के दौरान बैंक के लिए लागू नहीं)**

जे) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक संरक्षण एवं शैक्षणिक निधि) विनियम, 2009; और इनके तहत जारी परिपत्र/ दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं;

**सूचीबद्ध संस्था ने नीचे निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर उपरोक्त विनियमों के प्रावधानों और उसके तहत जारी किए गए परिपत्रों/दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है:-**

| क्र. सं. | अनुपालन की आवश्यकता (विशिष्ट खंड सहित विनियमन/ परिपत्र / दिशानिर्देश) | विनियमन/परिपत्र | विचलन | किसके द्वारा कार्रवाई की गयी | कार्रवाई का प्रकार | उल्लंघन का ब्यौरा | दंड की राशि | पेशेवर कंपनी सचिव की द्वारा किए गये अवलोकन / टिप्पणी | प्रबंधन की प्रतिक्रिया | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित शामिल होंगे:<br>(ई) एक निदेशक, तत्संबंधी नए बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(एस) के अंतर्गत कामगार हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा.<br>(एफ़) एक निदेशक, तत्संबंधी नए बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(एस) के अंतर्गत कामगार नहीं हैं, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा.<br>(जी) एक निदेशक, जो पंद्रह वर्षों से कम अवधि तक सनदी लेखाकार रहा हो, उसे भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा. | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ई), (एफ़) और (जी) | बैंक के बोर्ड में धारा 9 (3) (ई) और (ए. फ) के तहत बैंक के कर्मकार और गैर-कर्मकार का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई निदेशक नहीं था और ऐसा निदेशक जो बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (जी) के तहत पंद्रह वर्षों से कम अवधि के लिए सनदी लेखाकार रहे हो. | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं | शून्य | वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक के बोर्ड में धारा 9 (3) (ई) और (एफ़) के तहत बैंक के कर्मकार और गैर-कर्मकार का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई निदेशक नहीं था और ऐसा निदेशक जो बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (जी) के तहत पंद्रह वर्षों से कम अवधि के लिए सनदी लेखाकार रहे हो. | गैर-कार्यकारी अध्यक्ष (स्वतंत्र) के शामिल होने के साथ, बैंक के बोर्ड में सेबी एलओडीआर के अनुसार अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक शामिल हो गए हैं. | इसलिए अनुपालन किया गया. |
| 2. | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51 (1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के अनुसार, यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है या किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम की किसी आवश्यकता का अनुपालन करने में कोई चूक की जाती है, तो ऐसा व्यक्ति इसके तहत निर्धारित जुर्माने अनुसार दंड का भागी होगा. | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51 (1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) | बैंक ने `ऋण एवं अग्रिम -सांविधिक' और अन्य प्रतिबंध पर भारिबैं द्वारा जारी कतिपय निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है. | भारतीय रिजर्व बैंक | जुर्माने का अधिरोपण | `ऋण एवं अग्रिम -सांविधिक' और अन्य प्रतिबंध पर भारिबैं द्वारा जारी कतिपय निर्देशों का गैर-अनुपालन. | भारिबैं अपने पत्र दिनांक 13 अक्तूबर, 2023 के जरिए रु.1 करोड़ का मौद्रिक दंड अधिरोपित किया. | वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने `ऋण एवं अग्रिम -सांविधिक और अन्य प्रतिबंध पर भारिबैं द्वारा जारी कतिपय निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है. | बैंक ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए हैं. | बैंक के संज्ञान में मामला है और आवश्यक उचित कदम उठाए गए हैं. |

**विगत रिपोर्टों में पाई गई टिप्पणियों के अनुपालन में सूचीबद्ध संस्था द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है:**

| क्र. सं. | अनुपालन की आवश्यकता (विशिष्ट खंड सहित विनियमन/ परिपत्र /दिशानिर्देश) | विनियमन/परिपत्र | विचलन | किसके द्वारा कार्रवाई की गयी | कार्रवाई का प्रकार | उल्लंघन का ब्यौरा | दंड की राशि | पेशेवर कंपनी सचिव की द्वारा किए गये अवलोकन / टिप्पणी | प्रबंधन की प्रतिक्रिया | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| समीक्षा के अंतर्गत वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया है. | | | | | | | | | | |

**हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं, कि समीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध संस्था की अनुपालन स्थिति निम्नानुसार है:**

| क्र. सं. | विवरण | अनुपालन की स्थिति (हाँ/नहीं / लागू नहीं) | पीसीएस द्वारा टिप्पणी/कथन |
|---|---|---|---|
| 1 | **सचिवीय मानक:**<br><br>बैंक का अनुपालन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा, 118(10) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों (एसएस) के अनुसार है एवं यह अनिवार्य रूप से लागू है. | लागू नहीं | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित एक संबंधित बैंक है कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं. |
| 2 | **नीतियों को अपनाना एवं यथासमय अद्यतन करना:**<br>• सेबी विनियमों के तहत सभी लागू नीतियों को सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मण्डल के अनुमोदन से अपनाया जाता है.<br>• सभी नीतियां सेबी विनियमों के अनुरूप हैं एवं सेबी द्वारा जारी विनियमों/ परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के अनुसार इनकी समीक्षा की गई है तथा इन्हें यथासमय अद्यतित किया गया है. | हाँ | कोई नहीं |
| 3 | **वेबसाइट पर रखरखाव एवं प्रकटीकरण:**<br>• सूचीबध्द संस्था एक कार्यात्मक वेबसाइट का रखरखाव कर रही है.<br>• वेबसाइट पर एक अलग अनुभाग के तहत दस्तावेजों/ सूचना का यथासमय प्रसार<br>• विनियम 27(2) के तहत वार्षिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदान किए गए वेब-लिंक सटीक एवं विशिष्ट हैं, जो वेबसाइट के प्रासंगिक दस्तावेज (जों)/अनुभाग को पुनः निर्देशित करते हैं. | हाँ | कोई नहीं |
| 4 | **निदेशक की निरर्हता:**<br>कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत बैंक का कोई भी निदेशक निरर्हित नहीं है. | हाँ | कोई नहीं |
| 5 | **सूचीबद्ध संस्थाओं की सहायक कंपनियों की जो जांच की गई है, उसके विवरणों को जांचना:**<br>(ए) सामग्री सहायक कंपनियों की पहचान<br>(बी) महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के साथ-साथ अन्य सहायक कंपनियों की अपेक्षाओं का प्रकटीकरण. | लागू नहीं | (ए) किसी भी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी की पहचान नहीं की गई है.<br><br>(बी) अन्य सहायक कंपनियों के प्रकटीकरण की जांच की गई एवं इन्हें सही पाया गया. |
| 6 | **दस्तावेजों का संरक्षण:**<br><br>सूचीबद्ध संस्था सेबी विनिमयों के तहत निर्धारित अभिलेखों को संरक्षित कर रही है एवं उसका रखरखाव कर रही है एवं सेबी एलओडीआर विनिमय, 2015 के तहत निर्धारित दस्तावेजों के संरक्षण की नीति और अभिलेखीय नीति के अनुसार अभिलेखों का निपटान कर रही है. | हाँ | कोई नहीं |

| क्र. सं. | विवरण | अनुपालन की स्थिति (हाँ/नहीं / लागू नहीं) | पीसीएस द्वारा टिप्पणी/कथन |
|---|---|---|---|
| 7 | **कार्यनिष्पादन मूल्यांकन:**<br>सूचीबद्ध संस्था ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में/ सेबी विनियमों में निर्धारित वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड, स्वतंत्र निदेशकों और समितियों का कार्यनिषादन मूल्यांकन किया है. | हाँ | कोई नहीं |
| 8 | **संबंधित पार्टी लेनदेन:**<br>(ए) सूचीबद्ध संस्था ने सभी संबंधित पार्टी लेनदेन हेतु लेखापरीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की है.<br>(बी) सूचीबद्ध संस्था ने पुष्टि के साथ विस्तृत कारण प्रदान किए हैं कि, यदि कोई पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है तो क्या लेनदेन लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित/ अनुसमर्थित/ अस्वीकृत कर दिया गया है. | हाँ<br>लागू नहीं | इस अवधि के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया है |
| 9 | **घटनाओं या सूचनाओं का प्रकटीकरण:**<br>सूचीबद्ध संस्था ने सेबी एलओडीआर विनिमय, 2015 की अनुसूची III सहित विनियम 30 के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी आवश्यक प्रकटीकरण प्रदान किए गए हैं. | हाँ | कोई नहीं |
| 10 | **भेदिया ट्रेडिंग का निषेध:**<br>सूचीबद्ध संस्था विनियम 3(5) एवं 3(6) सेबी (भेदिया ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुपालन में है. | हाँ | कोई नहीं |
| 11 | **सेबी या स्टॉक एक्स्चेंज द्वारा की गई कार्रवाई, यदि कोई हो:**<br>सेबी विनियमों और इसपर जारी परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के तहत सेबी या स्टॉक एक्स्चेंजों द्वारा (विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से सेबी द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत को शामिल करते हुए) सूचीबद्ध संस्था/ इसके प्रमोटरों/ निदेशकों/ सहायक कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. | लागू नहीं | इस अवधि के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं देखा गया है |
| 12 | **सूचीबद्ध इकाइयों या उसकी महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों से सांविधिक लेखापरीक्षकों का इस्तीफा:**<br>वित्तीय वर्ष के दौरान सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी से सांविधिक लेखापरीक्षक के इस्तीफे के मामले में, सूचीबद्ध इकाई और/या उसकी महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों ने सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन पर मास्टर परिपत्र के अध्याय V के खंड V -डी के पैराग्राफ 6.1 और 6.2 का अनुपालन किया है.* | लागू नहीं | इस समीक्षावधि के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं देखा गया है. |
| 13 | **अतिरिक्त गैर-अनुपालन, यदि कोई हो:**<br>सभी सेबी विनियमन/ परिपत्र/ मार्गदर्शन नोट आदि के लिए कोई अतिरिक्त गैर-अनुपालन नहीं पाया गया है. | लागू नहीं | समीक्षाधीन अवधि के लिए कोई अतिरिक्त गैर-अनुपालन नहीं पाया गया है. |

*बैंक ने 18 अक्तूबर, 2019 को सेबी सं सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/114/2019 में उल्लिखित बिंदु 6(ए) और 6(बी) का अनुपालन किया है और इसने सांविधिक लेखापरीक्षकों को जारी संबंधित नियुक्ति पत्र / पूरक पत्र में सभी नियमों और शर्तों को शामिल किया है.

**धारणा और परिसीमा का दायरा और समीक्षा:**

1. लागू कानूनों का अनुपालन और प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों और सूचना की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना, कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारियाँ हैं.
2. हमारी ज़िम्मेदारी प्रासंगिक दस्तावेज़ों और सूचनाओं की हमारी जाँच के आधार पर प्रमाणित करना है. यह न तो ऑडिट है और न ही राय की अभिव्यक्ति है.
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है.
4. यह रिपोर्ट केवल सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 24ए (2) के अनुसार अनुपालन के उद्देश्य से है और न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है.

**कृते रागिनी चोकसी एवं कंपनी,**
कंपनी सचिव

**रागिनी चोकसी**
(भागीदार)
एम.नं: 2390
सीपी नं: 1436
यूडीआईएन : F002390F000437319
पीयर समीक्षा प्रमाणपत्र सं. -659/2020

दिनांक: 24.05.2024
स्थान: मुंबई

# फॉर्म न. एमआर-3

## सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

**01-04-2023 से 31-03-2024 तक की अवधि के लिए**

प्रति,
सदस्य,
**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** (जिसे यहाँ के बाद से "बैंक" कहा गया है) द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया है. सचिवीय परीक्षण इस प्रकार से किया गया है कि हमें कॉरपोरेट संहिता/ सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमारी राय व्यक्त करने का उचित आधार प्राप्त हो.

सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान, बैंक द्वारा बनाई गई बैंक की पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृतों की पुस्तकों, प्रपत्रों और फ़ाइल किए गए रिटर्न तथा बैंक के अन्य रिकॉर्ड और इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने, 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक के लेखा परीक्षण की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि यहाँ बाद में उचित रूप से, विधिपूर्वक रिपोर्ट करने के लिए बैंक के पास बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं:

निम्न प्रावधानों के अनुसार हमने 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक के लेखा परीक्षण की अवधि के लिए बैंक द्वारा बनाए गए कागजातों, कार्यवृतों की पुस्तकों, प्रपत्रों और फ़ाइल किए गए रिटर्न तथा बैंक के अन्य रिकॉर्ड का परीक्षण किया है:

i. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970;

ii. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रबंधन) योजना, 1970;

iii. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग विनियमन (कंपनी) नियम, 1949 (समय-समय पर यथा संशोधित);

iv. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998;

v. डिपॉजिटरीज़ अधिनियम, 1996 और विनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए उपनियम;

vi. विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं नियम तथा उसके अंतर्गत प्रचलित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधारी नियमन;

vii. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के अंतर्गत निर्धारित निम्नानुसार नियमन एवं दिशानिर्देश:-

ए. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर एवं अधिग्रहणों का भौतिक अधिग्रहण) विनियमन 2011;

बी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार का निषेध) विनियमन, 2015;

सी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2018;

डी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ एवं श्रम-जन्य इक्विटी) विनियमन, 2021; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

ई. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2021;

एफ़. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयर का असूचीयन) विनियमन, 2021; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

जी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाइबैक) विनियमन, 2018; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

एच. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक संरक्षण एवं शैक्षणिक निधि) विनियमन, 2009;

आई. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम एवं शेयर अंतरण एजेंट्स का रजिस्ट्रार) विनियमन, 1993

जे. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरीज़ एवं सहभागी) विनियमन, 2018;

हमने बैंक के अन्य लागू अधिनियमों, क़ानूनों और विनियमों के तहत अनुपालन हेतु बैंक द्वारा बनाई गई प्रणालियों एवं तंत्र के लिए बैंक तथा उसके अधिकारियों द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया है.

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

ए) भारत के कंपनी सचिव के संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक. **(लागू नहीं है क्योंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत शामिल नहीं है)**

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 ["सूचीयन विनियम"]

निम्नानुसार उल्लिखित को छोड़कर, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने सामान्यतया अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक के बोर्ड में धारा 9 (3) (ई) और (एफ़) के तहत बैंक के कर्मकार और गैर-कर्मकार का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई निदेशक नहीं था और ऐसा निदेशक जो बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (जी) के तहत पंद्रह वर्षों से कम अवधि के लिए सनदी लेखाकार रहा हो.

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि –**

बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया जाता है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम, नियम एवं विनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे.

बोर्ड की निर्धारित बैठकों की जानकारी के लिए सभी निदेशकों को उचित सूचना दी गई है, बैठकों के लिए कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे और कार्यसूची की मदों पर बैठक से पहले अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है.

निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं जबकि असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को प्राप्त किया जाता है और कार्यवृत्त के भाग के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है.

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि** लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं.

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि** लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित विशिष्ट घटनाओं या कार्रवाइयों का पालन किया था जो उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में बैंक के मामलों पर प्रभाव डाल सकता है:

1. बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री रजनीश कर्नाटक के कार्यकाल की समाप्ति;
2. बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का डेटामैटिक्स बिजनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड से केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में परिवर्तन;
3. बैंक के निदेशक के रूप में श्री प्रकाश बलियारसिंह का नामांकन;
4. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रु. 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर पर रु. 3 के लाभांश की घोषणा.
5. बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री नितेश रंजन के कार्यकाल को दो साल की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जाना;
6. अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्यम से रु. 76.55 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम पर रु. 10 प्रत्येक के 57,77,00,751 इक्विटी शेयरों का निर्गम और आबंटन;
7. बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री संजय रुद्र की नियुक्ति;
8. रु. 2000 करोड़ के प्रतिभूति-रहित, गौण, कर योग्य, गैर-परिवर्तनीय, स्थायी, पूर्णतः चुकता बासेल III अनुपालक टीयर 2 बॉण्ड का मोचन;
9. अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्यम से रु. 125.65 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम पर रु. 10 प्रत्येक के 22,11,57,390 इक्विटी शेयरों का निर्गम और आबंटन;
10. बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री निधु सक्सेना के कार्यकाल की समाप्ति;
11. बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पंकज द्विवेदी की नियुक्ति;

**कृते रागिनी चोकसी एवं कं.**
**कंपनी सचिव**
**फर्म पंजीकरण संख्या: 92897**

**स्थान: मुंबई**
**दिनांक: 24.05.2024**

**रागिनी चोकसी**
**(भागीदार)**
**एम.सं : 2390**
**सीओपी सं.: 1436**
**यूडीआईएन: F002390F000437363**
**वैध पीयर समीक्षा प्रमाणपत्र सं.-659/2020**

**इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो परिशिष्ट 'ए" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है.**

**परिशिष्ट 'ए'**

प्रति,

सदस्य,

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारे सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए.

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है. हमारा उत्तरदायित्व इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त करना है.

2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की विषयवस्तु के शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की उपयुक्त प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है. परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया कि सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित तथ्य सही हैं. हम विश्वास करते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, हमारी राय प्रकट करने का एक उचित आधार प्रदान करती है.

3. हमने बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता की जांच नहीं की है.

4. जहां कहीं आवश्यक रहा है, विधि, नियमों एवं विनियमनों एवं घटी हुई घटनाओं आदि के अनुपालन बारे में हमने प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है.

5. कॉर्पोरेट के प्रावधानों एवं दूसरे लागू विधि, नियमों एवं विनियमनों मानकों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है. हमारा परीक्षण प्रक्रियाओं का परीक्षण आधार पर सत्यापन करने तक सीमित था.

6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता, जिसके लिए प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है.

**कृते रागिनी चोकसी एवं कं.**
**कंपनी सचिव**
**फर्म पंजीकरण संख्या: 92897**

**स्थान: मुंबई**
**दिनांक: 24.05.2024**

**रागिनी चोकसी**
**(भागीदार)**
**एम.सं : 2390**
**सीओपी सं.: 1436**
**यूडीआईएन: F002390F000437363**
**वैध पीयर समीक्षा प्रमाणपत्र सं.-659/2020**

# निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाणपत्र

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V अनुच्छेद सी खंड (10)(i) के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्यगण,
**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**
यूनियन बैंक भवन,239,
विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट,
मुंबई- 400 021

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V अनुच्छेद सी खंड (10)(i) के अनुसार हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) जिसका केन्द्रीय कार्यालय यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 में अवस्थित है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है, जिसे बैंक द्वारा हमारे समक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था.

हमारी राय एवं हमारी जानकारी के अनुसार और आवश्यक सत्यापन पोर्टल (www.mca.gov.in) पर (निवेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) सहित) और बैंक तथा इसके अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार, एतद्द्वार हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड के निम्नलिखित निदेशकों में से किसी को भी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या अन्य किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बनाए रखने से नहीं रोका गया है या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है.

| क्र.सं. | निदेशक का नाम | डीआईएन | बैंक में नियुक्ति की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1. | श्रीनिवासन वरदराजन | 00033882 | 07-11-2022 |
| 2. | ए. मणिमेखलै | 08411575 | 03-06-2022 |
| 3. | नितेश रंजन | 08101030 | 10-03-2021 |
| 4. | रामसुब्रमणियन एस. | 08747165 | 21-11-2022 |
| 5. | संजय रुद्र | 09650826 | 09-10-2023 |
| 6. | पंकज द्विवेदी | 99999997 | 27-03-2024 |
| 7. | समीर शुक्ला | 06435463 | 08-11-2021 |
| 8. | प्रकाश बलियारसिंह | 99999998 | 14-07-2023 |
| 9. | सूरज श्रीवास्तव | 09444372 | 21-12-2021 |
| 10. | लक्ष्मण एस उप्पर | 02453845 | 21-03-2022 |
| 11. | जयदेव मदुगुला | 03574167 | 28-06-2018 |
| 12. | प्रीति जय राव | 03352049 | 29-07-2021 |

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता को सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है. हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करें.

यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है.

**कृते रागिनी चोकसी एवं कं.**
**कंपनी सचिव**
**फर्म पंजीकरण संख्या: 92897**

**स्थान: मुंबई**
**दिनांक: 24.05.2024**

**रागिनी चोकसी**
**(भागीदार)**
**एम.सं : 2390**
**सीओपी सं.: 1436**
**यूडीआईएन: F002390F0004373440**
**वैध पीयर समीक्षा प्रमाणपत्र सं.-659/2020**

## सीसीईओ और सीएफओ का प्रमाणपत्र

प्रति,
निदेशक मंडल,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
मुंबई.

### सेबी के विनियमन 17(8) (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015, यथासंशोधित के तहत

यह प्रमाणित किया जात है कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार,

ए. हमने वर्ष के वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

(1) इन विवरणों में कोई गलत बयानी या कोई भूल-चूक या ऐसा कोई विवरण नहीं है; जिससे भ्रामक स्थिति पैदा हो;

(2) ये सभी विवरण सूचीबद्ध इकाई के कार्यों की एक वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और इसमें मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू क़ानून एवं विनियमों का अनुपालन किया गया है.

बी. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सूचीबद्ध इकाई द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे किसी लेन-देन की प्रविष्टि नहीं की गई है, जो धोखाधड़ीपूर्ण या गैर-कानूनी हो या जिससे सूचीबद्ध इकाई की आचार संहिता का उल्लंघन होता हो.

सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसके अनुपालन का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी सूचीबद्ध इकाई की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रामाणिकता का मूल्यांकन किया है तथा लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण को तैयार करने अथवा उसे व्यवहार में लाने में आने वाली हमें ज्ञात कमियाँ, जो कोई हों और उन कमियों को सुधारने के लिए किए गए या प्रस्तावित उपायों की जानकारी दी है.

डी. हमने लेखापरीक्षकों एवं बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है.

(1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में हुए मुख्य परिवर्तन;

(2) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए व्यापक परिवर्तन जिनका वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उल्लेख किया गया है; और

(3) हमें ज्ञात हुए धोखाधड़ी के प्रमुख मामले, यदि कोई है, जिनमें प्रबंधन या ऐसा कोई कर्मचारी संलिप्त है; जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग की बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

**(अविनाश प्रभु)**
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

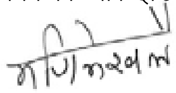

**(ए. मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10.05.2024

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

**प्रति**
**भारत के राष्ट्रपति /**
**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य**
**मुंबई**

**स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट**

## अभिमत

1. हमने **यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया ("बैंक")** के साथ दिये जा रहे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें शामिल हैं, 31 मार्च, 2024 का तुलन पत्र एवं समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि खाता और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना जिसमें वर्ष के परिणाम शामिल हैं के सार सहित नकदी प्रवाह विवरण एवं स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट्स

   i) हमने प्रधान कार्यालय, 20 शाखाओं और एक ट्रेज़री शाखा की लेखा परीक्षा की है;

   ii) 2632 शाखाओं की लेखा परीक्षा सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों ने की है और

   iii) 2 विदेशी शाखाओं की लेखा परीक्षा स्थानीय लेखा परीक्षकों ने की है.

   हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाएँ एवं अन्य लेखापरीक्षक के लिए शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) के दिशानिर्देशों के अनुसार किया है. लाभ हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण उन 6355 शाखाओं (अन्य लेखा इकाइयों सहित) के रिटर्न हैं जो लेखा-परीक्षा के अधीन नहीं थीं, को भी तुलन पत्र में शामिल किया गया है. लेखा परीक्षा न की गई इन शाखाओं में अग्रिमों का 27.78 प्रतिशत, जमा का 42.53 प्रतिशत, ब्याज आय का 19.94 प्रतिशत और ब्याज व्यय का 36.17 प्रतिशत हिस्सा है.

   हमारे मत में तथा हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949, आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र एवं दिशानिर्देशों द्वारा बैंक के लिये अपेक्षित एवं भारत में मान्य सामान्य तौर पर लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं एवं प्रस्तुत है और:

ए. तुलन पत्र, जिसे उस पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, 31 मार्च, 2024 को बैंक के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदर्शित करने के लिए उचित रूप से तैयार किया गया है;

बी. लाभ और हानि खाता, उस पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का सही अधिशेष दर्शाता है; तथा

सी. नकद प्रवाह विवरण उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करता है.

## अभिमत का आधार

2. हमने अपना लेखा परीक्षण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया है. उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खंड के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित है. हम आईसीएआई की आचार संहिता एवं आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक शामिल हैं एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ("भारिबैं") द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को इन आवश्कताओं एवं आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा अभिमत का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

## मुख्य लेखा परीक्षा मामले

3. मुख्य लेखा परीक्षा मामले वो मामले हैं जो, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में, हमारे पेशेवर निर्णयों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं. ये मामले पूरे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में देखे गए, और इस पर अपना अभिमत बनाने में, हम इन मामलों पर कोई अलग अभिमत नहीं देते हैं. हम इस बात पर दृढ़ हैं कि निम्नलिखित निर्धारित मामले हमारी रिपोर्ट में बताने के लिये मुख्य लेखा परीक्षा मामले हैं.

| क्र. | मुख्य लेखा परीक्षा मामले | हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया |
|---|---|---|
| 1 | **विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण (आईआरएससी) तथा प्रावधानीकरण** | |
| | 31 मार्च, 2024 को ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश कुल आस्तियों का 86.83% था, जो आस्तियों का एक बड़ा वर्ग है. उक्त पर वर्गीकरण, आय निर्धारण तथा हानि प्रावधान नियामकों (भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड एवं अन्य दिशानिर्देश) द्वारा निर्धारित वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर आधारित हैं. बैंक का प्रबंधन आस्ति वर्गीकरण निर्धारण, आय निर्धारण तथा हानि के लिए प्रावधानों हेतु आईटी प्रणालियों (कोर बैंकिंग सोल्यूशन सहित), महत्वपूर्ण अनुमानित एवं निर्णय कार्यप्रणाली, मैन्युअल हस्तक्षेप तथा विशेषज्ञों (जैसे स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ एवं अन्य पेशेवर) की सेवाओं के उपयोग पर अधिक निर्भर करता है.<br><br>बैंक में आईआरएसी मानकों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की सिस्टम आधारित पहचान होती है. चूंकि गैर-निष्पादित अग्रिमों की पहचान और गैर-निष्पादित अग्रिमों के लिए प्रावधान हेतु प्रबंधन आकलन के विचारणीय स्तर, विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं के आवेदन और समग्र लेखापरीक्षा के लिए महत्व की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने इसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है. | हमारा लेखा परीक्षण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा शेष राशि से संबंधित दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों पर केंद्रित था. हमारी लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं में आईआरएसी के अनुपालन तथा प्रावधानों के मानदंडों एवं इसकी संचालित प्रभावकारिता के लिए सीबीएस तथा अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में प्रयुक्त तर्क एवं मान्यताओं की समीक्षा एवं अनुमोदन पर नियंत्रण का आकलन, ऋणों का संवितरण एवं निगरानी शामिल हैं.<br><br>इनमें निम्नलिखित का मूल्यांकन और समझ शामिल हैं:<br>• आय निर्धारण, आस्ति का वर्गीकरण और अग्रिम/निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली;<br>• गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए/एनपीआई) के समयानुसार निर्धारण पर प्रणाली नियंत्रण एवं मैन्युअल नियंत्रण;<br>• आईटी प्रणालियों से प्रावधान गणना मॉडलों पर नियंत्रण का परिचालन अस्तित्व एवं प्रभावशीलता;<br>• अग्रिमों के मामले में ऋण अनुमोदन, संवितरण तथा निगरानी प्रक्रिया पर समग्र नियंत्रण और निवेश के मामले में खरीददारी, बिक्री तथा निर्णय प्रणाली पर नियंत्रण रखा है.<br><br>• हमने ऋण और निवेशों (हमारे द्वारा शाखा निरीक्षण के मामलों में) के नमूनों का परीक्षण किया कि उन्होंने गैर-आस्तियों में आईआरएसी के मानदंडों के अनुसार समयानुसार पहचान, आय निर्धारण तथा प्रावधान किया है.<br>• हमने परीक्षण अंतराल के आधार पर, जहाँ कहीं भी हमारे संज्ञान में आया है, हमने विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और मध्यक्षेप की सटीकता की समीक्षा की है.<br>• हमारे द्वारा शाखाओं का निरीक्षण नहीं किए जाने के मामलों में अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) द्वारा की गई रिपोर्ट/रिटर्न, जो एसए 600 के अनुसार समग्र अनुपालन के संबंध में समग्र सुविधा के लिए दूसरे लेखा परीक्षकों द्वारा दी गयी हैं, पर विश्वास किया है.<br>• हमने अन्य विशेषज्ञों जैसे स्वतंत्र मूल्यांककों, वकीलों, कानूनी विशेषज्ञों और ऐसे अन्य पेशेवरों जो बैंक के लिए सेवा प्रदान करते हैं, उनके कार्यों की भी समीक्षा की है.<br>• इसके अतिरिक्त, हमने संभावित कमजोर और संवेदनशील खातों, जो दबावग्रस्त का संकेत देते हैं, वाले बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की है. |

| क्र. | मुख्य लेखा परीक्षा मामले | हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया |
|---|---|---|
| | | • परीक्षा जांच के आधार पर, बड़े ऋणों पर आरबीआइ के सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन (`सीआरआईएलसी') में बैंक द्वारा विशेष उल्लेख खातों (`एसएमए') के रूप में वर्गीकृत खातों का सत्यापन किया.<br>• हमने बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षण/ निरीक्षण रिपोर्ट और समवर्ती लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों तथा बाह्य विशेषज्ञ द्वारा आईआरएसी के स्वचालन की लेखापरीक्षा पर रिपोर्टों एवं अवलोकनों की भी समीक्षा की है.<br>• अंक संबंधी सटीकता, डाटा सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित हमारे मुख्य परीक्षण को लेकर मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधान एवं निवेश की आय की पहचान का सत्यापन.<br>हमने एनपीए की प्रणाली आधारित पहचान की प्रभावकारिता का आकलन और परीक्षण किया है. |
| 2 | **वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं नियंत्रण** | |
| | वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियाँ बैंक की परिचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) और स्वचालित प्रक्रियाओं वाले अन्य एकीकृत सॉफ़्टवेयर के माध्यम से परिचालित आईटी प्रणालियों पर निर्भर हैं और वृहद मात्रा में लेनदेन को नियंत्रित करती हैं. प्रक्रिया और नियंत्रण उचित उपयोगकर्ता पहुँच एवं उपयोग में प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए हैं. बैंक के पास सूचना और प्रौद्योगिकी (डीआईटी) का एक आंतरिक विभाग है जो आईटी सेवाओं को बनाए रखने के लिए शीर्ष प्रबंधन की देखरेख और विशेषज्ञ परामर्श एजेंसियों के समर्थन के साथ संचालित किया जाता है. तदनुसार, हमारा लेखा परीक्षा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर व्यापक प्रभाव के कारण प्रमुख आईटी प्रणालियों एवं नियंत्रणों पर केंद्रित था और इसे हमारे लेखा परीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामले के रूप में माना गया है. | हमने मूल्यांकन किया और उन प्रमुख आईटी अनुप्रयोगों, डेटाबेस और परिचालन प्रणाली की पहचान की जो हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने सीबीएस एवं ट्रेजरी सिस्टम को मुख्य रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक के रूप में पहचान की है. सीबीएस एवं ट्रेजरी परिचालन से संबंधित प्रमुख आईटी प्रणाली जिनका उपयोग लेखांकन और वित्तीय जानकारी तैयार करने के लिए किया जाता है, हमारे लेखा परीक्षा हेतु केंद्रित क्षेत्रों में एक्सेस सिक्योरिटी (विशेषाधिकार प्राप्त एक्सेस पर नियंत्रण सहित), एप्लिकेशन परिवर्तन नियंत्रण, डेटाबेस प्रबंधन और नेटवर्क परिचालन शामिल थे. विशेषतः<br>• हमने बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश और लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रमुख परिवर्तनों की समझ हासिल की है, जो लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं.<br>• हमने उन प्रमुख आईटी प्रणाली पर बैंक के सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं, साथ ही स्वतंत्र विशेषज्ञों से रिपोर्ट प्राप्त की गई. इसमें कर्तव्यों के पृथक्करण का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के नियंत्रणों का मूल्यांकन एवं विधिवत अनुमोदित अनुरोधों के आधार पर प्रावधान किए गए / संशोधित किए जा रहे एक्सेस अधिकार, समयबद्ध तरीके से निकास मामलों के लिए एक्सेस को रद्द करना शामिल था.<br>• हमने लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट के लिए प्रमुख स्वचालित एवं मैन्युअल कारोबार चक्र नियंत्रण और तर्क का भी परीक्षण किया; इसमें क्षतिपूरक नियंत्रणों का परीक्षण या वैकल्पिक प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या कोई अनसुलझा आईटी जोखिम है जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को भौतिक रूप से प्रभावित करेगा. |

| क्र. | मुख्य लेखा परीक्षा मामले | हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया |
|---|---|---|
| 3 | **आस्तिगत करों की पहचान करना एवं मापना** | |
| | बैंक ने 31 मार्च, 2024 को ₹ 3,71,39,447 (`000 में) शुद्ध आस्तिगत कर आस्तियों की पहचान की है. मापन संबंधी उद्देश्यों के अलावा, आस्तिगत कर आस्तियों की पहचान एवं माप करना, भविष्य में होने वाले लाभों की दृश्यता एवं उपलब्धता से संबंधित अनेक अनुमानों एवं निर्णयों पर आधारित है. हाल ही में आस्थगित कर आस्तियों की मात्रा में वृद्धि, पहचान किए गए अनुमानों की उपलब्धता एवं एक विस्तारित समयावधि में लाभ का पूर्वानुमान, इस प्रकार से अनिश्चितता में वृद्धि एवं उक्त आस्ति में अंतर्निहित जोखिम व इसकी अनुचित पहचान. | हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में लागू कर कानूनों एवं बैंक पर लागू प्रासंगिक विनियमनों के मध्य तालमेल प्राप्त करने के लिए जोखिम मूल्यांकन शामिल है. हमारे समझौते के आधार पर, हमने कर विशेषज्ञों की सहायता से संबंधित आंतरिक महत्वपूर्ण नियंत्रण एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दोनों टेस्टों का कार्य निष्पादन किया है. हमारे कंट्रोल टेस्टिंग के साथ हमने निम्न लेखापरीक्षा प्रक्रिया के रूप में कार्यनिष्पादन किया है, लेकिन यह सीमित नहीं है:<br>• आय पर करों के लिए लेखांकन एएस 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता और मापन के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों का मूल्यांकन;<br>• एकरूपता, स्थिरता एवं निरंतरता, बजट और मिडटर्म जैसे अनुमान, प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए तरीके, धारणा और अन्य मापदंडों का आकलन किया, जिसमें प्रबंधन द्वारा विकास और कर की दरों को लागू किया और अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया<br>• लाभ की दृश्यता एवं उपलब्धता की संभाव्यता का आकलन किया गया, जिससे भविष्य में ऐसा आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग करने में बैंक सक्षम होगा. |
| 4 | **प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और दावे** | |
| | अन्य पक्षों द्वारा दायर विभिन्न दावों पर कतिपय मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयता का आकलन, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (अनुसूची 17 के नोट सं. 18 और अनुसूची 18 के नोट सं. 14 ई). प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है. बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, विगत अनुभव और जहाँ भी आवश्यक माना जाता है, कानूनी और स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह द्वारा समर्थित है. तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ एवं तुलन पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं. आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है, जिसका परिणाम एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है. प्रबंधन के निर्णय में, बैंक के खिलाफ कर मांगों सहित ऐसे दावे एवं मुकदमेबाजी अंततः देयता का कारण नहीं बनेंगे. तथापि, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं जो इस स्तर पर अनिश्चित है. इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय की प्रयुक्ति आवश्यक है, इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है. | हमने लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त की है ताकि हम अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन कर सकें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों. हमने मोटे तौर पर प्रावधान के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित धारणाओं और अनुमानों की समीक्षा की, लेकिन चूंकि प्रभाव का परिणाम भविष्य के विवरण पर निर्भर है जो अत्यधिक अनिश्चित हैं, इसलिए हमने मुख्य रूप से उन धारणाओं और अनुमानों पर भरोसा किया, जो बैंक द्वारा आवधिक समीक्षा के विषय हैं. हमने दावों एवं कर मुकदमों के संबंध में बैंक द्वारा प्राप्त प्रबंधन नोट तथा कानूनी राय पर भरोसा किया है और ऐसे मुकदमों एवं दावों की प्रकृति, उनकी वर्तमान स्थिति, संवहनीयता, विभिन्न कर अधिकारियों/न्यायिक मंचों से प्राप्त हाल के आदेशों और/या संचार की जांच करने और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने एवं दावों/मुकदमों के अंतिम समाधान पर अंततः देयता में तब्दील होने की संभावना, उपलब्ध रिकॉर्ड और आज तक के घटनाक्रमों के आधार पर समीक्षा हेतु हमारी आंतरिक टीम को शामिल किया है. |

## स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों और उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की अतिरिक्त सूचनाएं

4. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है. अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट के अंदर परिशिष्टों सहित निदेशकों की रिपोर्ट शामिल हैं, परंतु स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण एवं उसके उपर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं, जो हमें इन लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है.

   स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना एवं बासेल III प्रकटीकरण के अंतर्गत पीलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करता एवं हम उस पर किसी तरह का स्पष्ट आश्वासन नहीं देते हैं.

   स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी केवल चिन्हित अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है एवं ऐसा करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या सूचना स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ तात्विक रूप से विरोधाभासी है या लेखापरीक्षा में जानकारी ली गई है, या तात्विक रूप से मेल नहीं होता है.

   जब हम वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ते हैं और यदि हम निष्कर्ष निकालें कि इसमें कुछ तथ्य गलत हैं तो हमें गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी को सूचित करना आवश्यक है और प्रासंगिक कानूनों और विनियमनों के तहत लागू उचित कार्रवाई करेंगे.

## स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और इसके प्रभारियों की जिम्मेदारियाँ

5. बैंक का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारियों में बैंक के सही एवं निष्पक्ष वित्तीय स्थिति एवं नकद प्रवाह देने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार किये जाने वाले लेखा नियमों, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानदंड एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 29 के प्रावधान एवं समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र एवं दिशानिर्देश के अनुरूप हों. इस जिम्मेदारी में बैंकों की आस्तियों के सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को पहचानने एवं उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग ऐसे निर्णय एवं आकलन करना जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं एवं संरचना, उपयुक्त आतंरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रबंधन एवं कार्यान्वयन जो लेखांकन रिकॉर्डों की पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के संबंध में जो सत्य एवं सही विचार देते हैं तथा तात्विक गलत बयानी चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो, से मुक्त हैं.

   स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन बैंक की कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू है, कार्यशील संस्था से संबंधित मामले एवं कार्यशील संस्था के लेखांकन आधार का प्रयोग करना जब तक प्रबंधन या तो बैंक का परिसमापन नहीं करता या परिचालन बंद नहीं करता, या उसके पास इसके अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प न हो.

   निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी होगा.

## स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

6. हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समूचे तौर पर चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से तात्विक गलतबयानी से मुक्त है, एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हमारा मत शामिल करना है. तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, पर कोई गारंटी नहीं है कि मानकीकृत मानदंड के अनुसार संचालित की गयी लेखापरीक्षा हमेशा तात्विक गलत बयानी को पकड़ लेगी. गलतबयानी धोखाधडी या त्रुटि की वजह से उत्पन्न हो सकती है एवं उसे तात्विक माना जाता है यदि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, वो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोगकर्ताओं के विवेकपूर्ण आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सके.

   मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं. हम साथ ही:

   - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की तात्विक गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते एवं मूल्यांकन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो, संरचना एवं उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निषादन एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना एवं जो हमारे मत का आधार देने के लिए उपयुक्त है. धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलतबयानी को न पहचानने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न धोखाधड़ी को न पहचान पाने से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली-भगत, जालसाज, साभिप्राय चूक, गलतबयानी या आतंरिक नियंत्रण का निरस्तीकरण शामिल हो सकता है.

   - लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करें जो सभी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हो.

   - प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन.

   - लेखांकन की कार्यशील संस्था आधारित प्रयोग के विनियोजन पर हुए और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित ठोस अनिश्चितता नजर आती है जो बैंक को कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करते रहने के लिए बैंक की सामर्थ्य पर संदेह बना सकती है. अगर हम यह निष्कर्ष निकालें कि ठोस अनिश्चितता नज़र आती है तो स्टैंडअलोन वितीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण संबंधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या, हमारे मत का आशोधन करने के लिए इस तरह

के प्रकटीकरण अनुपयुक्त हैं. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा सबूतों पर आधारित हैं जो लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हैं. हालाँकि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियां बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने को रोक सकती हैं.

- प्रकटीकरण सहित, संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन एवं क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्हित लेनदेनों एवं घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि उसे उचित प्रदर्शन माना जाए.

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित किए जा सकते हैं. हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं.

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, ऐसे मामलों में भी उनसे सम्प्रेषण करते हैं जो गवर्नेंस से प्रभारित हैं, नियोजित कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा का समय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, आतंरिक नियंत्रण में अन्य महत्वपूर्ण कमियों, जिन्हें हम लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं.

हम गवर्नेंस के प्रभारी को भी वचन देते हैं कि हमने वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में स्वतंत्र रूप से प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं की अनुपालना और अन्य ऐसे मामलों में सुरक्षा से संबन्धित उचित विवरण भी प्रदान करते हैं, जो हमें उचित प्रतीत होते हैं.

चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, गवर्नेंस के प्रभारी को संप्रेषित मामलों में से हम केवल उन्हीं मामलों को रिपोर्ट करते हैं, जो अधिक महत्वपूर्ण हों, इसलिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ये विशेष हैं. हम इन मामलों को अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्णन करते हैं, जब तक कानून या विनियमन द्वारा मामले के बारे में लोकप्रकटीकरण पर रोक न लगा दी जाए या अत्यधिक दुर्लभ मामलों में हम यह तय करते हैं कि ऐसा मामला हमारे रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिए जिससे कि ऐसे प्रतिकूल संप्रेषण से खातों से अपेक्षित जनहित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने के प्रतिकूल हों.

## अन्य मामले

7. हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 2634 घरेलू शाखाओं और प्रोसेसिंग केंद्रों सहित 2 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनका वित्तीय विवरण यह बताता है कि कुल आस्तियां 31 मार्च, 2024 को ₹ 2,56,81,48,175.35 (हजार में) है एवं उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 28,48,17,374.55 (हजार में) है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में लिया गया है. दिनांक 31 मार्च, 2024 को ये शाखाएं और कार्यालय 32.83% अग्रिम, 55.99% जमाओं, 49.76% गैर निष्पादक आस्तियों को कवर करती हैं और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के राजस्व में इन शाखाओं का योगदान 24.58% है. इन शाखाएं वित्तीय विवरण शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित हैं और जिनकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गयी है, एवं हमारे विचार में जहाँ तक इसका संबंध राशियों एवं प्रकटीकरण से है जिन्हें शाखाओं के संबंध में जोड़े गए हैं, पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

## हमारी राय में इन मामलों में कोई आशोधन नहीं है.

8. इस विवरण में शामिल 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का बैंक के छह संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी, जिनमें से पांच पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म थे, और उन्होंने 06 मई, 2023 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों पर एक अपरिवर्तित मत व्यक्त किए थे.

हमारी राय में इन मामलों में कोई आशोधन नहीं है.

## अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं;

उपर्युक्त अनुच्छेद 5, 6 एवं 7 में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनीज़ (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/1980, तथा उनमें अपेक्षित प्रकटनों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं:

ए) हमारे द्वारा अपेक्षित जानकारियाँ और स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

बी) हमारे विचार से, हमारी जानकारी में आये बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकार में किये गए हैं; तथा

सी) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं.

10. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में संवैधानिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से संवैधानिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के लिए रिपोर्टिंग प्रतिबद्धता" के संबंध में पत्र क्र. डीओएस.एआरजी.क्र.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 में अपेक्षित तथा जिसे उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 19 मई, 2020 को जारी सम्प्रेषण के साथ पढ़ा जाए, के

अनुसार उक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट विशेष मामलों के संबंध में हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

(ए) हमारे मत में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बनाने में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है, बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों में कोई भिन्नता हो.

(बी) हमारे मत में, ऐसे वित्तीय संव्यवहारों या मामले, जिनका विपरीत प्रभाव बैंक की कार्यप्रणाली पर पड़ता हो, के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं है.

(सी) चूंकि बैंक कंपनीज़ अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, कंपनीज़ अधिनियम 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) में बैंक का निदेशक होने का प्रतिबंध बैंक पर लागू नहीं है.

(डी) खातों के रख-रखाव तथा इनसे संबन्धित मामलों में, हमारी कोई विशेष या विपरीत टिप्पणी नहीं है.

(ई ) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक ए में दिए गए हैं. दि. 31 मार्च, 2024 को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी परिचालन के संबंध में हमारे रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं है.

11. इनके अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमारे मत में, बैंक के द्वारा विधिक अपेक्षाओं के अनुरूप विधिवत लेखे रखे गए हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक बहियाँ और विवरण उन शाखाओं से प्राप्त किए गए हैं, जहां का दौरा हमने नहीं किया है;

बी) इस रिपोर्ट में प्रदर्शित तुलनपत्र, लाभ-हानि खाता और नकद प्रवाह विवरण बैंक के खातों से मेल खाते हैं और संबन्धित विवरण उन शाखाओं से प्राप्त किए गए हैं, जहां का दौरा हमने नहीं किया है;

सी) बैंककारी नियामक अधिनियम 1949 की धारा 29 के अधीन बैंक की शाखाओं के लेखापरीक्षकों द्वारा खातों से संबन्धित रिपोर्ट हमें भेजी गई हैं तथा यह रिपोर्ट उन्हीं के आधार पर तैयार की गई है; और

डी) हमारे मत में, तुलन पत्र, लाभ हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखा मानकों के अनुरूप है, और वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों की सीमा से असंगत नहीं हैं.

**कृते एन बी एस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W

**सीए शरत शेट्टी**
भागीदार
सदस्य सं. 132775
यूडीआईएन: 24132775BKCYER6195

**कृते छाजेड & डोसी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 101794W

**सीए नितेश जैन**
भागीदार
सदस्य सं. 136169
यूडीआईएन: 24136169BKEKKY2518

**कृते जी एस माथुर & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 008744N

**सीए राजीव कुमार वाधवन**
भागीदार
सदस्य सं. 091007
यूडीआईएन: 24091007BKCFCS9770

**कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 000580S/S200066

**सीए पी. चंद्रशेखर**
भागीदार
सदस्य सं. 026037
यूडीआईएन: 24026037BKARCN8331

**कृते वी के लाधा & एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002301C

**सीए वी के लाधा**
भागीदार
सदस्य सं. 071501
यूडीआईएन: 24071501BKFQHE9257

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10-05-2024

## अनुलग्नक "ए"–स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

**(नियत तारीख को हमारे रिपोर्ट के 'अन्य विधि विषयक और नियामक अपेक्षाओं' पर रिपोर्ट के अनुभाग के तहत अनुच्छेद 10(ई) के संदर्भ में) भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") के पत्र क्र.डीओएस.एआरजी.क्र.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 को जारी सम्प्रेषण (यथा संशोधित) ("आरबीआई संसूचना") की अपेक्षाओं के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट.**

हमने दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें बैंक की इस तारीख के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी हमारी लेखापरीक्षा शामिल है.

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर जारी ("मार्गदर्शी नोट") में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तथ्यों पर विचार करते हुए, बैंक प्रबंधन का यह उत्तरदायित्व है कि वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित करें और उन्हें बनाएं रखें. इन उत्तरदायित्वों में, पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण मानदंड बनाना, लागू करना और उन्हें संचालित करना शामिल है, जिससे इसके कारोबार विधिवत और प्रभावी संचालित हो सके और बैंक की नीतियों का अनुपालन हो सके, इसकी आस्तियों को सुरक्षित रखा जा सके, धोखाधड़ी और त्रुटियों की पहचान और इनकी रोकथाम की जा सके, लेखांकन रिकार्ड में सटीकता और पूर्णता हो और समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचनाएँ तैयार की जा सके, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और दिशानिर्देशों में अपेक्षित हैं.

### लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत प्रकट करना हमारा उत्तरदायित्व है. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर ("मार्गदर्शी नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों (एसए) को ध्यान में रखकर हमने अपनी लेखापरीक्षा की, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक है. उन मानकों और मार्गदर्शी नोट के अनुसार हमें नैतिक अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनानी चाहिए और उसे निष्पादित करना चाहिए कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गये और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हो रहे हैं या नहीं.

हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनके प्रभावी परिचालन के साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जांच और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है. चयनित प्रकियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में भौतिक विसंगतियों के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, जो धोखाधड़ी या त्रुटि से हुए हो सकते हैं.

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं.

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बैंक में एक प्रक्रिया है, जिसमें सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के तहत बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग और वित्तीय विवरणों की विश्वस्नीयता के संबंध में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करना शामिल है. बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्न नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है (1) बैंक की आस्तियों से संबंधित संव्यवहारों का विस्तृत रूप से सटीक और उचित रिकाड्र्स के रख-रखाव करना; (2) सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उचित आश्वासन कि वित्तीय विवरणों को बनाने के लिए आवश्यक संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है तथा प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप बैंक प्राप्तियाँ और व्यय किए गए हैं; तथा (3) अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग अथवा प्रवृत्ति को समय रहते रोकना और वित्तीय विवरणों को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाली बैंक की आस्तियों का पता लगाना.

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाओं, मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन नियंत्रण की अवहेलना, त्रुटियों के कारण तथ्य दोष या धोखाधड़ी की संभावना हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता

है. इसके साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पूर्वानुमान परिस्थितियों में परिवर्तन की वजह से भविष्य के जोखिमों के लिए अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में गिरावट हो सकती है.

## अभिमत

हमारे मत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा अन्य मामलों के तहत निम्न अनुच्छेदों में शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदत्त रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मानदंडों पर आधारित थे.

## अन्य मामले

हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट का, जहां तक 2632 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी परिचालन प्रभावशीलता से संबंध है वह उन शाखाओं से संबंधित शाखा लेखापरीक्षकों की संगत रिपोर्टों पर आधारित है.

हमारी राय में इन मामलों में कोई आशोधन नहीं है.

**कृते एन बी एस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W

**सीए शरत शेट्टी**
भागीदार
सदस्य सं. 132775
यूडीआईएनः 24132775BKCYER6195

**कृते छाजेड & डोसी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 101794W

**सीए नितेश जैन**
भागीदार
सदस्य सं. 136169
यूडीआईएनः 24136169BKEKKY2518

**कृते जी एस माथुर & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 008744N

**सीए राजीव कुमार वाधवन**
भागीदार
सदस्य सं. 091007
यूडीआईएनः 24091007BKCFCS9770

**कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 000580ए/ए200066

**सीए पी. चंद्रशेखर**
भागीदार
सदस्य सं. 026037
यूडीआईएनः 24026037BKARCN8331

**कृते वी के लाधा & एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002301C

**सीए वी के लाधा**
भागीदार
सदस्य सं. 071501
यूडीआईएनः 24071501BKFQHE9257

स्थानः मुंबई
दिनांकः 10-05-2024

# स्टैंडअलोन तुलन पत्र यथा
31 मार्च, 2024

(₹ 000’ में)

| विवरण | अनुसूची क्रमांक | यथा 31 मार्च, 2024 | यथा 31 मार्च, 2023 |
|---|---|---|---|
| **पूंजी एवं देयताएं** | | | |
| पूंजी | 1 | 7,63,36,056 | 6,83,47,475 |
| आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष | 2 | 89,33,53,596 | 71,49,94,658 |
| जमाराशियाँ | 3 | 12,21,52,83,740 | 11,17,71,63,220 |
| उधार | 4 | 26,94,83,682 | 43,13,74,686 |
| अन्य देयताएं एवं प्रावधान | 5 | 46,51,19,095 | 41,56,44,474 |
| **कुल** | | **13,91,95,76,169** | **12,80,75,24,513** |
| **आस्तियां** | | | |
| नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष | 6 | 52,89,75,024 | 50,25,42,741 |
| बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | 7 | 66,40,53,736 | 61,89,61,793 |
| निवेश | 8 | 3,37,90,35,284 | 3,39,29,90,482 |
| अग्रिम | 9 | 8,70,77,60,894 | 7,61,84,54,577 |
| अचल आस्तियां | 10 | 9,22,27,802 | 8,82,56,071 |
| अन्य आस्तियां | 11 | 54,75,23,429 | 58,63,18,849 |
| **कुल** | | **13,91,95,76,169** | **12,80,75,24,513** |
| आकस्मिक देयताएं | 12 | 5,82,68,10,284 | 6,07,80,94,194 |
| संग्रहण के लिए बिल | | 50,25,28,601 | 43,56,67,177 |
| प्रमुख लेखा नीतियाँ | 17 | | |
| लेखा से संबंधित नोट | 18 | | |

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं.

**(अजय वंसल)**
उप महाप्रबंधक

**(अविनाश प्रभु)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

**(पंकज द्विवेदी)**
कार्यपालक निदेशक

**(संजय रुद्र)**
कार्यपालक निदेशक

**(रामसुब्रमणियन एस)**
कार्यपालक निदेशक

**(नितेश रंजन)**
कार्यपालक निदेशक

**(समीर शुक्ला)**
निदेशक

**(प्रकाश वलियारसिंह)**
निदेशक

**(सूरज श्रीवास्तव)**
निदेशक

**(लक्ष्मण एस उप्पर)**
निदेशक

**(जयदेव मदुगुला)**
निदेशक

**(प्रीति जय राव)**
निदेशक

**(ए. मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

**कृते मेसर्स एन बी एस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W

**सीए शरत शेट्टी**
भागीदार
सदस्य सं. 132775
यूडीआईएन: 24132775BKCYER6195

**कृते छाजेड & डोसी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन101794W

**सीए नितेश जैन**
भागीदार
सदस्य सं. 136169
यूडीआईएन: 24136169BKEKKY2518

**कृते जी एस माथुर & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 008744N

**सीए राजीव कुमार वाधवन**
भागीदार
सदस्य सं. 091007
यूडीआईएन: 24091007BKCFCS9770

**कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 000580S/S200066

**कृते पी. चंद्रशेखर**
भागीदार
सदस्य सं. 026037
यूडीआईएन: 24026037BKARCN8331

**कृते वी के लाधा & एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002301C

**कृते विरेंद्र कुमार लाधा**
भागीदार
सदस्य सं. 071501
यूडीआईएन: 24071501BKFQHE9257

स्थान: मुंबई
दिनांक 10 मई, 2024

# स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाता

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ 000' में)

| विवरण | | अनुसूची क्रमांक | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|---|
| I. | **आय** | | | |
| | अर्जित ब्याज | 13 | 99,77,79,577 | 80,74,33,386 |
| | अन्य आय | 14 | 16,08,01,941 | 14,63,31,530 |
| | **कुल** | | **1,15,85,81,518** | **95,37,64,916** |
| II. | **व्यय** | | | |
| | व्यय किया गया ब्याज | 15 | 63,20,75,611 | 47,97,79,957 |
| | परिचालन व्यय | 16 | 24,43,99,598 | 21,93,13,319 |
| | प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय | | 14,56,23,243 | 17,03,38,863 |
| | **कुल** | | **1,02,20,98,452** | **86,94,32,139** |
| III. | **वर्ष का लाभ/(हानि)** | | 13,64,83,066 | 8,43,32,777 |
| | निवेश आरक्षित खाता से अंतरण | | - | 58,32,008 |
| | जोड़ें : आगे लाया गया लाभ/(हानि) | | 58,32,008 | - |
| | **कुल** | | **14,23,15,074** | **9,01,64,785** |
| IV. | **विनियोजन** | | | |
| | सांविधिक आरक्षित में अंतरण | | 3,41,20,766 | 2,10,83,194 |
| | पूंजी आरक्षित में अंतरण | | 16,32,611 | 9,45,461 |
| | निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित में अंतरित | | 2,84,440 | - |
| | राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण | | 6,47,57,402 | 3,40,30,807 |
| | धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित में अंतरण | | 66,79,000 | 60,00,000 |
| | निवेश आरक्षित खाता | | 15,27,866 | 17,69,006 |
| | प्रस्तावित लाभांश | | 2,74,80,980 | 2,05,04,309 |
| | लाभ एवं हानि लेखे में शेष | | 58,32,008 | 58,32,008 |
| **कुल** | | | **14,23,15,074** | **9,01,64,785** |
| प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड) (अंकित मूल्य रु.10/प्रत्येक) | | | 18.95 | 12.34 |
| प्रमुख लेखा नीतियां | | 17 | | |
| लेखा से संबंधित नोट्स | | 18 | | |

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाता का अभिन्न अंग हैं.

**(अजय वंसल)**
उप महाप्रबंधक

**(अविनाश प्रभु)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

**(पंकज द्विवेदी)**
कार्यपालक निदेशक

**(संजय रुद्र)**
कार्यपालक निदेशक

**(रामसुब्रमणियन एस)**
कार्यपालक निदेशक

**(नितेश रंजन)**
कार्यपालक निदेशक

**(समीर शुक्ला)**
निदेशक

**(प्रकाश वलियारसिंह)**
निदेशक

**(सूरज श्रीवास्तव)**
निदेशक

**(लक्ष्मण एस उप्पर)**
निदेशक

**(जयदेव मदुगुला)**
निदेशक

**(प्रीति जय राव)**
निदेशक

**(ए. मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

**कृते मेसर्स एन बी एस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W

**सीए शरत शेट्टी**
भागीदार
सदस्य सं. 132775
यूडीआईएन: 24132775BKCYER6195

**कृते छाजेड & डोसी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन101794W

**सीए नितेश जैन**
भागीदार
सदस्य सं. 136169
यूडीआईएन: 24136169BKEKKY2518

**कृते जी एस माथुर & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 008744N

**सीए राजीव कुमार वाधवन**
भागीदार
सदस्य सं. 091007
यूडीआईएन: 24091007BKCFCS9770

**कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 000580S/S200066

**कृते पी. चंद्रशेखर**
भागीदार
सदस्य सं. 026037
यूडीआईएन: 24026037BKARCN8331

**कृते वी के लाधा & एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002301C

**कृते विरेंद्र कुमार लाधा**
भागीदार
सदस्य सं. 071501
यूडीआईएन: 24071501BKFQHE9257

स्थान: मुंबई
दिनांक 10 मई, 2024

# स्टैंडअलोन तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

यथा 31 मार्च, 2024

(₹ 000' में)

| | यथा 31 मार्च, 2024 | यथा 31 मार्च, 2023 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 1 – पूंजी :** | | |
| I. **प्राधिकृत:** | | |
| रू.10 प्रति शेयर की दर से 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर | 10,00,00,000 | 10,00,00,000 |
| (पिछले वर्ष रू.10 प्रति शेयर की दर से 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर) | | |
| II. **निर्गमित, अभिदत्त, कॉल्ड अप एवं चुकता :** | | |
| i. रू.10 प्रति शेयर की दर से 570,66,60,850 इक्विटी शेयर भारत सरकार द्वारा धारित | 5,70,66,609 | 5,70,66,609 |
| (पिछले वर्ष 570,66,60,850 इक्विटी शेयर) | | |
| ii. रू.10 प्रति शेयर की दर से 1,92,69,44,757 इक्विटी शेयर जनता द्वारा धारित | 1,92,69,447 | 1,12,80,866 |
| (पिछले वर्ष 112,80,86,616 इक्विटी शेयर) | | |
| घटाएँ: काल्स अप्रदत्त | - | - |
| जोड़ें: जब्त शेयर | - | - |
| **कुल** | **7,63,36,056** | **6,83,47,475** |

(₹ 000' में)

| | यथा 31 मार्च, 2024 | | यथा 31 मार्च, 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां एवं अधिशेष :** | | | | |
| I. सांविधिक आरक्षित: | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 16,73,72,095 | | 14,62,88,901 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | **3,41,20,766** | **20,14,92,861** | **2,10,83,194** | **16,73,72,095** |
| II. पूंजी आरक्षित: | | | | |
| i) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित: | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 6,13,24,225 | | 4,75,70,741 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 81,343 | | 1,51,92,862 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 49,61,394 | | 14,39,378 | |
| | **5,64,44,174** | | **6,13,24,225** | |
| ii) पूंजी आरक्षित: | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 5,98,70,300 | | 5,89,24,839 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 16,32,611 | | 9,45,461 | |
| | **6,15,02,911** | | **5,98,70,300** | |
| iii) समामेलन समायोजन आरक्षित | 1,30,95,979 | 13,10,43,064 | 1,30,95,979 | 13,42,90,504 |
| III. **शेयर प्रीमियम :** | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 18,34,11,800 | | 18,34,11,800 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 7,20,11,419 | | - | |
| वर्ष के दौरान कमी | 2,91,432 | 25,51,31,787 | - | 18,34,11,800 |

(₹ 000' में)

| | यथा 31 मार्च, 2024 | | यथा 31 मार्च, 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| **IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित :** | | | | |
| i) राजस्व आरक्षित : | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 14,48,53,976 | | 10,83,72,439 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 6,69,68,326 | | 3,64,81,537 | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | | - | |
| **कुल** | **21,18,22,302** | | **14,48,53,976** | |
| ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 6,62,98,789 | | 6,02,98,789 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 66,79,000 | | 60,00,000 | |
| **कुल** | **7,29,77,789** | | **6,62,98,789** | |
| iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि | | | | |
| प्रारंभिक शेष | (24,21,580) | | 30,319 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 6,05,047 | | 40,439 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 2,99,054 | | 24,92,338 | |
| **कुल** | **(21,15,587)** | | **(24,21,580)** | |
| iv) निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित: | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 1,35,29,575 | | 1,93,61,583 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 2,84,440 | | - | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | | 58,32,008 | |
| | **1,38,14,015** | | **1,35,29,575** | |
| v) निवेश आरक्षित खाता | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 17,69,006 | | - | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 15,27,866 | | 17,69,006 | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | | - | |
| | **32,96,872** | | **17,69,006** | |
| **v. एफ़एक्स स्वैप पर विशेष आरक्षित लाभ** | **58,485** | **29,98,53,876** | **58,485** | **22,40,88,251** |
| **VI. लाभ हानि खाते में शेष** | | **58,32,008** | | **58,32,008** |
| **कुल** | | **89,33,53,596** | | **71,49,94,658** |
| **अनुसूची 3 – जमाराशियां :** | | | | |
| ए. | | | | |
| I. मांग जमाराशियां | | | | |
| i) बैंकों से | 74,28,822 | | 1,75,66,930 | |
| ii) अन्य से | 73,04,19,109 | 73,78,47,931 | 72,22,34,695 | 73,98,01,625 |
| II. बचत बैंक जमाराशियां | | 3,36,34,89,147 | | 3,20,07,52,745 |
| III. मीयादी जमाराशियां | | | | |
| i) बैंकों से | 24,66,77,161 | | 17,64,32,725 | |
| ii) अन्य से | 7,86,72,69,501 | 8,11,39,46,662 | 7,06,01,76,125 | 7,23,66,08,850 |
| **कुल** | | **12,21,52,83,740** | | **11,17,71,63,220** |
| बी. | | | | |
| i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां | | 11,99,19,73,942 | | 11,06,08,94,903 |
| ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां | | 22,33,09,798 | | 11,62,68,317 |
| **कुल** | | **12,21,52,83,740** | | **11,17,71,63,220** |

(₹ 000' में)

| | यथा 31 मार्च, 2024 | | यथा 31 मार्च, 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 4 – उधार :** | | | | |
| I) **भारत में उधार** | | | | |
| ए. भारतीय रिजर्व बैंक | - | | 13,38,20,000 | |
| बी. अन्य बैंक | 1,45,500 | | - | |
| सी. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां | 4,81,69,788 | | 2,30,94,294 | |
| डी. बेमीयादी बॉन्डस- टियर I | 9,68,80,000 | | 9,68,80,000 | |
| ई. गौण बॉन्डस- टियर II | 7,95,00,000 | 22,46,95,288 | 9,95,00,000 | 35,32,94,294 |
| II) **भारत से बाहर उधार** | | 4,47,88,394 | | 7,80,80,392 |
| **कुल** | | **26,94,83,682** | | **43,13,74,686** |
| उपर्युक्त I & II में सम्मिलित जमानती उधार | | - | | 13,90,42,858 |
| **अनुसूची 5 – अन्य देयताएं एवं प्रावधान :** | | | | |
| I. देय बिल | | 2,60,52,539 | | 2,64,97,502 |
| II. उपचित ब्याज | | 5,25,15,587 | | 5,97,92,681 |
| III. अन्य* (प्रावधान सहित) | | 38,65,50,969 | | 32,93,54,291 |
| **कुल** | | **46,51,19,095** | | **41,56,44,474** |
| *मानक आस्तियों हेतु प्रावधान सहित ₹ 5,97,73,786 (पिछले वर्ष ₹ 5,57,95,524) | | | | |
| **अनुसूची 6 –नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष:** | | | | |
| I. धारित नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं स्वर्ण सहित) | | 2,27,16,899 | | 2,83,88,225 |
| II. भारतीय रिजर्व बैंक में जमा | | | | |
| (ए) चालू खाते में | | 50,62,58,125 | | 47,41,54,516 |
| (बी) अन्य खातों में | | - | | - |
| **कुल** | | **52,89,75,024** | | **50,25,42,741** |
| **अनुसूची 7 – बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि:** | | | | |
| I. **भारत में** | | | | |
| i) **बैंकों में शेष** | | | | |
| ए) चालू खातों में | 35,53,325 | | 56,30,727 | |
| बी) अन्य जमा खातों में | 37,97,553 | | 5,77,33,962 | |
| ii) **मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि** | | | | |
| ए) बैंकों से | - | | 5,00,000 | |
| बी) अन्य संस्थाओं से | 34,51,28,862 | | 31,23,03,614 | |
| **कुल** (i **और** ii) | | **35,24,79,740** | | **37,61,68,303** |
| II. **भारत के बाहर** | | | | |
| i) चालू खातों में | 50,93,983 | | 39,25,300 | |
| ii) अन्य जमा खातों में | 30,64,80,013 | | 23,88,68,190 | |
| iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | - | | - | |
| **कुल** (i, ii **और** iii) | | **31,15,73,996** | | **24,27,93,490** |
| **कुल योग** (I **और** II) | | **66,40,53,736** | | **61,89,61,793** |

(₹ 000' में)

| अनुसूची 8 – निवेश: | यथा 31 मार्च, 2024 | | यथा 31 मार्च, 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| **I. भारत में निवेश** | | | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियों में | | 2,73,25,02,480 | | 2,60,25,15,576 |
| ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ | | - | | - |
| iii) शेयरों में | | 2,22,26,132 | | 2,04,13,250 |
| iv) डिबेंचर एवं बॉन्ड में | | 56,24,84,247 | | 63,15,34,188 |
| v) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में | | 38,88,095 | | 38,88,095 |
| vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, प्रतिभूति रसीदों आदि में) | | 2,73,38,680 | | 10,55,57,112 |
| **कुल** | | **3,34,84,39,634** | | **3,36,39,08,221** |
| **II. भारत से बाहर निवेश** | | | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) | | 1,91,46,683 | | 1,72,90,809 |
| ii) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में | | 1,14,42,157 | | 1,14,55,962 |
| iii) अन्य निवेश (बॉन्ड में) | | 6,810 | | 3,35,490 |
| **कुल** | | **3,05,95,650** | | **2,90,82,261** |
| **कुल** (I **और** II) | | **3,37,90,35,284** | | **3,39,29,90,482** |
| III. i) भारत में निवेश | | | | |
| सकल मूल्य | | 3,43,56,28,809 | | 3,44,22,02,551 |
| मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान | | 8,71,89,175 | | 7,82,94,330 |
| **निवल मूल्य** | | **3,34,84,39,634** | | **3,36,39,08,221** |
| ii) भारत से बाहर निवेश | | | | |
| सकल मूल्य | | 3,07,64,527 | | 2,93,43,600 |
| मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान | | 1,68,877 | | 2,61,339 |
| **निवल मूल्य** | | 3,05,95,650 | | 2,90,82,261 |
| **कुल** (III) | | **3,37,90,35,284** | | **3,39,29,90,482** |

(₹ 000' में)

| अनुसूची 9 – अग्रिम (निवल) | यथा 31 मार्च 2024 | यथा 31 मार्च 2023 |
|---|---|---|
| ए. | | |
| i) खरीदे और भुनाए गए बिल | 3,59,04,447 | 3,29,53,001 |
| ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती ऋण | 4,33,95,85,805 | 3,48,54,48,344 |
| iii) मीयादी ऋण | 4,33,22,70,642 | 4,10,00,53,232 |
| **कुल** | **8,70,77,60,894** | **7,61,84,54,577** |
| **बी.** | | |
| i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत* | 7,21,91,31,031 | 6,23,77,30,877 |
| ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूत | 5,92,61,079 | 12,26,93,689 |
| iii) प्रतिभूत-रहित | 1,42,93,68,784 | 1,25,80,30,011 |
| **कुल** | **8,70,77,60,894** | **7,61,84,54,577** |

* बही ऋण के सापेक्ष के अग्रिम सहित ₹ 95,93,76,884 (विगत वर्ष ₹ 88,79,31,907)

| | यथा 31 मार्च 2024 | यथा 31 मार्च 2023 |
|---|---|---|
| **सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण** | | |
| **I. भारत में अग्रिम:** | | |
| i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | 3,19,08,13,692 | 2,85,85,94,969 |
| ii) सार्वजनिक क्षेत्र | 1,23,56,53,929 | 81,73,80,496 |
| iii) बैंक | 8,66,18,664 | 6,33,569 |
| iv) अन्य | 3,90,54,46,869 | 3,71,91,49,598 |
| **कुल** | **8,41,85,33,154** | **7,39,57,58,632** |
| **II. भारत के बाहर अग्रिम:** | | |
| i) बैंकों से प्राप्य | 6,14,80,610 | 4,91,50,582 |
| ii) अन्य से प्राप्य | | |
| ए) खरीदे एवं भूनाए गए बिल | 4,31,509 | 3,86,506 |
| बी) सिंडीकेटेड ऋण | - | - |
| सी) अन्य | 22,73,15,621 | 17,31,58,857 |
| **कुल सी.(I)+सी(II)** | **28,92,27,740** | **22,26,95,945** |
| **कुल** | **8,70,77,60,894** | **7,61,84,54,577** |

(₹ 000' में )

| | यथा 31 मार्च, 2024 | | यथा 31 मार्च, 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 10 – अचल आस्तियां :** | | | | |
| **I. परिसर** | | | | |
| पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत पर | 9,58,10,991 | | 8,08,71,144 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 13,61,467 | | 2,16,56,329 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 30,64,770 | | 67,16,482 | |
| | **9,41,07,688** | | **9,58,10,991** | |
| आज की तारीख तक मूल्यह्रास | **2,95,87,143** | **6,45,20,545** | **2,75,63,468** | **6,82,47,523** |
| **II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्चर्स सहित)** | | | | |
| **ए. प्रकियाधीन पूंजीगत कार्य** | | | | |
| पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत पर | 2,05,438 | | 3,60,997 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 3,10,576 | | 1,08,106 | |
| वर्ष के दौरान कमी | **1,68,980** | **3,47,034** | **2,63,665** | **2,05,438** |
| **बी. भूमि** | | | | |
| पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत पर | 36,34,968 | | 24,98,636 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | | 12,33,904 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 1,15,305 | | 97,572 | |
| | **35,19,663** | | **36,34,968** | |
| घटाएं: आज की तारीख तक परिशोधित | **11,56,731** | **23,62,932** | **7,02,457** | **29,32,511** |
| **सी. पट्टे पर दी गयीं आस्तियां** | | | | |
| पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत पर | 2,65,352 | | 2,65,352 | |
| आज की तारीख तक मूल्यह्रास | **2,65,352** | **-** | **2,65,352** | **-** |
| **डी. अन्य** | | | | |
| पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत पर | 7,43,75,518 | | 6,86,74,933 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 1,28,89,639 | | 69,39,880 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 20,72,977 | | 12,39,295 | |
| | **8,51,92,180** | | **7,43,75,518** | |
| आज की तारीख तक मूल्यह्रास | **6,24,37,938** | **2,27,54,242** | **5,93,53,695** | **1,50,21,823** |
| **ई. कंप्यूटर साफ्टवेयर** | | | | |
| पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत पर | 1,18,10,459 | | 1,20,83,338 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 17,41,470 | | 8,77,862 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 12,15,455 | | 11,50,741 | |
| | **1,23,36,474** | | **1,18,10,459** | |
| घटाएं: आज की तारीख तक परिशोधन | **1,00,93,425** | **22,43,049** | **99,61,683** | **18,48,776** |
| **कुल (I और II)** | | **9,22,27,802** | | **8,82,56,071** |

(₹ 000' में )

| | यथा 31 मार्च, 2024 | | यथा 31 मार्च, 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां :** | | | | |
| I. अंतर कार्यालयीन समायोजन (निवल) | | 1,70,28,198 | | 2,20,20,700 |
| II. उपचित ब्याज | | 10,73,45,648 | | 9,08,48,858 |
| III. स्रोत पर प्रदत्त कर/ कर की कटौती(प्रावधान का निवल) | | 7,10,21,069 | | 6,73,41,164 |
| IV. लेखन सामग्री एवं स्टांप | | 61,852 | | 62,780 |
| V. दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां | | 1,334 | | 1,334 |
| VI. अन्य* | | 31,49,60,381 | | 27,43,38,697 |
| VII. आस्थगित कर आस्तियां (निवल) | | 3,71,04,947 | | 8,65,97,447 |
| VIII. एमएटी क्रेडिट पात्रता | | - | | 4,51,07,869 |
| **कुल** | | **54,75,23,429** | | **58,63,18,849** |
| **नाबार्ड/ सिडबी/ एनएचबी में रखी गयी राशि ₹ 8,74,69,761 ( पिछले वर्ष ₹ 10,61,55,991) | | | | |
| | | | | |
| **अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएं :** | | | | |
| I. बैंक के विरूद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है | | 2,06,75,020 | | 3,02,01,462 |
| II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं | | - | | - |
| III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं | | 3,71,46,30,000 | | 4,13,13,28,582 |
| IV. घटकों की ओर दी गयी गारंटी | | | | |
| ए) भारत में | 69,48,36,138 | | 66,40,64,012 | |
| बी) भारत से बाहर | 67,39,785 | 70,15,75,923 | 1,42,21,966 | 67,82,85,978 |
| V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व | | 1,06,65,96,474 | | 99,64,00,071 |
| VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक देय है | | | | |
| i) अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग | | 28,74,07,271 | | 20,98,89,819 |
| ii) पूंजी प्रतिबद्धता | | 13,26,533 | | लागू नहीं |
| iii) डी ई ए निधी योजना - 2014 में अंतरित राशि | | 3,45,99,063 | | 3,19,88,282 |
| **कुल** | | **5,82,68,10,284** | | **6,07,80,94,194** |
| **उगाही हेतु बिल** | | **50,25,28,601** | | **43,56,67,177** |

# स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाते के रूप में अनुसूचियां

यथा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ 000' में )

| | | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज :** | | | |
| I. | अग्रिमों पर ब्याज/बिलों पर बट्टा | 71,97,10,273 | 56,76,01,357 |
| II. | निवेशों से आय | 22,46,74,253 | 21,35,50,354 |
| III. | भारतीय रिजर्व बैंक के जमा शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज | 4,85,48,649 | 2,11,68,449 |
| IV. | अन्य | 48,46,402 | 51,13,226 |
| | **कुल** | **99,77,79,577** | **80,74,33,386** |
| **अनूसूची 14 – अन्य आय :** | | | |
| I. | कमीशन, विनिमय और दलाली | 2,38,03,148 | 2,15,14,101 |
| II. | निवेशों की बिक्री से लाभ (निवल) | 1,63,79,176 | 79,80,536 |
| III. | निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल) | 29,23,962 | 28,51,483 |
| IV. | भूमि, बिल्डिंग एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ/हानि - (निवल) | 21,653 | (14,860) |
| V. | विनिमय लेनदेन से लाभ (निवल) | 91,88,081 | 81,30,829 |
| VI. | विदेश / भारत में सहायक कंपनियों और /या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय | 15,314 | 3,250 |
| VII. | विविध आय | 10,84,70,607 | 10,58,66,191 |
| | **कुल** | **16,08,01,941** | **14,63,31,530** |
| **अनूसूची 15 –व्यय किया गया ब्याज :** | | | |
| I. | जमाराशियों पर ब्याज | 58,50,43,934 | 44,34,00,344 |
| II. | भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधारी पर ब्याज | 2,98,09,349 | 1,84,28,879 |
| III. | अन्य | 1,72,22,328 | 1,79,50,734 |
| | **कुल** | **63,20,75,611** | **47,97,79,957** |
| **अनुसूची 16 – परिचालन व्यय :** | | | |
| I. | कर्मचारियों को किए गए भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान | 14,37,71,789 | 12,38,97,058 |
| II. | किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था | 1,09,02,546 | 1,06,77,413 |
| III. | प्रिंटिंग और स्टेशनरी | 12,56,808 | 11,38,303 |
| IV. | विज्ञापन और प्रचार | 14,21,651 | 11,70,445 |
| V. | बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास | 89,09,763 | 73,71,511 |
| VI. | निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय | 20,219 | 14,278 |
| VII. | लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) | 6,29,968 | 6,89,129 |
| VIII. | विधिक प्रभार | 17,35,407 | 16,29,256 |
| IX. | डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि | 39,78,948 | 32,04,977 |
| X. | मरम्मती एवं रखरखाव | 34,49,821 | 36,09,658 |
| XI. | बीमा | 1,41,96,102 | 1,53,61,120 |
| XII. | अन्य व्यय | 5,41,26,576 | 5,05,50,171 |
| | **कुल** | **24,43,99,598** | **21,93,13,319** |

# वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्टैंडअलोन आधार पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

(तुलन पत्र के भाग के प्रारूपण हेतु अनुसूची17 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण के लिए)

## 1. प्रस्तुति का आधार

वित्तीय विवरण एतिहासिक सम्मेलन, लेखांकन के संचयी आधार के तहत तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो और चिंता की अवधारणा का पालना किया गया हो. वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग की गई बैंक की लेखा और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै), द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन (एएस) तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों के अनुरूप है.

## 2. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन से अपेक्षित है कि वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) में रिपोर्ट किए गए राशियों एवं रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आय और व्यय के संबंध में अनुमान/आकलन लगाएं. प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं. वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर की पहचान ज्ञात परिणाम अवधि के दौरान होती है.

## 3. राजस्व की पहचान

3.1. जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गई है.

3.2. गैर निष्पादक आस्तियों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है. पिछले वर्ष अप्राप्त आय की गणना और बची हुई अप्राप्त आय की गणना वर्ष के दौरान एनपीए श्रेणी में वर्गीकृत आस्ति के रूप में की गई है.

3.3. गारंटी पत्र / साख पत्र पर कमीशन की गणना उपचय के आधार पर की गई है.

3.4. विनिमय एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया, आधार कार्ड से आय आदि प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं.

3.5. "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:

3.5.1. ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय, केवल विक्रय/शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है.

3.5.2. शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय का समायोजन, निरंतर प्राप्ति के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया गया है.

3.6. जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गई है.

3.7. भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए बिक्री को लेखांकित किया गया है.

3.8. आयकर विभाग से सूचना आदेश प्राप्त होने पर आयकर वापसी पर ब्याज की गणना की गई है.

## 4. वसूली का विनियोजन :

ओटीएस / एनसीएलटी के अलावा अन्य माध्यमों से वसूली निम्नानुसार विनियोजित होगी:

4.1. जब देनदार और लेनदार के बीच कोई समझौता नहीं होता है कि देनदार द्वारा भुगतान किए गए धन को लेनदार द्वारा कैसे विनियोजित किया जाना आवश्यक है, तो विनियोजन का क्रम निम्नानुसार होगा :

**मियादी ऋण हेतु :**

- ➢ व्यय एवं लागत आदि के लिए.
- ➢ एनपीए की तिथि को वापस न वसूले गए ब्याज के लिए.

- छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अनप्रयुक्त ब्याज).
- वसूली की तिथि तक मूलधन / ईएमआई की बकाया राशि के लिए.
- चल रहे खाता-बही शेष के लिए.

**चल रहे खातों के लिए:**

- व्यय एवं लागत आदि के लिए.
- छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अनप्रयुक्त ब्याज) सहित एनपीए की तिथि को वापस न वसूले गए ब्याज के लिए.
- मूलधन के लिए

4.2. यदि उधारकर्ता उपर्युक्त से भिन्न विनियोजन की शर्तों का अनुबंध करता है और यदि विनियोजन की ऐसी भिन्न शर्तें बैंक द्वारा स्वीकार की जाती हैं तो वसूली का विनियोजन स्वीकृत शर्तों के अनुसार होगा.

4.3. ओटीएस एवं सभी एनसीएलटी खातों के मामले में, वसूली या संकल्प/परिसमापन के माध्यम से

वसूली का विनियोजन यहाँ चर्चा के अनुसार या मंजूरी शर्तों के अनुसार किया जाना है

- मूल में
- छद्म खाता-बही में धारित ब्याज में (अनप्रयुक्त ब्याज)
- एनपीए की तिथि को वापस न वसूले गए ब्याज के लिए.
- व्यय एवं लागत आदि के लिए.

4.4. गैर निष्पादित निवेश वसूली के मामले में वितरण निम्नानुसार किया जाएगा :

ए. व्यय एवं लागत आदि के लिए.

बी. एनपीए की तिथि को वापस न वसूले गए ब्याज के लिए.

सी. छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अनप्रयुक्त ब्याज)

डी. वसूली की तिथि तक मूलधन / ईएमआई की बकाया राशि के लिए

ई. चल रहे खाता-बही शेष के लिए

## 5. नकदी प्रवाह विवरण:

बैंक का नकदी प्रवाह विवरण एएस-3. के अनुसार तैयार किया जाता है. नकदी प्रवाह विवरण मुख्य रूप से वर्गीकृत है:

5.1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाहः इस गतिविधि में परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है.

5.2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाहः इस गतिविधि में निवेश से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है.

5.3. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाहः इस गतिविधि में वित्तीय लिखत से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है.

## 6. निवेश

6.1. बैंककारी विनिमयन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारुप ए की अपेक्षाओं के अनुरुप, निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

6.1.1. सरकारी प्रतिभूतियां
6.1.2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
6.1.3. शेयर
6.1.4. ऋण पत्र एवं बांड
6.1.5. अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश, एवं
6.1.6. अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को, भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र क्र. डीओआर.एमआरजी.42/21.04.141 /201-22 दिनांक 25 अगस्त, 2021 के दिशानिर्देशों के अधीन (दिनांक 23 मार्च, 2022, 31 मार्च, 2022, 08 अप्रैल 2022 तथा 08 दिसंबर 2022 को अद्यतित) पुनः निम्नलिखित 3 संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है. यथा

ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

6.2. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं

6.2.1. "एचटीएम" में धारित प्रतिभूतियां अधिग्रहण लागत पर

6.2.1.1. अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित हैं तथा बट्टे की दशा में, इसे आय नहीं माना गया है.

6.2.1.2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

6.2.1.3. अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

6.2.1.4. सहायक/संयुक्त उपक्रमों में अपने निवेश मूल्य में अस्थायी के अलावा अन्य कमी, जिन्हें एचटीएम में शामिल किया गया है, को प्रदान किया जाएगा.

6.2.2. "एएफएस" तथा "एचएफटी" श्रेणी में धारित प्रतिभूतियां

6.2.2.1. "एएफएस"(बिक्री के लिए उपलब्ध) एवं "एचएफटी" (व्यापार के लिए धारित) श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिप-वार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्धह्रास, लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि किसी प्रकार की शुद्ध वृद्धि को अनदेखा किया गया है.

6.2.2.2. प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है:

| | | |
|---|---|---|
| ए | भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां) | फाइनैन्शल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ़बीआईएल) के कोटेशन के अनुसार |
| बी | राज्य विकास ऋण, राज्य सरकार प्रतिभूतियां, केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बांड | एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्तियों के आधार पर |
| सी | इक्विटी शेयर | यदि उल्लिखित हों, तो बाज़ार मूल्य पर, अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (18 माह से अधिक पुराना न हो) के अनुसार बही मूल्य पर, दोनों की अनुपस्थिति में ₹1/- प्रति कंपनी के अनुसार. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर बही मूल्य की गणना जाती है. |
| डी | वरीयता शेयर | यदि उल्लिखित हों, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशा-निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं |
| इ | ऋण पत्र/बांड्स | यदि उल्लिखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर |
| एफ | म्युचुअल फंड (एमएफ़) | स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि हों. अनकोटेड इकाइयों की स्थिति में, म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार |
| जी | राजकोषीय बिल / जमा प्रमाणपत्र / वाणिज्यिक पत्र | संवहन लागत पर |
| एच | उद्यम पूंजी निधियाँ (वीसीएफ) | घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुरानी न हो, के अनुसार विश्लेषित एनएवी, यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हों, तो ₹1/- प्रति वीसीएफ के अनुसार |
| आई | प्रतिभूति रसीदें | इसका मूल्यांकन 25 अगस्त, 2021 के वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के स्थान, मूल्यांकन और संचालन पर आरबीआई के दिशानिर्देशों (आरबीआई/डीओआर/2021-22/81 डीओआर.एमजीआर.42/21.04.141/2021-22) के अनुसार किया जाएगा और समय-समय पर संशोधित किया जाएगा. |

6.3. अंतर बैंक/भारिबैं रेपो तथा अंतर बैंक/भारिबैं रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है.

6.4. भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :

6.4.1. एएफ़एस / एचएफ़टी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में यथा शिफ्ट की तिथि पर पुस्तकीय मूल्य के निचले स्तर पर अथवा बाजार मूल्य पर. यदि कोई ह्रास है, तो लगाया गया है

6.4.2. एचटीएम श्रेणी से एएफ़एस / एचएफ़टी श्रेणी में

6.4.2.1. यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलतः डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत / बही मूल्य पर

6.4.2.2. यदि प्रतिभूति मूलतः प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर.

इस प्रकार शिफ्ट की गई प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांमकन किया गया है और इसके परिणाम रूप मूल्य में होने वाली कमी के लिए पूरा प्रावधान किया गया है.

6.4.3. एएफ़एस (विक्रय के लिये उपलब्ध) से एचएफ़टी (ट्रेडिंग के लिये धारित) श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर.

6.5. गैर निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य ह्रास/प्रावधान किया गया है (निवल मूल्यवृद्धि की उपेक्षा).

6.6. किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को, लाभ और हानि खाते में लिया जाता है. तथापि, एचएमटी (परिपक्वता तक धारित) श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की गई है.

6.7. प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की गई है.

6.8. इक्विटी की खरीद और बिक्री पर भुगतान किए गए ब्रोकरेज और एसटीटी को सौदे की कीमत में शामिल किया गया है.

6.9. एचटीएम प्रतिभूतियों पर प्रीमियम के परिशोधन की गणना सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके की गई है.

6.10.निवेश पोर्टफोलियो के लेखांकन के लिए बैंक भारित औसत मूल्य (डबल्यूएपी) का अनुसरण कर रहा है.

6.11. भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा 'निपटान तिथि' का पालन किया जाता है.

6.12. म्यूचुअल फंड जोखिम पूंजी और प्रतिभूति रसीद की इकाइयों से होने वाली आय को नकदी आधारी माना जाता है.

6.13. डेरीवेटिव संविदा

6.13.1. वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) उपचित आधार पर लगाई गई है सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, पर लिया गया है. स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति/देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

6.13.2. ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं (यदि कोई लाभ हो तो अनदेखा किया जाए)

6.13.3. विकल्प संविदाओं के मामले में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

6.13.4. विदेशी मुद्रा स्वैप लेनदेन पर अर्जित अंतरपणन आय की गणना विनिमय लेनदेन श्रेणी पर लाभ/हानि में की जाती है

## 7. अग्रिम

7.1. सभी अग्रिमों को 4 श्रेणीयों में वर्गीकृत किया गया है :

7.1.1. मानक

7.1.2. अवमानक

7.1.3. संदिग्ध और

7.1.4. हानि आस्तियां

ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र आरबीआई/2023-2024/06 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.3/21.04.048/2022-23 दिनांक 01 अप्रैल, 2023 के शर्तानुसार विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है.

7.2. भारिबै द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर ही अग्रिमों एवं ऋणों को निष्पादित एवं गैरनिष्पादित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है. ऋण आस्तियां गैरनिष्पादित आस्तियां (एनपीए) में तभी वर्गीकृत होती है जब :

7.2.1. मियादी ऋण के संबंध में, जब मूलधन का ब्याज और/अथवा किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो;

7.2.2. ओवरड्राफ्ट या नकदी ऋण अग्रिम के संबंध में यदि खाता " अनियमित रहता " है यथा

7.2.2.1. यदि नकदी ऋण / ओवरड्राफ्ट खातों में बकाया शेष राशि, मंजूरी सीमा/ आहरण शक्ति से निरंतर 90 दिनों की अवधि के लिए अधिक हो

7.2.2.2. यदि निरंतर 90 दिनों की अवधि हेतु तुलन पत्र की अवधि तक कोई जमा न हों अथवा यदि उक्त अवधि हेतु खाते में देय ऋण को चुकाने हेतु खाते में पर्याप्त ऋण उपलब्ध न हों, या

7.2.2.3. नकदी ऋण / ओवरड्राफ्ट खातों में बकाया शेष राशि, मंजूरी सीमा/ आहरण शक्ति से कम हो लेकिन पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान डेबिट ब्याज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त न हो.

7.2.3. खरीदे गए/ रियायती बिलों के संदर्भ में, 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बिल अतिदेय रहते है.

7.2.4. अल्पावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां दो मौसमी फसलों के लिए ब्याज या मूलधन की किश्तें अतिदेय रहती हैं.

7.2.5. लंबी अवधि के फसल के लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां एक मौसमी फसल के लिए ब्याज या मूलधन की किश्तें अतिदेय रहती हैं.

7.2.6. एक कार्यशील पूंजी उधार खाता एनपीए हो जाएगा यदि खाते में इस तरह के अनियमित आहरण को 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए अनुमति दी गई हो भले ही इकाई कार्यशील हो या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो.

7.2.7. एक खाता जहां नियत तिथि / तदर्थ मंजूरी की तिथि से 180 दिनों के भीतर नियमित / तदर्थ क्रेडिट सीमा की समीक्षा / नवीकरण नहीं किया गया है, उसे एनपीए माना जाएगा.

7.2.8. भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) के निर्देश 2021 के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है.

7.2.9. डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में, अतिदेय प्राप्तियां डेरिवेटिव अनुबंध के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है, यदि भुगतान के लिए निर्दिष्ट नियत तिथि से 90 दिनों की अवधि तक भुगतान नहीं किया गया है.

7.2.10. ऐसे खाते जहां उधारकर्ता द्वारा प्रतिभूति के मूल्य में कमी / धोखाधड़ी की गई है.

7.2.10.1. उन खातों के संबंध में जहां प्रतिभूति के मूल्य में कमी या प्रतिभूति की अनुपलब्धता और उधारकर्ता द्वारा की गई धोखाधड़ी जैसे अन्य कारणों की मौजूदगी के कारण वसूली के लिए संभावित खतरे हैं उन खातों को आस्ति वर्गीकरण के विभिन्न चरणों से गुजरना विवेकपूर्ण नहीं होगा. ऐसी गंभीर ऋण हानि

के मामलों में आस्ति को सीधे तौर पर उपयुक्त रूप में संदिग्ध या हानि वाली आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए.

7.2.10.2. प्रतिभूति के मूल्य में कमी को महत्वपूर्ण माना जा सकता है जब प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य बैंक द्वारा मूल्यांकित या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार अंतिम निरीक्षण जैसा भी मामला हो, के समय निर्धारित मूल्य के 50 प्रतिशत से कम हो, जैसा भी मामला हो. ऐसे एनपीए को सीधे तौर पर संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है.

7.2.10.3.यदि बैंक / अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य उधार खातों में बकाया के 10 प्रतिशत से कम है, तो प्रतिभूति की मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए और आस्ति को सीधे तौर पर हानि वाली आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए.

7.2.11. एमएसएमई खातों के संबंध में, जो भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र डीओआर. सं. बीपी. बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020 और परिपत्र क्र. डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी, 2019 के अनुसार पुनर्गठित किए जाएंगे एवं मानक श्रेणी में रखे जाएंगे, पहले से किए गए प्रावधान के अतिरिक्त 5% का प्रावधान बैंक मेंटेन करेगा. उक्त परिपत्र के अनुसार इस प्रावधान में परिवर्तन किया जाएगा.

7.2.12. आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण पर कोविड 19 विनियामक पैकेज से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीआर सं बीपी. बीसी/3/21.04.048/2020-21 एवं परिपत्र क्र. डीबीआर सं बीपी. बीसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020, डीओआर. एसटीआर.आरईसी12/21.04.048/2021-22 एवं डीओआर. एसटीआर. आरईसी 11/21.04.048/2021-22 दिनांक 05 मई, 2021 के अनुसार कॉर्पोरेट एवं रिटेल ऋण के पुनर्गठन के संदर्भ में बैंक इस संबंध में आवश्यक प्रावधान बनाए रखेगा.

7.3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर एनपीए को अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों में बांटा गया है :

7.3.1. अवमानकः ऐसी ऋण आस्ति, जो 12 महीनों तक या उससे कम अवधि के लिए गैर-निष्पादक रही है.

7.3.2. संदिग्धः ऐसी ऋण आस्ति, जो 12 महीनों तक अवमानक श्रेणी में रही है.

7.3.3. हानिः ऐसी ऋण आस्ति, जिसमें हानि की पहचान की जा चुकी है, लेकिन ऋण राशि पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं की गई है.

7.4. विनियामक प्राधिकारी द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के लिए न्यूनतम किए जाने वाली राशि निम्नानुसार है :

| | |
|---|---|
| अवमानक आस्तियां: | i. कुल बकाया राशि का सामान्य 15% |
| | ii. ऐसी ऋण राशि पर 10% अतिरिक्त प्रावधान, जो आरंभ से ही असुरक्षित हो. |
| | iii. आरंभ से, इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण खातों के असुरक्षित भाग के लिए 20% प्रावधान, जिसमें एस्क्रो खाते जैसी कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियाँ उपलब्ध हों (उपर्युक्त के अनुसार 25% के स्थान पर) |
| संदिग्ध-सुरक्षित भाग | i. एक वर्ष तक 25%<br>ii. एक से तीन वर्ष - 40%<br>iii. तीन वर्ष से अधिक - 100% |
| संदिग्ध-असुरक्षित भाग | 100% |
| हानि आस्ति | 100% |

7.5. अग्रिमों में विशेष हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान तथा गैर निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीएफटी)/ निर्यात ऋण गारंटी

निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है.

7.6. विदेशी कार्यालयों के संबंध में, एनपीए के लिए ऋणों और अग्रिमों में वर्गीकरण या प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों या स्थानीय नियमों के अनुसार, जो भी अधिक उपयुक्त हो, किए गए हैं.

7.7. पुनर्गठित/पुनर्निर्धारण आस्तियों में प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसमें एनपीए हेतु प्रावधान के अलावा, पुनर्गठन के पहले और बाद में ऋण के उचित मूल्यों के बीच का अंतर होना आवश्यक होता है.

7.8. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामलों में, यदि खाता नियामक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप होता है, तो खाते को निष्पादक आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है.

7.9. पिछले वर्षों में राइट ऑफ किए गए ऋणों के मुक़ाबले वसूली गई राशि वसूली के वर्ष में आय के रूप में चिन्हित की गई है.

7.10. मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को `अन्य देयताओं और प्रावधानों' में रखा गया है, जिन्हें तुलन पत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल अवमानक आस्तियों व निवल अग्रिमों की गणना में नहीं लिया गया है. मानक आस्ति प्रावधान आईआरएसी आरबीआई मास्टर परिपत्र आरबीआई/2022-2023/15 डीओआर. एसटीआर. आरईसी. 4/21.04.048/2022-23 दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं तदनंतर समय समय पर जारी परिपत्र के अनुसार बनाए गए हैं.

7.11. छह महीने से अधिक समय से बकाया उचंत खातों की प्रविष्टियों पर सरकार / सरकारी निकायों से प्राप्त होने वाले दावे जैसे फसल ऋण / निर्यात अग्रिम पर ब्याज सब्सिडी, प्राप्य पेंशन, एसडीएस का आरबीआई से ब्याज दावा, किराया जमा, पूंजी और पूर्वदत्त व्यय, सरकार एवं अन्य एजेंसियों के साथ निवेश, फ्रैंकिंग स्टांप, कार्मिकों को त्योहार अग्रिम आदि को छोड़कर 100% पर प्रावधान किया जाता है.

## 8. संपत्ति, प्लांट और उपकरण

8.1. परिसर एवं अन्य स्थायी आस्तियों को, संचित मूल्यह्रास का शुद्ध और संचित क्षतियों की राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद, लागत पर दिखाया गया है. लागत में खरीद मूल्य, पात्र उधार लागत और सीधे व्यापार छूट और छूट का उपयोग करने के लिए एसेट को इसकी कार्यशील स्थिति में लाने की लागत शामिल है. उपयोग करने के लिए रखी गई सम्पत्तियों पर किए गए उप-व्यय पर केवल तभी पूंजी लगाई जाती है जब यह ऐसी परिसंपतियों या उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य के लाभ को बढ़ाता है. जमीन और इमारतों, यदि पुनर्मूल्यांकन को पुनर्गठित राशि कहा जाता है. " संपत्ति, प्लांट और उपकरण " पर संशोधित एएस-10 के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन पर प्रशंसा का श्रेय रेवल्यूशन रिजर्व को दिया जाता है और उसके द्वारा प्रदान किए गए मूल्यह्रास को वहाँ से घटा दिया जाता है और इसे रेवल्यूशन रिजर्व में जमा कर दिया जाता है.

8.2. बैंक की व्यय नीति में समय-समय पर निर्धारित दरों पर स्ट्रेट लाइन मेथड पर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है. मूल्यह्रास की लागू दरें निम्नानुसार हैं :

| क्र. सं | पूंजी आस्ति | यूजफल लाइफ (वर्ष) | दर प्रतिशत में |
|---|---|---|---|
| 1 | अचल संपत्ति- भूमि | गैर निर्दिष्ट; तदनुसार, कोई मूल्यह्रास नहीं | शून्य |
| 2 | आरसीसी फ्रेम संरचना सहित भवन (आवासीय एवं गैर-आवासीय दोनों) | 60 | 1.67 |
| 3 | फर्नीचर | 10 | 10.00 |
| 4 | फिक्सचर | 10 | 10.00 |
| 5 | वातानुकूलित प्लांट (पैकेज एवं जल/वातानुकूलित डक्टेबल) | 10 | 10.00 |
| 6 | स्प्लिट एवं विंडो वातानुकूलन | 5 | 20.00 |
| 7 | विद्युत इन्स्टालमेंट एवं उपकरण | 5 | 20.00 |
| 8 | सौर ऊर्जा उपकरण | 15 | 6.67 |
| 9 | एलिवेटर एवं लिफ्ट | 15 | 6.67 |
| 10 | पट्टे पर लिए गए परिसर में सिविल एवं फ्लोरिंग का कार्य | 5 | 20.00 |
| 11 | दूरभाष उपकरण | 5 | 20.00 |

| क्र. सं | पूंजी आस्ति | यूजफल लाइफ (वर्ष) | दर प्रतिशत में |
|---|---|---|---|
| 12 | मोटर साइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड | 10 | 10.00 |
| 13 | मोटर कार, मोटर लॉरी एवं पावर बैट्री सहित विद्युत परिचालित या ईधन सेल संचालित वाहन | 8 | 12.50 |
| 14 | मोबाइल फोन | 3 | 33.33 |
| 15 | जेनेरेटर | 15 | 6.67 |
| 16 | कार्यालय उपकरण / साधन | 5 | 20.00 |
| 17 | कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर के अन्तरिम भाग का निर्माण करने वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर | 3 | 33.33 |
| 18 | एटीएम एवं संबद्ध आइटम | 5 | 20.00 |
| 19 | यूपीएस एवं संबद्ध आइटम | 5 | 20.00 |
| 20 | सर्वर एवं नेटवर्क | 6 | 16.66 |
| 21 | कम्प्यूटर के अंतिम यूजर साधन जैसे डेस्कटॉप, लैपटाप, आई-पैड, टेबलेट्स प्रिंटर एवं स्कैनर, डिजिटल घड़ी आदि | 3 | 33.33 |
| 22. | एसडीवी लॉकर, स्ट्राँग रूम के दरवाजे, कैश सेफ आदि. (फिक्सचर के साथ) | 20 | 5.00 |
| 23. | स्टाफ को प्रदान किए जाने वाले सामग्री (फर्नीचर/ इलेक्ट्रिकल आदि) | 5 | 20.00 |

8.3. भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगने पर, परिसर पर मूल्यह्रास संमिश्र लागत पर लगाया गया है.

8.4. पट्टे पर ली गई आस्ति तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यह्रास, पट्टे की मूल अवधि के लिए निर्धारित दर के आधार पर लगाया गया है.

## 9. आस्तियों में क्षति

अचल आस्ति (पुनर्मूल्यांकित अस्ति सहित) पर हासित हानि (यदि कोई हो) का निर्धारण आईसीएआई द्वारा जारी "आस्ति की हास" पर एएस-28 के अनुरूप होता है एवं लाभ एवं हानि खाते में चार्ज ऑफ किया जाता है. आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है. किसी आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर ह्रास हानि मानी जाती है. ह्रास हानि उस समय मानी जाती है, जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो. आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है. उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आंकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर-पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है. ह्रास के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यह्रास लगाया जाता है. परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई ह्रास हानि बढ़ाई या घटाई जाती है. लेकिन हानि कम होने से रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी, जो ह्रास न होने पर सामान्य मूल्यह्रास लगाने के बाद होती है.

## 10. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

प्रति चक्रीय बफर प्रावधान करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग अनुमोदित नीति है. प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा निर्धारित की जाती है. प्रति चक्रीय प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है.

## 11. विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन

विदेशी विनिमय से जुड़े लेनदेन के लिए लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव" पर एएस-11 के अनुसार किया जाता है. एएस-11 की शर्तों के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालन को ए) एकीकृत परिचालन एवं बी) गैर एकीकृत परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

सभी विदेशी शाखाओं, अपतटीय बैंकिंग इकाइयों, अंतर्देशीय सहायक संस्थाओं को गैर एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है एवं विदेशी विनिमय और प्रतिनिधि कार्यालयों में घरेलू परिचालन को एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है.

### एकीकृत परिचालन हेतु लेखांकन :

11.1. वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित मौद्रिक और गैर मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को संशोधित किया जाता है और

परिणामी लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते से निर्धारित किया जाता है.

11.2. आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तिथि पर, विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है.

11.3. वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तिथि को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है. फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और अंतरिम परिपक्वताओं की संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है. परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में किया गया है.

11.4. गारंटी, स्वीतिकरण, अनुमोदन और अन्य दायित्वों के कारण आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर वर्णित हैं.

## 12. गैर एकीकृत परिचालन हेतु लेखांकन :

12.1. राजस्व की पहचान

संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार आय और व्यय का निर्धारण/लेखांकन किया जाता है.

12.2. आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि प्रावधानीकरण

आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि प्रावधानीकरण संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों या आरबीआई के दिशानिर्देशों, जो भी उच्च हो, के अनुसार किए जाते हैं

12.3. अचल आस्ति और मूल्यह्रास

12.3.1. अचल आस्ति का ऐतिहासिक लागत पर हिसाब लगाया जाता है.

12.3.2. संबंधित देशों के लागू कानूनों के अनुसार अचल आस्ति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है.

12.4. आस्ति एवं देयताएं (मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक के साथ अनुषंगी देयताएं) वर्ष के अंत में या तिमाही पर फेडाई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दर पर अनूदित की जाती है.

12.5. आय एवं व्यय संबंधित तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसतन क्लोजिंग दर पर अनुदित की जाती है.

12.6. सभी परिणामी विनमय अंतरों को विदेशी मुद्रा अनुवाद रिज़र्व में संचित किया जाता है.

## 13. कर्मचारी लाभ :

13.1. अल्पावधि रोजगार लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय होती है उसे अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है

13.2. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

13.2.1. निर्धारित अंशदान योजनाएं :

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है. इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं. इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान तथा 14% बैंक का अंशदान जमा किया जाता है. कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है. बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है.

13.2.2. निर्धारित लाभ योजना :

ग्रेच्यूटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं. इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है. एक्चुरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है.

## 14. खंडवार रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी लेखामानक 17- "खंडवार रिपोर्टिंग" के अनुसार, बैंक का कारोबार प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में मान्यता प्राप्त है. कारोबार खंडों को वर्गीकृत किया गया है

14.1. ट्रेजरी परिचालन,

14.2. कार्पोरेट व होलसेल बैंकिंग,

14.3. रिटेल बैंकिंग परिचालन और

(साथ ही साथ डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट जहां और जब कहीं लागू हो)

14.4. अन्य बैंकिंग परिचालन में वर्गीकृत किया गया है

## 15. लीज संव्यवहार

परिचालन लीज पर लिये गये परिसंपत्तियों के लिए लीज भुगतान को लीज अवधि के आधार पर लाभ और हानि खाते में एक सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है.

## 16. प्रति शेयर आय

बैंक एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल एवं डायल्यूटेड आय की रिपोर्ट को सूचित करता है. प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की गई है. प्रति शेयर डायल्यूटेड आय संभावित डायल्यूशन को प्रदर्शित करता है जो वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर निर्गम के अनुबंधों के होने अथवा परिवर्तित होने की स्थिति में होता है. प्रति इक्विटी शेयर की डायल्यूटेड आय की गणना भारित औसत संख्या का उपयोग करते हुए वर्ष के अंत में बकाया डायल्युटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की गई है.

## 17. कराधान :

इसमें आईसीएआई द्वारा जारी "आय पर करों के लिए लेखांकन" पर एएस-22 के अनुसार, निर्धारित आयकर और आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (दिए गए अवधि के लिए लेखांकित आय और कर योग्य आय के बीच अंतर के कर प्रभाव को दर्शाते हुए) के प्रावधान शामिल हैं. चालू एवं आस्थगित दोनों प्रकार के करों के लिए प्रावधान किया गया है. कर योग्य आय पर वर्तमान दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया गया है, समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं स्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं बने हुए कर नियमों के अनुसार की गयी है. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक `उचित निश्चितता' न हो ताकि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसे आस्थिगत कर का निर्धारण होगा. गैर-मूल्यह्रास और कर घाटे को आगे बढ़ाने के मामले में, आस्थगित कर आस्ति को केवल "आभासी निश्चितता" होने पर मान्यता दी जाती है.

## 18. प्रावधान आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा प्रणाली 29 के अनुसार प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां बैंक केवल तभी प्रावधान करता है, जब पिछली घटनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान देयताएं हों, ऐसी संभावना है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता देयताओं के निपटान और जब देयता की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो, में होगी. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है; क्योंकि इनकी पहचान कभी न वसूली जा सकने वाली आय के रूप में परिणित हो सकती है.

## 19. शेयर निर्गम व्यय:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अनुसार शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किए गए हैं.

# अनुसूची 18 – लेखों पर नोट्स (स्टैंडअलोन):

## भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन

### 1. विनियामक पूंजी

बैंक 01 अप्रैल, 2013 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासेल III के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है. 01 अक्तूबर, 2021 तक बासेल III कार्यान्वयन के लिए परिवर्तन अनुसूची दिशानिर्देशों में दी गयी है. भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार, बासेल III को दिनांक 01 अक्तूबर, 2021 से पूर्णतः कार्यान्वित किया गया है. दिशानिर्देशों के अनुसार, टियर-I पूँजी, कॉमन इक्विटी टियर-I (सीईटी-I) एवं अतिरिक्त टियर- I पूंजी (एटी 1) से बनी है.

बासेल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2024 तक पूंजी को जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के 11.50% तक जिसमें न्यूनतम सीईटी I के 8.00% और न्यूनतम टियर I सीआरएआर के 9.50% (दोनों में 2.50% पूंजी संरक्षण बफर को शामिल करते हुए) तक बनाए रखना आवश्यक है.

बैंक ने वर्ष के दौरान रु. 8,000 करोड़ की इक्विटी पूंजी निर्गमित की है. इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान बैंक ने बासेल III शिकायत टीयर-II बॉण्ड में रु. 2,000 करोड़ की चुकौती की है.

#### ए) नियामक पूंजी का संगठन:

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| i. | सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) (कटौतियों के निवल, यदि कोई हो) | 90,693.16 | 71,491.90 |
| ii. | अतिरिक्त टियर 1 पूंजी | 8,928.65 | 8,985.99 |
| iii. | टियर 1 पूंजी (i + ii) | 99,621.81 | 80,477.89 |
| iv. | टियर 2 पूंजी | 13,066.90 | 12,300.56 |
| v. | कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2) | 1,12,688.71 | 92,778.45 |
| vi. | कुल जोखिम भारांक आस्तियां (आरडबल्यूए) | 6,64,188.12 | 5,78,454.82 |
| vii. | सीईटी 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीई 1) | 13.65 | 12.36 |
| viii. | टियर 1 अनुपात (आर डब्लू ए के प्रतिशत के रूप में टियर 1) | 15.00 | 13.91 |
| ix. | टियर 2 अनुपात (आर डब्लू ए के प्रतिशत के रूप में टियर 2) | 1.97 | 2.13 |
| x. | जोखिम भारांक आस्ति अनुपात को पूंजी (सीआरएआर) (आरडब्लूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूँजी) | 16.97 | 16.04 |
| xi. | लीवरेज अनुपात | 6.56 | 5.73 |
| xii. | शेयरधारिता का प्रतिशत | | |
| | ए) भारत सरकार | 74.76 | 83.49 |
| | बी) राज्य सरकार | -- | -- |
| | सी) प्रायोजक बैंक | -- | -- |
| xiii. | वर्ष के दौरान उगाही किए गए इक्विटी पूँजी में से भुगतान राशि | 8,000.00 | -- |
| xiv. | वर्ष के दौरान उगाही की गई गैर-इक्विटी टियर-1 पूंजी की राशि, जिसमें से: | | |
| | ए) बासेल III अनुपालक जारी गैर-संचयी अधिमानित शेयर | -- | -- |
| | बी) बासेल III अनुपालक जारी ऋण लिखतें | -- | 1,983.00 |
| xv. | वर्ष के दौरान उगाही की गई टियर-2 पूंजी की राशि, जिसमें से | | |
| | ए) जारी संचयी अधिमानित शेयर | -- | -- |
| | बी) विमोचन योग्य गैर-संचयी अधिमानित शेयर | -- | -- |
| | सी) बासेल III अनुपालक प्रतिदेय गैर प्रवर्तनीय टीयर 2 बॉण्ड | -- | 2,200.00 |

बी) **आरक्षित से आहरण में कमी:**

वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने आरक्षित से कोई राशि नहीं निकाली है.

## 2. आस्ति देयता प्रबंधन

### ए) आस्तियों तथा देयताओं के कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न

**चालू वर्ष 2023-24**

( ₹ करोड़ में)

| | 1 दिन | 2-7 दिन | 8-14 दिन | 15-30 दिन | 31 दिन -2 महीने | >2-3 महीने | >3-6 महीने | 6 महीने -1 वर्ष | >1-3 वर्ष | >3-5 वर्ष | > 5 वर्ष | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जमा राशि | 19,410.10 | 33,208.26 | 22,143.36 | 25,751.19 | 42,907.50 | 51,874.76 | 1,03,759.29 | 2,16,081.39 | 1,45,106.60 | 78,448.20 | 4,82,837.71 | 12,21,528.37 |
| अग्रिम | 13,285.99 | 14,564.07 | 8,913.90 | 30,508.21 | 5,135.11 | 32,215.53 | 61,063.28 | 1,15,928.51 | 3,74,856.25 | 90,661.97 | 1,23,643.26 | 8,70,776.09 |
| निवेश | 79,848.28 | 12,924.06 | 1,247.76 | 2,707.86 | 6,481.38 | 24,894.11 | 7,995.66 | 12,778.18 | 39,693.86 | 33,590.35 | 1,15,742.03 | 3,37,903.53 |
| उधार | 448.60 | 670.18 | 41.18 | 12.95 | 936.64 | 60.47 | 1148.71 | 209.15 | 6,509.99 | 15.07 | 16,895.43 | 26,948.37 |
| विदेशी मुद्रा की आस्तियां | 3,475.74 | 3,916.55 | 425.06 | 2,638.65 | 1,989.97 | 8,240.88 | 21,408.96 | 11,856.16 | 17,711.70 | 6,975.90 | 2,492.31 | 81,131.87 |
| विदेशी मुद्रा की देयताएं | 805.73 | 3,088.91 | 160.77 | 555.08 | 2,440.51 | 3,365.04 | 8,360.78 | 8,613.80 | 10,801.49 | 3,503.01 | 3,027.12 | 44,722.23 |

**विगत वर्ष 2022-23**

(₹ करोड़ में)

| | 1 दिन | 2-7 दिन | 8-14 दिन | 15-30 दिन | 31 दिन -2 महीने | >2-3 महीने | >3-6 महीने | >6 महीने -1 वर्ष | >1-3 वर्ष | >3-5 वर्ष | > 5 वर्ष | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जमा राशि | 16,719.54 | 24,897.19 | 17,582.29 | 15,386.37 | 27,291.25 | 6,680.66 | 82,771.68 | 1,63,434.74 | 1,61,274.09 | 80,204.10 | 4,81,474.41 | 1117716.32 |
| अग्रिम | 19,713.45 | 31,128.05 | 23,916.23 | 49,224.70 | 18,235.92 | 31,896.75 | 50,852.13 | 54,002.81 | 3,36,508.35 | 47,328.90 | 99,038.17 | 7,61,845.46 |
| निवेश | 87,469.35 | 10,712.95 | 888.30 | 2,993.82 | 5,506.13 | 17,324.42 | 5,710.88 | 8,220.90 | 68,822.45 | 17,556.16 | 1,14,093.69 | 3,39,299.05 |
| उधार | 963.24 | 8,333.29 | 4,085.78 | 1,996.21 | 572.85 | 254.44 | 2,123.29 | 3,610.00 | 2,310.97 | 1,996.06 | 16,891.33 | 43,137.47 |
| विदेशी मुद्रा की आस्तियां | 5,317.26 | 5,843.41 | 1,016.52 | 10,915.50 | 3,748.05 | 3,259.63 | 13,035.32 | 5,403.49 | 11,913.15 | 9,366.84 | 187.01 | 70,006.19 |
| विदेशी मुद्रा की देयताएं | 4,984.28 | 1,553.01 | 998.49 | 2,717.99 | 2,947.61 | 4,647.05 | 3,478.54 | 3,586.05 | 8,792.19 | 6,039.50 | 315.07 | 40,059.79 |

### बी) तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)

एलसीआर का उद्देश्य बैंक द्वारा पर्याप्त स्तर की भारमुक्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का रखरखाव सुनिश्चित करना है, ताकि आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट अत्यधिक गम्भीर तरलता दबाव के अन्तर्गत उसे अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 30 कैलेंडर दिवस के अंदर नकदी में परिवर्तित किया जा सके.

एलसीआर का अनुपात एचक्यूएलए का शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह है.

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)}}{\text{30 दिनों में शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह}}$$

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एलसीआर की न्यूनतम आवश्यकता कैलेंडर वर्ष 2019 के बाद के लिए 100% है. एलसीआर बैंक के घरेलू परिचालनों के साथ-साथ विदेशी परिचालनों पर भी लागू होता है.

**उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए):**

तरल आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियां होती हैं, जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा लगातार दबाव के समय सम्पार्श्विक के रुप में निधियों को प्राप्त करने में प्रयोग किया जा सकता है. उन्हें भार रहित अर्थात विधिक, नियामक अथवा परिचालानात्मक अवरोधों के बिना होना

चाहिए. ऐसी आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां होती है, जो बिना किसी अवरोध के एवं कम अथवा बिना किसी मूल्य हानि के सरलता से एवं तत्काल नकदी में परिवर्तित हो जाती हैं. एचक्यूएलए की दो श्रेणियां ए) स्तर-1 आस्तियां, एवं बी) स्तर- 2 आस्तियां होती हैं. स्तर-2 आस्तियों को तरलता एवं मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर पुनः दो भाग स्तर 2ए आस्तियों एवं स्तर 2बी आस्तियों में विभाजित किया जाता है.

स्तर 1 बिना किसी मार्जिन के एचक्यूएलए में शामिल स्टॉक आस्तियां हैं. स्तर 1 आस्तियों में मुख्य रुप से आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का आधिक्य सहित नकदी, एसएलआर (सांविधिक चलनिधि अनुपात) का आधिक्य, सीमांत स्टैंडिंग सुविधा (दिनांक 01 जनवरी, 2022 से प्रभावी निवल मांग एवं मियादी देयताएं का 2%) एवं एफएएलएलसीआर (निवल मांग एवं मियादी देयताएं का 16%) शामिल है.

स्तर 2ए आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 15% नकद कटौती की गई है. स्तर 2ए आस्तियों में मुख्य रूप से 20% जोखिम भारित के साथ प्रतिभूतियां शामिल हैं. स्तर 2बी आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 50% नकद कटौती की गई है. स्तर 2 बी आस्तियां एचक्यूएलए के कुल स्टॉक के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए. स्तर 2बी आस्तियां जिनका जोखिम भार मुख्य रुप से 20% से अधिक, परन्तु 50% से अधिक नहीं है जोखिम भार वाली प्रतिभूतियां होती हैं.

### शुद्ध नकदी प्रवाह

कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह में से कुल अनुमानित नकदी अंतर्प्रवाह को घटाने पर कुल शुद्ध नकदी प्रवाह परिभाषित होता है. नकद प्रवाह सुनिश्चित करने के क्रम में, बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, अपनी जमा पूंजी को ग्राहकों के विभिन्न संवर्गों में जैसे रिटेल (जिसमें आम जन से जमा लेना शामिल है), लघु कारोबार ग्राहकों (जिनका सकल निधियन रु. 7.5 करोड़ है) एवं गैर वित्तीयन ग्राहकों (एनएफ़सी) से जमा तथा अन्य विधिक अस्तित्व वाले ग्राहकों (ओएलई) को पृथक करता है. कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह के 75% तक की समग्र कैप तक, अपेक्षित प्रवाह के दर से संविदात्मक प्राप्तियों के विभिन्न श्रेणियों के बकाया राशियों को गुणा कर कुल अनुमानित नकदी अंतर्प्रवाह का आकलन किया जाता है.

### बैंक के एलसीआर के बारे में संक्षिप्त जानकारी

कवर की गई संस्थाएं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लिमिटेड हैं. दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्ति पर तीन महीने के दौरान बैंक ने औसत एचक्यूएलए रु. 2,75,225 करोड़ को बनाए रखा है. बैंक के लिए स्तर 1 आस्तियां एचक्यूएलए की मुख्य संचालक हैं. इनमें एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 98% योगदान है. दिनांक 31 मार्च, 2024 की समाप्त तिमाही के दैनिक औसत के आधार पर, एचक्यूएलए का अधिकतम भाग अर्थात कुल एचक्यूएलए का लगभग 68% चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए तरलता की सुविधा उपलब्ध है, स्तर 2 आस्तियां जो, स्तर 1 की तुलना में गुणवत्ता में कम है, उनमें 40% की अधिकतम स्वीकार्य / अनुमत स्तर के सापेक्ष एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 2% है.

बैंक का एक्सपोजर मुख्यत भारतीय रूपए में है. कुल निधियन स्रोतों का बड़ा भाग असुरक्षित सम्पूर्ण निधियन से बना है. रिटेल जमा और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमा, कुल भारित नकदी बहिर्प्रवाह का क्रमशः लगभग 21% और 4% है. कुल भारित नकदी बहिर्प्रवाह का लगभग 37% गैर वित्तीयन कॉर्पोरेट से जमा है. बैंक के ग्राहकों की ओर से जमा की गई राशि में मूलतः बैंक के ग्राहकों की ओर से जारी बैंक गारंटी (बीजी) एवं साख पत्र (एलसी) शामिल है. कुल भारित नकद अंतर्प्रवाह में लगभग 77% विभिन्न प्रतिपक्षकारों के अंतर्प्रवाह का योगदान है.

बैंक ने मार्च, 2024 तिमाही के सभी कार्य दिवसों के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना की है. 67 डाटा पॉइंट्स के दैनिक अवलोकन के औसत की गणना की गई है. दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 125.82% औसत एलसीआर के सापेक्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए 131.90% है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 100% वर्तमान न्यूनतम आवश्यकता से काफी अधिक है.

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान औसत एलसीआर का संचलन

| तिमाही | जून 2023 | सितंबर 2023 | दिसंबर 2023 | मार्च 2024 | वित्त वर्ष 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| एलसीआर अनुपात | 166.16 | 144.61 | 125.82 | 131.90 | 141.10 |

## मात्रात्मक प्रकटीकरण (तिमाही वार)

(₹ करोड़ में)

| | | मार्च 2023 तिमाही | | जून 2023 तिमाही | | सितंबर 2023 तिमाही | | दिसंबर 2023 तिमाही | | मार्च 2024 तिमाही | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) |
| **उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां** | | | | | | | | | | | |
| 1 | कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) | 2,72,365.27 | 2,70,381.26 | 2,94,242.32 | 2,92,680.09 | 2,88,879.67 | 2,87,634.13 | 2,64,088.95 | 2,62,795.24 | 2,76,525.16 | 2,75,225.07 |
| **नकदी बहिर्प्रवाह** | | | | | | | | | | | |
| 2 | खुदरा जमा राशियां एवं लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाराशियां, जिसमें से: | 6,46,869.46 | 49,883.30 | 6,62,146.89 | 51,109.13 | 6,82,546.99 | 59,585.70 | 6,94,437.90 | 60,463.02 | 6,88,810.91 | 59,623.04 |
| (i) | स्थिर जमा राशियां | 2,96,072.85 | 14,803.64 | 3,02,111.09 | 15,105.55 | 1,73,380.00 | 8,669.00 | 1,79,615.38 | 8,980.77 | 1,85,160.97 | 9,258.05 |
| (ii) | घटाई गई स्थिर जमा राशियां | 3,50,796.61 | 35,079.66 | 3,60,035.80 | 36,003.58 | 5,09,166.98 | 50,916.70 | 5,14,822.51 | 51,482.25 | 5,03,649.94 | 50,364.99 |
| 3 | बेजमानती थोक निधियां, जिसमें से: | 2,43,570.32 | 1,20,721.42 | 2,57,219.97 | 1,29,230.98 | 2,67,292.28 | 1,41,546.86 | 2,65,279.20 | 1,40,831.90 | 2,82,702.34 | 1,48,709.89 |
| (i) | परिचालनात्मक जमाराशियां (सभी काउंटर पार्टियां) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (ii) | गैर-परिचालानात्मक जमाराशियां (सभी काउंटर पार्टियां) | 2,43,570.32 | 1,20,721.42 | 2,57,219.97 | 1,29,230.98 | 2,67,292.28 | 1,41,546.86 | 2,65,279.20 | 1,40,831.90 | 2,82,702.34 | 1,48,709.89 |
| (iii) | बेजमानती ऋण | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | जमानती थोक निधियां | 3,663.14 | - | 1,100.63 | - | 2,181.40 | - | 15,112.03 | - | 8,195.96 | - |
| 5 | अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से | 1,31,809.13 | 15,033.14 | 2,25,425.09 | 25,209.30 | 2,09,354.01 | 23,907.76 | 2,37,887.92 | 29,020.08 | 2,31,221.16 | 26,709.58 |
| (i) | डेरीवेटिव एक्सपोज़र एवं अन्य सम्पार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्प्रवाह | 79.02 | 79.02 | 81.41 | 81.41 | 87.85 | 87.85 | 87.17 | 87.17 | 88.38 | 88.38 |
| (ii) | ऋण उत्पादों पर निधियों में हानि से संबंधित बहिर्प्रवाह | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (iii) | ऋण एवं तरलता सुविधाएं | 1,31,730.11 | 14,954.11 | 2,25,343.67 | 25,127.89 | 2,09,266.16 | 23,819.91 | 2,37,800.75 | 28,932.91 | 2,31,132.79 | 26,621.20 |
| 6 | अन्य संविदात्मक निधि बाध्यता | 3,609.33 | 3,609.33 | 3,625.73 | 3,625.73 | 3,946.79 | 3,946.79 | 4,312.17 | 4,312.17 | 4,227.18 | 4,227.18 |
| 7 | अन्य आकस्मिक निधि बाध्यता | 91,305.09 | 2,739.15 | 85,271.13 | 2,558.13 | 91,046.68 | 2,731.40 | 93,554.62 | 2,806.64 | 92,549.25 | 2,776.48 |
| **8** | **कुल नकदी बहिर्प्रवाह** | **11,20,826.48** | **1,91,986.34** | **12,34,789.43** | **2,11,733.28** | **12,56,368.14** | **2,31,718.51** | **13,10,585.06** | **2,37,435.03** | **13,07,706.80** | **2,42,046.16** |
| **नकदी अंतर्प्रवाह** | | | | | | | | | | | |
| 9 | जमानती अग्रिम (उदाहरणार्थ रिवर्स रेपो) | 4,103.18 | - | 7,378.82 | - | 5,696.84 | - | 1,201.26 | - | 3,346.50 | - |
| 10 | पूर्ण निष्पादनीय एक्सपोज़र से अंतर्प्रवाह | 32,328.30 | 23,567.09 | 38,014.25 | 27,228.69 | 33,896.68 | 25,717.67 | 31,420.00 | 21,483.30 | 39,303.74 | 25,766.50 |
| 11 | अन्य नकद अंतर्प्रवाह | 6,917.47 | 6,917.47 | 8,359.31 | 8,359.31 | 7,098.81 | 7,098.81 | 7,083.97 | 7,083.97 | 7,618.29 | 7,618.29 |
| **12** | **कुल नकद अंतर्प्रवाह** | **43,348.96** | **30,484.56** | **53,752.38** | **35,588.00** | **46,692.32** | **32,816.48** | **39,705.24** | **28,567.28** | **50,268.53** | **33,384.80** |
| **13** | **कुल एचक्यूएलए** | | **2,70,381.26** | | **2,92,680.09** | | **2,87,634.13** | | **2,62,795.24** | | **2,75,225.07** |
| **14** | **कुल शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह** | | **1,61,501.78** | | **1,76,145.28** | | **1,98,902.03** | | **2,08,867.75** | | **2,08,661.36** |
| **15** | **तरलता कवरेज अनुपात** (%) | | **167.42%** | | **166.16%** | | **144.61%** | | **125.82%** | | **131.90%** |

## सी) निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर)

### i) गुणानात्मक प्रकटीकरण:

निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफ़आर) का उद्देश्य बैंक की तरलता जोखिम प्रोफ़ाइल की प्रतिरोध क्षमता को प्रोत्साहित करना तथा लंबे समय के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की प्रतिरोध क्षमता को और अधिक संवर्धित करना है. एनएसएफ़आर के अनुसार बैंकों को उनके तुलन पत्रेत्तर गतिविधियों के संगठन संबंधी पूंजी तथा आस्तियों के रूप में स्थिर निधियन प्रोफ़ाइल को बनाए रखने की आवश्यकता है.

एनएसएफ़आर को आवश्यक स्थिर निधियन की राशि से संबंधित उपलब्ध स्थिर निधीयन की राशि के रूप में उल्लिखित किया गया है.

$$\text{एनएसएफ़आर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ़)}}{\text{आवश्यक स्थिर निधियन (आरएसएफ़)}}$$

भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 2018 में लगभग 100% के बराबर न्यूनतम आवश्यकता के साथ निवल स्थिर निधियन अनुपात के कार्यान्वयन पर विनियमों को जारी किया. यह कार्यान्वयन 1 अक्तूबर, 2021 से प्रभावी है. एनएसएफ़आर बैंक के देशी परिचालनों के साथ ही विदेशी परिचालनों में भी लागू है तथा स्टैंडअलोन तथा समेकित स्तर पर गणनीय है.

उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ़) को विश्वास करने योग्य पूंजी तथा देयताओं के अंश के रूप में वर्णित किया जाता है जो 100 भारांक प्राप्त करने वाले 1 वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता वाले देयताओं सहित उनके प्रकार तथा देयताओं की परिपक्वता के अनुसार विविध कारक के भारांकों द्वारा वर्णित किया जाता है.

आवश्यक स्थिर निधियन (आरएसएफ़) को तुलन पत्र तथा तुलन पत्रेत्तर के एक्सपोजरों के अंश के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसे नियमित आधार पर निधियन की आवश्यकता है. स्थिर निधियन आवश्यकता की राशि, धारित विविध आस्तियों की तरलता विशेषताओं तथा अवशिष्ट परिपक्वताओं का कार्य हैं.

**बैंक के एनएसएफ़आर का संक्षिप्त परिचय**

कवर की गई संस्थाएं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लिमिटेड हैं. उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसए.फ) के मुख्य घटक पूंजी आधार, रिटेल जमाराशि आधार तथा गैर-वित्तीय कंपनियों से निधियन तथा संस्थागत ग्राहकों से दीर्घ-अवधि निधियन है. संबंधित भारांकों को लागू करने के पश्चात कुल उपलब्ध स्थिर निधियन का पूंजी आधार लगभग 11%, रीटेल जमा (लघु आकार के कारोबार ग्राहकों से जमाराशि सहित) 68% तथा थोक निधीयन 20% हुआ है.

आवश्यक स्थिर निधियन में प्रारम्भ में कॉर्पोरेट, रिटेल ग्राहकों तथा वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान करना शामिल है, जिसमें संबंधित भारांकों को लागू करने के पश्चात कुल आरएसएफ़ का 88% होता है. उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियों के स्टॉक में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद और आरक्षित शेषराशि भी शामिल हैं. सरकारी ऋण जारी करने के पश्चात परिणामतः उनके उच्च गुण तथा तरल विशेषता के कारण शून्य या निम्न राशि की स्थिर निधियन को आकर्षित करती है. तदनुसार, संबंधित भारांकों को लागू करने के पश्चात एचक्यूएलए में आवश्यक स्थिर निधियन का केवल 2% शामिल है. आवश्यक स्थिर निधियन में अन्य आस्तियों तथा आकस्मिक निधियन दायित्व जैसे समर्पित ऋण सुविधाएं, गारंटी तथा साख पत्र के 10% शामिल हैं.

बैंक ने आवश्यकता स्थिर निधियन के ₹ 7,77,574 करोड़ के सापेक्ष समेकित स्तर के ₹ 10,06,187 करोड़ के उपलब्ध स्थिर निधियन सहित संतोषजनक स्थिर निधियन बफर को बरकरार रखा है, जिसके परिणामत: 31 मार्च, 2024 तक समेकित एनएसएफ़आर 129.40% हुआ है.

**ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:**

**मार्च, 2024 तक समेकित एनएसएफ़आर का प्रकटीकरण**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य | | | | भारांकित मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कोई परिपक्वता नहीं | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | |
| | एएसएफ़ मद | | | | | |
| 1 | पूंजी: (2+3) | 91996.45 | 0.00 | 0.00 | 18,613.20 | 1,10,609.65 |
| 2 | विनियामक पूंजी | 91996.45 | 0.00 | 0.00 | 975.20 | 92971.65 |
| 3 | अन्य पूंजी लिखतें | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17638.00 | 17638.00 |
| **4** | **छोटे कारोबार ग्राहकों से रिटेल जमा तथा जमाराशि: (5+6)** | **341501.15** | **142921.67** | **263747.55** | **2592.61** | **688497.49** |
| 5 | स्थिर जमा | 44165.68 | 35474.14 | 171391.45 | 1948.16 | 240427.87 |
| 6 | अल्प स्थिर जमा | 297335.47 | 107447.53 | 92356.10 | 644.45 | 448069.63 |
| **7** | **थोक निधीयन: (8+9)** | **64140.06** | **187731.33** | **213924.89** | **8095.20** | **201296.88** |
| 8 | परिचालनात्मक जमा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | अन्य थोक निधीयन | 64140.06 | 187731.33 | 213924.89 | 8095.20 | 201296.88 |
| **10** | **अन्य देयताएं: (11+12)** | **52122.10** | **3318.73** | **209.15** | **5782.49** | **5782.49** |
| 11 | एनएसएफ़आर व्युत्पन्न देयताएं | 299.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **12** | **उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी देयताएं तथा इक्विटी** | **51822.14** | **3318.73** | **209.15** | **5782.49** | **5782.49** |
| **13** | **कुल एएसएफ़ (1+4+7+10)** | | | | | **1006186.51** |
| | **आरएसएफ़ मद** | | | | | |
| **14** | **उच्च गुण तरल आस्ति के कुल एनएसएफ़आर (एचक्यूएलए)** | | | | | **13698.71** |
| **15** | **परिचालनात्मक उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशि** | **31.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15.85** |
| **16** | **निष्पादित ऋण तथा प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23)** | **1051.84** | **206640.59** | **70297.20** | **720266.39** | **685413.95** |
| 17 | स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण एवं वित्तीय संस्थानों को असंरक्षित निष्पादित ऋण | 0.00 | 103910.33 | 12430.86 | 48440.81 | 65065.86 |
| 19 | गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को निष्पादित ऋण, खुदरा ऋण तथा छोटे कारोबार ग्राहकों को ऋण तथा सर्वोत्तम, केंद्रीय बैंकों एवं पीएसई को ऋण, जिनमें से: | 0.00 | 100942.14 | 55664.22 | 536577.45 | 516020.79 |
| 20 | ऋण जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% या से कम तक के जोखिम भारांक सहित | 0.00 | 47632.78 | 7032.60 | 138815.57 | 117562.81 |
| 21 | निष्पादित आवसीय बंधक, जिनमें से: | 0.00 | 318.84 | 111.31 | 68149.95 | 44512.54 |
| 22 | ऋण जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% या से कम तक के जोखिम भारांक सहित | 0.00 | 318.84 | 111.31 | 68149.95 | 44512.54 |
| 23 | विनिमय-ट्रेडेड इक्विटियों सहित प्रतिभूतियां जो संदिग्ध नहीं हैं तथा एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं | 1051.84 | 1469.28 | 2090.82 | 67098.19 | 59814.75 |
| **24** | **अन्य आस्तियां: (25 से 29 की पंक्ति तक योग)** | **56161.74** | **16118.93** | **0.00** | **2048.80** | **67566.63** |
| 25 | स्वर्ण सहित भौतिक ट्रेडेड उत्पाद | **0.00** | | | | **0.00** |
| 26 | व्युत्पन्न संविदाओं के लिए प्राथमिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां तथा सीसीपी के संदिग्ध निधि को अंशदान | | 3627.67 | 0.00 | 0.00 | 3083.52 |
| 27 | एनएसएफ़आर व्युत्पन्न आस्तियां | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | पोस्ट किए गए विविध मार्जिन की कटौती के पूर्व एनएसएफ़आर व्युत्पन्न आस्तियां | | 53.87 | 0.00 | 0.00 | 53.87 |
| 29 | उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई अन्य सभी आस्तियां | 56161.74 | 12437.38 | 0.00 | 2048.80 | 64429.24 |
| **30** | **तुलन पत्रेत्तर मदें** | | **254595.66** | **52.00** | **0.00** | **10878.67** |
| **31** | **कुल आरएसएफ़ (14+15+16+24+30)** | | | | | **777573.81** |
| **32** | **निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)** | | | | | **129.40%** |

## मार्च, 2023 तक समेकित एनएसएफ़आर टेम्पलेट का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य | | | | भारांकित मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कोई परिपक्वता नहीं | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | |
| | **एएसएफ़ मद** | | | | | |
| 1 | पूंजी: (2+3) | 73472.52 | 0.00 | 2000.00 | 18565.48 | 92038.00 |
| 2 | विनियामक पूंजी | 73472.52 | 0.00 | 0.00 | 927.48 | 74400.00 |
| 3 | अन्य पूंजी लिखतें | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 17638.00 | 17638.00 |
| 4 | छोटे कारोबार ग्राहकों से रिटेल जमा तथा जमाराशि: (5+6) | 326162.46 | 113777.94 | 260622.47 | 2539.51 | 646702.81 |
| 5 | स्थिर जमा | 40994.80 | 29833.11 | 202307.84 | 1869.82 | 261348.79 |
| 6 | अल्प स्थिर जमा | 285167.66 | 83944.83 | 58314.64 | 669.69 | 385354.02 |
| 7 | थोक निधीयन: (8+9) | 74748.93 | 154529.84 | 173378.83 | 14931.52 | 200097.63 |
| 8 | परिचालनात्मक जमा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | अन्य थोक निधीयन | 74748.93 | 154529.84 | 173378.83 | 14931.52 | 200097.63 |
| 10 | अन्य देयताएं: (11+12) | 47026.01 | 18329.10 | 1610.00 | 3560.37 | 3560.37 |
| 11 | एनएसएफ़आर व्युत्पन्न देयताएं | 32.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी देयताएं तथा इक्विटी | 46993.27 | 18329.10 | 1610.00 | 3560.37 | 3560.37 |
| **13** | **कुल एएसएफ़ (1+4+7+10)** | | | | | **942399.71** |
| | **आरएसएफ़ मद** | | | | | |
| **14** | **उच्च गुण तरल आस्ति के कुल एनएसएफ़आर (एचक्यूएलए)** | | | | | **15865.86** |
| 15 | परिचालनात्मक उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशि | 53.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.49 |
| 16 | निष्पादित ऋण तथा प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23) | 1330.58 | 154093.90 | 61825.48 | 635915.07 | 576113.75 |
| 17 | स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण एवं वित्तीय संस्थानों को असंरक्षित निष्पादित ऋण | 0.00 | 81215.04 | 15206.23 | 19712.90 | 34141.10 |
| 19 | गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को निष्पादित ऋण,खुदरा ऋण तथा छोटे कारोबार ग्राहकों को ऋण तथा सर्वोत्तम, केंद्रीय बैंकों एवं पीएसई को ऋण, जिनमें से: | 0.00 | 67617.10 | 39686.95 | 506522.55 | 458900.37 |
| 20 | ऋण जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% या से कम तक के जोखिम भारांक सहित | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | निष्पादित आवसीय बंधक, जिनमें से: | 0.00 | 62.09 | 186.77 | 80496.34 | 52447.05 |
| 22 | ऋण जोखिम के लिए बासेल घ्मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% या से कम तक के जोखिम भारांक सहित | 0.00 | 62.09 | 186.77 | 80496.34 | 52447.05 |
| 23 | ऐसी प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप में नहीं और एकसचेंज ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं है. | 1330.58 | 5199.67 | 6745.54 | 29183.29 | 30625.23 |
| 24 | अन्य आस्तियां: (25 से 29 की पंक्ति तक योग) | 65903.32 | 14408.88 | 0.00 | 1261.18 | 75473.33 |
| 25 | स्वर्ण सहित भौतिक ट्रेडेड उत्पाद | 0.00 | | | | 0.00 |
| 26 | व्युत्पन्न संविदाओं के लिए प्राथमिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां तथा सीसीपी के संदिग्ध निधि को अंशदान | | 3040.96 | 0.00 | 0.00 | 2584.82 |
| 27 | एनएसएफ़आर व्युत्पन्न आस्तियां | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | पोस्ट किए गए विविध मार्जिन की कटौती के पूर्व एनएसएफ़आर व्युत्पन्न आस्तियां | | 80.96 | 0.00 | 0.00 | 80.96 |
| 29 | उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई अन्य सभी आस्तियां | 65903.32 | 11286.96 | 0.00 | 1261.18 | 72807.56 |
| **30** | तुलन पत्रेत्तर मदें | | 221871.20 | 0.00 | 0.00 | 9191.06 |
| **31** | **कुल आरएसएफ़ (14+15+16+24+30)** | | | | | **676671.20** |
| 32 | निवल स्थिर निधियन अनुपात (%) | | | | | 139.27% |

## 3. निवेश

### ए) निवेश संविभाग का संगठन

**यथा 31.03.2024**

(₹ करोड़ में)

| | भारत में निवेश | | | | | | | भारत के बाहर निवेश | | | | कुल निवेश |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सरकारी प्रतिभूतियां | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | शेयर | डिबेंचर एवं बॉन्ड | सहायक संस्था और/या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत में कुल निवेश | सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरण सहित) | सहायक संस्था और/या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत के बाहर कुल निवेश | |
| परिपक्वता धारित | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 2,29,580.78 | - | - | 44,183.32 | 393.81 | 335.18 | 2,74,493.09 | - | 1,148.71 | 0.40 | 1,149.11 | 2,75,642.20 |
| कम: गैर-निषादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई) | - | - | - | (218.45) | (5.00) | - | (223.45) | - | (4.50) | | (4.50) | (227.95) |
| निवल | 2,29,580.78 | - | - | 43,964.87 | 388.81 | 335.18 | 2,74,269.64 | - | 1,144.22 | 0.40 | 1,144.62 | 2,75,414.26 |
| बिक्री के लिए उपलब्ध | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 43,684.76 | - | 4,997.56 | 15,141.69 | - | 4,843.90 | 68,667.91 | 1,914.67 | - | 12.67 | 1,927.34 | 70,595.25 |
| घटाएं: मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान | (122.17) | - | (2,774.95) | (3,153.13) | - | (2,445.21) | (8,495.47) | - | - | (12.39) | (12.39) | (8,507.86) |
| निवल | 43,562.59 | - | 2,222.61 | 11,988.56 | - | 2,398.69 | 60,172.44 | 1,914.67 | - | 0.28 | 1,914.95 | 62,087.39 |
| ट्रेडिंग के लिए धारित | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 106.88 | - | - | 295.00 | - | - | 401.88 | - | - | - | - | 401.88 |
| घटाएं: मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
| निवल | 106.88 | - | - | 295.00 | - | - | 401.88 | - | - | - | - | 401.88 |
| **कुल निवेश** | **2,73,372.42** | - | **4,997.56** | **59,620.01** | **393.81** | **5,179.08** | **3,43,562.88** | **1,914.67** | **1,148.71** | **13.07** | **3,076.45** | **3,46,639.33** |
| घटाएं: एनपीआई के लिए प्रावधान | - | - | - | (218.45) | (5.00) | - | (223.45) | - | (4.50) | - | (4.50) | (227.95) |
| घटाएं: मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान | (122.17) | - | (2,774.95) | (3,153.13) | - | (2,445.21) | (8,495.47) | - | - | (12.39) | (12.39) | (8,507.86) |
| निवल | 2,73,250.25 | 0.00 | 2,222.61 | 56,248.42 | 388.81 | 2,733.87 | 3,34,843.96 | 1,914.67 | 1,144.22 | 0.68 | 3,059.57 | 3,37,903.53 |

*आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2023-24/90डीओआर.एसटीआर.आरईसी.58/21.04.048/2023-24 दिनांक 19.12.2023 में ₹ 19.54 करोड़ का आकस्मिक प्रावधान रु. 8495.47 करोड़ की प्रावधान राशि में शामिल है.

नोट:
1. सहायक कंपनियों और /या संयुक्त उद्यम (भारत में एवं भारत के बाहर) में दर्शाया गया प्रावधान मानक एमटीएम पर निर्धारित है और न कि एनपीआई पर.
2. गैर-कार्यनिष्पादन निवेशों हेतु प्रावधान में केवल परिपक्वता तक धारित संवर्ग शामिल है.
3. मूल्यह्रास और एनपीआई के प्रावधान में बिक्री के लिए उपलब्ध एवं ट्रेडिंग संवर्ग के लिए धारित शामिल है.

**यथा 31.03.2023**

(₹ करोड़ में)

| | भारत में निवेश | | | | | | | भारत के बाहर निवेश | | | कुल निवेश |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सरकारी प्रतिभूतियां | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | शेयर | डिबेंचर एव बॉन्ड | सहायक संस्था और/या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत में कुल निवेश | सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरण सहित) | सहायक संस्था और/या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत के बाहर कुल निवेश | |
| **परिपक्वता धारित** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 2,22,125.35 | - | - | 52,161.68 | 393.80 | 3,998.21 | 2,78,679.04 | - | 1,148.71 | 0.40 | 1,149.11 | 2,79,828.15 |
| कम: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई) | - | - | - | (200.00) | (5.00) | - | (205.00) | - | (3.11) | | (3.11) | (208.11) |
| **निवल** | **2,22,125.35** | **-** | **-** | **51,961.68** | **388.80** | **3,998.21** | **2,78,474.04** | **-** | **1,145.60** | **0.40** | **1,146.00** | **2,79,620.04** |
| **बिक्री के लिए उपलब्ध** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 37,798.39 | - | 5,007.44 | 13,388.83 | - | 8,994.58 | 65,189.24 | 1,739.88 | - | 45.37 | 1,785.25 | 66,974.49 |
| कम: मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान | - | - | (2,966.26) | (2,221.01) | - | (2,437.08) | (7,624.35) | (10.80) | - | (12.21) | (23.01) | (7,647.36) |
| **निवल** | **37,798.39** | **-** | **2,041.18** | **11,167.82** | **-** | **6,557.50** | **57,564.89** | **1,729.08** | **-** | **33.16** | **1,762.24** | **59,327.13** |
| **ट्रेडिंग के लिए धारित** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 327.82 | - | 0.15 | 24.00 | - | - | 351.97 | - | - | - | - | 351.97 |
| कम: मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान | - | - | - | (0.08) | - | - | (0.08) | - | - | - | - | (0.08) |
| **निवल** | **327.82** | **-** | **0.15** | **23.92** | **-** | **-** | **351.89** | **-** | **-** | **-** | **-** | **351.89** |
| **कुल निवेश** | **2,60,251.56** | **-** | **5,007.59** | **65,574.51** | **393.80** | **12,992.79** | **3,44,220.25** | **1,739.88** | **1,148.71** | **45.77** | **2,934.36** | **3,47,154.61** |
| कम: एनपीआई के लिए प्रावधान | - | - | - | (200.00) | (5.00) | - | (205.00) | - | (3.11) | - | (3.11) | (208.11) |
| कम: मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान | - | - | (2,966.26) | (2,221.09) | - | (2,437.08) | (7,624.43) | (10.80) | - | (12.21) | (23.01) | (7,647.44) |
| **निवल** | **2,60,251.56** | **0.00** | **2,041.33** | **63,153.42** | **388.80** | **10,555.71** | **3,36,390.82** | **1,729.08** | **1,145.60** | **33.56** | **2,908.24** | **3,39,299.06** |

नोट: 1. सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यम (भारत में एवं भारत के बाहर) में दर्शाया गया प्रावधान मानक एमटीएम पर निर्धारित है और न कि एनपीआई पर.
2. गैर-कार्यनिष्पादन निवेशों हेतु प्रावधान में केवल परिपक्वता तक धारित संवर्ग शामिल है.
3. मूल्यह्रास और एनपीआई के प्रावधान में बिक्री के लिए उपलब्ध एवं ट्रेडिंग संवर्ग के लिए धारित शामिल है.

## बी) मूल्यह्रास तथा निवेश अस्थिर आरक्षित के लिए प्रावधानों का विचलन

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| i) | निवेशों पर मूल्यह्रास के धारित प्रावधान का विचलन | | |
| | ए) प्रारम्भिक शेषराशि | 7,855.57 | 6,180.78 |
| | बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | 1,935.92 | 2,119.77 |
| | सी) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते डालना | 1,055.69 | 444.98 |
| | **डी) अंतिम शेषराशि** | **8,735.80** | **7,855.57** |
| ii) | निवेश अस्थिर आरक्षित का विचलन | | |
| | ए) प्रारम्भिक शेषराशि | 1,352.96 | 1,936.16 |
| | बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित राशि | 28.44 | -- |
| | सी) घटाएं: आहरण द्वारा कमी | -- | 583.20 |
| | **डी) अंतिम शेषराशि** | **1,381.40** | **1,352.96** |
| iii) | एएफ़एस तथा एएफ़टी/ वर्तमान श्रेणी में निवेशों की अंतिम शेषराशि के प्रतिशत के रूप में आईएफ़आर में अंतिम शेषराशि | 2.00 | 2.00 |
| iv) | निवेश आरक्षित निधि का प्रवाह | | |
| | ए) प्रारम्भिक शेषराशि | 176.90 | -- |
| | बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित राशि | 152.79 | 176.90 |
| | सी) घटाएं: आहरण द्वारा कमी | -- | -- |
| | **डी) अंतिम शेषराशि** | **329.69** | **176.90** |

## सी) एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री व अंतरण

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के 5 प्रतिशत से अधिक के बही मूल्य के निवेश का एचटीएम श्रेणी से विक्रय एवं उसमें अंतरण किया है. उपर्युक्त से 5% प्रारंभिक सीमा अलग होगी:

i. प्रतिभूतियों के एकबारगी हस्तांतरण को / एचटीएम श्रेणी से निदेशक मण्डल के अनुमोदन से लेखा वर्ष की शुरुआत में बैंकों के द्वारा किए जाने की अनुमति है. बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 8,208.12 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि की प्रतिभूतियों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी से बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफ़एस) श्रेणी में अंतरण कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.51 करोड़ की अंतरण हानि हुई है, जिसका पूरा लेखा-जोखा दिया गया है.

ii. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एसएलआर आवश्यकताओं में अधोगामी संशोधन के तदनुसार एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कम करने के लिए एचटीएम से प्रत्यक्ष विक्रय.

iii. भारतीय रिजर्व बैंक के तरलता प्रबंधन परिचालनों जैसे खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) तथा सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जी-सैप) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को विक्रय.

iv. भारत सरकार द्वारा वापस खरीदने/ परिचालन अंतरण के अंतर्गत बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों को पुनः खरीदना.

v. बायबैक/ स्विच परिचालन के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य विकास ऋणों को पुनः खरीदना.

vi. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों का अतिरिक्त अंतरण.

## डी) गैर– एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| ए) | आरंभिक शेष | 5,925.60 | 4,431.69 |
| बी) | 1 अप्रैल से वर्ष के दौरान वृद्धि | 906.97 | 1,910.06 |
| सी) | उपरोक्त अवधि के दौरान कमी | 959.04 | 416.15 |
| डी) | अंतिम शेष | 5,873.53 | 5,925.60 |
| ई) | कुल धारित प्रावधान | 5,597.16 | 5,737.00 |

### ii) गैर– एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता संमिश्र

सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त, प्रतिभूतियों में निवेशों के जारीकर्ता संमिश्र निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | जारीकर्ता | राशि | | निजी आबंटन की मात्रा | | 'निवेश स्तर से नीचे' प्रतिभूतियों की मात्रा | | 'गैर– निर्धारित' प्रतिभूतियों की मात्रा | | 'गैर सूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 |
| ए) | पीएसयू | 3,146.01 | 4,193.09 | 926.13 | 1,418.66 | | -- | 2,661.74 | 3,080.52 | 0.58 | 0.58 |
| बी) | वित्तीय संस्थाएं | 2,032.00 | 4,046.13 | 611.80 | 1,765.47 | | -- | | -- | | -- |
| सी) | बैंक | 1,641.16 | 2,816.78 | 1,016.68 | 2,177.16 | | -- | 5.00 | 5.00 | | -- |
| डी) | निजी कॉर्पोरेट | 15,070.88 | 24,269.13 | 12,946.07 | 20,609.27 | 18.45 | 20.00 | 426.91 | 448.37 | 125.70 | 126.16 |
| ई) | सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम | 1,542.52 | 1,542.52 | 1,542.52 | 1,542.52 | | -- | | -- | | -- |
| एफ) | अन्य | 49,834.33 | 50,035.42 | 46,438.30 | 46,481.31 | | -- | | -- | | -- |
| जी) | मूल्यह्रास हेतु किया गया प्रावधान | (8,613.63) | (7,855.57) | | -- | | -- | -0.69 | -- | -13.08 | -- |
| | **कुल** | **64,653.27** | **79,047.49** | **63,481.50** | **73,994.39** | **18.45** | **20.00** | **3,092.96** | **3,533.89** | **113.20** | **126.74** |

## ई) रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के अनुसार)

इंगित अवधि के लिए निर्धारित निम्नलिखित सारणी, जिसमें चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) व सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) में संव्यवहार सहित क्रमशः रेपो व रिवर्स रेपो संव्यवहार के तहत खरीदे एवं बेचे गए प्रतिभूतियों के विवरण दिए गए है.

(₹ करोड़ में)

| | विवरण | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया | दिनांक 31.03.2024 को बकाया |
|---|---|---|---|---|---|
| i) | रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां | | | | |
| ए) | सरकारी प्रतिभूतियां | 0.00 | 24,370.64 | 4,530.91 | 0.00 |
| बी) | कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | | | | |
| सी) | अन्य कोई प्रतिभूतियां | 0.00 | 10.33 | 0.17 | 0.00 |
| ii) | रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां | | | | |
| ए) | सरकारी प्रतिभूतियां | 0.00 | 17,048.62 | 3,303.65 | 9,277.25 |
| बी) | कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | | | | |
| सी) | अन्य कोई प्रतिभूतियां | | | | |

**एफ) सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) लेनदेन का विवरण (बाज़ार मूल्य के संबंध में):**

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2024 तक | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया | 31.03.2024 तक बकाया |
|---|---|---|---|---|
| जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गईं प्रतिभूतियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2023 तक | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया | 31.03.2023 तक बकाया |
|---|---|---|---|---|
| जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गईं प्रतिभूतियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

जी) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के प्रतिभूतियों के बिक्री पर ₹ 290.89 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 193.77 करोड़) के लाभ को शुरुआत में लाभ तथा हानि खाते में लिया गया.

एच) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के संबंध में, जैसा कि महत्वपूर्ण खाता नीति में कहा गया है वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर अधिग्रहण लागत के अतिदेय ₹ 684.19 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 723.50 करोड़) हुआ है.

आई) शेयर परिवर्तनीय डिबेंचर तथा म्यूचुअल फ़ंड/वेंचर पूंजी फ़ंड इक्विटी की इकाइयों और साथ ही अग्रिमों में भी किए गए कुल निवेश के सापेक्ष शेयर का योग ₹ 2288.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,353.41 करोड़) है.

## 4. आस्ति गुणवत्ता

### ए) अग्रिम एवं धारित प्रावधानों का वर्गीकरण

| वित्तीय वर्ष 2023-24 | मानक | गैर-निष्पादित | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल मानक अग्रिमों | उप-मानक | संदिग्ध | हानि | कुल गैर निष्पादित अग्रिमों | |
| **सकल मानक अग्रिम तथा एनपीए** | | | | | | |
| प्रारंभिक शेषराशि | 748918.02 | 7118.16 | 34950.72 | 18918.41 | 60987.29 | 809905.31 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नए जोड़ | | | | | 11876.65 | |
| घटाए: वर्ष के दौरान गिरावट | | | | | 29766.01 | |
| अंतिम शेषराशि | 861786.17 | 7900.43 | 24833.99 | 10363.31 | 43097.73 | 904883.90 |
| *सकल एनपीए में गिरावट के कारण: | | | | | 29766.01 | |

| वित्तीय वर्ष 2023-24 | मानक | गैर-निष्पादित | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल मानक अग्रिमों | उप-मानक | संदिग्ध | हानि | कुल गैर निष्पादित अग्रिमों | |
| i) उन्नयन | | | | | 4212.51 | |
| ii) वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों से वसूलियों को छोड़कर) | | | | | 7289.49 | |
| iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते डालना | | | | | 15457.95 | |
| iv) उपरोक्त (iii) के अंतर्गत के अलावा अन्य को बट्टे खाते डालना | | | | | 2806.06 | |
| **प्रावधानों (अस्थिर प्रावधानों को छोड़कर)** | | | | | | |
| धारित प्रावधान की प्रारंभिक शेषराशि | 5579.56 | 1892.61 | 27035.25 | 18701.32 | 47629.18 | 53208.74 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान | 700.73 | | | | 6387.29 | 7088.02 |
| घटाए: प्रवर्तन किया गया अतिरिक्त प्रावधान बट्टे खाते डालना | 302.91 | | | | 20227.50 | 20530.41 |
| धारित प्रावधान की अंतिम शेषराशि | 5977.38 | 2181.45 | 21392.83 | 10214.69 | 33788.97 | 39766.35 |
| **विविध जमाराशि में रखी गई राशि प्राप्त ईसीजीसी दावे/वाद दायर खातों में वसूली/एनपीए खातों में पुर्नसंरचित छोड़ी गई राशि** | | | | | 318.84 | 318.84 |
| **निवल एनपीए** | | | | | | |
| प्रारंभिक शेषराशि | | 5199.52 | 7727.92 | 0.00 | 12927.44 | 12927.44 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान नए शामिल किए गए जोड़ | | | | | 5489.36 | 5489.36 |
| घटाए: वर्ष के दौरान घटाव | | | | | 9426.88 | 9426.88 |
| अंतिम शेषराशि | | 5702.09 | 3287.83 | 0.00 | 8989.92 | 8989.92 |
| | | | | | | |
| **अस्थिर प्रावधान** | | | | | | |
| प्रारंभिक शेषराशि | | | | | | शून्य |
| जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नवीन प्रावधान | | | | | | शून्य |
| घटाए: वर्ष के दौरान आहरण में गिरावट राशि | | | | | | शून्य |
| अस्थिर प्रावधानों की अंतिम शेषराशि | | | | | | शून्य |
| | | | | | | |
| **तकनीकी बट्टे-खाते डालना तथा उसमें की गई वसूलियाँ** | | | | | | |
| तकनीकी बट्टे-खाते डालने/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते डालने के खातों का प्रारंभिक शेषराशि | | | | | | 72791.95 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टेखाते डालना | | | | | | 15457.96 |
| घटाए: वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टेखाते डाले गए खातों से की गई वसूलियाँ | | | | | | 8412.69 |
| **अंतिम शेषराशि** | | | | | | **79837.22** |

( ₹ करोड़ में)

| वित्तीय वर्ष 2022-23 | मानक | गैर-निष्पादित | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल मानक अग्रिमों | उप-मानक | संदिग्ध | हानि | कुल गैर निष्पादित अग्रिमों | |
| **सकल मानक अग्रिम तथा एनपीए** | | | | | | |
| प्रारंभिक शेषराशि | 6,36,820.81 | 11,040.55 | 49,449.47 | 19,097.04 | 79,587.07 | 7,16,407.87 |
| जोड़ेः वर्ष के दौरान किए गए नए जोड़ | | | | | 12,518.60 | 12,518.60 |
| घटाएः वर्ष के दौरान गिरावट | | | | | 31,118.38 | 31,118.38 |
| अंतिम शेषराशि | 7,48,918.02 | 7,118.16 | 34,950.72 | 18,918.41 | 60,987.29 | 8,09,905.31 |
| *सकल एनपीए में गिरावट के कारणः | | | | | 31,118.38 | 31,118.38 |
| ii) उन्नयन | | | | | 4,666.03 | 4,666.03 |
| v) वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों से वसूलियों को छोड़कर) | | | | | 7,277.35 | 7,277.35 |
| vi) तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खाते डालना | | | | | 16,805.74 | 16,805.74 |
| vii) उपरोक्त (iii) के अंतर्गत के अलावा अन्य को बट्टे खाते डालना | | | | | 2,369.26 | 2,369.26 |
| | | | | | | |
| **प्रावधानों (अस्थिर प्रावधानों को छोड़कर)** | | | | | | |
| धारित प्रावधान की प्रारंभिक शेषराशि | 6,566.77 | 2,377.63 | 33,650.81 | 18,628.10 | 54,656.53 | 61,223.30 |
| जोड़ेः वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान | | | | | 12,478.97 | 12,478.97 |
| घटाएः प्रवर्तन किया गया अतिरिक्त प्रावधान बट्टे खाते डालना | 987.21 | | | | 19,506.32 | 20,493.53 |
| धारित प्रावधान की अंतिम शेषराशि | 5,579.56 | 1,892.61 | 27,035.25 | 18,701.32 | 47,629.18 | 53,208.74 |
| विविध जमाराशि में रखी गई राशि प्राप्त ईसीजीसी दावे/ वाद दायर खातों में वसूली/ एनपीए खातों में पुर्नसंरचित छोड़ी गई राशि | | | | | 430.68 | 430.68 |
| **निवल एनपीए** | | | | | | |
| प्रारंभिक शेषराशि | | 8,659.30 | 15,524.13 | 119.87 | 24,303.30 | 24,303.30 |
| जोड़ेः वर्ष के दौरान नए शामिल किए गए जोड़ | | | | | 12,048.29 | |
| घटाएः वर्ष के दौरान घटाव | | | | | 23,424.15 | |
| अंतिम शेषराशि | | 5,199.52 | 7,727.92 | 0.00 | 12,927.44 | 12,927.44 |
| **अस्थिर प्रावधान** | | | | | | |
| प्रारंभिक शेषराशि | | | | | | शून्य |
| जोड़ेः वर्ष के दौरान किए गए नवीन प्रावधान | | | | | | शून्य |
| घटाएः वर्ष के दौरान आहरण में गिरावट राशि | | | | | | शून्य |
| अस्थिर प्रावधानों की अंतिम शेषराशि | | | | | | शून्य |
| | | | | | | |
| **तकनीकी बट्टे-खाते डालना तथा उसमें की गई वसूलियाँ** | | | | | | |
| तकनीकी बट्टे-खाते डालने/ विवेकपूर्ण बट्टे-खाते डालने के खातों का प्रारंभिक शेषराशि | | | | | | 68,680.43 |
| जोड़ेः वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टेखाते डालना | | | | | | 16,805.73 |
| घटाएः वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टेखाते डाले गए खातों से की गई वसूलियाँ | | | | | | 12,693.64 |
| अंतिम शेषराशि | | | | | | 72,792.52 |

| अनुपात (प्रतिशत में) | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| सकल एनपीए से सकल अग्रिमों | 4.76% | 7.53% |
| सकल एनपीए से सकल अग्रिमों | 1.03% | 1.70% |
| प्रावधान कवरेज अनुपात | 92.69% | 90.34% |

## बी) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(₹ करोड़ में)

| क्र. | क्षेत्र | 2023-24 | | | 2022-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल बकाया अग्रिम | सकल एनपीए | उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का % | कुल बकाया अग्रिम | सकल एनपीए | उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का % |
| **i)** | **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** | | | | | | |
| ए) | कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां | 1,73,138.68 | 15,031.40 | 8.68 | 1,43,493.24 | 13,691.94 | 9.54 |
| बी) | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रुप में पात्र क्षेत्र के उद्योग को ऋण | 41,374.13 | 3,781.99 | 9.14 | 39,428.37 | 5,576.86 | 14.14 |
| सी) | सेवाएं | 94,445.45 | 7,720.82 | 8.17 | 85,855.21 | 10,104.78 | 11.77 |
| डी) | वैयक्तिक ऋण | 30,772.63 | 1,684.84 | 5.48 | 38,088.39 | 2,808.90 | 7.37 |
| | **उप-योग (i)** | **3,39,730.89** | **28219.05** | **8.31** | **3,06,865.21** | **32,182.48** | **10.49** |
| | | | | | | | |
| **ii)** | **गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** | | | | | | |
| ए) | कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां | 10,694.41 | 613.43 | 5.74 | 7,736.63 | 1,117.94 | 14.45 |
| बी) | उद्योग | 1,22,499.97 | 5,988.25 | 4.89 | 1,08,328.10 | 10,001.65 | 9.23 |
| सी) | सेवाएं | 2,46,442.97 | 2,179.82 | 0.88 | 1,89,560.91 | 9,178.30 | 4.84 |
| डी) | वैयक्तिक ऋण | 1,85,515.66 | 6,097.18 | 3.29 | 1,97,414.46 | 8,506.92 | 4.31 |
| | **उप-योग (ii)** | **5,65,153.01** | **14,878.68** | **2.63** | **5,03,040.10** | **28,804.81** | **5.73** |
| | **कुल (i+ii)** | **9,04,883.90** | **43,097.73** | **4.76** | **8,09,905.31** | **60,987.29** | **7.53** |

**उद्यमों के विवरण, जिसमें उप-क्षेत्र अग्रिम उद्योग क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 10% से अधिक है:**

( ₹ करोड़ में)

| क्र. | क्षेत्र | 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | कुल बकाया अग्रिम | सकल एनपीए | उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का % |
| I | मूल मेटल एवं मेटल उत्पाद | 24,194.02 | 867.80 | 3.59 |
| II | निर्माण | 98,816.34 | 3,752.19 | 3.80 |
| III | फूड विनिर्माण एवं प्रोसेसिंग | 29,705.32 | 1,936.86 | 6.52 |

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. | क्षेत्र | 2022-23 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | कुल बकाया अग्रिम | सकल एनपीए | उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का % |
| I | मूल मेटल एवं मेटल उत्पाद | 25,124.64 | 1,689.75 | 6.73 |
| II | विनिर्माण | 94,202.45 | 7,569.17 | 8.04 |

## सी) समुद्रपारीय आस्तियां, एनपीए एवं राजस्व

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| कुल आस्तियां | 42,411.89 | 31,540.79 |
| कुल एनपीए | 2,329.15 | 2,357.98 |
| कुल राजस्व | 2,137.03 | 1,096.75 |

## डी) आरबीआई परिपत्र क्र. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के तहत संकल्प योजना एवं पुर्ननिर्माण का विवरण:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | खातों की संख्या | निवेश मूल्य | धारित प्रावधान |
|---|---|---|---|
| आरबीआई जून, 2019 परिपत्र के आधार पर ऋण का इक्विटी में परिवर्तन | शून्य | शून्य | शून्य |

## ई) परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

वित्तीय विवरणों पर आरबीआई मास्टर निदेश प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2021-22/83डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.45/21.04.018/2021-22, दिनांक 30 अगस्त, 2021 (समय-समय पर अद्यतित) में उल्लिखित शर्तों के आधार पर, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई की पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में परिसंपत्ति वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान में विचलन पर कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है.

## एफ़) ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटीकरण:

i) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने किसी भी ऋण को संदिग्ध में अंतरित नहीं किया है.

ii) समनुदेशन के माध्यम से प्राप्त उन ऋणों के विवरण जिन्हें संदिग्ध में शामिल नहीं किया गया है, जो निम्नानुसार हैं:

( ₹ करोड़ में)

| विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| अर्जित ऋणों की कुल राशि | 244.34 | 2,772.99 |
| अवशिष्ट परिपवक्ता का कुल भारांक (माह में) | 126.34 | 74.59 |
| प्रवर्तक द्वारा धारित अवधि का कुल भारांक (माह में) | 11.26 | 12.47 |
| प्रवर्तक द्वारा लगभग आर्थिक ब्याज का प्रतिधारण | 10% | 10.00% |
| मूर्त प्रतिभूति कवरेज | 272.14% | 72.13% |

प्राप्त ऋणों को निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि ये गैर-कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए है.

iii) बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई भी अनर्जक आस्ति प्राप्त नहीं की है.

iv) बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई भी ऋण जो चूक और एसएमए श्रेणी में नहीं है, उनका अंतरण नहीं किया है.

v) अंतरित किए गए अनर्जक ऋणों के विवरण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

| वित्तीय वर्ष 2023-24<br>विवरण | एआरसी को | अनुमत अंतरिती को | अन्य अंतरिती को (कृपया स्पष्ट करें) |
|---|---|---|---|
| खातों की संख्या | 17 | 1 | - |
| अंतरित किए गए ऋणों के कुल बकाया मूलधन | 2,098.81 | 37.24 | - |
| अंतरित किए गए ऋणों के अवशिष्ट अवधि के कुल भारांक | 12.80 | 1 | - |
| अंतरित ऋणों के निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) | 8.16 | 0.00 | - |
| कुल प्रतिफल | 805.21 | 23.00 | - |
| पिछले वर्ष में अंतरित किए गए खातों के संबंध में लिए गए अतिरिक्त प्रतिफल | 45.09 | शून्य | शून्य |
| एसएमए | शून्य | शून्य | शून्य |
| वर्ष के दौरान अर्जित ऋणों का विवरण | | | |
| प्राप्त ऋणों का कुल बकाया मूलधन | शून्य | शून्य | शून्य |
| भुगतान किया गया कुल प्रतिफल | शून्य | शून्य | शून्य |
| अर्जित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि | शून्य | शून्य | शून्य |

5 खातों में दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधानों की मात्रा रु. 172.76 करोड़ है.

(₹ करोड़ में)

| वित्तीय वर्ष 2022-23<br>विवरण | एआरसी को | अनुमत अंतरिती को | अन्य अंतरिती को (कृपया स्पष्ट करें) |
|---|---|---|---|
| खातों की संख्या | 10 | | |
| अंतरित किए गए ऋणों के कुल बकाया मूलधन | 3,248.82 | | |
| अंतरित किए गए ऋणों के अवशिष्ट अवधि के कुल भारांक | 119.42 | शून्य | शून्य |
| अंतरित ऋणों के निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) | शून्य | | |
| कुल प्रतिफल | 1,472.76 | | |
| पिछले वर्ष में अंतरित किए गए खातों के संबंध में लिए गए अतिरिक्त प्रतिफल | 45.09 | | |

vi) 31 मार्च, 2024 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपे गए वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर का वितरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| वसूली रेटिंग बैंड | बही मूल्य | |
|---|---|---|
| | यथा 31.03.2024 | यथा 31.03.2023 |
| आरआर 1+ | 104.51 | 222.25 |
| आरआर 1 | 576.56 | 384.06 |
| आरआर 2 | 239.19 | 186.16 |
| आरआर 3 | 93.49 | 53.27 |
| आरआर 4 | 4.01 | 181.07 |
| आरआर 5 | 247.23 | 391.09 |
| आरआर 6 | -- | -- |
| गैर-चिन्हित | 974.15 | 815.86 |
| **कुल** | **2,239.14** | **2,233.76** |

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 8 वर्ष के बाद रेटिंग लागू नहीं होगी.

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, पोर्टफोलियो में चार नए एसआर जोड़े गए हैं और सुरक्षा प्राप्तियों के बही मूल्य पर 100% प्रावधान किया गया है.

## जी) धोखाधड़ी खाते

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी की संख्या | 3168* | 366 |
| धोखाधड़ी में शामिल राशि | 2,321.61 | 5,504.38 |
| धोखाधड़ी खातों में शेष राशि | 2,126.93 | 5,418.30 |
| ऐसे धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि | 0.00 | 0.00 |

* 3168 मामलों में से, ₹ 28.92 करोड़ के 3046 मामले ग्राहकों द्वारा साझा किए गए क्रेडेंशियल से संबंधित हैं, जिसमें ग्राहकों ने ओटीपी, सीवीवी, पासवर्ड आदि जैसी संवेदनशील जानकारी फोन पर या ऑनलाइन दिए गए लिंक पर क्लिक करके या व्हाट्सएप, ई-मेल और टेक्स्ट मैसेज आदि के माध्यम से साझा की है. आरबीआई की 13 जनवरी, 2023 के परामर्श के अनुसार, ठग्राहकों द्वारा साझा किए गए क्रेडेंशियलठ से संबंधित सभी मामलों को एफएमआर में रिपोर्ट किया जाना है, भले ही बैंकों की शून्य देयता हो. इसलिए, इन मामलों की राशि को प्रावधान के लिए शून्य माना गया है.

## एच) कोविड–19 संबंधी तनाव के लिए समाधान ढांचे के अनुसार आरबीआई परिपत्र दिनांक 06 अगस्त, 2020 तथा 05 मई, 2021 के अंतर्गत कार्यान्वित की गई समाधान योजना के विवरण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

| उधारकर्ता के प्रकार | (ए) समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर (ए) 30.09.2022 तक स्थिति | (बी) अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से एनपीए में स्लिप हुए कुल ऋण | (सी) अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से बट्टेखाते डाली गई राशि | (डी) अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि# | (ई) समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर 31.03.2024 तक स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| व्यक्तिगत ऋण | 5,168.53 | 162.46 | - | 453.08 | 4,552.99 |
| कॉर्पोरेट व्यक्ति* | 2,487.47 | 0.00 | - | 708.41 | 1,779.06 |
| जिसमें से, एमएसएमई | 184.05 | 0.00 | - | 50.27 | 133.78 |
| अन्य | 147.89 | 15.75 | - | 15.73 | 116.41 |
| **कुल** | **7,803.89** | **178.21** | **-** | **1,177.22** | **6,448.46** |

* निवेश एक्सपोजर शामिल है

# इसमें मौजूदा खातों, बंद खातों और अवधि के दौरान पुनर्रचना से बाहर खातों में एक्सपोजर में निवल परिवर्तन शामिल है

आई) ''अग्रिमों की पुनरसंरचना'' सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र (एकबारगी पुनरसंरचना) पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीआर.बीपी.बीसी. 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1 जनवरी, 2019, डीओआर.सं.बीपी.बीसी. 34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020, डीओआर.एसटीआर.आरईसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 तथा डीओआर.एसपीआर.आरईसी. 12/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के क्रम में बैंक ने एमएसएमई उधारकर्ता खातों को निम्नानुसार पुनर्संरचित किया है:

| पुर्नसंरचित किए गए खातों की संख्या | ₹ करोड़ में |
|---|---|
| 1,01,642 | 3,704.38 |

जे) वैयक्तिक तथा छोटे करोबार के लिए समाधान ढांचा 2.0 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्र. डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 11/21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 के क्रम में, विवरण निम्नानुसार है:

| **क्षेत्र** | **यथा 31.03.2024 तक स्थिति** | |
|---|---|---|
| | **उधारकर्ताओं की संख्या** | **राशि ₹ करोड़ में** |
| वैयक्तिक तथा छोटे कारोबार | 28,057 | 4,128.02 |
| कृषि/संबद्ध | 2,658 | 198.82 |
| **कुल** | **30,715** | **4,326.84** |

के) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के क्रम में, बैंक ने 31 मार्च, 2024 तक 11 खातों में प्रावधान धारित किया है, जो निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| **आरबीआई परिपत्र द्वारा प्रभावित ऋणों की राशि** | **एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों की राशि** | **(बी) में से यथा 31.03.2024 तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋणों की राशि** | **(ए) में से आरबीआई परिपत्र के अंतर्गत कवर किए गए अपेक्षित प्रावधान** | **31.03.2024 तक धारित प्रावधान** |
|---|---|---|---|---|
| (ए) | (बी) | (सी) | (डी) | (ई) |
| **1,842.52** | **1,435.75** | **1,435.75** | **525.09** | **525.09** |

एल) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीआरक्र.बीपी.15199/21.04.048/2016-17 और डीबीआरक्र.बीपी. 1906/21.04.048/2016-17 क्रमशः दिनांक 23 जून, 2017 और 28 अगस्त, 2017 के अनुसार दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत कवर किए गए खातों के लिए दिनांक 31 मार्च, 2024 तक बैंक ने 100% शेष राशि ₹ 10112.72 करोड़ (तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए ₹ 10,112.72 करोड़ के खातों सहित) का प्रावधान किया है.

## 5. एक्सपोजर

### ए) रियल इस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

| **क्र. सं.** | **विवरण** | **31.03.2024** | **31.03.2023** |
|---|---|---|---|
| i) | **प्रत्यक्ष एक्सपोजर** | 1,05,212.15 | 99,387.40 |
| ए) | आवासीय बंधक - | 91,105.00 | 84,322.00 |
| | आवासीय संपत्तियों पर ऋण पूरी तरह से बंधक द्वारा सुरक्षित है और ये सम्पत्तियां ऋण लेने वालों के कब्जे में हैं या किराये पर हैं; | 24,431.00 | 32,831.00 |
| | - उपर्युक्त में से, प्राथमिक क्षेत्र अग्रिमों में शामिल किए जाने हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण. | | |
| | जोखिम में गैर-निधि आधारित सीमाएं शामिल हैं. | | |
| बी) | वाणिज्यिक रियल इस्टेट | | |
| | वाणिज्यिक अचल सम्पदा (कार्यालय भवन, फुटकर स्थल, बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-पट्टेदार व्यावसायिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थल, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) के ऋण बंधक द्वारा सुरक्षित. एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल हैं. | 14,107.15 | 15,065.40 |

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| सी) | बंधक समर्थित/ प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोज़र -<br>i. आवासीय,<br>ii. वाणिज्यिक रियल इस्टेट. | <br>शून्य<br>शून्य | <br>शून्य<br>शून्य |
| ii) | अप्रत्यक्ष एक्सपोजर<br>राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा गृह निर्माण वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र. | 39,321.31 | 46,693.51 |
| | **रियल इस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोज़र** | **1,44,533.46** | **1,46,080.91** |

## बी) पूँजी बाजार में एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| i) | इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में सीधा निवेश, जिसकी आधारभूत निधि केवल कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है. | 1,189.35 | 1,208.79 |
| ii) | शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या शेयरों में निवेश हेतु बेजमानती आधार पर (आईपीओ/ ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्ड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के पेटे अग्रिम | 1.86 | 1.35 |
| iii) | किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहां शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रुप में लिया गया है | 292.53 | 299.20 |
| iv) | शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित अन्य प्रयोजनों के अग्रिम, जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बॉन्ड्स/ परिवर्तनीय डिबेचरों/ इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को छोड़कर अन्य मूल प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः सुरक्षित नहीं करती है. | 2,090.01 | 1,198.71 |
| v) | स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं बेजमानती अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां | 1,279.99 | 1,058.30 |
| vi) | शेयरों/ बॉन्डो/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बढ़ते संसाधनों की प्रत्याशा में नयी कंपनियों के इक्विटी के लिए प्रमोटर के अंशदान के लिए बेजमानती आधार पर कॉर्पोरेट्स को मंजूर ऋण | -- | -- |
| vii) | संभावित इक्विटी प्रवाहों/ निर्गमों के पेटे कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण | -- | -- |
| viii) | शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों के मूल निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा प्रतिबद्धताओं की जिम्मेदारी लेना. | -- | -- |
| ix) | मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त पोषण | -- | -- |
| x) | वेंचर पूंजी निधियों के सभी एक्सपोजर (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों) इक्विटी के समान माने जाएगें और इसलिए उन्हें अनुपालन हेतु पूंजी बाजार निवेश सीमाओं (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनो) के साथ हिसाब में लिया जाएगा. | 1,099.15 | 1,144.62 |
| | **पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर** | **5,952.89** | **4,910.97** |

पूंजी बाजार में रु. 5952.89 करोड़ का एक्सपोजर रु 25439.73 करोड़ (यानी 31 मार्च, 2023 तक बैंक की कुल संपत्ति रु. 63,599.33 करोड़ का 40% है) की सीमा के भीतर है.

पूंजी बाजार में रु. 2288.51 करोड़ का प्रत्यक्ष एक्सपोजर रु. 12,719.87 करोड़ (यानी 31 मार्च, 2023 तक बैंक की कुल संपत्ति रु. 63,599.33 करोड़ का 20% है) की सीमा के भीतर है.

सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बकाया राशि की पुनर्रचना के लिए, ऋणदाताओं को मौजूदा विनियमों और वैधानिक आवश्यकताओं के अधीन, कंपनी की इक्विटी जारी करके उनके नुकसान/त्याग (शुद्ध वर्तमान मूल्य के संदर्भ में खाते के उचित मूल्य में कमी) के लिए आरंभिक रूप से मुआवजा दिया जा सकता है.

- यदि इक्विटी शेयरों के ऐसे अधिग्रहण के परिणामस्वरूप मौजूदा विनियामक पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई) सीमा पार हो जाती है, तो इसका विवरण निम्नानुसार है: लागू नहीं.
- कार्यनीति ऋण पुनर्रचना के भाग के रूप में ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने का विवरण जिनको सीएमई सीमाओं से छूट प्राप्त है, निम्नानुसार है:

| खातों की संख्या | राशि करोड़ में (31.03.2024 तक बही मूल्य) |
|---|---|
| 16 | 2081.10 |

**सी) जोखिम संवर्ग-वार कंट्री एक्सपोज़र**

(₹ करोड़ में)

| जोखिम संवर्ग | शुद्ध एक्सपोज़र 31.03.2024 | धारित प्रावधान 31.03.2024 | शुद्ध एक्सपोज़र 31.03.2023 | धारित प्रावधान 31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|
| अपर्याप्त | 33,279.81 | शून्य | 31,603.27 | शून्य |
| अल्प | 10,850.77 | शून्य | 22,760.29 | शून्य |
| सामान्य रूप से अल्प | 655.20 | शून्य | 513.30 | शून्य |
| सामान्य | 5.97 | शून्य | 227.78 | शून्य |
| सामान्य रूप से उच्च | 475.95 | शून्य | 670.21 | शून्य |
| उच्च | 7.64 | शून्य | 101.17 | शून्य |
| अत्यधिक उच्च | 45.21 | शून्य | 0.00 | शून्य |
| **कुल** | **45,320.55** | शून्य | **55,876.02** | शून्य |

कन्ट्री जोखिम नीति 2023-24 के अनुसार, भारत में ट्रेड एक्सपोजर के लिए बैक द्वारा ईसीजीसी कंट्री जोखिम वर्गीकरण का उपयोग भारत तथा विदेश दोनों में स्थित शाखाओं के अतिरिक्त व्यापार जोखिम के लिए किया गया है.

बैंक केवल उस देश के संबंध में ही कंट्री जोखिम नीति का प्रावधान करेगा, जहां निवल वित्त पोषित जोखिम अपनी कुल संपत्ति का 1% या उससे अधिक है.

## डी) बेजमानती अग्रिम

(रू करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| बैंक के कुल प्रतिभूति रहित अग्रिम | 1,42,936.88 | 1,25,803.00 |
| अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे राइट्स, लाइसेंस, अथॉरिटी आदि पर प्रभार के पेटे बकाया ऋण राशि | शून्य | शून्य |
| ऐसी अमूर्त सम्पार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य | शून्य | शून्य |

सड़क / राजमार्ग / परियोजनाओं और टोल संग्रह अधिकारों के संबंध में बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल के तहत वार्षिकी द्वारा समर्थित अग्रिमों को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र ओडी.बीपी.बीसी.न. 83/08.12.014/2012-13 दिनांक 18 मार्च, 2013 के अनुसार सुरक्षित माना गया है.

## ई) फेक्टरिंग एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

| विवरण | यथा 31.03.2024 | यथा 31.03.2023 |
|---|---|---|
| डीबीआर.नं.एफ़एसडी.बीसी.32/24.01.007/2015-16 दिनांक 30 जुलाई, 2015 (पैरा 8) के अनुसार टीआरईडी एक्सपोजर. | 1,018.86 | 523.83 |

## एफ़) इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि | 624.98 | 539.98 |
| 20 बड़े इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि | 624.98 | 539.98 |
| बैंक के कुल उधारकर्ताओं / ग्राहकों के इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र में ऋणियों/ ग्राहकों के इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत | 0.05 | 0.05 |
| इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र पर ऋण सीमा के उल्लंघन का विवरण एवं नियामक द्वारा उस पर की गयी कार्रवाई. | शून्य | शून्य |

## जी) अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

यूएफ़सीई के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशनिर्देशों के अनुसार, बैंक ने क्रेडिट जोखिम प्रबंधन नीति अनुमोदित की है. बैंक नीति बनाते समय, फोरेक्स मार्केट में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखा गया है एवं तदनुसार जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं. बैंक ने अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र से होने वाली क्रेडिट जोखिमों को ध्यान में रखा है एवं तदनुसार अतिरिक्त ऋण मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क को शामिल कर जोखिम को कम करने के उपायों को अपनाया है. मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान यूएफसीई के साथ कम्पनियों के एक्सपोज़र के लिए कुल प्रावधान रु. 19.30 करोड़ किया गया.

# 6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोज़र एवं एनपीए का केन्द्रीकरण:

## ए) जमाराशियों का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि | 84,511.79 | 89,178.87 |
| बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं से प्राप्त जमाराशियों का प्रतिशत | 7.05 % | 7.98% |

## बी) अग्रिमों का केन्द्रीकरण:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को दिए गए कुल अग्रिम | 1,37,764.66 | 1,35,946.15 |
| बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत. | 11.59% | 12.92% |

## सी) एक्सपोज़र का केन्द्रीकरण:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र | 1,39,678.91 | 1,38,811.94 |
| बैंक के कुल उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के एक्सपोज़र में बीस बड़े ऋणियों/ ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत | 11.07% | 12.20% |

## डी) एनपीए का केन्द्रीकरण:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| बीस बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोज़र | 6,079.06 | 10,510.60 |
| कुल सकल एनपीए में अधिकतम बीस एनपीए के एक्सपोजर का प्रतिशत | 13.38% | 17.23% |

## ई) भारतीय रिजर्व बैंक के वृहद जोखिम ढांचा के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण.

## बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) से अधिक का विवरण.

(₹ करोड़ में)

| क्र सं. | | उधारकर्ता का नाम | एक्स्पोज़र सीमा (₹ ) | कुल एक्स्पोज़र (₹) | पूंजी निधि के % के रूप में एक्स्पोजर | 31.03.24 को स्थिति | पूंजी निधि के % की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | एकल उधारकर्ता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2. | समूह उधारकर्ता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

- आरबीआई एलईएफ़ के दिनांक 3 जून, 2019 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एकल और समूह उधारकर्ता के लिए एक्सपोज़र सीमा बैंकों के टियर-1 पूंजी निधि के क्रमशः 20% और 25% के रूप में परिभाषित की गई है. असाधारण मामलों में, बैंकों का बोर्ड एकल उधारकर्ता को अतिरिक्त 5 प्रतिशत एक्सपोजर (बैंकों के उपलब्ध टियर-1 पूंजी निधि का) की अनुमति दे सकता है.

- 31.03.2024 तक, किसी भी एकल/समूह उधारकर्ता की निर्धारित सीमा को पार नहीं किया है.

# 7. डेरीवेटिव्स

## ए) वायदा दर अनुबंध / ब्याज दर स्वैप

( ₹ in crore)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| i) | स्वैप अनुबंध की कल्पित मूल राशि प्रतिपक्षों | 46,078.83 | 42,093.16 |
| ii) | अनुबंध के अनुसार संबंधित पक्षों द्वारा अपने दायित्वों की पूर्ति न किए जाने के फलस्वरुप होने वाली हानि | 141.77 | 136.65 |
| iii) | स्वैप प्रक्रिया अपनाने हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति | शून्य | शून्य |
| iv) | स्वैप से आयी क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण | बैंकिंग उद्योग | बैंकिंग उद्योग |
| v) | स्वैप बही का उचित मूल्य | 4.51 | 4.65 |

नोटः

I. भारतीय रुपये में ब्याज दर स्वैप की परस्पर हेजिंग ऋण व्यवस्था की गई.

II. बैंक ने वर्ष के दौरान ट्रेडिंग के लिए फ्लोटिंग से स्थायी अथवा स्थायी से फ्लोटिंग ब्याज दर संव्यवहारों को अपनाया है.

III. हेज संव्यवहारों के लिए सभी अंतर्निहित, उपचय के आधार पर है.

## बी) एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 | | 31.03.2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| i) | वर्ष के दौरान किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव संव्यवहारों के कल्पित मूल राशि का विनिमय (लिखत-वार) ब्याज दर वायदा | **खरीद** | **विक्री** | **खरीद** | **विक्री** |
| | ए) 726GS2032 | 198.14 | 26.12 | 1,180.76 | 1,180.74 |
| | बी) 726GS2033 | 1,960.40 | 1,888.96 | -- | -- |
| | सी) 718GS2033 | 878.70 | 682.50 | -- | -- |
| | डी) 610GS2031 | | | 1,215.04 | 1,215.04 |
| | ई) 654GS2032 | | | 1,074.28 | 1,074.28 |
| ii) | 31 मार्च 2024 तक बकाया ब्याज दर डेरीवेटिव को विनिमयगत संव्यवहारों की कल्पित मूल राशि (लिखत-वार)<br>ए) 726जीएस2032 | - | | 0.02 | |
| iii) | किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और 'अत्यंत प्रभावी' न हुई कल्पित मूल राशि (लिखत-वार) | - | | शून्य | |
| iv) | किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और 'अत्यंत प्रभावी' न हुई मार्क टू मार्केट मूल्य (लिखत-वार) | - | | शून्य | |

## सी) डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन

**i) गुणात्मक प्रकटन:**

ए) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के ढांचे के अधीन बैंक दो समूहो में डेरीवेटिव्स संव्यवहार करता है.

i) काउन्टर पर डेरीवेटिव संव्यवहार

ii) एक्सचेंज के माध्यम से डेरीवेटिव संव्यवहार

काउन्टर पर डेरीवेटिव समूह में बैंक वायदा दर अनुबंध, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस करेंसी स्वैप और करेंसी ऑप्शन में संव्यवहार करता है.

एक्सचेज में ट्रेड होने वाले डेरीवेटिव समूह, में बैंक करेंसी वायदा और वायदा ब्याज दर में कारोबार करता है. भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएससी), बाम्बे स्टॉक एक्सजेंज (बीएसई) एवं मेट्रोपौलिटन स्टॉक एक्सचेंज (एमएसईआईएल) का उनकी करेंसी डेरेविटव सेगमेंट में ट्रेडिंग एवं समाशोधन सदस्य है. बैंक इन एक्सचेंजों में करेंसी वायदा में स्वामित्व ट्रेडिंग करता है. बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है. नियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप दैनिक मार्क टू मार्केट (एमटीएम) एवं मार्जिन दायित्व को संव्यवहार के साथ निपटाया जाता है.

बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वायदा ब्याज दर पर व्यापार करता है. बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है. नियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप दैनिक मार्क टू मार्केट (एमटीएम) एवं मार्जिन दायित्व को संव्यवहार के साथ निपटाया जाता है.

बैंक लागू विनियमों के अंतर्गत स्वामित्व ट्रेडिग/मार्केट मेकिंग, अपने स्वयं के तुलनपत्र की हेजिंग और अपनी जोखिम हेज करने वाले ग्राहकों के लिए डेरीवेटिव संव्यवहार करता है. स्वामित्व ट्रेडिंग/मार्केट मेकिंग पोजीशन रुपया ब्याज दर स्वैप, करेंसी वायदा और ब्याज दर वायदा में की जाती है. हालांकि डेरीवेटिव लिखतों में गैर-ब्याज आय बढ़ाने और बाजार जोखिम से सुरक्षा के प्रचुर अवसर सन्निहित होते हैं, किन्तु इससे बैंक की विविध जोखिमें भी बढ़ जाती है. बैंक ने डेरीवेटिव संव्यवहारों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए निम्न युक्तियां अपनायी हैं.

ए) आवश्यक मूलभूत संरचना के क्रम में ट्रेजरी शाखा में परिचालन को निम्न तीन कार्यात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें प्रशिक्षित अधिकारियों से सुसज्जित किया गया है और साथ ही उनकी जिम्मेदारियों का निर्धारण भी किया गया है.

I) फ्रंट ऑफिस- (डीलिंग रुम) बैंक की नीति और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रेड करने के निर्देश का पालन करता है.

II) मिड कार्यालय - जोखिम प्रबंधन, लेखांकन नीति और प्रबंधन

III) बैक ऑफिस - निपटान, समाधान और लेखांकन.

मिड ऑफिस ट्रेडिंग बही में संव्यवहारों तथा आधिक्यों का अनुश्रवण करता है और यदि कोई आधिक्य है तो आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है. मिड ऑफिस मार्क टू मार्केट के जरिए दैनिक आधार पर ट्रेडिंग बुक में संव्यवहारों के लिए वित्तीय जोखिमों को भी आंकता है. आस्ति व देयता प्रबंधन पर निदेशक मंडल की समिति को जोखिम प्रोफाइल की जानकारी देने के लिए दैनिक मार्क टू मार्केट पोजीशन, जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है.

कॉर्पोरेट ग्राहकों के मामले में संव्यवहार केवल अंतर्निहित क्रेडिट एक्सपोजर करने के बाद किए जाते हैं और ग्राहक औचित्य एवं अनुकूलता के लिए ट्रेजरी पॉलिसी में निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित किए जाते हैं. आवश्यक दस्तावेज यथा आईएसडीए करारनामा आदि निष्पादित किए जाते हैं. बैंक ने ऋण एक्सपोजर के अनुश्रवण के लिए वर्तमान ऋण निवेश (करंट एक्सपोजर) पद्धति अपनाई है.

बी) बैंक की ट्रेजरी नीति में वित्तीय डेरीवेटिव लिखत के प्रकार, प्रचलन की गुंजाइश एवं अनुमोदन प्रक्रिया के साथ ही साथ अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग के लिए ओपन पोजीशन सीमा, डील साइज सीमा और स्टॉप-लॉस सीमा तथा प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर सीमा जैसी सीमाओं का भी उल्लेख है.

विभिन्न जोखिम सीमाएं तय की जाती हैं और उनके समक्ष वास्तविक एक्सपोजर की निगरानी की जाती है. ये सीमाएं बाजार की अस्थिरता, कारोबारी रणनीति और प्रबंधकीय अनुभव को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं. जोखिम मानदण्डों यथा पीवी01, स्टॉप-लॉस, प्रतिपक्षी पार्टी क्रेडिट एक्सपोजर के लिए हैं. आवधिक अंतराल पर इन सीमाओं के सापेक्ष वास्तविक स्थिति की समीक्षा की जाती है और यदि कोई उल्लंघन है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत की जाती है. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी गैर ऑप्शन डेरीवेटिव संविदाओं से कुल पीवी01 पोजीशन बैंक की नेटवर्थ के 0.25% के अंदर रहे.

सी) बैंक अपने तुलन पत्र एक्सपोजरों को हेज करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव लेनदेनों का भी प्रयोग करता है. बैंक की ट्रेजरी नीति में एक्सपोजरों को हेजिंग करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया बताई गई है. हेज लेनदेनों का नियमित आधार पर अनुश्रवण किया जाता है. इन लेनदेनों पर पीवी01 एवं वीएआर बाजार दर (मार्क टू मार्केट) आधार पर परिकल्पित लाभ या हानि प्रत्येक माह आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) को रिपोर्ट किया जाता है. हेज प्रभाविता वह डिग्री है, जिसमें परिवर्तन से हेज किए गए मदों के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में होने वाला परिवर्तन, हेजिंग लिखत के नकदी प्रवाह या उचित मूल्य में शामिल हो जाता है. हेज की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया समय- समय पर की जाती है.

डी) हेज्ड/ अन-हेज्ड संव्यवहारों को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है. हेज लेनदेनों की उपचय आधार पर गणना की जाती है. सभी ट्रेडिंग संविदा मार्क-टू-मार्केट किए जाते हैं और आय विवरण में परिणामी लाभ या हानि रिकॉर्ड की जाती है.

ऑप्शन कॉन्ट्रेक्ट के मामले में, आय की पहचान, प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए समय-समय पर फेडाई द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर कार्रवाई की जाती है.

क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए बैंक द्वारा प्रतिपक्षी बैंकों और प्रतिपक्षी ग्राहकों की लिमिट तय करने के लिए नीति बनाई हुई है. बैंक आवधिक अंतराल पर प्रति पक्षकार एक्सपोजर की निगरानी के लिए करंट एक्सपोजर प्रणाली अपनाता है. डेरीवेटिव लिमिट मंजूर करते समय, सक्षम प्राधिकारी उचित समझी जाने वाली संपार्श्विक/ मार्जिन लेने की शर्त लगा सकते हैं. अन्य ऋण लिमिटों के साथ ही डेरीवेटिव लिमिटों की आवधिक समीक्षा की जाती है.

ग्राहक से संबंधित डेरीवेटिव संव्यवहार प्रतिपक्षी बैंक के साथ, प्रत्येक मामले में समकक्ष राशि और अवधि के लिए कवर होते हैं और इनमें कोई बाजार जोखिम नहीं होती है.

ii) **मात्रात्मक प्रकटन:**

(₹ करोड़ में)

| मात्रात्मक प्रकटन | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | विवरण | 31-03-2024 | | 31-03-2023 | |
| | | करेंसी डेरीवेटिव्स | ब्याज दर डेरीवेटिव्स | करेंसी डेरीवेटिव्स | ब्याज दर डेरीवेटिव्स |
| (ए) | **डेरीवेटिव (कल्पित मूल राशि)** | | | | |
| | (i) हेजिंग के लिए | 6,778.84 | 2,644.94 | 3,994.00 | 3,165.00 |
| | (ii) ट्रेडिंग के लिए | 3,79,564.88 | 43,433.90 | 4,13,578.41 | 38,928.18 |
| (बी) | **बाजार स्थिति को अंकित** | | | | |
| | (i) आस्तियां (+) | 641.93 | 141.77 | 1,430.12 | 135.51 |
| | (ii) देयताएं (-) | -626.56 | -136.92 | -1,326.16 | -130.46 |
| (सी) | **ऋण एक्सपोज़र (*)** | **9,043.48** | **561.54** | **10,364.27** | **493.24** |
| (डी) | **ब्याज दर में 1 प्रतिशत बदलाव का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) (₹ लाख में)** | | | | |
| | (i) हेजिंग डेरीवेटिव पर | -28,793.60 | 5,779.79 | -20,888.16 | 3,686.11 |
| | (ii) ट्रेडिंग डेरीवेटिव पर | -252.49 | 182.26 | -16.62 | 47.77 |
| (ई) | **वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01 (₹ लाख में)** | | | | |
| | **I. अधिकतम** | | | | |
| | (i) हेजिंग पर | -16,940.51 | 5,302.80 | -10,744.86 | 4,652.40 |
| | (ii) ट्रेडिंग पर | 813.39 | 5,039.38 | 1,023.14 | 2,548.55 |
| | **II. न्यूनतम** | | | | |
| | (i) हेजिंग पर | -41,015.29 | 2,171.13 | -23,138.00 | 3,686.11 |
| | (ii) ट्रेडिंग पर | -420.25 | 12.28 | -25.97 | 14.82 |

*टिप्पणी:

1. ब्याज दर डेरिवेटिव्स के क्रेडिट एक्सपोजर में बचाव सौदों पर एक्सपोजर भी शामिल है.
2. करेंसी डेरिवेटिव्स के क्रेडिट एक्सपोजर में बचाव सौदों पर एक्सपोजर भी शामिल है

## डी) क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने कोई भी क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप संव्यवहार नहीं किया.

8. **प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण:** 31 मार्च, 2024 तक, बैंक के पास प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए कोई विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) नहीं है.

9. **बैंक द्वारा प्रायोजित ऑफ-बैलेंस शीट एसपीवी:** शून्य

10. **जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारम्भिक शेष | 3,198.83 | 2,877.09 |
| जोड़ा : वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित की गयी राशि | 604.24 | 387.59 |
| घटाया : डीईएएफ द्वारा दावे के रुप में प्रतिपूर्ति की गयी राशि | 343.16 | 65.85 |
| डीईएएफ को अंतरित राशि का अन्तिम शेष | 3,459.91 | 3,198.83 |

डीईए फंड में स्थानांतरित की गई राशि का अंतिम शेष, जैसा कि ऊपर बताया गया है, को भी `अनुसूची 12 आकस्मिक देयताएँ की अन्य मदें हैं जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है' या `आकस्मिक देयताएँ अन्य', जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत शामिल किया गया है.

## 11. शिकायतों का प्रकटन:

**बैंकों को ग्राहकों एवं लोकपाल कार्यालय (ओबीओ) से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी**

**विवरण**

| क्र. सं. | | बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित) | 527 | 1,395 |
| 2. | | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित) | 3,20,495 | 2,52,086 |
| 3. | | वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित) | 3,14,691 | 2,52,954 |
| | 3.1 | जिनमें से कुल शिकायत बैंक द्वारा अस्वीकृत किए गए | 964 | 610 |
| 4. | | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित) | 6,331 | 527 |
| **ओबीओ से प्राप्त बैंक द्वारा प्राप्त समाधान योग्य शिकायतें** | | | | |
| 5. | | बैंकिंग लोकपाल से प्राप्त बैंक द्वारा प्राप्त समाधान योग्य शिकायतों की संख्या | 6,373 | 6,167 |
| | 5.1 | 5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के पक्ष में समाधान की गई शिकायतों की संख्या | 2,276 | 2,241 |
| | 5.2 | 5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/ सलाह के माध्यम से समाधान की गई शिकायतों की संख्या | 4,097 | 3,924 |
| | 5.3 | 5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के विरुद्ध में निर्णय पास किए जाने पर निपटान की गई शिकायतें. | 0 | 2 |
| 6. | | निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या (अपील किए गए निर्णय के अलावा) | 0 | 0 |

नोटः- रखरखाव योग्य शिकायतें विशेष रूप से एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पूर्व में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती है. हालांकि, सीएमएस साइट से एकत्रित उपरोक्त डेटा में खंड 11 के अनुसार समझौते द्वारा निपटान किया गया है एवं साथ ही साथ लोकपाल योजना 2006 के खंड 13 के अनुसार अस्वीकृत शिकायतों को भी शामिल किया गया है, जो कि पत्र व्यवहार के अधीन है.

**बैंक द्वारा ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के प्रथम 5 कारण (बैंकिंग लोकपाल शिकायतें सहित)**

| शिकायतों के प्रकार, (अर्थात संबद्ध शिकायतें) | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | पिछले वर्ष की तुलना में लंबित शिकायतों की संख्या में वृद्धि/ कमी % | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | 5 में कितनी शिकायतों 30 दिनों से अधिक समय से लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **चालू वर्ष (2023-24)** | | | | | |
| | 01.04.2023 | 2023-24 | 31.03.2024 | 31.03.2024 | |
| एटीएम/ डेबिट कार्ड | 98 | 2,11,184 | 3.80% | 1,744 | 299 |
| इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग | 50 | 46,013 | 96.37% | 1,160 | 196 |
| बिना पूर्व सूचना/ अत्यधिक प्रभार/ फोक्लोजर प्रभारों के प्रभार लगाना | 1 | 7,312 | 89.43% | 189 | 41 |
| चेक/ ड्राफ्ट/ बिल | 8 | 4,342 | 467.58% | 147 | 40 |
| क्रेडिट कार्ड | 0 | 1,966 | 3.91% | 567 | 219 |
| अन्य | 370 | 49,678 | 165.89% | 2,524 | 502 |
| **कुल** | **527** | **3,20,495** | **27.14%** | **6,331** | **1,297** |

**बैंक द्वारा ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के प्रथम 5 कारण (बैंकिंग लोकपाल शिकायतें सहित)**

| शिकायतों के प्रकार, (अर्थात संबद्ध शिकायतें) | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | पिछले वर्ष की तुलना में लंबित शिकायतों की संख्या में वृद्धि/ कमी % | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | 5 में कितनी शिकायतों 30 दिनों से अधिक समय से लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **पिछला वर्ष (2022-23)** | | | | | |
| | 01.04.2022 | 2022-23 | 31.03.2023 | 31.03.2023 | |
| एटीएम/ डेबिट कार्ड | 324 | 2,03,453 | -4.91% | 98 | 0 |
| इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग | 213 | 23,432 | -62.25% | 50 | 0 |
| बिना पूर्व सूचना/ अत्यधिक प्रभार/ फोर्क्लोजर प्रभारों के प्रभार लगाना | 47 | 3,860 | -62.72% | 1 | 0 |
| चेक/ ड्राफ्ट/ बिल | 11 | 765 | -77.56% | 8 | 0 |
| ऋण एवं अग्रिम | 32 | 1,892 | -40.76% | 0 | 0 |
| अन्य | 768 | 18,684 | - 46.97% | 370 | 2 |
| **कुल** | **1395** | **2,52,086** | **-23.19%** | **527** | **2** |

## 12. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य विनियामक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

| नियामक का नाम | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष | | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि |
| बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 |
| अन्य नियामक | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

**बैंक द्वारा चूक की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं:**

1. किसी भी सरकारी परियोजना को मंजूरी देते समय बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रदान की गई निधि विशिष्ट दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए है जो सरकार की बजटीय योजना का हिस्सा नहीं हैं.
2. बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि राजस्व प्रवाह वित्तपोषित अंतर्निहित परिसंपत्तियों से आ रहा है और वित्तपोषित अंतर्निहित परियोजना परिसंपत्तियों से प्राप्त स्वतंत्र नकदी प्रवाह के आधार पर परियोजना की व्यवहार्यता और बैंकयोग्य का आकलन करेगा.

## 13. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक भुगतान किया गया पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | 0.40 | 0.49 |
| कार्यपालक निदेशकगण | 1.31 | 1.28 |
| **कुल** | **1.71** | **1.77** |

## 14. अन्य प्रकटन

### ए) कारोबार अनुपात

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| i) | कार्यशील निधियों में ब्याज आय के रुप में प्रतिशत | 7.51 | 6.60 |
| ii) | कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय के रुप में प्रतिशत | 1.21 | 1.20 |
| iii) | जमा राशि की लागत | 5.22 | 4.37 |
| iv) | शुद्ध ब्याज मार्जिन | 2.99 | 2.90 |
| v) | कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ के रुप में प्रतिशत | 2.12 | 2.08 |
| vi) | आस्तियों पर प्रतिफल | 1.03 | 0.69 |
| vii) | प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (जमाराशि एवं अग्रिम) (रु. करोड़ में) | 25.37 | 23.14 |
| vi) | प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (रु. करोड़ में) | 0.18 | 0.11 |

### बी) बैंकएश्योरेंस कारोबार:

बैंक के एश्योरेंस कारोबार से अर्जित की गयी आय का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | आय का स्वरूप | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| 1. | जीवन बीमा पॉलिसी | 278.40 | 233.39 |
| 2. | गैर-जीवन बीमा पॉलिसी | 29.75 | 50.76 |
| 3. | स्वास्थ्य बीमा | 54.49 | 49.13 |

### सी) विपणन एवं संवितरण

विपणन तथा संवितरण के संदर्भ में प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक का विवरण (बैंकाश्योरेंस कारोबार को छोड़कर):

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | आय का स्वरूप | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| 1. | म्यूचुअल फंड कारोबार का संवितरण | 20.80 | 19.76 |

### डी) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार प्रमाणपत्र

बैंक की अन्य आय में अन्य विषयों के साथ-साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र पीएसएलसी-एसएफ़एमएफ़ श्रेणी के तहत बिक्री से रु. 581.88 करोड़ की कमीशन आय और पीएसएलसी-कृषि श्रेणी के तहत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र की खरीद के माध्यम से रु.29.87 करोड़ का व्यय शामिल है. पीएसएलसी प्रमाणपत्र व्यापारित मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| श्रेणी | व्यापारित मूल्य |
|---|---|
| पीएसएलसी-सामान्य | 9,270 |
| पीएसएलसी-लघु एवं सीमांत किसान | 30,000 |
| **कुल** | **39,270** |

## ई) प्रावधान तथा आकस्मिकताएं

(राशि ₹ करोड़ में)

| **लाभ एवं हानि मद में प्रदर्शित प्रावधान तथा आकस्मिकताओं का ब्रेक अप:** | **31.03.2024** | **31.03.2023** |
|---|---|---|
| निवेश पर एनपीआई के लिए प्रावधान/(प्रवर्तन) | (354.75) | 1,915.18 |
| एनपीए पर प्रावधान | 6,387.29 | 12,478.98 |
| मानक आस्तियों पर प्रावधान/(प्रवर्तन) | 700.73 | (992.73) |
| आय कर (आईटी)/आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) पर किए गए निवल प्रावधान | 7,782.08 | 3,704.45 |
| अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं: | | |
| - स्थानांतरण हानि | 0.00 | -- |
| - पुर्नसंरचित अग्रिम | (3.94) | (96.98) |
| - अन्य | 50.91 | 24.98 |
| **कुल** | **14,562.32** | **17,033.88** |

## एफ़) आईएफ़आरएस के तहत भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप (आईएनडी- एएस)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.नं.-76/21.07.001/2015-16 दिनांक 11 फरवरी, 2016 के माध्यम से बैंकों में भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी- एएस) के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप निर्धारित किया तथा बैंकों को इस संबंध में हुए प्रगति सहित अपनी आईएनडी- एएस के कार्यान्वयन की रणनीति का प्रकटन करना था. तदनुसार बैंक द्वारा आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन हेतु एक सलाहकार की नियुक्ति की गई है. इसके अलावा, बैंक ने आवश्यक सॉफ्टवेयर खरीदे हैं एवं भारतीय लेखांकन मानकों (भारतीय लेखांकन मानक) के सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन हेतु वेंडर को शामिल किया है. बैंक द्वारा इस संबंध में हुई प्रगति का निरीक्षण करने हेतु संचालन समिति का भी गठन किया गया है तथा निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति को समय-समय पर इससे अवगत कराया जाता है. इसके अतिरिक्त, डीओ.डीबीआर.बीपी.नं.2535/21.07.001/2017-18 दिनांक 13 सितंबर 2017 के अनुसार, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को तिमाही आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2021 तक आईएनडी-एएस वित्तीय विवरण प्रोफॉर्मा प्रस्तुत किया है. तदुपरांत, भारतीय रिजर्व बैंक (विनियमन विभाग) के दिनांक 08 अगस्त, 2021 के मेल के क्रम में, बैंक को अर्ध-वार्षिक आधार पर प्रोफॉर्मा आईएनडी एएस वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया. 30 सितंबर, 2023 को समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष के लिए पिछले प्रोफॉर्मा वित्तीय को भारतीय रिजर्व बैंक को 30 नवंबर, 2023 के पत्र के माध्यम से जमा किया गया.

### जी) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(राशि ₹ करोड़ में)

| **क्र. सं.** | विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| i) | डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान (जीएसटी सहित) | 1550.26 | 1,448.90 |
| ii) | डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में एरियर (जीएसटी सहित) | -- | -- |

## एच) बैंकों के कर्मचारियों की बढ़ी हुई पेंशन के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण: शून्य

### आई) बैंक द्वारा जारी किए गए आश्वासन पत्र (एलसी) पर प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| वर्ष में शुरुआत में बकाया चुकौती आश्वासन पत्र | 0.00 | 0.00 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान निर्गत | 0.00 | 0.00 |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान अवधि-समाप्त | 0.00 | 0.00 |
| वर्ष के समाप्ति में बकाया | 0.00 | 0.00 |

आरबीआई/2017-18/139 ए.पी.(डीआर सीरीज) परिपत्र सं. 20 दिनांक 13 मार्च, 2018 के अनुसार भारत में आयात के लिए व्यापार क्रेडिट के लिए अधिग्रहण पत्र (एलओयू) और आश्वासन पत्र(एलओसी) जारी करना बंद कर दिया है.

## जे) ग्रीन जमाराशियों से जुटाई गई धनराशि के उपयोग पर पोर्टफोलियो–स्तरीय जानकारी:

( ₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वित्तीय वर्ष | विगत वित्तीय वर्ष | संचयी |
|---|---|---|---|
| जुटाई गई कुल ग्रीन जमा (ए) | शून्य | शून्य | शून्य |
| ग्रीन जमा निधि का उपयोग | | | |
| (1) नवीकरणीय इनर्जी | | | |
| (2) इनर्जी दक्षता | | | |
| (3) क्लीन परिवहन | | | |
| (4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन | | | |
| (5) संवहनीय जल एवं अवशेष प्रबंधन | | | |
| (6) प्रदूषण बचाव एवं नियंत्रण | | | |
| (7) ग्रीन बिल्डिंग | | | |
| (8) लिविंग प्राकृतिक संसाधन और भूमि उपयोग का संवहनीय प्रबंधन | | | |
| (9) स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण | | | |
| (10) आबंटित कुल ग्रीन जमाराशि निधि (बी = 1 से 9 का कुल) | शून्य | शून्य | शून्य |
| (11) आबंटित नहीं की गई ग्रीन जमा निधि की राशि (सी = ए बी) | | | |

## 15. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

### ए. राजस्व पहचान (एएस 9)

आय के कुछ मदों को छोड़कर उपचय आधार पर आय एवं व्यय की गणना महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसूची 17 के लेखांकन नीति क्र. 3.4 के अनुसार वास्तविक आधार पर की गई, जो कि मूर्त नहीं मानी जाएगी.

## बी. कर्मचारी लाभ (एएस 15 – संशोधित)

### i) अल्पावधि रोजगार लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय होती है उसे अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है.

### ii) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

#### ए) निर्धारित अंशदान योजनाएं:

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है. इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं. इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान तथा बैंक का 14% अंशदान जमा किया जाता है. कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है. बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है.

बैंक के पास 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के सभी संवर्गों के लिए लागू निर्धारित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) विद्यमान है. यह योजना पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेव्लपमेंट अथारिटी के तत्वावधान के अधीन नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) द्वारा प्रबंधित है. एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी को नियुक्त किया गया है. वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने एनपीएस में रु. 644.84 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 525.36 करोड़) का अंशदान किया है.

#### बी) निर्धारित लाभ योजना:

उपादान, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं. इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है. एक्चुरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है.

**परिभाषित लाभ योजना – कर्मचारी पेंशन योजना और उपादान योजना:**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार कर्मचारी हितों के लिए स्पष्टीकरण दिया है. प्रकटीकरण निम्नानुसार है.

( ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 | | 31.03.2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | उपादान | पेंशन | उपादान | पेंशन |
| i) | **पारिभाषित लाभ बाध्यताओं में परिवर्तन दर्शाने वाली सारणीः** | | | | |
| | वर्ष के आरंभ में देयता | 3,225.86 | 29,170.59 | 3,197.81 | 28,650.99 |
| | ब्याज लागत | 241.62 | 2,196.55 | 233.76 | 2,120.17 |
| | चालू सेवा लागत | 176.23 | 171.59 | 163 | 184.38 |
| | पिछली सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | देयता अंतरण आवक | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | देयता अंतरण जावक | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | (प्रदत्त लाभ) | (317.32) | (2,426.52) | (334.38) | (2,120.73) |
| | परिवर्तन के कारण - बीमांकिक(अर्जन)/ बाध्यताओं पर हानि | | | | |
| | वित्तीय धारणा में | 95.91 | (1,890.74) | (63.88) | (278.47) |
| | जनसांख्यिकी धारणा में | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | बाध्यताओं पर बीमांकिक(अर्जन)/हानि | 179.70 | 4,334.44 | 29.55 | 614.25 |
| | **वर्ष के अंत में देयताएं** | **3,602.00** | **31,555.91** | **3,225.86** | **29,170.59** |
| ii) | **योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणीः** | | | | |
| | वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 3,262.35 | 28,754.24 | 3,367.60 | 27,043.50 |
| | योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ | 244.35 | 2,165.19 | 246.17 | 2,001.22 |
| | अंशदान | 238.96 | 2,223.33 | शून्य | 1,780.29 |
| | अन्य कंपनी से अंतरण | शून्य | शून्य | 0.29 | शून्य |
| | अन्य कंपनी को अंतरण | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | (प्रदत्त लाभ) | (317.32) | (2,426.52) | (334.38) | (2,120.73) |
| | योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/(हानि) | 29.34 | 423.97 | (17.33) | 49.96 |
| | वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य अभिज्ञात किया जाने वाला | 3,457.68 | 31,140.21 | 3,262.35 | 28,754.24 |
| | अवधि के लिए बीमांकिक(अर्जन)/बाध्यताओं पर हानि | 275.61 | 2,443.70 | (34.33) | 335.78 |
| | योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/ (हानि) | (29.34) | (423.97) | 17.33 | (49.96) |
| | **कुल चिन्हित बीमांकिक अर्जन/(हानि)** | **246.27** | **2,019.73** | **(17.00)** | **285.82** |
| iii) | **संक्रमणकालीन देयता की पहचानः** | | | | |
| | प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | **अंत में संक्रमणकालीन देयता** | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** |
| iv) | **योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभः** | | | | |
| | योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ | 244.35 | 2,165.19 | 246.17 | 2,001.22 |
| | योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ/(हानि) | 29.34 | 423.97 | (17.33) | 49.96 |
| | **योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ** | **273.69** | **2,589.16** | **228.84** | **2,051.18** |
| v) | **आय विवरण में चिन्हित व्ययः** | | | | |
| | वर्तमान सेवा लागत | 176.23 | 171.59 | 163.00 | 184.38 |
| | ब्याज लागत | (2.73) | 31.36 | (12.41) | 118.95 |
| | योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) (संवर्धित पारिवारिक पेंशन का 1/5) | शून्य | शून्य | शून्य | 1,521.62 |
| | संक्रमण देयता की पहचान | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | बीमांकिक (लाभ) या हानि | 246.27 | 2,019.73 | (17.00) | 285.82 |
| | **लाभ एवं हानि खाते में चिन्हित व्यय** | **419.77** | **2,222.68** | **133.59** | **2,110.77** |

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 | | 31.03.2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | उपादान | पेंशन | उपादान | पेंशन |
| vi) | **तुलन पत्र समाधान:** | | | | |
| | प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष के तुलन-पत्र में चिन्हित शुद्ध राशि) | (36.49) | 416.35 | (169.79) | 85.87 |
| | उपर्युक्त के अनुसार व्यय | 419.77 | 2,222.68 | 133.59 | 2,110.77 |
| | अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध) | शून्य | शून्य | (0.29) | शून्य |
| | अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | (नियोक्ता का अंशदान) | (238.96) | (2,223.23) | शून्य | (1,780.29) |
| | **तुलन-पत्र में चिन्हित शुद्ध (आस्ति)/देयता राशि** | **144.32** | **415.70** | **(36.49)** | **416.35** |
| vii) | **अन्य ब्यौरे:** | | | | |
| | तीस वर्ष की सेवा 50% पूर्ण पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र है. ऐसे कर्मचारी के मामले में जिनकी सेवा 33 वर्ष से कम की है तो पेंशन अर्हक सेवा के वर्षों की संख्या के आनुपातिक आधार पर देय होगी. | | | | |
| | उपादान, प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की दर से देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि रुपये 20,00,000 या बैंक की योजना के अनुसार हो. | | | | |
| | बीमांकिक लाभ/हानि की गणना घटना के वर्ष में किया जाता है. | | | | |
| | वेतन वृद्धि कंपनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है. | | | | |
| | सदस्यों की संख्या | 75,866 | 19,218 | 75,618 | 21,138 |
| | वेतन प्रति माह | 584.18 | 185.19 | 513.88 | 180.41 |
| | **अगले वर्ष के लिए अंशदान** | **371.87** | **600.03** | **139.74** | **587.94** |
| viii) | **आस्तियों का संवर्ग:** | | | | |
| | भारत सरकार की आस्तियां | 27.56 | 479.80 | 61.47 | 565.13 |
| | कॉर्पोरेट बॉन्ड/एफ़डीआर | 297.23 | 2,773.66 | 25.75 | 720.80 |
| | विशेष जमा योजना | शून्य | शून्य | - | - |
| | राज्य सरकार | 393.93 | 3,521.70 | 82.81 | 1,379.39 |
| | संपत्ति | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अन्य | 190.78 | 1330.78 | 64.13 | 454.17 |
| | बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां | 2,548.18* | 23,034.27* | 3,028.18 | 25,634.75 |
| | म्युच्युअल फंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | **कुल** | **3,457.68** | **31,140.21** | **3,262.34** | **28,754.24** |

*नोट: वित्तीय वर्ष 2022-23 के पेंशन एवं उपादान जो 7.50% माना गया, के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में पेंशन एवं उपादान देयताएं का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए एलआईसी में निवेश पर 8.11% रिटर्न एवं अन्य बीमा कंपनियों में निवेश पर 7.50% रिटर्न को माना गया है.

(₹ करोड़ में)

| योजना में अधिशेष/कमी : | उपादान योजना | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि** | **31.03.24** | **31.03.23** | **31.03.22** | **31.03.21** | **31.03.20*** |
| वर्ष के अंत में देयताएं | 3,602.00 | 3,225.86 | 3,197.81 | 3,355.82 | 1,291.94 |
| वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 3,457.68 | 3,262.35 | 3,367.60 | 2,746.43 | 1,219.01 |
| अंतर | (144.32) | 36.49 | 169.79 | (609.39) | (72.93) |
| पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| पहचानी नहीं गई संक्रमण देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| तुलन पत्र में पहचान की गई राशि | (144.32) | 36.49 | 169.79 | (609.39) | (72.93) |

* केवल यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

(₹ करोड़ में)

| तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि | उपादान योजना | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुभव समायोजन** | **31.03.24** | **31.03.23** | **31.03.22** | **31.03.21** | **31.03.20*** |
| योजनागत देयताएं (लाभ)/हानि | 179.70 | 29.55 | 30.86 | 752.31 | 25.87 |
| योजनागत आस्तियां (हानि)/लाभ | 29.34 | (17.33) | 53.31 | 34.41 | 7.20 |

* केवल यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

(₹ करोड़ में)

| **योजना में अधिशेष/ कमी:** | **पेंशन योजना** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि** | **31.03.24** | **31.03.23** | **31.03.22** | **31.03.21** | **31.03.20*** |
| वर्ष के अंत में देयताएं | 31,555.91 | 29,170.59 | 28,650.99 | 26,011.41 | 12,746.69 |
| वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 31,140.21 | 28,754.24 | 27,043.50 | 26,720.88 | 12,607.16 |
| अंतर | (415.70) | (416.35) | (1,607.49) | 709.47 | (139.53) |
| पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत | शून्य | शून्य | 1,521.62 | शून्य | शून्य |
| पहचानी नहीं गई संक्रमण देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि | (415.70) | (416.35) | (85.87) | 709.47 | (139.53) |

* केवल यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

(₹ करोड़ में)

| **तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि** | **पेंशन योजना** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **31.03.24** | **31.03.23** | **31.03.22** | **31.03.21** | **31.03.20*** |
| **अनुभव समायोजन** | | | | | |
| योजनागत देयताएं (लाभ)/हानि | 4,334.44 | 614.25 | 2,452.27 | 1,456.27 | 938.90 |
| योजनागत आस्तियां (हानि)/लाभ | 423.97 | 49.96 | 266.31 | 81.65 | 75.23 |

* केवल यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

( ₹ करोड़ में)

| **मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग (%)** | **2023-24** | | **2022-23** | |
|---|---|---|---|---|
| | **उपादान** | **पेंशन** | **उपादान** | **पेंशन** |
| पिछली छूट दर | 7.49 | 7.53 | 7.31 | 7.40 |
| पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर | 7.49 | 7.53 | 7.31 | 7.40 |
| पिछली वेतन वृद्धि | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| पिछली एट्रीशन दर | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| चालू छूट दर | 7.21 | 7.24 | 7.49 | 7.53 |
| वर्तमान योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर | 7.21 | 7.24 | 7.49 | 7.53 |
| वर्तमान वेतन वृद्धि | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| वर्तमान एट्रीशन दर | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

**iii) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:**

**वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:**

(₹ करोड़ में)

| **क्र. सं.** | **अन्य दीर्घकालिक लाभ** | **31.03.2024** | **31.03.2023** |
|---|---|---|---|
| 1. | अवकाश यात्रा रियायत | (5.43) | 3.66 |
| 2. | अवकाश नकदीकरण | 350.14 | 149.30 |

बैंक ने विवेकपूर्ण आधार पर बीमार अवकाश के लिए रु. 273.70 करोड़ का प्रावधान किया है हालांकि इसमें कोई बड़ा भुगतान नहीं है.

**iv) अपरिशोधित पारिवारिक पेंशन व उपादान देयताएं:**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| **पेंशन** | शून्य | |
| ए) आगे की गई शेष राशि | शून्य | 1,521.62 |
| बी) सकल देयता | शून्य | शून्य |
| सी) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया | शून्य | 1,521.62 |
| डी) आगे ली गई शेष राशि | | शून्य |
| **Gratuity** | शून्य | |
| ए) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया | शून्य | शून्य |
| बी) आगे ले जाया गया | शून्य | शून्य |

XI द्विपक्षीय निपटान और 11 नवंबर, 2020 के संयुक्त नोट के तहत कवर किए गए कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में वृद्धि पर अतिरिक्त देयता बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार रु.1902.02 करोड़ हैं. इसके अतिरिक्त आरबीआई के परिपत्र आरबीआई/2021-22/105 डीओआर. एसीसी. आरईसी. 57/21.04.018/2021-22 दिनांक 04 अक्तूबर, 2021 के अनुसार बैंकों को दिनांक 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पाँच वर्ष से अधिक की अवधि में उक्त देनदारी का परिशोधन करने की अनुमति है. बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि खाते में रु.380.40 करोड़ की राशि प्रभारित है तथा दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि खाते में रु.1521.62 करोड़ की शेष राशि प्रभारित किया गया है.

**v) क्षेत्रवार रिपोर्ट (एएस-17)**

(₹ करोड़ में)

| **कारोबार क्षेत्र** | **स्टैंडअलोन** | |
|---|---|---|
| | **वर्ष की समाप्ति** | |
| | **(लेखापरीक्षित)** | **(लेखापरीक्षित)** |
| | **31.03.2024** | **31.03.2023** |
| **क्षेत्रवार राजस्व** | | |
| ट्रेजरी परिचालन | 31,656.46 | 26,442.90 |
| रिटेल बैंकिंग परिचालन | 39,288.06 | 31,078.66 |
| (ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन | 985.02 | 566.49 |
| (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 38,303.04 | 30512.17 |
| कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | 42,224.34 | 35,941.71 |
| अन्य बैंकिंग परिचालन | 2,601.53 | 1,979.37 |
| गैर आबंटित | 1,062.13 | 496.71 |
| **कुल क्षेत्रवार राजस्व** | **1,16,832.52** | **95,939.35** |
| घटाया अंतर-क्षेत्रवार राजस्व | (974.37) | (562.86) |
| **परिचालन से आय** | **1,15,858.15** | **95,376.49** |
| | | - |
| **क्षेत्रवार परिणाम** | | - |
| ट्रेजरी परिचालन | 4,240.79 | 2,426.80 |
| रिटेल बैंकिंग परिचालन | 6,409.37 | 5,059.25 |
| (ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन | 686.88 | (45.05) |
| (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 5,722.49 | 5104.30 |
| कॉर्पोरेट बैंकिंग | 8,324.19 | 3,091.44 |
| अन्य बैंकिंग परिचालन | 1,393.91 | 1,063.52 |
| गैर आबंटित | 1,062.13 | 496.71 |
| **कर पूर्व कुल लाभ/(हानि)** | **21,430.39** | **12,137.72** |
| कर हेतु प्रावधान | 7,782.08 | 3,704.45 |
| **कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)** | **13,648.31** | **8,433.27** |
| | | - |

| कारोबार क्षेत्र | स्टैंडअलोन | |
|---|---|---|
| | वर्ष की समाप्ति | |
| | (लेखापरीक्षित) 31.03.2024 | (लेखापरीक्षित) 31.03.2023 |
| **क्षेत्रवार आस्तियां** | | - |
| ट्रेजरी परिचालन | 4,72,537.71 | 4,64,788.70 |
| रिटेल बैंकिंग परिचालन | 4,14,535.30 | 3,59,680.33 |
| (ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन | 7,182.14 | 1737.64 |
| (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 4,07,353.16 | 3,57,942.69 |
| कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग | 4,73,324.30 | 4,26,011.76 |
| अन्य बैंकिंग परिचालन | - | - |
| गैर आबंटित | 31,560.31 | 30,271.66 |
| **कुल** | **13,91,957.62** | **12,80,752.45** |
| | | - |
| **क्षेत्रवार देयताएं** | | - |
| ट्रेजरी परिचालन | 4,62,058.16 | 4,56,704.84 |
| रिटेल बैंकिंग परिचालन | 3,75,409.89 | 3,28,812.17 |
| (ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन | 6,699.23 | 1,640.02 |
| (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 3,68,710.66 | 3,27,172.15 |
| कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग | 4,28,285.50 | 3,88,190.19 |
| अन्य बैंकिंग परिचालन | - | - |
| गैर आबंटित | 29,235.10 | 28,711.04 |
| **कुल** | **12,94,988.65** | **12,02,418.24** |
| | | - |
| **नियोजित पूंजी** | | - |
| ट्रेजरी परिचालन | 10,479.55 | 8,083.86 |
| रिटेल बैंकिंग परिचालन | 39,125.41 | 30,868.16 |
| (ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन | 482.91 | 97.62 |
| (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 38,642.50 | 30770.54 |
| कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग | 45,038.80 | 37,821.57 |
| अन्य बैंकिंग परिचालन | - | - |
| गैर आबंटित देयताएं | 2,325.21 | 1,560.62 |
| **कुल** | **96,968.97** | **78,334.21** |

नोटः

1. बैंक चार क्षेत्रों अर्थात ट्रेजरी, रिटेल, कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग परिचालन में कार्य करता है. उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफ़ाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी क्षेत्रावार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक एएस -17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गई है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. इस अवधि के लिए विदेशी शाखा के एएस-17 में निर्धारित राजस्व और अन्य पैरामीटर एएस-17 में निर्धारित सीमा के अंतर्गत हैं. अतः बैंक का रिपोर्ट योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है. बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार `डिजिटल बैंकिंग' को रिटेल बैंकिंग क्षेत्र के उप-क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है.

2. सीधे तौर पर आबंटित न किए जा सकने योग्य आय, व्यय, प्रयुक्त पूंजी प्रबंधन द्वारा उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किए जाने वाले क्षेत्रों में आबंटित कर दिए गए हैं.

3. पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है.

vi) आरबीआई परिपत्र सं. आरबीआई/डीओआर/2021-22/83 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.45/21.04.018/2021-22 दिनांक 30 अगस्त, 2021 (20 फरवरी, 2023 को अद्यतन) के संदर्भ में, निम्नलिखित प्रकटीकरण आवश्यक हैः

ए. अन्य देयताओं एवं प्रावधानों के मामले में, "अन्य (प्रावधानों सहित)" शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद कुल आस्ति से एक प्रतिशत से अधिक है,

बी. अन्य आस्तियों के मामले में, अन्य शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद कुल आस्ति से एक प्रतिशत से अधिक है,

सी. अन्य आय के मामले में, "विविध आाय" शीर्षक के अंतर्गत कोई मद कुल आय से एक प्रतिशत अधिक है,

डी. परिचालन व्यय के मामले में, "अन्य व्यय" शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद कुल आय से एक प्रतिशत अधिक है,

| अनुसूची | उप प्रमुख के अंतर्गत मद | ₹ करोड़ में | कुल आय/आस्ति का %, जैसा लागू हो |
|---|---|---|---|
| अनुसूची 5 अन्य देयताएं एवं प्रावधान (IV-अन्य (प्रावधान सहित)) | - | - | - |
| अनुसूची 11 अन्य आस्तियां (VI-अन्य) | - | - | - |
| अनुसूची 14 अन्य आय (VII-अन्य विविध आय) | अग्रिमों हेतु प्रसंस्करण शुल्क | 1,501.62 | 1.30 |
| | बट्टे-खाते में वसूली | 3,987.40 | 3.44 |
| अनुसूची 16 परिचालन खर्च (XII-अन्य व्यय) | - | - | - |

## संबंधित पार्टियों का प्रकटन (एएस –18)

### i. संबंधित पार्टियों की सूची

**ए) सहायक कंपनियां**

- यूनियन एसेट मैनेजमेंट कं.प्रा.लि.
- यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि.
- आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि.
- यूबीआई सर्विसेस लि

**बी) संयुक्त उपक्रम**

- स्टार यूनियन दाई-इची इंश्योरेंस कं. लि.
- एएसआरईसी (इंडिया) लि.
- इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहद

**सी) एसोसिएट**

- चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

**डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**

(₹ करोड़ में)

| नाम | पदनाम | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु भुगतान की गई पारिश्रमिक |
|---|---|---|
| सुश्री ए मणिमेखलै | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | 0.40 |
| श्री नितेश रंजन | कार्यपालक निदेशक | 0.41 |
| श्री रजनीश कर्नाटक # | कार्यपालक निदेशक | 0.03 |
| श्री निधु सक्सेना ## | कार्यपालक निदेशक | 0.34 |
| श्री रामसुब्रमणियन एस. | कार्यपालक निदेशक | 0.37 |
| श्री संजय रुद्र * | कार्यपालक निदेशक | 0.16 |
| श्री पंकज द्विवेदी ^ | कार्यपालक निदेशक | 0.004 |

# 28.04.2023 तक ## 27.03.2024 तक * 09.10.2023 से ^ 27.03.2024 से

**पार्टियां, जिनके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार दर्ज किए गए**

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो "राज्य नियंत्रित उद्यम" के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है. आगे, एएस 18 के अनुच्छेद 6 के अनुसार, बैंकर - ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं का प्रकटन नहीं किया गया है.

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अनुसार, केएमपी को बैंक का पूर्णकालिक निदेशक माना जाता है.

### "लीज" परिचालन लीज (एएस-19) पर लिया गया परिसर:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक के पास कोई भी अस्वीकार किए जाने वाले परिचालन लीज नहीं है. अत: एएस-19 के अंतर्गत अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं है. हालांकि, लाभ एवं हानि खाते में परिचालन लीज के लिए लीज भुगतान राशि रु. 818.04 करोड़ (पिछला वर्ष रु. 801.99 करोड़) मानी गई है.

### प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है. डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटेट पोटेंशियल इक्विटी शेयरों के भारित औसत के माध्यम से की गयी है.

प्रति शेयर अर्जन की गणना निम्नलिखित है:

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या | 6,83,47,47,466 | 6,83,47,47,466 |
| वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या | 79,88,58,141 | शून्य |
| वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या | 7,63,36,05,607 | 6,83,47,47,466 |
| प्रति शेयर मूल अर्जन आकलन के लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या | 7,20,31,48,214 | 6,83,47,47,466 |
| प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन के परिकलन लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या | 7,20,31,48,214 | 6,83,47,47,466 |
| शुद्ध लाभ / (हानि) ₹ करोड़ में | 13,648.31 | 8,433.28 |
| प्रति शेयर मूल अर्जन (₹) | 18.95 | 12.34 |
| प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन (₹) | 18.95 | 12.34 |
| प्रति शेयर नॉमिनल वैल्यू (₹) | 10 | 10.00 |

## कर हेतु प्रावधान:

### आस्थगित कर (एएस-22)

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| | **आस्थगित कर आस्ति** | | |
| 1 | कर्मचारी लाभ (अवकाश नकदीकरण) | 472.83 | 534.18 |
| 2 | अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास | 305.14 | 395.89 |
| 3 | गैर-निष्पादित आस्तियों हेतु प्रावधान | 5,584.95 | 11,405.67 |
| 4 | विदेशी मुद्रा अंतरण अधिशेष (रिजर्व) | (68.54) | (84.48) |
| 5 | अन्य प्रावधान | 203.82 | 0.00 |
| | **कुल** | **6,498.20** | **12,251.26** |
| | **आस्थगित कर देयताएं** | | |
| 1 | प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज | 951.02 | 1,274.79 |
| 2 | धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व | 1,836.70 | 2,316.74 |
| | **कुल** | **2,787.72** | **3,591.53** |
| | **शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां** | **3,710.48** | **8,659.73** |
| | **शुद्ध आस्थगित कर देयताएं** | | |

### प्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित) | 7,782.08 | 3,704.45 |

## कॉर्पोरेट कर निर्धारण:

विद्यमान और लंबित दोनों ही करों के लिए कर प्रावधान किया जाता है. लागू कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर कर योग्य आय पर विद्यमान कर प्रदान किया जाता है. समयान्तर के कारण उत्पन्न लंबित कर आस्तियों एवं लंबित कर देयताएं, जो आने वाले अवधि में परिवर्तनीय होते हैं, उनकी पहचान लागू किए गए या तुलन पत्र की तिथि तक पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर की जाती है.

लंबित कर आस्तियों की पहचान तभी दी जाती है, जब भविष्य में ऐसे आस्तियों की वसूली लगभग निश्चित हो. वर्ष के दौरान हुई प्रगति के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को  लंबित कर आस्तियों/देयताओं की समीक्षा की जाती है.

## संयुक्त उपक्रम में निवेश (एएस–27)

निवेश के अंतर्गत रु. 286.88 करोड़ (विगत वर्ष रु. 286.88 करोड़) शामिल हैं, जो स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड और इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी में बैंक की हित राशि है.

## संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन

भूमि एवं भवन का विगत मूल्यांकन दिनांक 31.12.2022 को अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा निर्धारित उचित बाजार मूल्य पर पुनर्मूल्यांकन किया गया है. एएस-10 (संशोधित) के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन हिस्से पर मूल्यह्रास की भरपाई पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप 2023-24 को समाप्त वर्ष के लिए पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में रु. 221.09 करोड़ की कमी आई है.

## आस्तियों की हानि (एएस–28)

प्रबंधन ने तुलन पत्र की तिथि अर्थात यथा 31 मार्च, 2024 को आकलन किया है कि क्या कोई संकेत है कि अचल आस्ति क्षतिग्रस्त होने वाली है और ऐसे किसी आस्ति को पहचाना/पाया नहीं गया है जहां एएस-28 में निर्दिष्ट अनुसार हानि की स्थिति संलग्न है.

## आकस्मिक देयतायें (एएस–29)

आकस्मिक देयताओं का उल्लेख अनुसूची-12 के क्र. (I) व (VI) (i) में उल्लेख किया गया है, जो क्रमशः न्यायालय के निर्णय/विवेचन/न्यायालय के बाहर समझौते के आधार पर मांगी गई रकम, संविदागत दायित्व, संबंधित पक्षों द्वारा की गयी मांग एवं परिस्थितियों तथा अपीलों के निस्तारण पर निर्भर है.

चालू वर्ष के दौरान, कोई मद अवधि से पहले की नहीं है (एएस 5 के अनुसार) एवं परिचालनों को बंद नहीं किया गया है (एएस-24 के अनुसार).

## पर्यावरण नियंत्रण:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की "सतत विकास एवं कारोबार उत्तरदायित्व नीति" नामक नीति विद्यमान है, जिसकी प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है और पिछली बार 02.03.2023 को बोर्ड द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी. इस नीति के जरिए, बैंक पर्यावरण की रक्षा एवं उसकी बहाली के प्रयास करने हेतु प्रतिबद्ध है. बैंक द्वारा विद्युत संरक्षण, पैकेज्ड पेयजल हेतु प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग न करने आदि जैसे अनेक उपाय किए गए हैं.  पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) एवं जलवायु जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, बैंक के बोर्ड ने ठईएसजी जोखिम ढांचा और जलवायु जोखिम नीतिठ प्रस्तुत की है. बैंक में ईएसजी स्ट्रेटजी एवं परिवर्तन तैयार करने और लागू करने हेतु बैंक ने ईएसजी परिचालक समिति का गठन किया है.

## एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन

बैंक एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के विद्यमान प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित मूल राशि पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान संबंधी कोई भी मामले रिपोर्ट नहीं किए गए है.

## बहियों का मिलान, अंतरशाखा/बैंक लेनदेनों का मिलान

उचंत खाते, विविध जमा आदि और शाखाओं, नियंत्रण कार्यालय, प्रधान कार्यालयों एवं किसी भी अन्य प्रतिष्ठानों के बीच अंतरकार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है तथा प्रबंधन का यह मत है कि चालू वर्ष में लाभ और हानि खाते पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है.

पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरी

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं.

**(अजय बंसल)**
उप महाप्रबंधक

**(अविनाश प्रभु)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

**(पंकज द्विवेदी)**
कार्यपालक निदेशक

**(संजय रुद्र)**
कार्यपालक निदेशक

**(रामसुब्रमणियन एस)**
कार्यपालक निदेशक

**(नितेश रंजन)**
कार्यपालक निदेशक

**(समीर शुक्ला)**
निदेशक

**(प्रकाश बलियारसिंह)**
निदेशक

**(सूरज श्रीवास्तव)**
निदेशक

**(लक्ष्मण एस उप्पर)**
निदेशक

**(जयदेव मदुगुला)**
निदेशक

**(प्रीति जय राव)**
निदेशक

**(ए. मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

---

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

**कृते मेसर्स एन बी एस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W

**सीए शरत शेट्टी**
भागीदार
सदस्य सं. 132775
यूडीआईएनः 24132775BKCYER6195

**कृते छाजेड & डोसी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन101794W

**सीए नितेश जैन**
भागीदार
सदस्य सं. 136169
यूडीआईएनः 24136169BKEKKY2518

**कृते जी एस माथुर & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 008744N

**सीए राजीव कुमार वाधवन**
भागीदार
सदस्य सं. 091007
यूडीआईएनः 24091007BKCFCS9770

**कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 000580S/S200066

**कृते पी. चंद्रशेखर**
भागीदार
सदस्य सं. 026037
यूडीआईएनः 24026037BKARCN8331

**कृते वी के लाधा & एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002301C

**कृते विरेंद्र कुमार लाधा**
भागीदार
सदस्य सं. 071501
यूडीआईएनः 24071501BKFQHE9257

स्थान: मुंबई
दिनांक 10 मई, 2024

# स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

| क्र. स. | विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| ए | **परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह:** | | |
| | कर से पहले निवल लाभ | 21,43,039 | 12,13,772 |
| | **निम्न के लिए समायोजन :** | | |
| | अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास | 89,098 | 73,715 |
| | निवेशों के लिए प्रावधान | 87,887 | 1,67,478 |
| | गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान (निवल) | 6,38,729 | 12,47,897 |
| | अन्य मदों हेतु प्रावधान (निवल) | 71,019 | (1,16,241) |
| | अचल अस्तियों की बिक्री/निपटान से (लाभ) / हानि | 3,753 | 9,770 |
| | उधारी पर ब्याज : पूंजीगत लिखत | (217) | 149 |
| | अचल अस्तियों की बिक्री/निपटान से (लाभ) / हानि | 1,64,704 | 1,58,601 |
| | निवेशों से प्राप्त लाभांश | (2,541) | (6,968) |
| | आरक्षित से/में अंतरण | (2,98,441) | (67,520) |
| | **उप योग** | **28,97,030** | **26,80,653** |
| | **निम्न के लिए समायोजन:** | | |
| | जमाराशियों में वृद्धि / (कमी) | 1,03,81,205 | 85,32,369 |
| | अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) | 6,25,016 | 10,48,458 |
| | निवेशों में (वृद्धि) / कमी | 51,665 | 7,63,829 |
| | अग्रिमों में वृद्धि / (कमी) | (1,15,31,792) | (1,13,31,977) |
| | अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी | (88,254) | (7,67,147) |
| | प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का निवल) | (3,02,000) | (3,27,752) |
| | **परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)** | **20,32,870** | **5,98,433** |
| बी | **निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :** | | |
| | अचल संपत्तियों की खरीद | (1,61,342) | (3,05,524) |
| | अचल आस्तियों की बिक्री / समायोजन के प्राप्तियां | 32,744 | 68,230 |
| | सहायक कंपनी में निवेश में (वृद्धि) /कमी | - | (10,473) |
| | निवेशों से प्राप्त लाभांश | 2,541 | 6,968 |
| | **निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)** | **(1,26,057)** | **(2,40,799)** |
| सी | **वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह:** | | |
| | शेयर प्रीमियम (निवल) सहित इक्विटी शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्तियां आगम | 7,97,085 | - |
| | पूंजीगत लिखतों के निर्गमन से आगम राशि प्राप्ति | - | 98,300 |
| | पूंजीगत लिखतों की चुकौती | (2,00,000) | (10,000) |
| | पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार (कमी) / वृद्धि | (14,18,910) | (8,92,463) |
| | उधारी पर प्रदत्त ब्याज : पूंजीगत लिखत | (1,64,704) | (1,58,601) |
| | वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश | (2,05,042) | (1,29,861) |
| | **वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)** | **(11,91,571)** | **(10,92,624)** |

(₹ लाख में)

| क्र. स. | विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| | **नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (ए)+(बी)+(सी)** | **7,15,242** | **(7,34,990)** |
| | **वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य** | **1,12,15,045** | **1,19,50,036** |
| | **वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य** | **1,19,30,287** | **1,12,15,045** |
| | **नकदी एवं नकदी समतुल्य के घटक** | | |
| डी | **वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य** | | |
| | नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित) | 50,25,427 | 46,11,259 |
| | बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा | 61,89,618 | 73,38,777 |
| | **वर्ष के आरंभ में निवल नकदी एवं नकदी समतुल्य** | **1,12,15,045** | **1,19,50,036** |
| ई | **वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य** | | |
| | नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित) | 52,89,750 | 50,25,427 |
| | बैंकों के पास जमा और मांग पर प्रतिदेय राशि | 66,40,537 | 61,89,618 |
| | **वर्ष के अंत में निवल नकदी एवं नकदी समतुल्य** | **1,19,30,287** | **1,12,15,045** |

उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नकदी प्रवाह विवरण पर लेखांकन मानक-3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है.

जहां कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रस्तुतीकरण के अनुरुप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह का अभिन्न अंग हैं.

**(अजय वंसल)**
उप महाप्रबंधक

**(अविनाश प्रभु)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

**(पंकज द्विवेदी)**
कार्यपालक निदेशक

**(संजय रुद्र)**
कार्यपालक निदेशक

**(रामसुब्रमणियन एस)**
कार्यपालक निदेशक

**(नितेश रंजन)**
कार्यपालक निदेशक

**(समीर शुक्ला)**
निदेशक

**(प्रकाश वलियारसिंह)**
निदेशक

**(सूरज श्रीवास्तव)**
निदेशक

**(लक्ष्मण एस उप्पर)**
निदेशक

**(जयदेव मदुगुला)**
निदेशक

**(प्रीति जय राव)**
निदेशक

**(ए. मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

**कृते मेसर्स एन बी एस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W

**सीए शरत शेट्टी**
भागीदार
सदस्य सं. 132775
यूडीआईएन: 24132775BKCYER6195

**कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 000580S/S200066

**कृते पी. चंद्रशेखर**
भागीदार
सदस्य सं. 026037
यूडीआईएन: 24026037BKARCN8331

**कृते छाजेड & डोसी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन101794W

**सीए नितेश जैन**
भागीदार
सदस्य सं. 136169
यूडीआईएन: 24136169BKEKKY2518

**कृते वी के लाधा & एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002301C

**कृते विरेंद्र कुमार लाधा**
भागीदार
सदस्य सं. 071501
यूडीआईएन: 24071501BKFQHE9257

**कृते जी एस माथुर & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 008744N

**सीए राजीव कुमार वाधवन**
भागीदार
सदस्य सं. 091007
यूडीआईएन: 24091007BKCFCS9770

स्थान: मुंबई
दिनांक 10 मई, 2024

# स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

**प्रति**

**भारत के राष्ट्रपति/**

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य**

**मुंबई**

**समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण पर रिपोर्ट**

### अभिमत

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (`बैंक'), इसकी सहायक कंपनियों, सहायक और संयुक्त नियंत्रित इकाइयां (सामूहिक रूप से इसके बाद "समूह" के रूप में संदर्भित किया जाता है) के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 का समेकित तुलन पत्र एवं समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण खाता नीतियों व अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

   ए. बैंक का लेखा-परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण;

   बी. 4 घरेलू सहायक कंपनियों, 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सहायक), 1 विदेशी सहायक कंपनी, 1 घरेलू संयुक्त नियंत्रित इकाई और 1 विदेशी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई का लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण.

   सी. 1 घरेलू संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई का अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण

   हमारी राय व सर्वोतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण और पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सहायक, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों एवं सहयोगियों के संबंध में अन्य वित्तीय जानकारी एवं अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा मानकों के अनुरूप है और उसमें निम्न समाहित है:

   ए. यथा 31 मार्च, 2024 को बैंक के मामलों की दशा में समेकित तुलन पत्र के मामले में सही व  निष्पक्ष;

   बी. उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता के मामले में लाभ की वास्तविक राशि; एवं

   सी. उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में नकदी प्रवाह का सही व निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाया गया है.

### अभिमत का आधार

2. हमने अपना लेखा परीक्षण, इंस्टीटयूट ऑफ़ चार्टेड एकाउंटेंट ऑफ़ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया है. उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारे रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के खंड के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित हैं. हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता एवं हमारे वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए नैतिक आवश्यकताओं सहित, प्रासंगिक समूह बैंक से स्वतंत्र हैं एवं हमने अपनी इन आवश्यकताओं तथा आचार संहिता सहित अन्य नैतिक जिम्मेदारियों के अनुसार पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा अभिमत का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है.

### मुख्य लेखा परीक्षा मामले

3. मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे. इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों में हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में बताया गया था, और उसके बाद हमारा अभिमत बनाने तथा इन मामलों पर हम एक अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं. हमने अपनी रिपोर्ट में जानकारी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित मुख्य लेखा परीक्षा मामलों को निर्धारित किया है:

| क्र. | मुख्य लेखा परीक्षा मामले | हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया |
|---|---|---|
| 1 | **विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों तथा निवेश पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा प्रावधान** | |
| | यथा 31 मार्च, 2024 को ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश जो है वह आस्तियों का एक बड़ा वर्ग है एवं कुल आस्तियों का 86.88% है. नियामकों (भारतीय रिजर्व बैंक विवेकपूर्ण मानदंडों एवं अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार) द्वारा निर्धारित उद्देश्यात्मक मापदंडों पर वर्गीकरण, आय निर्धारण तथा हानि प्रावधान आधारित है. हमारे बैंक का प्रबंधन आस्ति वर्गीकरण निर्धारण, आय निर्धारण तथा हानि के लिए प्रावधानों हेतु आईटी प्रणालियों (कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सहित), महत्वपूर्ण अनुमानित एवं निर्णय कार्यप्रणाली, मैन्युअल हस्तक्षेप तथा विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग (जैसे स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ एवं अन्य पेशेवर) पर अधिक निर्भर करता है.<br><br>बैंक में आईआरएसी मानकों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की सिस्टम आधारित पहचान होती है. चूंकि गैर-निष्पादित अग्रिमों की पहचान और गैर-निष्पादित अग्रिमों के लिए प्रावधान हेतु प्रबंधन आकलन के विचारणीय स्तर, विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं के आवेदन और समग्र लेखापरीक्षा के लिए महत्व की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने इसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है. | हमारा लेखा परीक्षण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा शेष राशि से संबंधित दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है.<br><br>हमारे लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं में आईआरएसी के अनुपालन तथा प्रावधानों के मानदंडों एवं इसके संचालित प्रभावकारिता के लिए सीबीएस तथा अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में तर्क एवं मान्यताओं पर नियंत्रण, एवं अनुमोदन पर नियंत्रण का आंकलन, ऋणों के संवितरण एवं निगरानी शामिल है.<br><br>इनमें निम्नलिखित के मूल्यांकन और समझ शामिल हैं:<br>• आय निर्धारण, आस्ति का वर्गीकरण और अग्रिम/निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली;<br>• गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए/एनपीआई) के समयानुसार निर्धारण पर प्रणाली नियंत्रण एवं मैन्युअल नियंत्रण);<br>• आईटी प्रणालियों से प्रावधान गणना मॉडलों पर नियंत्रण का परिचालन अस्तित्व एवं प्रभावशीलता;<br>• अग्रिमों के मामलों में ऋण अनुमोदन के समग्र नियंत्रण, संवितरण तथा निगरानी प्रक्रिया और निवेश के मामले में खरीददारी पर नियंत्रण, बिक्री तथा नियंत्रण में रखने की निर्णय प्रणाली.<br>• हमने ऋण/निवेशों (हमारे द्वारा शाखा निरीक्षण के मामलों में) के नमूनों का परीक्षण किया कि उन्होंने गैर-आस्तियों में समयानुसार पहचान, आय निर्धारण तथा आईआरएसी के मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया.<br>• हमने परीक्षण अंतराल के आधार पर, जहां कहीं भी हमारे संज्ञान में आया है, हमने विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और मध्यक्षेप की सटीकता की भी समीक्षा की है.<br>• हमारे द्वारा शाखाओं का निरीक्षण नहीं किए जाने के मामलों में अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) द्वारा की गई रिपोर्ट/रिटर्न और उनके कार्य पर विश्वास किया है. जो एसए 600 के अनुसार समग्र अनुपालन के संबंध में समग्र सुविधा के लिए दूसरे लेखा परीक्षा का उपयोग कर रहा है.<br>• हमने अन्य विशेषज्ञों जैसे स्वतंत्र मूल्यांककों, वकीलों, कानूनी विशेषज्ञों और ऐसे अन्य पेशेवरों जो बैंक के लिए सेवा प्रदान करते हैं, उनके कार्यों की भी समीक्षा की है. |

| क्र. | मुख्य लेखा परीक्षा मामले | हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया |
|---|---|---|
| | | • इसके अतिरिक्त, हमने संभावित कमजोर और संवेदनशील खातों, जो दबावग्रस्त का संकेत देते हैं, वाले बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की है.<br>• परीक्षा जांच के आधार पर, बड़े ऋणों पर भारिबैं के सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन (`सीआरआईएलसी') में बैंक द्वारा विशेष उल्लेख खातों (`एसएमए') के रूप में वर्गीकृत खातों का सत्यापन किया.<br>• हमने बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षण/ निरीक्षण रिपोर्ट और समवर्ती लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों तथा बाह्य विशेषज्ञ द्वारा आईआरएसी के स्वचालन की लेखापरीक्षा पर रिपोर्टों एवं अवलोकनों की भी समीक्षा की है.<br>• अंक संबंधी सटीकता, डाटा सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित हमारे मुख्य परीक्षण को लेकर मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधान एवं निवेश की आय की पहचान का सत्यापन.<br>हमने एनपीए की प्रणाली आधारित पहचान की प्रभावकारिता का आकलन |
| 2 | **वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं नियंत्रण** | |
| | वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियाँ बैंक की परिचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) और स्वचालित प्रक्रियाओं वाले अन्य एकीकृत सॉफ़्टवेयर के माध्यम से परिचालित आईटी प्रणालियों पर निर्भर हैं और वृहद मात्रा में लेनदेन को नियंत्रित करती हैं. प्रक्रिया और नियंत्रण उचित उपयोगकर्ता पहुँच एवं उपयोग में प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए हैं. बैंक के पास सूचना और प्रौद्योगिकी (डीआईटी) का एक आंतरिक विभाग है जो आईटी सेवाओं को बनाए रखने के लिए शीर्ष प्रबंधन की देखरेख और विशेषज्ञ परामर्श एजेंसियों के समर्थन के साथ संचालित किया जाता है. तदनुसार, हमारा लेखा परीक्षा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर व्यापक प्रभाव के कारण प्रमुख आईटी प्रणालियों एवं नियंत्रणों पर केंद्रित था और इसे हमारे लेखा परीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामले के रूप में माना गया है. | हमने मूल्यांकन किया और उन प्रमुख आईटी अनुप्रयोगों, डेटाबेस और परिचालन प्रणाली की पहचान की जो हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने सीबीएस एवं ट्रेजरी सिस्टम को मुख्य रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक के रूप में पहचान की है. सीबीएस एवं ट्रेजरी परिचालन से संबंधित प्रमुख आईटी प्रणाली जिनका उपयोग लेखांकन और वित्तीय जानकारी तैयार करने के लिए किया जाता है, हमारे लेखा परीक्षा हेतु केंद्रित क्षेत्रों में एक्सेस सिक्योरिटी (विशेषाधिकार प्राप्त एक्सेस पर नियंत्रण सहित), एप्लिकेशन परिवर्तन नियंत्रण, डेटाबेस प्रबंधन और नेटवर्क परिचालन शामिल थे. विशेषतः<br>• हमने बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश और लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रमुख परिवर्तनों की समझ हासिल की है, जो लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं.<br>• हमने उन प्रमुख आईटी प्रणाली पर बैंक के सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं, साथ ही स्वतंत्र विशेषज्ञों से रिपोर्ट प्राप्त की गई. इसमें कर्तव्यों के पृथक्करण का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के नियंत्रणों का मूल्यांकन एवं विधिवत अनुमोदित अनुरोधों के आधार पर प्रावधान किए गए / संशोधित किए जा रहे एक्सेस अधिकार, समयबद्ध तरीके से निकास मामलों के लिए एक्सेस को रद्द करना शामिल था.<br>• हमने लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट के लिए प्रमुख स्वचालित एवं मैन्युअल कारोबार चक्र नियंत्रण और तर्क का भी परीक्षण किया; इसमें क्षतिपूरक नियंत्रणों का परीक्षण या वैकल्पिक प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या कोई अनसुलझा आईटी जोखिम है जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को भौतिक रूप से प्रभावित करेगा. |

| क्र. | मुख्य लेखा परीक्षा मामले | हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया |
|---|---|---|
| 3 | **आस्तिगत करों की पहचान करना एवं मापना** | |
| | बैंक ने 31 मार्च, 2024 को ₹3,71,39,447 (`000 में) शुद्ध आस्तिगत कर आस्तियों की पहचान की है. मापन संबंधी उद्देश्यों के अलावा, आस्तिगत कर आस्तियों की पहचान एवं माप करना, भविष्य में होने वाले लाभों की दृश्यता एवं उपलब्धता से संबंधित अनेक अनुमानों एवं निर्णयों पर आधारित है. हाल ही में आस्थगित कर आस्तियों की मात्रा में वृद्धि, पहचान किए गए अनुमानों की उपलब्धता एवं एक विस्तारित समयावधि में लाभ का पूर्वानुमान, इस प्रकार से अनिश्चितता में वृद्धि एवं उक्त आस्ति में अंतर्निहित जोखिम व इसकी अनुचित पहचान. | हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में लागू कर कानूनों एवं बैंक पर लागू प्रासंगिक विनियमनों के मध्य तालमेल प्राप्त करने के लिए जोखिम मूल्यांकन शामिल है. हमारे समझौते के आधार पर, हमने कर विशेषज्ञों की सहायता से संबंधित आंतरिक महत्वपूर्ण नियंत्रण एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दोनों टेस्टों का कार्य निषादन किया है. हमारे कंट्रोल टेस्टिंग के साथ हमने निम्न लेखापरीक्षा प्रक्रिया के रूप में कार्यनिषादन किया है, लेकिन यह सीमित नहीं है:<br>• आय पर "करों के लिए लेखांकन" एएस 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता और मापन के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों का मूल्यांकन;<br>• एकरूपता, स्थिरता एवं निरंतरता, बजट और मिडटर्म जैसे अनुमान, प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए तरीके, धारणा और अन्य मापदंडों का आकलन किया, जिसमें प्रबंधन द्वारा विकास और कर की दरों को लागू किया और अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया.<br>• लाभ की दृश्यता एवं उपलब्धता की संभाव्यता का आकलन किया गया, जिससे भविष्य में ऐसा आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग करने में बैंक सक्षम होगा. |
| 4 | **प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और दावे** | |
| | अन्य पक्षों द्वारा दायर विभिन्न दावों पर कतिपय मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयता का आकलन, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (अनुसूची 17 के नोट सं. 18 और अनुसूची 18 के नोट सं. 8.2). प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है. बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, विगत अनुभव और जहाँ भी आवश्यक माना जाता है, कानूनी और स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह द्वारा समर्थित है. तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ एवं तुलन पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं. आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है, जिसका परिणाम एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है. प्रबंधन के निर्णय में, बैंक के खिलाफ कर मांगों सहित ऐसे दावे एवं मुकदमेबाजी अंततः देयता का कारण नहीं बनेंगे. तथापि, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं जो इस स्तर पर अनिश्चित है. इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय की प्रयुक्ति आवश्यक है, इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है. | हमने लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त की है ताकि हम अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन कर सकें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों. हमने मोटे तौर पर प्रावधान के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित धारणाओं और अनुमानों की समीक्षा की, लेकिन चूंकि प्रभाव का परिणाम भविष्य के विवरण पर निर्भर है जो अत्यधिक अनिश्चित हैं, इसलिए हमने मुख्य रूप से उन धारणाओं और अनुमानों पर भरोसा किया, जो बैंक द्वारा आवधिक समीक्षा के विषय हैं. हमने दावों एवं कर मुकदमों के संबंध में बैंक द्वारा प्राप्त प्रबंधन नोट तथा कानूनी राय पर भरोसा किया है और ऐसे मुकदमों एवं दावों की प्रकृति, उनकी वर्तमान स्थिति, संवहनीयता, विभिन्न कर अधिकारियों/न्यायिक मंचों से प्राप्त हाल के आदेशों और/या संचार की जांच करने और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने एवं दावों/मुकदमों के अंतिम समाधान पर अंततः देयता में तब्दील होने की संभावना, उपलब्ध रिकॉर्ड और आज तक के घटनाक्रमों के आधार पर समीक्षा हेतु हमारी आंतरिक टीम को शामिल किया है. |

**समेकित वित्तीय विवरणों और उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अतिरिक्त सूचनाएं**

4. बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है. अन्य जानकारी में बैंक की निदेशकों की रिपोर्ट शामिल है, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट में परिशिष्ट, यदि कोई हो, शामिल हैं, जो इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है.

   समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना एवं बासेल III प्रकटीकरण के अंतर्गत पीलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करता एवं हम उस पर किसी तरह का स्पष्ट आश्वासन नहीं देते हैं.

   हमारे समेकित वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ने की है एवं ऐसा करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या सूचना एकल वित्तीय विवरणों के साथ तात्विक रूप से परिवर्तनशील है या हमारी जानकारी लेखापरीक्षा में प्राप्त या अन्यथा ही तात्विक रूप से गलत बयान की गई है.

   जब हम बैंक के निदेशक की रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट के परिशिष्टों सहित, यदि कोई हो, पढ़ते हैं, तो यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें यह बात गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी को सूचित करना आवश्यक है.

**प्रबंधन एवं गवर्नेंस द्वारा प्रभारित समेकित वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारियां**

5. बैंक के निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय परिणामों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो समूह, उसके सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के समेकित वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं समेकित नकदी प्रवाह एवं अन्य वित्तीय जानकारी का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21- "समेकित वित्तीय विवरणों", लेखा मानक 23- "समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश के लिए लेखांकन" एवं लेखा मानक 27- संयुक्त उपक्रम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार, भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखा नियमों के अनुरूप है एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के धारा 29 के प्रासंगिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र, दिशानिर्देशों एवं निर्देशों ("आरबीआई दिशानिर्देश") और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत शामिल हैं.

   इस ज़िम्मेदारी में उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव शामिल हैं ताकि समूह की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनिमियतताओं की पहचान एवं बचाव, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग ऐसे निर्णय एवं आकलन बनाना जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं एवं संरचना, उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रबंधन एवं कार्यान्वयन जो लेखांकन रिकार्डों की पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे थे, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के संबंध में जो सत्य एवं सही दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा तात्विक गलत बयानी चाहे वे धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, से मुक्त हैं.

   समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल संबंधित समूह इकाई की कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों को प्रकट करने और लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि निदेशक मंडल या तो समूह का परिसमापन नहीं करता या परिचालन बंद नहीं करता, या उसके पास कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है.

   समूह संस्थाओं के निदेशक मंडल संबंधित समूह संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के जांच-पड़ताल के लिए भी जिम्मेवार होंगे.

**समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां**

6. हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समुचित तौर पर चाहे धोखाधड़ी या गलती की वजह से तात्विक गलतबयानी से मुक्त है एवं एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जिसमें हमारा मत शामिल है, को जारी करना है. तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, पर कोई गारंटी नहीं है कि मानकीकृत मानदंड के अनुसार संचालित की गई लेखापरीक्षा हमेशा तात्विक गलत बयानी को पकड़ लेगी. गलतबयानी धोखाधड़ी या गलती की वजह से उत्पन्न हो सकती है एवं उसे तात्विक माना जाता है, यदि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, वो इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों को विवेकपूर्ण तरीके से प्रभावित कर पाते.

   मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं. हम साथ ही:

   - वित्तीय विवरण की तात्विक गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते एवं मूल्यांकित करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, संरचना एवं उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा

प्रक्रियाओं का निष्पादन एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना एवं जो हमारा मत का आधार देने के लिए उपयुक्त है. धोखाधड़ी से उत्पन्न एक तात्विक गलतबयानी को न पहचानने का जोखिम गलती से उत्पन्न को न पहचान पाने से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली-भगत, जालसाज, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का निरस्तीकरण शामिल हो सकता है.

- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन एवं लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए संबंधित प्रकटीकरण.

- लेखांकन की कार्यशील संस्था के आधार के प्रयोग के विनियोजन पर हुए और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित ठोस अनिश्चितता नजर आती है जो बैंक को कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करते रहने के लिए बैंक की सामर्थ्य पर संदेह बना सकती है. अगर हम यह निष्कर्ष निकालें कि ठोस अनिश्चितता नजर आती है, तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण संबंधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तरफ ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या, हमारे मत का आशोधन करने के लिए इस तरह के प्रकटीकरण अनुपयुक्त हैं. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा सबूतों पर आधारित हैं जो अब तक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्राप्त किए गए हैं. हालांकि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने को रोक सकती है.

- संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, प्रकटीकरण सहित, वित्तीय विवरणों की संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, एवं क्या वित्तीय वितरण अंतर्निहित लेनदेनों एवं घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि वह एक उचित प्रदर्शन हासिल करें.

- समेकित वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर संस्थाओं या कारोबारी गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं. हम अपनी लेखा परीक्षा अभिमत के लिए पूर्णतः जिम्मेदार हैं.

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित किए जा सकते हैं. हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं.

हम गवर्नेंस के प्रभारी के साथ अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र एवं लेखा के समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष के बारे में, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में पायी गयी किन्हीं महत्वपूर्ण कमियों को गवर्नेंस के संबंध में उनसे संप्रेषण करते हैं.

हम गवर्नेंस से प्रभारित को भी वचन देते हैं कि हमने स्वतंत्र रूप से प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, एवं उनसे संप्रेषण करने के लिए सभी रिश्ते एवं अन्य मामले जिनके बारे में माना जाता है कि वह विवेकपूर्ण तरीके से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालते हैं, एवं सुरक्षोपाय संबंधी, जहां लागू है.

गवर्नेंस से प्रभावित संपोषित मामलों से, हमने ऐसे मामलों को निर्धारित किया है जो कि वर्तमान अवधि की एकल वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के सबसे अधिक महत्व के हैं एवं इसलिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं. हम इन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में लोक प्रकटीकरण पर रोक न लगा दी जाए या जब, अत्यधिक दुर्लभ मामलों में, हम यह तय करते हैं कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिए जिससे कि ऐसे प्रतिकूल संप्रेषण से खातों से अपेक्षित जनहित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने के प्रतिकूल हो.

**अन्य मामले**

7. हमने समेकित वित्तीय विवरणों में, निर्दिष्ट 5 सहायक कंपनियां एवं 2 संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई का लेखा परीक्षण शामिल नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरणों में यथा 31 मार्च, 2024 को कुल संपत्ति ₹ 11,39,63,505 (हजार में) एवं कुल राजस्व ₹ 2,71,30,983 (हजार में) एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष में कर राशि के बाद शुद्ध लाभ ₹ 5,52,322 (हज़ार में), समेकित वित्तीय विवरणों के रूप में

माना गया है. समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 8,81,701 (हज़ार में) के शुद्ध लाभ राशि का समूह हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में लिया गया है, एक सहयोगी के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी का लेखा परीक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया है. इन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारा मत यह है कि समेकित वित्तीय विवरणों में निर्दिष्ट राशि एवं प्रकटीकरण मात्र अन्य लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट पर आधारित है.

समेकित वित्तीय विवरणों में 1 संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम भी शामिल हैं, जिनके वित्तीय विवरणों/ वित्तीय परिणामों/ वित्तीय जानकारी यथास्थिति 31 मार्च, 2024 को कुल आस्ति ₹ 6,59,313 (हजार में), समूह के हिस्सेदारी को दर्शाता है, दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 1,33,617 (हज़ार में) समूह का हिस्सा एवं कर पश्चात कुल शुद्ध लाभ ₹ 54,098 (हजार में) समूह के हिस्सेदारी को दर्शाता है, जैसा कि समेकित वित्तीय परिणामों में निर्दिष्ट है. ये अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय परिणामों/ वित्तीय जानकारी हमें बैंक के प्रबंधन द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रदान की गयी है एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर हमारी राय, जहां तक इन सहायक कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के संबंध में शामिल राशि एवं प्रकटीकरण से संबंधित हैं, पूर्ण रूप से इस तरह की समीक्षा/ अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/ वित्तीय परिणाम/ वित्तीय जानकारी पर आधारित है. हमारे मत में एवं बैंक प्रबंधन द्वारा प्रदत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार यह वित्तीय विवरण/ वित्तीय परिणाम/ वित्तीय जानकारी समूह के महत्व के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.

उक्त संदर्भित मामलों में, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत एवं किए गए कार्य के संबंध में हमारा विश्वास तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टे आशोधित नहीं है.

8. इस विवरण में शामिल 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों का बैंक के छह संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी, जिनमें से पांच पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म थे, और उन्होंने 06 मई, 2023 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से समेकित वित्तीय परिणामों पर एक अपरिवर्तित मत व्यक्त किए थे.

इस मामले के संबंध में हमारी मत संशोधित नहीं है.

**अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**

9. समेकित तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं.

ऊपर दिए गए पैरा 5, 6 और 7 में इंगित लेखापरीक्षा की सीमा और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/ 1980 के अधीन, सहायक कंपनियों, सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के बयान जैसा कि लागू सीमा तक "अन्य मामले" पैरा में उल्लेखित है और उसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन भी है और अन्य वित्तीय जानकारी हमारी लेखा परीक्षा एवं अलग-अलग वित्तीय विवरण पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए आवश्यक है और हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमारे द्वारा अपेक्षित जानकारियाँ और स्पष्टीकरण प्राप्त की गई जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया.

बी) हमारे विचार से हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन, बैंक के अधिकार में किए गए हैं; तथा

सी) बैंक के कार्यालय एवं शाखाओं से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं.

10. जैसा कि दिनांक 17 मार्च, 2020 के पत्र संख्या DOS.ARG. No.6270/ 08.91.001/ 2019-20 द्वारा अपेक्षित है, "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व", भारिबैं द्वारा जारी दिनांक 19 मई, 2020 के अनुवर्ती संप्रेषण के साथ पठित, हम उपरोक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

ए) हमारी राय में, बैंक द्वारा अब तक की विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बही रखी गई हैं, उन बहियों की जांच एवं अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है;

बी) समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए खाता बही के साथ और उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के साथ मेल खाते हैं

जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है;

सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा और कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें प्रेषित कर दी है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से निपटाया गया है;

डी) हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और समेकित कैश नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, यह अपनी सीमा में है व आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं.

ई) चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने से निरर्हता बैंक पर लागू नहीं होती हैं.

भारत में निगमित सीमा तक सरकारी कंपनी के अलावा अन्य सहायक कंपनियों, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, भारत में निगमित सहायक कंपनियों, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक निदेशक के रूप में नियुक्त होने से निरर्हता नहीं ठहराया गया है.

एफ़) लेखों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई शर्त, निग्रह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है.

जी) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण समेकित वित्तीय विवरण पर लागू नहीं होता है.

**कृते एन बी एस & कं.**
सनदी लेखाकार
**एफ़आरएन 110100W**

**सीए शरत शेट्टी**
भागीदार
सदस्य सं. 132775
यूडीआईएन:24132775BKCYES4785

**कृते छाजेड & डोसी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 101794W

**सीए नितेश जैन**
भागीदार
सदस्य सं. 136169
यूडीआईएन:24136169BKEKKZ4882

**कृते जी एस माथुर & कं.**
सनदी लेखाकार
**एफ़आरएन** 008744N

**सीए राजीव कुमार वाधवन**
भागीदार
सदस्य सं. 091007
यूडीआईएन:24091007BKCFCT7661

**कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 000580S/S200066

**सीए पी. चंद्रशेखर**
भागीदार
सदस्य सं. 026037
यूडीआईएन:24026037BKARCO1889

**कृते वी के लाधा & एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002301C

**सीए वी के लाधा**
भागीदार
सदस्य सं. 071501
यूडीआईएन:24071501BKFQHF3256

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10.05.2024

# समेकित तुलन पत्र

यथा 31 मार्च, 2024

(रु. 000' में)

| विवरण | अनुसूची क्रमांक | यथा 31 मार्च,2024 | यथा 31 मार्च, 2023 |
|---|---|---|---|
| **पूंजी एवं देयताएं** | | | |
| पूंजी | 1 | 7,63,36,056 | 6,83,47,475 |
| सहायक कंपनी द्वारा जारी अधिमान्य शेयर पूंजी | 1 ए | 10,40,035 | 10,40,035 |
| आरक्षित एवं अधिशेष | 2 | 89,86,00,469 | 71,86,47,629 |
| अल्पांश हित | 2 ए | - | - |
| जमाराशियाँ | 3 | 12,24,59,33,559 | 11,20,32,19,225 |
| उधार | 4 | 26,97,42,680 | 42,73,65,947 |
| अन्य देयताएं एवं प्रावधान | 5 | 52,83,06,310 | 46,49,50,783 |
| **कुल** | | **14,01,99,59,109** | **12,88,35,71,094** |
| **आस्तियां** | | | |
| नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष | 6 | 52,90,15,436 | 50,25,81,072 |
| बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | 7 | 66,74,43,018 | 62,34,07,568 |
| निवेश | 8 | 3,43,95,28,617 | 3,43,72,69,559 |
| अग्रिम | 9 | 8,74,07,97,404 | 7,64,27,66,793 |
| अचल आस्तियां | 10 | 9,25,98,061 | 8,84,79,756 |
| अन्य आस्तियां | 11 | 55,05,76,573 | 58,90,66,347 |
| समेकन पर साख | | - | - |
| **कुल** | | **14,01,99,59,109** | **12,88,35,71,094** |
| आकस्मिक देयताएं | 12 | 5,83,38,30,501 | 6,08,09,92,755 |
| संग्रहण के लिए बिल | | 50,25,28,601 | 43,56,67,177 |
| प्रमुख लेखा नीतियाँ | 17 | | |
| लेखा से संबंधित नोट | 18 | | |

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ समेकित तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं.

**(अजय वंसल)**
उप महाप्रबंधक

**(अविनाश प्रभु)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

**(पंकज द्विवेदी)**
कार्यपालक निदेशक

**(संजय रुद्र)**
कार्यपालक निदेशक

**(रामसुब्रमणियन एस)**
कार्यपालक निदेशक

**(नितेश रंजन)**
कार्यपालक निदेशक

**(समीर शुक्ला)**
निदेशक

**(प्रकाश बलियारसिंह)**
निदेशक

**(सूरज श्रीवास्तव)**
निदेशक

**(लक्ष्मण एस उप्पर)**
निदेशक

**(जयदेव मदुगुला)**
निदेशक

**(प्रीति जय राव)**
निदेशक

**(ए. मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

**कृते एन बी एस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W
**सीए शरत शेट्टी**
भागीदार
सदस्य सं. 132775
यूडीआईएन:24132775BKCYES4785

**कृते छाजेड & डोसी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 101794W
**सीए नितेश जैन**
भागीदार
सदस्य सं. 136169
यूडीआईएन:24136169BKEKKZ4882

**कृते जी एस माथुर & कं.**
सनदी लेखाकार
**एफ़आरएन** 008744N
**सीए राजीव कुमार वाधवन**
भागीदार
सदस्य सं. 091007
यूडीआईएन:24091007BKCFCT7661

**कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 000580S/S200066
**सीए पी. चंद्रशेखर**
भागीदार
सदस्य सं. 026037
यूडीआईएन:24026037BKARCO1889

**कृते वी के लाधा & एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002301C
**कृते विरेंद्र कुमार लाधा**
भागीदार
सदस्य सं. 071501
यूडीआईएन:24071501BKFQHF3256

स्थान: मुंबई
दिनांक 10 मई, 2024

# समेकित लाभ एवं हानि खाता

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(रु. 000' में)

| | विवरण | अनुसूची क्र. | 31 मार्च, 2024 वर्ष समाप्ति तक | 31 मार्च, 2023 वर्ष समाप्ति तक |
|---|---|---|---|---|
| I. | **आय** | | | |
| | अर्जित ब्याज | 13 | 1,00,37,55,708 | 81,16,31,823 |
| | अन्य आय | 14 | 17,81,27,884 | 15,91,53,525 |
| | **कुल** | | **1,18,18,83,592** | **97,07,85,348** |
| II. | **व्यय** | | | |
| | व्यय किया गया ब्याज | 15 | 63,36,37,017 | 48,03,28,447 |
| | परिचालन व्यय | 16 | 26,50,58,274 | 23,48,73,032 |
| | प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय | | 14,60,98,815 | 17,12,80,436 |
| | **कुल** | | **1,04,47,94,106** | **88,64,81,915** |
| iii. | **सहायक कंपनियों में अल्पांश से पूर्व समेकित निवल लाभ/(हानि) एवं अर्जन में हिस्सेदारी** | | 13,70,89,486 | 8,43,03,433 |
| | जोड़ें :- सहायक कंपनियों में लाभ/(हानि) की हिस्सेदारी | | 8,81,701 | 8,13,202 |
| | अल्पांश हित का हिस्सा घटाने से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ/(हानि) | | 13,79,71,187 | 8,51,16,635 |
| | (घटाएँ):- अल्पांश हित | | - | - |
| | **समूह के लिए वर्ष का समेकित निवल लाभ/(निवल हानि)** | | **13,79,71,187** | **8,51,16,600** |
| | निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित से अंतरण | | - | 58,32,008 |
| | जोड़े : आगे लाया गया लाभ/(हानि) | | 58,32,043 | 35 |
| | **विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि** | | **14,38,03,230** | **9,09,48,643** |
| IV. | **विनियोजन** | | | |
| | सांविधिक आरक्षित में अंतरण | | 3,42,85,266 | 2,10,83,194 |
| | आरक्षित पूंजी में अंतरण | | 16,32,611 | 9,45,461 |
| | निवेश उतार चढ़ाव जोखिम आरक्षित में अंतरित | | 2,84,440 | - |
| | राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण | | 6,60,81,024 | 3,48,14,630 |
| | विशेष आरक्षित में अंतरण [आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(I)(viii)] | | 66,79,000 | 60,00,000 |
| | निवेश आरक्षित खाते में अंतरण | | 15,27,866 | 17,69,006 |
| | प्रस्तावित लाभांश | | 2,74,80,980 | 2,05,04,309 |
| | लाभ हानि खाते में शेष | | 58,32,043 | 58,32,043 |
| | **कुल** | | **14,38,03,230** | **9,09,48,643** |
| | प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड (अंकित मूल्य रु.10 प्रत्येक) | | **19.15** | **12.45** |
| | प्रमुख लेखा नीतियां | 17 | | |
| | लेखा से संबंधित नोट्स | 18 | | |

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ समेकित तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं.

**(अजय बंसल)**
उप महाप्रबंधक

**(अविनाश प्रभु)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

**(पंकज द्विवेदी)**
कार्यपालक निदेशक

**(संजय रुद्र)**
कार्यपालक निदेशक

**(रामसुब्रमणियन एस)**
कार्यपालक निदेशक

**(नितेश रंजन)**
कार्यपालक निदेशक

**(समीर शुक्ला)**
निदेशक

**(प्रकाश बलियारसिंह)**
निदेशक

**(सूरज श्रीवास्तव)**
निदेशक

**(लक्ष्मण एस उप्पर)**
निदेशक

**(जयदेव मदुगुला)**
निदेशक

**(प्रीति जय राव)**
निदेशक

**(ए. मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

**कृते एन बी एस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W
**सीए शरत शेट्टी**
भागीदार
सदस्य सं. 132775
यूडीआईएन:24132775BKCYES4785

**कृते छाजेड & डोसी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 101794W
**सीए नितेश जैन**
भागीदार
सदस्य सं. 136169
यूडीआईएन:24136169BKEKKZ4882

**कृते जी एस माथुर & कं.**
सनदी लेखाकार
**एफ़आरएन** 008744N
**सीए राजीव कुमार वाधवन**
भागीदार
सदस्य सं. 091007
यूडीआईएन:24091007BKCFCT7661

**कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 000580S/S200066
**सीए पी. चंद्रशेखर**
भागीदार
सदस्य सं. 026037
यूडीआईएन:24026037BKARCO1889

**कृते वी के लाधा & एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002301C
**कृते विरेंद्र कुमार लाधा**
भागीदार
सदस्य सं. 071501
यूडीआईएन:24071501BKFQHF3256

स्थान: मुंबई
दिनांक 10 मई, 2024

# समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

यथा 31 मार्च, 2024

(रु. 000' में)

| | यथा 31 मार्च, 2024 | यथा 31 मार्च, 2023 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 1 – पूंजी :** | | |
| I. **प्राधिकृत:** | | |
| **रू.10 प्रति शेयर की दर से 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर** | 10,00,00,000 | 10,00,00,000 |
| II. **निर्गमित, अभिदत्त एवं चुकता:** | | |
| i. रू.10 प्रति शेयर की दर से 570,66,60,850 इक्विटी शेयर भारत सरकार द्वारा धारित (विगत वर्ष 570,66,60,850 इक्विटी शेयर) | 5,70,66,609 | 5,70,66,609 |
| ii. रू.10 प्रति शेयर की दर से 1,92,69,44,757 इक्विटी शेयर जनता द्वारा धारित (विगत वर्ष 112,80,86,616 इक्विटी शेयर) | 1,92,69,447 | 1,12,80,866 |
| **कुल** | **7,63,36,056** | **6,83,47,475** |
| **अनुसूची 1ए – सहायक कंपनी द्वारा निर्गमित अधिमानी शेयर पूंजी :** | | |
| 17 मई, 2018 को दाई ईची लाइफ होल्डिंग इंक (यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एक सहायक कंपनी द्वारा निर्गत) को 20 वर्षों की अवधि के लिए प्रति ₹ 10/- के 10,40,03,544 सहभागी अमोचनीय अनिवार्य रूप से संपरिवर्तनीय अधिमान शेयर | 10,40,035 | 10,40,035 |
| **कुल** | **10,40,035** | **10,40,035** |

(रु. 000' में)

| | यथा 31 मार्च, 2024 | | यथा 31 मार्च, 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां एवं अधिशेष :** | | | | |
| I. **सांविधिक आरक्षित :** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 16,79,04,849 | | 14,68,21,655 | |
| **वर्ष के दौरान वृद्धि** | 3,42,85,266 | 20,21,90,115 | 2,10,83,194 | 16,79,04,849 |
| II. **आरक्षित पूंजी :** | | | | |
| ए) आरक्षित पूंजी : | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 5,98,78,700 | | 5,89,33,239 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 16,32,611 | | 9,45,461 | |
| **वर्ष के दौरान कमी** | - | | - | |
| | 6,15,11,311 | | 5,98,78,700 | |
| बी). **पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि:** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 6,13,24,225 | | 4,75,70,740 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 81,343 | | 1,51,92,863 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 49,61,394 | | 14,39,378 | |
| | **5,64,44,174** | | **6,13,24,225** | |
| सी) **समामेलन आरक्षित** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 1,30,95,979 | | 1,30,95,979 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | | - | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | | - | |
| | **1,30,95,979** | **13,10,51,464** | **1,30,95,979** | **13,42,98,904** |

(रु. 000' में)

| | यथा 31 मार्च, 2024 | | यथा 31 मार्च, 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| **III. समेकन पर आरक्षित पूंजी** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 1,20,151 | | 4,21,351 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | | - | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | **1,20,151** | 3,01,200 | **1,20,151** |
| **IV. शेयर प्रीमियम :** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 18,42,28,058 | | 18,39,26,860 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 7,20,11,419 | | 3,01,198 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 2,91,432 | **25,59,48,045** | - | **18,42,28,058** |
| **V. आरक्षित निधि राजस्व :** | | | | |
| **i) राजस्व एवं अन्य आरक्षित :** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 14,49,84,457 | | 10,74,30,020 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 6,83,15,558 | | 3,75,80,223 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 5,488 | | 25,786 | |
| घटाएँ:- अल्पांश हित | | | - | |
| | **21,32,94,527** | | **14,49,84,457** | |
| **ii) धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 6,62,98,789 | | 6,02,98,789 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 66,79,000 | | 60,00,000 | |
| | **7,29,77,789** | | **6,62,98,789** | |
| **iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 59,328 | | 58,485 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 1,018 | | 843 | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | | - | |
| | **60,346** | | **59,328** | |
| **iv) निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 1,35,29,575 | | 1,93,61,583 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 2,84,440 | | - | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | | 58,32,008 | |
| | 1,38,14,015 | | 1,35,29,575 | |
| **v) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | (4,08,905) | | 12,73,628 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 6,93,239 | | 8,11,962 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 3,00,607 | | 24,94,495 | |
| | **(16,273)** | | **(4,08,905)** | |
| **v) डिबेंचर मोचन आरक्षित** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 31,375 | | 31,375 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | | - | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | | - | |
| **कुल** | **31,375** | **30,01,61,779** | **31,375** | **22,44,94,618** |
| **VI) निवेश आरक्षित खाता** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 17,69,006 | | 17,69,006 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 15,27,866 | | | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | 32,96,872 | - | 17,69,006 |

(रु. 000' में)

| | यथा 31 मार्च, 2024 | | यथा 31 मार्च, 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| **VII. लाभ हानि खाते में शेष** | | | | |
| लाभ हानि खाते में शेष | | 58,32,043 | | 58,32,043 |
| **कुल** | | **89,86,00,469** | | **71,86,47,629** |
| **अनुसूची 2 ए अल्पांश हित** | | | | |
| प्रारंभिक शेष | | - | | - |
| जोड़े/ (घटाएँ):- वर्ष के दौरान वृद्धि/ (घटाएँ) | | - | | - |
| **कुल अल्पांश हित** | | **-** | | **-** |
| **अनुसूची 3 –जमाराशियां :** | | | | |
| **I. मांग जमाराशियां** | | | | |
| i) बैंकों से | 74,28,822 | | 1,75,66,930 | |
| ii) अन्य से | 73,03,00,019 | 73,77,28,841 | 72,24,22,466 | 73,99,89,396 |
| **II. बचत बैंक जमाराशियां** | | 3,36,37,02,530 | | 3,20,10,49,443 |
| **III. मीयादी जमाराशियां** | | | | |
| i) बैंकों से | 24,66,77,161 | | 17,64,32,725 | |
| ii) अन्य से | 7,89,78,25,027 | 8,14,45,02,188 | 7,08,57,47,660 | 7,26,21,80,385 |
| **कुल** | | **12,24,59,33,559** | | **11,20,32,19,225** |
| भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां | | 11,98,98,18,547 | | 11,05,94,29,728 |
| भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां | | 25,61,15,012 | | 14,37,89,497 |
| **कुल** | | **12,24,59,33,559** | | **11,20,32,19,225** |
| **अनुसूची 4 – उधार :** | | | | |
| **ए) भारत में उधार** | | | | |
| i. भारतीय रिजर्व बैंक | - | | 13,38,20,000 | |
| ii. अन्य बैंक | 1,72,263 | | 75,821 | |
| iii. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां | 4,84,02,023 | | 2,34,63,987 | |
| iv. बेमीयादी बॉन्ड | 9,68,80,000 | | 9,68,80,000 | |
| v. गौण बॉन्ड | 7,95,00,000 | | 9,95,00,000 | |
| vi. 7 वर्षीय इन्फ्रा बॉन्डस | - | 22,49,54,286 | - | 35,37,39,808 |
| **बी. भारत से बाहर उधार** | | 4,47,88,394 | | 7,36,26,139 |
| **कुल** | | **26,97,42,680** | | **42,73,65,947** |
| **उपर्युक्त बी (I) एवं (II) में सम्मिलित जमानती उधार** | | - | | 13,90,42,858 |

(रु. 000' में)

| | यथा 31 मार्च, 2024 | यथा 31 मार्च, 2023 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 5 – अन्य देयताएं एवं प्रावधान :** | | |
| I. देय बिल | 2,64,14,133 | 2,64,97,502 |
| II. उपचित ब्याज | 5,24,76,353 | 6,03,43,341 |
| III. अन्य (प्रावधान सहित)* | 44,94,15,824 | 37,81,09,940 |
| **कुल** | **52,83,06,310** | **46,49,50,783** |
| **अनुसूची 6 –नकदी एवं भारतीय रिजर्व में जमा शेष:** | | |
| I. धारित नकदी | 2,27,52,570 | 2,84,16,340 |
| (विदेशी करेंसी नोट एवं स्वर्ण सहित) | | |
| II. भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चालू खाते में शेष | | |
| चालू खाते में | 50,62,58,578 | 47,41,54,986 |
| अन्य खाते में | 4,288 | 9,747 |
| **कुल** | **52,90,15,436** | **50,25,81,072** |
| **अनुसूची 7 – बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि :** | | |
| **I. भारत में** | | |
| i) बैंकों में जमा शेष | | |
| ए) चालू खातों में | 37,61,219 | 61,55,270 |
| बी) अन्य जमा खातों में | 44,34,026 | 5,85,95,898 |
| ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | | |
| ए) बैंकों से | - | 5,00,000 |
| बी) अन्य संस्थाओं से | 34,51,28,862 | 31,23,03,614 |
| | **35,33,24,107** | **37,75,54,782** |
| **II. भारत के बाहर** | | |
| i) चालू खातों में | 54,09,791 | 54,81,900 |
| ii) अन्य जमा खातों में | 30,64,81,064 | 23,88,70,885 |
| iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | 22,28,056 | 15,00,001 |
| | **31,41,18,911** | **24,58,52,785** |
| **कुल** | **66,74,43,018** | **62,34,07,568** |

(रु. 000' में)

| | यथा 31 मार्च, 2024 | यथा 31 मार्च, 2023 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 8 – निवेश:** | | |
| **I. भारत में निवेश** | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियों में | 2,75,55,86,019 | 2,62,25,87,764 |
| ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में | 1,51,16,121 | 91,11,365 |
| iii) शेयरों में | 2,82,77,299 | 2,45,33,686 |
| iv) डिबेंचर एवं बॉन्डस में | 57,90,91,160 | 64,33,93,358 |
| v) एसोसिएट में | 43,83,850 | 35,02,148 |
| vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, प्रतिभूति रसीदों आदि में) | 3,16,62,055 | 11,10,88,502 |
| **कुल** | **3,41,41,16,504** | **3,41,42,16,823** |
| **II. भारत से बाहर निवेश** | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) | 2,20,01,139 | 1,86,90,375 |
| ii) शेयरों में | 6,810 | 3,35,490 |
| iii) अन्य निवेश (बांडों में) | 34,04,164 | 40,26,870 |
| iv) एसोसिएट में | - | - |
| **कुल** | **2,54,12,113** | **2,30,52,736** |
| **कुल** | **3,43,95,28,617** | **3,43,72,69,559** |
| **III. भारत में निवेश** | | |
| सकल मूल्य | 3,50,13,05,679 | 3,49,25,11,153 |
| घटाएँ : मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान | 8,71,89,175 | 7,82,94,330 |
| भारत में निवेश का निवल मूल्य | **3,41,41,16,503** | **3,41,42,16,823** |
| IV. भारत से बाहर निवेश | | |
| सकल मूल्य | 2,55,80,990 | 2,33,14,075 |
| घटाएँ : मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान | 1,68,877 | 2,61,339 |
| भारत के बाहर निवेश का निवल मूल्य | **2,54,12,113** | **2,30,52,736** |
| **कुल** | **3,43,95,28,617** | **3,43,72,69,559** |

(रु. 000' में)

| | यथा 31 मार्च, 2024 | यथा 31 मार्च, 2023 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 9 – अग्रिम (निवल)** | | |
| I i) खरीदे और भुनाए गए बिल | 3,59,44,611 | 3,29,74,692 |
| ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण | 4,34,16,74,091 | 3,48,61,71,808 |
| iii) मीयादी ऋण | 4,36,31,78,702 | 4,12,36,20,293 |
| **कुल** | **8,74,07,97,404** | **7,64,27,66,793** |
| II. | | |
| i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत* | 7,24,72,22,868 | 6,25,80,98,735 |
| ii) बैंक/ सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूत | 5,93,58,913 | 12,26,93,689 |
| iii) प्रतिभूत-रहित | 1,43,42,15,623 | 1,26,19,74,369 |
| **कुल** | **8,74,07,97,404** | **7,64,27,66,793** |
| *बही ऋण के सापेक्ष अग्रिमों सहित | | |
| **ए. भारत में अग्रिम:** | | |
| i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | 3,19,08,13,692 | 2,85,85,94,969 |
| ii) सार्वजनिक क्षेत्र | 1,23,56,53,929 | 81,73,80,496 |
| iii) बैंक | 8,66,18,664 | 6,33,569 |
| iv) अन्य | 3,90,55,55,529 | 3,71,92,11,698 |
| **कुल** | **8,41,86,41,814** | **7,39,58,20,732** |
| **बी. भारत के बाहर अग्रिम:** | | |
| i) बैंकों से प्राप्य | 6,50,62,605 | 5,39,13,567 |
| ii) अन्य से प्राप्य | | |
| ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल | 4,71,673 | 4,08,197 |
| बी) सिंडीकेटेड ऋण | - | - |
| सी) अन्य | 25,66,21,312 | 19,26,24,296 |
| | **32,21,55,590** | **24,69,46,060** |
| **कुल** | **8,74,07,97,404** | **7,64,27,66,793** |

*समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां*

(रु. 000' में)

| | यथा 31 मार्च, 2024 | | यथा 31 मार्च, 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 10 – अचल आस्तियां** | | | | |
| **I. परिसर** | | | | |
| पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर | 9,58,92,243 | | 8,09,82,724 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 15,38,029 | | 2,16,26,582 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 31,11,913 | | 67,17,063 | |
| | 9,43,18,359 | | 9,58,92,243 | |
| घटाएं: आज की तारीख तक मूल्यह्रास | 2,96,49,050 | 6,46,69,308 | 2,76,06,610 | 6,82,85,633 |
| **II. अन्य अचल आस्तियां** (फर्नीचर एवं फिक्चर्स सहित) | | | | |
| **II (ए) भूमि** | | | | |
| पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर | 36,34,968 | | 24,98,636 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | | 12,33,904 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 1,15,305 | | 97,572 | |
| | 35,19,663 | | 36,34,968 | |
| घटाएं: आज की तारीख तक मूल्यह्रास | 11,56,731 | 23,62,932 | 7,02,457 | 29,32,511 |
| **II (बी) अन्य** | | | | |
| पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर | 7,48,07,497 | | 6,90,59,835 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 1,29,54,854 | | 70,01,866 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 21,31,040 | | 12,54,203 | |
| | 8,56,31,311 | | 7,48,07,497 | |
| घटाएं: आज की तारीख तक मूल्यह्रास | 6,27,55,312 | 2,28,75,999 | 5,96,87,939 | 1,51,19,558 |
| **II (सी) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर** | | | | |
| पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर | 1,21,64,227 | | 1,23,74,205 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 18,50,275 | | 9,41,715 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 12,70,638 | | 11,51,692 | |
| | 1,27,43,865 | | 1,21,64,227 | |
| **आज की तारीख तक परिशोधन** | 1,04,12,985 | 23,30,879 | 1,02,45,338 | 19,18,889 |
| **II (डी) पट्टे पर दी गई आस्तियां** | | | | |
| पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर | 3,14,398 | | 2,68,478 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | | 45,920 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 3,11,272 | | - | |
| | 3,126 | | 3,14,398 | |
| घटाएं: आज की तारीख तक मूल्यह्रास | 3,126 | 0 | 3,12,863 | 1,536 |
| **कुल (I और II)** | | **9,22,39,118** | | **8,82,58,127** |
| **III. प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य** | | | | |
| पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर | 2,21,629 | | 3,70,133 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 3,58,196 | | 3,25,262 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 2,20,883 | 3,58,942 | 4,73,766 | 2,21,629 |
| **कुल (I,II और III)** | | **9,25,98,061** | | **8,84,79,756** |

(रु. 000' में)

| | यथा 31 मार्च, 2024 | यथा 31 मार्च, 2023 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां :** | | |
| I. अंतर कार्यालयीन समायोजन (निवल) | 1,70,28,198 | 2,20,20,700 |
| II. उपचित ब्याज | 10,87,38,067 | 9,19,16,723 |
| III. स्रोत पर प्रदत्त कर/ कर की कटौती(प्रावधान का निवल) | 7,12,98,680 | 6,75,66,225 |
| IV. लेखन सामग्री एवं स्टांप | 61,852 | 62,780 |
| V. दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां | 1,334 | 1,334 |
| VI. आस्थगित कर आस्तियां (निवल) | 3,71,39,447 | 8,66,27,845 |
| VII. अन्य | 31,63,02,660 | 27,57,45,972 |
| VIII. एमएटी क्रेडिट | 6,335 | 4,51,24,768 |
| **कुल** | **55,05,76,573** | **58,90,66,347** |
| | | |
| **अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएं :** | | |
| I. बैंक के विरूद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है | 2,06,76,800 | 3,02,43,174 |
| II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं | 41,101 | - |
| III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं | 3,72,06,07,588 | 4,13,37,63,836 |
| IV. घटकों की ओर दी गयी गारंटी | | |
| i) भारत में | 69,48,36,138 | 66,40,64,012 |
| ii) भारत से बाहर | 67,54,640 | 1,42,33,661 |
| V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व | 1,06,71,64,155 | 99,64,20,847 |
| VI. आकस्मिक देयताओं की अन्य मदें | | |
| i) अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग | 28,77,80,965 | 21,02,78,944 |
| ii) पूंजी प्रतिबद्धता | 13,70,051 | - |
| iii) डीईएएफ योजना - 2014 में अंतरित राशि | 3,45,99,063 | 3,19,88,282 |
| **कुल** | **5,83,38,30,501** | **6,08,09,92,755** |

# समेकित लाभ और हानि खाते के भाग के रूप में अनुसूचियां

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही हेतु

(रु. 000' में)

| | 31 मार्च, 2024 वर्ष समाप्ति हेतु | 31 मार्च, 2023 वर्ष समाप्ति हेतु |
|---|---|---|
| **अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज :** | | |
| I. अग्रिमों पर ब्याज/ बिलों पर बट्टा | 72,15,62,942 | 56,87,45,745 |
| II. निवेशों से आय | 22,82,90,420 | 21,63,56,463 |
| III. भारतीय रिजर्व बैंक के जमा शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज | 4,89,08,922 | 2,13,17,912 |
| IV. अन्य | 49,93,423 | 52,11,704 |
| **कुल** | **1,00,37,55,708** | **81,16,31,823** |
| **अनूसूची 14 – अन्य आय :** | | |
| I. कमीशन, विनिमय और दलाली | 2,34,13,734 | 2,18,70,990 |
| II. निवेशों की बिक्री से लाभ - (निवल) | 1,79,15,613 | 86,24,178 |
| III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल) | 33,03,246 | 25,73,612 |
| IV. स्थायी आस्तियों की बिक्री से लाभ/हानि - (निवल) | 21,690 | (14,860) |
| V. विनिमय लेन-देन से लाभ - (निवल) | 91,90,006 | 81,33,570 |
| VI. ए) पट्टा वित्त आय | - | - |
| बी) पट्टा प्रबंधन शुल्क | - | - |
| सी) अतिदेय शुल्क | - | - |
| डी) प्राप्य पट्टा किराया पर ब्याज | - | - |
| VII. विविध आय | 12,42,83,595 | 11,79,66,035 |
| **कुल** | **17,81,27,883** | **15,91,53,525** |
| **अनूसूची 15 –व्यय किया गया ब्याज :** | | |
| I. जमाराशियों पर ब्याज | 58,62,99,268 | 44,38,31,965 |
| II. भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर बैंक उधारी पर ब्याज | 2,98,97,025 | 1,85,04,007 |
| III. अन्य | 1,74,40,724 | 1,79,92,476 |
| **कुल** | **63,36,37,017** | **48,03,28,447** |
| **अनुसूची 16 – परिचालन व्यय :** | | |
| I. कर्मचारियों को किए गए भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान | 14,59,32,289 | 12,52,40,040 |
| II. किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था | 1,10,42,764 | 1,08,23,277 |
| III. प्रिंटिंग और स्टेशनरी | 12,70,045 | 11,55,291 |
| IV. विज्ञापन और प्रचार | 14,53,822 | 13,34,511 |
| V. ए) पट्टा आस्तियों के अलावा बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास | 89,59,332 | 74,45,671 |
| बी) पट्टा आस्तियों पर मूल्यह्रास | - | - |
| VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय | 70,104 | 61,641 |
| VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) | 6,94,964 | 7,44,948 |
| VIII. विधिक प्रभार | 18,57,131 | 17,37,120 |
| IX. डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि | 39,88,329 | 32,23,483 |
| X. मरम्मती एवं रखरखाव | 35,46,826 | 37,33,263 |
| XI. बीमा | 1,26,35,105 | 1,37,50,448 |
| XII. साख पर परिशोधन, यदि कोई हो | (14,116) | - |
| XIII. अन्य व्यय | 7,36,21,679 | 6,56,23,339 |
| **कुल** | **26,50,58,274** | **23,48,73,032** |

# वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु समेकित आधार पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(तुलन पत्र के भाग के प्रारूपण हेतु अनुसूची17 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण के लिए)

## 1. प्रस्तुति का आधार

ये वित्तीय विवरण, यदि अन्यथा वर्णित न हों, प्रचलित लेखाबंदी के उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत रीति के अन्तर्गत तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं. इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, गोइंग कंसर्न अवधारणा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग की गई बैंक की लेखा और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं), द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन (एएस) तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों के अनुरूप है. विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित पद्धत्ति और सांविधिक प्रावधानों का पालन किया गया है.

## 2. अनुमानों का उपयोग

जीएएपी के साथ अनुरूपता में वित्तीय विवरण की तारीख को वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन को रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है. प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं. वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से जाना जाता है.

## 3. समेकन का आधार

ए) बैंक की 5 सहायक कंपनियां, 3 संयुक्त उद्यम और 1 सहयोगी इकाई है. इसकी जानकारी निम्नानुसार है : -

| क्र. | प्रकृति | इकाई | स्टेक |
|---|---|---|---|
| 1 | सहायक कंपनी | यूनियन आस्ति प्रबंधन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | 100% |
| 2 | सहायक कंपनी | यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | 100% |
| 3 | सहायक कंपनी | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड | 100% |
| 4 | सहायक कंपनी | आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड | 100% |
| 5 | सहायक कंपनी | यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड | 100% |
| 6 | संयुक्त उद्यम | स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 25.10% |
| 7 | संयुक्त उद्यम | एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड | 26.02% |
| 8 | संयुक्त उद्यम | इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी | 25.00% |
| 9 | सहयोगी इकाई | चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक | 35% |

समेकित वित्तीय विवरण निम्न के आधार पर बनाया गया है:

1) मूल बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

2) **सहायक कंपनियों का समेकन :** इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण पर एएस-21 के क्रम में अंतर-समूह संव्यवहारों, अप्राप्त लाभ / हानि को हटाने के पश्चात, मुख्य बैंक संबंधित मद के साथ सहायक कंपनियों के आय / व्यय / आस्तियों / देयतायों के पंक्ति दर पंक्ति आधार पर एकत्रीकरण करेंगे.

3) **एसोसिएट्स का समेकन:** एसोसिएट में निवेश इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट में निवेश का लेखांकन से संबंधित मानक लेखांकन - 23 के अनुसार, इक्विटी पद्धति के आधार पर समेकन हेतु लेखांकित किया गया है.

4) **संयुक्त उपक्रम का समेकन:** इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी संयुक्त उपक्रम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग का मानक लेखांकन- 27 के अनुसार संयुक्त उद्यम में आनुपातिक शेयर का पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है.

बी) घरेलू एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम के मामले में, मूल बैंक द्वारा पालन किए गए भिन्न-भिन्न लेखांकन नीतियों के कारण, लेखांकन समायोजन बढ़ रहे हैं और एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम की व्यवहारिक समस्याओं के कारण एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम द्वारा प्रदान किए गए डाटा के आधार पर समायोजन नहीं किए गए हैं क्योंकि राशियां प्राप्त नहीं हुई.

सी) सहायकों में निवेश के समूह की लागत एवं सहायकों में इक्विटी के मुख्य भाग के बीच के अंतर को सीएफएस में साख/ पूंजी रिजर्व, जैसा भी मामला हो, के रुप में पहचाना गया है.

डी) समेकित सहायक कंपनी के शुद्ध परिसम्पत्तियों में निम्न अल्प संख्यक हित शामिल हैं:

i) सहायक कंपनी में किए गए निवेश की तिथि पर अल्पसंख्यक को स्त्रोतजन्य इक्विटी की राशि

ii) मूल सहायक कंपनी का संबंध आस्तित्व में आए दिनांक से, राजस्व रिजर्व / हानि में अल्पसंख्यक शेयरों में गतिविधि एवं इक्विटी.

iii) अल्पसंख्यक को लागू आधिक्य एवं कोई अग्रतर हानि, को बहुसंख्यक हित के सापेक्ष केवल उस हद तक समायोजित किया जाता है जहां अल्पसंख्यक के लिए बाध्यकारी दायित्व है, और नुक़सानों में अच्छा कर सकता है.

## 4. राजस्व निर्धारण

### ए) बैंकिंग निकाय

i) जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गई है.

ii) गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है. गत वर्ष में दर्ज की गई आय और वर्ष के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत आस्तियां के संबंध में शेष अप्राप्ति की मान्यता समाप्त कर दी गई है.

iii) गारंटी पत्र / साख पत्र पर कमीशन की गणना उपचित आधार पर की गई है.

iv) विनिमय एवं ब्रोकरेज अर्जित, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया, आधार कार्ड से आय, न्यूनतम जमाशेष आदि वास्तविक प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं.

v) "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:

ए) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, केवल विक्रय/शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है.

बी) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, निरंतर प्राप्ति के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए लेखांकन किया गया है.

vi) जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गई है.

vii) भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए की बिक्री का लेखांकन किया गया है.

viii) आयकर विभाग से सूचना आदेश प्राप्त होने पर आयकर रिफंड पर ब्याज की गणना की जाती है.

### बी) गैर - बैंकिंग संस्था

**जीवन बीमा**

**i) प्रीमियम आय**

प्रीमियम (जीएसटी निवल) जब देय है, तब आय के रुप में मान्य है. लिंक्ड कारोबार हेतु जब एसोसिएटेड यूनिट सृजित की जाती है, तब प्रीमियम के रुप में मान्य है. टॉप-अप प्रीमियम को एकल आय के रुप में लिया जाता है. कालातीत पॉलिसियों पर प्रीमियम को तब आय के रुप में पहचाना जाता है, जब पॉलिसियां पुनर्स्थापित हुई हैं. पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि की आय के रुप में तब परिवर्तित किया जाता है, जब पुनर्बीमा प्रीमियम के रुप में परिवर्तित किया गया है.

**ii) लिंक्ड फंड से आय**

लिंक्ड फंड से आय, जिसमें प्रीमियम आबंटन प्रभार, पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, मोर्टेलिटी प्रभार, कोष प्रबंधन

प्रभार आदि शामिल है, को जारी पॉलिसियों के नियमों व शर्तों के अनुसार लिंक्ड कोष से वसूल किया गया है.

**iii) पुनर्बीमा प्रीमियम**

पुनर्बीमा की लागत को प्रीमियम आय की पहचान के समय समझौते या पुनर्बीमाकर्ता के साथ मूल अनुबंध के अनुसार गणना की गई है. पुनर्बीमा पर लाभ कमीशन, पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम के विरुद्ध प्राप्त है.

**iv) लाभों का भुगतान (दावों सहित)**

लाभ के भुगतान में पॉलिसी लाभ व दावा निपटान लागत, यदि कोई है, शामिल है, के लिए मृत्यु, राइडर व समर्पण दावों की सूचना प्राप्त होने पर गणना की गई है. उत्तरजीवी लाभ दावों व परिपक्वता दावों की देय होने पर गणना की गई है. एसोसिएट यूनिट्स निरस्त होने पर लिंक्ड पॉलिसी के अंतर्गत निकासी व समर्पण की संबंधित योजना में गणना की जाती है. दावों पर पुनर्बीमा वसूली की उसी अवधि में गणना की गई है, जिस अवधि से संबंधित दावें हैं.

**v) अधिग्रहण लागत**

अधिग्रहण लागतें ऐसी लागतें हैं जिसमें परिवर्तन जारी रहता है और जो प्राथमिक तौर पर बीमा संविदा के अधिग्रहण से संबंधित हैं एवं उसी अवधि में खर्च किए गए हैं, जिस अवधि से संबंधित है.

**vi) जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु देयता**

जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु बीमांकिक देयता और उन पॉलिसियों के संबंध में जिनका प्रीमियम बंद हो चुका है, लेकिन देयता आस्तित्व में है, का निर्धारण नियुक्त बीमांकिक द्वारा सकल प्रीमियम पद्धति का उपयोग करते हुए और समूह कारोबार के मामले में, अनर्जित प्रीमियम रिजर्व पद्धति द्वारा स्वीकृत बीमांकिक व्यवहार, बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं, आईआरडीए विनियमों और इंस्टिट्यूट ऑफ एक्च्युरिस ऑफ इंडिया के अनुसार किया गया है.

**आस्ति प्रबंधन**

i) निवेश प्रबंधन शुल्क को कर के साथ उपचय आधार पर म्युचुअल फण्ड योजनाओं (योजना में कम्पनी द्वारा किए गए निवेश को छोड़कर) की औसत दैनिक शुद्ध आस्तियों के प्रतिशत के रुप में इस प्रकार पहचान की गई है कि यह सेबी (म्युचुअल फण्ड) विनियम, 1996 और उसके पश्चात कोई संशोधन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो.

ii) निवेश सलाहकारी शुल्क की पहचान ग्राहक के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार उपचय आधार पर की गई है.

iii) ब्याज उपचित आय की पहचान समयानुपात पद्धति का उपयोग करते हुए, संव्यवहार में निहित दर के आधार पर की गई है

iv) लाभांश आय की पहचान तब की गई है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो गया हो.

## 5. वसूली का विनियोजन:

ओटीएस/एनसीएलटी के अलावा अन्य वसूलियों को निम्नानुसार विनियोजित किया जाएगा:

5.1. जब देनदार और लेनदार के बीच इस बात पर कोई समझौता नहीं है कि देनदार द्वारा भुगतान किए गए पैसे को लेनदार द्वारा कैसे विनियोजित किया जाना आवश्यक है, तो विनियोजन का क्रम इस प्रकार है:

### सावधि ऋण हेतु:

- व्यय एवं लागत आदि के लिए.
- एनपीए की तिथि पर वसूल न किए गए ब्याज को वापस किए जाने के लिए.
- डमी लेजर में रखा गया (अनुपयोजित ब्याज).
- वसूली की तारीख तक मूलधन/ईएमआई के बकाया के लिए.
- चालू बही शेष के लिए

### चल खातों हेतु :

- व्यय एवं लागत आदि के लिए.
- एनपीए के समय लौटाए गए अनुपयोजित ब्याज सहित डमी लेजर (अनुपयोजित ब्याज) में रखे गए ब्याज के लिए.

- ➢ मूलधन के लिए

5.2. यदि उधारकर्ता उपरोक्त से भिन्न विनियोजन की शर्तें निर्धारित करता है और यदि विनियोजन की ऐसी भिन्न शर्तें बैंक द्वारा स्वीकार की जाती हैं तो वसूली का विनियोजन मंजूरी शर्तों के अनुसार होगा.

5.3. ओटीएस और सभी एनसीएलटी खातों के मामले में, वसूली को संकल्प अथवा परिसमापन किसी भी माध्यम से:

वसूली का विनियोजन यहां निम्नानुसार या मंजूर शर्तों के अनुसार किया जाएगा

- ➢ मूलधन के लिए
- ➢ एनपीए के समय लौटाए गए अप्राप्य ब्याज सहित डमी लेजर में रखे गए (अनुपयोजित ब्याज) ब्याज
- ➢ व्यय एवं लागत आदि के लिए.

5.4 अनर्जक निवेश के मामले में वसूली निम्नानुसार विनियोजित किया जाएगा:

ए. व्यय एवं लागत आदि के लिए.

बी. एनपीए के समय लौटाए गए अप्राप्य ब्याज के लिए.

सी. डमी लेजर में रखे गए (अनुपयोजित ब्याज) ब्याज.

डी. वसूली की तिथि तक मूलधन/ईएमआई में अग्रिम के लिए.

ई. चालू बही शेष के लिए.

## 6. निवेश

### i) वर्गीकरण

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारुप ए की अपेक्षाओं के अनुरुप, निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

ए) सरकारी प्रतिभूतियां

बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

सी) शेयर

डी) ऋणपत्र एवं बॉण्ड

ई) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश, एवं

एफ) अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों पर मास्टर परिपत्र डीओआर. एमआरजी.42/21.04.141/2021-22 दिनांक 25 अगस्त, 2021 (23 मार्च, 2022, 31 मार्च, 2022, 08 अप्रैल, 2022 एवं 08 दिसंबर, 2022 को अद्यतित) के अनुसार तीन संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है. यथा:

ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम),

बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

### ii) मूल्यांकन का आधार

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं:

ए) "एचटीएम" में धारित प्रतिभूतियां- अधिग्रहण लागत पर : अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित है तथा बट्टे की दशा में, इसे आय नहीं माना गया है.

बी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

सी) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

डी) ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में अस्थायी के अलावा ह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान कर दिया गया है.

ई) "एएफ़एस" एवं "एचएफ़टी" श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिप्ट वार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्ध ह्रास, यदि है, तो लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि शुद्ध वृद्धि, यदि कोई हों, को अनदेखा किया गया है.

एफ़) अन्य प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है :

| | | |
|---|---|---|
| ए | भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ) | फाईनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ़बीआईएल) के कोटेशन के अनुसार |
| बी | राज्य विकास ऋण, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉन्ड | एफआईएमएमडीए के दिशानिदेशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्तियों के आधार पर. |
| सी | इक्विटी शेयर | यदि उल्लेखित हो, तो बाज़ार मूल्य पर अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (18 माह से अधिक पुराना न हो) के अनुसार ब्रेक-अप मूल्य पर. दोनों नहीं होने पर, रु.1/- प्रति कंपनी के अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोडकर ब्रेक-अप मूल्य की गणना की जाए. |
| डी | वरीयता शेयर | यदि उल्लेखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए/ के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं. |
| ई | ऋण पत्र/बॉन्ड्स | यदि उल्लेखित हो तो, बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर. |
| एफ़ | म्युचुअल फंड (एमएफ़) | स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि हों. अनकोटेड इकाइयों की दशा में, संबंधित म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार. |
| जी | राजकोषीय बिल /जमा प्रमाणपत्र / वाणिज्यिक पत्र | संवहन लागत पर |
| एच | उद्यम पूंजी निधियां (वीसीएफ) | घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुराना न हो, के अनुसार विश्लेषित एनएवी, यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हो तो रु.1/- प्रति वीसीएफ. |
| आई | प्रतिभूति रसीदें | इसका मूल्यांकन वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन पर आरबीआई के दिशानिर्देशों (आरबीआई/डीओआर /2021-22/81डीओआर. एमजीआर. 42/21.04. 141/2021-22) दिनांक 25 अगस्त, 2021 तथा समय-समय पर संशोधनों के अनुसार किया जाएगा. |

iii) अंतर बैंक रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है.

iv) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :

ए) विक्रय के लिए उपलब्ध(एएफ़एस)/ट्रेडिंग के धारित (एचएफ़टी) से परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) की श्रेणी में, यथा शिफ्ट की तारीख पर बही मूल्य के निचले स्तर पर अथवा बाजार मूल्य पर, यदि कोई, ह्रास है, तो लगाया गया है.

बी) परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) श्रेणी से विक्रय के लिए उपलब्ध(एएफ़एस)/ट्रेडिंग के लिए धारित(एचएफ़टी) श्रेणी में

- यदि परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) श्रेणी में प्रतिभूति मूलतः डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत /बही मूल्य पर.

- यदि प्रतिभूति मूलतः प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर.

सी) विक्रय के लिए उपलब्ध(एएफ़एस) से ट्रेडिंग के लिये धारित(एचएफ़टी) श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर.

डी) इस प्रकार शिफ्ट की गयी प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया और इसके परिणामस्वरूप मूल्य में होने वाली कमी के लिये पूरा प्रावधान किया गया.

v) गैर निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है.

vi) किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि एवं निवेश पर निवल मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है (निवल मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज़ किया जाता है). तथापि, परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की गई है.

vii) प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की गई है.

viii) सौदे की कीमत के हिसाब से इक्विटी की खरीद एवं बिक्री पर ब्रोकरेज तथा एसटीटी का भुगतान किया जाएगा.

ix) एचटीएम प्रतिभूतियों पर प्रीमियम के परिशोधन की गणना स्ट्रेट-लाइन पद्धति का उपयोग करके की जाती है.

x) निवेश संविभाग की संगणना के लिए बैंक, भारित औसत मूल्य (डबल्यूएपी) का अनुसरण कर रहा है.

xi) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा "निपटान तारीख" का पालन किया जाता है.

xii) म्यूचुअल फंड, वेंचर केपिटल एवं प्रतिभूति रसीद की इकाइयों से होने वाली आय को नकद आधार पर माना जाएगा.

## 7. डेरीवेटिव संविदा

ए) वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप उपचित आधार पर लगाई गई है, सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों या देयताओं के, जिन्हें बाजार मूल्य या लागत से कम या बाजार मूल्य पर लिया गया है. स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति / देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

बी) ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं (लाभ यदि कोई है, को अनदेखा किया जाए).

सी) विकल्प संविदाओं के मामले में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

डी) विदेशी मुद्रा स्वैप लेनदेन पर अर्जित अंतरपणन आय की गणना विनिमय लेनदेन श्रेणी पर लाभ/हानि में की जाती है.

## 8. अग्रिम

i) भारत में सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(ए) मानक,

(बी) अवमानक,

(सी) संदिग्ध तथा

(डी) हानि आस्तियों.

ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों पर मास्टर परिपत्र आरबीआई/2023-2024/06डीओआर. एसटीआर.आरईसी.03/21.04.048/2023-24 दिनांक 01 अप्रैल, 2023 के अनुसार आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है. विदेशी शाखाओं में स्थित अग्रिमों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा स्थानीय विधि, जिस देश में अग्रिम दिए गए हैं, द्वारा लागू विवेकपूर्ण मानदंड, जो भी अधिक सख्त हो लागू होंगे.

ii) अग्रिमों में विशेष हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान तथा गैर निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीएफटी)/ निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है.

iii) मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को "अन्य देयताओं और प्रावधानों" में रखा गया है, जिन्हें तुलनपत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल गैर निष्पादक आस्तियों व निवल अग्रिमों में नहीं लिया गया है. आईआरएसी आरबीआई/2022-2023/15 डीओआर.एसटीआर. आरईसी.3/21.04.048/2023-24 दिनांक 01 अप्रैल, 2023 तथा उसके बाद के समय-समय पर ज़ारी किसी भी परिपत्र के अनुसार मानक आस्तियों का प्रावधान किया जाना है.

iv) बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि को वसूली के वर्ष में राजस्व के रूप में माना जाएगा.

v) छह महीने से अधिक समय से बकाया उचंत खातों की प्रविष्टियों पर प्रावधान 100% किया गया है, सिवाय सरकार/ सरकारी निकायों से प्राप्त दावे जैसे फसल ऋण पर ब्याज अनुदान/निर्यात अग्रिम, पेंशन एसडीएस का आरबीआई से ब्याज दावा, किराया जमा, पूंजी और पूर्वदत्त व्यय, सरकार एवं अन्य एजेंसियों के साथ निवेश,फ्रैंकिंग स्टांप, कार्मिकों को त्योहार अग्रिम आदि को छोड़कर100% पर प्रावधान किया जाता है.

## 9. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

i) परिसर एवं अन्य अचल आस्तियों को लागत, संचित मूल्यह्रास के निवल तथा संचित हानि पर लिया गया है, यदि कोई है. लागत में खरीद मूल्य, पात्र उधार लागत और परिसंपति को उसकी कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से लागत कम व्यापार छूट और रिबेट शामिल है. इस तरह की आस्तियों से इसके बाद आस्ति पर किए गए व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब आस्ति से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है या उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है. भूमि तथा भवन का यदि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, तो उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि दर्शाई जाती है. पुनर्मूल्यांकन से बढ़ी हुई राशि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है तथा ह्रास की राशि को उसमें से घटाया गया है और "संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण " पर संशोधित लेखा मानक-10 के अनुसार राजस्व रिजर्व में जमा किया जाएगा. .

ii) बैंक की व्यय नीति में समय समय पर निर्धारित दरों पर स्ट्रेट लाइन मेथड पर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है. मूल्यह्रास की लागू दरें निम्नानुसार हैं:

| क्र. सं | पूंजी आस्ति | उपयोग हेतु वर्ष (वर्ष) | प्रतिशत में दर |
|---|---|---|---|
| 1 | अचल संपत्ति- भूमि | **गैर निर्दिष्ट; तदनुसार, कोई मूल्यह्रास नहीं** | **शून्य** |
| 2 | आरसीसी फ्रेम संरचना सहित भवन (आवासीय एवं गैर-आवासीय दोनों) | **60** | **1.67** |
| 3 | फर्नीचर | **10** | **10.00** |
| 4 | फिक्सचर | **10** | **10.00** |
| 5 | वातानुकूलित प्लांट (पैकेज एवं जल/वातानुकूलित डक्टेबल) | **10** | **10.00** |
| 6 | स्प्लिट एवं विंडो एयर वातानुकूलन | **5** | **20.00** |
| 7 | विद्युत इन्स्टालमेंट एवं उपकरण | **5** | **20.00** |
| 8 | सौर ऊर्जा उपकरण | **15** | **6.67** |
| 9 | एलिवेटर एवं लिफ्ट | **15** | **6.67** |
| 10 | पट्टे पर लिए गए परिसर में सिविल एवं फ्लोरिंग का कार्य | **5** | **20.00** |
| 11 | दूरभाष उपकरण | **5** | **20.00** |
| 12 | मोटर साइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड | **10** | **10.00** |
| 13 | मोटर कार, मोटर लॉरी एवं इलेक्ट्रिक से संचालित वाहन जिसमें पावर बैट्री सहित या ईंधन सेल संचालित वाहन शामिल है. | **8** | **12.50** |
| 14 | मोबाइल फोन | **3** | **33.33** |
| 15 | जेनेरेटर | **15** | **6.67** |
| 16 | कार्यालय उपकरण / उपकरण | **5** | **20.00** |

| क्र. सं | पूंजी आस्ति | उपयोग हेतु वर्ष (वर्ष) | प्रतिशत में दर |
|---|---|---|---|
| 17 | कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर के एकीकृत भाग का निर्माण करने वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर | 3 | 33.33 |
| 18 | एटीएम एवं संबद्ध आइटम | 5 | 20.00 |
| 19 | यूपीएस एवं संबद्ध आइटम | 5 | 20.00 |
| 20 | सर्वर एवं नेटवर्क | 6 | 16.66 |
| 21 | अंतिम यूजर साधन जैसे डेस्कटॉप, लैपटाप, आई-पैड, टैब्लेट प्रिंटर एवं स्कैनर, डिजिटल घड़ियाँ आदि | 3 | 33.33 |
| 22 | एसडीवी लॉकर, स्ट्रॉँग रूम डोर, कैश सेफ आदि (फिक्चर सहित). | 20 | 5.00 |
| 23 | स्टाफ को उपलब्ध कराई गई वस्तुएं (फ़र्निचर/ इलेक्ट्रिकल एवं आदि) | 5 | 20.00 |

iii) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर, परिसर पर मूल्यह्रास संमिश्र लागत पर लगाया गया है.

iv) पट्टे पर ली गई आस्तियां तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यहास, पट्टे की मूल अवधि के लिए निर्धारित दर का उपयोग कर स्ट्रेट-लाइन के आधार पर लगाया गया है.

v) देश के बाहर स्थित अचल आस्तियों एवं सहायक कंपनी/ एसोसियेट्स की अचल सम्पत्तियों पर नियामक की आवश्यकतानुसार/अथवा संबंधित देश/उद्योग की प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप मूल्यह्रास लगाया गया है.

## 10. आस्तियों में क्षति

आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है. क्षरण हानि उस समय मानी जाती है, जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो. आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है. उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर- पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है. क्षरण के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यह्रास लगाया जाता है. परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई क्षरण हानि बढ़ाई या घटाई जाती है. लेकिन रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी, जो क्षरण न होने पर सामान्य मूल्यह्रास लगाने के बाद होती.

### 11. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

काउंटर साइक्लिक बफर प्रावधानीकरण करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग अनुमोदित नीति है. प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा का मूल्यांकन किया जाता है. काउंटर साइक्लिक प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है.

### 12. विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन

विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेनों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 11 (विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव), के अनुसार किया जाता है. जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्दिष्ट है, बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

ए) एकीकृत परिचालन एवं

बी) गैर एकीकृत परिचालन.

समस्त विदेशी शाखाएं, सुदूर बैंकिंग इकाइयां, विदेशी अनुषंगियों के परिचालनों को गैर एकीकृत परिचालन एवं विदेशी विनिमय में घरेलू लेनदेनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन माना जाता है.

ए) एकीकृत परिचालनों के संबंध में लेखांकन

i) आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर, विद्यमान विनिमय दरों पर लिया गया गया है.

ii) विदेशी मुद्रा मौदिक एवं गैर- मौद्रिक आस्तियां एवं देयताओं का लेखांकन प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है.

iii) गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण होने वाली आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गई हैं.

iv) परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान आय अथवा व्यय के रुप में की जाती है एवं उनका लेखा लाभ एवं हानि खाते में किया जाता है.

v) वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है. फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और "अंतरिम" परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है. परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

बी) गैर - एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण

i) आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है.

ii) विदेशी विनिमय तत्काल एवं वायदा आकस्मिक देयताओं बकाया का अंतरिम परिपक्वताओं के अनुबंधों के लिए लेखा तुलन-पत्र की तारीख पर क्रमशः फेडाई द्वारा अधिसूचित अंतिम तत्काल एवं वायदा दरों एवं इंटरपोलेटेड दरों पर पर किया जाता है.

iii) आय एवं व्यय का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर पर किया जाता है.

iv) परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान इस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रुप में नही की जाती है बल्कि शुद्ध निवेश के निस्तारण तक उन्हें अलग "विदेशी मुद्रा लेखा रिजर्व" खाते में रखा जाता है.

### 13. कर्मचारी लाभ

#### (ए) अल्पावधि रोजगार लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूर्ण देय होती है उसे अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है.

#### (बी) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

i. निर्धारित अंशदान योजनाएं:

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है. इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं. इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान तथा उतना ही बैंक का अंशदान जमा किया जाता है. कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है. बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है.

ii. निर्धारित लाभ योजना:

ग्रेच्यूटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं. इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ "के अनुरूप एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है. एक्चुरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है.

### 14. खंड–वार रिपोर्ट करना :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 17 "खंड-वार रिपोर्टिंग" के अनुसार, बैंक ने कारोबार संवर्ग को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में माना है. कारोबार खंड को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

14.1 ट्रेजरी परिचालन,

14.2 कॉर्पोरेट व होलसेल बैंकिंग,

14.3 रिटेल बैंकिंग परिचालन और

(जिसमें से, जहां भी एवं जब भी डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट लागू हो)

14.4 अन्य बैंकिंग परिचालन में

## 15. लीज़ संव्यवहार

परिचालन लीज पर लिये गये आस्तियों हेतु किया गया भुगतान, लीज अवधि के अनुसार लेखांकित किया जाता है. बैंक द्वारा लीज/किराये पर ली गयी संपत्तियों के लीज की समाप्ति/ नवीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है. अतिरिक्त किराये/लीज संबंधी विवादों में, बैंक की देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय माना जाता है.

## 16. प्रति शेयर आय

बैंक एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल पर डाइल्यूटिड आय प्रति शेयर रिपोर्ट करता है. प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरधारकों को बकाया इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की जाती है. प्रति शेयर डायल्युटेड आय संभावित डायल्यूशन को प्रदर्शित करता है, जो किया जाता है यदि वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर निर्गम का अनुबंध अथवा परिवर्तित किया गया था. प्रति इक्विटी शेयर की डायल्युटेड आय की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर के भारित औसत संख्या और बकाया डायल्युटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की जाती है.

## 17. कराधान

इसमें आईसीएआई द्वारा जारी "आय पर करों के लिए लेखांकन" पर एएस -22 के अनुसार, निर्धारित आयकर और आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (दिए गए अवधि के लिए लेखांकित आय और कर योग्य आय के बीच समय अंतराल के कर प्रभाव को दर्शाते हुए) के प्रावधान शामिल हैं. चालू एवं आस्थगित दोनों प्रकार के करों के लिए प्रावधान किया गया है. कर योग्य आय पर कर नियमों के अनुसार वर्तमान कर का प्रावधान किया गया है. समय अंतराल के कारण उत्पन्न अस्थगित कर आस्तियों एवं अस्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं स्थापित कर नियमों के अनुसार की गयी है. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक `उचित निश्चितता' न हो ताकि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसे आस्थिगत कर का निर्धारण होगा. गैर-मूल्यह्रास और कर घाटे को आगे बढ़ाने के मामले में, आस्थगित कर आस्ति को केवल "आभासी निश्चितता" होने पर मान्यता दी जाती है.

## 18. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां) के अनुसार, बैंक केवल तभी प्रावधान करता है, जब पिछली घटनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान देयताएं हों. ऐसी सम्भावना है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता देयताओं के निपटान और जब देयता की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो, में होगी. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नही की गयी है, क्योंकि इनकी पहचान कभी न वसूली जा सकने वाली आय के रुप में परिणित हो सकती है.

## 19. शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्यय, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अनुसार शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किये जाते हैं.

## 20. नकदी प्रवाह विवरण:

बैंक का नकदी प्रवाह विवरण एएस-3 के अनुसार तैयार किया जाता है. नकदी प्रवाह विवरण मुख्य रूप से वर्गीकृत है :

20.1. **परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :** इस गतिविधि में परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है.

20.2. **निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :** इस गतिविधि में निवेश से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है.

20.3. **वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :** इस गतिविधि में वित्तीय लिखत से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है.

# अनुसूची 18 लेखों पर नोट्स (समेकित)

## 1 बैंक (पैरेंट/मूल) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ जिन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को समेकित किया गया है, वे निम्नानुसार है:

| सहायक कंपनियों के नाम | निगमन का देश | यथा 31.03.2023 को पैरेंट द्वारा स्वामित्व का अनुपात |
|---|---|---|
| यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | भारत | 100% |
| यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | भारत | 100% |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लिमिटेड | यूनाइटेड किंगडम | 100% |
| आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि. | भारत | 100% |
| यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड | भारत | 100% |

## 2 समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उपक्रमों के विवरण निम्नानुसार हैं:

| संयुक्त उपक्रम के नाम | निगमन का देश | स्वामित्व का अनुपात |
|---|---|---|
| स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (गैर-बैंकिंग) | भारत | 25.10% |
| एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड | भारत | 26.02% |
| इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी | भारत | 25.00% |

## 3 समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट के विवरण निम्नानुसार हैं:

| एसोसिएट का नाम | निगमन का देश | स्वामित्व का अनुपात |
|---|---|---|
| चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक | भारत | 35% |

बैंक द्वारा यथा 31 मार्च, 2024 को किए गए निवेश का मूल्य ₹1,533.02 करोड़ रहा, जिसे दीर्घावधि निवेश के रूप में माना गया है.

4 सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और एसोसिएट्स के वित्तीय विवरण जिनका उपयोग समेकन के लिए किया गया है, वे पैरेंट की रिपोर्टिंग तिथि, अर्थात 31 मार्च, 2024, तक के हैं, इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी के वित्तीय विवरण जिनका उपयोग समेकन के लिए किया गया है, वे दिनांक 31 दिसंबर, 2023 के लिए हैं.

5 यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक के दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर और इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी के दिनांक 31.12.2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तथा स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड, एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड और आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं.

6 उचंत खाते, विविध जमा आदि और शाखाओं, नियंत्रण कार्यालय, प्रधान कार्यालयों एवं किसी भी अन्य प्रतिष्ठानों के बीच अंतरकार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है तथा प्रबंधन का यह मत है कि चालू वर्ष में लाभ और हानि खाते पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है.

## 7 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है

### 8.1. ए. पूंजी

बैंक दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासेल III के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों के पालन के अधीन है. 1 अक्तूबर, 2021 तक बासेल III के कार्यान्वयन के लिए एक संक्रमण अनुसूची दिशानिर्देश में दी गई हैं. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, 1 अक्तूबर, 2021 से बासेल III का सम्पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया है. इन दिशानिर्देशों के अनुसार, टीयर I पूंजी कॉमन इक्विटी टियर I (सीईटी I) और अतिरिक्त टियर I (एटी I) से बनी है.

बासेल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2024 तक पूंजी का जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के 11.50% तक जिसमें न्यूनतम सीईटी-I 8% (दोनों 2.50% के पूंजी संरक्षण बफर सहित) और न्यूनतम टीयर I सीआरएआर 9.50% तक बनाए रखना आवश्यक है.

बैंक ने वर्ष के दौरान ₹ 8000 करोड़ की इक्विटी पूंजी निर्गमित की है. इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान बैंक ने बासेल III शिकायत टीयर-II बॉण्ड में रु. 2,000 करोड़ की चुकौती की है.

इन संरचना के अनुसार पूंजी पर्याप्तता की गणना नीचे दी गई है:

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| i. | सामान्य इक्विटी टीयर-1 पूंजी अनुपात (सीईटी 1) (निवल कटौती, यदि कोई हो) | 91,205.93 | 71,879.53 |
| ii. | अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी | 8,928.65 | 8,985.99 |
| iii. | टीयर 1 पूंजी (i + ii) | 1,00,134.58 | 80,865.52 |
| iv. | टीयर 2 पूंजी | 13,066.90 | 12,299.90 |
| v. | कुल पूंजी (टीयर 1+टीयर 2) | 1,13,201.48 | 93,165.42 |
| vi. | कुल जोखिम-भरित आस्तियां (आरडबल्यूए) | 6,68,083.61 | 5,82,024.83 |
| vii. | सीईटी 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) | 13.65 | 12.35 |
| viii. | टीयर 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूंजी) | 14.99 | 13.89 |
| ix. | टीयर 2 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 2 पूंजी) | 1.96 | 2.11 |
| x. | जोखिम भारित आस्तियों हेतु पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) | 16.94 | 16.01 |
| xi. | लीवरेज अनुपात | 6.58 | 5.74 |
| xii. | शेयर धारिता का प्रतिशत | | |
| | ए) भारत सरकार | 74.76 | 83.49 |
| | बी) राज्य सरकार | -- | -- |
| | सी) प्रयोजक बैंक | -- | -- |
| xiii. | वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि | 8,000.00 | -- |
| xiv. | वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटि टीयर 1 पूंजी की राशि, जिसमें: | | |
| | ए) बासेल III अनुपालन शाश्वत गैर संचयी अधिमान शेयर | -- | -- |
| | बी) बासेल III अनुपालन शाश्वत कर्ज लिखत | | 1,983.00 |

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| xv. | वर्ष के दौरान जुटाई गयी टीयर 2 पूंजी की राशि, जिसमें: | | |
| | ए) शाश्वत गैर संचयी अधिमान शेयर | -- | -- |
| | बी) प्रतिदेय गैर संचयी अधिमान शेयर | -- | -- |
| | सी) बासेल III अनुपालन प्रतिदेय अपरिवर्तनीय टियर 2 बॉण्ड | -- | 2,200.00 |

### 8.2 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

| प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का ब्रेकअप. लाभ एवं हानि में डेबिट | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान / (प्रति प्रविष्टि) | (355.20) | 1,915.53 |
| एनपीए के लिए प्रावधान | 6,409.60 | 12,506.77 |
| मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (प्रति प्रविष्टि) | 701.20 | (988.37) |
| आयकर (आईटी) / आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) के लिए निवल प्रावधान | 7,799.28 | 3,716.20 |
| अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं: | 55.00 | (22.08) |
| **कुल** | **14,609.88** | **17,128.04** |

### 8.3 काउंटर साईक्लिकल प्रावधान बफर / अस्थायी प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| i) | प्रारंभिक शेष | शून्य | शून्य |
| ii) | लेखा वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान | शून्य | शून्य |
| iii) | लेखा वर्ष के दौरान ड्रा डाउन की गई राशि | शून्य | शून्य |
| iv) | लेखाबंदी शेष | शून्य | शून्य |

## 9. कर्मचारी लाभ (एएस 15 – संशोधित) (मूल बैंक)

### i) अल्पावधि रोजगार के लाभ:

सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से भुगतान की जाने वाली अल्पकालिक कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि को अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान मान्य होती है, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की थी.

### ii) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

#### ए) निश्चित अंशदान योजनाएं:

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है. इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं. इस योजना के अनुसार इसमे कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10% अंशदान तथा 14% बैंक का अंशदान जमा किया जाता है. कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है. बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अधिकलित किया करता है. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक ( पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है.

बैंक के पास 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक कार्यग्रहण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सभी संवर्गों के लिए लागू निर्धारित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) विद्यमान है. यह योजना पेंशन फ़ंड रेग्युलेटरी एंड डेव्लपमेंट अथॉरिटी के तत्वावधान के अधीन नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) द्वारा प्रबंधित है. एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नेशनल सेक्योरिटीज डिपॉज़िटॉरि को नियुक्त किया गया है. वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने एनपीएस में रु. 644.84 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 525.36 करोड़) का अंशदान किया है.

**(बी) निश्चित लाभ योजना:**

उपादान, पेंशन और अवकाश नकदीकरण निश्चित लाभ योजनाएं हैं. इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है. बीमांकिक लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है.

**सी) निश्चित लाभ योजनाएं कर्मचारियों का पेंशन एवं उपादान योजना:**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार कर्मचारी हितों के लिए स्पष्टीकरण दिया है.

(रु. करोड़ में)

| क्र. | विवरण | 31.03.2024 | | 31.03.2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | उपादान | पेंशन | उपादान | पेंशन |
| i) | **परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शाती तालिका:** | | | | |
| | वर्ष के आरंभ में देयता | 3,225.86 | 29,170.59 | 3,197.81 | 28,650.99 |
| | ब्याज लागत | 241.62 | 2,196.55 | 233.76 | 2,120.17 |
| | चालू सेवा लागत | 176.23 | 171.59 | 163 | 184.38 |
| | पिछली सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | देयता अंतरण आवक | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | देयता अंतरण जावक | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | (प्रदत्त लाभ) | (317.32) | (2,426.52) | (334.38) | (2,120.73) |
| | बाध्यताओं पर बिमांकिक (अर्जन)/ हानि- परिवर्तन के कारण | | | | |
| | वित्तीय धारणा में | 95.91 | (1,890.74) | (63.88) | (278.47) |
| | जनांकिक धारणा में | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | बाध्यताओं पर बिमांकिक (अर्जन)/ हानि | 179.70 | 4,334.44 | 29.55 | 614.25 |
| | **वर्ष के अंत में देयताएं** | **3,602.00** | **31,555.91** | **3,225.86** | **29,170.59** |

(रु. करोड़ में)

| क्र. | विवरण | 31.03.2024 | | 31.03.2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | उपादान | पेंशन | उपादान | पेंशन |
| ii) | **योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी:** | | | | |
| | वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य योजना | 3,262.35 | 28,754.24 | 3,367.60 | 27,043.50 |
| | आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ | 244.35 | 2,165.19 | 246.17 | 2,001.22 |
| | अंशदान | 238.96 | 2,223.33 | शून्य | 1,780.29 |
| | अन्य कंपनी से अंतरण | शून्य | शून्य | 0.29 | शून्य |
| | अन्य कंपनी को अंतरण | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | (प्रदत्त लाभ) | (317.32) | (2,426.52) | (334.38) | (2,120.73) |
| | योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/(हानि) | 29.34 | 423.97 | (17.33) | 49.96 |
| | वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 3,457.68 | 31,140.21 | 3,262.35 | 28,754.24 |
| | अवधि के लिए बाध्यताओं पर बीमांकिक अर्जन/(हानि) | 275.61 | 2,443.70 | (34.33) | 335.78 |
| | योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/(हानि) | (29.34) | (423.97) | 17.33 | (49.96) |
| | **अभिज्ञात किया जाने वाला कुल बीमांकिक अर्जन/(हानि** | **246.27** | **2,019.73** | **(17.00)** | **285.82** |
| iii) | **संक्रमणकालीन देयता की पहचान:** | | | | |
| | प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | **अंत में संक्रमणकालीन देयता** | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** |
| iv) | **योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ:** | | | | |
| | योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ | 244.35 | 2,165.19 | 246.17 | 2,001.22 |
| | योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/(हानि) | 29.34 | 423.97 | (17.33) | 49.96 |
| | **योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ** | **273.69** | **2,589.16** | **228.84** | **2,051.18** |
| v) | **आय विवरण में चिन्हित व्यय:** | | | | |
| | वर्तमान सेवा लागत | 176.23 | 171.59 | 163 | 184.38 |
| | ब्याज लागत | (2.73) | 31.36 | (12.41) | 118.95 |
| | योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) (बढ़ी हुयी फॅमिली पेंशन का 1/5) | शून्य | शून्य | शून्य | 1,521.62 |
| | संक्रमण देयता की पहचान | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | बीमांकिक (अर्जन) या हानि | 246.27 | 2,019.73 | (17.00) | 285.82 |
| | **लाभ व हानि खाते में चिन्हित व्यय)** | **419.77** | **2,222.68** | **133.59** | **2,110.77** |

(रु. करोड़ में)

| क्र. | विवरण | 31.03.2024 | | 31.03.2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | उपादान | पेंशन | उपादान | पेंशन |
| vi) | **तुलन पत्र समाधान:** | | | | |
| | प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष के तुलन पत्र में चिन्हित शुद्ध राशि) | (36.49) | 416.35 | (169.79) | 85.87 |
| | उपर्युक्त के अनुसार व्यय | 419.77 | 2,222.68 | 133.59 | 2,110.77 |
| | अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध) | शून्य | शून्य | (0.29) | शून्य |
| | अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | (नियोक्ता का अंशदान) | (238.96) | (2,223.23) | शून्य | (1,780.29) |
| | **तुलन-पत्र में शुद्ध (आस्ति)/देयता चिन्हित राशि** | **144.32** | **415.70** | **(36.49)** | **416.35** |
| vii) | **अन्य विवरण :** | | | | |
| | तीस वर्ष की सेवा 50% पूर्ण पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र है. ऐसे कर्मचारी के मामले में जिनकी सेवा 33 वर्ष से कम की है तो पेंशन अर्हक सेवा के वर्षों की संख्या के आनुपातिक आधार पर देय होगी.<br>उपादान, प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की दर से देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि रुपये 20,00,000 या बैंक की योजना के अनुसार हो.<br>बीमांकिक लाभ/हानि की गणना घटना के वर्ष में किया जाता है.<br>वेतन वृद्धि कंपनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है. | | | | |
| | सदस्यों की संख्या | 75,866 | 19,218 | 75,618 | 21,138 |
| | वेतन प्रति माह | 584.18 | 185.19 | 513.88 | 180.41 |
| | **आगामी वर्ष के लिए अंशदान** | 371.87 | 600.03 | 139.74 | 587.94 |
| viii) | **आस्तियों का संवर्ग:** | | | | |
| | भारत सरकार की आस्तियां | 27.56 | 479.80 | 61.47 | 565.13 |
| | कॉर्पोरेट बांड/एफ़डीआर | 297.23 | 2,773.66 | 25.75 | 720.80 |
| | विशेष जमा योजना | शून्य | शून्य | - | - |
| | राज्य सरकार | 393.93 | 3,521.70 | 82.81 | 1,379.39 |
| | सम्पत्ति | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अन्य | 190.78 | 1330.78 | 64.13 | 454.17 |
| | बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां | 2,548.18* | 23,034.27* | 3,028.18 | 25,634.75 |
| | म्यूचुअल फंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | **कुल** | **3,457.68** | **31,140.21** | **3,262.34** | **28,754.24** |

*नोट: वित्तीय वर्ष 2022-23 के पेंशन एवं उपादान जो 7.50% माना गया, के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में पेंशन एवं उपादान देयताएं का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए एलआईसी में निवेश पर 8.11% रिटर्न एवं अन्य बीमा कंपनियों में निवेश पर 7.50% रिटर्न को माना गया है.

(₹ करोड़ में)

| **योजना में अधिशेष/कमी:** | | | **उपादान योजना** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **तुलन पत्र में पहचानी गई राशि** | **31.03.24** | **31.03.23** | **31.03.22** | **31.03.21** | **31.03.20*** |
| वर्ष के अंत में देयता | 3,602.00 | 3,225.86 | 3,197.81 | 3,355.82 | 1,291.94 |
| वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 3,457.68 | 3,262.35 | 3,367.60 | 2,746.43 | 1,219.01 |
| अंतर | (144.32) | 36.49 | 169.79 | (609.39) | (72.93) |
| पिछली पहचान न की गई सेवा लागत | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| पहचान न की गई संक्रमण देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| तुलन पत्र में पहचान की गई राशि | (144.32) | 36.49 | 169.79 | (609.39) | (72.93) |

* यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

(₹ करोड़ में)

| **तुलन पत्र में पहचान की गई राशि** | | | **उपादान योजना** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुभव समायोजन** | **31.03.24** | **31.03.23** | **31.03.22** | **31.03.21** | **31.03.20*** |
| योजना देयता पर (लाभ)/हानि | 179.70 | 29.55 | 30.86 | 752.31 | 25.87 |
| योजना आस्तियों पर (हानि) / लाभ | 29.34 | (17.33) | 53.31 | 34.41 | 7.20 |

* यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

(₹ करोड़ में)

| **योजना में अधिशेष/कमी:** | | | **पेंशन योजना** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **तुलन पत्र में पहचान की गई राशि** | **31.03.24** | **31.03.23** | **31.03.22** | **31.03.21** | **31.03.20*** |
| वर्ष के अंत में देयताएं | 31,555.91 | 29,170.59 | 28,650.99 | 26,011.41 | 12,746.69 |
| वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 31,140.21 | 28,754.24 | 27,043.50 | 26,720.88 | 12,607.16 |
| अंतर | (415.70) | (416.35) | (1,607.49) | 709.47 | (139.53) |
| पहचान न की गई पूर्व सेवा लागत | शून्य | शून्य | 1,521.62 | शून्य | शून्य |
| पहचान न की गई संक्रमण देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| तुलन पत्र में पहचानी गई राशि | (415.70) | (416.35) | (85.87) | 709.47 | (139.53) |

* यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

(₹ करोड़ में)

| **तुलन पत्र में पहचानी गई राशि** | | | **पेंशन योजना** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **31.03.24** | **31.03.23** | **31.03.22** | **31.03.21** | **31.03.20*** |
| **अनुभव समायोजन** | | | | | |
| योजनागत देयताएं (लाभ)/हानि | 4,334.44 | 614.25 | 2,452.27 | 1,456.27 | 938.90 |
| योजनागत आस्तियों (हानि) /लाभ | 423.97 | 49.96 | 266.31 | 81.65 | 75.23 |

* यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

| मुख्य बीमांकिक पूर्वानुमान का उपयोग (%) | 2023-24 | | 2022-23 | |
|---|---|---|---|---|
| | उपादान | पेंशन | उपादान | पेंशन |
| पिछली छूट दर | 7.49 | 7.53 | 7.31 | 7.40 |
| पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर | 7.49 | 7.53 | 7.31 | 7.40 |
| पिछली वेतन वृद्धि | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| पिछली एट्रीशन दर | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| वर्तमान छूट दर | 7.21 | 7.24 | 7.49 | 7.53 |
| वर्तमान योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर | 7.21 | 7.24 | 7.49 | 7.53 |
| वर्तमान वेतन वृद्धि | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| वर्तमान एट्रीशन दर | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

**i) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:**

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालिक अवधि कर्मचारी लाभ हेतु तैयार किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| 1. | अवकाश किराया रियायत | (5.43) | 3.66 |
| 2. | अवकाश नकदीकरण | 350.14 | 149.30 |

बैंक ने विवेकपूर्ण आधार पर बीमारी अवकाश के लिए रु. 273.70 करोड़ का प्रावधान किया है, हालांकि इसमें कोई बड़ा भुगतान नहीं है.

**ii) फॅमिली पेंशन एवं उपादान देयताएं अपरिशोधित:**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| पेंशन | शून्य | |
| ए) पूर्ववर्ती शेष राशि | शून्य | 1,521.62 |
| बी) सकल देयताएं | शून्य | शून्य |
| सी) लाभ एवं हानि पर प्रभार | शून्य | 1,521.62 |
| डी) अग्रेषित शेष राशि | | शून्य |
| उपादान | शून्य | |
| ए) लाभ एवं हानि पर प्रभार | शून्य | शून्य |
| बी) अग्रेषित | शून्य | शून्य |

ए) XI द्विपक्षीय निपटान और 11 नवंबर, 2020 के संयुक्त नोट के तहत कवर किए गए कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में वृद्धि पर अतिरिक्त देयता बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार ₹1,902.02 करोड़ हैं. इसके अतिरिक्त आरबीआई के परिपत्र आरबीआई/ 2021-22/ 105 डीओआर. एसीसी. आरईसी. 57/21.04.018/2021-22 दिनांक 04 अक्तूबर, 2021 के अनुसार बैंकों को दिनांक 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पाँच वर्ष से अधिक की अवधि में उक्त देनदारी का परिशोधन करने की अनुमति है. बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि खाते में रु.380.40 करोड़ की राशि प्रभारित है तथा दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि खाते में ₹1521.62 करोड़ की शेष राशि प्रभारित किया गया है.

(बी) भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. आरबीआई/डीओआर/2021-22/83 डीओआर. एसीसी.आरईसी.न.45/21.04.018/2021-22 दिनांक 30 अगस्त, 2021 के संदर्भ में (समय-समय पर अद्यतित), निम्नलिखित प्रकटीकरण आवश्यक हैं.

ए. अन्य देनदारियों और प्रावधानों के मामले में, "अन्य (प्रावधानों सहित)" शीर्ष के तहत कोई भी मद कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक है,

बी. अन्य आस्तियों के मामले में, "अन्य" शीर्ष के तहत कोई भी मद कुल आस्ति के एक प्रतिशत से अधिक है,

सी. अन्य आय के मामले में, "विविध आय" के तहत कोई भी मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है,

डी. परिचालन व्यय के मामले में, "अन्य व्यय" के तहत कोई भी मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है.

| **अनुसूची** | **उप प्रमुख के अंतर्गत मद** | **₹ करोड़ में** | **कुल आय/आस्ति का %, जैसा लागू हो** |
|---|---|---|---|
| अनुसूची 5 अन्य देयताएं एवं प्रावधान (IV-अन्य (प्रावधान सहित)) | - | - | - |
| अनुसूची 11 अन्य आस्तियां (VI-अन्य) | - | - | - |
| अनुसूची 14 अन्य आय (VII-अन्य विविध आय) | अग्रिमों हेतु प्रसंस्करण शुल्क | 1,501.62 | 1.30 |
| | बट्टे - खाते में वसूली | 3,987.40 | 3.44 |
| अनुसूची 16 परिचालन खर्च (XII-अन्य व्यय) | - | - | - |

## 10.क्षेत्रवार रिपोर्टिंग (एएस-17)

### 10.1.कारोबार क्षेत्र:

(रु. करोड़ में)

| **कारोबार क्षेत्र** | **समेकित** | |
|---|---|---|
| | **समाप्त वर्ष** | |
| | **(लेखापरीक्षित)** | **(लेखापरीक्षित)** |
| | **31.03.2024** | **31.03.2023** |
| **क्षेत्रवार राजस्व** | | |
| ट्रेजरी परिचालन | 31,656.46 | 26,442.90 |
| रिटेल बैंकिंग परिचालन | 39,288.06 | 31,078.66 |
| (ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन | 985.02 | 566.49 |
| (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 38,303.04 | 30,512.17 |
| कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | 42,224.34 | 35,941.71 |
| अन्य बैंकिंग परिचालन | 2,601.53 | 1,979.37 |
| गैर आबंटित | 3,392.33 | 2,198.75 |
| **कुल क्षेत्रवार राजस्व** | **1,19,162.72** | **97,641.39** |
| घटाया अंतर-क्षेत्रवार राजस्व | (974.37) | (562.86) |
| **परिचालन से आय** | **1,18,188.35** | **97,078.53** |
| | | - |

| कारोबार क्षेत्र | समेकित | |
|---|---|---|
| | समाप्त वर्ष | |
| | (लेखापरीक्षित) | (लेखापरीक्षित) |
| | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
| **क्षेत्रवार परिणाम** | | - |
| ट्रेजरी परिचालन | 4,240.79 | 2,426.80 |
| रिटेल बैंकिंग परिचालन | 6,409.37 | 5,059.25 |
| (ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन | 686.88 | (45.05) |
| (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 5,722.49 | 5104.30 |
| कॉर्पोरेट बैंकिंग | 8,324.19 | 3,091.44 |
| अन्य बैंकिंग परिचालन | 1,393.91 | 1,063.52 |
| गैर आबंटित | 1,139.96 | 505.46 |
| **कर पूर्व कुल लाभ/(हानि)** | **21,508.22** | **12,146.47** |
| कर हेतु प्रावधान | 7,799.28 | 3716.12 |
| **कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)** | **13,708.94** | **8,433.27** |
| जोड़ाः एसोसिएट में लाभ का शेयर | 88.17 | 81.32 |
| **समेकित शुद्ध लाभ/(हानि)** | **13,797.11** | **8,511.67** |
| | | |
| **क्षेत्रवार आस्तियां** | | - |
| ट्रेजरी परिचालन | 4,72,537.71 | 4,64,788.70 |
| रिटेल बैंकिंग परिचालन | 4,14,535.30 | 3,59,680.33 |
| (ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन | 7,182.14 | 1737.64 |
| (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 4,07,353.16 | 3,57,942.69 |
| कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | 4,73,324.30 | 4,26,011.76 |
| अन्य बैंकिंग परिचालन | - | - |
| गैर आबंटित | 41,598.60 | 37,876.32 |
| **कुल** | **14,01,995.91** | **12,88,357.11** |
| **क्षेत्रवार देयताएं** | | - |
| ट्रेजरी परिचालन | 4,62,058.16 | 4,56,704.84 |
| रिटेल बैंकिंग परिचालन | 3,75,409.89 | 3,28,812.17 |
| (ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन | 6,699.23 | 1,640.02 |
| (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 3,68,710.66 | 3,27,172.15 |
| कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | 4,28,285.50 | 3,88,190.19 |
| अन्य बैंकिंग परिचालन | - | - |
| गैर आबंटित | 38,644.70 | 35,846.40 |
| **कुल** | **13,04,398.25** | **12,09,553.60** |
| | | - |

| कारोबार क्षेत्र | समेकित | |
|---|---|---|
| | समाप्त वर्ष | |
| | (लेखापरीक्षित) | (लेखापरीक्षित) |
| | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
| **नियोजित पूंजी** | | - |
| ट्रेजरी परिचालन | 10,479.55 | 8,083.86 |
| रिटेल बैंकिंग परिचालन | 39,125.41 | 30,868.16 |
| (ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन | 482.91 | 97.62 |
| (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 38,642.50 | 30,770.54 |
| कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग | 45,038.80 | 37,821.57 |
| अन्य बैंकिंग परिचालन | - | - |
| गैर आबंटित देयताएं | 2,953.90 | 2,029.92 |
| **कुल** | **97,597.66** | **78,803.51** |

**नोट:**

1. बैंक चार क्षेत्रों अर्थात ट्रेजरी, रिटेल, कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग परिचालन में कार्य करता है. उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफ़ाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी क्षेत्रावार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक एएस -17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गई है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. इस अवधि के लिए विदेशी शाखा के एएस-17 में निर्धारित राजस्व और अन्य पैरामीटर एएस-17 में निर्धारित सीमा के अंतर्गत हैं. अतः बैंक का रिपोर्ट योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है. बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार `डिजिटल बैंकिंग' को रिटेल बैंकिंग क्षेत्र के उप-क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है.

2. सीधे तौर पर आबंटित न किए जा सकने योग्य आय, व्यय, प्रयुक्त पूंजी प्रबंधन द्वारा उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किए जाने वाले क्षेत्रों में आबंटित कर दिए गए हैं.

3. पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां आवश्यक हो, पुनर्समूहित/ पुनर्वर्गीकृत किया गया है.

## 11. संबंधित पार्टियों का प्रकटन (एएस–18) (मूल बैंक)

### 11.1 संबंधित पार्टियों की सूची

**ए. सहायक कंपनियां**

- यूनियन एसेट मैनेजमेंट कं.प्रा.लि.
- यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि.
- आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि.
- यूबीआई सर्विसेस लि.

**बी. संयुक्त उपक्रम**

- स्टार यूनियन दाई-इची इंश्योरेंस कं. लि.
- एएसआरईसी (इंडिया) लि.
- इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहद

**सी. एसोसिएट**

- चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

**डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**

(₹ करोड़ में)

| नाम | पदनाम | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु भुगतान की गई पारिश्रमिक |
|---|---|---|
| सुश्री ए. मणिमेखलै | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | 0.40 |
| श्री नितेश रंजन | कार्यपालक निदेशक | 0.41 |
| श्री रजनीश कर्नाटक # | कार्यपालक निदेशक | 0.03 |
| श्री निधु सक्सेना ## | कार्यपालक निदेशक | 0.34 |
| श्री रामसुब्रमणियन एस. | कार्यपालक निदेशक | 0.37 |
| श्री संजय रुद्र * | कार्यपालक निदेशक | 0.16 |
| श्री पंकज द्विवेदी ^ | कार्यपालक निदेशक | 0.004 |

# 28.04.2023 तक

## 27.03.2024 तक

* 09.10.2023 से

^ 27.03.2024 से

**पार्टियां, जिनके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार दर्ज किए गए**

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो "राज्य नियंत्रित उद्यम" के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है. आगे, एएस 18 के अनुच्छेद 6 के अनुसार, बैंकर - ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं का प्रकटन नहीं किया गया है.

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अनुसार, केएमपी को बैंक का पूर्णकालिक निदेशक माना जाता है.

## 12. प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है. डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के भारित औसत के माध्यम से की गई है.

प्रति शेयर आय की गणना नीचे दी गई है:

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयरों की संख्या | 6,83,47,47,466 | 6,83,47,47,466 |
| वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या | 79,88,58,141 | शून्य |
| वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या | 7,63,36,05,607 | 6,83,47,47,466 |
| मूल अर्जन प्रति शेयर की गणना में प्रयोग किए जाने वाले इक्विटी शेयर की भारित औसतन संख्या | 7,20,31,48,214 | 6,83,47,47,466 |
| विघटित अर्जन प्रति शेयर की गणना में प्रयोग किए जाने वाले शेयर की भारित औसतन संख्या | 7,20,31,48,214 | 6,83,47,47,466 |
| निवल लाभ/ (हानि) रुपए करोड़ में | 13,797.11 | 8,511.67 |
| मूल अर्जन प्रति शेयर (₹) | 19.15 | 12.45 |
| विघटित अर्जन प्रति शेयर (₹) | 19.15 | 12.45 |
| मौद्रिक मूल्य प्रति शेयर (₹) | 10 | 10 |

## 13. करों के लिये प्रावधान:

**आस्थगित कर (एएस-22)**

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| | **आस्थगित कर आस्तियां** | | |
| 1 | कर्मचारी लाभ (अवकाश नकदीकरण) | 472.83 | 534.18 |
| 2 | स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास | 305.11 | 395.67 |
| 3 | गैर-निष्पादित आस्तियों हेतु प्रावधान | 5,588.40 | 11,408.93 |
| 4 | विदेशी मुद्रा अंतरण अधिशेष | (68.54) | (84.48) |
| 5 | अन्य प्रावधान | 203.85 | -0.01 |
| | **कुल** | **6,501.65** | **12,254.30** |
| | **आस्थगित कर देयताएं** | | |
| 1 | प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज | 951.02 | 1,274.79 |
| 2 | 36(i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां | 1,836.70 | 2,316.74 |
| | **कुल** | **2,787.72** | **3,591.53** |
| | **शुद्ध आस्थगित कर आस्ति** | **3,713.93** | **8,662.77** |

## 14. आस्तियों की हानि (एएस–28)

प्रबंधन ने तुलन पत्र की तिथि अर्थात यथा 31 मार्च, 2024 को आकलन किया है कि क्या कोई संकेत है कि अचल आस्ति क्षतिग्रस्त होने वाली है और ऐसे किसी आस्ति को पहचाना/पाया नहीं गया है जहां एएस-28 में निर्दिष्ट अनुसार हानि की स्थिति संलग्न है.

15. पैरेंट और सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट अतिरिक्त जानकारियों का समेकन वित्तीय विवरण (सीएफएस) के निष्पक्ष और उचित दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है और ऐसी मदों से संबंधित सूचनाएं जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, का सीएफएस में इसका प्रकटन नहीं किया गया है.

16. प्रबंधन का मानना है कि भविष्य में बैंक के कार्यनिष्पादन और सतत कारोबार अवधारणा पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा.

17. पिछले वर्ष के आँकड़ों को, जहाँ आवश्यक समझा गया, पुनः समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरी

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ समेकित लाभ एवं हानि लेखों का अभिन्न अंग हैं

**(अजय बंसल)**
उप महाप्रबंधक

**(अविनाश प्रभु)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

**(पंकज द्विवेदी)**
कार्यपालक निदेशक

**(संजय रुद्र)**
कार्यपालक निदेशक

**(रामसुब्रमणियन एस)**
कार्यपालक निदेशक

**(नितेश रंजन)**
कार्यपालक निदेशक

**(समीर शुक्ला)**
निदेशक

**(प्रकाश वलियारसिंह)**
निदेशक

**(सूरज श्रीवास्तव)**
निदेशक

**(लक्ष्मण एस उप्पर)**
निदेशक

**(जयदेव मदुगुला)**
निदेशक

**(प्रीति जय राव)**
निदेशक

**(ए. मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

हमारे समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

**कृते एन बी एस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W
**सीए शरत शेट्टी**
भागीदार
सदस्य सं. 132775
यूडीआईएन:24132775BKCYES4785

**कृते छाजेड & डोसी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 101794W
**सीए नितेश जैन**
भागीदार
सदस्य सं. 136169
यूडीआईएन:24136169BKEKKZ4882

**कृते जी एस माथुर & कं.**
सनदी लेखाकार
**एफ़आरएन** 008744N
**सीए राजीव कुमार वाधवन**
भागीदार
सदस्य सं. 091007
यूडीआईएन:24091007BKCFCT7661

**कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 000580S/S200066
**सीए पी. चंद्रशेखर**
भागीदार
सदस्य सं. 026037
यूडीआईएन:24026037BKARCO1889

**कृते वी के लाधा & एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002301C
**सीए वी के लाधा**
भागीदार
सदस्य सं. 071501
यूडीआईएन:24071501BKFQHF3256

स्थानः मुंबई
दिनांक 10 मई, 2024

# समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| ए | **परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह:** | | |
| | कर से पहले निवल लाभ | 21,50,822 | 12,14,647 |
| | **निम्न के लिए समायोजन :** | | |
| | अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास | 89,593 | 74,457 |
| | निवेशों के लिए प्रावधान | 88,070 | 1,67,478 |
| | गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान (निवल) | 6,40,960 | 12,50,677 |
| | मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | 71,067 | (1,15,806) |
| | अन्य मदों हेतु प्रावधान (निवल) | 4,482 | 14,760 |
| | अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान से (लाभ)/हानि | (217) | 149 |
| | उधारी पर ब्याज : पूंजीगत लिखत | 1,64,704 | 1,58,601 |
| | एसोसिएट में लाभ की हिस्सेदारी | 8,817 | 8,132 |
| | आरक्षित से/में अंतरण | (2,97,383) | (56,928) |
| | **उप योग** | **29,20,915** | **27,16,168** |
| | **निम्न के लिए समायोजन:** | | |
| | जमाराशियों में वृद्धि / (कमी) | 1,04,27,144 | 86,00,976 |
| | अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि /(कमी) | 7,63,049 | 11,45,747 |
| | निवेशों में (वृद्धि) / कमी | (1,01,844) | 6,61,560 |
| | अग्रिमों में वृद्धि / (कमी) | (1,16,21,266) | (1,14,16,687) |
| | अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी | (93,029) | (7,74,427) |
| | प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड के बाद निवल) | (3,02,000) | (3,27,752) |
| | **परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)** | **19,92,969** | **6,05,585** |
| बी | **निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :** | | |
| | अचल संपत्तियों की खरीद | (1,64,880) | (3,06,555) |
| | अचल आस्तियों की बिक्री/समायोजन की प्राप्तियां | 34,320 | 68,280 |
| | सहायक कंपनी के निवेश में (बढ़ोतरी) / कमी | (8,817) | (17,830) |
| | **निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)** | **(1,39,377)** | **(2,56,105)** |
| सी | **वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह:** | | |
| | शेयर प्रीमियम (निवल) सहित सहायक कंपनियों के अधिमान शेयर पूंजी को जारी करने से प्राप्तियां | - | - |
| | शेयर प्रीमियम (निवल) सहित इक्विटी शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्तियां | 7,97,085 | - |
| | पूंजीगत लिखतों के निर्गमन से प्राप्तियां | - | 98,300 |
| | पूंजीगत लिखतों की चुकौती | (2,00,000) | (10,000) |
| | पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार (कमी) / वृद्धि | (13,76,233) | (8,65,254) |
| | उधारी पर प्रदत्त ब्याज : पूंजीगत लिखत | (1,64,704) | (1,58,601) |
| | वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश | (2,05,042) | (1,29,861) |
| | **वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)** | **(11,48,894)** | **(10,65,416)** |
| | **नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (ए)+(बी)+(सी)** | 7,04,698 | (7,15,936) |

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| | वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य | 1,12,59,886 | 1,19,75,822 |
| | **वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य** | **1,19,64,584** | **1,12,59,886** |
| | **नकदी एवं नकदी समतुल्य के घटक** | | |
| डी | **वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य** | | |
| | नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित) | 50,25,811 | 46,11,589 |
| | बैंकों के पास जमा और मांग पर प्रतिदेय राशि | 62,34,076 | 73,64,233 |
| | **वर्ष के आरंभ में निवल नकदी एवं नकदी समतुल्य** | **1,12,59,887** | **1,19,75,822** |
| ई | **वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य** | | |
| | नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित) | 52,90,154 | 50,25,811 |
| | बैंकों के पास जमा और मांग पर प्रतिदेय राशि | 66,74,430 | 62,34,076 |
| | **वर्ष के अंत में निवल नकदी एवं नकदी समतुल्य** | **1,19,64,584** | **1,12,59,887** |

उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नकदी प्रवाह विवरण पर लेखांकन मानक-3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है.

जहां कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रस्तुतीकरण के अनुरुप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ समेकित लाभ एवं हानि लेखों का अभिन्न अंग हैं

**(अजय बंसल)**
उप महाप्रबंधक

**(अविनाश प्रभु)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

**(पंकज द्विवेदी)**
कार्यपालक निदेशक

**(संजय रुद्र)**
कार्यपालक निदेशक

**(रामसुब्रमणियन एस)**
कार्यपालक निदेशक

**(नितेश रंजन)**
कार्यपालक निदेशक

**(समीर शुक्ला)**
निदेशक

**(प्रकाश बलियारसिंह)**
निदेशक

**(सूरज श्रीवास्तव)**
निदेशक

**(लक्ष्मण एस उप्पर)**
निदेशक

**(जयदेव मदुगुला)**
निदेशक

**(प्रीति जय राव)**
निदेशक

**(ए. मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

हमारे समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

**कृते एन बी एस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W
**सीए शरत शेट्टी**
भागीदार
सदस्य सं. 132775
यूडीआईएन:24132775BKCYES4785

**कृते छाजेड & डोसी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 101794W
**सीए नितेश जैन**
भागीदार
सदस्य सं. 136169
यूडीआईएन:24136169BKEKKZ4882

**कृते जी एस माथुर & कं.**
सनदी लेखाकार
**एफ़आरएन** 008744N
**सीए राजीव कुमार वाधवन**
भागीदार
सदस्य सं. 091007
यूडीआईएन:24091007BKCFCT7661

**कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 000580S/S200066
**सीए पी. चंद्रशेखर**
भागीदार
सदस्य सं. 026037
यूडीआईएन:24026037BKARCO1889

**कृते वी के लाधा & एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002301C
**सीए वी के लाधा**
भागीदार
सदस्य सं. 071501
यूडीआईएन:24071501BKFQHF3256

स्थान: मुंबई
दिनांक 10 मई, 2024

# बासेल III के अंतर्गत प्रकटीकरण

## पूंजी विनियमन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासेल III पूंजी विनियमन पर जारी मास्टर परिपत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2024 यथासंशोधित के अनुसार बैंकों द्वारा बासेल III पूंजी आवश्यकताओं के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण आवश्यक है. बैंक द्वारा ये प्रकटीकरण किए गए हैं, जो बैंक की वेबसाइट के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://www.unionbankofindia.co.in/english/basel-disclosures-iii.aspx

# कारोबार उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट

सेबी द्वारा अपेक्षित कारोबार उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर उपलब्ध है. यदि कोई सदस्य उसकी भौतिक प्रति चाहते हैं तो बैंक के कंपनी सचिव को लिख सकते हैं.

# नामांकन पत्र
## (विनियमनों का 65 (डी) नियमन संदर्भित)

प्रति,
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
केन्द्रीय कार्यालय,
मुंबई 400 021

## निदेशक का चुनाव

प्रिय महोदया,

आपके नोटिस दिनांक 14 जून, 2024 के संदर्भ में, मैं ______________________________ यूनियन बैंक का अंशधारक, _______ समता अंशो, रु. 10/- प्रति (पूर्ण चुकता) यथा दिनांक 28 जून, 2024 का धारक (चुनाव में भाग लेने के लिए निर्धारित तारीख होने के कारण) एतदद्वारा श्री/ श्रीमती ___________ _______________, श्री/ श्रीमती ____________________ के पुत्र/पुत्री/ पत्नी, निवासी __________________ ____________________________________________________________________________________________ को बैंककारी कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 3(ग) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 26 जुलाई, 2024 को अंश धारकों हेतु आयोजित वार्षिक महासभा बैठक में बैंक के अंश धारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूनियन बैंक के निदेशक के रूप में चयनित करने हेतु नामित करता हूँ.

हस्ताक्षर ..................................................
नाम ..................................................
शेयरों की संख्या ...........................................
पंजीकृत फोलियो की संख्या .......................................
(यदि डिमेटेरियलाइज्ड नहीं हैं)
डीपी आईडी संख्या ..............................................
ग्राहक आईडी संख्या ............................................
(यदि डिमेटेरियलाइज्ड हैं)

स्थान :

दिनांक :

नोट :

यदि नामांकन निकाय कॉर्पोरेट द्वारा किया जा रहा है तो नामांकन पत्र के साथ निदेशक मंडल द्वारा लाये गए संकल्प की प्रमाणित सत्यप्रति होनी चाहिए जिस पर बैठक, जहां इसे लाया गया है, के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए.

उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयर धारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूने के हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए.

यदि उपरोक्त में कोई कॉलम रिक्त रह जाता है अथवा विवरण गलत पाया जाता है तो नामांकन निरस्त किया जा सकता है..

# घोषणा पत्र

(विनियमनों का 65 नियमन संदर्भित)

मैं,__________________________ श्री/ श्रीमती ______________________________ का पुत्र/पुत्री/पत्नी, _________________ का निवासी, फोलियो क्रमांक _________/डीपी आईडी क्रमांक ___________/ग्राहक संख्या ___________ के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ________ समता अंश, प्रति अंश रु. 10/- (पूर्ण चुकता) यथा दिनांक 28 जून, 2024 अर्थात चुनाव में सहभागिता के लिए निर्धारित तारीख एवं विशेष जानकारी अथवा व्यवहारिक अनुभव रखते हुए:*

i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था

ii) बैंकिंग

iii) सहकारिता

iv) आर्थिक

v) वित्त

vi) विधि

vii) लघु उद्योग

viii) कोई अन्य मामले में कारोबार प्रबंधन/जोखिम प्रबंधन/वित्त/मानव संसाधन/आईटी/भुगतान एवं निपटान प्रणाली/आदि की विशेष जानकारी एवं व्यवहारिक अनुभव जिसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की राय बैंक अथवा जमाकर्ताओं और/अथवा किसानों, कारीगर एवं दस्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वालों के लिए, बैंकिंग कंपनीज (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप धारा 3ए (और एक साक्ष्य के रूप में मैं एतदद्वारा संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करता हूँ) के संदर्भ में उपयोगी होगी, मैं एतदद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि

ए) मैं नामांकन क्रमांक ________ से ________, स्वीकार करता हूँ और

बी) मैं यूनियन बैंक के निदेशक के रूप में चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ और

सी) मैं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अंश एवं बैठकें) विनियमन 1998 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनने के अयोग्य नहीं हूँ और

डी) मैं न तो किसी कार्यालय में लाभ के पद पर हूँ और न ही यूनियन बैंक या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सब्सिडियरी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में सब्सिडियरी के रूप में वर्णित बैंक का कर्मचारी हूँ और

2. मैं भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार उचित एवं उपयुक्त स्तर पाये जाने हेतु विचारार्थ, घोषणा एवं वचन (पीडीयू रूप में), अलग से व्यक्तिगत जानकारी भी प्रस्तुत कर रहा हूँ.

हस्ताक्षर: ______________________________

नाम : ______________________________

स्थान: ______________________________

दिनांक : ______________________________

संलग्नक : उपर्युक्त______________________________

उपरोक्त घोषणा पत्र में श्री/श्रीमती ____________________________________ द्वारा मेरे सामने हस्ताक्षर किए गए हैं

हस्ताक्षर सील एवं<br>सत्यापित करने वाले अधिकारी के नाम सहित

नोट : नामांकी द्वारा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एसयूरेन्स के पंजीयक/उप-पंजीयक अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सामने किए जाने चाहिए.

* जो लागू न हो उसे काट दें.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम Union Bank of India A Government of India Undertaking

# यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

उम्मीदवार द्वारा व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा पत्र एवं वचनपत्र (उपयुक्त संलग्नों के साथ)

PHOTO

<table>
<tr><th>क्र सं.</th><th>विवरण</th><th>दी जा रही सूचना</th></tr>
<tr><td colspan="3">I. व्यक्तिगत विवरण</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>पूरा नाम</td><td><table><tr><td>प्रथम नाम</td><td>मध्य नाम</td><td>अंतिम नाम</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पिता का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>लिंग (पुरुष / स्त्री / अन्य)</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>वर्तमान पता</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>ई-मेल का पता और वैकल्पिक ई-मेल का पता:<br>एसटीडी कोड के साथ टेलीफोन नंबर:<br>मोबाइल नं:</td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>राष्ट्रीयता</td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) और आयु</td><td>- - / - - /------आयु: - - वर्ष - - माह</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>शैक्षणिक योग्यताएं</td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)</td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>आधार संख्या (वैकल्पिक)</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>(ए) स्थायी खाता संख्या (पैन)</td><td rowspan="3"><table><tr><td>दर्ज करने की तिथि</td><td>भुगतान किए गए कर की राशि (आईएनआर)</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td>(बी)प्रभार जहां प्रस्तावित निदेशक का कर (आयकर क्षेत्राधिकार) / आयकर क्षेत्र / वार्ड के नाम और पते का आकलन किया जाता है</td></tr>
<tr><td></td><td>(सी)पिछले 3 वर्षों के लिए रिटर्न (स) को दाखिल करने और कर के भुगतान का विवरण</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>स्थायी पता</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र सं.</th><th>विवरण</th><th>दी जा रही सूचना</th></tr>
<tr><td>13.</td><td>लेखा, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहयोग, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणाली, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, कारोबार प्रबंधन या किसी अन्य मामले के संबंध में प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव पर एक संक्षिप्त लेख के रूप में विवरण जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रिजर्व बैंक की राय में बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी होगा.</td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>वर्तमान कारोबार (पदनाम, संगठन का नाम और अनुभव पर संक्षिप्त लेखन)</td><td></td></tr>
<tr><td>15.</td><td>पिछले कारोबार में कम से कम पिछले दस वर्षों को कवर किया गया है, जिसमें काम करने की तिथि, कार्यमुक्ति की तिथि (कारणों सहित), पदनाम, आदि में काम करने वाले संगठन (संगठनों) का पूरा पता</td><td></td></tr>
<tr><td>16.</td><td>यदि कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट है, तो निम्नलिखित के विषय में जानकारी दें:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(ए) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की सदस्यता संख्या:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(बी)आईसीएआई के साथ पंजीकरण की तिथि:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(सी) पंजीकृत फर्म (ओं) का नाम और पता:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(डी) फर्म (ओं) द्वारा या आपके द्वारा वर्तमान में किए गए लेखापरीक्षा (ऑडिट) का विवरण:</td><td></td></tr>
<tr><td>17.</td><td>शाखा के साथ बैंकर(रों) का नाम और खाता संख्या (बचत / चालू / ऋण खाते) जहां आप एक प्राथमिक खाता धारक हैं:</td><td><table><tr><th>बैंक का नाम</th><th>शाखा</th><th>खाते का प्रकार</th><th>खाता संख्या</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>18.</td><td>आपके पति/पत्नी और आपके नाबालिग बच्चे द्वारा किसी भी संस्था में भौतिक या अभौतिक रूप में धारित शेयरधारिता का विवरण, (डीमैट/शेयरधारिता प्रमाणपत्र संलग्न करें)</td><td></td></tr>
<tr><td>19.</td><td>बैंक के निदेशक पद से संबंधित कोई अन्य जानकारी:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">II. प्रस्तावित निदेशक के प्रासंगिक संबंध</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>रिश्तेदारों की सूची, डकंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) और कंपनी (परिभाषा की विशिष्टता) नियम, 2014 के नियम 4 का संदर्भ लें, यदि कोई हो, जो किसी भी बैंक से जुड़े हैं:</td><td></td></tr>
<tr><td>21.</td><td>संस्थाओं की सूची जिनमें:<br>(ए) इच्छुक डकंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें;</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(बी) लाभकारी स्वामित्व डकंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 और एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियमों का संदर्भ लें;</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(सी) न्यासी (न्यास के संदर्भ में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें):</td><td></td></tr>
</table>

| क्र सं. | विवरण | दी जा रही सूचना |
|---|---|---|
| 22. | मौजूदा और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची, जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई)4 के अर्थ के भीतर पर्याप्त रुचि है | कंपनी/संस्था का नाम:<br>निगमन का देश:<br>शेयर की संख्या:<br>प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य:<br>शेयर धारिता का कुल अंकित:<br>मूल्य:<br>कुल प्रदत्त पूंजी के % के रूप में:<br>शेयरधारिता:<br>लाभप्रद ब्याज:<br>(मूल्य के साथ-साथ % शर्तों में):<br>क्या इकाई, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 की कंपनी है: |
| 23. | विदेश में निगमित संस्थाओं और भारत में कारोबार का स्थान होने वाली संस्थाओं की धारिता का विवरण | |
| 24. | बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान में या पूर्व में बोर्ड/सलाहकार आदि का सदस्य रहा है। (उस अवधि का विवरण दें जिस दौरान ऐसे कार्यालय सदस्य था/है ) | |
| 25. | किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टेदारी और अन्य परा बैंकिंग गतिविधियों के अंतर्गत आने वाली किसी इकाई से संबंधित है (संघ की प्रकृति का उल्लेख किया जाना है) आती हैं, तो उसका विवरण दें | |
| 26. | यदि कोई स्टॉक ब्रोकर या शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों में संलग्न किसी इकाई से जुड़ा है, तो उसका विवरण दें | |
| 4 "सारभूत हित" (i) किसी कंपनी के संबंध में, किसी व्यक्ति या उसके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा, चाहे अकेले या एक साथ लिया गया हो, उसके शेयर में, भुगतान की गई राशि पांच लाख रुपये से अधिक है या कंपनी की चुकता पूंजी का दस प्रतिशत, जो भी कम हो; (ii) किसी फर्म के संबंध में, किसी व्यक्ति या उसके पति या नाबालिग बच्चे द्वारा, चाहे अकेले या एक साथ लिया गया हो, उसमें रखे गए लाभकारी हित का अर्थ है, जो उक्त फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त की गई कुल पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है." | | |
| 27. | निधि और गैर-निधि-आधारित सुविधाओं का विवरण, यदि कोई हो, जो वर्तमान में व्यक्तिगत रूप से और/या ऊपर (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्राप्त किया गया है | |
| 28. | ऐसे मामले, यदि कोई हो, जिन्हें एक व्यक्ति या उपरोक्त (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं ने बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य उधार देने वाली संस्था से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में पूर्व में चूक या इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित किया गया है | |
| **III. व्यावसायिक उपलब्धियों के रिकॉर्ड** | | |
| 29. | निदेशक मंडल हेतु प्रासंगिक व्यावसायिक उपलब्धियां | |
| **IV. प्रस्तावित निदेशक के सापेक्ष कार्यवाही, यदि कोई हो** | | |

| क्र सं. | विवरण | दी जा रही सूचना |
|---|---|---|
| 30. | (ए) एक पेशेवर संघ/निकाय के सदस्य के रूप में, अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू किया गया या जिसके परिणामस्वरूप अतीत में दोषसिद्धि हुई या चाहे किसी भी समय किसी भी पेशे/कारोबार में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया हो, उसका विवरण | |
| | (बी) यदि व्यक्तिगत पेशेवर आचरण या गतिविधियों के बारे में कोई लिखित शिकायत या आरोप है, तो उसका विवरण | |
| 31. | आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू किया गया या जिसके परिणामस्वरूप स्वयं या उपरोक्त (21) से (26) तक में सूचीबद्ध संस्थाओं को दोषी ठहराया गया है | |
| 32. | आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू हुआ या जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई | |
| 33. | यदि एएमएल / सीएफटी दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन में लिप्त है, तो उसका विवरण | |
| 34. | यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत परिकल्पित कोई भी अयोग्यता लागू होती है, तो उसका विवरण | |
| 35. | यदि न्यायनिर्णित दिवालिया हो गया है या भुगतान को निलंबित कर दिया है या लेनदारों के साथ समझौता किया है, तो उसका विवरण | |
| 36. | यदि विकृत मन पाया जाता है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है, तो उसका विवरण. | |
| 37. | (ए) यदि किसी अपराध के लिए आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता शामिल है या अन्यथा, उसका विवरण. | |
| | (बी) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? | |
| 38. | पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करने के अलावा यदि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के तहत पद का कोई लाभ धारित करता हो, तो उसका विवरण. | |
| 39. | यदि किसी व्यक्तिगत या अन्य किसी संस्था के रूप में (21) से (26) तक की संस्थाओं में से कोई भी पिछले नियोक्ताओं या सरकारी विभागों या एजेंसियों से किसी भी जांच/सतर्कता/पूछताछ के मामलों के अधीन है, तो उसका विवरण. | |
| 40. | यदि सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों / विनियमों / विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन हेतु दोषी पाया जाता है, तो उसका विवरण. | |

| क्र सं. | विवरण | दी जा रही सूचना |
|---|---|---|
| 41. | यदि किसी नियामक जैसे सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, पेशेवर संगठन, सरकारी एजेंसी या अदालत द्वारा पेशेवर आचरण या गतिविधियों के कारण फटकार, प्रतिबंधित, निलंबित, वर्जित या अन्यथा स्वीकृत किया गया है, तो उसका विवरण. (हालांकि एक उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह विनियामकों द्वारा किए गए आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करें, जिन्हें बाद में पलट दिया गया है / पूरी तरह से अलग रखा गया है, इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा, यदि पलटा / अलग रखना तकनीकी कारणों जैसे सीमा या अधिकार क्षेत्र में ना आना आदि, और योग्यता के आधार पर नहीं. यदि नियामक का आदेश अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है और अपील/ अदालत की कार्यवाही लंबित है, तो इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए) | |
| **V. सामान्य जानकारी** | | |
| 42. | यदि कोई पेशेवर जैसे सनदी लेखाकार, वकील आदि और वर्तमान में किसी भी बैंक में कोई भी पेशेवर कार्य किया है तो, बैंक का नाम और बैंक के साथ सहयोग की अवधि सहित उसका विवरण उपलब्ध कराएं. | |
| 43. | यदि कोई वर्तमान एमपी/ एमएलए/ एमएलसी या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद धारित करता हो, तो उसका विवरण उपलब्ध कराएं. | |
| **VI.** | **प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित में, 'उचित और उपयुक्त' का आकलन करने के लिए प्रासंगिक कोई अन्य जानकारी होनी चाहिए, उसका विवरण उपलब्ध कराएं.** | |
| | **वचन पत्र** | |
| मैं पुष्टि करता हूं कि उपरोक्त जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास, सत्य और पूर्ण है. मैं वचन देता हूं कि मेरी नियुक्ति के बाद होने वाली सभी घटनाओं के बारे में, जो ऊपर दी गई जानकारी के लिए प्रासंगिक हैं, बैंक को जल्द से जल्द पूरी तरह से सूचित करूंगा/ करूंगी. | | |
| मैं बैंक के साथ निष्पादित किए जाने के लिए आवश्यक 'प्रसंविदा विलेख' को निष्पादित करने का भी वचन देता/ देती हूं. | | |
| | | |
| | स्थान : | प्रस्तावित निदेशक / एमडी एवं सीईओ / सीईओ के हस्ताक्षर |
| | | |
| | दिनांक : | |
| | **नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की टिप्पणी की उपरोक्त जानकारी सही और पूर्ण है.** | |
| | | |
| | स्थान : | एनआरसी के अध्यक्ष का हस्ताक्षर |
| | दिनांक : | |

**हरित पहल – शेयरधारकों से अपील**
नोटिस/ वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य
पत्राचार ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करना

**डिमेट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि: वे अपने डिमेट खातों में ई–मेल आईडी दर्ज करें.**

**भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि:**

वे फॉर्म आईएसआर- । को भरकर उसके साथ संबंधित दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर प्रेषित करें :

केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड यूनिटः
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
सेलेनियम टावर बी, प्लाट 31 एवं 32
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद 500032
ईमेलः einward.ris@kfintech.com
टॉल फ्रीः 1800 309 4001
वेबसाइटः www.kfintech.com

उपर्युक्त आईएसआर-। फॉर्म बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in/english/important-announcement-to-physical-shareholders.aspx पर उपलब्ध है

फॉर्म आईएसआर -1 से क्यूआर कोड प्राप्त करें

**लाभांश अधिदेश:**
**डिमेट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि :**
बैंक खाते में सीधे लाभांश प्राप्त करने हेतु, डिपॉजिटरी पार्टिसीपेंट के पास अपने बैंक खाते के विवरण को प्रस्तुत/ अद्यतन करें.

**भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि :**
बैंक खाते में सीधे लाभांश प्राप्त करने हेतु, संबंधित दस्तावेज़ों के साथ उक्त फॉर्म आईएसआर-। को भरकर हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के साथ बैंक खाता विवरण प्रस्तुत/ अद्यतन करें.

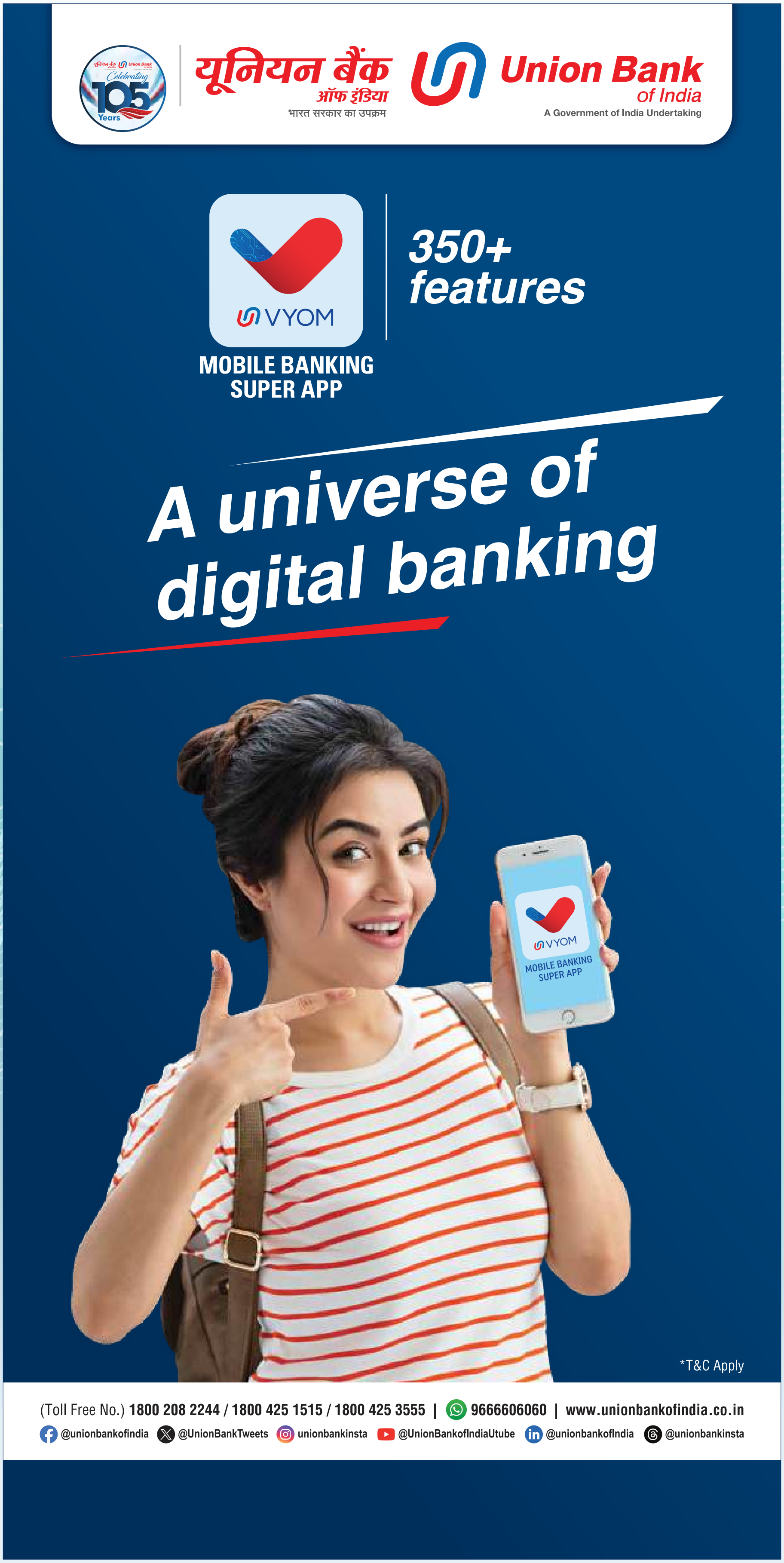
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India
A Government of India Undertaking
Celebrating 105 Years
VYOM
MOBILE BANKING SUPER APP
350+ features
A universe of digital banking
*T&C Apply
(Toll Free No.) 1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555 | 9666606060 | www.unionbankofindia.co.in
@unionbankofindia @UnionBankTweets unionbankinsta @UnionBankofIndiaUtube @unionbankofIndia @unionbankinsta

*यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हम एक उज्ज्वल, हरित एवं बेहतर संयोजित भारत में विश्वास करते हैं, जहां हर कोई समृद्ध हो और नवोन्मेष एवं वित्तीय पहुंच के लाभों का आनंद ले सके.*

*At Union Bank of India, we believe in a brighter, greener, and more connected india, where everyone can prosper and enjoy the benefits of innovation and financial access.*

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India
A Government of India Undertaking


हेल्पलाईन नंबर / Helpline Nos.: 1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555
www.unionbankofindia.co.in


एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 डाउनलोड करने हेतु क्यूआर कोड को स्कॅन करें
Scan the QR Code to download Integrated Annual Report 2023-24


@unionbankofindia | @UnionBankTweets | UnionBankInsta | YouTube UnionBankofIndiaUtube | @unionbankofindia


अवांछित ईमेल से सतर्क रहे जो तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं
Be wary and cautious of unsolicited emails that demand immediate action


DICKENSON www.dickensonworld.com